CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार
एक परिचय

(तृतीय पुनरीक्षित एवं परिवर्द्धित संस्करण)

इमत्याज़ अहमद
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय

क़मर अहसन
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग
ए. एन. कॉलेज; मगध विश्वविद्यालय

np
नेशनल पब्लिकेशन
खजांची रोड, पटना–4

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहारः एक परिचय

प्रथम संस्करण—1994

द्वितीय (पुनरीक्षित एवं संवर्द्धित) संस्करण—1996

तृतीय (पुनरीक्षित एवं परिवर्द्धित) संस्करण—1998

© फ़रज़ाना अहमद
हिना रिज़्वी

प्रकाशकः

नेशनल पब्लिकेशन

खजांची रोड, पटना

मूल्य : 80.00 (अस्सी रुपये, मात्र)

प्राप्ति स्थान :

नेशनल स्टोर्स

खजांची रोड, पटना

मुद्रक :

जय हिन्द प्रेस

कंकड़बाग, पटना–20

फोनः 350667, 350691

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राक्कथन
(तृतीय संस्करण)

बिहार एक परिचय का तीसरा पुनरीक्षित एवं परिवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें सुखद हर्ष का आभास हो रहा है। विगत कई वर्षों से इस पुस्तक का सामान्य पाठकों ने और विशेषकर छात्र-समुदाय ने जिस ढंग से स्वागत किया है उससे हमें प्रसन्नता हुई है और हमारा उत्साहवर्द्धन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक ने बिहार के संबंध में एक नई अभिरूचि जगायी है। इस ढंग की कुछ अन्य पुस्तकें भी हाल के प्रकाशित हुई हैं और हमें यह खुशी है कि हमारा यह प्रयास एक पथ-प्रदर्शक सिद्ध हुआ है।

पिछले कई वर्षों में बिहार देश भर में चर्चा का विषय रहा है, कुछ उपलब्धियों के कारण और कुछ विवादों के कारण। फलस्वरूप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, साक्षात्कारों में, छात्रों और प्रत्याशियों से बिहार के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भी बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान के अनेक प्रश्न लगातार पूछे गये हैं। अतः बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान की बातों की समग्र जानकारी रहने की आवश्यकता निरंतर बनी रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमने इस संस्करण को और भी उपयोगी बनाने की कोशिश की है। कुछ नये अध्याय जोड़े गये हैं जैसे पर्यावरण, बौद्धिक विरासत, उग्रवाद की समस्या आदि तो कुछ अध्यायों, जैसे इतिहास, संस्कृति, राज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था, भूगोल आदि को नये प्रारूप में और संवर्द्धित एवं अद्यतन सूचनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया है और समसामयिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नये और अद्यतन प्रश्न जोड़े गये हैं। परिशिष्ठों को भी संवर्द्धित रूप दिया गया है।

पाठकों, मित्रों और शुभचिंतकों ने पुस्तक के पिछले संस्करण में जिन सुधारों और परिवर्तनों के सुझाव दिये थे, हमने यथासंभव इस नये संस्करण में उन्हें स्थान दिया है और हमें आशा है कि पहले की तरह इस नये संस्करण के प्रति भी सुधी पाठकों का ध्यान और उनकी अभिरूचि बनी रहेगी। इसे और भी उपयोगी बनाने के लिए उनके सुझाव हमें मिलते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है।

हम श्री उपेन्द्र मोहन प्रसाद के आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक की प्रेस-प्रति की तैयारी में और इसके प्रकाशन में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

पटना
5 मई, 1998

इमत्याज़ अहमद
क़मर अहसन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राक्कथन

(द्वितीय संस्करण)

बिहार एक परिचय के पुनरीक्षित एवं संवर्द्धित रूप का दूसरा संस्करण आपके हाथ में है। प्रथम संस्करण का सामान्य पाठकों और विशेषकर छात्र-समुदाय द्वारा जिस ढंग से स्वागत हुआ है इससे हमें प्रसन्नता भी हुई है और हमारा उत्साहवर्द्धन भी हुआ है। हमें यह कहते हुए भी हर्ष होता है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से बिहार के संबंध में एक नयी अभिरुचि जगी है और इस ढंग की कुछ अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं जो बिहार के संबंध में सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस तरह, हमारा यह प्रयास एक पथ-प्रदर्शक सिद्ध हुआ है।

हाल में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान के अनेक प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अतः इस पुस्तक की उपयोगिता निरंतर बनी हुई है। हमें आशा है कि इस नवीन संस्करण के प्रति पाठकों की अभिरूचि पूर्ववत् बनी रहेगी।

हमारे शुभचिंतकों और मित्रों ने हमारे इस प्रयास को जिस ढंग से सराहा है इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पुस्तक में नये तथ्यों को जोड़ने के जो सुझाव हमें मिले हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आगामी संस्करणों में हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे।

पुस्तक की प्रेस प्रतिलिपि तैयार करने और इसके प्रकाशन में हमें श्री उपेन्द्र मोहन प्रसाद का सहयोग निरंतर प्राप्त रहा जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रथम संस्करण की तरह, वर्तमान संस्करण भी सुधि पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल होगा। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके विचारों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं।

पटना — **इमत्याज़ अहमद**
15 सितम्बर, 1996 — **क़मर अहसन**

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राक्कथन
(प्रथम संस्करण)

विगत वर्षों में क्षेत्रीय एवं सूक्ष्म अध्ययन के प्रयास निरंतर लोकप्रिय होते रहे हैं। विभिन्न विषयों से संबंधित ऐसे शोध-कार्य बिहार के संदर्भ में भी हुए हैं जिनमें बिहार के इतिहास, आर्थिक जीवन, संस्कृति, साहित्य एवं अन्य पहलुओं पर विस्तृत और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई गयी है। किन्तु एक ऐसी पुस्तक जो प्रमाणिक जानकारी देने के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी और रूचिकर हो, हिन्दी भाषा में बिहार के संबंध में अभी भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसी पुस्तक की आवश्यकता पिछले कुछ महीनों में छात्रों द्वारा और भी अधिक महसूस की जा रही है; क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बिहार से सम्बद्ध विविध जानकारी का समायोजन किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक इसी कमी को दूर करने का एक प्रयास है। इसमें बिहार से संबंधित विविध पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करायी गयी है जिसमें इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनजातीय जीवन, कला एवं स्थापत्य, साहित्य, संगीत एवं नृत्य, ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, पर्यटन, विविध संस्थाएँ, खेल-जगत और बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का परिचय शामिल है।

इस पुस्तक में वह जानकारी भी उपलब्ध है जिसपर आम तौर से लोगों का ध्यान केन्द्रित रहा है; और उन तथ्यों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है जिनसे समान्यतः पाठक एवं छात्र भली-भांति अवगत नहीं हैं।

इमत्याज़ अहमद
क़मर अहसन

पटना
17 जून, 1994

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विषय सूची

पृष्ठ

1. बिहार की ऐतिहासिक सम्पदा ... 9-33
2. बिहार में ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष ... 34-42
3. राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका ... 43-60
4. ऐतिहासिक विविधा ... 61-82
5. बौद्धिक विरासत पृष्ठ - 96 ... 83-98
6. कला और संस्कृति ... 99-110
7. जनजातीय जीवन ... 111-129
8. पर्यटन और खेल-जगत ... 130-140
9. शिक्षा एवं साक्षरता ... 141-150
10. भूगोल ... 151-202
11. पर्यावरण ... 203-210
12. राज्य-व्यवस्था ... 211-248
13. उग्रवाद की समस्या ... 249-255
14. आर्थिक उपार्जन एवं नियोजन ... 256-266
15. गरीबी एवं सार्वजनिक नीति ... 267-280
16. कृषि:समस्याएँ और संभावनाएँ ... 281-288
17. उद्योग एवं निर्माण ... 289-299
18. भौतिक अधिसंरचना ... 300-304

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पृष्ठ

19. वित्त व्यवस्था	...	305-318
20. रोजगार एवं श्रम-कल्याण	...	319-326
21. परिशिष्ठ	...	327-352
(i) बिहार : कुछ स्मरणीय तथ्य	...	327
(ii) बिहार मंत्रीमंडल	...	330
(iii) बिहार : प्रशासनिक विभाजन	...	333
(iv) राज्य के मुख्य संग्रहालय	...	340
(v) राज्य के मुख्य संस्थान	...	342
(vi) बिहार के विश्वविद्यालय	...	344
(vii) बिहार की विभूतियाँ	...	345
22. वस्तुनिष्ठ प्रश्न	...	353-392

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

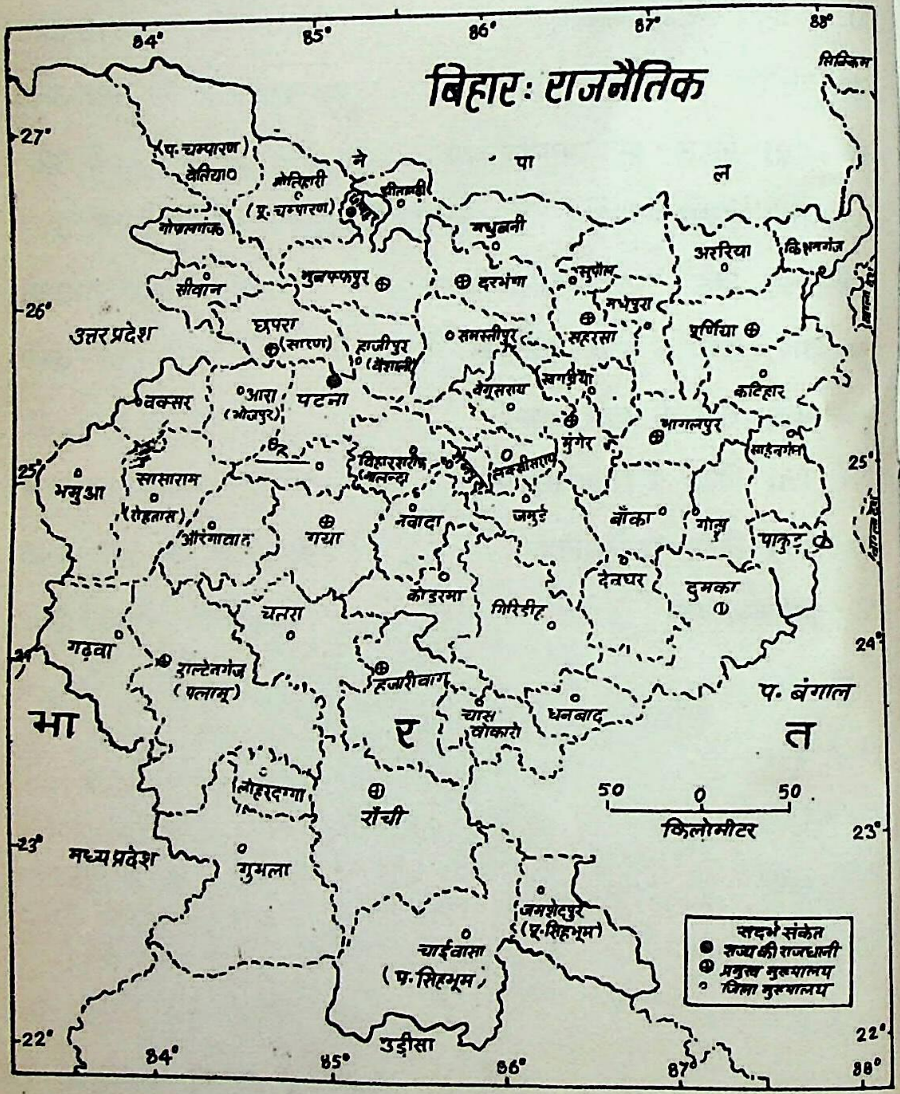

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-1

ऐतिहासिक सम्पदा

बिहार का ऐतिहासिक महत्त्व सदियों पुराना है। वैसे तो एक पृथक एवं संगठित प्रान्त के रूप में बिहार की उत्पत्ति लगभग आठ दशक पहले हुई और इसकी वर्तमान भौगोलिक सीमाएँ मात्र साठ साल पहले निर्धारित हुईं, लेकिन इस क्षेत्र का ऐतिहासिक अतीत बहुत पुराना और गौरवशाली है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित हो रही संस्कृतियों का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है और विभिन्न युगों में इसने देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई है। दक्षिण बिहार में छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में पूर्व ऐतिहासिक पाषाण युगीन जीवन के साक्ष्य मिले हैं। आर्यों के पूर्वी भारत में विस्तार और गांगेय-घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम-स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। मौर्यों ने एक योग्य, केन्द्रीयकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्तकाल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा। पाल शासकों ने इस बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र बनाया जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही।

मध्यकाल में बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केन्द्र रहा। महान अफगान शासक शेरशाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी। यही क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रहा। सत्रहवीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केन्द्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियाँ इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। बिहार में ही सिक्खों के दसवें और अंतिम गुरू, श्री गोविन्द सिंह जी का जन्म हुआ। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी सन्तों ने प्रेम, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए।

आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार, भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केन्द्र रहे। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देनेवाला जन-आन्दोलन, वहाबी आन्दोलन, बिहार में ही संगठित हुआ। पठारी बिहार का क्षेत्र अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोहों का सक्रिय केन्द्र रहा। 1857 में बाबू कुँवर सिंह और पीरअली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गाँधीजी ने चम्पारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जन-आन्दोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की "सम्पूर्ण क्रांति" की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक जन-आन्दोलन का प्रेरणा-स्रोत रही। बिहार की इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है।

स्रोत—बिहार के इतिहास के अध्ययन-संबंधी स्रोत अनेक हैं। इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है, साहित्यिक भी। सिंघभूम, हजारीबाग, राँची, संथाल परगना, मुंगेर आदि में पूर्व-प्रस्तर और मध्य युग के कुछ छोटे औजार; चिराँद (सारण) से नव-प्रस्तर युगीन वस्तुएँ और चिराँद (सारण), चेचर (वैशाली), सोनपुर (गया) एवं मनेर (पटना) से ताम्र-प्रस्तर युगीन वस्तुएँ और मृदभांड उपलब्ध हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख, लौरीया-नंदनगढ़, लौरीया-अरेराज, रामपूरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं जिनमें आरंभिक आहतसिक्कों से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल हैं। राजगीर, नालंदा, पाटलीपुत्र (पटना) और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

साहित्यिक रचनाओं में आठवीं शताब्दी ई०पू० में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत; बौद्ध रचनाओं में अंगत्तुर निकाय, दीघ निकाय, विनयपिटक; जैन रचना भगवती सूत्र आदि, धार्मिक रचनाएँ होने के साथ-साथ ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्त्वपूर्ण हैं। विदेशी यात्रियों, मेगास्थेनीज, फ़ाहियान, ईत्सिंग और युआन च्वांग के वृतांत भी बिहार के संदर्भ में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और गुप्त-कालीन साहित्यिक रचनाएँ भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी में सहायक हैं।

मध्यकाल के लिए मिन्हाज की तबक़ाते नासिरी, इख़्तसान देहलवी की बसातीनुल उन्स, शेख़ कबीर की अफ़सानाएँ शाहाँ, अब्बास सर्वानी की तारीख़े शेरशाही, रिज़्कुल्लाह की वाकियाते मुश्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज़-उस्-सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबाई की सीयर-उल-मुताख़ेरीन, आदि बिहार से सम्बद्ध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएँ बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें ज़िया बरनी की तारीख़े फ़ीरोज़शाही, अबुल फ़ज़ल का अकबरनामा, बाबर की तुज़ुके बाबरी, एवं मिर्ज़ा नाथन की बहारिस्ताने ग़ैबी उल्लेखनीय हैं। विदेशी यात्रियों के वृतान्त भी अनेक हैं। फारसी भाषा में मुल्ला तक़ीया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक और बहबहानी के वृतांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यूरोपीय यात्रियों में Ralph Fitch, Edward Terry, Manrique, John Marshall, Peter Mundy, Manucci, Tavernier, Bowrey तथा Bishop Heber ने अपने यात्रा वृतांत में बिहार के संबंध में वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों के Factory Records भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य, जो तज़किरा, मल्फ़ूज़ और मकतूब श्रेणियों में विभाजित हैं, भी महत्त्वपूर्ण हैं।

उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं। विद्यापति की रचनाएँ कीर्तिलता, कीर्तिपताका और ज्योतिरीश्वर की वर्णरत्नाकर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एवं चंद्रेश्वर की रजनीरत्नाकर इनमें उल्लेखनीय हैं। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।

मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएँ भी उपलब्ध हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं।

आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत-सामग्री है। इनमें District Gazetteer, Land Survey and Settlement Reports आदि प्रमुख हैं। प्रशासनिक महत्त्व के पत्रों के संकलन, विशेषकर Fort William - India House Correspondence series, Francis Buchanan द्वारा संकलित विविध वृहत Reports राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएँ एवं अन्य काग़ज़ात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और साहित्यिक कृतियाँ जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक केन्द्रों और अन्य संस्थाओं के काग़ज़ात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। निजि पत्र, डायरियाँ, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट-अतीत के लिए साक्षात्कार द्वारा भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं।

प्राचीन बिहार

पूर्व ऐतिहासिक बिहार—बिहार के दक्षिणी भाग में छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व-प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 100,000 ई०पू० काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुर्पी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष सिंघभूम, रांची, हज़ारीबाग, संथाल परगना, मुंगेर और नालन्दा ज़िलों में उत्खनन् में प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग (100,000 से 40,000 ई०पू०) के अवशेष, सिंघभूम, राँची, धनबाद, संथाल परगना और मुंगेर से उपलब्ध हुए हैं। इन्हीं स्थानों से परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग (40,000 से 10,000 ई०पू०) के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य-प्रस्तर युग (9,000 से 4,000 ई०पू०) के अवशेष सिंघभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना ज़िलों से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज़ धार और नोक है। नव-प्रस्तर युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद (सारण जिला) और चेचर (वैशाली जिला) से प्राप्त हुए हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 ई०पू० से 1500 ई०पू० के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यन्त सूक्ष्म औज़ार प्राप्त हुए हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्र-प्रस्तर युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा-संस्कृति का विकास हुआ। बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के अवशेष चिरांद (सारण), चेचर (वैशाली), सोनपुर (गया), मनेर (पटना) से प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से तत्कालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तो प्राप्त नहीं होती, मगर आदिमानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आनेवाले क्रमिक परिवर्तनों के संकेत अवश्य मिलते हैं। उत्खनन् में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्त्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

ऐतिहासिक युग का प्रारंभ—उत्तर वैदिक काल (1000-600 ई०पू०) में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। इसमें लौह प्राद्यौगिकी की देन निर्णायक थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों की कटाई आसान हो गयी और गांगेय घाटी के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में आर्यों का बसना सुगम हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ई०पू० के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ। 800 ई०पू० के आस-पास रची गयी शतपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जला कर और काट कर साफ करने की चर्चा मिलती है। बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था।

छठी शताब्दी ई०पू० में उत्तर भारत में विशाल, संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्ध रचनाओं में सोलह महाजनपदों और लगभग दस गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इनमें तीन महाजनपद, अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएँ वर्त्तमान वैशाली और मुज़फ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्त्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चम्पा (वर्त्तमान चम्पानगर) भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्त्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गृवराज अथवा राजगृह (वर्त्तमान राजगीर) में थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उसका अधिकार हो गया।

मगध साम्राज्य का उत्कर्ष—मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में आई है। गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में आया है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है जिसे भीम ने द्वन्द-युद्ध में पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पाण्डवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथिक्रम का निर्धारण कठिन है। छठी शताब्दी ई०पू० के पश्चात मगध की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इसमें दो शासकों की देन निर्णायक थी, बिम्बिसार और अजातशत्रु। दोनों हरयंक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे।

महावंश के अनुसार बिम्बिसार ने पन्द्रह वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया (544-492 ई०पू०)। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य-विस्तार आरंभ हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कोशलदेवी, कोशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिम्बिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कोशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्यों के साथ संघर्ष में बिम्बिसार की स्थिति मज़बूत हुई। उसकी दूसरी पत्नी चेल्लना, वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिम्बिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिम्बिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी, अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। अंग की राजधानी चम्पा में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया। उसका युद्ध अवन्ती के शासन चंद प्रद्योत महासेन के साथ हुआ जो अनिर्णायक रहा। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली और प्रद्योत के उपचार के लिए बिम्बिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। एक विवरण के अनुसार बिम्बिसार का कूटनीतिक सम्पर्क गंधार के शासक से भी रहा! इस प्रकार बिम्बिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की।

बिम्बिसार के जीवन का अंत दुःखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महत्त्वकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है परन्तु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं। अजातशत्रु (492-460 ई०पू०) ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने दो महत्त्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कोशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य कर दिया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कोशल की राजकुमारी वजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जि गणराज्य के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ जहाँ से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया जो बाद में पाटलीपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवति सूत्र के अनुसार, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार की सहायता से वज्जि संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का अधिपत्य बन गया। अभी भी अवन्ती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवन्ती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना प्रस्तुत हुई। अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी कारणवश अवन्ती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी।

अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र (उदयिन) था (460-444 ई०पू०)। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात् अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलीपुत्र संचार, यातायात

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण था। अतः उदयिन ने पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ पाटलीपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उदयिन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था।

अगले शासक, शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गयी। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवन्ती के राज्य पर विजय थी। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग एक शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदता समाप्त हुई। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश की सेना नष्ट हुई और अवन्ती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कोशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा। तत्पश्चात महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया (344 ई०पू०)।

महापद्मनंद को निम्न मूल का कहा जाता है मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध-साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। उसने एकारट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कोशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य-विस्तार किया। उसका अंतिम वंशज धनानंद था जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत में अभियान हुआ। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्तिसेना, के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इंकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रहा। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलीपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गयी।

मगध राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं जो अ… हथियारों के निर्माण में सहायक थीं। यहाँ नये अस्त्र-शस्त्र का विकास भी हो रहा था जि… महाशिलाकंटक और रथमूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य-गांगेय घाटी के के… में स्थित था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वर और समृद्ध था। कृषि की सम्पन्न अवस्था के का… शासकवर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी जो साम्राज्य-विस्तार के लि… अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्धि अवस्था में था और इस कारण अतिरिक्त आर्थि… संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे जिनकी सहाय… से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानि… राजगीर और पाटलीपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थीं। राजगीर पाँच पहाड़ियों से घिरा न… था जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र चार नदियों से घिरा सुर…

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जलदुर्ग था जिस पर विजय आसान नहीं थी। इन सबके अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया।

मौर्य साम्राज्य (320-185 ई०पू०)—मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य (320-298 ई० पू०) को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलायी। चन्द्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के पश्चात् अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता की स्थापना की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चन्द्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ हुआ। 315 ई० पू० में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में पाटलीपुत्र आया। उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृतान्त **इंडिका** में प्रस्तुत किया है।

चन्द्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन-तंत्र का भी निर्माण किया जो भारतीय उप-महाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन-प्रणाली थी। प्रशासन केन्द्रीयकृत और कठोर था। करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केन्द्र बिन्दु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएँ मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की **इंडिका** में राजधानी पाटलीपुत्र के नगर-प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर-प्रशासन की देख-रेख करने के लिए छः समितियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। चन्द्रगुप्त का शासनकाल (320-298 ई० पू०) इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य के विकास में एक निर्णायक चरण था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।

चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिन्दुसार (298-272 ई० पू०) के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डीमॉक्लस उसके दरबार में रहा।

मौर्यवंश का महानतम शासक अशोक (272-232 ई० पू०) था। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनायी। परन्तु 261 ई० पू० में कलिंग युद्ध के भीषण नर-संहार और रक्तपात ने उसे असुर-विजय त्याग कर धम्म-विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साईरीन, मैसिडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में अभिरूची ली। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना प्रभाव बनाये रखना था जो कि नैतिकता, शांति और मानव-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था।

अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध-धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध-धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा (मयन्मार) एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रभावाधीन अशोक ने जन-कल्याण की नीति अपनायी। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिए धम्म-महामात्तों की नियुक्ति की। न्याय-प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजूक नामक अधिकारी बहाल किये। पशु-वध पर उसने रोक लगायी, धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धान्तों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर की है कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इनके अनुसार अशोक की शांतिप्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्यबल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रूष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारों की अयोग्यता, केन्द्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिन्द-यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ई० पू० में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया।

मौर्यकाल में कला और विद्या के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था जिसकी रचना **अर्थशास्त्र** एक कालजयी कृति हैं। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणीनि की रचना अष्टाध्याय इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिमांसा और वेदान्त पर टिप्पणियाँ लिखनेवाला उपावर्श और चिकित्साशास्त्री चरक् इस काल की अन्य महान विभूतियाँ थीं। इस काल में स्थापत्य-कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलीपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं जिनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊँचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनवाये गये। पत्थर को चमकाने की कला इस का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मुहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोनभंडार गुफाएँ और गया के समीप बराबर पहाड़ियों की गुफाएँ भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे।

मौर्योत्तर बिहार—मौर्य साम्राज्य के पतनोपरान्त बिहार के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से सम्बद्ध क्षेत्र रह गये थे। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलीपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ई० पू० के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल (सियालकोट) तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेघ-यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरोद्धार किया और बौद्धों के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रीयस का आक्रमण पाटलीपुत्र पर हुआ। 75 ई० पू० में शुंग वंश का अंत हुआ जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र-सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। कुछ समय बाद, प्रथम शताब्दी ई० में, इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कणिष्क द्वारा पाटलीपुत्र पर आक्रमण किये जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाणकालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक-मुरुण्डों का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहास अस्पष्ट है।

गुप्तकालीन बिहार—बिहार के गौरव का पुनरोद्धार गुप्त वंश के अधीन चौथी शताब्दी ई० में हुआ। गुप्त-शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्य क्षेत्र में संभवतः हुआ था। ये इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सामंतो के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक, चन्द्रगुप्त, ने एक लिच्छवी राजकुमारी, कुमार देवी से विवाह किया। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना। 320 ई० में चन्द्रगुप्त ने पाटलीपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसी ने गुप्त संवत का भी इसी समय प्रचलन किया। उसी के साथ गुप्तवंश के साम्राज्यवादी इतिहास का आरंभ होता है। 335 ई० में चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त (335-380ई०) शासक बना। वह एक महान विजेता था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसके इन अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ती में मिलती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। सर्वप्रथम उसने गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात् उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आटविक राज्यों की विजय पूरी की। उसका अगला अभियान दक्षिणापथ के क्षेत्र में हुआ। पूर्वी सागरतट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग बारह राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संप्रभुता आरोपित की। अंततः उसने शक और कुषाण शासकों को पराजित किया जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त II विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। उसने पश्चिमी दकन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभादेवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। शकों पर भी अंकुश बनाये रखने में वह सफल रहा। चन्द्रगुप्त II का शासनकाल (380-412 ई०) गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल रहा।

चन्द्रगुप्त II के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से हूणों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल (456-76 ई०) तक हूणों के आक्रमण नियंत्रित रहे, मगर तत्पश्चात् हूणों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। बुद्धगुप्त के शासनकाल (476-96 ई०) के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। 485 ई० तक की हूण मध्य भारत तक फैल गये थे। बाद में हूण शासक मिहिरकुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित कर बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हूणो से संघर्ष किया और गुप्त शासको की सत्ता को भी चुनौती दी। अन्य क्षेत्रो मे भी अधीनस्थ शासक और सामंत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। छठी शताब्दी ई० के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्तवंश का अधिकार हो गया था जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गयी थी। बंगाल में स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए।

मौर्य-साम्राज्य के पतनोपरान्त, लगभग पाँच शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य का पुनर्गठन किया, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केन्द्रीयकृत नहीं था। इसमें अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था। इसीलिए केन्द्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते ही इन अधीनस्थ शासकों और सामन्तों ने गुप्तवंश की सत्ता को चुनौती दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य में सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

गुप्त-साम्राज्य के काल को विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल माना जाता है। राजनैतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, मगर य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विचार अतिष्योक्तिपूर्ण है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस काल में प्रगति अवश्य हुई मगर इसका प्रभाव सीमित था। इस काल के विख्यात विद्वानों में वराहामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्तकाल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमार गुप्त (414-455 ई०) था। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केन्द्र बना जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। गुप्तकाल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। हिन्दू धर्म में भागवत परम्परा का उल्लेखनीय विकास हुआ और हिन्दू धर्म का जो वर्तमान रूप हम देखते हैं वह इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में, बिहार के संदर्भ में, इस काल की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में बोधगया का महाबोधी मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्त्वपूर्ण हैं। चन्द्रगुप्त II के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने 405 से 411 ई० के बीच भारत का भ्रमण किया। वह बिहार के क्षेत्र में भी आया और तीन सालों तक पाटलीपुत्र में रहा। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया है।

मगध के परवर्ती गुप्त शासक—छठी शताब्दी ई० में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासको के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्र में हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों से क्या था। इस वंश के एक शासक कुमार गुप्त III द्वारा प्रयाग तक सत्ता-विस्तार करने और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदरगुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तागत कर लिया। इसी बीच गौड़ (बंगाल) के शासक, शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधी वृक्ष को भी क्षति पहुँचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र, देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखरी शासक, ग्रहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने ग्रहवर्मण का वध भी कर दिया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पूर्व तक बिहार के क्षेत्र का इतिहास नितांत संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे।

सातवीं शताब्दी ई० के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य-विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आये। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधवगुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रमक कारवाई का निदान आसानी से कर सके। हर्ष की मृत्योपरांत, बिहार में पुनः अराजकता फैल गयी। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुँचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गयी। इसका अंत माधव गुप्त

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के पुत्र आदित्यसेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधियाँ धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार (मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र) पर विस्तृत था। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी उसका नियंत्रण था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। अंतिम शासक जीवितगुप्त II था। 725 ई० के लगभग कन्नौज के शासन यशोवर्मन ने उसका वध कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलीपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन चीनी यात्री, युआन-च्वांग, 635 ई० के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलीपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था।

पूर्व मध्यकालीन बिहार

पाल कालीन बिहार—हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद आठवीं शताब्दी ई० के मध्य में पूर्वी भारत में पालवंश का अभ्युदय हुआ। पालवंश का संस्थापक गोपाल था जिसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया। धर्मपाल (770-810 ई०) ने आठवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथस्वामिन् की उपाधि धारण की। उसके पुत्र देवपाल (810-50 ई०) ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्राग्यज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागरतट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। कन्नौज के संघर्ष में उसने भी भाग लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिणपूर्वी एशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बलपुत्रदेव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए पाँच गाँव अनुदान में दिये। बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में वह प्रसिद्ध है। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन आरंभ हुआ। मिहिरभोज और महेन्द्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

ग्यारहवीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुर्नोदय हुआ। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, मगर उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। इसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गये और सेन शाषकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमटकर रह गयी। रामपाल की मृत्योपरान्त, गहड़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। सेन शासकों, विजयसेन और बल्लालसेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में तुर्कों के आक्रमण बिहार में बारहवीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो गये थे। गहड़वाल वंश के शासक गोविंदचन्द्र के मुंगेर ताम्रपत्र में **तुरूष्कदंड** नामक कर की चर्चा मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किये जाते थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पाल शासक बौद्ध धर्मावलम्बी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। उसी ने नालन्दा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए। ओदन्तपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में संगठित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांतरक्षित एवं अतीश दिपांकर इस काल में तिब्बत गए। बख़्तियार ख़लजी के अभियानों के बाद भी नालन्दा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामिन् तिब्बत से बिहार आया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उस क्षेत्र के शैलेन्द्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालन्दा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देख-रेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिये। पाल शासकों ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। गौतम बुद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवी-देवताओं की सुन्दर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर में बनाई गई।

मिथिला के कर्नाट शासक—बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता थी। ग्यारहवीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल में 1097-98 में, तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ। इसका संस्थापक नन्यदेव था। इसकी चर्चा एक महान शासक के रूप में होती है। उनका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। इसकी राजधानी सिमराँवगढ़ थी जो अब नेपाल तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटवंशीय शासक, नरसिंहदेव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंहदेव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। जब बख़्त्यार ख़लजी के अभियान बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंहदेव ने भी उसे नज़राना या भेंटराशि देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंहदेव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर फैला हुआ था। तेरहवीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किये गये। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मास्वामिन् ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुग़रिल तुग़न के असफल अभियान की चर्चा की है। उस समय तिरहुत पर रामसिंहदेव का शासन था। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का सम्पर्क निरंतर बना रहा था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों से नज़राना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र की विजय अंततः ग़ियासुद्दीन तुग़लक के बंगाल अभियान (1324-25) के क्रम में हुई। उस समय तिरहुत का शासक हरिसिंहदेव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया। उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय इस प्रकार हो गया। 1378 ई० तक कर्नाटवंश का पूर्णतः अंत हो गया। हरिसिंहदेव (1279-1325) एक महान् समाज-सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय में पंजी-प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध-संबंधी रचनाएँ भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गयी और मैथिल समाज का जो रूप वर्त्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषताएँ इसी काल से जुड़ी हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मध्यकालीन बिहार

बिहार में तुर्क शासन—बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों के मोड़ पर, तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनैतिक इकाई नहीं था। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजनरेखा के साथ-साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट राज्य के अधीन था जबकि दक्षिण बिहार विभिन्न छोटे-छोटे शासकों के अधीन था। पठारी क्षेत्र में छोटानागपुर के मागवंश की चर्चा मिलती है, परन्तु विस्तृत रूप में नहीं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह सभी पृथक क्षेत्र एक संगठित राजनैतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आये।

बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारूद्दीन मोहम्मद इब्ने बख़्तियार ख़लजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों के मोड़ पर बिहार में कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किये। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मणसेन था और पाल वंश का शासक इन्द्रद्युम्नपाल था। उसकी पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदन्तपुरी विहार (बिहारशरीफ) की विजय थी जो 1198 ई० में सम्पन्न हुई। तत्पश्चात, उसने 1203-04 में नदिया (बंगाल) पर चढ़ाई की जो लक्ष्मणसेन की राजधानी थी। उसे किसी विशेष विरोध का सामना नही करना पड़ा, बल्कि नदिया में तो लक्ष्मणसेन उससे भयभीत होकर बिना युद्ध किये ही अपनी राजधानी से पलायन कर गया। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर, गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया और बंगाल के भी अधिकांश भाग तुर्क सत्ता के अधीन आ गये। इब्ने बख्तियार ने इन क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती (लक्ष्मणवटी) में बनाई। उसने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप में स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसकी मृत्योपरान्त ये क्षेत्र संभवतः ऐबक द्वारा अधीकृत कर लिये गये, मगर बिहार पर नियंत्रण बनाए रखना दिल्ली के सुल्तानों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। बिहार के पूर्व में बंगाल का क्षेत्र था और भौगोलिक कारणों से बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ वस्तुतः एक जैसी बनी रहीं। दिल्ली से दूरी, आवागमन की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और स्थानीय सामन्तों की महत्वाकांक्षा ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप बंगाल में अलगाववादी भावना सबल रही और यह क्षेत्र पृथक होने के लिए प्रयासशील रहा। यह प्रयास सफल भी रहा और सल्तनत काल में बंगाल में स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कई बार हुआ। ऐसी परिस्थिति में बंगाल के शासक बिहार पर भी नियंत्रण के प्रयास करते रहे क्योंकि पश्चिम में दिल्ली से किसी सेना के आक्रमण की संभावना से अपनी रक्षा के लिए वे बिहार के क्षेत्र को एक अग्रिम सुरक्षा रेखा के रूप में विकसित करना चाहते थे। इस कारण बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल (लखनौती) के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन तुग़लक, फीरोज़शाह और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सिकन्दर लोदी के अभियान इस क्षेत्र में हुए। दिल्ली के प्रथम महान शासक इल्तुतमिश से अन्तिम महान शासक सिकंदर तक, वस्तुतः हर महत्वपूर्ण शासक ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास किए। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग हिसामुद्दीन इवज़ को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाये रखने में असमर्थ रहे। बलबन ने पुनः इस क्षेत्र में अभियान किये जब उसने तुग़रिल के विद्रोह का दमन किया। इस काल में तुर्कों की नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर ही स्थापित था। तुग़लक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। 1324 में ग़ियासुद्दीन तुग़लक ने बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाटवंशीय शासक, हरिसिंहदेव को पराजित किया। मोहम्मदबिन तुग़लक के समय में बिहार के प्रांतपति (मक़्ता) मज्दुल मुल्क ने भी हरिसिंहदेव के विरुद्ध अभियान कर उसे पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया था। तिरहुत का क्षेत्र तुग़लक साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे तुग़लकपूर का नया नाम दिया गया। यहाँ से निर्गत मोहम्मद बिन तुग़लक का सिक्का अब भी उपलब्ध है। उसी सुल्तान ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। समकालीन सूफी संत हज़रत शर्फुद्दीन यहया मनेरी के मल्फ़ूज़ात (उक्तियों के संकलन) और मनाक़िबुल असफ़िया जैसी रचनाओं से बिहार में तुग़लक शासन का इतिहास जानना संभव है। फ़ीरोज़शाह बंगाल अभियान (1359) के क्रम में बिहार आया। उसकी सेना संभवतः झारखंड क्षेत्र से बंगाल की ओर बढ़ी थी। सीरते फ़ीरोज़शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख़ अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। पटना और गया के क्षेत्रों से उसके कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फ़ीरोज़ द्वारा उन्हें दान दिये जाने की भी चर्चा मिलती है।

तुग़लक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालन्दा जिला में स्थित बिहारशरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। बिहारशरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था। ओदन्तपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक अन्य बौद्ध विहार भी इस क्षेत्र में थे। इन्ही के कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इससे सम्बद्ध समस्त प्रशासनिक इकाई भी बिहार कहलाई। तुग़लक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्त्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो सामान्यतः मलिक बया कहलाते हैं। बिहारशरीफ में पहाड़ी पर स्थित इनका मकबरा तुगलककालीन स्थापत्य का एक सुन्दर उदाहरण है जिसका विशेष आकर्षण इसका गुम्बद है।

बिहार में अफ़ग़ान प्रभुत्व—1398-99 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुग़लक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बन गया। बक्सर और दरभंगा तक जौनपुर के राज्य का विस्तार हुआ जबकि शेष भागों पर अधिकार के लिए बंगाल के शासक प्रयासशील रहे। जौनपुर के शर्की और बंगाल के हुसैनशाही शासकों के बीच इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए एक लम्बा संघर्ष हुआ जो आगे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चलकर जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के बीच लड़ा गया। सिकंदर लोदी के बिहारशरीफ अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में हुसैन शाह शर्की को पराजित कर उसने दरिया ख़ाँ नूहानी को बिहार में नियुक्त किया। अन्ततः सिकन्दर लोदी ने 1504 के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। लोदी शासकों के काल में बिहार के क्षेत्र में नूहानी अफग़ानों की स्थिति सुदृढ़ हुई। इस क्षेत्र के गवर्नर दरिया खाँ नूहानी से इब्राहीम के संबंध अच्छे नहीं थे और वह एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए विचार कर रहा था परन्तु 1523 में उसकी मृत्यु हो गई।

1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी शासक, इब्राहीम की हार के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। वह दरिया खाँ नूहानी का पुत्र था और उसका निजी नाम बहार खान था। उसका साथ नूहानी और फरमूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। बाबर ने इन अफ़गानों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हुमायूँ को आदेश दिया जिसने जौनपुर पर अफ़गानों के नियंत्रण का प्रयास विफल कर दिया।

इस समय बिहार में दो अफगान शासकों का नियंत्रण था। दक्षिण बिहार का क्षेत्र, पूर्व में मुंगेर तक मोहम्मद शाह के नियंत्रण में था जबकि उत्तर बिहार का क्षेत्र, पश्चिम में बलिया और सारण तक बंगाल के सुल्तान, नुसरत शाह के अधीन था। बाबर का विरोध करने के उद्देश्य से यह अफगान शासक एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे। इसी बीच महमूद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी आरंभ की। बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में इन अफगानों को पराजित कर दिया। संभवतः उसने बक्सर और चौसा तक अधिकार कर लिया। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया।

बाबर की मृत्यु और हुमायूँ की आरंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर पूर्वी भारत के अफगानों ने फिर एक बार मुगलों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। हुमायूँ ने 1532 में दौरा की लड़ाई में अफगानों को पराजित कर दिया। इसी के साथ बिहार में नूहानीयों की सत्ता का अंत होने लगा। बिहार में नूहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक नए नेता के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। वह फरीद खाँ अथवा शेरशाह सूरी था।

शेरशाह—शेरशाह की जन्म तिथि सुनिश्चित नहीं। कहीं इसे 1472 और कहीं 1486 भी लिखा गया है। उसका पिता हसन खाँ सूर, सहसराम का जागीरदार था। एक युवक के रूप में शेरशाह ने सहसराम की जागीर का प्रशासन सँभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप दिया। इसी क्रम में उसने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया जो कालान्तर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें भूमि की माप के आधार पर लगान-निर्धारण किया जाता था। शेरशाह ने इस क्षेत्र में अपनी राजनैतिक स्थिति भी सुदृढ़ करने के उपाय किए। उसने हुमायूँ के विरुद्ध संघ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के पहले बिहार के अल्पायु नूहानी शासक जलाल खाँ के दरबार में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। इस क्रम में उसने नूहानी सरदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा जिन्हें बंगाल के शासक ने भी सहायता पहुँचाई। 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि कर ली। 1537 में उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और 1539 में उसने हुमायूँ को बक्सर के समीप चौसा की निर्णायक लड़ाई में पराजित कर दिया। मुगल सत्ता अब नाम मात्र की रह गई और अगले वर्ष (1540) शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूँ को पुनः पराजित करके अपने आपको दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। हुमायूँ ईरान में शरणार्थी हुआ। इस प्रकार बिहार के क्षेत्र ने फिर एक बार भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई।

शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया (1541)। तब से पटना नगर का इतिहास निरंतर बना रहा है। इस दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की रचना **तारीखे दाऊदी** में मिलती है।

अबुल फजल के अनुसार, अकबर के समय में बिहार की सीमाएँ रोहतास से तेलियागढ़ी और तिरहुत से पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। इसके अधीन सात सरकारें और 199 परगने थे जिनसे 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। औरंगजेब के समय तक, बर्नीये के अनुसार इसमें आठ सरकारें और 245 परगने थे जिनसे 96 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था।

बिहार और मुग़ल साम्राज्य—1555-56 में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के बावजूद बिहार का क्षेत्र अफगानों के ही नियंत्रण में रहा। ताज खाँ करारानी के नेतृत्व में यहाँ एक नए अफ़गान राज्य का गठन हुआ। उसके भाई एवं उत्तराधिकारी सुलेमान खाँ ने अपने शासनकाल (1565-72) में राज्य विस्तार किया और उड़िसा के कुछ क्षेत्रों में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। उसने अकबर के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार से उसे सन्तुष्ट रखा, परन्तु उसके पुत्र दाऊद खाँ करारानी ने अपने शासनकाल में अहंकारी आचरण आरंभ किया। अकबर ने उसे दंडित करने के उद्देश्य से 1574 में उसके राज्य पर आक्रमण किया। अफगानों के कड़े विरोध के कारण स्वयं अकबर को इस क्षेत्र में सैन्य संचालन के लिए आना पड़ा। 1574 में उसने पटना का नगर जीता और दाऊद खान इस नगर से पलायन कर गया। 1580 के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रान्त का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरम्भ में जब बंगाल में मुर्शिद कुली खाँ ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तो बिहार भी उसके नियंत्रण में आ गया। यही स्थिति ब्रिटिश सत्ता की संस्थापना के समय बनी हुई थी। बिहार में मुगलों का आरंभिक शासनकाल कठिन था। स्थानीय अफगानों के कई विद्रोह इसकाल में हुए मगर इन्हें दबा दिया गया। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है। 1587 से 1594 के बीच उसने बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने गिधौर, खड़गपूर और भोजपूर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। रोहतास को उसने अपनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राजधानी भी बनाया। उसके बनाये हुए अनेक भवनों और दुर्ग के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं।

जहाँगीर के शासकाल में खोखरादेश (छोटानागपुर) के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इसके आर्थिक परिणाम बहुत लाभदायक थे। इस क्षेत्र की हीरे की खानों पर मुगलों का नियंत्रण हुआ। जहाँगीर की आत्मकथा, तुजुके जहाँगीरी में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है।

मुगलकाल में बिहार के प्रशासन को विशेष महत्व दिया गया। 1621 में जहाँगीर ने राजकुमार परवेज़ को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया। तदोपरान्त यह पद केवल राजकुमारों को ही प्रदान किया गया। 1623-24 में बिहार का क्षेत्र शाहजहाँ के विद्रोह के कारण प्रभावित रहा। शाहजहाँ ने परवेज़ के अधिकारियों से बिहार का क्षेत्र छीन लिया परन्तु उसका विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार में शांति बनी रही। औरंगजेब ने इस क्षेत्र में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में सूबेदार नियुक्त किया। उसका कार्यकाल एक दशक का रहा। उसने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और इसका पुनर्निमाण भी कराया। नगर के सौन्दर्यकरण पर उसने एक करोड़ रुपये खर्च किये। वर्त्तमान पटना सिटी क्षेत्र के अनेक मुहल्ले अभी भी उसी नाम से जाने जाते हैं जो इस काल में निर्धारित हुए। राजकुमार अजीम द्वारा पटना में बसने का एक कारण यह भी था कि उसके संबंध मुर्शिद कुली खाँ के साथ अच्छे नहीं थे जो औरंगजेब का दीवान था और अपनी योग्यता और अनुशासन प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। 1704 में मुर्शिद कुली खाँ ने बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने हाथ में ले लिया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। औरंगजेब की मृत्योपरांत, बहादुर शाह (1707-12) शासक बना। इसने राजकुमार अजीमुश शान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रूखसीयर को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया। 1711 में फर्रूखसीयर बिहार चला आया। अगले वर्ष 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु और अजीमुश शान की युद्ध में पराजय तथा जहाँदार शाह के राज्यारोहण की घटनाएँ घटीं। फर्रूखसीयर ने पटना में ही अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजयी होकर सम्राट बना। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। उसके शासनकाल में (1712-19) में कई सूबेदार, थोड़े-थोड़े समय के लिए बिहार में नियुक्त हुए। लेकिन बिहार पर अब बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो चला था।

मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परम्परा विकसित हुई जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण रही। बिहार में आरंभिक सूफियों में बारहवीं शताब्दी में मनेर में बसने वाले संत, इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। तेरहवीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे। इनमें चिशती, कादिरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले शामिल थे, मगर सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त रही। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चौदहवीं शताब्दी के संत शर्फुद्दीन यहया मनेरी थे। विभिन्न सूफी संतों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव-सेवा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का उपदेश दिया। धर्मांधता, ऊँच-नीच के भेदभाव और घृणा एवं द्वेष की निंदा की।

समन्वयवादी परम्परा के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संत दरिया साहेब थे। इनके अनुयायी दरियापंथी कहलाये। इस पंथ में इस्लाम और हिन्दू धर्म का संश्लेषित रूप देखा जा सकता है।

विद्या और शिक्षा के केन्द्र के रूप में भी बिहार की प्रधानता बनी रही। मुगलकाल में विभिन्न ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में विद्वानों और कवियों की चर्चा की है। ऐसे यात्रियों का आगमन सत्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच हुआ। फारसी शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर आदि थे। पटना की ख्याति शिक्षा केन्द्र के रूप में अठारहवीं शताब्दी के पश्चात भी बनी रही।

बिहार में मध्यकालीन स्थापत्यकला के अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं। अगर तुर्क, अफगान और मुगल शैली के प्रमुख उदाहरणों की हम चर्चा करें, तो बिहारशरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा, सहसाराम स्थित शेरशाह का मकबरा और मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा उल्लेखनीय है। 1353 में निर्मित मलिक इब्राहिम का मकबरा, तुगलक शैली पर आधारित है। इसकी प्रत्यक्ष प्रेरणा गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है जिसका प्रमाण इसकी ढलानी दीवारों और लम्बूतरे गुंबद में देखा जा सकता है। 1545 में निर्मित शेरशाह का मकबरा, बिहार की नहीं बल्कि भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह अष्टकोणी मकबरों की शृंखला में अंतिम भी है। झील के मध्य एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित यह अष्टकोण इमारत बड़े सुंदर और संतुलित ढंग से एक गोलाकार गुंबद से ढंकी है। इसकी कुछ विशेषताओं का प्रभाव मुगल शैली के विकास पर भी पड़ा है। 1616 में निर्मित शाह दौलत का मकबरा जहाँगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहीम खाँ काकर ने बनवाया था। इसमें अकबरकालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। इसी शैली का प्रतिनिधित्व रोहतासगढ़ के दुर्ग में निर्मित मुगलकालीन महलों द्वारा भी होता है। 1630 में पटना सिटी में तत्कालीन मुगल प्रांतपति सैफ खाँ की बनवाई मस्जिद, शाहजहाँ युगीन अलंकृत मुगल शैली के कुछ प्रभाव को दर्शाती है। परवर्ती मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा भी अपनी सुंदर जालियों के लिए उल्लेखनीय है। इसका निर्माण 1748 के आस-पास हुआ जब बिहार पर बंगाल के नवाबों का अधिपत्य स्थापित हो चुका था।

बंगाल के नवाब और बिहार—1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खाँ ने मुगल सम्राट को नजराना देना बन्द कर दिया। औरंगजेब के पुत्र बहादुरशाह (1707-12) के शासन की समाप्ति पर राजकुमार अजीम ने, जो अभी भी बिहार में था और जिसे अब अजीम-उश्-शान की उपाधि भी प्राप्त थी, सिंहासन पर अधिकार का प्रयास किया मगर उत्तराधिकार के युद्ध में वह पराजित हुआ और मारा गया। जहाँदार शाह शासक बना (1712-13) मगर उसे अजीम-उश्-शान के पुत्र फर्रूखसीयर ने चुनौती दी। फर्रूखसीयर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में ही हुआ था। तदोपरांत उसने आगरा के समीप जहाँदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र अब बंगाल के नवाब

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के ही वास्तविक नियंत्रण में आ गये। 1733 के पश्चात बंगाल के नवाब ने इन सभी क्षेत्रों का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। यह स्थिति अंग्रेजों की सत्ता के स्थापित होने के समय तक बनी रही। फिर भी बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक उप-नवाब या नायब नाजिम की नियुक्ति भी की जाती रही। इस श्रृंखला में अंतिम नाम नवाब अलीवर्दी खाँ का है। 1734 से 1740 तक वह अजीमाबाद में नवाब रहा, परन्तु 1740 में उसने मुर्शिद कुली के वंशज, सरफराज खाँ को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। 1756 में उसकी मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण रहा।

मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप उत्तरी भारत में अराजकता फैल गयी। बिहार का क्षेत्र भी अप्रभावित नहीं रहा। इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने लगे। मराठों ने भी यहाँ लूटमार मचाई। अलीवर्दी खाँ ने परिस्थिति को संभालने के उपाय किये। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप-नवाब बनाया। हैबत जंग ने अफगानों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाया मगर 1748 में अफगानों ने उसका वध कर दिया। अलीवर्दी खाँ ने व्यक्तिगत कारवाई करके रानीसराय और पुनः पटना के युद्धों में अफगानों को पराजित कर उनका विद्रोह शांत किया। 1751 में उसने मराठों को भी फतुहा के समीप युद्ध में पराजित किया मगर उसकी सफलता अस्थाई थी। मराठों ने उससे उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र छीन लिए। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरूपयोग के प्रश्न पर अंग्रेजों से उसका संघर्ष हुआ। इसकी परिणति जून, 1757 में पलासी की लड़ाई में हुई। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब हुआ और पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष आरंभ हुआ।

बिहार में सिक्ख—सिक्खों के दसवें गुरू श्री गोविन्द सिंह के जन्मस्थान के रूप में बिहार एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थल है। परंतु इस क्षेत्र से सिक्ख-धर्म का संबंध इससे कहीं पुराना है। सिक्ख-धर्म के प्रवर्तक गुरू नानक देव द्वारा बिहार के क्षेत्र में यात्रा करने की चर्चा सिक्खों की अनुश्रुतियों में मिलती हैं। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगाँव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनकी जीवनी लिखने वाले अनेक विद्वानों ने की है। गुरु ने इन क्षेत्रों में धर्म-प्रचार भी किया और शिष्य बनाए। पुनः सिक्खों के नवें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सहसराम और गया से होते हुए पटना आये। उस समय तक पटना में अनेक सिक्ख थे और गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरु के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें आसाम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहाँ उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। पटना से प्रस्थान के समय वह अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चन्द्र के संरक्षण में छोड़ गये क्योंकि वह माँ बनने वाली थीं। यहीं पटना में 26 दिसम्बर 1666 को गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म हुआ। लगभग साढ़े चार वर्ष की आयु में बाल-गुरु पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपूर चले गये। गुरु पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने मसनद् (धार्मिक प्रतिनिधि) बिहार के क्षेत्र में भेजे। आगे चलकर गुरु ने मसनद् व्यवस्था

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का अंत भी कर दिया। 1708 में गुरु के निधन के बाद उनकी पत्नी, माता साहिब देवी के प्रति भी बिहार के सिक्खों ने सदैव सहयोग किया 1717 से 1730 के बीच इन अनुयायियों ने उनकी सेवा में धन और अन्य सहयोग-सामग्री भेजने की नियमित व्यवस्था की। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान सिक्खों के अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में एक है।

मध्यकालीन बिहार के जनजातीय राज्य—मध्यकालीन बिहार के अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत अथवा मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ रहे मगर छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र और पश्चिम बिहार के कुछ क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों का प्रभुत्व रहा। इनमें चेरो जनजाति की स्थिति सबसे अच्छी रही। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार मध्यकाल से ही आरंभ हुआ। इसका प्रथम प्रयोग तेरहवीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में हुआ है। इस काल में यह एक स्पष्ट और पृथक भूखंड के रूप में संगठित हुआ। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में जब फीरोजशाह का बंगाल पर अभियान (1359) हुआ, तो वह झारखण्ड के क्षेत्र से गुजरा। यह क्षेत्र मूलतः उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र और उससे संबद्ध पठारी क्षेत्र तक फैला था, मगर कालांतर में इसको केवल बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र तक ही सीमित समझा जाने लगा। मध्यकाल में इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व बहुत अधिक रहा क्योंकि बंगाल और बिहार के बीच आवागमन के लिए यह सबसे उपयुक्त क्षेत्र था। शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया।

पालवंश के पतन के काल में बिहार में जो राजनैतिक अस्थिरता आई उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में जनजातीय राजाओं की शक्ति बढ़ी। सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में खारवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य बिहार में भार, एवं शाहाबाद, सारन, चम्पारण, मुजफ्फरपुर और पलामू के क्षेत्र में चेरो शासक इनमें अधिक महत्त्वपूर्ण थे। चेरो जनजाति द्वारा बारहवीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चम्पारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों पर अधिकार किया जा चुका था। चेरो शासकों द्वारा इस क्षेत्र में मुस्लिम सुफी संतो पर अत्याचार करने के साक्ष्य मिलते हैं। इसी धर्मांधतापूर्ण आचरण के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप चेरो शासकों के विरुद्ध तुर्कों ने सैनिक कार्रवाई की। बिहार के तुर्क प्रशासक (मक्ता) मलिक इब्राहिम बया ने उनकी शक्ति को कमजोर किया, मगर चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन सत्रहवीं शताब्दी में भोजपुर के उज्जैनिया प्रधानों के विरुद्ध संघर्ष के फलस्वरूप हुआ। इसके पूर्व शेरशाह ने भी चेरो जनजाति के दमन-हेतु उपाय किये थे। 1589 ई० में मुगल सेनापति राजा मानसिंह ने पलामू क्षेत्र के चेरों का दमन किया। 1624 में शाईस्ता खाँ और 1660 में दाऊद खाँ द्वारा भी बिहार के पश्चिमी भागों में सैनिक अभियान हुए जिसके परिणामस्वरूप चेरो और उज्जैनिया शासकों की शक्ति क्षीण पड़ी। छोटानागपुर क्षेत्र में नए लोगों के बसने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई और इस तरह मुगलकाल तक बिहार की तीनों भौगोलिक इकाईयाँ, गंगा के उत्तर का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, एक भौगोलिक एवं राजनैतिक इकाई में परिवर्तित हो गए। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में प्रशासनिक एकीकरण सुदृढ़ता आयी। बिहार की वर्त्तमान रूपरेखा इस प्रकार मध्यकाल में ही पहली बार प्रस्तुत हुई।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन—मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारी कम्पनियाँ सत्रहवीं शताब्दी से ही सक्रिय रहीं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आये। उनका व्यापारिक केन्द्र बंगाल में हुगली था जहाँ से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयासशील हुए मगर उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई। इनकी अभिरूचि सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति में थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र से की। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजारबाग स्थित गवर्नमेन्ट प्रिंटिग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी जो वर्तमान पटना सिटी में स्थिति नेपाली कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ उन्नत रूप में होता रहा। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक महत्त्व की चर्चा की है। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री तैवर्नियें लिखता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र। लगभग इसी काल में एक अन्य यात्री मैनरीक पटना की जनसंख्या दो लाख बताता है। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चर्चा करते हैं। बिहार के क्षेत्र का राजनैतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। अठारहवीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्टर (व्यापारिक अधिकारी) को दिल्ली की राजनैतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उसे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का दायित्व भी पूरा करना पड़ता था।

आधुनिक बिहार

अंग्रेज और बिहार—पलासी की लड़ाई के पश्चात लार्ड क्लाईव मीर जाफर के साथ पटना आया। उसने मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया परन्तु मीरन की सत्ता मात्र एक औपचारिकता थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा राम नारायन के हाथ में रहा जो नायब नाजिम भी बनाया गया। मुगल सत्ता इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रयास राजकुमार आली गौहर (भावी शाह आलम II) ने किया। उसे अलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया। 1760 में आली गौहर ने पटना का घेरा डाला मगर कैप्टन नौक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन पर बाध्य कर दिया। उधर मुगल सम्राट आलमगीर II की मृत्यु हो गई थी और आली गौहर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए उत्सुक हुआ। उसने अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद ही वह दिल्ली पर अधिकार के लिए रवाना हुआ, परन्तु कुछ समय वह अवध के दरबार में रूका रहा।

1764 ई० में बक्सर का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कासिम और ईस्ट इंडिया कम्पनी के मध्य मतभेदों के कारण बनी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर ली थी। उसने कम्पनी की इच्छा के विपरीत भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया था। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कम्पनी ने उसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम पटना की ओर आया जहाँ कुछ स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को दण्ड देने के बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए लखनऊ पहुँचा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित था। उसकी कहानी भी मनोरंजक है। पलासी की लड़ाई के समय वह बंगाल सूबा के ही क्षेत्र में था। उसका युद्ध अंग्रेजों के साथ भी हुआ परन्तु वह पराजित हुआ। इसके बाद वह स्वयं अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया और पटना में ईस्ट इंडिया कम्पनी के गोदाम में ही उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। मुगल वज़ीर सशक्त विरोध के कारण शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटने में असमर्थ था। तीनों शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का फैसला किया परन्तु 1764 ई० में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने इन्हें पराजित कर दिया।

एक इतिहासकार के शब्दों में बक्सर के युद्ध ने कम्पनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी (लगान-वसूली) का अधिकार ईस्ट इंडिया कम्पनी को प्रदान किया। अब कम्पनी को बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। एक अलग संधि के माध्यम से कम्पनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाज़िम अथवा उप-प्रांतपति का पद विकसित किया। इसकी नियुक्ति कम्पनी की अनुशंसा पर होती थी और कम्पनी की अनुमति बिना उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता था। सामान्य प्रशासन पर भी इस तरह अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा। बिहार के महत्त्वपूर्ण उप-प्रांतपतियों में राजा राम नारायण और राजा शिताब राय थे। बिहार में अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किये। 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फेक्ट्री (व्यापारिक केन्द्र) के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा शिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया . 1767 में धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कम्पनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी टॉमस रम्बोल्ड नियुक्त हुआ। 1769 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। लेकिन यह सारे उपाय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में सफल नहीं हुए। इसके विपरीत लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और अत्याचारपूर्ण ढंग से किया जाता रहा जिससे कृषक वर्ग और सामान्य प्रजा की हालत निरंतर बिगड़ती चली गयी। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इसके पूर्व दो शताब्दियों की लम्बी अवधि में भी ऐसा भंयकर अकाल इस क्षेत्र में नहीं पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। सरकार द्वारा किये गये राहत के उपाय अपर्याप्त थे और आमलोगों को अपार कष्ट सहना पड़ा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ जो Revenue Council of Patna कहलायी। इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जैन्डर था और इसके अन्य सदस्य थे राबर्ट पाल्क और जार्ज वैनसिटार्ट थे। लगान वसूली का काम अब इस परिषद् द्वारा देखा जाने लगा जबकि शिताब राय के अधीन निज़ामत (सामान्य प्रशासन) के कार्य रहे। 1772 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के आदेश पर बॉरेन हेस्टिंग्स ने शिताब राय को अपदस्थ कर दिया यधपि उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के राय रायान की उपाधि प्रदान की गयी। लेकिन लगान वसूली का काम अब भी संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका। अतः 1783 में सर जॉन शोर ने 1783 में एक नयी व्यवस्था लगान की वसूली के लिए लागू की जो 1793 के स्थायी बन्दोबस्त के साथ-साथ बिहार में भी स्थायी ढंग से लागू हो गयी।

सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहे। 1774 में रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते थे, और बिहार परिषद् दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर विद्रोह का असफल प्रयास किया। इसी व पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। इसके प्रशासन के लिए एक कलेक्टर और एक जिला-जज की नियुक्ति की गयी। 1783 में पुनः बिहार मे अकाल पड़ा। इस समस्या के निदान के लिए और अनाज के भंडारन के लिए पटना में गोलघ का निर्माण हुआ।

1790 तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नियुक्त हुआ। इसके साथ पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगी और डकैती की समस्याओं के निदान के लिए कार उपाय आरंभ हुए। इस समस्या का निदान 1835 तक संभव हुआ। 1865 में पटना और ग जिले अलग-अलग संगठित किये गये। 1869 में पटना जिला के कुछ क्षेत्र तिरहुत में मि दिये गये। कुछ अन्य प्रशासनिक परिवर्तन भी बिहार में हुए। 1866 में सारन जिला को भागों में बाँट दिया गया। एक भाग सारन और दूसरा चम्पारन कहलाया। 1875 में तिर को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाईयों में विभाजित कर दिया गया। उपर्युक्त ि एवं भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया तथा संथाल परगना और छोटा नागपूर क्षेत्र 1911-12 तक बं प्रेसिडेंसी का अंग रहे। तत्पश्चात इन्हें एक पृथक प्रांत, बिहार, के रूप में संगठित किया ग

बिहार प्रांत का गठन—1905 के बंग-भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप बं का प्रशासनिक पुनर्गठन नए ढंग से 1911 में तय हुआ। इस अवधि में पृथक बिहार प्रां गठन की माँग जोर पकड़ रही थी। इसकी प्रस्तुति में कई प्रमुख बिहारी बुद्धिजीवियों का था। 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थ एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इसी वर्ष राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र-सम्मे का आयोजन हुआ। मजहरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के नि की माँग को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अधिवेशन पटना में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरूद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नये प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खाँ की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाये गये।

इन संस्थाओं के माध्यम से और समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के भी माध्यम से पृथक बिहार की माँग ने जोर पकड़ा और 12 दिसम्बर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नये प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। नया प्रांत 1 अप्रील 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई।

बिहार, छोटानागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की व्यवस्था की गई। इस प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा का नाम दिया गया और उसकी राजधानी पटना को बनाया गया। 1935 में उड़ीसा के क्षेत्र बिहार से पृथक होकर एक अलग प्रांत बने। 1947 में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में खरसावाँ और सरायकेला की दो रियासतें उड़ीसा को हस्तांतरित हुईं परन्तु 18 मई, 1948 को इन्हें पुनः बिहार में ही सम्मिलित कर लिया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरूलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित हुए। बिहार की वर्त्तमान सीमाएँ तभी से बनी रही हैं।

बिहार में स्वतंत्रता संग्राम—अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने की प्रक्रिया भारत में तीन चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में शासक वर्ग द्वारा विरोध, दूसरे चरण में ब्रिटिश-विरोधी जन-आंदोलन और तीसरे चरण में राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास हुआ। बिहार की भूमि तीनों चरणों में सक्रिय रही। 1763-64 में मीर कासिम और अंग्रेजों के संघर्ष से ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई। अंग्रेजों को पहली सशक्त और व्यापक चुनौती देने वाले प्रथम जन-आंदोलन वहाबी आन्दोलन का महत्वपूर्ण केन्द्र बिहार था। 1857-58 विप्लव में बिहार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक बड़ा केन्द्र रहा। 1917 में गाँधीजी ने चम्पारण में पहली बार सत्याग्रह का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सफल उपयोग किया। 1921-22 के असहयोग आन्दोलन, 1936 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत के संविधान के निर्माण में भी बिहार का योगदान रहा। बिहार के डाक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गये। 11 दिसम्बर, 1946 को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति भी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ही हुए। बिहार की भूमि ने स्वतंत्र भारत को इसका पहला राष्ट्रपति प्रदान किया।

(विस्तृत चर्चा के लिए देखें अध्याय II एवं III)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-2

बिहार में ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष

पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी की लड़ाई (1757) के साथ आरंभ हुई लेकिन इसी के साथ-साथ बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भी शुरूआत हुई। लगभग डे शताब्दी तक यह संघर्ष चलता रहा। इस क्रम में स्थानीय जमींदारों और क्षेत्रीय शासकों ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम चुनौती दी। 1757 से 1857 के बीच ऐसे अनेक प्रयास हुए। 1857 क संघर्ष इस विरोध के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। शासक वर्ग के अतिरिक्त इस काल में अनेव जन-आंदोलन भी हुए जिनमें विभिन्न कारणों से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गयी। वहाबं आंदोलन और विभिन्न जनजातीय विद्रोह इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन आंदोलनों का क्र 1857 के संघर्ष के बाद भी बना रहा और वर्त्तमान शताब्दी के आरंभिक दशक तक इसकी निरंतरता बनी रही। यह ब्रिटिश विरोधी संघर्ष देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का आरंभिक चर जिसे अनेक विद्वान पूर्व-राष्ट्रीयता (Proto-nationalism) का चरण मानते हैं। इनके अनुसा इस आरंभिक चरण में देश में राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी लेकिन देशभ की भावना या अपने शासक के प्रति निष्ठा की भावना अवश्य थी। अंग्रेजों द्वारा छल-ब से सत्ता हथियाने के कारण उनके प्रति दोष और विरोध की भावना भी थी। अपनी सुविधा से वंचित हो जाने की आशंका ने इस रोष की भावना को सशक्त बनाया और पहले शास वर्ग, फिर जनसाधारण, ने अंग्रेज़ों के विरूद्ध संघर्ष छेड़ा। पूर्व राष्ट्रीयता के इस चरण में अंग्रे के विरूद्ध जो संघर्ष हुआ, उसे दो उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है, एक शास वर्ग का विरोध और दूसरा, जन आंदोलन का काल बिहार के क्षेत्र ने इन दोनों ही तरह संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई।

आज़ादी की लड़ाई का दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुअ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। इसके मू एक तरफ ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध असंतोष था तो दूसरी तरफ पाश्चात्य राजनीतिक द का प्रभाव था। इस चरण में ब्रिटिश सत्ता का विरोध केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय एवं क्षेत्रीय असंतोष के कारण ही नहीं किया गया, बल्कि इस संघर्ष का लक्ष्य नयी व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका विस्तार देशव्यापी था। इसमें रजवाड़ों और ज़मीं से अधिक नगरीय मध्यमवर्ग की भूमिका निर्णायक रही थी। इसके द्वारा भारतीय उपमहा की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय हुए। इस दूसरे चरण में भी बिहार की भूमि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अग्रणी रही। स्मरणीय है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का जन-आंदोलन के साधन के रूप में गाँधीजी ने पहली बार चम्पारण में प्रयोग किया। इसके बाद खिलाफत, असहयोग, होमरूल, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों के विविध चरणों में बिहार की जनता लगातार सक्रिय रही।

इस दूसरे चरण की एक विशिष्टता यह भी रही कि इसके आरंभिक काल में बिहार की एक पृथक पहचान की चेतना भी बनी। **'बिहारीयत'** की इस भावना ने इस क्षेत्र के बंगाल से अलग होने और एक अलग प्रांत का रूप धारण करने में योगदान किया। 1912 में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र, बंगाल से पृथक होकर एक अलग प्रांत बने। प्रस्तुत दो अध्यायों में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इन दोनों चरणों में बिहार की भूमिका का वर्णन कियां गया है।

प्रारंभिक विरोध—1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर के नवाब बनाये जाने से बिहार क्षेत्र के जमींदारों में व्यापक असंतोष था। राजा रामनारायण; नरहट के जमींदार कामगार खाँ, टिकारी के राजा, सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरिस-कुटुंबा के विशुन सिंह, आदि ने नये नबाव और उसके अंग्रेज़ सहयोगियों का विरोध आरंभ किया। उसका साथ एक फ्रांसिसी सैलानी जॉ लॉ ने भी दिया। इस विरोध का दमन करने पहले आयर कूट और फिर क्लाईव और मीर जाफ़र ने भी सैनिक उपाय किए। मीर जाफर की सत्ता अब सुदृढ़ हुई और इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। यह घटनाएँ 1757-58 के बीच घटी।

आली गौहर के अभियान—मार्च 1759 में मुगल शाहज़ादे आलीगौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। जॉ लॉ ने उसका भी साथ दिया, मगर क्लाईव ने उसे वापसी पर बाध्य कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट आलमगीर II की मृत्यु हो गयी और आली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाहआलम II की उपाधि धारण कर ली। 1760 में उसने पुनः बिहार पर चढ़ाई की। कामगार ने उसकी सहायता 5000 सैनिकों से की। राजा रामनारायण ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर पराजित हो गया। जॉ लॉ ने फिर उसका साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ उसने पटना पर घेरा डाल दिया। लेकिन मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम II को बिहार से वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। 1761 में शाह आलम II का तीसरा अभियान हुआ। इस बार वह अंग्रेज़ों के हाथ पराजित हुआ। जॉ लॉ बन्दी बना लिया गया और शाह आलम II ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। पटना में अंग्रेज़ों के सहयोग से ही शाह आलम II का विधिवत राज्याभिषेक 1761 में हुआ। बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर क़ासिम भी उसके समक्ष उपस्थित हुआ।

बक्सर की लड़ाई (1764)—बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कम्पनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। मीर कासिम 1761 में नवाब बना। उसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की। उसने वहाँ दुर्ग की मरम्मत करायी और अपनी सेना को नये ढंग से सुसज्जित करने को प्रयासशील

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हुआ। अंग्रेज उसके इन उपायों से अप्रसन्न थे। इसी बीच दस्तक के दुरोपयोग की समस्या उत्प हुई। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों में वैनसिटार्ट और वॉरेन हेस्टिंग्स को छोड़कर अ सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे परंतु भारतीय व्यापारियों चुंगी की वसूली कठोरता के साथ करते थे। नवाब तक भारतीय व्यापारियों की शिकायतें बराब पहुँच रही थीं। अंग्रेजों के साथ नवाब के मतभेद तब आरंभ हुए जब नवाब ने भारतीय व्यापारि को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया। इसका विरोध वाट्स और एलिस द्वारा किया गया। एलि पटना की कम्पनी का प्रधान या एजेन्ट था। 24 जून, 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अधिका कर लिया। लूटमार और हत्याकांड भी हुआ। बदले की कार्रवाई में मीरकासिम ने पटना प अधिकार कर अंग्रेजों को दंडित किया। नवाब की सेना के एक फ्रांसिसी अधिकारी, सोमर के आदेश पर अंग्रेजों की हत्या की गयी। यह घटना नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव क एक अन्य कारण बनी। 2 सितम्बर, 1763 को राजमहल के समीप युद्ध में मीर कासिम क अंग्रेजों ने हरा दिया। मुंगेर से नवाब को अंग्रेज़ों के दबाव के कारण पलायन भी करना पड़ा अंततः नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली। मुगल सम्रा शाह आलम II भी उस समय अवध के दरबार में उपस्थित था। तीनों ने मिलकर बिहार प अंग्रेजों के प्रभुत्व के विरोध का प्रयास किया। 23 अक्तूबर, 1764 को बक्सर के स्थान प इनकी सम्मिलित सेना, जिसकी संख्या 40,000 थी, की टक्कर सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व अंग्रेजों की सेना से हुई जिसमें 8,000 सैनिक थे और शक्तिशाली तोपखाना भी। पूर्वाह्न में ल गये लगभग तीन घंटे के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। भारतीय पक्ष में 2000 सैनिक मारे ग जबकि अंग्रेजों के 847 सैनिक हताहत या घायल हुए। इस विजय ने अंग्रेजों की स्थिति पूर्वी भारत में सुदृढ़ कर दिया और उनके विरूद्ध पहली भारतीय चुनौती विफल रही।

बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद भी ब्रिटिश विरोधी तेवर का तीखापन बिह में बना रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कई बार अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुए। 17 में नोन्ह्रिया जाति का अंग्रेज़ों से टकराव हुआ। यह लोग शोरा बनाने का काम करते थे। समय तक इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। अंग्रेजों शोषणपूर्ण व्यवहार से यह लोग तंग थे। अतः इन्होंने दूसरे व्यापारियों के साथ शोरे का कारो आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने इनका बलपूर्वक दमन कर दिया।

1781 में बिहार में फिर एक बार ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। बनारस में चैत के विद्रोह से बिहार के ज़मींदार भी आंदोलित हो उठे थे। पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में ज़मींदारों ने उपद्रव आरंभ किया। इनमें कामगार खाँ के पुत्र, इकबाल अली खाँ और सि कुटुम्बा के ज़मींदार नारायण सिंह सक्रिय थे। हेस्टिंग्स द्वारा तात्कालिक सैनिक कार्रवाई से वि का दमन हुआ। इकबाल अली खाँ की ज़मींदारी ज़ब्त कर ली गयी। 1786 में नारायण को भी अपदस्थ कर ढाका में कैद कर दिया गया।

1798 में अवध के वज़ीर अली के विद्रोह के समय भी टिकारी के राजा मित्रजीत

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ने अंग्रेज़ों के विरूद्ध उसका साथ दिया और बिहार के कुछ भागों में विप्लव आरंभ हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर एक बार सैनिक कार्रवाई द्वारा शांति बहाल कर ली।

19वीं शताब्दी में ज्यादा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। जन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी। इस क्रम में पहले वहाबी आंदोलन हुआ फिर अनेक जनजातीय आंदोलन भी आरंभ हुए। इन आंदोलनों ने 1857 के महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। इन आंदोलनों का क्रम इस महासंग्राम के बाद भी जारी रहा। वहाबी आंदोलन राजनैतिक विरोध के प्रयास के रूप में 1865 तक बना रहा जबकि जनजातीय आंदोलन वर्त्तमान शताब्दी के आरंभ तक सक्रिय रहे।

वहाबी आंदोलन (19वीं शताब्दी)—भारत में वहाबी आन्दोलन के प्रवर्तक सैय्यद अहमद शहीद थे। इनका जन्म 1786 में वर्त्तमान उत्तर प्रदेश के रायबरेली नगर में हुआ। 1821 में सैय्यद अहमद पटना आए। यहाँ सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना और उनके प्रति बैअत की। कालांतर में सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने ही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, विशेषकर 1831 में जब बालाकोट की लड़ाई में सिक्ख सेनापति शेरसिंह के विरूद्ध युद्ध में सैय्यद साहब शहीद हुए। उनके उत्तराधिकारियों (खलीफाओं) में पटना के विलायत अली और इनायत अली की भूमिका अग्रणी रही।

वहाबी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था मगर इसके नेताओं ने जल्दी ही यह महसूस किया कि जबतक विदेशी और विधर्मी शासन भारत पर बना रहेगा, तब तक सुधारों का यह प्रयास सफल नहीं हो सकेगा। अतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दो मुख्य केन्द्र रहे। एक ओर पश्चिमोत्तर सीमांत के अफग़ान कबीलों की मदद से वहाबियों ने सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। दूसरी ओर इस राज्य में सैनिक और आर्थिक साधन पहुँचाने के लिए पटना में एक केन्द्र बनाया जहाँ से धन और स्वयंसेवक सिताना भेजे जाते थे। इसी आंदोलन से प्रेरित बंगाल का फरायजी आन्दोलन था जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। सीमांत क्षेत्र में वहाबियों को सिक्खों के साथ भी कई लड़ाईयाँ लड़नी पड़ी क्योंकि इस समय तक सीमांत क्षेत्र में रणजीत सिंह द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार आरंभ हो चुका था।

1857 के जन-विप्लव के पूर्व ही वहाबियों का अंग्रेजों से सीमांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष आरंभ हो चुका था। वहाबी सिताना से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराना चाहते थे जबकि अंग्रेज इनकी सत्ता के इस केन्द्र को नष्ट करना चाहते थे। 1852, 1858 और 1863 के तीन निर्णायक युद्धों में अंततः वहाबी विफल रहे और उनकी चुनौती भी अंग्रेजों ने कुचल डाली। फिर भी 1857 के विप्लव के समय वहाबी सक्रिय थे और उन्होंने सीमांत क्षेत्र से लेकर पंजाब और दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था।

बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ। इस अभियान के क्रम में पटना केन्द्र से वहाबियों को मिलने वाली सहायता और सहयोग की जानकारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ब्रिटिश सरकार को मिली। तदोपरांत 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमें चलाए गये और अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गयी। बिहार से अहमदुल्लाह, अब्दुर रहीम आदि को आजीवन कारावास की सजा देकर कालापानी (अंडमान द्वीप) भेज दिया गया। उनकी सारी सम्पत्ती जब्त कर ली गयी।

वहाबी आंदोलन के परोक्ष परिणाम महत्त्वपूर्ण थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण उन्होंने ही प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। विदेशी शासन के विरूद्ध इन्होंने जन चेतना जगाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वहाबियों का योगदान इस्लामी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण रहा। समाजसुधार के प्रयासों के रूप में यह आंदोलन अब भी सक्रिय है। इसके अनुयायी अपने आपको "अहले हदीस" कहते हैं।

1857 के पूर्व, 1845-46 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिहार में पुनः षडयंत्र आरंभ हुए। प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्ध के दौरान जब अंग्रेज़ पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत में व्यस्त थे तो बिहार में कम्पनी की सेना में शामिल सैनिकों को विद्रोह पर उकसाने के लिए षडयंत्र रचा जा रहा था। इसमें अनेक मुसलमान ज़मींदार सक्रिय थे। 1846 में इसकी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को मिली और उन्होंने इसका दमन कर दिया।

जनजातीय विद्रोह (19वीं एवं 20वीं शताब्दी)—बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध कई चुनौतियाँ संगठित हुई; कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच ही, कुछ इसकी स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र में विस्तार 176… के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से गैर जनजातीय लोगों द्वारा इस क्षेत्र में आने और बसने से स्थानीय आबादी प्रभावित हुई। भूमि के हस्तांतरण, साहुकारों के आर्थिक शोषण, सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्त्तनों आदि से जंनजातीय लोगों में शंका की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुकों, जिन्हें दीकू कहा गया के विरूद्ध उनमें भावना बनी और इस विरोध-भावना का प्रकोप ब्रिटिश शासन के प्रति भी केन्द्रित हुआ, जो इन सभी परिवर्तनों का कारक तत्त्व था। अतः अंग्रेजों के विरूद्ध जनजातीय विद्रोह भड़क उठे। 1781 में संथाल परगना क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज़ों का विरोध आरंभ किया। पास के पहाड़ी क्षेत्र के भी कुछ सरदारों ने उसका साथ दिया, मगर इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1789 में छोटानागपुर की उराँव जनजाति द्वारा ज़मींदारों के शोषण के विरूद्ध संघर्ष छेड़ा गया। इसे **तमार विद्रोह** कहते हैं। विद्रोह लगभग 1794 तक चलता रहा। अंततः अंग्रेजों की सहायता से विद्रोह कुचल दिया गया। 1800 में चेरो राजा के विरूद्ध स्थानीय विद्रोह भड़क उठा। इन विद्रोहों के दमन के लिए 1809 में छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदारी पुलिस बल का गठन किया। फिर भी असंतोष और अशांति की स्थिति बनी रही। 1811, 1817 एवं 1820 में पुनः जनजातीय विद्रोह भड़के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उठे। इनका भी दमन कर दिया गया, मगर नये विद्रोहों का क्रम बना रहा। ऐसे नये जनजातीय विद्रोहों में प्रमुख थे, 1831-32 में कोल विद्रोह, 1832-33 में भूमिज विद्रोह, 1855-56 में संथाल विद्रोह और 1895-1901 में बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह।

कोल विद्रोह में मुंडा, हो, ओराँव, खर्वार और चेरो जनजातियों की प्रधानता रही। इसका प्रभाव सिंहभूम क्षेत्र में रहा। इसका प्रेरक कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर-आदिवासियों द्वारा अधिकार से उत्पन्न असंतोष की भावना थी। विद्रोहियों का आक्रोश इस क्षेत्र में बसे उच्च जाति के हिन्दुओं और मुसलमानों के विरूद्ध केन्द्रित रहा। हत्या और लूट की अनेक घटनाएँ घटीं। पुलिस चौकियों और थानों पर भी हमले हुए। अनेक मंदिरों को भी विद्रोहियों ने क्षति पहुँचाई और उनकी सम्पत्ति लूट ली। विद्रोह का कोई संगठित नेतृत्व नहीं था। विभिन्न गाँवों में स्थानीय पाहन (पुरोहित), महतो (ग्रामीण अधिकारी) आदि, विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उपद्रव का दमन सैनिक कार्रवाई के पश्चात ही संभव हुआ। विद्रोह के नेताओं में बुद्ध भगत, सिंगराम, सुर्मा आदि थे। 1837 तक इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित हो सकी।

1832 में **भूमिज विद्रोह** आरंभ हुआ। इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा। इसके पीछे अंग्रेज़ों की दमनकारी लगान व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष काम कर रहा था। विद्रोह का नेतृत्व गंगानारायण ने किया, मगर खरसावाँ के ठाकुर के विरूद्ध लड़ाई में गंगानारायण की मृत्यु हो जाने के कारण विद्रोह शिथिल पड़ गया।

जनजातियों के बीच असंतोष फिर भी बना रहा और इसका अगला विस्फोट **संथाल विद्रोह** में हुआ। इसका प्रभाव राजमहल के निकटवर्ती दामनेकोह और भगिनडीह क्षेत्रों में अधिक रहा। विद्रोह का नेतृत्व चार भाइयों, सिद्धु, कान्हु, भैरव और चाँद के हाथों में रहा। यद्यपि अधिक सक्रिय भूमिका सिद्धु और कान्हु की रही इनके साथ चाँद और भैरव भी इस विद्रोह में सक्रिय रहे। विद्रोह के अनेक कारण थे। जमींदारों और साहुकारों के शोषण और अत्याचार के साथ-साथ प्रशासन की कठोर कार्रवाईयों ने पहले ही असंतोष की स्थिति बना रखी थी। इसी समय भागलपुर से हावड़ा तक रेलमार्ग के निर्माण का काम आरंभ हुआ। संथाल मजदूरों से बेगारी लेने और ठीकेदारों द्वारा उनका शोषण करने से यह असंतोष और बढ़ा। जब स्थानीय पुलिस ने संथालों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी तो एक विक्राल जन आंदोलन भड़क उठा। लगभग एक साल तक यह संघर्ष जारी रहा और कई स्थानों पर संथालों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में उन्हें पराजित भी किया। मगर, अंततः अंग्रेज़ों की सेना ने अपने उत्तम अस्त्र-शस्त्र और अन्य साधनों के माध्यम से विजय पा ली। चारों विद्रोही नेता इस संघर्ष में मारे गये। फिर भी 1880-81 के लगभग संथालों ने पुनः विद्रोह किया।

1860 के दशक में मुंडा एवं उराँव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के शोषण और पुलिस के अत्याचार का विरोध करने के लिए सांवैधानिक संघर्ष आरंभ किया। इसे "सरदारी लड़ाई" भी कहते हैं। उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी असुविधाओं के निदान के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे और अन्ततः अदालत की भी शरण ली, मगर उचित पैरवी के अभाव में उनकी मांगों पर कोई

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ध्यान नहीं दिया गया। इस असफलता की प्रतिक्रिया में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में 'खेरवा आंदोलन' संथालों के द्वारा आरंभ किया गया। मगर इसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह 1895 से 1901 के बीच मुं विद्रोह था। कौल एवं संथाल विद्रोह के दमन ने आदिवासियों के असंतोष का अंत नहीं कि था। इसके विपरीत असंतोष के कारण बढ़ते गये थे। 1881 से 1895 के बीच राँची और सिंहभू में कई बार कृषकों के उपद्रव हुए। यद्यपि सरकार ने अपने सैन्यबल से इनको दबा दिया मग असंतोष भड़काने वाले कारण पूर्ववत बने रहे। दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्रों में अब शिक्षा क प्रसार आरंभ हो चुका था। ईसाई धर्म-प्रचारकों के माध्यम से नए विचार और आदर्श जनजाति के बीच प्रसारित हो रहे थे। इन सबका मिला-जुला परिणाम, बिरसा मुंडा के आंदोलन प्रकट हुआ।

बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। बिरसा का जन्म 187 में राँची के तमार थाना के अधीन चालकंद गाँव में हुआ था। उसने अंग्रेजी की शिक्षा प्रा की थी। उसे ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की भी जानकारी थी। तत्कालीन सामाजिक जीवन मे जो मौलिक परिवर्तन आ रहे थे उनके कारण आदिवासी समाज में चिन्ता का वातावरण था और लोग एक शांतिपूर्ण और आदर्श समाज की कल्पना से प्रेरित थे। बिरसा ने ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। उसने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म-सुधार और एकेश्वरवाद का उपदे दिया। उसने अनेक देवताओं (बोंगा) को छोड़कर एक ईश्वर (सिंह बोंगा) की आराधना क आदेश अपने अनुयायियों को दिया। उसने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में फि एक आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त होगा। उसने ब्रिटि सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न दे का आदेश दिया। उसके उपदेशों से अनेक लोग प्रभावित हुए और आंदोलन का व्यापक प्रस हुआ। आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार को चिंता हुई और 24 अगस्त 189 को बिरसा को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। नवम्बर में बिरसा और उसके अने अनुयायियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें कैद की सजा दी गयी। कुछ समय के लिए आंदोल का प्रभाव कम हो गया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 1898 में बिर को कैद से मुक्ति मिली। अब आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा। 1899 और 1900 के बीच बिर ने स्वयं और अपने प्रचारकों की सहायता से अनेक गाँवों में प्रचार कार्य आरंभ किया अ विदेशी शासन के विरूद्ध संघर्ष के लिए लोगों को तैयार किया। बिरसा के अनुयायियों ने यूरोपि मिशनों पर छापे मारे। राँची, खूँटी, तमार आदि स्थानों पर हिंसात्मक झड़पें हुई। सरकार द्वा आंदोलन के दमन और बिरसा को गिरफ्तार करने के उपाय आरंभ हुए। 3 फरवरी, 19 को बिरसा को पुनः बंदी बनाया गया। 30 मई को जेल में हैजा के रोग में बिरसा की मृ हुई। तत्पश्चात बिरसा के अनेक सहयोगियों को कैद कर लिया गया और जल्दी ही आंदोल का अंत हो गया। बिरसा आंदोलन विफल रहा, मगर यह एक उत्साहपूर्ण प्रयास था। सामाजि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्त्तनों के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इससे उत्पन्न प्रेरणा आने वाले वर्षों में भी बनी रही।

1857 का महासंग्राम—अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन-आंदोलन का सामना 1857 में हुआ। राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व, ब्रिटिश-विरोधी आंदोलनों की श्रृंखला में 1857 का आंदोलन सबसे महत्त्वपूर्ण, और साथ ही अंतिम चुनौती सिद्ध हुआ। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। 12 जून, 1857 को देवघर जिले के गाँव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ संघर्ष आरंभ हुआ। दो अंग्रेज अधिकारी मारे गये, मगर विद्रोह विफल रहा और उन तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड दिया गया जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था।

3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा महल्ला के एक पुस्तक-विक्रेता पीर अली द्वारा ग्रहण किया गया था। चौक तक विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। विहार में अफीम-व्यापार के एजेण्ट, लायल ने विद्रोह के दमन का प्रयास किया, मगर अपने सैनिकों सहित मारा गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किये। उसने पहले ही पटना के निवासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। 19 जून, को उसने पटना के तीन प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वायजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था और उनपर वहाबियों से सहयोग का आरोप लगाया था। उसने पीर अली की दुकान और घर को पूर्णतः ढा दिया और उस स्थान पर एक कतबा लगाकर लोगों को विद्रोह करने के भयानक परिणामों की चेतावनी दी। लगभग सोलह अन्य व्यक्तियों को भी मृत्युदंड दिया गया। खाजेकलाँ थाना के दारोगा को विद्रोह की पूर्वसूचना न देने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया।

25 जुलाई, 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में तीन रेजीमेन्टों के सैनिक विद्रोही हो गये और इन्होंने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुँवर सिंह से मिलकर विप्लव आरंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चम्पारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोह भड़क उठा। विद्रोहियों ने गया पहुँचकर वहाँ कैद 400 लोगों को मुक्त करा लिया। टिकारी राज पर भी हमला हुआ और वहाँ से दस हजार रुपये लूट लिये गये। तत्पश्चात यह सैनिक रोहतास और सहसराम क्षेत्र के विद्रोही ज़मीन्दारों से जा मिले। राजगीर, बिहार शरीफ, गया और अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह आरंभ हो गये मगर इन्हें जल्दी ही दबा दिया गया। पलामू क्षेत्र में विलम्ब शाही और पीताम्बर शाही के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, मगर यह भी असफल रहा।

कुँवर सिंह को भी कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने कुँवर सिंह को पटना आकर उससे भेंट करने का निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्लाह आदि के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए कुँवर सिंह ने पटना न आने का निर्णय कर लिया था। कुँवर सिंह ने लगभग चार हजार सैनिकों के सहयोग से संघर्ष आरंभ किया। बाद में उनके समर्थक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बढ़कर दस हजार हो गये। सबसे पहले इन्होंने आरा नगर पर अधिकार किया। उन्होंने अनुशासन बनाये रखा और यूरोपियनों की कोई हत्या नहीं हुई। आरा को मुक्त कराने का पहला सरकारी प्रयास विफल रहा। दूसरा प्रयास सफल रहा। नगर के सभी निवासियों को निरस्त्र कर दिया गया। कुछ भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुँवर सिंह की हवेली और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। सभी विद्रोहियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गयी।

इन दमनात्मक उपायों से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा। समस्त पश्चिमी बिहार में उपद्रव फैल गया। कैमूर पहाड़ियों में मोर्चाबन्दी करके बाबू अमर सिंह ने, जो कुँवर सिंह के छोटे भाई थे, लम्बे समय तक सरकार के विरूद्ध संघर्ष जारी रखा। इस बीच बाबू कुँवर सिंह ने मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ में पड़ाव डाला। वहाँ से रेवा और बांदा के क्षेत्रों से होते हुए वे काल्पी पहुँचे। उन्होंने तात्या टोपे से सम्पर्क बनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात वे लखनऊ पहुँचे, जहाँ अवध के दरबार से उन्हें सम्मान और सहयोग मिला। दिसम्बर 1857 में कुँवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। गवर्नर जेनरल लार्ड कैनिंग ने कुँवर सिंह के विरूद्ध सैनिक कारवाई का कड़ा आदेश दिया और अंग्रेजों का सैनिक दबाव उन पर बढ़ने लगा। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुँवर सिंह ने 23 अप्रील, 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। कुँवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और दो दिन पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी।

संघर्ष का क्रम अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों के विपरीत, नवम्बर, 1858 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। बाबू अमर सिंह सहित 14 आदमियों को क्षमादान के प्रावधान से पृथक रखा गया और इन्हें दंडित किया गया। धीरे-धीरे शांति व्यवस्था बहाल हुई। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नयी परिस्थिति को जन्म दिया। कम्पनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंगलैंड की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके अनेक दूरगामी परिणाम प्रस्तुत हुए।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय–3

राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार

आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में जिस तरह बिहार की भूमिका अग्रणी रही उसी प्रकार देश में ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संचालित राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार की भूमिका निर्णायक रही। स्मरणीय है कि ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में **सत्याग्रह** का पहला व्यापक प्रयोग भारत में गाँधीजी ने चम्पारण में किया। तब से 1947 में देश के स्वतंत्र होने तक बिहार के अवाम ने राष्ट्रीय आंदोलन के सभी चरणों में सक्रीय भाग लिया। आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और उद्देश्यों में अंतर था। आरंभिक संघर्ष मुख्यतः स्थानीय असंतोष और समस्याओं का परिणाम थे और यह एकातिक घटनाओं के रूप में थे। 1857 के महासंग्राम को छोड़कर अन्य ऐसे सभी प्रयासों का प्रभाव भी सीमित क्षेत्रों में ही रहा था। 1857 के संघर्ष का भी प्रभाव उत्तरी और मध्य भारत तक ही रहा था। इन प्रयासों का उद्देश्य अंग्रेज़ों की सत्ता की जगह पूर्वकालीन रजवाड़ों, नवावों और अन्य सामंती तत्वों के प्रभाव को बहाल करना था। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करना था। इसका नेतृत्व शिक्षित एवं नगरीय मध्यम वर्ग के हाथ में था। इस आंदोलन में यह चेतना सुस्पष्ट थी कि भारत के सभी लोग एक हैं, उनकी समस्याएँ एक जैसी हैं और स्थानीय समस्याओं के मूल में भी ब्रिटिश शासन से उत्पन्न शोषण और विभेदपूर्ण नीतियाँ हैं। अतः भारत के लोगों की समस्याओं का निदान एकांतिक ढंग से नहीं संभव है बल्कि इसके लिए समस्त देश को स्वतंत्र कराना आवश्यक है। इस आंदोलन का प्रसार भी देशव्यापी स्तर पर हुआ। इस संघर्ष में हिंसा की अपेक्षा सांवैधानिक साधनों द्वारा राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये गये। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह नयी चेतना सारे देश में फैल रही थी और बिहार भी इसके प्रभावों से अछूता नहीं रहा।

राष्ट्रीय चेतना का जागरण—बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण लगभग उसी समय हुआ जब राष्ट्रीय स्तर पर इस भावना का प्रसार हो रहा था। इसके अनेक कारण थे। सर्वप्रथम, बिहार का क्षेत्र पिछली एक शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का केन्द्र रहा था। वहाबी अंदोलन, जनजातीय विद्रोह और 1857 के संग्राम ने बिहारवासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। दूसरी ओर, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान किया था। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों से उत्पन्न असंतोष अपनी जगह बना हुआ था। बंगाल का क्षेत्र इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा था। बिहार चूँकि बंगाल से पूर्णतः संवंधित था, इसलिए इन भावनाओं का बिहार में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भी प्रसार हो रहा था। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सार्वजनिक संगठनों की स्थापना 1880 के दशक में देश के विभिन्न भागों में होने लगी थी। इस क्रम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक निर्णायक मोड़ थी। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में बिहारी प्रतिनिधि सक्रिय ढंग से हिस्सा लेते रहे। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने भी कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने संगठनों के सम्पर्क ने बिहारवासियों की राजनैतिक चेतना को तेज़ बनाया। इसी के साथ बिहार को बंगाल से पृथक करो और एक अलग प्रांत के रूप में संगठित करने की माँग भी प्रस्तुत हुई।

बिहार प्रांत की माँग—19वीं शताब्दी के अंतिम (2) दशक में बिहार को एक पृथक राज्य में परिवर्तित करने की माँग बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत की जाने लगी। 1894 में 'बिहार टाईम्स' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की माँग रखी गयी। इसके सम्पादक, महेश नारायण थे और उनके प्रमुख सहयोगी सच्चिदानंद सिंहा थे। इसी वर्ष बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को ज्ञापन दिया गया कि बिहार को पृथक प्रांत बनाया जाए। मगर इसे स्वीकृति नहीं मिली। बिहार के पृथिकीकरण की यह माँग कई कारणों से प्रभावित थी। मुग़लकाल में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता के पतन के समय यह क्षेत्र बंगाल के नवाबों के प्रभावाधीन आ गया था। ब्रिटिश शासनकाल में यह बंगाल से सम्बद्ध रहा। इस कारण बिहार में प्रशासन, शिक्षा, निभिन्न व्यवसायी (डाक्टरी वकालत) आदि में बंगालियों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व रहा था। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप अब बिहारवासी भी रोज़गार की इन संभावनाओं में अपने अंश की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। अतः वें बंगाल की छाया से बिहार को बाहर निकालना चाहते थे। अतः बिहार को बंगाल से अलग करने की माँग ने अब ज़ोर पकड़ा। स्मरणीय है कि इस माँग की अभिव्यक्ति में शिक्षित मुसलमानों और कायस्थों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। लगभग एक दशक के बाद इन आरंभिक प्रयासों को एक निश्चित दिशा मिली जब 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला लार्ड कर्ज़न ने किया। बंगाल को पश्चिमी और पूरबी बंगाल में विभाजित करने के इस फ़ैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा को कारण के रूप में बताया गया, मगर वास्तव में इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने और इस प्रांत को साम्प्रदायिक आधार पर हिन्दु-बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इकाईयों में बाँटना था। इस निर्णय का राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया।

1905 में बंगाल-विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र रूप विकसित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस में भी अब नरमपंथी नेताओं के स्थान पर गरमपंथी नेताओं का उत्कर्ष आरंभ हो चुका था। बंग-भंग विरोधी आंदोलन ने जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ा, बिहार में इसके प्रभाव पड़े। यह चेतना बिहारियों के बीच भी थी कि बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए ही नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुविधा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजित करने के बदले में बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं उपयुक्त था। बिहार के पृथक्करण की माँग पहले भी प्रस्तुत की जा रही थी। बंग-भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में दो स्तर पर राजनैतिक परिवर्त्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम, इस विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूम में पृथक प्रांत के गठन की माँग ने जोर पकड़ा; द्वितीय, इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास आरंभ हुआ।

क्रांतिकारी आतंकवाद—बंग-भंग विरोधी आन्दोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरूद्ध आतंकवादी उपायों की प्रेरणा दी गयी। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक नेताओं में डाक्टर ज्ञानेन्द्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906–07 में रामकृष्ण सोसाईटी की स्थापना की और एक समाचार-पत्र "दि मदरलैन्ड" का प्रकाशन भी आरंभ किया जिसके द्वारा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। 1908 में खुदिराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुज़फ्फरपुर के जिला जज डी. एच. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उसकी फिटन पर बम फेंका। धोखे में दो महिलाओं की हत्या हो गई जो उस फिटन पर सवार थीं। यह मुज़फ्फरपुर के एक विख्यात वकील, प्रिंगल केनेडी की पत्नी एवं बेटी थीं। खुंदिराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म-हत्या कर ली। खुदिराम पर मुकदमा चला और उसे फाँसी की सजा दी गयी। 11 अगस्त, 1908 को खुदीराम को फाँसी हुई। बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद की यदाकदा वारदातें हुई मगर इसका व्यापक विकास नहीं हुआ। फिर भी मुजफ्फरपुर बम-कांड की घटना से यहाँ के नवयुवकों को नया उत्साह आया। रेवती नाग, चुनचुन पांडेय, बटेश्वर पाण्डेय, छोट्न सिंह, नलिनी बाग्ची एवं अन्य नवयुवकों ने इस क्रम में सक्रिय भूमिका निभायी। शचिन्द्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किये।

बिहार प्रांत का गठन—1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इसी वर्ष राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र-सम्मेलन का आयोजन हुआ। मजहरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की माँग को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरूद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नये प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज़ हुसैन खाँ की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजिन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाये गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इन संस्थाओं के माध्यम से और समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के भी माध्यम से पृथक बिहार की माँग ने जोर पकड़ा और 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नये प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। नया प्रांत 1 अप्रील, 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। 1912 में ही पटना में काँग्रेस का सत्ताईसवाँ सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष आर. एन. मुधोलकर थे। महामंत्री सच्चिदानन्द सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरूल हक थे। बिहार अब अपनी एक पृथक पहचान के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख राजनैतिक गतिविधियों का प्रभाव अब बिहार में भी पड़ा।

ताना भगत आंदोलन—इससे पहले कि हम राष्ट्रीय स्तर की इन घटनाओं की चर्चा करें एक स्थानीय आंदोलन की, जो जनजातियों के द्वारा संचालित हुआ, समीक्षा भी आवश्यक है। यह तानाभगत आंदोलन था जो 1913–14 के मध्य जात्रा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव ओराँव, मुंडा और संथाल जनजातियों पर व्यापक ढंग से पड़ा। इस आन्दोलन का स्वरूप पूर्वकालीन जनजाति विद्रोहों से कुछ भिन्न था और इसमें राजनैतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव था। इसकी मुख्य माँगे तीन थीं। (1) स्वशासन का अधिकार, (2) लगान न देने का आह्वान क्योंकि भूमि ईश्वर की थी (3) मनुष्यों में समता। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गाँधीजी के सिद्धान्तों से प्रभावित थे। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया और खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। दिसम्बर, 1919 तक इस आंदोलन का वृहत प्रसार हो चुका था। इसके अन्य नेताओं में सिबू, माया, देबिया आदि थे। मूलतः यह आंदोलन भी दीकुओं, जमींदारों और प्रशासन के अत्याचार के विरूद्ध था मगर इसमें हिंसात्मक संघर्ष की जगह संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया।

गाँधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किये जाने के बाद ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया। गाँधीजी द्वारा मदिरा त्याग के आह्वान को ताना भगत ने पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने सभी शराब की दुकानों पर धरने दिये और स्वयं मदिरा सेवन त्याग दिया। इनकी गतिविधियों को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गयी परन्तु आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे। एक और आदिवासियों में यह विश्वास कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद उनकी दशा सुधारेगी, दूसरी ओर गाँधीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ब्रिटिश सत्ता और उसके दमनचक्र को चुनौती देने का साहस।

कुछ स्थानीय माँगे, जो कि पूर्वकालीन आंदोलन में सम्मिलित रही थी, इस आंदोलन में भी बनी रहीं विशेषकर दीकू, अथवा बाहरी लोगों के शोषण से मुक्ति की माँग। कुछ अन्य स्थानीय समस्याओं, जैसे वनसामग्री पर स्थानीय जमींदारों द्वारा वसूल किये जाने वाले कर का प्रश्न, आदि ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन सबके साथ-साथ कॉंग्रेस के साथ उनका अटूट सहयोग बना रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी ताना भगत अत्यधिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सक्रिय रहे। जब सविनय अवज्ञा की गति धीमी पड़ी तो इन आंदोलनकारियों ने स्थानीय मुद्दों को ही प्राथमिकता दी और इस तरह यह आंदोलन पुनः सक्रिय रहा।

बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण ताना भगत आंदोलन में देखा जा सकता है। साथ ही, आदिवासियों के अनुशासन, आत्मसंयम और संघर्ष-शक्ति का भी यह एक ज्वलंत उदाहरण है।

होम रूल आन्दोलन—1916 में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसी वर्ष भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए केन्द्रीय विधान परिषद् के 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में स्वशासी संस्थाओं का इतिहास बहुत पुराना है और होमरूल के माध्यम से देश में स्वशासन और स्वराज्य के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से हासिल किया जायगा। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में मज़हरूल हक भी शामिल थे। 16 दिसम्बर, 1916 को पटना में मजहरूल हक के नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ जिसमें पटना में होम रूल लीग को स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया। इसी सभा में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक बनाये गये। अन्य पदाधिकारियों में नवाब सरफराज हुसैन खाँ। उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय मंत्री बने। 1918 में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने दो बार पटना की यात्रा की, 18 अप्रील और 25 जुलाई को। उन्होंने होम रूल लीग के सदस्यों के साथ सांवैधानिक सुधारों संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श भी किया। होम रूल आंदोलन भारत में, और बिहार में भी, व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया और धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की ही भूमिका निर्णायक बन गई।

चम्पारण सत्याग्रह—उत्तर बिहार में तत्कालीन चम्पारण जिला, 1917 में महात्मा गाँधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था। किसानों को जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा पर उन्हें तीन कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी इसे तीन कठिया व्यवस्था कहते थे। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। नील की खेती से भूमि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। जो किसान नील की खेती करने से मुक्ति चाहते थे उनपर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता था। इस उत्पीड़न और शोषण के कारण किसानों की आर्थिक दशा सोचनीय हो गई थी। प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में जमींदारों की सहायता करती थी और किसानों को इस अत्याचार से मुक्ति की कोई राह नहीं नजर आ रही थी।

1916 में कॉग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चम्पारण के राज कुमार शुक्ल भी थे जो स्वयं इस उत्पीड़न का शिकार रहे थे। उन्होंने चम्पारण के किसानों की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गठन की बात कही गयी जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल हों। राज कुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गाँधी जी चम्पारण आने और स्थिति का अध्ययन करने को सहमत हुए।

अप्रील 1917 में गाँधीजी पटना और मुजफ्फरपुर से होते हुए चम्पारण पहुँचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया और गाँधीजी को कानून-विरोधी आचरण के लिए गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया गया। गाँधी जी के शांतिपूर्ण प्रयास का अनुचित ढंग से दमन करना सरकार के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा था। उधर गाँधी जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही थी। अंततः बिहार के उप-राज्यपाल एडवर्ड गेट ने गाँधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जाँच के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जो Champaran Agrarian Committee कहलायी। गाँधीजी भी इसके सदस्य बने। इसकी अनुशंसा पर तीन कठिया व्यवस्था का कानून बनाकर अंत कर दिया गया। किसानों पर लगान भी घटा दिया गया और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी मिला। यद्यपि किसानों के कष्टों के निवारण के लिए यह उपाय अपर्याप्त थे, फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन-विरोध के माध्यम से सरकार को कुछ माँगों को स्वीकार करने पर सहमत कर लेना एक बड़ी उपलब्धि थी। सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग इस दृष्टिकोण से अत्यंत सफल रहा। नील की खेती अब अन्य कारणों से जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही थी और शीघ ही चम्पारण से नील कोठियों के मालिकों का प्रगमण आरंभ हो गया।

आरंभिक किसान आंदोलन—चम्पारण सत्याग्रह की सफलता ने अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरूद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जून, 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरूद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के गुमाश्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। आंदोलनकारियों ने अपने प्रयास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस पर महाराज दरभंगा के प्रभाव को कारण कांग्रेस इस आंदोलन के प्रति उदासीन रही। हताश होकर किसानों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। आंदोलन का विस्तार धीरे-धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर ज़िलों तक हो गया। महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रान्तीय सभा का 1922 में गठन कराया और इसे किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी। फिर भी इस संस्था के प्रति किसान उदासीन रहे। कालांतर में महाराजा ने किसानों की कुछ मांगें स्वीकार कर लीं और आन्दोलन शिथिल पड़ गया। किसानों को संगठित करने और अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष की चेतना जगाने में इस आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

खिलाफत और असहयोग आन्दोलन—खिलाफत और असहयोग आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दो स्वर्णिम अध्याय थे। इसके पूर्व 1916 में लखनऊ में कॉग्रेस और मुश्लिम लीग के बीच समझौता हो चुका था और दोनों दल राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही को असंतुष्ट अवस्था

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में छोड़ा था। युद्ध के दौरान और उसके पूर्व भी तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा के लिए भारतीय उप-महाद्वीप के मुसलमानों द्वारा निष्ठा और सहयोग का आश्वासन दिया जाता रहा था। पान-इस्लामाबाद का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ था। युद्ध की समाप्ति पर जब विजयी मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और औटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों की बंदरबाँट आरंभ की तो भारतीय मुसलमानों में असंतोष भड़का। अन्य राष्ट्रवादी इसलिए चिन्तित थे कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया था। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा नियम के अंगर्गत जो दमनकारी कानून बनाये गये थे उनकी भी पुष्टि सरकार ने रॉलेट ऐक्ट के माध्यम से कर दी थी। इन्हीं कारणों से खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1923 के बीच हुए और इनमें आपसी ताल-मेल भी रहा। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता को भी बल मिला और राष्ट्रीय आंदोलन की गति भी तेज हुई। दोनों आंदोलनों का बिहार में व्यापक प्रभाव रहा और इनमें मौलाना मजहरूल हक का सक्रिय नेतृत्व रहा।

प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व ही 1912–13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध लड़े गये। इसमें तुर्की के राज्य के विरूद्ध बाल्कन प्रायद्वीप की ईसाई प्रजा ने विद्रोह किया। यूरोपीय देशों के तुर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण को देखते हुए और तुर्की की जीर्ण-शीर्ण दशा के कारण, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति रही। गया, जहानाबाद, मुँगेर, पटना, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में अनेक सभाएँ संगठित हुई। तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोश इकट्ठा किया गया। मज़हरूल हक इन कार्यों में सक्रिय रहे। 1914 में वे कॉंग्रेस के एक प्रतिनिधि-मंडल के साथ इंगलैन्ड गये। उन्होंने युवा तुर्क दल और रेड-क्रीसेन्ट सोसाईटी के प्रतिनिधियों से भेंट की और तुर्की के सुल्तान के समक्ष भी उपस्थित हुए। प्रथम विश्व-युद्ध आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध में भाग लेने की योजना भी बनाई। इन्होंने काबुल जाकर वहाँ से ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध कारवाई का निश्चय किया। इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे जिनमें वहाबी नेता मौलवी अब्दुल रहीम प्रमुख थे। सरकार को इस योजना की पूर्व सूचना मिल गयी और इसे विफल कर दिया गया मगर पान इस्लामी भावनाएँ प्रबल रहीं।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी, 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। इसी बीच सेव्रे की संधि द्वारा तुर्की पर अनेक कठोर शर्तें आरोपित किये जाने की बात स्पष्ट हो गई थी और भारतीय मुसलमानों में रोष बढ़ता जा रहा था। नवम्बर, 1919 में गाँधीजी ने भी इस संधि के विरोध में शांति स्थापित होने के उपलक्ष में मनाये जाने वाले समारोहों के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में इसका स्वागत हुआ। 30 नवंम्बर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया। राँची में भी, मौलाना आजाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने न केवल इन समारोहों का बहिष्कार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किया बल्कि रोष-प्रदर्शन भी किया। 1920 में आंदोलन का क्रम और विस्तृत हुआ। 19 मार्च, 1920 को सारे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। भागलपुर, मुंगेर, डाल्टेनगंज, आरा और मुजफ्फरपुर में इसका व्यापक प्रभाव रहा।

अप्रील, 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, मौलाना शौकत अली पटना आए। इस समय तक ब्रिटिश सरकार से असहयोग का विचार विकसित हो चला था। अप्रील और मई के बीच मज़हरूल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की। मोतीहारी और छपरा में उन्होंने जन-सभाओं को संबोधित करते हुए खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात की। लोगों को जानकारी दी और इस प्रश्न पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता बनाये रखने का अनुरोध किया। 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा (धर्माचार्यों) का सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किये। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम और उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने और तुर्की पर आरोपित शर्त्तों की भर्त्सना करने का आह्वान किया। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नुरूलहसन ने प्रांतीय विधायिका से त्याग-पत्र दिया। फुलवारी के शाह बद्रुद्दीन ने शम्सुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलैमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया। अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ-साथ सक्रिय हुए।

असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितम्बर 1920 में पारित हुआ, मगर इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरूद्ध असंतोष था जो कई वर्षों से संचित हो रहा था। जून, 1918 में मान्टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें भारत में स्वायत्त शासन संबंधी कुछ प्रस्ताव रखे गये थे। यह प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए संतोषदायक नहीं थे। 29 अगस्त 1918 को कॉंग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। अधिवेशन में रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त करने के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच भारत सरकार ने क्रांतिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु कुछ कठोर कानूनों का प्रावधान रौलेट ऐक्ट के माध्यम से किया। इस दमनकारी कानून जिसे राष्ट्रवादियों ने "काला कानून" कहा, के विरूद्ध जन आंदोलन गाँधी जी ने छेड़ा। पहली बार देशव्यापी स्तर पर सत्याग्रह का आह्वान हुआ। बिहार में भी 6 अप्रील, 1919 को हड़ताल हुई। छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, झरिया आदि नगरों में इसका विशेष प्रभाव रहा। अप्रील को पटना में एक जनसभा आयोजित हुई जिसमें गाँधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसी बीच जालियाँवाला बाग हत्याकांड के विरूद्ध देशव्यापी जन-आंदोलन भड़क उठा था। इसी पृष्ठभूमि में बिहार में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

असहयोग आंदोलन का प्रसार हुआ। आरंभिक चरण में यह आंदोलन खिलाफत के प्रश्न से भी जुड़ा रहा।

जनवरी, 1920 को गाँधी जी और अली बंधुओं ने वायसराय से भेंट कर खलीफा के प्रति वचनभंग के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित कराया। 1920 में ही मौलाना मोहम्मद अली इंगलैंड गये और प्रधानमंत्री लायड जार्ज के समक्ष इस प्रश्न को उन्होंने रखा, मगर उन्हें निराशा मिली। अब गाँधी जी ने खलीफा के प्रति अन्याय और जालियाँवाला बाग हत्याकांड के दोनों मुद्दों पर सरकार के विरूद्ध असहयोग आन्दोलन का आह्वान किया। अगस्त, 1920 में राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई जिसमें गाँधीजी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दे को भी असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित कर लिया गया।

असहयोग आन्दोलन के क्रम में मजहरूलहक, राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कई अधिकारियों ने त्याग-पत्र दे दिये और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। महेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद इसमें प्रमुख थे। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम कटा लिया। पटना लॉ कॉलेज के मुहम्मद शेर और बी.एन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी इनमें प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना-गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गयी। राजेन्द्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। इसी बीच बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पन्द्रह छात्र कॉलेज त्याग कर मजहरूलहक के पास मार्गदर्शन के लिए आये। मजहरूलहक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर, जो उन्होंने दान कर दी, सदाकत आश्रम का निर्माण किया। यहाँ छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम आरंभ हुआ। धीरे-धीरे यह स्थान बिहार में राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्यालय बन गया। कालान्तर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि का कार्यालय बना।

इस बीच गाँधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। बिहार में भी एक विद्यापीठ के गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी, 1921 को गाँधी जी द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से सम्बद्ध राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई जिनमें प्राथमिक स्तर से मैट्रिक तक शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त आई० ए०, आई० एस० सी० और बी०ए०, बी०एस०सी० की परीक्षाएँ भी इस विद्यापीठ द्वारा आयोजित हुई। 25 हजार से अधिक छात्र इस राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली से सम्बद्ध रहे।

30 सितम्बर, 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से **दि मदरलैंड** नामक एक अखबार निकालना शुरू किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिन्दु-मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। नवम्बर, 1921 में ब्रिटेन के युवराज

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का भारत में आगमन हुआ। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। बिहार प्रान्तीय सम्मेलन ने इस निर्णय का अनुमोदन किया।

युवराज की यात्रा का बहिष्कार—22 दिसम्बर को युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गयी। असहयोग आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर था, जब 5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा कांड के फलस्वरूप गाँधीजी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसके कुछ बाद 10 मार्च, 1922 को गाँधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। 26 जुलाई को मौलाना मजहरूल हक को भी मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इन घटनाओं के कारण असहयोग आन्दोलन का बिहार में प्रभाव समाप्त होने लगा। उधर तुर्की में कमाल पाशा ने स्वयं खिलाफत का अन्त कर दिया जिस कारण खिलाफत आन्दोलन भी निरर्थक हो गया।

फिर भी उपर्युक्त दोनों आन्दोलनों ने बिहार में राजनैतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया। आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुज़फ्फरपुर और शाहाबाद ज़िलों में देखा गया। इसके साथ आरा, गया, राँची, गिरीडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर भी इससे प्रभावित हुए। पटना इसका मुख्य केन्द्र रहा। मुसलमानों में भी एक नयी चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरीया की संस्था का गठन हुआ जो अभी भी सक्रिय है। इसका कार्यक्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था और इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और इनका समाधान करने की व्यवस्था की गयी थी।

स्वराज्य दल—1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। फिर भी कुछ प्रमुख नेता जैसें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज्य दल का गठन किया। बिहार में फरवरी, 1923 में स्वराज्य दल का गठन हुआ। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। स्वराज्य दल का विशेष प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा। दिसम्बर, 1923 तक स्वराज्य दल की बिहार में विफलता स्पष्ट हो चुकी थी।

साईमन कमीशन—1928 में साईमन आयोग का भारत में आगमन हुआ। सर जॉन साईमन पर आधारित यह एक सदस्यीय आयोग भारत में मॉन्टफोर्ड सुधारों की प्रगति की जाँच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में भी साईमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी आरंभ हुई। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें साईमन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनायी गयी। 12 दिसम्बर को आयोग के पटना पहुँचने पर इसके विरूद्ध प्रदर्शन हुए, का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

झंडे दिखाये गये और आयोग का बहिष्कार हुआ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन—सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव दिसम्बर, 1929 में लाहौर में कॉंग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। 26 जनवरी, 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। विशेषकर छात्रों ने इसमें सक्रीय योगदान दिया। कॉंग्रेस के नेताओं द्वारा प्रांतीय विधायिका से त्याग-पत्र दिये गये। उधर गुजरात में नमक कानून के विरूद्ध सत्याग्रह आरंभ हुई। 12 मार्च, 1930 को गाँधीजी की दांडी यात्रा आरंभ हुई और 5 अप्रील को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ की। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रील को चम्पारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। इस सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। सरकारी दमनचक्र ने कठोर रूप धारण किया और लगभग 13,000 लोग कैद कर लिए गये। पटना में 16 से 21 अप्रील, 1930 के बीच लोगों ने अनेक बार प्रदर्शन किये और पुलिस की मार-पीट एवं अत्याचार को संयम के साथ सहा। 4 मई, 1930 को गाँधीजी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में जन-प्रदर्शन हुए और 9 मई, 1930 को बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। 16 मई से इस प्रस्ताव पर कार्यन्वयन आरंभ हुआ। इस कार्य में भी महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इंकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराये जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। कई दिनों तक यह "नंगी हड़ताल" जारी रही। तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिये गये।

इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बन्द करने के लिए भी आंदोलन हुआ। चौकीदारी-कर की वसूली के क्रम में जो अत्याचार बिहार में हो रहा था, इस कारण लोगों में असंतोष की भावना थी। सारण, चम्पारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। सरकारी दमन के उपाय अब तीव्र होने लगे। कॉंग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जून, 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेन्द्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए। उन्हें 6 महीने की कैद हुई। दमनकारी उपाय बहुत सफल न होने पर सरकार का भी रूख बदला। 5 मई, 1931 को गाँधी-इर्विन समझौता हुआ। कॉंग्रेसी नेताओं की रिहाई आरंभ हुई। आंदोलन स्थगित हो गया। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच गोलमेज वार्ता हुई जो विफल रही। अतः आंदोलन पुनः आरंभ हुआ। 4 जनवरी, 1932 को राजेन्द्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि बंदी बना लिये गये। 26 जनवरी को फिर समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके विरूद्ध सरकारी दमन निर्दयतापूर्ण ढंग से आरंभ हुआ। मोतीहारी में गोलीकांड में कई

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लोग मारे गये। लगभग इसी समय रैम्जे मैक्डोनल्ड के "साम्प्रदायिक अनुदान" के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार का गाँधीजी ने आह्वान किया। बिहार में हरिजन-सेवक-संघ की शाखाएँ खोली गयी। 12 जुलाई, 1933 को गाँधीजी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा। बिहार में इसका काफी अच्छा प्रभाव रहा। लगभग 880 सत्याग्रही जेल गये। 7 अप्रील, 1934 को गाँधीजी ने पटना के अपने एक वक्तव्य में आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने इसका समर्थन किया और बिहार में आंदोलन स्थगित हो गया। इसके प्रभाव मगर निर्णायक रहे और बिहार में राजनैतिक चेतना प्रबल हुई। इस आंदोलन के क्रम में प्रशासन और पुलिस से जुड़े भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जागृत हुई। इन्हीं दिनों बिहार में कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार में युवा आंदोलन ने भी ज़ोर पकड़ा। 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई और 1929 तक इसकी शाखाएँ बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हो गई थीं।

किसान सभा—बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922–23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 4 मार्च, 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियाँ काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुईं। इसी वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया।

इस आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक ओर जमींदारों का वर्ग चिंतित और सतर्क हुआ, तो दूसरी ओर इसका दमन करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की कोशिशें भी आरम्भ हुई। इस उद्देश्य से एक राजनीतिक दल, युनाइटेड पोलिटिकल पार्टी के नाम से संगठित हुआ।

किसान सभा द्वारा 1933 में एक जाँच कमिटी का गठन किया गया जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान केन्द्रित कराने के प्रयास किये। जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रयासों का समर्थन किया।

किसान सभा की लोकप्रियता में निर्णायक वृद्धि इस काल में हुई। 1936 में इसकी सदस्यता 250,000 तक पहुँच गयी थी। कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान सभा के बीच तालमेल भी बना रहा। 1937 के चुनावों के पूर्व दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की, मगर चुनावों के बाद जब बिहार में कांग्रेसी मंत्रिपंडल की स्थापना हुई तो किसान सभा के साथ मतभेद आरंभ हो गये क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान करने में इस मंत्रिमंडल ने कोई अभिरूचि नहीं ली। एक तो इस प्रान्तीय सरकार की शक्ति नाममात्र की थी, दूसरे कांग्रेसी नेतृत्व का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एक वर्ग इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्सुक भी नहीं था। इस तनाव के कारण चम्पारण, सारन और मुंगेर की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया।

इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बड़हिया टाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी के उन्मूलन की माँग को लेकर वृहत आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण रही। कांग्रेस के उदासीन रहने के कारण अब किसानों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हुआ। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद में अभिरूचि दिखायी।

मजदूर आन्दोलन—किसानों के अतिरिक्त औद्योगिक मजदूरों के वर्ग ने भी संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1917 की बॉल्शेविक क्रान्ति और साम्यवादी विचारों के प्रसार ने इसकी पृष्ठभूमि रची। 1919 के दिसम्बर माह में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में एस. एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्त्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कस एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920, 1922, 1925 और 1928 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स और कुछ अन्य मिलों में हड़तालें हुईं। 1925 और पुनः 1928 में मजदूर-संगठन का पुनर्गठन हुआ। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगले साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। 1939-40 के दौरान झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में अनेक बार हड़तालें हुई।

किन्तु मजदूर आंदोलनों का प्रभाव सीमित रहा। इनका लक्ष्य केवल मजदूरों की तात्कालिक मांगों को स्वीकार कराना था और उनकी सुविधाओं को बनाये रखना था। इन आंदोलनों में कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी नेतृत्व प्रदान किया और कई मजदूर नेता भी इस क्रम में बिहार के राजनैतिक रंगमंच पर उभरे। सुभाषचन्द्र बोस, अब्दुलबारी, जयप्रकाश नारायण आदि ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण नेता थे। सुभाषचन्द्र बोस ने 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गाँधीजी और राजेन्द्र प्रसाद ने भी एक-दो अवसरों पर मजदूरों के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभायी थी।

बिहार सोशलस्टि पार्टी—कांग्रेस ने भिन्न विचारों वाले कुछ दल भी स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में भारत में सक्रिय रहे। बिहार में भी ऐसे दलों का प्रभाव रहा। इनमें कुछ कांग्रेस की ही छत्रछाया में रहते हुए और कुछ इससे पृथक होकर भी ब्रिटिश शासन का विरोध करने में सक्रिय रहे। इनके विचारों और कार्याविधि में जो भी अंतर रहा हो, उद्देश्यों में पूर्ण सहमति थी। बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन ऐसे संगठनों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। इसने आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट किया। 1931 में ही गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में रावृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेन्द्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों के संगठित करने और राजनैतिक स्तर पर सचेत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी इनकी गतिविधियाँ बहुत बड़े पैमाने पर रहीं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फार्वर्ड ब्लॉक था जिसके संस्थापक सुभाषचन्द्र बोस थे। 20 अक्तूबर, 1940 को बिहार प्रान्तीय फार्वर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च, 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किये जा चुके थे। बिहार में छात्र आंदोलन भी अत्यंत सक्रिय रहा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिन्द्र राय के नेतृत्व में हुई। खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 1942 के आंदोलन में भी युवकों की भूमिका निर्णायक रही थी।

संवैधानिक प्रगति—1912 में बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्ष बाद 1919 का भारत सरकार कानून लागू हुआ। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बिहार में 29 दिसम्बर, 1920 से यह प्रयोग आरंभ हुआ। उसी समय बिहार में प्रथम भारतीय गर्वनर के रूप में सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा ने पद ग्रहण किया। द्वैध शासन की व्यवस्था राष्ट्रवादियों को संतोषजनक प्रतीत नहीं हुई क्योंकि इसमें मंत्रियों की शक्ति नगण्य थी और नौकरशाही पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं था। यह व्यवस्था सफल सिद्ध नहीं हुई।

साईमन आयोग का उद्देश्य इसी व्यवस्था को सुधारने के उपाय सुझाना था, मगर राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार के कारण यह आयोग निष्क्रीय रहा। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों का दबाव सरकार पर बना रहा और संवैधानिक सुधारों की माँग बढ़ती गयी। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार को भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने में पुनः पहल 1935 में करनी पड़ी। इस वर्ष लागू हुए भारत सरकार कानून के अन्तर्गत प्रांतों में स्वायत्त शासन और केन्द्र में द्वैध शासन लागू हुआ। इसी वर्ष बिहार से उड़ीसा को पृथक कर एक नया प्रांत बनाया गया। बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की व्यवस्था हुई। 1935 के कानून के अन्तर्गत देश भर में चुनाव कराये गये। बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर उसे विजय मिली। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम० जी० हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, मगर राज्यपाल यह आश्वासन देने

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात राज्यपाल ने इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी के सदस्य, मोहन्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। (उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधान मंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त था) 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रीमंडल बिहार में संगठित हुआ। इसके अन्य सदस्य थे वहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरूसहाय लाल। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई, 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्याग पत्र दिया और 20 जुलाई 1937 को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रीमंडल संगठित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब सितम्बर 1939 में आरंभ हुआ और इंगलैंड की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया तो विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्रीकृष्ण सिंह ने त्याग-पत्र देकर मंत्रीमंडल को भंग कर दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन—द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के कुछ शर्तों पर सहयोग की नीति अपनायी। उधर इंगलैंड की सरकार ने भी भारतीय राष्ट्रवादियों की कुछ माँगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। मार्च, 1942 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री विन्सटन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद् में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। इस व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च, 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुए। अतः अगस्त, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन का आह्वान किया। बिहार का इस आंदोलन में भी निर्णायक योगदान रहा। 31 जुलाई को ही राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी की एक विशेष बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को भावी संघर्ष के लिये संगठित होने का आदेश दिया था। उसी दिन अंजुमन-इस्लामिया-हॉल में आयोजित सभा में छात्रों और युवकों के द्वारा कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने की योजना बनाई गयी।

8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिये गये। 9 अगस्त को राजेन्द्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए। इसका प्रबल विरोध छात्रों द्वारा किया गया। विरोध प्रदर्शन और सभाओं का क्रम प्रांत भर में आरंभ हुआ। सभी शैक्षिक केन्द्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लहराये गये। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश डब्लू० जी० आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। सात छात्र

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मारे गये और अनेक घायल हुए। मरनेवाले छात्र उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेन्द्र सिंह, रामगोविन्द सिंह तथा जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम के हाथों हुआ और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 1956 में हुआ।

इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त के पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी शाम कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप्प कर दिया जाए और सरकारी कार्यों को शिथिल बना दिया जाए। फलतः पूरे बिहार में रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई। तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, थानों और अन्य सरकारी इमारतों को जला दिया गया और पुलिस पर आक्रमण किये गये। सरकार ने भी नृशंस शक्ति का उपयोग कर आंदोलन का दमन किया। फिर भी प्रांत के अधिकांश भागों में उपद्रव फैलता गया। सारन, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोविन्दपुर, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, बेलसंड, दरभंगा, शाहाबाद, गया, कुरथा, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, धमदाहा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, देवघर, हजारीबाग, राँची, पलामू, जमशेदपुर आदि क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएँ घटी और प्रशासन के दमन-चक्र के बावजूद क्रांतिकारियों ने अनेक स्थानों पर कुछ समय के लिए सरकार को ठप्प कर दिया।

इस संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केन्द्र संगठित हुआ। नेपाल में ही "आजाद दस्ता" का अखिल भारतीय केन्द्र और बिहार प्रान्तीय कार्यालय संगठित हुआ। "आजाद दस्ता" का गठन विशेष रूप से सरकार के विरूद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाईयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे। 1943 के ही मार्च-अप्रील में नेपाल के राजविलास जंगल में "आजाद दस्ता" का पहले प्रशिक्षण-शिविर का गठन हुआ जिसमें बिहार के पचीस युवकों को अग्नि-अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गयी। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। इसके अतिरिक्त आजाद दस्ता के सदस्यों को तोड़-फोड़ के लिए तीन तरह की कार्रवाईयों की शिक्षा दी जाती थी—(i) यातायात के साधनों को क्षति पहुँचाना, (ii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुँचाना, (iii) संचार साधनों को नष्ट करना। इसके लिए तीन तरह के उपाय थे—(a) साधारण तोड़-फोड़ के लिए हथियारों और औजारों का उपयोग, (b) अग्निकांड द्वारा सरकारी फाईलों आदि का विनाश और (c) रासायनिक पदार्थों और बारूद द्वारा विस्फोट से मिलों, कार्यालयों आदि का विनाश। इन कार्यों के लिए दो तरह के दल तैयार किये गये। एक ओर वह लोग थे जो गुप्त ढंग से तोड़-फोड़ की इन कार्रवाईयों को चला रहे थे, दूसरी ओर वह लोग थे जो व्यापक जन-आंदोलन का एक अंग बनकर हिंसात्मक संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ऐसे संगठन की आवश्यकता दो कारणों से महसूस की गयी थी, जैसा कि राममनोहर लोहिया ने स्पष्ट किया था। एक तो इसलिए कि युवकों में जो हिंसा और संघर्ष की भावना बन रही थी उसे एक सही और सुनियोजित दिशा प्रदान की जाये, दूसरे इसलिए कि दुबारा किसी जनक्रांति के विस्फोट के समय क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन और संगठन हों जिससे वह सरकार के नृशंस दमन और राज्य द्वारा हिंसा के प्रयोग का भरपूर मुकाबला कर सकें।

नेपाल में आयोजित आजाद दस्ता की कार्रवाईयों से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी इसी ढंग के संगठनों की स्थापना की गयी। 1943 के अंत तक आजाद दस्ता सक्रिय रहा परंतु नेपाल की सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, रामनोहर लोहिया अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह प्रयास शिथिल पड़ गया।

जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द सरकार से सम्पर्क बनाने की भी कोशिश की मगर यह संभव नहीं हो सका।

इस आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आये। सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चम्पारण में एक पृथक सरकार बना ली गयी। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गये। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। डुमराँव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भागत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। जमशेदपुर में टिस्को के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गयीं। गाँवों में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समानान्तर सरकार की स्थापना कर ली।

भारत छोड़ो आन्दोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाये गये। 8783 को सजा हुई 134 व्यक्ति मारे गये और 362 घायल हुए। इस आंदोलन ने अंततः सरकार को अपना रूख बदलने पर बाध्य कर दिया। 1945 में राजनैतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए।

स्वतंत्रता प्राप्ति—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर इंगलैंड में चुनाव हुए और मजदूर दल सत्ता में आया। प्रधान मंत्री क्लीमेन्ट ऐटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य पैथिक लॉरेन्स, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वी० अलेक्जैन्डर पर आधारित कैबिनेट मिशन भारत आया। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय इस मिशन द्वारा सुझाए गये। लेकिन इन प्रस्तावों को सामान्य स्वीकृति नहीं मिल सकी। देश भर में चुनाव हुए, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण सरकार निर्माण में बाधा पहुँची। अंततः 2 दिसम्बर, 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। 9 दिसम्बर, 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान-सभा का सत्र डाक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। बाद में इसके अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो जाने के कारण 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और प्रथम मुख्य मंत्री श्री कृष्ण सिंह ने 15 अगस्त, 1947 को पदभार ग्रहण किया और बिहार के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय आरंभ हुआ। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ के एक राज्य में परिवर्तित हो गया और उसकी शासनविधि भी निर्धारित हो गयी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-4

ऐतिहासिक विविधा

स्थल एवं स्मारक

बिहार का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी सांस्कृतिक सम्पदा अत्यंत समृद्ध है। प्राचीन काल में अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ बिहार में घटीं और विराट साम्राज्यों का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्पत्ति-स्थल और सिक्खों के अंतिम गुरु की जन्म भूमि बिहार में है। प्राचीन और मध्यकाल में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा। आधुनिक काल में बिहार राष्ट्रीयं आंदोलन का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि बिहार के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का बाहुल्य हो। इन्हीं में से कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों और स्मारकों की चर्चा आगामी पृष्ठों में की गयी है।

गया—पटना से 92 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित गया, बिहार का प्राचीन नगर है जिसका विशेष धार्मिक महत्त्व है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर हिन्दुओं का पूज्य तीर्थस्थल है। इसका जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी के अंत में इन्दौर की रानी अहल्याबाई ने कराया था। इसी के निकट ब्रह्मायनीं पहाड़ी है जिसके नीचे अक्षयवट वृक्ष है। श्रद्धालु जन यहाँ पिंडदान करते हैं और फल्गु नदी में स्नान करके पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। एक अन्य तीर्थस्थल रामशिला पहाड़ी है जहाँ अनेक मंदिर स्थित हैं।

बौद्ध धर्म के भी महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल गया में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध ने बोधगया पहुँचने के पूर्व गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी के निकट तपस्या की थी। गया से 51 कि० मी० दूर **बराबर** गुफाएँ हैं जो भारत में बौद्ध गुफा-स्थापत्य का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका निर्माण तीसरी शताब्दी ई० पू० में हुआ था। यहाँ अशोक और उसके पुत्र के कुछ अभिलेख सुरक्षित हैं। इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय को दान किया गया था।

गया से कोई 20 कि० मी० की दूरी पर देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जहाँ हर वर्ष भव्य छठ पूजा सम्पन्न होती है।

चम्पा—वर्तमान भागलपुर के समीप स्थित चम्पानगर की पहचान प्राचीन कालीन चम्पा के रूप में की गयी है। छठी शताब्दी ई० पू० में उत्तरी भारत में संगठित होनेवाले प्रमुख राज्यों (जनपद) में अंग राज्य की राजधानी चम्पा थी। मगध द्वारा साम्राज्य-विस्तार के क्रम में जब बिम्बिसार ने अंग पर विजय प्राप्त की तो चम्पा का नगर भी मगध में सम्मिलित हो गया। इस नगर का संबंध बौद्ध और जैन धर्मों के विकास से रहा है। जैन तीर्थंकर वसूपूज्य का जन्म स्थान चम्पा को ही माना जाता है। बर्द्धमान महावीर ने इस क्षेत्र में कुछ समय निवास किया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

था। महात्मा बुद्ध द्वारा भी इस क्षेत्र में यात्रा करने के अनेक साक्ष्य हैं। इस नगर का व्यापारिक महत्त्व भी था। यहाँ रेशमी वस्त्र बड़ी मात्रा में बनाए जाते थे और इनका निर्यात होता था। गंगा नदी के समीप स्थित होने के कारण निर्यात आसान भी था। इस नगर की समृद्धि गुप्तोत्तर काल में नष्ट होने लगी थी और हर्ष कालीन चीनी यात्री युआन च्वांग के अनुसार यह नगर विनाशप्राय था। इस कथन की पुष्टि पुरातात्विक स्रोत भी करते हैं।

चम्पारण—भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चम्पारण एक महत्वपूर्ण प्रेरणा-स्रोत रहा। भारत में महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह का पहला सार्वजनिक प्रयोग इसी क्षेत्र में हुआ और एक राजनैतिक हथियार के रूप में इसकी उपयोगिता की पुष्टि भी हुई। चम्पारण सत्याग्रह का उद्देश्य इस क्षेत्र के किसानों को नील कोठियों के अंग्रेज मालिकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। अठारहवीं शताब्दी से ही अंग्रेज बिहार से नील का निर्यात काफी मात्रा में करने लगे थे। चम्पारण में स्थानीय किसानों को नील की खेती पर बाध्य करने के लिए अंग्रेज जमींदार उन्हें प्रति बीघा जमीन में तीन कट्ठा पर नील की खेती के लिए आदेश देते थे। इसे मानना अनिवार्य था। इसे **तीन-कठिया** व्यवस्था भी कहते थे। इसके कारण किसानों को क्षति होती थी और सामान्य रूप से यहाँ के किसान दरिद्रता का शिकार थे। 1916 में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस समस्या पर चर्चा के क्रम में बिहार से आये एक प्रतिनिधि, राजकुमार शुक्ला ने गाँधीजी से चम्पारण चलकर किसानों की दुर्दशा को देखने का आग्रह किया। गाँधीजी ने बिहार की यात्रा की। सरकार ने उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की और तिरहुत प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर ने गाँधीजी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। परंतु जन-उत्तेजना को देखते हुए भारत सरकार ने गाँधीजी की रिहाई का आदेश दिया और किसानों की असुविधाओं की जाँच के लिए **Champaran Agrarian Committee** का गठन किया, जिसमें गाँधीजी भी सदस्य बनाये गये। किसी जन-समस्या के निदान हेतु सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग भारत में सफल रहा। इस ऐतिहासिक घटना की याद में एक स्मारक भी मोतिहारी नगर में बना हुआ है।

चिरांद—सारन जिला में स्थित चिरांद, बिहार के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थलों में एक है। यहाँ नव-प्रस्तर युग और ताम्र-प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के औजार और हथियार, मिट्टी और हड्डी के बने हुए सामान और बर्तन हैं जो इस क्षेत्र में आदिमानव की गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

चुनार—वर्तमान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में स्थित चुनार का घनिष्ठ संबंध मध्यकालीन बिहार के इतिहास से रहा है। सोलहवीं शताब्दी में यह क्षेत्र बिहार पर नियंत्रण बनाने रखने के लिए महत्त्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि पश्चिम की ओर से बिहार में प्रवेश का मार्ग चुनार से नियंत्रित किया जा सकता था। गंगा नदी के समीप पहाड़ियों के ऊपर स्थित होने के कारण इस दुर्ग से जल एवं थल मार्ग दोनों पर नियंत्रण आसान था। मुग़ल-अफ़ग़ान सत्ता-संघर्ष के दिनों में शेरशाह ने 1530 में चुनार पर अधिकार किया। इसके लिए उसने ताज ख़ाँज की विधवा लाड मल्का से विवाह भी किया था। 1532 में हुमायूँ द्वारा चुनार पर अभियान विफल रहा। पुनः 1538 में शेरशाह से संघर्ष के क्रम में हुमायूँ ने चुनार को जीता मगर उसका अधिकार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अस्थायी रहा। चुनार पर मुगलों का पूर्ण नियंत्रण 1561 में अकबर के शासनकाल में ही संभव हो सका।

चुनार का दुर्ग अभी भी सुरक्षित अवस्था में है। इसमें निर्मित इमारतें भी सुरक्षित हैं। यह क्षेत्र पत्थरों की प्राप्ति के लिए भी महत्त्वपूर्ण है और यहाँ पर अभी सीमेन्ट उद्योग का भी विकास हुआ है।

चौसा—बिहार की पश्चिमी सीमा पर बक्सर के समीप, करमनासा नदी के किनारे स्थित चौसा, 1539 की ऐतिहासिक लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है जिसमें अफ़गान सरदार फ़रीद अथवा शेर ख़ाँ ने मुग़ल सम्राट हुमायूँ को पहली बार पराजित किया। भारत में मुग़लों की यह पहली और सबसे निर्णायक पराजय थी। हुमायूँ की हार से भारत में मुग़ल सत्ता को भीषण क्षति पहुँची और एक साल बाद कन्नौज (बिलग्राम) की लड़ाई (1540) में हुमायूँ की दुबारा पराजय के साथ मुगल साम्राज्य का (कुछ समय के लिए) भारत में अंत हो गया।

जगदीशपुर—आरा से लगभग 35 कि० मी० दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित जगदीशपुर 1857 के विप्लव के नायक, बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल है। इसी क्षेत्र से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा, जो लगभग एक साल तक चलता रहा। इसका प्रभाव निकटवर्ती उत्तर प्रदेश और नेपाल तराई के क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। बिहार में 1857 के संग्राम का एक गौरवपूर्ण अध्याय इस स्थान से जुड़ा हुआ है।

तेलियागढ़ी—राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी का पहाड़ी मार्ग, बिहार और बंगाल के बीच सम्पर्क का महत्वपूर्ण रास्ता था। बंगाल के सुल्तानों द्वारा इस क्षेत्र की क़िलेबन्दी के उपाय किये गये थे, किन्तु अब इनके अवशेष बाकी नहीं हैं। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी के रास्ते का ही उपयोग किया था।

नालंदा—नालंदा जिला में राजगीर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में नालंदा महाविद्यालय के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसकी सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्री अलेक्जैंडर कनिंघम ने की थी। इस क्षेत्र में उत्खनन का काम 1916 में स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में आरंभ हुआ। उत्खनन के क्रम में एक सुरक्षात्मक चारदीवारी से घिरे क्षेत्र में दस विहारों के अवशेष मिले जो भिक्षुओं के निवास के लिए थे। इनके सामने एक विशाल स्तूप था जिसके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र से गौतम बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो विभिन्न कालों से सम्बद्ध हैं और जो धातु, पत्थर या मिट्टी की बनी है।

नालंदा महाविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का अत्यंत विख्यात केन्द्र था जहाँ विदेशों से भी बड़ी संख्या में छात्र और भिक्षु आते थे। इनमें युआन च्वाँग एवं इत्सिंग (सातवीं शताब्दी) चीन से और लामा तारनाथ (नवीं) एवं धर्मस्वामिन् (तेरहवीं शताब्दी) तिब्बत से आये थे। इस विहार की स्थापना पाँचवीं शताब्दी ई० में कुमारगुप्त 1 द्वारा की गयी थी। अन्य गुप्त शासकों, विशेषकर बुद्धगुप्त द्वारा भी इसे अनुदान दिये गये। हर्षवर्द्धन के समय तक यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बन चुकी थी। यहाँ प्रवेश-परीक्षा ली जाती थी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही अध्ययन हेतु प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। पालवंशीय शासकों में धर्मपाल द्वारा अनेक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गाँव इस विहार को समर्पित करने की चर्चा मिलती है। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों और छात्रों में शीलभद्र, प्रभाकर मिश्र, वसुबंधु आदि के नाम आते हैं।

एक धारणा रही है कि बारहवीं शताब्दी में इब्ने बख़्त्यार खलजी के अभियानों के फलस्वरूप नालंदा महाविद्यालय का विनाश हुआ। यह गलत है। धर्मास्वामिन् के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इब्ने बख़्त्यार के अभियानों की समाप्ति के बहुत बाद तक यहाँ अध्ययन और शिक्षण का काम चलता रहा। वह उस समय इस विहार के प्रधानाचार्य की भी चर्चा करता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि इब्ने बख़्त्यार के सैनिक अभियान का मार्ग नालंदा से हटकर था। पाल वंश के पतन, तुर्कों की सत्ता की स्थापना और तदोपरान्त होनेवाले राजनैतिक एवं अन्य परिवर्तनों के फलस्वरूप नालंदा का क्रमिक पतन हुआ, ऐसा ही अधिक संभव प्रतीत होता है।

पाटलिपुत्र (अजीमाबाद / पटना)—वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है। यह नगर पांचवीं शताब्दी ई० पू० में मगध के शासक अज़ातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर से वज्जियों द्वारा आक्रामक कार्रवाई को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था और दक्षिण में पुनपुन नदी भी इसकी सुरक्षा में सहायक थी। आगे चलकर यही नगर वज्जियों पर आक्रमण का केन्द्र बना। मगध के विस्तार के फलस्वरूप राजगीर का नगर जब राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं रहा तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयिन् ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। कहा जाता है कि जब यह नगर बसाया जा रहा था तो महात्मा बुद्ध इधर से गुजरे और उन्होंने इस नगर के उत्कर्ष और गौरव की भविष्यवाणी की। परंतु यह भी कहा कि गृहकलह, अग्निकांड और बाढ़ से इस नगर का विनाश होगा। उनकी भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई। लगभग तीन शताब्दियों तक पाटलिपुत्र का नगर तीन साम्राज्यों (मगध, नंद और मौर्य) की राजधानी रहा। इसके गौरव की चर्चा यूनानी दूत मेगास्थनीज ने की है। वह इस नगर को पालिबोथ्रा कहता है और इसे समकालीन सूसा और एकबताना (ईरान के प्रसिद्ध नगर) से श्रेष्ठ बताता है। लगभग 185 ई० पू० में हिन्द-यूनानी शासक, डेमेट्रीयस के अभियान से पाटलिपुत्र का विनाश हुआ। इसी के साथ मौर्यवंश का भी अंत हुआ।

गुप्त साम्राज्य के अधीन चौथी शताब्दी ई० से पाटलिपुत्र का पुनरोद्धार हुआ। चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया, मगर चन्द्रगुप्त II द्वारा राजधानी उज्जयिनी में स्थानांतरित करने की चर्चा कुछ इतिहासकार करते हैं। कुछ इससे असहमत भी हैं। पाटलिपुत्र का गौरव इस काल में बना रहा है और समकालीन चीनी यात्री फाह्यान इसके भव्य और सुन्दर भवनों की प्रशंसा उन्मुक्त कंठ से करता है। गुप्त साम्राज्य के पतन और हूणों के आक्रमण के पश्चात इस नगर का अंततः पतन हो गया। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री युआन-च्वांग ने पाटलिपुत्र की नष्ट अवस्था का वर्णन भी किया है। प्राचीन काल गी गोधूली बेला में पाटलिपुत्र का गौरव भी लुप्त हो चुका था।

इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार और वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय महान अफगान शासक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शेरशाह को जाता है। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार 1541 में शेरशाह ने इस नगर के सामरिक महत्त्व और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक मजबूत किले का निर्माण यहाँ कराया। इस पर पाँच लाख रुपये खर्च हुए। यही नगर बिहार की राजधानी बनाया गया और तत्कालीन राजधानी बिहार (शरीफ) का महत्त्व अब घटने लगा। धीरे-धीरे पटना का महत्त्व बढ़ा और समृद्धि भी। 1574 तक अकबर ने पटना पर मुग़ल शासन स्थापित कर लिया था। 1580 में अकबर ने पटना में टक्साल या मुद्रालय का भी गठन किया। 1641 में मैनरीक नामक यात्री ने यहाँ की जनसंख्या दो लाख बताई है। नगर का पश्चिम की दिशा में विस्तार भी आरंभ हो चुका था और यूरोपीय कम्पनियाँ इस नगर से व्यापार में सक्रिय थीं। अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में औरंगजेब के पौत्र शाहज़ादा अज़ीम ने इस नगर का नव-निर्माण कराया जिस पर एक करोड़ रुपए खर्च हुए। उसने इस नगर का नाम अज़ीमाबाद रखा और इसे "द्वितीय देल्ली" बनाने का प्रयास किया। 1738-39 में नादिरशाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम के बाद कुछ समय के लिए अज़ीमाबाद का नगर ही उत्तरी भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक केन्द्र बन गया। मुगल साम्राज्य के पतनोपरान्त यह स्थिति बदली।

1912 में बिहार प्रांत के गठन के बाद पटना का पुनः विस्तार हुआ। पश्चिमी भाग में शासकीय क्षेत्र का विकास हुआ। दक्षिण, पश्चिम और पूरब, तीनों ही दिशाओं में यह नगर अब फैल चुका है। आधुनिक काल में यह नगर पटना के नाम से ही पुकारा गया। इसकी दो व्याख्याएँ मिलती हैं। एक तो इस नगर की देवी पटनदेवी है। उसी के नाम पर से यह नगर पटना कहलाया। दूसरे यह नगर एक व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था जो नदी के तट पर स्थित था। अतः यह एक प्रसिद्ध पत्तन था इसी से इसका नाम पटना पड़ा। इसके अतिरिक्त प्राचीनकाल में इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी रहा था।

पटना में ऐतिहासिक स्थल बिखरे पड़े हैं। सबसे पुराने अवशेष कुम्हरार में पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त बुलंदीबाग, अगमकुआँ, मंगलतालाब, दीदारगंज आदि से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री की प्राप्ति हुई है। कुम्हरार में 1813 में वैडेल, 1912–15 के बीच स्पूनर, 1951–55 के बीच अल्टेकर और मिश्र के नेतृत्व में खुदाई के काम हुए। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष हैं। मात्र एक विशाल कक्ष या hall के अवशेष प्राप्त हो सके हैं। इसकी विशेषता गोलाकार चिकने खम्भे (polished columns) हैं। इनके अनेक टुकड़े मिले हैं। कुषाण एवं गुप्तकालीन अवशेष भी यहाँ मिले हैं। सातवीं शताब्दी ई० के बाद के अवशेष उपलब्ध नहीं हुए हैं और इस आधार पर भी नगर के विनाश की बात की पुष्टि होती है। अन्य स्थानों पर प्राप्त सामग्री से प्राचीन पाटलिपुत्र के विस्तृत क्षेत्रफल का पता चलता है। नगर की सुरक्षा हेतु बनी दीवार के अवशेष पटना सिटी में मंगल तालाब तक पाये गये हैं। पटना सिटी के ही दीदारगंज मुहल्ले से मौर्यकालीन मूर्तिकला की अत्यन्त सुन्दर कलाकृति उपलब्ध हुई है। यह एक यक्षिणी की मूर्ति है। इसकी विशिष्टता पत्थर की चमकीली पॉलिश के रूप में देखी जा सकती है, जो मौर्यकालीन वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस मूर्ति का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय भारतोत्सवों में भी किया गया है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पटना के मध्यकालीन स्मारकों की एक विस्तृत सूची विख्यात इतिहासकार स्वर्गीय प्रो सैय्यद हसन अस्करी ने अपने एक लेख में प्रस्तुत की थी। उसी पर आधारित विवरण प्रस्तुत है। नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित माससलामी मुहल्ला, मुगलकाल में व्यापारिक सा या माल पर चुंगी (सलामी) की वसूली का केन्द्र था। इसके पूरब की ओर नगला का क्षेत्र सं अजातशत्रुकालीन पाटलीग्राम था जिसका पश्चिम की ओर विस्तार बाद के काल में हु इसके पश्चात नगर का किलेबंद क्षेत्र था जिसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ पूरब और प दरवाजा मुहल्लों के रूप में क्रमशः देखी जा सकती हैं। इसी पूर्वी सीमा के समीप मारू और मंसुरगंज के दो मुहल्ले हैं जो दो सुफियों के नाम से जुड़े हैं। पटना साहेब रेलवे स्टे के पश्चिमोत्तर में मुहल्ला धवलपुरा में दो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक हैं। एक शेरशा बनाई हुई मस्जिद (1541) और दूसरा एक मकबरा जो अवध के संस्थापक सादत खाँ के का है। मस्जिद अभी भी सुरक्षित है और आबाद है। रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर बेग मुहल्ला में हैबतजंग का मकबरा है जो हैदर अली का दामाद और नवाब सिराजुद्दौला का था। रूहेलों के उपद्रव में उसका वध हुआ था (1748)। धवलपुरा से पश्चिम की ओर चि घाट मुहल्ले में नवाब हैबतजंग का महल स्थित था जो चिहलस्तून कहलाता था। अब मक और महल दोनों ही नष्ट हो चुके हैं। चौक थाना के उत्तर में गंगा के किनारे नवाब सैफ द्वारा निर्मित मदरसा और मस्जिद की इमारतें स्थित थीं। सैफ खाँ, शाहजहाँ के काल में बि का प्रांतपति रहा। उसके द्वारा निर्मित मदरसा फारसी शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा जिसकी अठारहवीं शताब्दी के ईरानी यात्री और धर्माचार्य बहबहानी ने भी की है। अब मदरसे केवल अवशेष रह गये हैं परन्तु मस्जिद अभी भी आबाद है।

चौक से दक्षिण की ओर पटना सिटी स्कूल के समीप स्थित मंगल तालाब मूलतः मट्ठा की गढ़ी कहलाता था। 1876 में यहाँ पर मैक क्रिन्ड्ल द्वारा खुदाई कराई गयी और प्रा पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। तत्पश्चात् पटना के मजिस्ट्रेट मैंगेल्स ने इसके सौन्दर्यी के उपाय किये। उसी के नाम पर यह Mangles Tank कहलाया जो अब बदलकर मंगल ता हो गया है। चौक थाना के ही दक्षिण में अशोक राजपथ के दक्षिणी किनारे पर गुरुद्वारा हरिमंदिर स्थित है जो सिक्खों के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल पर बना गुरुद्वारा की वर्तमान इमारत लगभग 1957 में बनी परन्तु इस स्थान पर गुरुद्वारा मध्य से ही बना रहा है। सिक्खों का यह अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ के संग्रहालय में गोविंद जी से संबद्ध अनेक अवशेष सुरक्षित हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब की प्रति है जिसमें गुरु के हस्ताक्षर हैं। गुरुद्वारा के समीप ही ख़्वाजा अंबर की मस्जिद है जि निर्माण 1688-89 में शाईस्ता ख़ाँ के कार्यकाल में हुआ था।

सैफ़ ख़ाँ के मदरसे से दक्षिण पटना में पटना साहेब रेलवे स्टेशन तक का विस्तृ कलादारी महल का क्षेत्र था। पटना का दुर्ग और प्रशासनिक मुख्यालय यहीं स्थित था। भी इस क्षेत्र का कुछ भाग किला के नाम से जाना जाता है। यह मदरसे से पूरब की ओर जालान परिवार का निवास स्थान है जो किला कोठी कहलाता है। दीवान बहादुर राध

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जालान द्वारा संगठित एक निजी संग्रहालय अभी भी किला कोठी में देखा जा सकता है, जिसमें कुछ मूल्यवान ऐतिहासिक वस्तुएँ सुरक्षित हैं। कलादारी क्षेत्र का ही एक अंग पटना साहेब रेलवे स्टेशन के समीप कैवाँ शिकोह मुहल्ला था जो अब कौवाखो कहलाता है। आरंभिक मुगल प्रांतपतियों जैसे राजकुमार परवेज़ और अज़ीम के महल इसी क्षेत्र में स्थित थे मगर अब इनके कोई अवशेष बचे नहीं हैं। इसी के समीप नेपाली कोठी स्थित है। यह एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हार्डी का निवास था जिसे 1781 में उसने नेपाल सरकार को बेच दिया। नेपाल से तीर्थ यात्रा हेतु गया, बौद्ध गया आदि जानेवाले यात्रियों के लिए यह एक विश्राम गृह था।

चौक से पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर महाराज घाट है। यहाँ राजा राम नारायण का निवास था जो 1756-61 के बीच बिहार के उप-प्रांतपति रहे। इसके अवशेष सुरक्षित हैं। इसी के समीप दो सूफ़ी संतों, ताज और मंगन के मज़ार हैं और इनके प्रांगण में औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिद। यह अभी भी सुरक्षित है। इससे पश्चिम की ओर अशोक राजपथ के किनारे ही पटना की सबसे पुरानी मस्जिद स्थित है। 1489 में इसका निर्माण बंगाल के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कराया था। इससे पश्चिमोत्तर में खाजेकलाँ घाट स्थित है जहाँ पर मुग़लकालीन मुद्रालय या टक्साल स्थित था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के दिनों तक यहाँ सिक्के बनाने का काम होता रहा। इससे दक्षिण की ओर मुग़लकालीन न्यायिक अधिकारी सद्र-उस्-सुदूर की अदालत और आवास था। अदालत की इमारत में लगा अभिलेख अब ख़ाज़ेकलाँ थाना की दीवार पर लगा है। इसी के समीप सदर गली है जहाँ सद्र का निवास स्थल था।

खाजाकलाँ से पश्चिम की ओर पटना का सबसे पुराना चर्च स्थित है। यह मुहल्ला अभी भी पादरी की हवेली कहलाता है। इस चर्च का निर्माण 1772 में फादर जोसेफ द्वारा आरंभ हुआ और यहाँ ईसाई धर्म-प्रचारकों और यात्रियों के निवास की सुविधा भी थी। इसी के एक भाग में अभी मदर टेरेसा की संस्था सिस्टर्ज ऑफ चैरिटी का कार्यालय है। यह स्थान 1857 के विप्लव का एक महत्वपूर्ण घटनास्थल रहा। 3 जुलाई 1857 को पटना में विप्लव का विस्फोट हुआ। इसका नेतृत्व पीर अली ने ग्रहण किया जो समीपवर्ती गुरहट्टा मुहल्ले में किताब की दुकान रखते थे। उत्साहित विप्लवियों ने चौक तक अपना कब्जा बना लिया और जब अंग्रेज अधिकारी लायल द्वारा उनके दमन के उपाय किये गये तो इन्होंने लायल का वध कर दिया। बाद में सरकारी कारवाई द्वारा इस विप्लव को शांत किया गया। पीर अली बंदी बना लिये गये और पटना के कमिश्नर टेलर के आदेश पर उन्हें उसी के छज्जूबाग स्थित निवास में फाँसी दी गयी। चर्च से पश्चिम की ओर ईसाईयों का कब्रिस्तान है। इसमें एक ऊँचा स्तंभ बना है जो उन 47 अंग्रेज अधिकारियों की यादगार है जिन्हें 1763 में नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के क्रम में नवाब के फ्रांसिसी सेनानायक सोमरू के आदेश पर मार डाला गया था। स्मारकीय-स्तंभ का निर्माण 1880 में हुआ था। इस कब्रिस्तान के पश्चिम में पटना सिटी अस्पताल के सामने नवाब मुनीरूदौला का मकबरा एक खुले मैदान में स्थित है। क्लाईव को दीवानी का अधिकार दिलाने में मुनीरूद्दौला का भी योगदान रहा था। कुछ दूर पश्चिम की ओर गुज़री मुहल्ला है जहाँ 1616 में निर्मित मिर्ज़ा मासूम की मस्जिद अभी भी सुरक्षित है। शहर की पश्चिमी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सीमा अंकित करनेवाला पश्चिम दरवाजा था। इसका एक स्तंभ अभी भी सुरक्षित है और इसी वर्ष सरकार ने इसकी सफाई और सुरक्षा के उपाय किए हैं। वर्तमान स्तंभ पटना में कमिश्नर मेटकॉफ (1820-24) द्वारा निर्मित कराया गया था। पश्चिम दरवाजा से कुछ आगे पश्चिम की ओर सादिकपुर मुहल्ला है जो अंग्रेजों के विरुद्ध वहाबी आन्दोलन का केन्द्र रहा।

यहाँ से पश्चिम की ओर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की जो आगे चलकर अफीम के व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनी। अंग्रेजों और डच लोगों ने सर्वप्रथम वर्तमान आलमगंज क्षेत्र में अपनी फैक्ट्रियाँ या व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये थे लेकिन यह फैक्ट्रियाँ अधिक दिनों तक कार्यरत नहीं रह सकीं। बाद में अंग्रेजों ने गुलजारबाग के निकट अपनी नई फैक्ट्री स्थापित की। इसी प्रांगण में अब राजकीय मुद्रणालय एवं भूसर्वेक्षण कार्यालय स्थित है। मुगल सम्राट शाह आलम II का राज्याभिषेक इसी इमारत में हुआ था। इससे पश्चिम में गुलजारबाग है। इसे मीर कासिम के भाई गुलजार अली ने बसाया था। इसी के दक्षिण में शाईस्ता खाँ द्वारा निर्मित ईदगाह स्थित है। गुलजारबाग के दक्षिण में पटनदेवी का मंदिर है जो पटना नगर की संरक्षिका देवी मानी जाती हैं। मंदिर की वर्तमान इमारत मुगल प्रांतपति राजा मान सिंह द्वारा अपने कार्यकाल (1587-94) में बनवाई गयी। पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर गंगा नदी पर बने महात्मा गाँधी सेतु के निकट एक सिक्ख गुरुद्वारा है। इसी स्थान पर गुरु तेगबहादुर के पटना आगमन पर उनके शिष्यों ने उनका सेवा-सत्कार किया था। लगभग दो किलोमीटर पश्चिम की ओर सड़क के उत्तरी किनारे पर पत्थर की मस्जिद स्थित है जिसका निर्माण जहाँगीर के पुत्र राजकुमार परवेज के आदेश पर नज़र खाँ ने 1626-27 में कराया था। इससे दक्षिण की ओर दरगाह शाह अर्ज़ानी स्थित है। शाह अर्ज़ान जहाँगीर के समकालीन थे जो पटना में आकर बसे। इनका निधन 1618-19 में हुआ। इनका मज़ार दरगाह के प्रांगण में स्थित है।

लगभग तीन किलोमीटर पश्चिम मुरादपुर का मुहल्ला है जो अभी भी प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। इसे जहाँगीर के प्रांतपति मिर्ज़ा मुराद के नाम पर पुकारा जाता है जिसकी कब्र पटना मेडिकल कॉलेज हास्पिटल के प्रांगण में स्थित है। इससे लगभग $1^1/_2$ किलोमीटर पश्चिम में गोलघर स्थित है जिसका निर्माण कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा 1786 में हुआ। इसका उपयोग अनाज रखने के गोदाम के रूप में होना था मगर दरवाजों की गलत बनावट के कारण ऐसा नहीं हो सका। बाद में इस कमी को दूर किया गया। 96 फीट ऊँची इस इमारत से नगर का दृश्य देखा जा सकता है। इससे कुछ पश्चिम की ओर गंगा के किनारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की समाधि स्थित है।

1912 में बिहार प्रांत के गठन और पटना को राज़धानी बनाये जाने के पश्चात प्रशासकीय क्षेत्र या नवीन राजधानी के विकास के क्रम में राजभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधान मंडल की इमारतों का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विधानमंडल भवन के प्रवेश द्वार के सामने 1942 के भारत छोड़ों आन्दोलन में अपने प्राण निछावर करनेवाले सात नवयुवकों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध एक और महत्वपूर्ण स्मारक सदाकत आश्रम है। इसे मौलाना मजहरूल हक द्वारा 1912 में असहयोग आन्दोलन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के क्रम में समर्पित किया गया। यह बिहार विद्यापीठ का मुख्यालय रहा और बाद में बिहार में काँग्रेस दल का मुख्यालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद अवकाश-प्राप्ति के बाद यहीं रहा करते थे।

पावापुरी—नालंदा जिला में स्थित पावापुरी जैन धर्मावलम्बियों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थल है। जैन स्रोतों के अनुसार वर्धमान महावीर ने यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं उनका निधन भी हुआ था। इस स्थान पर निर्मित जलमंदिर, संगमरमर की एक सुंदर इमारत है जो झील के मध्य स्थित है।

बक्सर—बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित बक्सर, भारत में ब्रिटिश सत्ता के उत्कर्ष के इतिहास का साक्षी रहा। 1764 में तीन भारतीय शासकों, मुगल सम्राट शाह आलम II, अवध के नवाब शुजा-उद्-दौला और बंगाल के विस्थापित नवाब मीर कासिम एवं इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच यहाँ एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों की विजय ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया।

बिहारशरीफ—नालंदा जिला में स्थित यह नगर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। आठवीं शताब्दी ई० में यहाँ पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा एक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया जो ओदंतपुरी महाविहार कहलाया। बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र के रूप में इसे ख्याति प्राप्त रही। बारहवीं शताब्दी के अंत में (लगभग 1198 में) इब्ने बखत्यार खल्जी के नेतृत्व में हुए तुर्कों के अभियान में ओदंतपुरी महाविहार नष्ट हुआ और इस स्थान पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इसके आसपास में फैले विहारों के कारण तुर्कों ने इसे **अर्ज़े बिहार** या विहारों की भूमि कहा। इसी से यह नगर बिहार कहलाया। तुर्क शासन काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा। इसी के नाम पर सारा इक्ता (प्रशासनिक क्षेत्र) बिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1541 ई० में शेरशाह द्वारा राजधानी पटना में स्थानांतरित करने के बाद बिहार शरीफ का महत्व कम हुआ। यहाँ के विभिन्न स्मारकों में मलिक इब्राहिम (मलिक बया) का मकबरा और प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शर्फूद्दीन यहया मनेरी की दरगाह प्रमुख हैं। कुछ बौद्ध विहारों के बिखरे अवशेष भी इस नगर में देखे जा सकते हैं।

बोधगया—गया नगर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में फल्गू (निरंजन) नदी के किनारे स्थित बोधगया, बौद्ध मतावलंबियों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल है। महात्मा बुद्ध को यहीं महाबोधी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान उरवेला भी कहा जाता था। अशोक के शिलालेख VIII के अनुसार अपने शासन के दसवें वर्ष में अशोक ने इस तीर्थ की यात्रा की और यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया। इस स्थान पर कुषाण शासनकाल और फिर गुप्तकाल में भी निर्माण कार्य हुआ। समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन द्वारा यहाँ एक विहार का निर्माण कराया गया। हर्ष के समकालिक बंगाल के शासक शशांक ने अपनी धर्मान्धता में इन धार्मिक स्थानों को नष्ट कर दिया और बोधी वृक्ष को भी क्षति पहुँचाई। पाल शासकों के अधीन इन धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी में भी इनका जीर्णोद्धार कराया गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस प्रांगण में अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं। महाबोधी वृक्ष अपने-आप में 2500 साल पुराना है और विश्व के प्राचीनतम वृक्षों में एक है। इसकी एक शाखा श्रीलंका के शासक तिस्सा को अशोक द्वारा भेजी गयी थी जो आज भी वहाँ वृक्ष के रूप में सुरक्षित है। अन्य स्मारकों में वज्रासन, अनिमेषलोचन स्तूप, चक्रमण और रत्नागर चैत्य प्रमुख हैं। नए स्मारकों में 1945 में बना चीनी मंदिर, 1938 में बना तिब्बती मंदिर, थाई मंदिर आदि हैं। इसी स्थल पर निर्मित संग्रहालय में महात्मा बुद्ध से संबंधित विभिन्न अवशेष सुरक्षित हैं।

बराबर गुफाएँ—गया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बराबर पहाड़ियों के बीच बनी गुफाएँ ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाएँ मौर्यकालीन हैं और इन पर अशोकालीन अभिलेख अंकित हैं। इन्हें सम्राट अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया गया था। गुफा-विहारों की श्रृंखला में यह प्राचीनतम हैं। यहाँ पर अशोक के तीन और उसके पुत्र दशरथ के तीन लघु शिलालेख सुरक्षित हैं। बराबर की गुफाओं में करण चौपर, सुदामा, लोमग ऋषि और विश्व झोपरी प्रमुख हैं।

मनेर—पटना से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मनेर का छोटा नगर मध्यकालीन बिहार में सूफियों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। बारहवीं शताब्दी से ही यहाँ सूफी सन्तों के क्रियाकलापों के वर्णन मिलते हैं। यहाँ पर मखदूम यहया मनेरी का मज़ार, बड़ी दरगाह में अन्य सूफी संतों के मज़ार के साथ स्थित है। छोटी दरगाह में शाह दौलत का मजार है जो मखदूम साहब के वंशजों में थे। जहाँगीर के द्वारा नियुक्त मुगल प्रांतपति इब्राहीम खाँ काकर ने यहाँ पर एक भव्य मकबरा बनवाया जो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीनकाल में भी यह स्थान विद्या का प्रमुख केन्द्र रहा। कहा जाता है कि प्रसिद्ध व्याकरणशास्त्री पाणिनी यहाँ रहता था।

मंदारगिरी—भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह पहाड़ी 700 फीट ऊँची और लगभग 5 किलोमीटर पर फैली है। इस पहाड़ी पर दो प्राचीन मंदिर और कई गुफाएं हैं। यहाँ से काफी संख्या में हिन्दु और बौद्ध देवीं-देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

मुंगेर—मुंगेर का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसका महत्त्व पूर्व मध्यकाल में बहुत अधिक बढ़ गया जब इसे पाल शासक देवपाल ने अपनी राजधानी बनाया। सल्तनतकाल में तुगलक शासकों का मुंगेर पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तत्पश्चात बंगाल और जौनपुर के सुल्तानों का इस पर नियंत्रण रहा। 1533-34 के लगभग इस पर शेरशाह ने अधिकार किया और 156[illegible] में अंततः यह अकबर द्वारा जीत कर मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया।

नवाब मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों की सत्ता का विरोध जब 1763 में आरंभ हुआ तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रह सके। कुछ समय के लिए वह मुंगेर में रहा। उसके द्वारा मुंगेर के किले का जीर्णोद्धार हुआ जिसका निर्माण अकबर द्वारा बिहार विजय के पश्चात कराया गया था। इसमें विस्तार कार्य शाहजहाँ के पुत्र सुल्तान शुजा द्वारा भी कराया गया था। इसके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों के दबाव के कारण मीर कासिम को अंततः मुंगेर से पलायन करना पड़ा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसके बाद ही 1764 में बक्सर का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। मुंगेर का ऐतिहासिक महत्त्व मुगलकाल में बहुत अधिक रहा और अग्नि अस्त्रों के निर्माण का यह एक प्रमुख केन्द्र रहा।

ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद मुंगेर ब्रिटिश सेना की छावनी के रूप में रहा। मगर कुछ ही समय बाद यहाँ के अंग्रेज सैनिकों ने वेतन और भत्ते की माँगों को लेकर विद्रोह किया जिसे 'श्वेत सैनिक-विद्रोह' भी कहते हैं। इसी के बाद अंग्रेजों ने छावनी को भंग कर दिया और मुंगेर का महत्त्व घटने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईरानी यात्री, बहबहानी ने मुंगेर के पतनशील अवस्था में पाया था।

राजगीर—बिहार के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थलों में राजगीर एक है। महाभारत के अनुसार यह मगध के शासक जरासंध की राजधानी थी जिसे भीम ने द्वंद-युद्ध में श्रीकृष्ण की सहायता से मारा था। राजगीर के ऐतिहासिक स्थलों में जरासंध का अखाड़ा शामिल है जो पहाड़ी पर स्थित है। राजगीर का वास्तविक उत्कर्ष बिम्बिसार के समय में हुआ जिसने इसे मगध के विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। पांचवीं शताब्दी ई०.पू० में उदयिन् द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किये जाने के बाद राजगीर की अवनति आरंभ हुई। राजगीर की सुरक्षा हेतु निर्मित विशाल दीवार के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं।

राजगीर का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। महात्मा बुद्ध का यहाँ निवास रहा। गृध्रकूट पर्वत पर उन्होंने अपने समकालीन मगध नरेश बिम्बिसार को बौद्ध-धर्म में दीक्षा दी। इस स्थान पर निर्मित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। यहाँ पर निर्मित रज्जूमार्ग (aerial ropeway) एक प्रमुख आकर्षण है। महात्मा बुद्ध के निधन के बाद 483 ई० पू० में अजातशत्रु के शासनकाल में यहाँ सप्तपर्नी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जीवकाम्रवण है। जीवक, सम्राट बिम्बिसार एवं अजातशत्रु का चिकित्सक था, जिसने महात्मा बुद्ध का भी उपचार किया था। एक अन्य ऐतिहासिक स्थल सोनभंडार गुफाएँ हैं जो संभवतः मौर्यकालीन हैं। इन्हें जैन भिक्षुओं को निवास-हेतु अनुदान में दिया गया था। परवर्ती स्थलों में गुप्तकालीन मनियार मठ है जो संभवतः सर्प-पूजा के संस्कार से जुड़ा है। अन्य स्मारकों में बिम्बिसार की जेल की चर्चा की जा सकती है। अजातशत्रु ने अपने पिता को यहीं बन्दी बनाकर रखा था। मध्यकालीन प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शर्फुद्दीन यहया मनेरी भी राजगीर में धार्मिक साधना के लिए रहे। उनका हुजरा (प्रार्थना करने की गुफा) और उसके समीप कुण्ड अभी भी देखे जा सकते हैं।

राजगीर में गर्म पानी के अनेक कुण्ड हैं और लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आते हैं। अतीत में राजगीर का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक था। बौद्ध-स्रोतों में इस नगर को अनेक शिल्प और उद्योगों का केन्द्र बताया गया है। महावस्तु में इसे 36 शिल्पों का केन्द्र कहा गया है।

राजमहल—बिहार की पूर्वी सीमा पर, गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित, राजमहल का नगर बंगाल के मध्यकालीन सुल्तानों का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर था। इसे अगनगर भी कहते थे। मुगलकाल में राजा मान सिंह ने इसे 1592 में बिहार और बंगाल की राजधानी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बनाया। 1660 तक इसकी यह स्थिति बनी रही। यहाँ पर राजा मान सिंह द्वारा बनवायी अनेक इमारतें सुरक्षित हैं। बंगाल के नवाबों के समय तक यह एक महत्वपूर्ण नगर था। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद इसका पतन हो गया।

रामपूर्वा—बिहार-नेपाल सीमा के निकट स्थित रामपूर्वा से दो अशोक स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनके पत्थर की चमक विशेष आकर्षण रखती है। इन खम्भों के शीशभाग पर पशुओं की आकृतियाँ हैं, एक पर सिंह और एक पर सांड। इन स्तंभों पर कोई अभिलेख नहीं है।

रोहतासगढ़—बिहार के मध्यकालीन स्मारकों में रोहतासगढ़ का विशेष महत्व है। यह स्थानीय चेरो शासकों के अधीन था। इस पर शेरशाह ने अधिकार किया जब वह बिहार में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहा था। शेरशाह ने हुमायूँ के साथ संघर्ष और उसके पूर्व बंगाल के सफल अभियान के क्रम में रोहतास के दुर्ग को ही बंगाल से प्राप्त धन को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया था। शेरशाह के राजनैतिक उत्कर्ष में रोहतास के दुर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस क्षेत्र में मुगल सत्ता की स्थापना के साथ ही रोहतासगढ़ मुगलों का एक महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्र बना। किले के क्षेत्र में अकबरकालीन गवर्नर राजा मान सिंह द्वारा बनवायी हवेली, मंदिर और अन्य स्मारक अभी भी सुरक्षित हैं। रोहतास में अनेक मंदिर भी स्थित जिनमें रोहतासन मंदिर, हरीशचन्द्र मंदिर, गणेश मंदिर और महादेव मंदिर प्रमुख हैं।

लौरिया-नंदनगढ़ एवं लौरिया-अरेराज —पश्चिमी चम्पारण जिला में स्थित, लौरिया नंदनगढ़ का स्थान अशोक के स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के प्रथम छः स्तम्भ लेख बिहार में लौरीया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपूर्वा से प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तंभलेख में धम्म के प्रति अपनी निष्ठा, दूसरे स्तंभलेख में धम्म के गुणों, तीसरे स्तंभलेख में प्रजा को अपनी अच्छाईयों और बुराइयों की चेतना रखने, चौथे स्तंभ लेख में राजूक नामक अधिकारियों के कार्यों, पांचवें स्तंभ लेख में पशु-पक्षी वध को नियंत्रित करने और छठे स्तंभ लेख में धम्म प्रचार हेतु उपाय और सभी धर्मों के प्रति अपनी श्रद्धा का उल्लेख अशोक ने किया है।

उत्खनन के क्रम में यहाँ एक बौद्ध-स्तूप, सिक्के और अनेक मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकाल में संभवतः यहाँ एक मुद्रालय भी था। गुप्तोत्तरकाल में इस नगर की समृद्धि का अंत हुआ।

विक्रमशिला—भागलपुर के समीप विक्रमशिला का नगर पाल युग में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र रहा था। इसके अवशेष अंतीचक में प्राप्त हुए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गयी थी। यह एक आवासीय शिक्षा केन्द्र था जिसकी सहायता के लिए समीपवर्ती गाँव अनुदान स्वरूप दिये गये थे। तुर्कों के आगमन के पश्चात इसका पतन हुआ।

वैशाली—प्राचीन वैशाली के अवशेष वर्तमान वैशाली जिला के बसाढ़ गाँव में पाये गये हैं। छठी शताब्दी ई० पू० से लगभग छठी शताब्दी ईसवी तक यह एक समृद्ध नगर रहा। वज्जि गणराज्य के शक्तिशाली सदस्य लिच्छवियों द्वारा वैशाली का विकास हुआ। अजातशत्रु के द्वारा मगध-साम्राज्य के विस्तार के क्रम में इसका महत्व घटा। गुप्त साम्राज्य के अधीन यह पुनः

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रांतीय राजधानी बनी।

वैशाली की चर्चा बौद्ध एवं जैन साहित्य में विस्तृत रूप में हुई है। महावीर का जन्म स्थान कुण्डग्राम वैशाली के समीप था। अतः जैन मतावलंबियों के लिए यह अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है। गौतम बुद्ध अपने उपदेशों के प्रचार हेतु इस नगर में आये। यहाँ की राजनर्तकी आम्रपाली (अंबपाली) के संबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभावाधीन उसने भी बौद्धमत का आलिंगन किया था। पाँचवीं शताब्दी के चीनी यात्री फाहियान ने महात्मा बुद्ध के लिए आम्रपाली द्वारा निर्मित मीनार की चर्चा की है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन चौथी शताब्दी ई० पू० में हुआ जिसमें महायान और हीनयान के सिद्धान्तों का अंतर स्पष्ट हुआ। वैशाली स्थित अन्य स्मारकों में राजा विशाल का गढ़, अशोक स्तंभ, मीरांजी की दरगाह, बौद्ध स्तूप आदि प्रमुख हैं।

सहसराम—रोहतास जिला में स्थित सहसराम के नगर को विशिष्ट महत्व शेरशाह के कारण प्राप्त रहा है। इसी क्षेत्र में, जो उसके पिता हसन खाँ सूर की जागीर में शामिल था, शेरशाह का आरंभिक जीवन बीता। यहीं उसने अपने लगान-संबंधी सुधारों का प्रारूप तैयार किया। इस नगर का मुख्य आकर्षण शेरशाह का मकबरा है जो अफगान स्थापत्य शैली का भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अष्टकोणी मकबरों का यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो एक झील के मध्य में निर्मित है। इसी का पूर्वरूप शेरशाह के पिता हसन खाँ सूर के मकबरे में देखा जा सकता है जो इसी मकबरे से कुछ दूरी पर स्थित है। एक अंतिम प्रयास शेरशाह के पुत्र इस्लामशाह के मकबरे में देखा जा सकता है जो अधूरा ही रह गया क्योंकि सूरवंश का पतन इस्लामशाह की मृत्यु के तुरंत बाद हो गया।

सहसराम में ही अशोक के लघु शिलालेख की प्राप्ति चंदनपीर पहाड़ी से हुई है। इसमें अशोक द्वारा धम्म-यात्राओं की विस्तृत चर्चा मिलती है।

सूरजगढ़ा—मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित सूरजगढ़ा का छोटा नगर शेरशाह के राजनैतिक उत्कर्ष से जुड़ा है। 1536 में यहीं एक निर्णायक युद्ध में शेरशाह ने अपने प्रतिद्वन्द्वी नूहानी पठान सरदारों और उनकी सहायता कर रही बंगाल की सेना को पराजित कर बिहार में अपने राजनैतिक वर्चस्व को सुरक्षित कर लिया था। इसी युद्ध से उसके बंगाल-अभियान और तत्पश्चात हूमायूँ के साथ निर्णायक संघर्ष की भूमिका बनी।

ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों में चम्पारण स्थित केसरिया अशोक के स्तूप के अवशेष के लिए, कहलगाँव बरारी गुफाओं और गुफा-मंदिर के लिए, सुल्तानगंज अपनी प्रसिद्ध शिला (जहाँगीर कालीन) के लिए प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त मंडार पर्वत, सिमराँवगढ़ (कर्नाट शासकों की राजधानी, जो नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है) आदि की भी चर्चा की जा सकती है। इन ऐतिहासिक स्मारकों में अधिकतर की सुरक्षा के लिए अभी तक किये गये उपाय अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनकी सुरक्षा और जीर्णोद्धार के लिए व्यापक उपाय किये जाये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विदेशी-यात्री

प्राचीन काल से ही बिहार में विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है। इनमें अनेक ने अपनी यात्रा के वृत्तान्त भी लिखे जिनमें बिहार की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। इन यात्रियों में कुछ राजदूत थे, कुछ विद्वान, कुछ भ्रमणकर्ता और कुछ व्यापारी। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण यात्रियों का संक्षिप्त परिचय और उनके विवरण के कुछ अंश अग्रलिखित पृष्ठों में प्रस्तुत है।

मेगास्थनीज—चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का यह दूत 315 ई० में आया था। उसने अपने अनुभव, अपनी रचना इंडिका में प्रस्तुत किये हैं। उसकी रचना तो उपलब्ध नहीं मगर उसके उद्धरण परवर्ती इतिहासकारों की रचनाओं में सुरक्षित हैं। इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को "पालिम्बोथ्रा" कहकर पुकारा है। इसके अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा शहर था जो 80 स्टेडिया ($9^{1}/_{2}$ मील) लम्बा और 15 स्टेडिया ($1^{3}/_{4}$ मील) चौड़ा था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। उसके अनुसार यह सूसा और एकबताना के नगरों से सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई थी और एक सुरक्षात्मक दीवार जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनार थे। नगर प्रशासन की देख-रेख 30 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा की जाती थी। यह बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। पहली समिति कारीगरों और शिल्पकारों की निगरानी करती थी, दूसरी विदेशियों की देख-रेख, तीसरी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, चौथी वाणिज्य-व्यापार और माप-तौल की पद्धति की देख-रेख, पाँचवीं कारीगरों द्वारा उत्पादित माल का विक्रय और छठी व्यापार-संबंधी चुंगी की वसूली करती थी। इसके अतिरिक्त, इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि की भी देखरेख करते थे। यह सदस्य अष्टनोमई कहे जाते थे।

डिमॉक्लिस—चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में डिमॉक्लिस, हिन्द यूनानी शासकों के दूत के रूप में डिमॉक्लिस कार्यरत रहा था। उसके द्वारा कोई वृतान्त नहीं छोड़ा गया है, किन्तु पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिन्द यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी बन रहे थे।

फाहियान—यह चीनी यात्री 399 ई० में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया और 411 ई० तक यहाँ रहा। अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह वैशाली और पाटलिपुत्र भी आया। पाटलिपुत्र में वह तीन वर्षों तक रहा। उसके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान सम्प्रदाय के दो भव्य बौद्ध विहार थे जहाँ 600 से 700 भिक्षु निवास करते थे। इनकी विद्वता के कारण विदेशों से भी लोग इनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसने अशोक के राजप्रसाद को भी देखा जिसकी सुंदरता और भव्यता से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसके अनुसार यह मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रतीत नहीं होता था।

मगध का राज्य संपन्न और समृद्ध था। यहाँ के निवासी सौहार्दता और उदारता का आचरण

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

करते थे और उनका नैतिक जीवन उत्तम था। धर्म के प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी जिसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की आठवीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्वों की शोभायात्रा बीस रथों में सजाकर निकाली जाती थी। प्रजा सुखी और सम्पन्न थी। दान और कल्याणकारी कार्य में नगर के धनी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। रोगियों के उपचार के लिए अस्पताल, यात्रियों के लिए विश्रामगृह, आदि की व्यापक व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र के चिकित्सक सुविख्यात थे और अन्य नगरों से भी लोग यहाँ उपचार के लिए आते थे। फाहियान ने नालंदा महाविहार की भी यात्रा की और राजगीर भी गया जहाँ गृध्रकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फूट-फूटकर रो पड़ा।

युआन-च्वांग —हर्षवर्द्धन का समकालीन चीनी यात्री लगभग 14 वर्ष (630-644 ई०) भारत में रहा। उसका यात्रा वृत्तांत "सी-यू-की" कहलाता है। युआन च्वांग ने प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्रों की यात्रा की। उसने सामान्य रूप से भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की चर्चा की है और हर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की हैं। वह नालंदा महाविहार में कुछ समय रहा और यहाँ का विस्तृत वर्णन उसने किया है। उसके अनुसार यह महाविहार उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। यहाँ विदेशों से भी शिक्षार्थी आते रहते थे। उस समय इस महाविहार में 8,500 छात्र और 1,510 आचार्य थे। हर्ष ने इस महाविहार की देख-रेख के लिए उदारतापूर्वक अनुदान भी दिये थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय में प्रवेश कठिन था। आगंतुकों को पहले द्वारपंडित से साक्षात्कार करना पड़ता था। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकता था। उसके विवरण से पाटलिपुत्र की विनाशप्राय स्थिति की जानकारी भी मिलती है। जहाँ उसने कन्नौज के गौरव का उल्लेख किया है वहीं पाटलिपुत्र को उसने मात्र कुछ ग्रामों के समूह के रूप में पाया।

ई-त्सिंग —सातवीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री ई-त्सिंग 673 ई० में भारत आया और उसने 692 ई० तक यहाँ निवास किया। उसने नालंदा के महाविहार में शिक्षा ग्रहण की। उसके अनुसार उस समय यहाँ 5000 भिक्षु निवास करते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है।

धर्मास्वामिन्—तेरहवीं शताब्दी में यह विद्वान नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने आया। उसके अनुसार यहाँ पर यदा-कदा तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे मगर महाविहार अभी भी सक्रिय अवस्था में था। यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि इब्ने बख्त्यार खलजी के आक्रमण (1197-98) में नालंदा महाविहार का विनाश नहीं हुआ था।

मुल्ला तकीया—अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकीया नामक यात्री ने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की और इस क्षेत्र का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। इसकी उपयोगिता सल्तनतकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन-स्रोत के रूप में है, परंतु इसकी पूर्ण प्रति अब सुरक्षित नहीं रही है। केवल इसके कुछ अंश, जो उर्दू में अनुवादित हैं और प्रकाशित हो चुके

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं, अब उपलब्ध है। इनमें उत्तर बिहार, खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा

अब्दुल लतीफ—सत्रहवीं शताब्दी का यह ईरानी यात्री बिहार के क्षेत्र में 1600 ई० लगभग आया। उसने गंगा नदी के मार्ग से आगरा से राजमहल तक यात्रा की। उसने चौ सहसराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का विस्तार से वर्णन किया है। अधिकतर उसने न प्रमुख इमारतों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा की है। उसका भी वृत्तांत अब उप नहीं है, परंतु उसका कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित है और प्रकाशित हो चुका है।

मोहम्मद सादिक—सत्रहवीं शताब्दी में एक दूसरा ईरानी यात्री, मोहम्मद सादिक भी बि आया। 1619-20 ई० में उसका पिता दीवाने खालिसा नियुक्त होकर पटना आया। उसी साथ मोहम्मद सादिक भी पटना में कई वर्षों तक रहा। उसने पटना शहर की सुंदरता गौरव गाथा का वर्णन किया है और यहाँ के सुप्रसिद्ध विद्वानों की चर्चा की है। उसका वृ "सुबहे सादिक" के नाम से जाना जाता है।

मुल्ला बहबहानी—यह ईरानी धर्माचार्य उन्नीसवीं शताब्दी में बिहार में कई बार आ उसने मुर्शिदाबाद से राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सहसराम की यात्रा की। इन न की स्थिति के बारे में, यहाँ के शिल्प-उद्योग, व्यापार, सराय की व्यवस्था आदि का उसने उ किया है। पटना नगर के धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन का उसने विस्तारपूर्वक व किया है। वह इस नगर को "जन्नतुल हिन्दु" या भारत का स्वर्ग कहता है।

राजकुमार अज़ीम द्वारा नगर के नवनिर्माण और अज़ीमाबाद नामकरण की भी वह उ करता है। पटना में स्थित सैफ़ खाँ के मदरसे और वहाँ के प्रधानाचार्य की वह चर्चा क है। उसके अनुसार इस आचार्य की ख्याति उसने ईरान में भी सुनी थी। उसने पटना में नि कर रहे प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों का भी उल्लेख किया है। पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापना से उत्पन्न होनेवाले हानिकारक परिणामों का भी उल्लेख बहबहानी करता है। उ यात्रा वृत्तांत "मीरतुल अहवाल" के नाम से विख्यात है।

रैल्फ फ़िच—1585-87 के मध्य इस अंग्रेज यात्री ने मुगल साम्राज्य का भ्रमण कि आगरा से बंगाल जाने के क्रम में वह बिहार के क्षेत्रों से गुजरा। पटना नगर का वर्णन उ सविस्तार किया है। नगर की अवस्था, यहाँ के गली-कूचे और बाजार आदि की वह चर्चा क है। उसने एक विचित्र घटना भी लिखी है कि पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की ह करते हैं। संभवतः उससे यहाँ पर भूल हुई है क्योंकि इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का कोई उ नहीं मिलता है। पटना के वस्त्र, अफ़ीम और चीनी उद्योगों का भी वह वर्णन करता है। के निवासियों, विशेषकर महिलाओं के अंधविश्वासपूर्ण आचरण का भी उसने उल्लेख किया

पीटर मुंडी—शाहजहाँ के आरंभिक शासनकाल में, भारत में अंग्रेज व्यापारिक अधि के रूप में पीटर मुंडी 1628-34 तक रहा। 1632 ई० में वह पटना भी आया जो उस स एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। उसने नगरवासियों, खासकर सामंतों के रहन-सहन के में लिखा है। सामंतों के मनोरंजन आदि के साधनों का भी उल्लेख उसने किया है। वह विशेष प्रकार की कश्तियों का उल्लेख करता है जो "मयूरपंखी" कहलाती थीं। यह प

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और लम्बी कश्तियाँ थीं जिनमें दोनों ओर 20-30 पतवारें होती थीं जो अनेक रंगों में रंगी होती थीं। पतवार चलाने के क्रम में यह इन्द्रधनुषी रंग अत्यन्त सुंदर लगते थे। ऐसी कश्तियों में सामंत गंगा की सैर करने निकलते थे। नगर की सीमाओं और आस-पास के क्षेत्रों का भी मुंडी ने वर्णन किया है। उसके अनुसार पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केन्द्र था जहाँ बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और आरमीनियाई व्यापारी बसे हुए थे। यहाँ पर सैफ खाँ द्वारा निर्मित सराय और अन्य जनकल्याण संबंधी अन्य उपायों का भी उसने विस्तार से वर्णन किया है।

मैनरीक—यह यात्री पटना में सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में आया। उसने नगर की आबादी 2,00,000 बताई है। नगर में अनेक भव्य इमारतें, मस्जिदें और सरायें थीं और नगर के लोग खुशहाल थे। यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था और यहाँ के सर्राफ लाखों रुपयों का कारोबार किया करते थे। यहाँ अत्यंत सुन्दर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता था जिनका निर्यात ईरान और मध्य एशिया को किया जाता था।

जॉन मार्शल—लगभग इसी समय एक अंग्रेज यात्री, जो व्यवसाय से चिकित्सक था, बिहार में आया। उसने भी पटना नगर की बनावट और लोगों के रहन-सहन, यहाँ के चिकित्सकों, संगीतज्ञों और फ़कीरों व दर्वेशों की चर्चा की है। जॉन मार्शल का आगमन ऐसे समय में हुआ जब 1670-71 ई० का अकाल अपनी भीषण अवस्था में था। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगा हो गया था और चावल चार या पाँच रुपये मन बिक रहा था और गेहूँ ढाई रुपये मन। इस अकाल में पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में $1^1/_2$ लाख लोग मरे थे।

मनूची—शाहजहाँ के शासन के परवर्ती काल में यह इटालियन यात्री पटना आया। उसने यहाँ के व्यापार-वाणिज्य के संबंध में विस्तार से लिखा है।

तैवर्नीये—यह फ्रांसिसी यात्री 1665-66 ई० के लगभग पटना आया। उसने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और लगान आदि के साथ व्यापार की भी चर्चा की है। उसने पटना में डच (हॉलैन्ड निवासी) व्यापारियों द्वारा शोरे के व्यापार का भी उल्लेख किया है। यहाँ उसकी भेंट आरमीनियाई व्यापारियों से भी हुई। उसके अनुसार भूटान, असम और त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी पटना का व्यापार होता था।

बिशप हीबर—यह अंग्रेज पादरी 1824 ई० में गंगा नदी के मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करता हुआ बिहार के अनेक नगरों से गुजरा। राजमहल, भागलपुर, पटना, दानापुर आदि में उसने कुछ समय तक निवास भी किया। यहाँ के इसाई निवासियों, अंग्रेजों और अन्य यूरोपियनों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के संबंध में उसने विस्तृत चर्चा की है। उसकी सूचनाएँ काफी उपयोगी मानी जाती हैं।

कुछ अन्य यात्री भी बिहार आये, या उन्होंने बिहार के संबंध में चर्चा की है। इनमें बर्नीये, टिफ़ेनथॉलर, बॉवरी आदि शामिल हैं। परंतु उनके वृत्तांत इतने अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। स्मरणीय है कि इन यात्रा-वृतांतों की विषय-वस्तु की संबंध यात्रियों की समकालीन अभीरूचि से है। मेगास्थनीज़ ने प्रशासनिक जीवन की चर्चा पर विशेष ध्यान दिया है, चीनी यात्रियों ने बौद्ध धर्म और शिक्षा से संबंधित बातों पर ध्यान केन्द्रित रखा है, ईरानी यात्री भी बौधिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जीवन और परिस्थितियों में अधिक अभीरुचि दिखाते हैं, जबकि यूरोपीय यात्रियों का ध्या व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी बातों पर रहा है। इन सभी विवरणों का मिल-जुला अध्ययन क्षेत्र के इतिहास के विविध पहलुओं को समझने में सहायक है।

तिथिक्रमावली

प्राचीन काल

1000 ई० पू० तक	—	पूर्व-ऐतिहासिक काल
1000-600 ई० पू०	—	आर्यों का गांगेय क्षेत्र में आगमन
563-483	—	महात्मा बुद्ध का जीवनकाल
540-468	—	वर्द्धमान महावीर का जीवनकाल
544-492	—	मगध नरेश बिम्बिसार का शासनकाल, मगध का उत्कर्ष प्रारंभ
492-460	—	अजातशत्रु का शासनकाल, वैशाली की विजय
483	—	राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित
460-444	—	उदयभद्र (उदयिन्) का शासनकाल
455 (लगभग)	—	पाटलीपुत्र राजधानी बना
413-344	—	शिशुनाग वंश का शासनकाल
383	—	वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित
344-321	—	नंदवंश का शासनकाल
320-185	—	मौर्य वंश का शासनकाल
320-298	—	चन्द्रगुप्त मौर्य का शासनकाल
315	—	मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन
298-272	—	बिन्दुसार का शासनकाल
272-232	—	अशोक महान् का शासनकाल
261	—	कलिंग युद्ध
185	—	पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या और मौर्य वंश का अंत
185	—	डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण
185-75	—	शुंग वंश का शासनकाल
75-27	—	कण्व वंश का शासनकाल
320-335 ई०	—	चन्द्रगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष
320	—	गुप्त संवत् का आरंभ
335-380	—	समुद्रगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का भारतव्यापी विस्तार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

380-412	—	चन्द्रगुप्त II विक्रमादित्य का शासनकाल, गुप्तकालीन सांस्कृतिक प्रगति
405-411	—	चीनी यात्री फाहियान का भ्रमणकाल
414-455	—	कुमारगुप्त I का शासनकाल, नालंदा विद्याकेन्द्र की स्थापना
455-467	—	स्कन्दगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ
467-494	—	बुद्धगुप्त का शासनकाल, साम्राज्य का पतन प्रारंभ
495-510	—	भानुगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का अंत
530	—	मगध के परवर्ती गुप्त शासक वंश का उत्कर्ष
635	—	युआन च्वांग की बिहार यात्रा
673	—	इत्सिंग की बिहार में यात्रा

पूर्व मध्यकाल

750-1175 ई०	—	पाल वंश का शासनकाल
750-770	—	गोपाल का शासनकाल, ओदंतपुरी विहार की स्थापना
770-810	—	धर्मपाल का शासनकाल, विक्रमशिला विहार की स्थापना
810-855	—	देवपाल का शासनकाल, पालकालीन संस्कृतिक प्रगति
858-912	—	नारायणपाल का शासनकाल
912-936	-	राज्यपाल का शासनकाल
1095-1197	—	सेन वंश का बिहार में शासन
1097-98	—	उत्तर बिहार में कर्णाट वंश का अभ्युदय
1180	—	इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर में निवास ग्रहण

मध्य काल

1197-98	—	इब्ने बख्त्यार खलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित, बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित
1290-1381	—	बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शर्फूद्दीन यहया मनेरी का जीवनकाल-
1324-25	—	गियासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान, कर्णाट वंश का अंत
1359-60	—	फिरोजशाह का बिहार में अभियान, झारखण्ड क्षेत्र में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई
1504	—	सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1528-1532 —	नूहानियों का बिहार में उत्कर्ष
1529 —	घाघरा की लड़ाई में नूहानियों पर बाबर की विजय
1532 —	देवरा की लड़ाई में नूहानियों पर हुमायूँ की विजय
1536 —	सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह की विजय
1539 —	चौसा की लड़ाई में हुमायूँ पराजित, अफगानों का पुनरोत्थान प्रारंभ
1540-45 —	शेरशाह का शासनकाल
1541 —	पटना का पुनर्निमाण और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास
1545 —	सहसराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण
1556-1576 —	बिहार में करारानी अफगानों का प्रभुत्व
1574-76 —	बिहार में अकबर का अभियान, मुगलों का अधिकार स्थापित
1580 —	बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन
1585-87 —	राल्फ फ़िच का यात्राकाल
1616 —	मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण
1619 —	मोहम्मद सदिक का बिहार में आगमन
1621 —	राजकुमार पर्वेज की मुगल प्रांतपति के रूप में नियुक्ति
1623 —	शाहजहाँ का विद्रोह, बिहार पर शाहजहाँ के अधिकार का प्रयास
1632 —	पीटर मुंडी की बिहार में यात्रा
1651 —	पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना
1666 —	पटना में गुरु गोविंद सिंहजी का जन्म
1665-66 —	तैवर्नीये की बिहार यात्रा
1670-71 —	जॉन मार्शल की बिहार यात्रा
1702 —	राजकुमार अजीम की प्रांतपति पद पर नियुक्ति, पटना का सौन्दर्यीकरण एवं अजीमाबाद नामाकरण
1713 —	मुगल सम्राट फर्रूखसियर का बिहार में राज्याभिषेक
1733 —	बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण
1734-40 —	अलीवर्दी खाँ बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत
1740-48 —	हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत
1748 —	बिहार में रूहेला सरदारों का विद्रोह, हैबत जंग का वध
1751 —	बिहार पर मराठों का आक्रमण

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1760	—	राजकुमार आली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अँभियान
1760	—	पटना में शाह आलम II का अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक

आधुनिक काल

1764	—	बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय
1765	—	शाह आलम II द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदत्त
1769	—	बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त
1770	—	बिहार परिषद का गठन, ब्रिटिश शासन का संगठित रूप विकसित, नोनिया आंदोलन
1774	—	रेगुलेटिंग ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन
1789-1817	—	विभिन्न कृषक विद्रोह
1821	—	बिहार में वहाबी आंदोलन आरंभ
1830-31	—	कोल विद्रोह
1832-33	—	भूमिज विद्रोह
1855-56	—	संथाल विद्रोह
1857 (12 जून)	—	रोहिनी में सिपाहियों का विद्रोह आरंभ
1857 (3 जुलाई)	—	पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन संग्राम आरंभ
1857 (25 जुलाई)	—	दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष
1858 (23 अप्रील)	—	कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय, ली ग्रान्ड पराजित
1860	—	'सरदारी लड़ाई'
1865	—	पटना के वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी
1875-1900	—	बिरसा मुंडा का जीवन काल
1870	—	खेरवार आंदोलन
1906	—	बिहार के पृथक प्रांत के गठन की माँग प्रस्तुत
1908	—	प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बमकांड
1908	—	पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन
1911 (12 दिसम्बर)	—	बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा
1912 (1 अप्रैल)	—	बिहार प्रांत का औपचारिक गठन
1912	—	बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, पंडित नेहरू

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

		पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए
1912-13	—	बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा [illegible] से सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित
1913-14	—	ताना भगत आंदोलन प्रारंभ
1916	—	पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
1916	—	बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम[illegible] आंदोलन प्रारंभ
1917	—	पटना विश्वविद्यालय की स्थापना
1917	—	गाँधीजी द्वारा चम्पारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्य[illegible]
1919	—	बिहार में खिलाफत अंदोलन का आरंभ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्र[illegible]
1920	—	बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ
1920	—	मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्था[illegible]
1921	—	बिहार विद्यापीठ का प्रारंभ
1921	—	इंगलैंड के युवराज की बिहार यात्रा
1923	—	बिहार में स्वराज दल का गठन
1928	—	साईमन कमीशन का बिहार में आगमन, राष्ट्रवादियों [illegible] बहिष्कार
1929	—	किसान सभा का गठन
1930 (15 अप्रील)	—	बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ
1931	—	बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन
1934 (7 अप्रील)	—	पटना में गाँधीजी द्वारा निजी सत्याग्रह स्थापित करने [illegible] आह्वान
1934	—	पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्था[illegible]
1937	—	प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी
1937 (7 जुलाई)	—	इंडिपेन्डेन्ट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भा[illegible] प्रधानमंत्री बने
1937 (20 जुलाई)	—	श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का ग[illegible]
1940	—	फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन
1942 (11 अगस्त)	—	भारत छोड़ो आन्दोलन के क्रम में पटना सचिवालय के [illegible] गोलीकांड
1942-43	—	आजाद दस्ता का गठन
1947	—	भारत की स्वतंत्रता के पश्चात श्रीकृष्ण सिंह के नेतृ[illegible] बिहार में प्रथम मंत्रिमण्डल का गठन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-5

बौद्धिक विरासत

बिहार का इतिहास जितना पुराना है, इतनी ही समृद्ध इसकी संस्कृति भी है। इस क्षेत्र का संबंध अनेक धर्मों से बहुत गहरा है। प्राचीन काल में बौद्ध और जैनधर्म, मध्यकाल में इस्लाम और सिक्खधर्म का इस क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध रहा है। आधुनिक काल में हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का भी बिहार में सक्रिय रूप देखा जा सकता है।

धार्मिक जीवन—बिहार अनेक धर्मावलंबियों की भूमि है। यहाँ की आबादी में सबसे बड़ा वर्ग हिन्दुओं का है। इसके बाद मुसलमान हैं जिनकी संख्या आबादी का लगभग 14% है। इनके अतिरिक्त ईसाई, बौद्ध, जैन और सिक्ख सम्प्रदायों के लोगों का भी बिहार में निवास है। इनके अतिरिक्त आदिवासियों की भी एक बड़ी संख्या है जिसमें कुछ हिन्दु और कुछ ईसाई हैं तथा कुछ अन्य अपने पारम्परिक आदिमजातीय धर्म के माननेवाले हैं। बिहार में अनेक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। कुण्डग्राम और पावापुरी जैनों के तीर्थस्थल हैं तो बोधगया का बौद्धमतावलंबियों के लिए विशेष महत्व है। गया और देवघर हिन्दुओं के लिए महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं तो मनेर और बिहारशरीफ मुसलमानों के लिए पावन हैं। पटना साहिब का सिक्खों के लिए अत्यधिक महत्व है। और भी अनेक तीर्थस्थल बिहार में हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्‌गम स्रोत बिहार ही है।

बिहार में हिन्दू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। हिन्दू धर्म के अनेक पूजनीय स्थल, गया, देवघर, जनकपुर आदि बिहार में ही स्थित हैं। अनुमानतः राज्य की $^3/_4$ आबादी हिन्दु धर्मावलंबियों की है, लगभग 14% मुसलमान हैं और शेष में सिक्ख, ईसाई, बौद्ध और जैन मतावलंबी शामिल हैं।

बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि छठी शताब्दी ई.पू. में प्रस्तुत हुई। यह काल वैचारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्त्तनों का साक्षी रहा। यहाँ भी मगध (बिहार) ने नेतृत्व प्रदान किया। इसी क्षेत्र से बौद्ध धर्म और जैन-धर्म का अभ्युदय हुआ। वैदिक परंपरा इस समय की बदली हुई धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में एक विसंगति बन गयी थी। उत्तर वैदिक काल से ही उपनिषदों के माध्यम से एक नया विचार प्रस्तुत किया जा रहा था जो वैदिक कर्मकांड और बाह्याडम्बर, ब्राह्मणों के प्रभुत्व और बलि प्रथा के विरूद्ध था। ये नये विचार मगध और विदेह के क्षेत्र में विकसित हो रहे थें, जहाँ आर्यों का प्रभाव अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था और जहाँ इन नए विचारों की स्वीकृति के लिए उपयुक्त वातावरण था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस बौद्धिक वातावरण के अतिरिक्त कुछ भौतिक कारणों ने भी जैन एवं बौद्ध धर्म के उत्पत्ति में सहयोग किया। उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक परिवर्तनों के कारण बड़े राज्यों का उदय हो रहा था और धीरे-धीरे शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। अतः क्षत्रिय वर्ग समाज में असीम शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था जबकि ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव में कमी आई थी। इसके अतिरिक्त आर्यों के पूर्वी भारत में बसने के बाद उनके आर्थिक जीवन में परिवर्त्तन आ चुका था। बड़े राज्यों एवं नगरों के विकास तथा कृषि की उन्नति ने व्यापार एवं वाणिज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अतः समाज में वैश्य वर्ग अधिक समुन्नत एवं समृद्ध हो चुका था। इस बदली हुए परिस्थिति को, यानि समाज में ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रिय एवं वैश्य सम्प्रदायों के बढ़ते हुए प्रभावों को, वैदिक धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। अतः ये वर्ग ब्राह्मणों का विरोध करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक नए धार्मिक विचार का स्वागत करने को तैयार थे। यह स्मरणीय है कि गौतम बुद्ध एवं महावीर दोनों ही क्षत्रिय कुल से सम्बन्धित थे और उनके अधिकांश अनुयायी वैश्य थे।

कृषि के विकास के साथ-साथ पशुधन का महत्त्व भी बढ़ता गया क्योंकि खेती के काम के लिए जानवरों की आवश्यकता थी। वैदिक धर्म में प्रचलित बलि-प्रथा के कारण बड़ी संख्या में पशुवध हो रहा था। बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में यह प्रथा लाभदायक नहीं रही और इसका विरोध स्वाभाविक था। यही कारण है कि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में ही अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और पशुवध का विरोध किया गया है।

जैन-धर्म—ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन है और समय-समय पर तीर्थंकरों द्वारा इसे नया रूप दिया जाता रहा है। महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर अंतिम तथा सबसे महान् तीर्थंकर थे। उनके पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर ने इसमें पांचवाँ सिद्धान्त अर्थात् ब्रह्मचर्य सम्मिलित किया। यही जैन धर्म के पाँच आधारभूत सिद्धान्त हैं।

महावीर के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारी विभिन्न ग्रन्थों से प्राप्त होती है। उनका नाम वर्द्धमान था और उनका जन्म वैशाली के पास कुण्डग्राम में हुआ था। उनकी जन्मतिथि की निश्चित जानकारी नहीं है मगर आमतौर पर 540 ई.पू. को उनके जन्म का वर्ष माना जाता है। इसके अतिरिक्त 544, 570 और 590 ई.पू. भी उनकी जन्मतिथि के रूप में बताए जाते हैं। महावीर क्षत्रिय कुल के थे और उनका सम्बन्ध लिच्छवी वंश से था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और तेरह वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया और चम्पा, मिथिला, वैशाली एवं राजगीर में भ्रमण किया। 72 वर्षों की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में उनका देहांत हो गया।

महावीर के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार अनिवार्य है। उनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा की मुक्ति संयमित जीवन से ही संभव है। संसार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सुख और भोग-विलास का त्याग करके ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन अनिवार्य है। यही है—**सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र**। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा और पूर्ण ज्ञान, जो तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन करने से प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सभी व्यक्ति स्वयं को जीवधारियों के समान समझें और तीर्थंकरों के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास रखें। सम्यक चरित्र का अर्थ है मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र का गठन करे।

जैन धर्म में कर्मवाद पर भी बल दिया गया है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार-बार जन्म लेता है और कर्म का फल पाता है। इसके अतिरिक्त तपस्या को भी जैनधर्म में विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि तपस्या द्वारा ही इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जैन धर्म के आदर्श सरल एवं व्यावहारिक थे। महावीर ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया था उनमें यज्ञ और बलि तथा ब्राह्मणों की सर्वोपरिता के लिए कोई स्थान नहीं था। जाति-पाति एवं ऊँच-नीच के भेदभाव को निर्णायक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी थे।

महावीर ने अपने जीवन में जैन धर्म के प्रचार के लिए एक संघ गठित किया था और अपने प्रधान शिष्य इन्द्रभूति को धर्म-प्रचार का दायित्व दिया था। किन्तु जैन धर्म अपने आपको ब्राह्मण धर्म से विशेष अलग नहीं रख सका और साधारण लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त जैन धर्म का भारत से बाहर विदेशों में व्यापक प्रचार नहीं हुआ। भारत में भी इस धर्म को शासक वर्ग का प्रश्रय इतना अधिक नहीं मिल सका जितना कि बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। इसलिए इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक नहीं हुई। स्वयं जैन धर्म के अन्दर जल्दी ही विभिन्न सम्प्रदाय और मत उत्पन्न हो गए और इससे भी यह धार्मिक आंदोलन कमजोर पड़ा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जैन धर्म के सिद्धान्तों में अहिंसा पर इतना अधिक बल दिया गया था कि यह धर्म अव्यावहारिक बन गया था। क्षत्रिय तथा कृषक वर्ग इसके नियमों का पालन करने में असमर्थ थे। अतः इसकी लोकप्रियता सीमित रही और इसके अनुयायी केवल व्यापारी वर्ग के लोग ही हो सके।

फिर भी जैन धर्म का भारतीय समाज और धर्म पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैन धर्म ने वर्ण-व्यवस्था की कठोरता को दूर करने का प्रयास किया। जैनों ने संस्कृत भाषा त्याग दी और प्राकृत भाषा को अपनाया। यह जन-साधारण की भाषा थी। उनका धार्मिक साहित्य अर्द्धमगही में लिखा गया। छठी शताब्दी ई.पू. में गुजरात में वल्लभी में जैन ग्रन्थों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। वल्लभी, शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। जैन धर्म के कारण प्राकृत भाषा का काफी विकास हुआ। प्राकृत भाषा के कारण अनेक क्षेत्रीय भाषाओं विशेषतः सूरसेनी का विकास हुआ, जिससे मराठी भाषा का उद्‌भव हुआ। जैनों के प्रारंभिक धर्म ग्रन्थों को अपभ्रंश में लिखा गया। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण एवं नाटक है। अभी जैन साहित्य काफी संख्या में पांडुलिपि के रूप में हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र के जैन मंदिरों में ये पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पूर्व मध्यकालीन भारत में जैनों ने संस्कृत में भी धर्म-ग्रन्थों की रचना की। जैनों ने कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान दिया।

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका व्यक्तिगत नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ई.पू. में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और उनका संबंध क्षत्रिय जाति के शाक्य कुल से था। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे और उनका आरम्भिक जीवन राजकीय ठाठ में बीता परंतु वह आरंभ से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और एक बूढ़े आदमी, एक रोगी एवं एक लाश को देखने के बाद सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन हो गए और जीवन के दुःखों को दूर करने के बारे में विचार करने लगे। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। ये घटना बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कही जाती है। एक लम्बे समय तक विचार और तपस्या के बाद उन्हें शाश्वत ज्ञान मिला और तब वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 40 वर्षों तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर उनका देहांत हो गया। ये घटना, महापरिनिर्वाण कहलाती है।

गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार करने का काम सारनाथ से आरम्भ किया। यह घटना धर्मचक्र परिवर्त्तन कहलायी। उनके उपदेश अत्यंत सरल थे और इनमें सबसे पहले चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन हुआ—संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुःख का निवारण संभव है, इसके लिए उपाय है। दुःख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया जिसमें निम्नलिखित बातें हैं—सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधान। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए दस शीलों का आदेश दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य जो सभी के लिए आवश्यक थे। शेष पाँच संघ में प्रवेश करनेवाले भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे—नृत्य-गान का त्याग, श्रृंगार-प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल बिस्तर पर नहीं सोना, कामिनी कंचन का त्याग। गौतम बुद्ध के बाद भी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्द्धन एवं बिहार के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण एवं प्रश्रय दिया तथा इसका प्रचार केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में हुआ क्योंकि यह धर्म अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक था। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों में नारियों को भी सम्मिलित किया। इससे भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी। भिक्षुओं एवं संघ के माध्यम से भी धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन तीसरी-चौथी ई० में बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हुआ। इसके अनेक कारण थे। सर्वप्रमुख कारण बौद्ध संघों के संगठन में दोष था। बौद्ध विहारों में नैतिक आचरण और त्याग का जीवन धीरे-धीरे लुप्त होता गया और ये भोगविलास के केन्द्र बन गए। कालांतर में बौद्ध धर्म में भी मूर्त्ति पूजा एवं कर्मकांड का बाहुल्य हो गया और जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए इस धर्म का उदय हुआ था वो सब इस धर्म में भी उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त इस काल में हिन्दू धर्म का पुनरोदय हुआ। जैसे-जैसे हिन्दू धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई वैसे-वैसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कमी आयी। बौद्ध धर्म पर अन्तिम प्रहार तुर्क आक्रमणों के दौरान हुआ जिसके बाद बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वह आज भी लोकप्रिय है।

बौद्ध धर्म ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित किया। जाति प्रथा का विरोध, उँच-नीच के भेदभाव का खंडन और ब्राह्मण वर्ग की सर्वोपरिता तथा वैदिक कर्मकाण्ड का खण्डन किया गया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं पाली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म ने भारत में स्थापत्य एवं ललितकलाओं को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म से सम्बन्धित स्तूपों एवं विहारों के निर्माण से एक नई निर्माण कला का विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने मूर्त्तिपूजा को भी लोकप्रिय बनाया और कुछ विद्वानों के अनुसार हिन्दू-धर्म में भी मूर्त्ति-पूजा का प्रचलन बौद्ध-धर्म से संपर्क के कारण हुआ। इन सबके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के संपर्क को बढ़ाने तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म ने भारतीयों के समक्ष न केवल एक नया धार्मिक विचार प्रस्तुत किया बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक एवं सांस्कृति जीवन में एक नया अध्याय भी जोड़ा।

इस्लाम—बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पहले भी सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताजफकीह बिहार के पहले महत्त्वपूर्ण सूफी संत थे। इनके अतिरिक्त पटना के समीप पीर शहाबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैय्यद इब्राहिम चिश्ती और दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय हैं। बिहार में चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी आदि सिलसिलों के संत सक्रिय रहे परन्तु सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त रही। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदुम शर्फुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म मनेर में 1290 ई० में हुआ। मनेर और सुनारगाँव (बंगलादेश) तक यात्रा और ज्ञानार्जन करने के बाद वे राजगीर और बिहारशरीफ में तपस्या और धर्म-प्रचार में लीन रहे। दरिद्र और पीड़ित वर्गों को सांत्वना और राहत देने के साथ-साथ उन्होंने धार्मिक उदारता और सहिष्णुता एवं सदभाव का उपदेश दिया। उनके उपदेशों की जानकारी उनके पत्रों के संकलन ''मकतूबाते सदी' तथा उनकी रचनाओं ''आदाबुल मुरीदीन'' और ''मादनुल मानी'' के माध्यम से मिलती है। उनका निधन 1381 में बिहारशरीफ में हुआ।

अन्य सूफियों द्वारा भी मध्यकालीन बिहार में न केवल इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार में योगदान मिला बल्कि सामाजिक जीवन में सम्मिश्रण की प्रक्रिया को बल मिला। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सदभाव, मानव सेवा, शांति और बंधुत्व का इन्होंने उपदेश दिया और धर्मान्धता, ऊँच-नीच के भेदभाव आदि का विरोध किया। समन्वय की इस परम्परा के फलस्वरूप त्योहारों, दैनिक रहन-सहन, सामाजिक रीति रिवाज और संस्कारों, आदि के मामलों में हिन्दुओं और मुसलमानों में व्यापक आदान-प्रदान हुआ और दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे के नजदीक आये।

समन्वय की इसी परम्परा का एक अनोखा उदाहरण दरियापंथी सम्प्रदाय के रूप में देखा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जा सकता है। इसके संस्थापक दरिया साहेब एक संत कवि थे जिनका जन्म एक मुसल दर्जी के परिवार में डुमराँव के निकट धरखंडा गाँव (जिला भोजपुर) में हुआ था। इन्होंने और समन्वयवादी विचारों का प्रचार किया। किसी विशेष धर्म का प्रवर्त्तक तो उन्हें नहीं जा सकता है मगर उनके विचारों पर हिन्दु धर्म और इस्लाम का मिला-जुला प्रभाव देखा सकता है। उन्होंने ईश्वर को सत्यपुरूष कहा। जाति प्रथा और बाह्याडंबर का खंडन किया अपने अनुयायियों को नैतिक आचरण की शुद्धता बनाये रखने का आदेश दिया। उनकी 1780 में हुई।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में दरियापंथी सम्प्रदाय की बिहार में लोकप्रियता बनी थी। बुकानन के अनुसार इनकी संख्या 20,000 थी। इनके प्रधान टेकदास थे। धरखंडा में मुख्य केन्द्र था जहाँ नवाब मीरकासिम द्वारा इन्हें 101 बीघा कर-मुक्त भूमि अनुदान में प्राप्त

समन्वयवादी विचारों से प्रेरित कुछ अन्य सम्प्रदाय भी बिहार में सक्रिय थे। बुकानन एक ऐसे ही सम्प्रदाय दादुरपंथियों की चर्चा भी की है। धार्मिक सहिष्णुता, सदभाव और की यह परम्परा बिहार की धार्मिक विरासत की सबसे आकर्षक विशेषता रही है।

ईसाई धर्म का बिहार में प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया। 162 जहाँगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। बिहार के एक मुग़ल मुकर्रब खान द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा भी मिलती है। 18वीं शताब्दी के में 1707 में दो पादरी, फादर डोमिनीक और फ़ादर फ्रांसिस ने पटना से तिब्बत और की यात्रा की और वहाँ धर्म प्रचार के प्रयास किये। 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का चर्च निर्मित हुआ। अभी भी यह इमारत और इसके पास के इलाके को पादरी की हवेली कहते

ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 के आरंभ हुआ जब अंस्टेशियस हार्टमैन नामक पादरी को इस काम के लिए पटना में पदस्थ किया गया। पटना के साथ-साथ बेतिया, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णियाँ में ऐसे प्रयास ही आरंभ हुए। कालांतर में इन गतिविधियों का प्रसार छोटानागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ और वहाँ ऐसे प्रयासों को काफी अधिक सफलता भी मिली।

कैथोलिक सम्प्रदाय के अलावा, प्रोटेस्टन्ट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई सम्प्रदाय भी बि में लोकप्रिय हुए। इन सम्प्रदायों से संबद्ध अनेक मिशन और चर्च संगठन सक्रिय रहे हैं। माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी योगदान हुआ है। स्कूलों और स्वास्थ्य-से में इन संगठनों की स्वैच्छिक सेवाएँ प्रशंसनीय रही हैं।

सिक्ख धर्म का संबंध भी बिहार से बहुत पुराना है। गुरु नानक जी द्वारा गया, राज पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगाँव, आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा जीवनी लिखनेवाले अनेक विद्वानों ने की है। गुरु ने इन क्षेत्रों में धर्म-प्रचार भी किया शिष्य बनाए। पुनः सिक्खों के नवें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन सत्रहवीं श के उत्तरार्ध में हुआ। वे सहसराम और गया से होते हुए पटना आये। उस समय तक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में अनेक सिक्ख थे और गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरू के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें आसाम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहाँ उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। पटना से प्रस्थान के समय वह अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चन्द्र के संरक्षण में छोड़ गये। यहीं पटना में 26 दिसम्बर, 1666 को गुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ। लगभग साढ़े चार वर्ष की आयु में बाल-गुरु ने पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपुर चले आये। गुरु पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने मसनद् (धार्मिक प्रतिनिधि) बिहार के क्षेत्र में भेजे। आगे चलकर गुरु ने मसनद् व्यवस्था का अंत भी कर दिया। 1708 में गुरु के निधन के बाद उनकी पत्नी, माता साहिब देवी के प्रति भी बिहार के सिक्खों ने सदैव सहयोग किया। 1717 से 1730 के बीच इन अनुयायियों ने उनकी सेवा में धन और अन्य सहयोग-सामग्री भेजने की नियमित व्यवस्था की। पटना में गुरू गोविंद सिंह का जन्मस्थान सिक्खों के अत्यंत महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में एक है।

धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन

उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव बिहार के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से महसूस किया गया। स्मरणीय है कि इस नयी चेतना के विकास में बंगाल की भूमिका अग्रणी रही और बिहार उस समय बंगाल का ही अंग था। अतः बिहार का प्रभावित होना स्वाभाविक था। हिन्दू समाज में नवजागरण लाने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा।

ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का बिहार से सम्बन्ध रहा था। उनके सहयोगियों में केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएँ खोली गयीं। डा० कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गयी। बिहार में यह पहली शाखा थी, मगर जल्दी ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखाएँ खुलीं। हिन्दू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्रों में भी प्रगति लाने में इसकी भूमिका रही। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चन्द्र राय, हरिसुंदर बोस, निवारणचन्द्र मुखर्जी और अघोर कामिनी देवी के नाम शामिल हैं।

आर्य समाज की स्थापना के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बिहार की यात्रा की थी। पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा उनकी यात्रा-क्रम में शामिल थे। बिहार मे पहला आर्यसमाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ। आरा, पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, राँची और भागलपुर आदि नगरों में इसकी शाखाएँ स्थापित हुईं। शिक्षा और समाज सुधार क क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रमुख योगदान रहा। जाति-प्रथा और अनावश्यक कर्मकाण्डों का विरोध करने के साथ महिलाओं के उद्धार और शिक्षा के विकास पर इस आंदोलन ने विशेष ध्यान दिया। सबसे बढ़कर इसने राष्ट्रीय चेतना को पल्लवित करने और स्वतंत्रता संग्राम में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भाग लेने के लिए युवकों को प्रेरित करने का काम किया। इसके प्रमुख बिहारी नेताओं में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डा० केशवदेव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी, आदि के नाम आते हैं। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा समिति आदि के प्रसार से साम्प्रदायिक वैमनस्य भी बना।

रामकृष्ण मिशन का भी बिहार में प्रभाव रहा। रामकृष्ण परमहंस द्वारा 1868 में और स्वामी विवेकानन्द द्वारा 1886, 1890 और 1920 में बिहार की यात्रा की गयी थी। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर में स्थापित हुई। पटना एवं देवघर में इसकी शाखाएँ 1922 में खुलीं। आध्यात्म और शिक्षा के प्रचार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और डा० राजेश्वर ओझा के नाम उल्लेखनीय है।

थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में कर्नल ऑलकॉट और ऐनी बेसन्ट ने 189[illegible] में बिहार की यात्रा की थी। उस समय पटना में यह आन्दोलन पल्लवित हो रहा था। अगले एक दशक तक इसकी शाखायें भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, देवघर आदि में संगठित हो चुकी थीं। इसके प्रमुख नेताओं में मधुसूदन प्रसाद, सरफराज़ हुसैन [illegible] और पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा थे। इनमें श्री सिन्हा एक दशक तक थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया के महासचिव भी रहे। इस संस्था ने धार्मिक समन्वय, साम्प्रदायिक भाईचारे और आध्यात्म के विकास में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती ऐनी बेसन्ट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी नयी प्रेरणा प्रदान की जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महत्त्व[illegible] हुआ।

बिहार के मुसलमानों में भी धर्म और समाज सुधार के प्रयास हुए। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में **वहाबियों** के माध्यम से यह प्रयास आरंभ हुए। इनका मुख्य केन्द्र पटना में [illegible] इन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेशों पर आचरण का आह्वान किया और धर्म में "बिदत" अ[illegible] विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षिक संस्थाएँ संगठित की जहाँ पारम्परिक इस्लामी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी संस्थाओं में पटना का मदरसा इसलाहुल मुसलें[illegible] 1890-91 में मौलाना अब्दुर रहीम द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया।

स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 19[illegible] में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीतुल उलेमाए हिन्द की शाखा संगठित की। खिला[illegible] और असहयोग आंदोलनों के दौरान, बिहार के मुसलमानों की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सं[illegible] इमारते शरीया के रूप में 1921 में स्थापित हुई। इसके भी संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्[illegible] थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में स्थित था। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संचालित करने और सुनियोजित करने के प्र[illegible] किये गये। यह संस्था आज भी कार्यरत है और इसके अधिकार क्षेत्र में उड़ीसा और [illegible] भी शामिल हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिक्षा

प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केन्द्र बिहार में विकसित हुए। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण नालंदा महाविहार था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा हुई थी। हर्षवर्द्धन और धर्मपाल ने इसे प्रश्रय और अनुदान दिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। युआन च्वांग, ई-त्सिंग और धर्मास्वामिन जैसे विदेशियों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। इसके आचार्यों में शीलभद्र और दिगनाथ प्रमुख थे।

पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अधीन बिहार में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। इनमें विक्रमशिला और ओदंतपुरी का संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला, तांत्रिक विद्या का मुख्य केन्द्र था और वज्रयान बौद्धमत के प्रचार का केन्द्र था। इसके सुप्रसिद्ध आचार्य अतिश दीपांकर थे जो बौद्ध-धर्म के प्रचार हेतु तिब्बत भी गये थे। ओदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित था। यहाँ के प्रमुख आचार्य शांतरक्षित थे।

मध्यकाल में भी शिक्षा और विद्या के केन्द्र के रूप में बिहार की प्रधानता बनी रही। मुगलकाल में अनेक ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहनेवाले विद्वानों और कवियों की चर्चा की है। यह परम्परा सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक बनी रही। फ़ारसी शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर आदि थे। पटना स्थित सैफ ख़ाँ के मदरसे की ख्याति ईरान तक फैली थी। इसकी पुष्टि ईरानी विद्वान एवं यात्री बहबहानी ने की है। स्मरणीय है कि अठारहवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय ने पटना में ही फ़ारसी शिक्षा ग्रहण की थी। मिथिला के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त रहा।

प्राचीन एवं मध्यकाल में अनेक विद्वानों ने बिहार में दर्शन, साहित्य आदि के क्षेत्र में योगदान किया। कौटिल्य जैसे बहुआयामी प्रतिभा वाले विद्वान का संबंध मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा है। इसकी रचना अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन संबंधी सुप्रसिद्ध कृति है। उसका समकालीन प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनी था, जिसकी रचना "अष्टाध्यायी" एक कॉलजयी रचना है। चरक् जैसा सुप्रसिद्ध चिकित्सक इस काल की विभूतियों में महत्वपूर्ण है। दर्शन और विधि के क्षेत्र में भी कई प्रसिद्ध नाम बिहार से जुड़े हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य का संबंध मिथिला के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। मिमांस और वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध टिप्पणीकार उपावर्श, न्याय-शास्त्र के प्रतिनिधि गौतम और योगशास्त्र के संस्थापक पांतजलि आदि का योगदान इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। पांतजलि की रचना महाभास्य का व्याकरण के क्षेत्र में निर्णायक महत्व है। कुमारिल ने रुढ़िवादी ब्राह्मणवाद को सुनिश्चित रूप दिया।

पूर्व मध्यकाल में मिथिला भी ज्ञान और विद्या का प्रमुख केन्द्र रहा। विद्यापति इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे जिन्होंने मैथिली भाषा को समृद्ध किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में "कीर्तिमाला" और "कीर्ति पताका" शामिल हैं।

आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 1835 में आरंभ हुआ। गवर्नर जेनरल लार्ड विलियम बैंटिंक के काल में 1833 के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत लार्ड मकॉले ने शिक्षा की जो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

योजना प्रस्तुत की थी उसमें पाश्चात्य शिक्षा के ही प्रसार के उपायों की बात कही गयी। इस प्रस्ताव के अनुरूप 1835 में पटना में एक स्कूल की स्थापना की गयी। इसी वर्ष में पू में और अगले कुछ वर्षों में बिहारशरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि नगरों में भी विद्या की स्थापना हुई। बालिका शिक्षा के लिए पटना में 1847 में संत जोसेफ स्कूल की स्था हुई। 1867 में दो अन्य बालिका विद्यालय, पटना में स्थापित हुए। फिर भी महिला शि क्षेत्र में प्रगति का क्रम धीमा रहा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 9 जनवरी, 1863 को महत्वपूर्ण पहल हुई जब पटना कॉलेज स्थापना हुई। शीघ्र ही मुंगेर, मुज़फ़्फ़रपुर, राँची, हज़ारीबाग और अन्य नगरों में कॉलेजों स्थापना हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्त्तमान शताब्दी के आरं विज्ञान, प्राद्यौगिकी और चिकित्सा से संबंधित शैक्षिक केन्द्रों और कॉलेजों की भी स्थापना

शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य संस्थाओं का भी योगदान रहा। आर्य समाज द्वारा डी०ए० स्कूलों की श्रृंखला स्थापित हुई। ब्रह्म समाज के तत्वावधान में पटना में राममोहन राय से की स्थापना हुई। मुसलमानों के बीच शिक्षा के प्रचार के लिए कई संगठन बने। इनकी प्रे का स्रोत अलीगढ़ आंदोलन था जिसके नेता सर सैय्यद अहमद खाँ, मुस्लिम समाज में ज का संचार कर रहे थे। मुज़फ्फरपुर में बिहार साईंटिफिक सोसाईटी, इमदाद अली खाँ ने में स्थापित की। 1873 में इसकी शाखा पटना में खुली। पटना में मोहम्मडन एजुकेशन सो का गठन हुआ जिसके द्वारा मोहम्मडन ऐंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना पटना सिटी में में हुई। स्कूल के संस्थापकों में शम्सुल उलेमा मोहम्मद हसन की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण

साहित्य

हिन्दी—देश के हिन्दी भाषी राज्यों में बिहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में हि की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई जिसके आरंभिक उदाहरण चर्या पदों के रूप में देखे सकते हैं। इनकी रचना पूर्व मध्यकाल में हुई। मध्यकाल में इसी परम्परा को सूफी संतों भक्त कवियों ने समृद्ध रूप दिया और एक मिश्रित भाषा की उत्पत्ति हुई जो वर्त्तमान हि और उर्दु दोनों ही का उद्गम-स्रोत थी।

आधुनिक हिन्दी का इतिहास अठारहवीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिशचन्द्र की रचना आरंभ होता है। उनका बिहार से भी घनिष्ठ संबंध रहा और उन्होंने बिहार के कई नगरों अनेक बार यात्रा की। उनकी समस्त कृतियाँ भी बिहार के ही ''खड़गविलास प्रेस'' द्वारा प्रका हुई। इस काल के कुछ अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों में बिहार से बाबू रामदीन सिंह, बाबू शिव सहाय, श्री यशोदानन्द अखौरी आदि थे।

इनके अतिरिक्त सूर्यपूरा के राजा राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह, दरभंगा के पंडित भुवने मिश्र, मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री तथा देव के राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह "कि भी उसी युग के चमकते नक्षत्र हैं। उस काल में गिद्धौर, हथुआ, बनैली, बेतिया, दरभंगा, श्री डुमराँव, अमावाँ, टेकारी, रातू, देव आदि रियासतों में हिन्दी का भरपूर प्रचार-प्रसार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विकास हुआ।

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण युग का आरंभ वर्त्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश से हुआ। बिहार के कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें योगदान दिया। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री, डा० काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शरण आदि को मात्र बिहार में ही नहीं, बल्कि सारे देश में लोकप्रियता प्राप्त रही।

आरंभिक उपन्यास लेखकों में राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय और अवधनारायण तथा कवियों में, विशेषकर राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित कवियों में रामधारी सिंह 'दिनकर', आरसी प्रसाद सिंह, पंडित रामदयाल पाण्डेय, कलक्टर सिंह "केसरी", गोपाल सिंह नेपाली, रामगोपाल "रूद्र", हंस कुमार तिवारी आदि प्रमुख थे। इस काल के नाटक, उपन्यास और निबंधों में राष्ट्रीय तेवर काफी तीखा रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के काल में तथा उसके पश्चात हिन्दी साहित्य का नया दौर आरंभ हुआ जिसमें नवनिर्माण की आशाएँ अभिव्यक्त हो रही थीं। इस चरण में सरकार का सक्रिय सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सहायक रही। डा० राजेन्द्र प्रसाद, बदरीनाथ वर्मा, पंडित छविनाथ पाण्डेय, मथुरा प्रसाद दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फ़ादर कामिल बुल्के, पीर मोहम्मद यूनिस आदि का योगदान इस काल में सराहनीय रहा।

विगत चतुर्थांश में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और कुछ अन्य लेखकों ने प्रपद्यवाद की परम्परा को विकसित किया जो आज भी लोकप्रिय है। कविता के क्षेत्र में कुछ बहुचर्चित नाम हैं—डा० कुमार विमल, आलोक धनवा, डा० वचनदेव कुमार, निशान्तकेतु, डा० सुमन सरीन आदि।

साहित्य की कई विधाओं में एक साथ जो लोग लगभग तीन दशकों मे बिहार में लिख रहे हैं उनमें श्री पोद्दार रामावतार अरूण, उदयराज सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप, रेवती रमण, प्रेंसिपल कपिल, डा० सिद्धनाथ कुमार, जितेन्द्र सिंह, डा० खगेन्द्र ठाकुर, यागेश्वर प्रसाद 'योगेश" आदि के नाम आते हैं।

आलोचक समीक्षा तथा निबंधों के क्षेत्र में डा० कुमार विमल, डा० रंजन सूरिदेव, डा० रामवचन राय, नंद किशोर नवल, डा० श्यामसुन्दर घोष, निशान्तकेतु आदि के नाम महत्त्वपूर्ण हैं।

नाटक भी इन दिनों हिन्दी-साहित्य में लोकप्रिय है। पटना इसका एक केन्द्र भी बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में स्व० रामेश्वर सिंह कश्यप के अतिरिक्त श्री राधाकृष्ण प्रसाद, शिवसागर मिश्र, चतुर्भुज, सिद्धनाथ कुमार, जितेन्द्र सहाय, जनार्दन राय, जितेन्द्र सिंह आदि के योगदान उल्लेखनीय हैं।

जिस विधा की आज सबसे अधिक पाठकीय मान्यता है और सारे संसार में जिसे लोकप्रियता मिली है वह है उपन्यास और कहानी। बिहार की भूमिका इसके लिए उर्वरा रही है, जिसमें अनेक लोगों की पूर्वचर्चा हो चुकी है। श्री नागार्जुन और श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने सामाजिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यथार्थ को आंचलिक संदर्भों से जोड़कर एक रास्ता दिखलाया था। उस लीक को पक तथा कुछ हटकर भी चलने वालों में राधाकृष्ण प्रसाद, उषा किरण खान, बिंदु सिन्हा, शु रॉबिन शॉ पुष्प, मिथिलेश्वर, मधुकर गंगाधर, मधुकर सिंह, शैवाल, श्रवण कुमार गो सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सुनील सिंह, गौरीशंकर राजहंस आदि लोकप्रिय नाम है।

हिन्दी भाषा को विकसित करने और समृद्ध बनाने में अनेक संस्थाएँ बिहार में का हैं। इनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा परिषद और बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रमुख

उर्दू—बिहार में उर्दू भाषा का आरंभ लगभग बारहवीं शताब्दी से माना जाता है। विकास में फारसी और अरबी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अपभ्रंशों, अर्थात् भोजपुरी और मगह प्रभाव अधिक था। इस भाषा के विकास में सूफी सन्तों की देन निर्णायक रही। मखदूम श यहया मनेरी द्वारा इस भाषा में दोहों की रचना के साक्ष्य उपलब्ध है। अन्य सूफी सन्तों में मु शम्स बल्खी और मिन्हाज रास्ती की भी इस दिशा में देन रही। सामान्यतः इन संत की शैली पर खड़ी बोली का प्रभाव रहा और इस प्रकार बिहार में उर्दू के विकास के आ चरण की विशेषताएँ भी वही रहीं जो उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में रहीं।

उर्दू की वास्तविक प्रगति सत्रहवीं शताब्दी से आरंभ होती है। बिहार में इस काल के कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल (1643-1722) थे। इनकी रचना के बहुत कम उदाह सुरक्षित रह पाये हैं। लगभग इसी काल में गद्य-रचनाएँ भी आरंभ हुई। फुलवारी के संत इ कलंदर ने "सिराते मुस्तकीम" उर्फ "सीधा रास्ता" 1685 के आस-पास आमलोगों के मा के लिए लिखी। इसी समय उर्दू भाषा में हिन्दू कवियों की रचना भी प्रस्तुत हुई। ऐसे में लाला उजागर चन्द उल्फत और राजा राम नारायण मौजूँ उल्लेखनीय हैं। 1749 में के समीप ही शेख़ ग़ुलाम अली रासिख़ का जन्म हुआ जिससे बिहार में उर्दू कविता क नई पहचान बनी और "दबिस्ताने अज़ीमाबाद" का विकास हुआ। रासिख ने गज़ल और म (महाकाव्य) की शैली को अपनाया और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में मान्यता प्राप्त की। समकालीनों में शाह रूक्नुद्दीन इश्क, मिर्जा मोहम्मद अली फिदवी और महाराजा कल्या आशिक उल्लेखनीय हैं।

19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध उत्तरी भारत में उर्दू भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण था। गालिब, मोमिन और ज़ौक जैसे प्रसिद्ध कवियों के इस युग में जिस कवि ने बि साहित्यिक गौरव को बढ़ाया वह अली मोहम्मद शाद थे (1848–1927)। उनकी ग संग्रह "मैखाना-ए-इल्हाम" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। शाद ने उर्दू भाषा में बिहार का इतिहास भी "नक्शे पायदार" शीर्षक से लिखा। उनके समकालीनों में सैय्यद फज़ले ह डाक्टर अज़ीमुद्दीन अहमद थे। अज़ीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी कविता की शैली Son सर्वप्रथम उर्दू में प्रयोग किया। इनकी कविताओं का संकलन "गुले नग़मा" शी प्रकाशित हुआ।

वर्त्तमान शताब्दी के प्रथम चर्तुथांश में बिहार में उर्दू की अत्यधिक प्रगति हुई।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में जमील मज़हरी ने सबसे अधिक ख्याति प्राप्त की। उनकी कविता पर दार्शनिक विचारों का प्रभाव स्पष्ट था। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उर्दू के प्राध्यापक भी। पर्वेज़ शाहिदी, ज़ार-अज़ीमाबादी, शम्स मनेरी आदि उनके समकालीनों में महत्त्वपूर्ण हैं। एक उल्लेखनीय नाम हसन नईम का है जिन्हें अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और जिन्होंने उर्दू कविता को नये आयाम दिए।

उर्दू साहित्य में आलोचना की नींव रखने वाले प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद थे। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक और अंतराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर उर्दू साहित्य में आलोचना का विकास किया। "उर्दू शायरी पर एक नजर" उर्दू तंकीद पर एक नज़र" Psycho-analysis and Literary Criticism उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। वे पद्मश्री सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हुए और लगभग दो दशकों तक उन्होंने बिहार के Director of Public Instruction का पद ग्रहण किया।

उर्दू में शोध को वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने का श्रेय काज़ी अब्दुल वदूद को जाता है। यह एक नई परम्परा के जनक थे और इनसे भारत व्यापी स्तर पर शोधकर्ताओं की एक पीढ़ी प्रभावित हुई।

अफ़साना (लघुकथा) की शैली में इस काल में सुहैल अज़ीमाबादी विख्यात रहे। वह स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका संबंध प्रगतिशील लेखक संघ से था। बिहार में प्रगतिशील साहित्य के प्रसार में उनकी देन रही। उनके प्रसिद्ध संग्रहों में अलाव, चार चेहरे और नये पुराने शामिल हैं। एक अन्य प्रसिद्ध नाम प्रोफेसर अखतर औरैनवी का रहा। गयास अहमद गद्दी ने अफ़सानों में एक नयी परम्परा आरंभ की। उनकी कहानी **बाबा लोग** अत्यंत प्रसिद्ध हुई।

समकालीन साहित्यकारों में विख्यात कवि कलीम आंजिज़ ने उर्दू शायरी को एक नया रंग प्रदान किया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब्दुस समद के उपन्यास दो गज़ ज़मीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रज़ा नकवी वाही ने हास्यरस की कविता को एक सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है। कहानीकारों में रिज़वान अहमद, शौकत हयात, शफ़ी जावेद प्रमुख हैं। कवियों में ज़हीर सिद्दीकी, सुल्तान अख़तर, सिद्दीक मुजीबी विख्यात हैं। गद्य लेखकों में प्रोफेसर वहाब अशरफी, डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान आदि प्रमुख हैं।

1984 में उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। बिहार सरकार ने उर्दू अकादमी का गठन कर भी उर्दू साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

बंगला—बिहार में बंगला भाषा और साहित्य की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस प्रगति का क्रम अठारहवीं शताब्दी से ही आरंभ हुआ और इसके मुख्य केन्द्र पटना और भागलपुर थे। आरंभिक चरण में काव्य रचनाओं की प्रधानता रही। निधि बाबू द्वारा रचित टप्पे, राजा पृथ्वी चन्द्र त्रिवेदी की रचना "गौरीमंडल", सुरेन्द्रनाथ मजुमदार द्वारा रचित महाकाव्य "महिला" आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। गद्य रचनाओं के आरंभिक उदाहरण राजनारायण बोस और चन्द्रशेखर बोस द्वारा प्रस्तुत हुए। यह रचनाएँ धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर आधारित थी। इस श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वैसे कुछ दशक पहले प्रोफेसर बिमन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहारी मजुमदार की रचना "चैतन्य चरितेर उपादान" के रूप में प्रस्तुत हुआ। राष्ट्रीय चेत से प्रेरित रचना "देशेर कथा" सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी गयी। इसका प्रभाव यु क्रांतिकारियों पर निर्णायक रहा। आरंभिक उपन्यासों में सिरीशचन्द्र का नाम लिया जाता मगर अधिक ख्याति तारकनाथ गंगूली को मिली जिनकी "स्वर्णलता" काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ। इसमें "पाक्षिक समालोचक" सबसे महत्त्वपूर्ण थी।

विगत वर्षों में बिहार में बंगला साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। इसके माध्यम भी बंगला भाषा और साहित्य की प्रगति का क्रम बना हुआ है।

भोजपुरी—मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न होनेवाली बोलियों में भोजपुरी, बिहार के पश्चि और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास न मिलता है और इसका लिखित साहित्य बहुत कम उपलब्ध है परन्तु इसकी मौखिक परम्प लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विगत वर्षों में बाबू रघु नाथ, महेन्द्र मिश्रा और भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को एक नई पहचान दी है। भिखारी ठाकु ने विशेषकर नाटक मंडली के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। उनकी रचना "विदेशिय अत्यधिक लोकप्रिय रही है। उनकी काव्य रचनाएँ अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं और उन्हें वस्तु भोजपुरी का जनकवि कहा जा सकता है। अन्य महत्त्वपूर्ण नामों में रामेश्वर सिंह "कश्यप अवध बिहारी "सुमन", उमाकांत वर्मा, गणेशदत्त तिवारी एवं गोरखनाथ चौबे का योगदा भोजपुरी के विकास में उल्लेखनीय है।

मैथिली—मिथलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। मिथिला का क्षे विद्वता एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्त्वपूर्ण केन्द्र माना जाता रहा है। इस क्षेत्रीय भाषा विकास में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट है। ज्योतिश्वर ठाकुर लिखित वर्णरत्नाकर इस भाषा महत्त्वपूर्ण रचना है। सबसे प्रसिद्ध नाम रहा है विद्यापति का जो मैथिली के सबसे महत्त्व साहित्यकार माने जाते हैं। विद्यापति ने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ही उ स्थान पर पहुँचाया। इसी तरह इस भाषा के विकास में खंद चंद्रकला, भानु कवि, रूद्र ध इत्यादि ने भी योगदान दिया। गोविन्द दास भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं। महेश ठाकुर और महि ठाकुर ने भी इस भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। मैथिली भाषा बिहार अतिरिक्त नेपाल में भी लोकप्रिय है।

मगही—मगही भाषा का आधुनिक युग लक्ष्मीनारायण पाठक के साथ शुरू होता है। इ क्षेत्र में श्रीधर मिश्रा का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के बाद बालपीढ़ि में योगेश्वर सिंह यौ का नाम महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने गौतम नामक महाकाव्य लिखा। इसी संदर्भ में योगेश दत्त फाट सुरेश दुबे, श्रीकांत शास्त्री एवं रामनरेश पाठक का नाम उल्लेखनीय है। सुरेश दुबे की योग्य और अकाल मृत्यु के कारण उन्हें मगधी का शैली कहा जाता है। मगधी साहित्य ड्रामा, कहा उपन्यास, गद् और पद सभी क्षेत्रों में विकसित हुआ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पत्रकारिता

अंग्रेजी—बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का इतिहास लगभग सवा सौ साल पुराना है। 1875 में गुरू प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार ''दि बिहार हेराल्ड'' का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1881 में पटना से ''इंडियन क्रॉनिकल'' नामक अख़बार प्रकाशित हुआ। वर्त्तमान शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा दो अन्य अखबार ''दि मदरलैंन्ड'' तथा ''बिहार स्टैन्डर्ड'' का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर इनका जीवनकाल संक्षिप्त रहा।

दो अन्य अखबारों का प्रकाशन इसी काल में आरंभ हुआ जो बिहार को पृथक प्रान्त बनाने की माँग की प्रस्तुति में सक्रिय रहे। यह थे ''दि बिहारी'' एवं ''दि बिहार टाईम्स''। ''बिहार टाइम्स'' की स्थापना पटना में 1903 में साप्ताहिक के रूप में हुई। 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले ''बिहार न्यूज'' के साथ जोड़कर ''दि बिहारी'' का नया नाम दिया गया। 1912 में यह एक दैनिक में परिवर्तित हो गया। 1917 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसका स्थान ''दि सर्चलाईट'' ने लिया जो 15 जुलाई, 1918 से प्रकाशित होने लगा। इसके पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। 1930 में इसे एक दैनिक का रूप प्राप्त हुआ। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में ''सर्चलाईट'' ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 में इसका प्रकाशन बंद हो गया और इसका स्थान ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' के पटना संस्करण ने ले लिया।

असहयोग आंदोलन के दौरान देशभूषण मौलाना मजहरूल हक ने पटना से ''दि मदरलैन्ड'' का प्रकाशन आरंभ किया। सरकार की कड़ी आलोचना के कारण इस समाचारपत्र पर अनेक बार मुकदमे चलाये गए और शीघ्र इसका प्रकाशन रोक दिया गया। 1924 में मो० युनुस ने जो बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री भी हुए, ''दि पटना टाईम्स'' का प्रकाशन आरंभ किया जो 1944 तक प्रकाशित होता रहा।

1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने ''दि इंडियन नेशन'' की स्थापना की। पटना से प्रकाशित होनेवाला यह समाचार-पत्र विभिन्न कारणों से बीच में कई बार बंद भी हुआ। 1989 में इसका प्रकाशन फिर एक बार बंद हो गया था। कई साल बाद, 1995 से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ है। मई 1986 से ''टाईम्स ऑफ इंडिया'' का पटना संस्करण भी प्रकाशित हो रहा है।

हिन्दी—हिन्दी पत्रकारिता की प्रगति बिहार में धीमी गति से हुई। पहला हिन्दी समाचार-पत्र बिहार बंधु था जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। इसकी स्थापना दो वर्ष पूर्व ही कलकत्ता में हुई थी। 1925 में यह बंद हो गया। पहला हिन्दी दैनिक ''सर्वहितैषी'' के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1913 में एक अन्य दैनिक ''हिन्दी बिहारी'' का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। मगर इन सबको विशेष लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। विगत अर्द्ध शताब्दी में ही बिहार में हिन्दी समाचार-पत्रों के प्रसार में वृद्धि हुई है। 1941 में **आर्यावर्त्त** का प्रकाशन 'इंडियन नेशन' के सह-प्रकाशन के रूप में आरंभ हुआ। 1947 में ''सर्चलाईट'' का सह-प्रकाशन **प्रदीप** आरंभ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हुआ। आर्यावर्त्त का पुनः प्रकाशन "इंडियन नेशन" के ही साथ 1995 से हो रहा है, प्रदीप का प्रकाशन 1986 में बंद हो गया। इसका स्थान "हिन्दुस्तान" के पटना संस्क... लिया है। 1986 में नवभारत टाईम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन भी आरंभ हुआ मगर ... से यह बंद है। हिन्दी के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण समाचार-पत्रों में **जनशक्ति, आज, प्रभात** आदि के नाम लिये जा सकते हैं।

विगत वर्षों में दक्षिण बिहार क्षेत्र से, विशेषकर राँची से कई समाचार-पत्रों का प्रक... आरंभ हुआ है जिनमें **राँची एक्सप्रेस** और **प्रभात खबर** अग्रणी हैं।

उर्दू—बिहार में उर्दू पत्रकारिता का प्रारंभ उन्नीसवीं शताब्दी से माना जा सकता है। ... का पहला उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ इसका शीर्षक था **"नूरूल अन्वार"** और ... मालिक थे मोहम्मद हाशिम। बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1876 में आरा से ही प्रकाशित हु... इस समय मुंगेर, सीवान, दरभंगा, गया एवं मुज़फ्फरपुर से भी समाचार-पत्रों का प्रकाशन ... हुआ, मगर यह अधिक समय तक प्रकाशित नहीं हो सके। इसी काल में कुछ साहित्यिक पत्रि... भी प्रकाशित हुई जो भी अल्पकालिक ही रही।

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उर्दू समाचार-पत्रों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। इनमें ... अभी भी प्रकाशित हो रहे है। ऐसे अखबारों में सबसे पुराना **सदा-ए-आम** है जो अ... पटना से प्रकाशित हो रहा है। इसी काल में "इत्तिहाद" और 'शांति' (1949) का प्र... हुआ। 1948 में दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका "नई किरण" का प्रकाशन आरंभ हु... वर्त्तमान में बिहार में लगभग 50 समाचार पत्र उर्दू में प्रकाशित हो रहे हैं। इसी वर्ष पट... **इन्कलाबे-जदीद** का प्रकाशन आरंभ हुआ है परन्तु इन सब के पाठकों की संख्या बहुत सीमित...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-6

कला एवं संस्कृति

किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ-साथ कला, पर्व-त्योहार, मेले-उत्सव और लोगों के सामान्य रहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिहार की कलात्मक सम्पदा प्राचीन भी है, बहु-आयामी भी और समृद्ध भी। आदिमानव की कला के साक्ष्य बिहार में पूर्व- ऐतिहासिक काल से ही देखे जा सकते हैं। मौर्यकाल में बिहार ने कला और स्थापत्य में समस्त उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। पाल शासकों के अधीन चित्रकला और मूर्तिकला के विकास ने समस्त पूर्वी भारत में एक नयी शैली प्रस्तुत हुई। मध्यकाल में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बिहार ने प्रस्तुत किया और आधुनिक काल में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने बिहार को राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध करायी है। इतना ही नहीं बिहार की भूमि दो महान धार्मिक परंपराओं, जैन एवं बौद्ध की जन्मस्थली रही है, जिनमें बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंख्य अनुयायियों को प्रेरणा प्रदान करता रहा है। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र की कला, खासकर पाल युगीन कला पर भी निर्णायक रहा है।

मौर्यकाल—कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य बिहार में मौर्यकाल (लगभग चौथी शताब्दी ई.पू.) से उपलब्ध होने लगते हैं। इस समय **वास्तुकला** की विशेष प्रगति हुई। मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने पटना, राजगीर और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में मुख्यतः देखे जा सकते हैं। पटना के दक्षिणी भाग में **कुम्हरार** से एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं जिसमें अस्सी स्तंभ थे। यह संभवतः किसी सभागार या राजमहल का हिस्सा था। केवल इसके खम्भों के अवशेष बचे रह गये हैं। यह गोलाकार खम्भे पत्थर की एक ही शिला को काटकर बनाये गये हैं और इनमें कोई जोड़ नहीं है। इनकी कलात्मक सुन्दरता उस चमकीली पॉलिश के कारण और भी बढ़ गयी है जिसके द्वारा इन्हें चिकना और चमकीला बनाया गया है। पत्थर पर इस चमकीली पॉलिश के कारण और भी बढ़ गयी है जिसके द्वारा इन्हें चिकना और चमकीला बनाया गया है। पत्थर पर इस चमकीली पॉलिश का उपयोग मौर्य वास्तुकला की उत्कृष्ट विशेषता है जिसके नमूने अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों और तत्कालीन मूर्तियों पर भी देखें जा सकते हैं। इन खम्भों की बनावट पर ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी एकाश्म बनावट और इनका गोल आकार ईरानी स्तंभों के समान है, मगर दोनों में अंतर यह है कि ईरानी शैली में खम्भों के शीर्ष पर फूल-पत्ते, बेल और पक्षियों के माध्यम से सजावट का प्रयास देखा जा सकता है जबकि इन खम्भों में इसका अभाव है। स्मरणीय है कि मौर्यकालीन यह खम्भे टूटी हुई अवस्था में है और इनके पूर्णरूप का अनुमान नहीं किया जा सकता।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसी प्रकार के स्तंभ, अधिक ऊँचाई के अंतर के साथ, अशोक द्वारा अपनी धम्म के प्रचार हेतु बनवाये गये। इनके शीर्ष पर पशुओं के आकार हैं, जिनके नीचे उल्टे हुए के फूल के समान आसन भी है। ऐसे स्तंभ बिहार में चार जगहों पर पाये गये हैं जो लौ नंदनगढ़, लौरिया-अरेराज (पश्चिम चम्पारण), रामपूर्वा (पूर्वी चम्पारण) और बसाढ़ (वै है। इन पर प्रथम छः स्तंभलेख सुरक्षित हैं। इनके निर्माण में चुनार के धूसर बालू के (sand-stone) का उपयोग हुआ है और इन पर भी चमकीली पॉलिश का उपयोग है। पर बने हुए पशुओं में मुख्यतः सिंह का उपयोग हुआ है मगर रामपूर्वा से प्राप्त स्तंभ पर है। सिंह की बनावट पर विदेशी कला के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इनकी शैली भी है मगर साँड़ के बनाने के ढंग में स्थानीय कला का उन्मुक्त निखार प्रस्तुत हुआ है।

पशुओं के उपरोक्त आकार के अलावा मौर्यकालीन **मूर्तिकला** के अन्य और अधिक उ नमूने भी देखे जा सकते हैं। इसकी आरंभिक मिसालें यक्षों की दो मूर्तियाँ हैं जो पटना से हुई किन्तु अभी कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह हल्के भूरे रंग के ब पत्थर (buff-coloured sandstone) की बनी है और इनका आकार विशाल है। इनमें के अगले भाग की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया गया है। यद्यपि प्रसिद्ध पुराविद शास्त्री, प्रसाद जायसवाल ने इन्हें अजातशत्रु और उदयिन् की मूर्तियाँ बताया है, मगर इनकी और आकार अन्य स्थानों से प्राप्त यक्षों की मूर्तियों के अनुरूप हैं और अधिकतर इतिह इन्हें अज्ञात यक्षों की प्रतिमा ही मानते हैं। पटना में ही, लोहानीपुर से दो मूर्तियाँ पू नग्न शरीर की प्राप्त हुई हैं जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ रही होंगी। इनका नि भी जैन शैली की **कायोत्सर्ग** मुद्रा में हुआ है। इनमें एक पर मौर्यकालीन पत्थर की पॉलि उपयोग है जिस आधार पर इसे जैन कला के आरंभिक ऐतिहासिक नमूनों में एक माना है। मूर्तिकला का अद्भुत नमूना पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है कभी **दीदारगंज यक्षी** और कभी **स्त्रीरत्न** का नाम दिया जाता है। मटियाले भूरे रंग में पत्थर से बनी यह मूर्ति सीधी खड़ी हुई मुद्रा में एक स्त्री को दर्शाती है। इसका एक हाथ की ओर उठा है जिसमें वह एक चौरी के पकड़े हुए है (दूसरा हाथ टूटा हुआ है)। ऊ शरीर खुला है जबकि कमर से नीचे का भाग कपड़े और आभूषण से ढका है। स्त्री सौन्दर्य का यह उत्तम और प्रभावशाली प्रदर्शन है जिसमें छातियाँ भरी-भरी हैं, कमर है और नितंब भारी एवं उभरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह किसी स्त्री-विशेष नहीं बल्कि नारी के शरीर के सौन्दर्य की एक काल्पनिक प्रस्तुति है। चेहरे पर सुन्दरता शांति की अभिव्यक्ति इसके प्रभाव को और बढ़ाती है। मौर्यकालीन पॉलिश का इस उत्तम प्रयोग हुआ है। एक अद्भुत कला-कृति के रूप में इसका प्रदर्शन विदेशों में भारतोत्सवों के माध्यम से भी किया गया है। अभी यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है।

बराबर की पहाड़ियों की गुफाएँ मौर्यकालीन स्थापत्य का एक अन्य उदाहरण हैं। अशोक और उसके पुत्र दशरथ के अभिलेख अंकित है जिनसे पता चलता है कि इन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का निर्माण आजीविक सम्प्रदाय के अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए कराया गया था। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएँ भी इसी क्रम की उपलब्धि प्रतीत होती हैं। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इनकी विशिष्टता है। इन गुफाओं से ही कालांतर में पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैत्य और विहार के निर्माण की शैली प्रेरित हुई जिसके उदाहरण मौर्योत्तर काल में दक्कन क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।

शुंग और कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा, मगर इस काल के नमूनों से मौर्यकालीन कलात्मक गुणवत्ता नहीं प्रकट होती और इनकी संख्या भी बहुत कम है। गुप्तकाल में पुनः वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। इसकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित और मथुरा कला से प्रभावित, शैली से प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन मूर्तिकला के नमूने रोहतास, भोजपुर, नालन्दा, राजगीर, गया, वैशाली, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म की तुलना में हिन्दू-धर्म का प्रभाव इनमें अधिक झलकता है। इस काल में कई मन्दिरों का भी निर्माण हुआ। नालंदा का विद्या केन्द्र और इससे संबद्ध कुछ अवशेष गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह परम्परा गुप्तोत्तर काल में भी बनी रही, मगर इस दिशा में विशिष्ट प्रगति पालयुग में ही संभव हुई।

पाल कला—पाल युग में पत्थर और काँसे की मूर्त्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ जिसका प्रसार बंगाल में भी देखा जा सकता है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन **धीमन** और उसके पुत्र **विठूपाल** की रही। ये नालंदा के निवासी थे और नवीं शताब्दी ई० के दो महान पाल शासकों, धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। स्मरणीय है कि नालंदा में मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेष धातु को गलाने और उसे साँचों में ढ़ालने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएँ साँचे में ही ढली (cast-images) हैं। इनके अनेक नमूने **नालंदा** और **कुर्क्रिहार** (गया के समीप) से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त नमूने मुख्यतः देवपाल के समय के हैं जबकि कुर्क्रिहार (जिसे कुछ इतिहासकार बौद्धों के कुक्कटपाद् महाविहार का स्थान बताते हैं) से प्राप्त मूर्तियाँ पर्वर्ती काल की हैं। दोनों की शैली वस्तुतः एक ही समान है। इनके अतिरिक्त फतेहपुर, अंतिचक, इमादपुर आदि से भी ऐसी मूर्तियाँ, काँसे के बने हुए स्तूपों के नमूने और कुछ बर्तन भी पाये गये हैं। प्रधानता मूर्तियों की है जिनमें अधिकतर बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। बुद्ध, बौद्धिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमला, हथग्रीव आदि को इन मूर्तियों में दर्शाया गया है। हिन्दू-धर्म के देवी-देवताओं में मुख्यतः विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा-महेश्वर और गणेश की मूर्तियाँ देखी जा सकती है।

पाल युग में पत्थर की मूर्तियाँ भी कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये मूर्तियाँ काले बैसाल्ट पत्थर (black basalt) की बनी है, जो संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किये गये हैं। सामान्यतः इन मूर्तियों में केवल शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है, कुछ ही मूर्तियों में पिछले भाग को भी उतने ही ध्यानपूर्वक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ढंग से बनाया गया है। मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता है। इन मूर्तियों में भी मुख्यतः देव का ही चित्रण किया गया है। प्रधानता बुद्ध की मूर्तियों की है। इसके बाद विष्णु की मू हैं। शैव मत और जैन धर्म का प्रभाव बहुत सीमित रहा है और इनसे सम्बद्ध मूर्तियाँ कदा ही देखी जा सकती हैं। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुन्दर हैं और कला की परिपक्वता को द हैं। अलंकार की प्रधानता इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। अधिकांश मूर्तियों में गौतम के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है जैसे उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मोपदेश की प्रस्तुति, निर्वाण आदि।

इस काल में सुंदर और कलात्मक मृदभांड भी देखे जा सकते हैं। इनके कुछ उल्लेख उदाहरण भागलपुर के समीप अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेषों से प्राप्त हुए ऐसी मूर्तियाँ दीवारों पर सजावट के लिए बनायी जाती थीं। इनमें धार्मिक और सामान्य के दृश्य देखे जा सकते हैं। लोगों के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, क्रिया-कलाप, एवं मनोरंजन, सुख-दुख, रीति-रिवाज और संस्कार आदि की झलक इनमें देखी जा सक है। ऐसी प्रस्तुतियों में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट है। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति बौद्ध और विष्णु, आदिवराहा, अर्धनारीश्वर, सूर्य और हनुमान की प्रस्तुति हिन्दू धर्म के प्रभाव स्पष्ट करती है। कलात्मक सुन्दरता का एक उत्कृट उदाहरण एक तख़्ती (plaque) है, जि एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। दाहिना पैर बायें पैर पर रखा है और झुका हुआ है। एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ उंगलियों से अपनी मांग में सिन्दूर भर रही है। चेहरे की सुंदरता और भोलापन, भरी हुई छाति पतली कमर उसके शारीरिक सौन्दर्य पर ध्यान केन्द्रित करने का सफल प्रयास दिखाती उसके शरीर को आभूषणों से ढक कर उसकी सुन्दरता को और आकर्षक बना दिया गया

पालयुग में **चित्रकला** की भी प्रगति हुई। पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों चित्र बनाने के उदाहरण भी इस काल में देखे जा सकते हैं। ऐसी चित्रित पांडुलिपियाँ पत्र पर लिखी गयी है। इनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, अष्टसहसरिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनमें लगभग सौ लघु-चित्र (miniatu बने हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने विभिन्न बौद्ध देवी-देवताओं का चित्रण हुआ है। प्राथमिक रंगों में लाल, नीला और काला सफेद तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और धूसर रंग इनमें प्रयोग किया है। इन चित्रों पर तांत्रिक कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। कहीं-कहीं इनकी विशेषताएँ और बर्मा की कला से समानताएँ भी प्रस्तुत करती हैं। इन चित्रों को बनाने में कलाकार दक्षता साफ झलकती है और इन्हें संसार में चित्रित पांडुलिपियों के सुन्दरतम उदाहरणों कहा जा सकता है।

चित्रकला का एक अन्य रूप भित्तिचित्र (Murals) के रूप में नालंदा जिला के सराय से प्राप्त हुआ है। ग्रेनाईट पत्थर के वने एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग पर कुछ ज्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आकार, फूलों के आकार और मनुष्यों एवं पशुओं का चित्रण किया गया है। अब यह चित्र काफी धुंधले पड़ चुके हैं फिर भी कुछ आकृतियों की पहचान संभव है। इनमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व और जम्भला प्रमुख हैं। इन चित्रों की शैली पर अजंता और बाघ गुफा चित्रों की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्रों को बनाने और रंगने का ढंग लगभग एक ही जैसा है।

पाल शासकों की देन **स्थापत्यकला** के क्षेत्र में भी निर्णायक रही। इसके साक्ष्य ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला महाविहार है। ओदंतपुरी के अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार देखे जा सकते हैं। भिक्षुओं के रहने के आवास एक निश्चित योजना के आधार पर बने हैं जिसमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। इनके पीछे कमरे हैं जहाँ भिक्षु रहा करते थे। इमारतें दोमंजिला थीं और इनमें सीढ़ियों की व्यवस्था थी। अंतिचक के स्थान से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पालयुगीन स्थापत्य की विशिष्टता को और भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। दोनों ही ईंट के बने हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ हैं। दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख़्तियों से सजावट का काम लिया गया है। इन पर बौद्ध धर्म एवं वैष्णव मत दोनों ही का प्रभाव है। सामान्य जीवन के दृश्य भी देखे जा सकते हैं।

मध्ययुगीन स्थापत्य—पाल वंश के पतनोपरांत सेन शासकों का संक्षिप्त शासनकाल कला के विकास में महत्त्वपूर्ण नहीं था। बारहवीं शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्यकला के क्षेत्र में रही। तुर्ककाल की सबसे महत्त्वपूर्ण इमारत बिहारशरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ और इसपर दिल्ली की समकालीन तुगलक शैली का प्रभाव है। इसकी सीधी प्रेरणा गयासुद्दीन तुग़लक के मकबरे से ली गयी है जिसका सबूत ढलानी दीवारों और लम्बूतरे गुंबद में देखा जा सकता है। **अफ़ग़ान शैली** का प्रतिनिधित्व सहसराम स्थित तीन मकबरों से होता है जो हसन खाँ, शेरशाह और इस्लाम शाह के हैं। शेरशाह का मकबरा बिहार में ही नहीं बल्कि समस्त भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण 1535–1545 में पूरा हुआ। झील के मध्य में स्थित अष्टकोणी आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। अपनी सादगी, संतुलित रूप और गंभीरता के लिए यह मकबरा प्रसिद्ध है। अष्टकोणी मक़बरों की श्रृंखला का यह आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। **मुग़ल शैली** का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मक़बरा है। इसे जहाँगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खाँ काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इसपर अकबर के अधीन विकसित संश्लेशित शैली का प्रभाव है। साथ ही इसमें शाहजहाँ के समय में विकसित होने वाली अलंकृत मुगल शैली का पूर्वानुमान भी मिलता है। इसकी सुंदर जालियाँ, ऊँचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसका मुख्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आकर्षण है। मकबरे की मुख्य इमारत मुगलकालीन मकबरों की चार बाग शैली के अ है और इसके पीछे की ओर बना हुआ तालाब इसके प्राकृतिक सौन्दर्य को और भी बढ़ा देता

यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से यूरोपीय स्थापत्य की शैली का प्रभाव भी बिहा पड़ा। हॉलैण्ड की शैली से प्रभावित पटना कलक्टरी और पटना कॉलेज के भवन हैं। प सिटी स्थित पादरी की हवेली और बाँकीपुर चर्च की इमारते गौथिक शैली का प्रतिनिधित्व क है। राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतों पर यूरोपीय पुर्नजागरण की शैली का प्रभाव है जबकि हिन्द-इस्लामी शैली के पर्वरती उदाहरण पटना संग्रहालय सुलतान पैलेस की इमारतों में देखे जा सकते हैं।

चित्रकला

पटना क़लम—मुग़ल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्र न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा था। इस क्रम में चित्रकला के वि क्षेत्रीय रूप भी विकसित हुए। इन्हीं में एक **पटना कलम** या पटना शैली भी है। इसका वि अठारहवीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक बना रहा। इस प्रकार पटना कलम का जीवन डेढ़ शताब्दी से अधिक रहा। इस शैली पर एक ओर मुगल शाही शैली का प्रभाव है तो दू और तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी। साथ ही साथ इसमें स्थानीय विशिष्टताएँ भी स्पष्ट इन्हीं के सम्मिश्रण से इस शैली की अपनी पृथक पहचान बनी है।

पटना कलम के चित्र लघुचित्रों (miniatures) की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अधिकतर का और कहीं-कहीं हाथीदाँत पर बनाया गया है। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृ और जनसाधारण के जीवन का ही चित्रण हुआ है। लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बे हुई औरत, लोहार, सुनार, एक्कावाला, पालकी उठाये हुए कहार, खेत जोतता हुआ कि साधु-सन्यासी आदि के चित्र सामान्यतः इस शैली में देखे जा सकते हैं। इनके अलावा प पक्षियों को भी दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण हुआ है। ऐसे चि में पृष्ठभूमि का महत्त्व नहीं है। मनुष्यों के चित्रों में ऊँची नाक, भारी भवें, पतले चेहरे, ग आँखें और पुरूषों की घनी मूँछें दिखाई गई हैं। तस्वीरों को बनाने में पेन्सिल से खाका बन रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम हुआ है। अधिकतर गहरे गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों में हुआ है। मुगल दरबा शाही शैली से पटना कलम कई आधार पर भिन्नता रखता है। इन चित्रों में सजीवता और सा जीवन से इनका घनिष्ठ संबंध सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा रंगों के उपयोग और छाया के तरीकों में भी अंतर स्पष्ट है। इस शैली के महत्त्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक का है। उनका काल 1770-1830 था। उनके अतिरिक्त हुलास लाल भी इस शैली के आरं प्रतिनिधियों में एक थे। उनका काल 1785-1885 था। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दीवाली होली के दृश्य दिखाये गये हैं। अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्र हैं। इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद थे। इन चित्रों के नमूने पटना संग्रह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में बड़ी संख्या में सुरक्षित है।

मधुबनी चित्रकला—मधुबनी चित्रकला का इतिहास पुराना है मगर इसे ख्याति हाल के दशकों में ही प्राप्त हुई है। यह एक लोककला है जिसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। भित्तिचित्र में तीन रूप देखे जा सकते हैं, (1) गोसनी के घर की सजावट (2) कोहबर घर की सजावट (3) कोहवर घर के कोणिया की सजावट। पहली श्रेणी के चित्र धार्मिक महत्त्व के होते हैं जबकि अन्य दो में प्रतीकों का उपयोग अधिक होता है। सभी चित्र महिलाओं द्वारा बनाये जाते हैं। इसमें भी ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों का योगदान मुख्य होता है। धार्मिक भित्ति चित्रों में दुर्गा, राधा-कृष्ण, सीता-राम, शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी आदि का अधिक चित्रण होता है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कामदेव, रति और यक्षणियों के अतिरिक्त पुरूष और नारी की जनेन्द्रियाँ बनाई जाती हैं। पृष्ठभूमि के लिए पशु-पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र बनाये जाते हैं, मगर इनका भी प्रतीकात्मक महत्त्व होता है।

चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाये जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकण की प्रवृत्ति बढ़ी है। चित्र उंगलियों से या बांस की कूची से बनाये जाते हैं। उन्नत शैली के अभाव में भी लोक कल्पना की ऊँची उड़ान, कला से गहरा भावात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इन चित्रों को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। इन चित्रों में प्रयोग किये जाने वाले रंग ज्यादातर वनस्पति से प्राप्त किये जाते हैं। हरा, पीला, लाल, नीला, केसरिया, नारंगी, बैगनी आदि रंग मुख्यतः प्रयोग हुए हैं।

मधुबनी कला का एक अन्य रूप अरिपन चित्र है। यह आंगन में या चौखट के सामने ज़मीन पर बनाये जाने वाले चित्र हैं। इन्हें बनाने में कूटे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। इन चित्रों को उंगली से ही बनाते हैं। अरिपन चित्रों में पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की जा सकती हैं—(क) मनुष्यों और पशु-पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, (ख) फूल, पेड़ और फलों के चित्र, (ग) तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र (घ) देवी-देवताओं के चित्र (ङ) स्वास्तिक, दीप आदि के आकार। इनके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों के लिए अरिपन के अलग-अलग रूप प्रचलित हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाये गये अरिपनों में ज्यामितीय आकार, विशेषकर त्रिकोण और आयताकार का अधिक प्रयोग होता है। सांझा अरिपन या कल्याणवादी अरिपन का अधिक प्रचलन है। विवाह और उत्सवों पर पत्तियों के आकार का सर्वाधिक उपयोग होता है। अपने इन विविध रूपों में मधुबनी चित्रकला अन्य लोक-कलाओं की तरह पर्व-त्योहारों और पारिवारिक अनुष्ठानों से बहुत गहरी तरह जुड़ी हुई है।

विगत वर्षों में इस कला की लोकप्रियता बढ़ी है। इस शैली की मुख्य प्रतिनिधियों में पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी आदि के नाम लिये जा सकते हैं। वर्त्तमान में मधुबनी चित्रकला के कुछ प्रमुख केन्द्र इस प्रकार हैं—मधुबनी, सिमरी, लहेरियासराय, राँची आदि।

मधुबनी हस्तकला खासकर चित्रकला के आये दिन विदेशों में लगातार प्रदर्शनियाँ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आयोजित की जा रही हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। विशे यह है कि जापान के तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया जा रहा है इस प्रकार का अनूठा संग्रहालय भारत में भी नहीं है। कला को व्यापारोन्मुख बनाने के साथ साथ पुरानी शैली में कुछ नवीनता के पुट भरने का प्रयास किया जा रहा है।

मिथिला पेंटिंग में शैलीगत विशेषता यह है कि इन चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। उदाहरणतः अगर किसी पक्षी का चित्र देना है तो उसका आकार ऐसा दिया जाता है कि बस लगे कि कोई पक्षी है। अगर किसी आदमी का चित्र देना है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। रंगों की विशिष्टता इसका दूसरा पक्ष है। यद्यपि अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है लेकिन शैलीगत विशिष्टता अभी भी प्राकृतिक रंगों में ही कायम है। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग, काजल एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग, चूना एवं बैर के पत्ते में दूध मिलाकर नारंगी रंग पलास के फूल से, कुसुम के फूल अथवा त्वीत के फूलों से लाल रंग एवं सीम के पत्ते से हरा रंग बनाया जाता है।

जादोपटिया चित्रकला—भारत की प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित यह एक लोक शैली है जो संथाल समाज के मिथक पर आधारित है। संथाल समाज की लोक कथाओं, मिथकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। इन चित्रों के बनानेवाले संथाल भाषा में जादो कहलाते हैं। चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है लेकिन अब इसकी लोकिप्रियता समाप्त होती जा रही है।

यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों या काग़ज़ के टुकड़ों को जोड़कर बने पटों पर अंकित किये जाते हैं। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है और इनपर चार से सोलह चित्र बनाये जाते हैं। इनमें मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग प्रयुक्त होता है।

संगीत एवं नृत्य

संगीत का महत्व सभी संस्कृतियों में निर्णायक रहा है। यह एक ओर मनोरंजन का साधन है तो दूसरी ओर सृजनशील प्रवृतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय से राजगीर और वैशाली जैसे नगरों में गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। इन्हें नगरशोभिनी कहा जाता है। वैशाली की राजनर्तकी आम्रपाली द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। विशाल साम्राज्यों के उदय के साथ राजनर्तकियों की परम्परा और भी विकसित हुई। उत्तर बिहार में मिथलांचल में 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही नयदेव द्वारा संगीत सम्बन्धी रचना लिखी गयी। तुर्क शासन काल में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई जबकि वैष्णव धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से नृत्य और संगीत दोनों का विकास हुआ। आधुनिक काल के आरंभ में लोक नर्तक और नर्तकियों की अनेक श्रेणियों के नाम मिलते हैं जिनमें भखलिया, भजनिया और कीर्तनिया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रमुख हैं।

18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतनापरांत शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। पटना में ख्याल और ठुमरी की शैलियों को विशेष लोकप्रियता मिली। इनके अतिरिक्त गज़ल, दादरा, कजरी और चैती, गायन की लोकप्रिय शैलियाँ थीं। इन्हें लोकप्रिय बनाने में लोक गायिकाओं का विशेष योगदान रहा जिनमें रोशानआरा बेगम, एमाम बांदी और रामदासी के नाम प्रमुख हैं। इन्हें प्रश्रय स्थानीय नवाबों और जमीन्दारों ने दिया जो त्योहारों, उत्सवों या पारिवारिक समारोहों में इन गायिकाओं को बुलाया करते थे।

लोक संगीत के अनेक रूप बिहार में प्रचलित हैं जिनका सम्बन्ध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाह के समय सुमंगली, जन्म-उत्सव पर सोहर, कृषि कार्यों में बारह-मासा आदि गायन की लोकप्रिय शैलियाँ हैं।

बिहार में लोक नृत्य की परम्परा भी बहुत समृद्ध है। इसकी तीन मुख्य धाराएँ हैं—

1. उत्तरी बिहार में विदेह क्षेत्र के लोक नृत्य जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित हैं और इनका धार्मिक महत्व है जैसे, रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनीया नाच और पूजा आरती नाच।
2. आदिवासियों के लोक नृत्य जो प्राकृतिक और सामाजिक संस्कारों पर आधारित हैं। इनमें जादुर, कर्मा, यात्रा आदि प्रमुख हैं। जादुर नृत्य का सम्बन्ध सरहुल के त्योहार से है जो बिहार के आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। दक्षिण बिहार में सरायकेला-खरसवाँ क्षेत्र में छऊ नृत्य अत्यन्त लोकप्रिय है। इनमें नर्तक और नर्तकियों द्वारा आकर्षक मुखौटे पहने जाते हैं। इनमें गायन का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है।
3. पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण नृत्य डोमकच है जिसमें गायन और नृत्य का साथ-साथ उपयोग होता है और इसमें हास्य उल्लास का वातावरण अधिक छाया रहता है।

नृत्य की अन्य लोकप्रिय शैलियों में झुमर, पैका, नटुआ, नचनी आदि के नाम लिये जाते हैं। विश्व में भारत के सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार में भी बिहार की देन उल्लेखनीय रही है। पाली भाषा, चैत्य, विहार और स्तूप निर्माण शैली तथा चित्रकला के इतिहास में बौद्ध और जैन धर्मों की सामूहिक देन अविस्मरणीय है।

पर्व और त्योहार

बिहार त्योहारों का प्रदेश है। एक ओर जहाँ आदिवासी रंग-बिरंगी परंपरा को विभिन्न मौकों पर प्रस्तुत करते हैं वहीं मैदानी इलाके के लोग भी पीछे नहीं रहते। राज्य में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहारों में कुछ तो क्षेत्रीय हैं, कुछ राष्ट्रीय जिनमें प्रमुख हैं—

वसंत पंचमी/सरस्वती पूजन—माघ शुक्ल पाँचवी को वसंत पंचमी के दिन बिहार में सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन कर विसर्जन किया जाता है।

रामनवमी—इस त्योहार को बिहार में भगवान रामचन्द्रजी के जन्म दिवस के रूप में मनाया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जाता है। यह त्योहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं को मनाया जाता है। इस दिन ... लोग उपवास रखते हैं तथा विशेष पकवान तैयार करते हैं। इस दिन भजन गाते हैं, रामा... तथा रामचरित मानस का पाठ करते हैं। इस दिन मन्दिर, आँगन तथा पवित्र स्थलों पर झ... लगाने की भी प्रथा है जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित होती है। इस दिन जुलूस ... निकलता है।

होली—बिहार में अत्यधिक हर्षोल्लास से होली का त्योहार हर साल फाल्गुन की पूर्ण... को मनाया जाता है। इसी के साथ नव वर्ष का आगमन भी होता है। इस त्योहार का सं... भक्त प्रह्लाद के जलाये जाने के प्रयास से है। प्रह्लाद तो सुरक्षित रहा मगर उसे जलाने की चे... में होलिका स्वयं जल गयी। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

शिवरात्री—फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चौदहवें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यह शिव एवं पार्वती के विवाह का स्मारक है।

रक्षाबंधन—यह त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें ... भाइयों को राखी बाँधती है जिसका अर्थ भाईयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रण है।

तीज एवं चौथ—भाद्र मास की तीसरी और चौथी तारीख को महिलाओं द्वारा यह त्यो... अपने पति के कुशल मंगल के लिए मनाया जाता है। इस उद्देश्य से महिलाएँ व्रत करती हैं।

जन्माष्टमी—भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मो... के रूप में मनाया जाता है।

अनंत चतुर्दशी—भाद्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का आयोजन इस पर्व ... होता है।

महालया—यह आश्विन के कृष्ण पक्ष के पितृ पक्ष के रूप में 15 दिन तक मनाया जा... है। इस अवसर पर हिन्दू अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं।

विजय दशमी—यह त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। यह त्योहार अच्छाई की बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध कि... था। अतः नगरों में रामलीला की जाती है और रावण, मेघनाथ और कुम्भकर्ण के पुतले ज... जाते हैं।

दीपावली—यह त्योहार कार्तिक मास की अमावश्या को हिन्दू समाज और जैन स... में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के आने से पूर्व घरों, दुकानों आदि की स... पुताई और रंगाई होती है और हिन्दू लोग इसे राम की रावण पर विजय के उपरान्त अ... आगमन की याद में मनाते हैं।

गोवर्द्धन—दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रथमा को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन मन्दिरों में अन्नकूट की पूड़ी व सब्जी तैयार होती है, जो सबको प्रसाद के रूप में ... जाती है।

देवोत्थान—यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के लोग इस दिन सायंकाल में गन्ना, गुड़, शकरकंद आदि से भी भगवान की पूजा करते हैं।

दावात पूजा—यह पर्व कायस्थ जाति द्वारा विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है।

छठ पूजा—बिहार के क्षेत्रीय त्योहारों में सबसे महत्त्वपूर्ण छठ पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है, अरघ्य डाला जाता है जिसमें पहला अरघ्य सूर्यास्त और दूसरा सूर्योदय के समय ढाला जाता है।

ईद—मुसलमानों का यह प्रमुख त्योहार है जो रमजान महीने के उपवास की समाप्ति के बाद मनाया जाता है। इसके माध्यम से श्रद्धालु मुसलमान उपवास के महीने के सफल समापन का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और एक-दूसरे को बधाईयाँ देते हैं। इसे ईद-उल-फित्र भी कहते हैं क्योंकि इसके पूर्व फित्रा या दान भी दिया जाता है।

बकरीद—इसे ईद-उल-अजहा भी कहते हैं। इस्लामी पंचाँग के अंतिम महीने में मनाया जाने वाला यह त्योहार पैग़म्बर इब्राहिम नामक धर्मपुरूष द्वारा बलिदान की याद में मनाया जाता है। मुसलमान इस अवसर पर पशुबलि देते हैं। मुसलमानों का तीर्थोत्सव, **हज्ज**, इसी समय सम्पन्न होता है।

मुहर्रम—मुहर्रम इस्लामी पंचाँग के पहले महीने का नाम है। इस महीने की दसवीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं अनुयायी शहीद हुये थे। इसी महत्त्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इसका मूलरूप शोक प्रदर्शन का था जिसपर अभी भी शिया सम्प्रदाय आचरण करता है।

क्रिसमस—यह ईसाईयों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व हर साल दिसम्बर महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन ईसाईयों के महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ था।

गुरूगोविन्द सिंह जन्म दिवस—इस दिन सिक्ख पंथ के दसवें गुरू श्री गोविन्द सिंह का जन्म हुआ था। उनकी जन्म स्थली पटना के हरिमन्दिर में पौष शुक्ल सप्तमी को विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है। नगर में सिक्ख श्रद्धालु शोभा यात्रा भी निकालते हैं।

महावीर जयन्ती—जैन धर्म के अन्तिम प्रवर्तक एवं चौबीसवें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर की जन्म स्थली बिहार में ही है। भगवान महावीर का जन्म दिन चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

बुद्ध जयन्ती—वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयन्ती का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

सरहुल—यह आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए के कुंज को कहते हैं।

कर्मा—यह पर्व भी आदिवासियों का है। यह पर्व मुख्यतः उरांव आदिवासी लोग भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कुछ और आदिवासी हिन्दु भी इस पर्व को मनाते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जीतिया—यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसके माध्यम महिलाएँ अपनी संतान के मंगल और दीर्घायु की कल्पना करती हैं।

मधुश्रावणी—मिथिलांचल में यह पर्व नवयुवतियों द्वारा विशेष उल्लास से मनाया जा है। इसका आरंभ नागपंचमी से होता है और मधुश्रावणी के दिन घरों को सजाने का बड़े पैमाने पर होता है।

मेले

बिहार राज्य में छोटे-बड़े अनेक मेले लगते हैं। ये मेले किसी पर्व या त्योहार के अव पर तीर्थ स्थानों में अक्सर लगते हैं। कुछ प्रमुख मेलों का वर्णन निम्नलिखित है।

वैशाली का मेला—महावीर की जन्मस्थली वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जैन धर्मावलम्बी पूरे देश से एकत्रित होते हैं।

हरिहर क्षेत्र का मेला—यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो गंगा-गं के संगम पर सोनपुर में आयोजित होता है। यह मेला पूरे एक पक्ष तक चलता है। संभव यह मेला मुग़लों के शासनकाल से आयोजित होता आ रहा है।

कार्तिक पूर्णिमा का मेला—इस अवसर पर हरिहर क्षेत्र में नाथ महादेव की पूजा की जा है और लोग गंगा में स्नान कर दान करते हैं। सोनपुर मेला का आरंभ भी इसी के साथ होता है।

जानकी नवमी का मेला—यह मेला मुजफ्फरपुर जिले में सीतामढ़ी नामक स्थान प आयोजित किया जाता है। सीतामढ़ी सीताजी की जन्मस्थली है। सीता के जन्म दिवस पर एक विशाल मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है।

मेष-संक्रांति का मेला —यह बिहार के विभिन्न भागों में सतुआनी, सतुआ-संक्रांति सिरूआ-विसुआ आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नवान्न भजवा का उत्सव मनाया जाता है।

सौराठ सभा—मिथिलांचल का यह विशिष्ट मेला शादी-विवाह के कार्यों को सुगम बन तथा इसमें मितव्ययता लाने में सहायक होता है। सामान्यतः आषाढ़ माह के अंतिम चरण आयोजित इस मेले में विवाह-योग्य युवकों और उनके अभिभावकों की उपस्थिति मुख्य आकर्ष होती है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक वहीं विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं। पंजीक द्वारा गोत्र और कुल का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और विवाह की बात तय होने पर तात्कालि विवाह का आयोजन भी हो जाता है।

हिजला मेला—संथाल परगना क्षेत्र में हिज़ला पहाड़ी के समीप आयोजित यह वार्षि मेला शरद ऋतु में सम्पन्न होता है। इसमें आदिवासी और अन्य लोग भी भाग लेते हैं। ग्रामी उत्सव और क्रीड़ा का आकर्षक रूप यहाँ देखा जा सकता है। 'हिजला' शब्द हिजलोपाईट नाम खनिज का संक्षिप्त रूप है जो यहाँ की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मे अंग्रेज शासकों द्वारा काफी लोकप्रिय बनाया गया। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मेला एक बड़ी देन है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय–7

जनजातीय जीवन

परिचय—बिहार के दक्षिणी भाग में जनजातियाँ सर्वाधिक संख्या में हैं जो अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित हैं। इनके ऐतिहासिक अतीत के संबंध में स्रोतों के अभाव में विश्वसनीय एवं प्रमाणिक जानकारी बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के विस्तार के क्रम में जो क्षेत्र आर्यीकरण की प्रक्रिया से पूर्णतः आत्मसात नहीं हुए वहां जनजातीय संस्कृति की अपनी विशेषता सुरक्षित रही। दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण है। जनजातीय अबादी का यह क्षेत्र भूगर्भ शास्त्र के दृष्टिकोण से छोटानागपुर तथा· राजमहल समस्थल (प्लेटो) का एक अविच्छिन्न सिलसिला है। इसमें राँची, हज़ारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम तथा संथाल परगना के क्षेत्र शामिल हैं।

जनसंख्या एवं क्षेत्रीय वितरण—बिहार के छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्र है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जनजातियों की कुल आबादी 6·62 मिलियन थी जो कि देश में उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक है। कुल जनजाति संख्या का 3·35 मिलियन पुरुष तथा 3·25 स्त्रियां थी। यह लिंग अनुपात लगभग समतल प्रदेशों से अधिक संतुलित है। बिहार में जनजाति अबादी कुल आबादी का 7·66 प्रति है जबकि सर्वभारत की आबादी में जनजातीय जनसंख्या 8·08 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ग कि०मी० आबादी का घनत्व 273 व्यक्ति है जबकि उत्तर बिहार में यह 761 व्यक्ति तथा सर्वबिहार में 497 व्यक्ति है।

राज्य में कुल 30 विभिन्न प्रकार की जनजातियां वास करती हैं जो अनेक छोटे-बड़े समूहों एवं उपसमूहों में विभाजित हैं। अधिकतर जनजातियों का स्रोत Proto-Australoid है तथा इनमें से अधिकांश Austric भाषायी समूह पर आधारित भाषाएं जैसे मुन्डारी, संथाली, हो, खैरा आदि बोलती हैं। उराँव तथा पहाड़िया द्राविड़ स्रोत की बोलियां बोलते हैं। राज्य में 92 प्रतिशत जनजाति आबादी दक्षिण एवं उत्तर छोटानागपुर तथा संथाल परगना के क्षेत्र में वास करती हैं। 8 प्रतिशत आबादी इस क्षेत्र के समीपवर्ती अन्य जिलों जैसे मुंगेर तथा भागलपुर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्णियाँ एवं कटिहार में वास करती हैं। बिहार के आदिवासियों की भाषा और परंपरागत लोकगीतों के अध्ययन के आधार पर अनुमान किया जाता है कि आर्यों के आगमन के पश्चात छोटानागपुर में आकर बसने वाली सभी मुंडा भाषीय जनजातियों का उत्तरी भारत से ऐतिहासिक संबंध रहा है। द्रविड़ियन भाषा बोलनेवाले उराँव तथा सौर पहाड़िया संभवतः दक्षिण के नर्मदा क्षेत्र से आकर पहले-पहल रोहतास क्षेत्र में बसे। तत्पश्चात छोटानागपुर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और संथाल परगना में इन्होंने निवास ग्रहण किया।

बिहार में बसी विभिन्न जनजातियों ने विगत शताब्दियों में अपने क्षेत्र के पर्यावरण अनुकूल अपने रहन-सहन और जीविकोपार्जन के तरीके विकसित किये हैं। इस आधार इन्हें चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वह जनजातियाँ शामिल हैं जो मुख्य जंगल वाले क्षेत्रों में रहती हैं और अपनी जीविका शिकार के माध्यम से प्राप्त करती हैं। इ बिरहोर और कोरवा लोग आते हैं। दूसरी श्रेणी में वह जनजातियाँ आती हैं जो समतल में रहती हैं और सामान्य रूप से कृषि कार्य द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं। इनमें मुख्य रू संथाल, मुंडा, उराँव, हो तथा कुछ अन्य जनजातियाँ शामिल हैं। साधारणतः यह समस्त लहरदार प्रदेशों में रहते हैं तथा हल की खेती करते हैं। शिकार करना तथा मछली मारना में इनके लिए मुख्य आजीविका था मगर अब इसका केवल सांस्कारिक महत्व ही रह गया तीसरी श्रेणी में साधारण व्यवसाओं से जुड़ी जनजातियाँ आती हैं जिनके सदस्य कारीगर रूप में अनेक गाँवों में बिखरे हैं। इस समूह में मुख्य स्थान है करमाली, लोहरा, माहली चीक बड़ाईक आदि का जो कृषक जनजातियों के गाँवों में रहते हैं और उन्हें खेती के के लिए आवश्यक औज़ार और उपकरण उपलब्ध कराते हैं। करमाली और लोहरा परंप ढंग से लोहे का काम करते हैं। माहली डलिया बनाने और ढोल वजाने का काम करते हैं चीक बड़ाईक कपड़े की बुनाई करते हैं। चौथी श्रेणी में कुछ ऐसी विशिष्ट जनजातियाँ हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं और सीमित ढंग से खेती करते हैं। इनमें सौरिया पहाड़ि पहाड़ी खरिया और असुर जनजातियों के नाम लिये जा सकते हैं। सामान्यतः यह जंगम (shifting cultivation) करते हैं और घुमंतु जीवन बिताते हैं। इनका जीवन प्राकृतिक अ से अधिक निकट हैं; उदाहरणस्वरूप वह मट्टी के मकानों की जगह बाँस की झोपड़ियों में पसन्द करते हैं, कुँए की जगह झरनों का पानी इस्तेमाल करते हैं और समतल भू-क्षेत्रों में की जगह पहाड़ों पर ही रहना श्रेयस्कर मानते हैं।

बिहार में जनजातीय जमाव का मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगा सीमावर्ती इलाके हैं। जनजातीय आबादी में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है जिनकी जनसंख्या 2·06 मिलियन अथवा कुल जनजातीय आबादी का 35 प्रतिशत है। दूसरा बड़ा ओराव जाति का है जो 1·05 मिलियन अथवा 18·14 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त मुण्डा (1 प्रतिशत), हो (9·23 प्रतिशत), खेरवार (3·83 प्रतिशत) तथा खैरा (2·49 प्रतिशत) भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। बिहार में वास करनेवाली प्रधान जनजातियां निम्नलिखित हैं

संथाल—बिहार में संथालों की संख्या सर्वाधिक है। ये लोग न केवल बिहार वरन् के प्रमुख आदिवासी समूह में आते हैं। शायद इन्हीं लोगों के नाम पर दक्षिण बिहार के प्रभाग का नाम संथाल परगना रख दिया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग संत से आये हैं, इसलिए इन्हें संतान अथवा संत देश के निवासी कहते हैं। अभी इनकी जन 20·6 लाख है। ये लोग संथाल परगना के अतिरिक्त भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, राँची, सिं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

धनबाद, वर्धमान तथा पलामू में भी पाये जाते हैं। बिहार से बाहर बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और कुछ चीन में भी पाये जाते हैं। संथाल साधारणतया नाटे कद के होते हैं। इनकी नाक चौड़ी और चिपटी होती है। ये बड़े उद्यमी और परिश्रमी होते हैं। इनलोगों का संबंध प्रोडो-आस्ट्रोलायड से बताया जाता है। संथाल लोग अधिकतर गाँव में रहते हैं। गाँव में टोले होते हैं। इनका घर एक-दूसरे से सटा होता है। ये लोग मकान में खिड़कियाँ नहीं लगाते। आर्थिक रूप से ये लोग काफी पिछड़े होते हैं। इनका मुख्य भोजन दाल, चावल एवं पशुओं के मांस होते हैं। संथाल लोगों को अच्छा बुनकर माना जाता है। इनके गाँव का एक सरदार होता है जो गाँव के सारे कार्यों को सम्पादित करता है। विशेष अवसरों पर ये लोग मदिरापान एवं नृत्य करते हैं। संथाल लोगों का जादू टोने पर काफी विश्वास होता है। इनका मानना है कि अधिकतर रोग और कष्ट जादू-टोने के कारण होता है। ये लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जादू-टोने का सहारा लेते हैं। इनके समाज में 'ठाकुर जी' को विश्व का विधाता मानते हैं।

उराँव—छोटानागपुर के पठार में रहनेवाले आदिवासियों में उराँव का दूसरा स्थान आता है। 1961 की जनगणना में जहाँ ये लोग सात लाख पैंतीस हजार थे, वहीं 1991 में दस लाख चौवन हजार हो गये। इनलोगों का मुख्य जमाव राँची, गुमला, पलामू, सिंहभूमि, धनबाद और रोहतास जिले में है। कुछ लोग भागलपुर और पूर्णियाँ में भी रहते हैं। बिहार से बाहर ये लोग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी रहते हैं। उराँव लोग अपनी भाषा में अपने को 'कोरख' कहते हैं। कोरख शब्द का अर्थ मनुष्य होता है। उराँव लोगों को छोटानागपुर का मूल निवासी नहीं माना जाता है। ये लोग द्रविड़ मूल के माने जाते हैं। यह लोग पक्षियों एवं फलों पर जीवन निर्वाह करते हैं। चावल उनका मुख्य भोजन है। ये लोग मिट्टी और बाँस के झोपड़े बनाते हैं। इनका कद छोटा होता है, लम्बे सर होते हैं और नाक चौड़ी होती है। ये लोग काले और साँवले रंग के होते हैं। त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करिया बोलते हैं। जबकि महिलाओं द्वारा पहने जानेवाले वस्त्र को खनरिया कहते हैं। ये लोग सुअर का मांस नहीं खाते हैं। इनके गाँव के प्रधान को पाहन एवं महतो कहा जाता है। इनके पंचायत को पंचोरा पंचायत कहते हैं। धुमकड़िया उराँव जाति के युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण संस्था है। उराँव लोग इसको अपने भाषा में जोखअरपा कहते हैं।

मुण्डा—मुण्डा लोग छोटानागपुर के प्रमुख निवासी हैं। राँची जिला इन लोगों का मुख्य निवास स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में इनका तीसरा स्थान है। बिहार में इनकी संख्या 8 लाख पैंतीस हजार थी। मुण्डा अपने को 'हेरोको' कहते हैं। साधारणतः इनको कोल भी कहा जाता है। मुंडा मुख्य रूप से काले रंग के होते हैं। इनका सर लम्बा, नाक चौड़ी एवं मोटी, होठ मोटे, चेहरा चौड़ा और कद छोटा होता है। इनका मुख्य आर्थिक कार्य-कलाप खेती है। ये परम्परागत ढंग से खेती करते हैं। परन्तु अन्न का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये लोग कई तरह के गृह उद्योग में भी संलग्न होते हैं। इनके आर्थिक जीवन में हाट का काफी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महत्त्व होता है। पुरुष जो कपड़ा पहनते हैं, उसे बातोई कहते हैं। यहाँ के युवा गृह को गिति कहते हैं। इनलोगों में युवा गृह के अतिरिक्त एक सार्ना होता है, जो इनके मन्दिर के रू समझा जाता है। अखरा वह जगह है जहाँ पंचायत बैठती है। सासन वह जगह है जहाँ इ पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है। इनकी भूमि तीन तरह की होती है। पंकू हमेशा उपज दे मिट्टी होती है, नागरा भूमि में औसत ऊपज होती है, खिरसी भूमि में बालू मिला होता है। इ समाज विभिन्न किली में बंटा होता है। किली भी कई प्रकार के होते हैं, जो इनके परिवा बढ़ जाने का परिणाम है। इनलोगों के जीवन में विवाह का अब काफी महत्त्व हो गया।

हो—हो, कोल्हन क्षेत्र में रहते हैं जो सिंहभूम जिले में मिलता है। इन्हीं लोगों ने 18 में मुण्डा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अपने को छोड़ यह सारे बाहरी लोगों को दिकू कहते हैं। हो लोगों की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती साधारणतया ये लोग काले, नाटे और चिपटी नाक वाले होते हैं। सामान्यतया इनकी मूंछ दाढ़ी नहीं होती है। खेती इनका मुख्य पेशा है। ये लोग नशा के अभ्यस्त होते हैं। इन में विवाह आवश्यक समझा जाता है। इनके समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। लोगों की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक मेहनती होती हैं। इनके देवता को सिंगबोंगा जाता है। इनकी संख्या 5 लाख 36 हजार है।

बिरहोर—बिरहोर लोग छोटानागपुर पठार के उत्तर-पूर्वी इलाके में बसे हुए हैं। ये घुमक्कड़ किस्म के होते हैं और अपना जीवन आम तौर पर जानवरों के शिकार और ज फलों पर गुज़ारते हैं। इनके निवास स्थान को आम तौर पर टाडा कहा जाता है। सामान्य से ये आम लोगों से अलग रहना पसन्द करते हैं। इनकी जाति को सामान्य रूप से दो में बाँटा जाता है—एक को कोथलो अथवा भुलया कहा जाता है, जबकि दूसरे को जा ठानिए कहा जाता है। ये लोग छोटानागपुर के अन्य लोगों से अलग प्रतीत होते हैं। इन का अनगिनत गोत्र होता है। इन लोगों के विवाह रीति को उद्रा उद्री बापला और दूसरी को गोलो बकला कहते हैं। इन लोगों में युवक-युवतियों के लिए भी एक अलग झोपड़ा होता है। ये लोग संसार के निर्माणकर्ता के रूप में बोरा-बोंगा को मानते हैं। इसके अति ये लोग पहाड़, जंगल, झरने ये सब देवियों से पूर्ण मानते हैं। इनकी संख्या मात्र 4,37

खरिया—खरिया लोग मुख्य रूप से बिहार के सिंहभूम एवं मानभूम में रहते हैं बिह अतिरिक्त ये लोग उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आसाम एवं बंगाल में भी पाये हैं। खरिया लोग तीन तरह के होते हैं—पहाड़ी खरिया, धेलकी खरिया और दूध खरिया। लोगों ने बड़े पैमाने पर इसाई धर्म अपना लिया है। फलस्वरूप इनका विकास अन्य आदिवा के मुकाबले अधिक हुआ है। शारीरिक रूप से ये लोग औसत कद के होते हैं। इनकी जड़ में धंसी होती है। चेहरा उभरा हुआ और चौड़ा होता है। इनका अधिकांश समय की वस्तुओं को जुटाने में ही व्यतीत हो जाता है। चावल खरियाओं का मुख्य भोजन है। ये लोग शराब और दारू भी खूब पीते हैं। अपने ग्रामीण पंचायत को ये लोग धीरा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं और इसके सभापति को दंदिया कहते हैं। इन लोगों के समाज में विवाह को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है। इनके समाज में जादूगरी एवं धर्म का काफी प्रभाव होता है। इनकी संख्या 1·42 लाख है।

असुर—असुर जाति की जनसंख्या केवल 7783 है जो कि राँची तथा पलामू जिलों में निवास करते हैं। उनकी भाषा 'असुरी' कहलाती है, ये प्रायः स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। असुर लोग छोटानागपुर के पठार क्षेत्र में बसते हैं और उनकी छोटी-छोटी बस्तियाँ होती हैं। उनका पुराना पेशा तो लोहा गलाना तथा तैयार करना था, वे आजकल खेती-बारी करते हैं।

करमाली—करमाली की जनसंख्या बिहार में 38,651 है। ये अधिकांशतः राँची तथा हजारीबाग जिले में पाये जाते हैं। उनकी अपनी बोलचाल की भाषा नहीं है। वे 'सादानी' बोलते हैं। उनका पेशा खेतीबाड़ी तथा मजदूरी करना है। यों उनका परंपरागत पेशा लोहे का काम करना है।

किसान—किसान की आबादी 16,903 है। अधिकतर वे राँची तथा पलामू जिले के पहाड़ी-जंगली इलाकों में बसते हैं। उनकी भाषा मुंडारी है, पर वे सदानी अच्छी तरह बोलते हैं। इनका पेशा खेतीबाड़ी, लकड़ी काटना आदि है। किसान कहीं-कहीं 'नगसिया' भी कहलाते हैं।

खरवार—खरवारों की जनसंख्या बिहार में 2·22 लाख है। अधिकतर वे राँची तथा पलामू जिले के पहाड़ी-जंगली इलाकों में बसते हैं। उनकी भाषा मुंडारी है, पर वे सदानी अच्छी तरह बोल लेते हैं। उनका प्रधान पेशा खेती है। आस-पास के इलाके में खरवार अपनी बहादुरी के लिये प्रसिद्ध हैं।

खौंड—खौंड पलामू, शाहाबाद और धनबाद में पाये जाते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा सदानी और भोजपुरी बोलते हैं। ये खेती एवं मजदूरी करते हैं। इनकी जनसंख्या 1569 है।

गोंड—गोंड की आबादी 96 हजार है। इस जाति के लोग सिंहभूम, राँची तथा पलामू जिले में बसते हैं। छपरा-चम्पारण एवं रोहतास जिले में भी कुछ गोंड पाये जाते हैं। इनकी अपनी बस्ती नहीं होती है, वे अन्य आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों की बस्ती में रहते हैं। यूँ तो इनकी असल भाषा मुंडारी है, पर वे क्षेत्रीय भाषा ही अधिकतर बोलते हैं। इनका पेशा खेतीबाड़ी है।

गोराइत—गोराइत की संख्या बिहार में 5,206 है। वे पलामू तथा राँची जिलों में पाये जाते हैं। उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, बल्कि वे सदानी बोलते हैं। उनका पेशा खेतीबाड़ी है। वे गैर आदिवासियों के गाँव में रहते हैं।

चिक बड़ाईक—बिहार में 'चिक बड़ाईक' की जनसंख्या 40 हजार है। वे छोटानागपुर के सभी जिलों में पाये जाते हैं। उनकी भाषा सदानी है। उनका मुख्य धन्धा कपड़ा बुनना रहा है। वे विशेषकर अन्य जनजातियों के गाँवों में रहते हैं और उनकी जरुरत लायक कपड़ा बुनते हैं।

चेरो—चेरो की आबादी 52 हजार है। वे अधिकतर छोटानागपुर के पलामू जिला में रहते

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं। उनकी बोल-चाल की भाषा सदानी है, पर उनकी अपनी भाषा मुंडारी है। वे खेती तथा उससे मिलते-जुलते काम करते हैं। अधिकतर चेरो अन्य जातियों से प्रभावित हो कर मिलजुल गये हैं।

परहैइया—परहैइया की जनसंख्या 74,452 हैं। उनकी भाषा पहली कहलाती है। वे बोल चाल में सदानी व्यवहार करते हैं। उनका पेशा बाँस से टोकरियाँ बनाना और ढोल बजाना है। वे दक्षिणी बिहार के हजारीबाग, पलामू तथा राँची में पाये जाते हैं।

लोहरा—लोहरा की आबादी बिहार में 1·69 लाख है। वे दक्षिणी बिहार के राँची सिंहभूम जिलों में पाये जाते हैं। उनकी अपनी खास भाषा नहीं है, टूटी-फूटी हिन्दी, सदानी तथा आस-पास की जनजातियों की भाषा बोलते हैं। उनका पेशा लोहे के औजार और हथियार बनाना तथा मरम्मत करना है। उनकी अपनी कोई बस्ती नहीं होती है।

माल पहाड़िया—माल पहाड़िया की जनसंख्या 79 हजार है। उसकी भाषा मानलती है। वे सौरिया पहाड़ियों से मिलते-जुलते हैं। उनका पेशा खेतीबाड़ी है। वे पहाड़ों पर, जंगलों में अधिकतर बसते हैं। माल पहाड़िया दक्षिण बिहार के संथाल परगना जिले में पाये जाते हैं।

बेड़िया—बेड़िया की जनसंख्या बिहार में 60,446 है। वे अधिकतर हजारीबाग तथा राँची में रहते हैं, पर मुंगेर जिला में भी बसते हैं। वे स्थानीय बोली बोलते हैं। उनका पेशा खेती है। वे गाँव में रहते हैं जहाँ अन्य जाति और जनजाति के लोग रहते हैं।

बथुड़ी—बथुड़ी की जनसंख्या बिहार में 1,595 है। वे लोग सिंहभूम जिला में पाये जाते हैं। उनकी अपनी भाषा मुंडारी से मिलती-जुलती है, पर वे 'सदानी' बोलते हैं। उनका पेशा कोई खास नहीं है। वे खेतीबाड़ी, मजदूरी आदि कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

बंजारा—बंजारा लोगों की जनसंख्या केवल 411 है। वे लोग प्रायः संथाल परगना जिले में पाये जाते हैं। वे छोटे-छोटे गिरोहों में घूमते रहते हैं। उनका गाँव नहीं होता। वे स्थानीय भाषा बोलते हैं।

बैगा—बैगा की जनसंख्या बिहार में केवल 1,807 है, जो कि राँची और हजारीबाग के क्षेत्र में रहते हैं। उनकी मुख्य आबादी वन्य प्रदेशों में है। उनका भाषा 'बैबाई' है। वे सदानी बोलते हैं। उनका पेशा शिकार तथा जंगलों से कन्द-मूल इकट्ठा करना है।

बिरजिया—बिरजिया की जनसंख्या 4,057 है। यह पलामू जिले में निवास करते हैं। स्थानीय भाषा बोलते हैं। उनका जीवन खेती पर निर्भर है।

बिझिया—बिझिया की जनसंख्या 1009 है। वे राँची जिला के सिमडेगा तथा सबडिविजन में पाये जाते हैं। वे स्थानीय सदानी भाषा बोलते हैं। उनका पेशा खेतीबाड़ी है।

भूमिज—भूमिजों की जनसंख्या बिहार में 1 लाख 36 हजार है। वे राँची, धनबाद सिंहभूम जिलों में पाये जाते हैं। उनकी अपनी भाषा मुंडारी है पर सदानी और बंगला का प्रभाव उन पर अधिक पड़ा है। वे अच्छे गृहस्त और काश्तकार हैं। धनबाद जिले में सरदार के नाम से भी पुकारे जाते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सावर—सावर की जनसंख्या बिहार में केवल 7071 है। वे छिट-पुट राँची, सिंहभूम तथा हजारीबाग जिलों में रहते हैं। वे क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। उनका पेशा खेती तथा मजदूरी करना है।

सौरिया पहाड़िया—सौरिया पहाड़िया की जनसंख्या 39 हजार है। वे प्रधानतः दक्षिणी बिहार के संथाल परगना जिला में रहते हैं किन्तु छिट-पुट राँची, हजारीबाग में भी पाये जाते हैं। उनकी भाषा 'मालत्री' कहलाती है जो कि उरांव भाषा से मिलती-जुलती है। वे थोड़ी बहुत स्थानीय भाषा भी बोल लेते हैं। वे 'कुरवा' या 'झूम' प्रणाली (जंगल जलाकर) द्वारा खेती करते हैं और जंगलों के बीच पहाड़ों के ऊपर छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं।

सारणी—I

जनजातिय आबादी का क्षेत्रीय वितरण

क्षेत्र	जनजातिय आबादी (लाख में)	कुल आबादी का %
दक्षिण छोटानागपुर डिविजन		
1. पलामू तथा गढ़वा	4·43	18·08
2. राँची	9·64	43·56
3. गुमला	8·16	70·80
4. लोहरदग्गा	1·62	56·41
उत्तर छोटानागपुर डिविजन		
1. हजारीबाग	2·50	8·81
2. गिरिडीह	2·71	12·22
3. धनबाद एवं बोकारा	2·25	8·42
संथाल परगना डिविजन		
1. दुमका	6·21	41·55
2. गोड्डा	2·16	25·09
3. साहेबगंज	5·07	38·99
4. देवघर	1·19	12·76
अन्य जिले (बिहार)		
रोहतास	0·47	1·62
पश्चिमी चम्पारण	0·31	1·33
पूर्णिया	0·82	4·37
कटिहार	1·01	5·37
भागलपुर एवं बांका	1·10	3·58
मुंगेर एवं जमुई	0·70	2·31

स्रोत—TRIBALS IN BIHAR / NSDB-95

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी—II

जनजातीय जनसंख्या तथा जनजातियाँ

जनजाति का नाम	जनसंख्या	कुल जनजाति आबादी का
1. संथाल	2060730	35.46
2. उरांव	1054064	18.14
3. मुंडा	845887	14.56
4. हो	536523	9.23
5. खेरवार	222758	3.83
6. भूमिज	136109	2.91
7. खैरा	142271	2.49
8. गोंड	96574	1.66
9. महाली	91868	1.58
10. माल पहाड़िया	79322	1.36
11. बेड़िया	60446	1.04
12. चेरो	52210	0.90
13. चिक बराईल	40339	0.69
14. सउरीया पहाड़िया★	39269	0.68
15. कोरा	33952	0.58
16. परहैइया	24012	0.41
17. किसान	23420	0.41
18. कोरवा★	21940	0.39
19. बिझिया	10009	0.17
20. आसुर	7783	0.13
21. सवार★	7071	0.12
22. गोरयैत	5206	0.09
23. करमाली	3865	0.07
24. बिरहोर	4377	0.07
25. बिरजिया	4057	0.07
26. बड़गा	3551	0.06
27. खोंड	1595	0.03
28. बथुड़ी	1569	0.02
29. बंजारा	411	0.02
30. हिल खैचरा*	Not Available	—

स्रोत—TRIBALS IN BIHAR / NSDB-95 (नोट—★ अति प्राचीन)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पारम्परिक लोक माध्यम

जनजातीय समाज ने अपने सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण के अनुरूप सम्प्रेषण के पृथक संगठन एवं संस्थाएँ विकसित की हैं। सामाजिक संपर्क एवं सम्प्रेषण की विभिन्न संस्थाओं की संक्षिप्त चर्चा वांछनीय प्रतीत होती है। साप्ताहिक बाजार जनजातीय ग्रामीण जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसे आम तौर पर हाट कहा जाता है और यह सप्ताह में एक या दो दिन किसी निश्चित स्थान पर लगाया जाता है। बाजार केवल वस्तुओं के क्रय-विक्रय अथवा आर्थिक गतिविधियों का ही मात्र केन्द्र नहीं होता बल्कि यहाँ अनेक सामाजिक कार्यों का भी संपादन होता है। यह जन संपर्क एवं संचार का भी एक पारम्परिक माध्यम है। यह जनजातीय जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रथा युवा गृहों की है। जनजातीय युवा गृह मूलतः अनौपचारिक एवं समन्वित व्यावहारिक शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है। यहाँ सामूहिक जीवन, पारिवारिक प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक परम्परा की अनौपचारिक परन्तु व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसे घोटुल नाम से भी पुकारा जाता है। अन्य समय में घोटुल को चौपाल या अतिथि गृह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उरांव जाति के लोग इसे घुमकुड़िया या पेलो एरपा नाम से पुकारते हैं। मुंडा एवं बिरहोर इसे गितिओरा नाम से पुकारते हैं। जनजातीय जीवन का तीसरा प्रमुख अंग त्योहार तथा जातरा का है। ये पर्व त्योहार इनके सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। अधिकांश पर्व त्योहार कृषि-चक्र से जुड़े हुए हैं और अधिकतर इन्हें सामूहिक रूप से गाँवों में मनाया जाता है। ये सामाजिक सम्प्रेषण के अवसरों को बढ़ाते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में अन्तरसंबंधों को बढ़ावा देते हैं। सामान्यतः इन त्योहारों को सभी गाँवों में अलग-अलग दिन मनाया जाता है और इसकी तिथियाँ गाँव प्रधान 'पाहन' निश्चित करता है। चूंकि कृषि ही जीवनोपार्जन का प्रधान आधार है अतः मुख्यतः ये पर्व बीज डालने, फसल तैयार होने तथा नये अन्न की शुरुआत होने के अवसरों पर मनाए जाते हैं। सरहुल तथा करमा में जंगल से सखुआ तथा करमी की डाल लाकर उसकी पूजा की जाती है। ये दोनों ही जनजातीय समाज के महत्त्वपूर्ण पर्व हैं। इसके अतिरिक्त विशेष पेशे से जुड़े त्योहार जैसे सड़सी, कुटासी आदि भी आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ाने का अवसर देते हैं।

संथाल, उरांव एवं मुंडा जनजातियों द्वारा मनाये जानेवाले फागु तथा सोहराई पर्व, संथालों का वाहा पर्व, मुंडा का माघे पर्व तथा उरांव का खद्दी पर्व भी उल्लेखनीय है। एक अन्य महत्वपूर्ण आदिवासी पर्व 'हुसू' है जो अग्रहन संक्रांति के दिन कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है।

जातरा या मेला जनजातीय समाज में सामाजिक सम्पर्क सम्प्रेषण का अवसर प्रदान करता है। यह जनजातीय समाज के लिए बाहरी दुनिया से भी संपर्क का माध्यम है।

जनजातीय धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएँ भिन्न होते हुए भी मुख्य धारा से समीप हैं। ईश्वरीय आस्था के साथ-साथ इन्हें अनेक देवी-देवताओं पर भी आस्था है। मुंडा जाति में विशेष रूप

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से सिंग बोंगा, बुरू बोगा और इकिर बोंगा की पूजा होती है। 'देविच्छा' जानने की जनजा... में अनेक पारम्परिक रीतियाँ प्रचलित हैं जैसे स्वप्नाधारित, चिर संचित ज्ञान और अनुभूति... ईश्वर एवं इष्ट देवी-देवताओं पर यह बलि भी चढ़ाते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु होने पर इ... विश्वास है कि मृत आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करती है तथा इस अनिष्टकारी प्रेत प्रभाव का... करने के लिए ओझा की सेवा प्राप्त करते हैं। इन्हें पूर्व जन्म पर भी विश्वास है। मृत्यो... जनजातियों में शव-दाह या दफनाने का प्रचलन है। यों तो जनजातियाँ पृथक-पृथक... देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं फिर भी समग्र रूप से यदि देखा जाए तो इनका ध... प्रचार प्रकृति की शुद्धता एवं नैतिक निष्कलंकता की धारणा पर आधारित है। धार्मिक... सामाजिक प्रथाओं में इनके यहाँ छट्ठी, कनछेदी, विवाह आदि प्रमुख हैं। इनमें सगोत्र वि... बुरा माना जाता है। यह कर्मफल इश्वरेच्छा पर छोड़ देते हैं और उसे प्रसन्न करने के लिए ... प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। सामान्यतः जनजातियों के पूजास्थल पर कोई मन्दिर नहीं ब... जाता तथा सभी धार्मिक कार्य उन्मुक्त वातावरण में किए जाते हैं। जनजाति अनेक प्रकार... जड़ी बूटियों से मिश्रित चावल की गुंडी से बने रानू को पवित्र मानते हैं और इसका प्र... सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में करते हैं।

आदिवासी कला एवं साहित्य

आदिवासी साहित्य एवं कला का अपना ही गौरवशाली इतिहास है। बिहार के द... पठारों में वास करनेवाले मुंडा, संथाल, पहाड़िया, हो, उरांव एवं खड़िया जाति के लोग प्र... से जुड़े हुए हैं और उनकी कला एवं लोक संगीत में प्रकृति की सौंदर्यानुभूति होती है। प... एवं जंगल से जुड़ा जनजीवन प्रकृति की सहज अनुभूतियों के लिए उन्मुक्त है। इनकी ... और संगीत सभी में स्वतन्त्र एवं प्रसन्न मानचित्र का आभास होता है।

कला—आदिवासियों की कला प्रेरणा उनके आस-पास की प्राकृतिक एवं पर्यावर... दशा है। जंगलों एवं पहाड़ों के बीच भी उनका जीवन कौतूहल एवं रस से भरा है। उनके ... एवं सरस जीवन में संगीत एवं कला का प्रमुख स्थान है। इनकी कला इनके घरों की स... में प्रतिबिंबित होती है। वे घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उन्हें अन्य... की मिट्टियाँ तथा पेड़ों एवं अन्य वनस्पति से प्राप्त रंगों से नाना प्रकार की आकृतियाँ... ज्यामितिक डिजाइन बनाते हैं। घर की दीवारों पर स्त्रियां अपनी उंगलियों से अर्द्ध वृत्त... नपी तुली सामानान्तर रेखाएँ खीचती हैं और चित्र को स्वाभाविक सरल रूप देने का ... करती हैं। घर के अन्दर नित लिपाई पुताई होती है तथा हो एवं संथाल जातियों में ... पुताई एवं सजावट का कार्य प्रायः घर की कुवांरी लड़कियाँ करती है और जब यह वि... होकर चली जाती है तब घर की सजावट भी फीकी पड़ने लगती है।

बंगाल बिहार सीमा पर अवस्थित संथाल जनजाति की लोक चित्रकला जादोपटिया... कहलाती है। अब यह प्रायः लुप्त हो चली है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आदिवासी कला खजूर के पत्ते से बने चटाई सूप तथा टोकरी की बनावट, मछली पकड़ने की कुमनी लोण्डरा एवं गीरा आदि उपकरणों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की बनावट में भी समाई हुई हैं। नृत्यांगन के वाद्य यन्त्रों में भी इनकी कला निपुणता देखने में आती है। ये सारी वस्तुएँ वे हाथ से सामान्य लौह औजारों से बनाते हैं तथा कहीं भी मशीन या शक्ति का प्रयोग नहीं होता। लकड़ी के छाल से बने रंग से ये वस्त्रों पर नमूने छापते हैं जो अत्यन्त लुभावने होते हैं।

साहित्य—आदिवासी लोक साहित्य में गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों आदि की बहुलता है। आदिवासी गीत प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हैं तथा अधिकतर नृत्य गीत ही प्रसिद्ध है। जंगली पक्षियों, बादलों के प्रवाह, बदलते मौसम, वनों में फूलों की बहार इन गीतों के प्रेरणा स्रोत हैं। इन गीतों में सनातन प्रकृति की कोमलता एवं रंग-रस जैसे सुरक्षित कर दिये गये हैं। अधिकतर गीत मौसमी है तथा इनकी लय एवं ताल मौसम के साथ-साथ बदलते हैं। मुंडा लोक गीतों में जदुर, गेमा, करमा, मगे एवं अडन्दी प्रसिद्ध है। अडन्दी शांदी-ब्याह के समय, जदुर गीत वसंत के समय तथा करमा गीत गर्मी एवं बरसात की एकान्तावस्था के समय गाये जाते हैं। संथाली गीत दोड, लागडे सोहराय, दयात रिजा एवं डांटा भी मौसम के अनुसार गाये जाते हैं। ये भी अधिकतर नृत्य गीत हैं। 'हो' जाति का मुख्य गीत 'वा' वसन्त गीत है तथा 'हैरो' धान की बुआई के समय गाया जाता है। उरांव जाति के मुख्य गीत सरहुल जतरा, धुरिया, असाठी, मठा आदि हैं!

संगीत—जनजातीय लोकगीतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक महिलाओ द्वारा गाया जाने वाला लोक गीत जैसे जनानी झूमर, डमकच, झूमता, अंगनई, वियाह, लहर झंझाइन आदि। दूसरा पुरुषों के लोकगीत जिसमें सभी अन्य प्रकार के गीत सम्मिलित हैं। इन लोक गीतों को विभिन्न रागों के आधार पर गाया जाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण लोक गीतों का राग परिचय निम्न प्रकार से है—

(i) झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है जिसके अनेक उप प्रकार हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में इसका मूल स्वरूप भी बदलता रहता है। यह राग या गीत तीज, करमा, जितिया, सोहराय आदि त्योहारों पर गाने की परम्परा है।

(ii) डमकच छोटानागपुर के सभी क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। यह अत्यन्त रसीला एवं मधुर होता है और इसे मुख्य रूप से ब्याह के अवसर पर गाने की प्रथा है।

(iii) अंगनई राग मुख्य रूप से छोटानागपुर के पश्चिमी भागों में प्रचलित है और इसे केवल स्त्रियां ही गाती हैं।

(iv) डइड़धरा राग या गीत वर्षा ऋतु में (अषाढ़ से माघ) तक गाया जाता है। यह पूर्वी छोटानागपुर में अधिक प्रचलित है और यह साधारणतः देवोत्थानों में गाया जाता है।

(v) वियाह गीत या राग शादी ब्याह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसके

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अतिरिक्त लगनादि, मरछनी, हरदी चढ़ाई एवं मटकोड़न के अवसरों पर भी गाया जाता है।

(vi) झंझाइन गीत स्त्रियों द्वारा संतान के जन्म के अवसरों पर या जन्म से सम्बन्धी संस्कारों के अवसरों पर गाया जाता है।

नृत्य—जनजातीय क्षेत्रों में विशेष नृत्य शैलियां भी प्रचलित हैं। इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय शैलियां हैं—

(i) पइका नृत्य जो कि ओजपूर्ण नृत्य है, जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं।

(ii) छउ नृत्य जो मयुरभंज (उड़ीसा), पुरूलिया (बंगाल) तथा सराईकेला (बिहार) लोकप्रिय है। यह नृत्य शैली आध्यात्मिक एवं प्रकृति से जुड़े विषयों से संबंधित है।

(iii) जदुर नृत्य स्त्री-पुरुष का सामूहिक नृत्य है जो धीमी गति से किया जाता है।

(iv) जतरा नृत्य की एक सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री-पुरुष एक-दूसरे का हाथ पकड़ नृत्य करते हैं।

(v) करमा नृत्य करमा त्योहार के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है।

(vi) नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है जिसमें नचनी और रसिक (पुरुष नर्तक) कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य प्रदर्शन करते हैं।

(vii) नटुआ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है।

(viii) अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो माण्डा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। इसमें शील पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त चौकारा, संथाल, जमदा, घटवारी, माथा, सोहराय, चोकरा, लुरी, सायरो आदि अन्य प्रमुख नृत्य हैं। नृत्य के लिए जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है उनमें सारंगी, केन्दरा, टोलिया (ततवाद्य), बांसुरी, शहनाई, मेरी (सुषिर वाद्य), मंजिरा काठवाला या ठेसका (धमवाद्य) ढोल, ढाक, नगाड़ा, मांदर, डफ आदि (अवनद्ध वाद्य) प्रमुख हैं।

जनजातीय साहित्य—जनजातीय साहित्य में लोक कथाओं का अधिक प्रचलन है। इन कथाओं में परम्परागत तथा पीढ़ियों के अनुभवों तथा आदर्शों को अभिव्यक्ति मिलती है। इनके द्वारा आदिवासी सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रथा को बड़े सुन्दर प्रतीकों से व्यक्त किया जाता है। लोक कथाओं का अधिकतर संबंध छोटे बालकों से है तथा इसका उद्देश्य इन बालकों को प्रेरणा एवं विश्वास दिलाना है। लोक कथाओं के अतिरिक्त आदिवासी साहित्य पहेलियों और लोकोक्तियों से भरा पड़ा है जिनमें नित प्रतिदिन की साधारण बातों, तथ्यों तथा अनुभवों को बड़ी चतुराई से दर्शाया गया है।

मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा 'सोंगा-बोंगा' एक बैलेड के रूप में गढ़ी गई है जो उनकी जाति की परम्पराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। यह कथा धार्मिक रीति के समय किसी 'देबड़ा' द्वारा कही जाती है। इसके अतिरिक्त इस जाति में अन्य कई वन्य-कथाएं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रचलित हैं। संथालों की अधिकतर कहानियों में जंगली पशु जैसे बाघ, सियार, बन्दर आदि कथा-पात्र होते हैं तथा इनसे ऐतिहासिक संघर्षों का बोध भी होता है। 'हो' एवं 'खरिया' जाति के साहित्य में पहेलियों की भरमार है। इनकी कुछ कथाओं में सृष्टि की रचना को भी समझाने का प्रयास किया गया है।

आदिवासी लोक साहित्य के अध्ययन का दुर्भाग्य से अभी तक ठोस एवं गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। जनजाति के संगीत, कला एवं लोक साहित्य हमारी संस्कृति की अग्रिम कड़ी है और इसके संरक्षण का प्रयास सरकार का ही नहीं परन्तु इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक बुद्धिजीवी का कर्तव्य है। ऐसा न हो कि हमारी उदासीनता के कारण आगे की पीढ़ी के लिए संग्रह करने योग्य कुछ बचे ही ना।

आदिवासी क्षेत्र में उग्रवाद एवं पृथकवाद

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—दक्षिण बिहार का पठारी भाग जो आज 'झारखण्ड' के नाम से जाना जाता है 16वीं शताब्दी तक भारत के राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगलों ने आदिवासी सरदार राजा दुर्जनसाल को हिरासत में लिया। राजा दुर्जनसाल को हिरासत में रखकर उसकी खूब खातिरदारी की गई तथा विलास के आयामों से परिचय कराया गया। रिहाई के बाद दुर्जनसाल ने 1628 में पहली बार बाहरी व्यक्तियों जैसे क्षत्रिय, महाजन तथा दस्तकारों को दक्षिणी बिहार में बसने की अनुमति प्रदान की। बाहर से आये नए निवासियों ने प्रदेश में नई व्यवस्था तथा संगठन की शुरूआत की और धीरे-धीरे जमीन्दारी की परम्परागत व्यवस्था इस क्षेत्र में भी स्थापित होने लगी। अंग्रेजी प्रशासन का सर्वप्रथम इस क्षेत्र से संपर्क 1765 में स्थापित हुआ परन्तु प्रथम प्रशासनिक व्यवस्था 1834 में ही स्थापित की गई। 1845 से जर्मन ईसाई धर्म-प्रचारकों ने अपना कार्य प्रारंभ किया तथा 1869 में एंग्लीकन चर्च की राँची में स्थापना हुई। हिन्दु धर्माबलम्बियों ने भी इस क्षेत्र में प्रचार एवं शुद्धि का कार्य 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ कर दिया। 1891 में राँची में आर्य समाज की स्थापना हुई और इसने आदिवासियों का शुद्धिकरण अभियान तेज किया।

आन्दोलन का प्रथम चरण—सर्व भारतीय सभ्यता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संपर्क में आने पर जनजातीय समाज पर अनेक अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जहाँ ईसाई धर्मावलम्बियों ने शिक्षा को धर्मप्रचार का एक माध्यम बनाया वहीं नई व्यवस्था तथा भू-प्रबंध के कारण जनजातियों के शोषण में वृद्धि हुई और असंतोष बढ़ने लगा। शिक्षा के प्रसार से इनमें जागरूकता भी आई है और ये नई परिस्थितियों के प्रति सजग हो गये हैं। 1830-32 में प्रथम कोल विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण भू-प्रबन्धन था। यह विद्रोह स्थानीय एवं असंगठित था परन्तु इसने जनजातीय भावनाओं को प्रबल रूप से प्रकट करने में बड़ी सफलता पाई। इसी के परिणामस्वरूप राँची में अंग्रेजों ने प्रशासनिक प्रबन्ध स्थापित किया। 1855 में संथाल विद्रोह मुख्य रूप से महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। संथाल सरदार ने पहले

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रशासन से महाजनों उनके क्षेत्रों से निकालने की प्रार्थना की क्योंकि उनका विश्वास था ये महाजन भोले-भाले आदिवासियों को ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें साधनविहीन कर हैं। उनकी इस प्रार्थना पर उचित कार्यवाही न करने पर ही संथाल उग्र आंदोलन पर हो गये। 1895 में बिरसा मुंडा का "उल्गुल्नन" भी शोषणपूर्ण भू-प्रबन्धन तथा महाजनी की विकृतियों के कारण ही प्रारंभ हुआ था। बाद में चलकर इस आन्दोलन ने आध्या रूप भी धारण कर लिया। 1930 में बामनी के तरफ सरदार श्री दीनबन्धु पवार सिंह के में भूमिज क्षत्रिय आन्दोलन प्रारंभ हुआ।

विदोहन एवं शोषण का स्वरूप—इन सभी आन्दोलनों को अंग्रेजों ने कड़ी प्रशास कार्यवाही से दबा दिया परन्तु पूरे आदिवासी समाज में असंतोष की लहर बढ़ती ही रही। (गैर आदिवासी निवासी) तथा दीकू (बाहरी शोषकों) के प्रति आदिवासियों की भावनाएँ समय पर विभिन्न आन्दोलनों का रूप लेती रहीं। शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार से उन्हें महसूस होने लगा कि उंनके क्षेत्र की प्राकृतिक संपदाओं तथा साधनों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि यह उनके लिए एक अभिशाप साबित हो रही है। 1893 में बिहार में रेल परिवहन की स्थापना से झरिया में कोयला खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस में अधिकतर वेतनभोगी कर्मचारी बाहरी व्यक्ति थे तथा आदिवासियों को दैनिक मजदूरी भी काम बड़ी कठिनता से मिलता था। कोयला खनन के विकास के साथ-साथ इस क्षे औद्योगिकीकरण भी प्रारंभ हुआ। 1907 में जमशेदपुर में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थाप बाहर से आकर बसनेवालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 1930 तक अनेक क्षेत्रों में आदि अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राँची, पतरातू, बोकारो, तेनूघाट आदि में अनेक भारी औद्योगिक तथा संरचनात्मक परियोजनाओं की शुरू हो गई। इन परियोजनाओं के कारण इस पूरे क्षेत्र में आदिवासियों के विस्थापन की स ने गंभीर रूप धारण कर लिया। दूसरी ओर बाहरी ठीकेदारों द्वारा जंगल की अंधाधुंध से इन लोगों के जीवकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आधी से अधिक आदिवासी जंगलों के लघु उत्पाद, कन्द-मूल, पत्तियों एवं जलावन की लकड़ियों पर निर्भर करती हैं। संरचना के बदलाव तथा व्यवस्था की उदासीनता ने इस क्षेत्र के मूल निवासियों को उग्र आं के लिए मजबूर कर दिया। इसी आर्थिक एवं राजनीतिक कलह ने झारखण्ड आन्दोल जन्म दिया जिसका विस्तृत विश्लेषण अध्याय-IX (राज व्यवस्था) में दिया गया है।

भौगोलिक परिस्थिति एवं आर्थिक उपार्जन

भौगोलिक विशेषताएँ—बिहार में जनजाति बहुल क्षेत्र (छोटानागपुर एवं संथाल प 79·8 लाख हेक्टर भूमि में फैला हुआ है जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 46 प्रतिशत है। औसत वर्षा 1372 मि० मी० (जून-सितम्बर) होती है तथा जलवायु अर्द्ध-आद्र से आद्र प्रकार की है। यहाँ की मिट्टी लाल तथा पीले रंगों का मिश्रण है। यहाँ की मिट्टी बतिहीन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से बनी है और औसतन मिट्टी की प्रक्रिया आम्लिक एवं अनुर्वर है। कृषि की दृष्टि से पूरा क्षेत्र, ऊँचा-नीचा, अत्यन्त ढलुआ एवं यत्र-तत्र समतल है। परन्तु डांड़ भूमि सर्वाधिक आम्लिक है। मिट्टी हल्की होने के कारण इनमें जलधारण की शक्ति अधिक है। इस क्षेत्र की मात्र 27 लाख हेक्टर भूमि खेती योग्य है। अन्यत्र जंगल, पहाड़, पठारी क्षेत्र अथवा पड़ती भूमि है। वर्ष भर लगातार प्रवाहित बड़ी नदियों के अभाव में यहाँ स्थायी उत्पादक सिंचाई की व्यवस्था का अभाव है। पथरीली चट्टानों में नलदार कूप बनाने की कठिनाइयों के कारण यहाँ मुख्य रूप से आहर, तालाब तथा कुएं से सिंचाई की लघु योजनाएँ चलाई जाती हैं। निम्न उर्वरता, निम्न सिंचाई, कटाव, अम्लता आदि कारणों से कृषि की उत्पादकता बहुत ही कम है। यही कारण है कि यहाँ धान की उपज औसतन 9·3 क्विंटल प्रति हेक्टर है जबकि प्रदेश में अन्यत्र यह 12 क्विंटल/ हेक्टर है।

आर्थिक उपार्जन—जनजातियां विभिन्न भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण नाना प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर इनके जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि तथा वन पदार्थ है। अधिकतर जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन वन एवं कृषि का ही दर्पण है। आधुनिक मशीनी युग के संपर्क से इनके जीविकोपार्जन की विधियों में भी धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। प्रधान रूप से जनजातियों की आर्थिक क्रियाओं को छः भागों में विभाजित किया जा सकता है—(i) शिकारी एवं कन्द मूल चुनना, (ii) झूम कृषि, (iii) हलधर कृषि, (iv) हस्त शिल्प, (v) अकुशल भूमिहीन श्रमिक, (vi) कुशल श्रमिक।

जनजातियों में सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया खैरा, बिरजिया आदि झूम कृषि करते हैं जिसे खल्लू भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में यह एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं और जंगल-झाड़ जलाकर भूमि को खेती योग्य बनाते हैं। बिरहोर जाति के लोग शिकार या कन्दमूल पर जीवन निर्वाह करते हैं तथा वन से प्राप्त लकड़ियों के प्रयोग से हस्तशिल्प एवं गृह निर्माण का कार्य भी करते हैं। संथाल, मुंडा, हो, उरांव स्थायी कृषक हैं जिन्हें हलधर कृषक भी कहा जाता है। लोहरा, करमाली, बराईक तथा महाली हस्तशिल्पी हैं तथा रोजमर्रा प्रयोग के छोटे-मोटे सामानों के निर्माण से गुजर बसर करते हैं। 93 प्रतिशत जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती हैं।

90 प्रतिशत जनजातिय आबादी भूमि से जुड़ी है और दो तिहाई कृषकों के पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है। दस प्रतिशत से भी अधिक भूमिहीन मजदूर हैं जो कृषि या असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करते हैं। यहाँ कुल भूमि की मात्र 8 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भूमि उपयोग विधि भी अत्यन्त अनुत्पादक एवं अमितव्ययतापूर्वक है। जंगलों के विनाश से इनके जीविकोपार्जन में कमी देखी जा सकती है। महाजनी व्यवस्था के प्रचलन से जनजातीय समाज में ऋणग्रस्तता व्याप्त है। शहरीकरण एवं औद्योगीकरण ने भी इनके परम्परागत जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है तथा अब ये अपने ही क्षेत्रों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में अल्पसंख्यक हो गये हैं। बाहर से जाकर बसे लोगों को ये दीकू पुकारते हैं तथा इस में चल रहे अनेक उग्रवादी आन्दोलनों का मुख्य निशाना यही दीकू है जिन्हें आदिवासी ... एवं उत्पीड़िक वर्ग मानते हैं।

महाजनी प्रथा पर नियन्त्रण पाने के लिए बिहार राज्य अनुसूचित क्षेत्र महाजन नि... अधिनियम 1985 तथा इसके पूर्व 1939 का बिहार मनी लेन्डर अधिनियम आदिवासी ... को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। दो तिहाई आदिवासी इन महाजनों या व्यापारि... चंगुल में फंसे हुए हैं।

18वीं सदी से ही इस क्षेत्र में जनजातियों द्वारा भूमि आन्दोलन चलाया जा रहा है। ... आन्दोलनों के प्रभाव के कारण ही छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम (1908) पारित हुआ ... यह जनजातियों के भूमि अधिकार की रक्षा करने में सफल साबित नहीं हुआ। 1948 में ... जिला ताना भगत पुर्नस्थापना अधिनियम पारित हुआ जिसका उद्देश्य उरांव जाति के ... भगतों को उनकी भूमि पर अधिकार दिलाना था। पंरन्तु अभी तक इस कार्य में कोई उल्ले... सफलता नहीं मिली है। भूमि अधिकार से वंचित होने तथा अन्य रोजगार की कमी के ... इनमें गरीबी व्याप्त है। एक सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 64.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण ... में 39.8 प्रतिशत जनजातीय आबादी गरीबी-रेखा से नीचे है। गरीबी एवं अभाव सा... तथा राजनीतिक कलह को जन्म देते हैं। जनजातीय अधिकारों के लिए अनमने ढंग से ... गये सरकारी प्रयासों ने भी इस क्षेत्र में उग्रवाद एवं राजनीतिक कलह को बढ़ावा दिया ...

जनजातीय विकास हेतु सरकारी प्रयास

वर्तमान में जनजातीय विकास हेतु बिहार में बहुस्तरीय सरकारी योजनाएं चलायी जा... हैं। इस संबंध में यह बता देना उचित होगा कि जनजातीय विकास के तीन प्रमुख अभि... हैं—(i) केन्द्र द्वारा निर्मित एवं समर्थित व्यापक विकास योजनाएं, (ii) राज्य सरकार द्वारा वि... एवं कल्याण की राज्यस्तरीय योजनाएं तथा (iii) सूक्ष्म (micro) स्तर पर तीन डिविज... जनजातीय क्षेत्र विकास अभिकरणों (TADA) द्वारा चलायी जा रही स्थानीय योजनाएं...

आदिवासी उपयोजना—जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए संथाल परगना, उत्तर एवं द... छोटानागपुर में जनजाति क्षेत्र विकास अभिकरण (TADA) का गठन किया गया है। ... में अलग से आदिवासी उपयोजना का गठन किया गया है। अधिकतर आदिवासी जन... छोटानागपुर एवं संथाल परगना के अनेक जिलों में वास करती है। राज्य में आदिवासी उप... के अन्तर्गत 43,604 Sq. Km. क्षेत्र आता है जहां 43.29 लाख आदिवासी वास करते हैं ... उपयोजना रांची, गुमला, लोहरदग्गा, सिंहभूम एवं पलामू जिलों में चलाई जा रही है। ... अन्तर्गत गोड्डा, दुमका एवं साहबगंज जिले के कुछ भाग आते हैं। 112 प्रखण्डों (Blo... को प्रशासनिक सुलभता के लिए 14 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITD) में ... किया गया है। इन परियोजनाओं को Meso Projects कहा जाता है। ये योजनाएं उन्हीं प्र...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में चलायी जातीं हैं जहां जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत है। इस परियोजना द्वारा 75 प्रतिशत जनजातीय आबादी के विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य में जनजाति विकास कार्यक्रमों की परिकल्पना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जाती है जिसे राज्य सरकार, बैंक एवं सहकारी संस्थाएँ समन्वित रूप से चलाने का प्रयास करती है। इस उपयोजना के अन्तर्गत कुल योजना व्यय का 25% व्यय होता है तथा यह राज्य का 25.07% क्षेत्र है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में Rs. 1212 करोड़ व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 1559 करोड़ हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रु० 3336.57 करोड़ व्यय का प्रावधान है। आदिवासी उपयोजना के द्वारा अनेकों विकासात्मक एवं कल्याण कार्य किये जाते हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—समग्र जनजाति विकास परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण अंग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) है। इसके द्वारा पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, पोषण आहार, गृह निर्माण हेतु भूखण्ड तथा विद्युतीकरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं तांकि इन क्षेत्रों में शोषण मुक्त विकास कीं अवस्था तय हो सके। परन्तु इन कार्यक्रमों का समुचित लाभ जनजातियों को मिलने के बजाय परियोजना चलानेवाले निकायों के प्रबन्धकों को अधिक मिला है। MNP के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में सूखा पीड़ित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPADP), सीमान्त किसान कृषक श्रम विकास निकाय (MFALDA), जवाहर रोजगार योजना (JRY), ग्रामीण बेरोजगार युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) भी चलाये जा रहे हैं।

शैक्षणिक सुविधाएँ—आदिवासी जनसंख्या में साक्षरता दर 16.99% से भी कम है तथा महिलाओं की साक्षरता पर 2.5% से भी कम है। सेवाओं एवं तकनीकी संस्थाओं में इनके न्युन्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए सरकार ने TSP के अन्तर्गत अनेक स्कीमें चलाई हैं। राज्य सरकार द्वारा 83 आवासीय स्कूल, 36 उच्च्च विद्यालय, 30 मध्य एवं 16 प्राथमिक विद्यालय तथा एक इन्टर विद्यालय खोला गया है जिसका तमाम वित्तीय भार सरकार वहन करती है। छात्राओं को स्कूल यूनिफार्म मुफ्त दिया जाता है तथा उनके हॉस्टल में आवास की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। परीक्षा फीस जो विद्यालय या विश्वविद्यालयों की परीक्षा हेतु ली जाती है उसकी वापसी (Reimbursement) की भी व्यवस्था सरकार करती है। सरकार विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर पढ़ाई के लिए Merit Cum Poverty के आधार पर वजीफा (Stipends) भी देती है।

प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र —राज्य में आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गई है। यहां आदिवासी युवकों-युवतियों को आधुनिक उत्पादन पद्धति से अवगत तथा प्रशिक्षित कराया जाता है ताकि वह आधुनिक समाज में अपनी जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थियों को वजीफा (Stipend) भी दिया जाता है तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें रोजगार हेतु 5000/- रु० मूल्य का उपकरण किट (Kit) दिया जाता है। इसका पूरा व्यय राज्य सरकार TSP के अन्तर्गत वहन करती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार राज्य आदिवासी सहयोग विकास निगम—इस निगम की स्थापना 1978 में ... थी। इसका उद्देश्य जनजातियों के सदस्यों को आर्थिक सहायता देकर उनका आर्थिक ... सामाजिक उत्थान करना है। यह निगम आदिवासियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण दि... महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह ऋण सुविधा मार्जिन मनी या अनुदान योजना के ... देता है। मार्जिन मनी ऋण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विभिन्न ... योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा एवं 75 ... बैंको के द्वारा दिया जाता है। यह योजना राज्य के 14 जिलों में चलायी गई है। वर्ष ... 81 से 1990-91 तक कुल 60,448 सदस्यों को इस योजना से लाभ पहुँचाया जा चुका ... निगम द्वारा 509·78 लाख रुपये मार्जिन मनी ऋण के रूप में बैंको के माध्यम से दिया ग...

अनुदान योजना के अंतर्गत हरिजन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लि... प्रतिशत अनुदान देकर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अधि... राशि 35,000 रुपये है, जो मुख्यतः नाबार्ड द्वारा निर्धारित लाभकारी व्यवसायों पर ऋ... अनुदान दिया जाता है। यह योजना अब तक राज्य के 25 जिलों में कार्यरत है। वर्ष ... 91 तक 71,232 परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। निगम द्वारा 186·06 लाख ... की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहकारिता विकास निगम ... दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 51 एवं 44 प्रतिशत के ... में हिस्सा पूँजी उपलब्ध कराई जाती है।

सहकारी समितियों का गठन—राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति के बेरोजगार ... युवतियों के लिए 44 होजियरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस नई ... के तहत प्रत्येक होजियरी समिति के लिए राज्य सरकार की ओर से 12·50 लाख ... व्यवस्था की गई है, जिसमें युवक युवतियों को स्थान, शेड, सिलाई मशीन, कच्चे मा... आपूर्ति एवं तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था के साथ-साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था ... है। इसके लिए आठवीं योजना में रु० 55 लाख का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त आदिवासा उत्थान हेतु सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक ... खेल-कूद में टैलेन्ट सर्च स्कॉलरशिप, पहाड़िया जाति के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, तकनीकी ... कैंप, पुस्तकालय विधि सहायता, सीमित चिकित्सा सहायता आदि महत्त्वपूर्ण योजना... रही हैं।

सरकारी प्रयासों एवं परियोजनाओं की उदासीनता के कारण जनजातीय बहुल ... उग्र उप-राष्ट्रीयता का विकास हुआ। 18वीं सदी से लेकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध ... स्थिति से निबटने के लिए इनलोगों ने विद्रोह का सहारा लिया। वही स्थिति इस शता... दूसरे भाग में भी देखी जा सकती है। उग्र झारखण्ड आन्दोलन के फलस्वरूप 9 अगस्त ... को झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (JAAC) का गठन हुआ है फिर भी यह व्यवस्था जन... आकांक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप प्रकट नहीं होती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिरसा भगवान
(1875-1902)

दक्षिण बिहार अनेक जनजातीय आंदोलनों का केन्द्र रहा है। इन राजनीतिक, समाजिक एवं सुधारवादी आंदोलनों में प्रधान रूप से बिरसा आंदोलन तथा ताना भगत आंदोलन उल्लेखनीय हैं। ये आन्दोलन मुख्य रूप से जमीन की काश्तकारी व्यवस्था से संबंधित थे जिसका प्रभाव पूरे जनजातीय समाज के आर्थिक उपार्जन एवं सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ता था। इन आन्दोलनों में बिरसा मुंडा द्वारा संचालित आंदोलन का केवल दक्षिणी बिहार में ही नहीं वरन् तत्कालिक ब्रिटिश सरकार की विधि व्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ा।

बिरसा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को राँची जिला के तमाड परगना के ग्राम उलीहातु में एक गरीब मुंडा परिवार में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुई। छात्र जीवन में ही चाईबासा क्षैत्र में चल रहे भूमि आंदोलन में संलग्न हो गये। 18 वर्ष में ये चक्रधरपुर के जंगल आन्दोलन में भी शामिल हुए और 1895 में इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत बताया और एक नये पंथ की शुरुआत की। 1895 के पूर्व से ही ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के घोर विरोधी हो गये थे और उनके विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया था। 1895 से 1897 तक इन्हें बन्दी बनाया गया परन्तु रिहाई के बाद यह पुनः भूमि आन्दोलन में सक्रिय हो गये। मार्च 1900 में इन्हें पुनः बन्दी बना लिया गया तथा जेल में ही इनकी 1902 में हैजे से मृत्यु हो गई। इनके आन्दोलन के कारण ही 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी कानून बना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-8

पर्यटन और खेल जगत

बिहार, अपने ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक वैभव, भौगोलिक सम्पन्नता, प्राकृ सुंदरता, वन-सम्पदा और जीव-जन्तुओं की विविधता के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग जाता रहा है। यहाँ एक ओर राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, सहसराम, रोहतास जैसे ऐतिहा स्थल हैं तो दूसरी ओर मैथन, बेतला और नेतरहाट का प्राकृतिक सौन्दर्य बिखरा है। ए बोधगया, देवघर, बिहारशरीफ और पटना साहिब के पावन तीर्थ-स्थल हैं तो दूसरी ओर मैथन और जमशेदपुर में स्थित आधुनिक युग के 'मंदिर' हैं। यह एक ऐसा राज्य है जह धर्मों, रूचियों और परम्पराओं के लोगों के लिए पर्यटन के अनुकूल अवसर और उपयुक्त उपस्थित हैं। यहाँ की गौरवशाली परम्पराएँ, विलक्षण रीति-रिवाज, समृद्ध संस्कृ सामाजिक जीवन पद्धतियाँ, मेले-त्योहार आदि, सदियों से देशी और विदेशी यात्रि आकर्षित करते रहे हैं।

राज्य में आने वाले पर्यटकों में 1980 के दशक के लगातार वृद्धि हो रही है। 19 जहाँ इस राज्य में मात्र 2,81,598 भारतीय एवं 19,976 विदेशी यात्रियों का आगमन था, वहीं वर्ष 1991 में इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 20,73,553 एवं 80,827 हो गई के कुछ अन्य राज्यों की भाँति इस राज्य में भी अभी हाल तक पर्यटन आय का स्रोत समझा जाता था, लेकिन अब इसे सरकार द्वारा उपयुक्त मान्यता दी जाने लगी है 1,7 की आमदनी एवं यहाँ के निवासियों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने वाले एक मह कारक के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा है। पर्यटन को सरका वर्ष 1987 से एक उद्योग के रूप में मान्यता भी दी जा चुकी है तथा इस क्षेत्र के समुचित के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 958 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान कि था। बिहार स्टेट टूरिज़्म डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन करके राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष उपाय किये हैं। राज्य के अनेक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के एवं प्रचार के निमित्त विभिन्न कार्य सम्पन्न भी किये गए हैं। सैलानियों को आकर्षित क राज्य के पर्यटन स्थलों के संबंध में उपयुक्त जानकारियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं राज्य के बाहर 48 पर्यटन सूचना केन्द्र संचालित किए गए हैं तथा आगन्तुक मेह आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 500 शय्या क्षमता के 16 पर्यटक होटल, बंगला, कैफे हाउस आदि राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा कई डिलक्स बसें, मिनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कारें भी चलाई जा रही हैं।

जापानी सरकार के सहयोग से राज्य के बौद्ध स्थलों के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये की एक वृहद योजना का कार्यान्वयन भी प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यटकों को उत्तम आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थलों पर होटलों का विकास तथा जल-विहार द्वारा उनके मनोरंजन के लिए पटना की गंगा नदी तथा हजारीबाग तोपचांची एवं राँची की झीलों का विकास एवं अन्य आवश्यक प्रबन्ध भी कर रही है। समय-समय पर पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष उत्सवों एवं त्योहारों का आयोजन, छठ पर्व के अवसर पर पटना में एवं सोनपुर मेले के अवसर पर सोनपुर में पर्यटक ग्रामों की स्थापना भी की जा रही है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार आठवीं योजना 1992-97 के अंत तक राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,50,000 एवं देशी पर्यटकों की संख्या 27,00,000 के लक्ष्य को प्राप्त करने को कृत संकल्प है तथा उसके लिए पूरी योजना अवधि में 3210 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य में प्रमुख पर्यटनस्थल निम्नलिखित हैं—

पटना—आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर की। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में एक है जिसका 2500 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास के लम्बे काल में इसे पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा गया। प्राचीन पाटलीपुत्र की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने ईसा से 500 वर्ष पूर्व की थी व चौथी तथा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग पूरे उत्तर भारत पर मगध का वर्चस्व बना रहा। आज भी इसके प्राचीन अवशेष कुम्हरार स्थित पुरातत्व स्थल में देखे जा सकते हैं। 16वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए यहाँ शेरशाह सूरी के नेतृत्व में पठानों का बोल-बाला रहा। इसी शहर में 1669 में सिक्खों के दसवें गुरू श्री गोविन्द सिंह का जन्म हुआ जिसकी याद में तख्त श्री हरमन्दिर की स्थापना हुई जो सिखों के चार मुख्य तीर्थ स्थलों में एक है। 18वीं सदी में अजीमुश शान जो मुगल बादशाह औरंगजेब का पोता था बिहार का प्रांतपति बना। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा।

पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इनमें कुछ का विवरण इस प्रकार है—प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष, कुम्हरार में बिखरे पड़े हैं। यह स्थान दक्षिणी पटना में, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किमी० दूर स्थित है। 1813, 1912–15 में और 1951–55 के बीच पुरातात्विक खुदाई में यहाँ अनेक अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन राजप्रसाद के एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं। कुषाण और गुप्तकाल के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 600 ईपू से 600 ई तक यहाँ निरंतर सम्पन्न आबादी रही है। इससे लगभग दो किमी पूरब में स्थित अगमकुआँ है। लोकश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने एक छत्र राज करने की लालच में अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनके शव इस कुएँ में मिटा दिये थे। इसका ऐतिहासिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साक्ष्य कुछ नहीं है। यहाँ पर शीतला देवी का मंदिर भी स्थित है। इसका जीर्णोद्धार सौन्दर्यीकरण हाल के वर्षों में हुआ है। मध्यकालीन पटना के मुख्य अवशेष नगर के भाग में स्थित है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन के लगभग 2 किमी० पश्चिमोत्तर में में शेरशाह की बनाई हुई मस्जिद है। चौक थाना के निकट, उत्तर की ओर, सैफखान की हुई मस्जिद और मदरसे के अवशेष हैं। यह फारसी शिक्षा का सुप्रसिद्ध केन्द्र रहा था। दक्षिण में कुछ ही दूर पर तख्त श्री हरिमंदिर है जो गुरू गोविन्द सिंह का जन्मस्थल है। की वर्त्तमान इमारत 1957 के लगभग बनी। इसमें जयपुर, मकराना और जोधपुर के सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। पाँच मंजिल उँची इस इमारत में गुरू गोविन्द हस्ताक्षरयुक्त ग्रंथ साहब की एक प्रति और हुकुमनामा सुरक्षित है। गुरूद्वारा से 3 किमी में शहर का सबसे पुराना ईसाई गिरजाघर है जो 1772 के लगभग बना था। इसीके कुछ ईसाईयों का कब्रिस्तान है जहाँ उन अंग्रेज़ अधिकारियों की कबरें और उनपुर बना स्मारक (obelisk) है जो बक्सर की लड़ाई के पूर्व नवाबमीर क़ासिम के फ्रांसिसी सेनानायक के आदेश पर मार डाले गये थे। मध्यकालीन पटना की अंतिम सीमा पच्छिम दरवाजे में

मध्य पटना में स्थित खुदा बख़्श लाईब्रेरी राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र है जहाँ इस्लामी मध्य एशियाई एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित असंख्य दुर्लभ पाण्डुलिपि चित्रकला के उत्कृष्ठ नमूने सुरक्षित हैं। यह पुस्तकालय विदेशों से आने वाले विद्वान पर्यटकों के लिए आकर्षण का विशेष केन्द्र है।

पश्चिमी पटना में गाँधी मैदान से पश्चिम में कुछ दूरी पर गोलघर स्थित है। विशाल गुम्बदाकार गोदाम जिसे 1786 में कैप्टन गार्स्टिन के ब्रिटिश सेना के लिए अनाज के वास्ते निर्माण कराया था। इसके शिखर तक जाने वाली दो वर्तुलाकार सीढ़ियाँ गोलघर के ऊपर से शहर का एक विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इससे कुछ और में गंगा नदी के किनारे देश के पहले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की समाधि स्थित है। से दक्षिण की ओर लगभग 1½ किमी की दूरी पर पटना संग्रहालय स्थित है। संग्रहालय इमारत पर्वर्त्ती मुगल निर्माण शैली का सुंदर नमूना है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध दीदारगंज प्रतिमा के साथ मौर्यकाल से पालकाल तक के प्राचीन अवशेष सुरक्षित हैं। यहाँ का आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष (fossil tree) है जो 20 लाख वर्ष पुराना है। मुगल चित्रकला पटना कलम के अनेक सुंदर नमूने भी यहाँ सुरक्षित हैं। इससे कुछ ही दूरी पर पटना का (planetarium) है जहाँ जी.एम. 2 स्वचालित स्टार प्रोजेक्टर की सहायता से विश्व भी शहर या आक्षांश के ग्रह नक्षत्रों के दृश्य आसानी से दर्शकों को दिखाये जा सकते हैं। सचिवालय के पूर्वी द्वार के सामने शहीद स्मारक स्थित है जो 1942 के भारत छोड़ो में शहीद हुए सात छात्रों की स्मृति में बनाया गया है। इसी स्थान से कुछ दूर संजय गांधी उद्यान स्थित है। यहाँ विभिन्न किस्म के जानवरों और पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण जाता है। दुर्लभ वनस्पतियों के भी कुछ नमूने यहाँ उपलब्ध है। हाल के वर्षों में यहाँ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मत्स्यशाला का भी निर्माण हुआ है।

पटना की पश्चिमी सीमा पर **सदाकत आश्रम** स्थित है जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान कार्यालय है। इस आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी मौलाना मज़हरूल हक ने असहयोग आंदोलन के समय में की थी। यहाँ बिहार विद्यापीठ का भी गठन हुआ। अवकाश प्राप्ति के बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यहीं निवास ग्रहण किया था।

मनेर—पटना से 29 किमी० की दूरी पर स्थित मनेर सूफी संत शर्फूद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा है जिन्होंने 13वीं सदी में यहाँ ज्ञान एवं शान्ति की दीक्षा दी थी। संत यहया मनेरी के मजार पर वार्षिक उर्स पर आज भी हजारों हिन्दू-मुसलमान अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। इस मकबरे के पास ही इनके शिष्य एवं वंशज शाह दौलत का भी भव्य मकबरा है जिसे छोटी दरगाह कहा जाता है।

वैशाली—भगवान बुद्ध ने वैशाली में अनेकों बार अपना प्रवचन दिया था और उसीकी स्मृति में अशोक ने सिंहस्तंभ की स्थापना की थी। यह बिहार की राजधानी से 55 किमी० दूर उत्तर बिहार में स्थित है। 383ई. में यहाँ बौद्ध धर्म प्रचारकों का द्वितीय सम्मेलन हुआ। वैशाली में ही 527ई०पू० में भगवान महावीर का जन्म हुआ। छठी शताब्दी ई०पू० में यह लिच्छवियों की कर्मभूमि थी जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली में अशोक की लाट, जैन मन्दिर, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ही आदि दर्शनीय स्थल हैं।

सोनपुर—वैशाली से कुछ दूर गंगा के तट पर सोनपुर बसा है जहाँ प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला लगता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशुमेला है जो कार्तिक माह (अक्तूबर-नवम्बर) में आयोजित किया जाता है। सोनपुर हिन्दुओं का तीर्थ स्थल भी है जहाँ लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं।

गया—पटना से 92 किमी दक्षिण में फल्गू नदी के किनारे बसा गया शहर बिहार का प्राचीन नगर है यहाँ बिष्णुपद मन्दिर हिन्दुओं का पूज्य तीर्थ स्थल है जिसका नवनिर्माण इन्दौर की रानी अहिल्या बाई ने कराया था। इस मन्दिर के प्रांगण में अक्षयवट वृक्ष है जहाँ तीर्थयात्री पिण्डदान अर्पित करते हैं तथा फल्गू नदी में स्नान कर पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। गया के निकट ब्रह्मयोनि पहाड़ी स्थित है जहाँ से शहर का नयनाभिराम दृश्य देखा जा सकता है। इसी के निकट रामशिला पहाड़ी है जो प्रमुख पिकनिक स्पॉट है।

गया से 25 किमी दूर बराबर गुफाएँ हैं जहाँ मौर्यकालीन स्थापत्य के कुछ आरंभिक उदाहरण हैं। इस स्थान की चर्चा सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार EM Fosta ने Passage to India ने किया है। गया से 20 किमी. की दूरी पर प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर है जहाँ प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में छठ पूजा सम्पन्न होती है। गया से 40 किमी. की दूरी पर बराबर गुफाएँ हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पत्थर काट कर इस गुफा की निर्माण तीसरी सदी में किया गया था। गया की पत्थर काटने की कला भारत भर में प्रसिद्ध है। आज भी 'पत्थर कट्टी' मोहल्ले में पत्थर से मूर्त्ति एवं अन्य वस्तुओं का काम होता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बोधगया—ईसा से 500 वर्ष पूर्व बोध गया में ही भगवान बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। यह गया से 15 किमी. की दूरी पर निरंजन नदी के किनारे बसा छोटा-सा है। आज यह विश्व के सभी बौद्ध धर्मावलम्बियों का प्रधान तीर्थ स्थल बन गया है। महा मन्दिर के प्रांगन में आज भी मूल वटवृक्ष से उगा बृक्ष उसी स्थल के समीप खड़ा काल के उतार-चढ़ाव का साक्षी है। इसके ही समीप रतनाघाट में भगवान बुद्ध ने ध्यान में बिताया। आज इसके आस-पास तिब्बती मठ है जहाँ बौद्ध धर्म चक्र निरन्तर चलता रहता पास ही में जापान, बर्मा, चीन तथा थाईलैंड एवं श्रीलंका द्वारा निर्मित भव्य मंदिर है। बिहार में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं।

नालंदा—नालंदा विश्व का प्राचीन ज्ञान केन्द्र है। यह पटना से 90 किमी. की दूरी है। इसकी स्थापना 5वीं सदी में की गई थी तथा चीनी भ्रमक एवं इतिहासज्ञ युआन ने यहाँ 12 साल तक छात्र एवं शिक्षक के रूप में व्यतीत किये। यहाँ स्थापित विश्वविद्या में तर्कशास्त्र के पंडित दिनागा, ब्राह्मण गुरू धर्मपाल, बौद्ध प्रचारक महायाना ने शिक्षण कार्य किया था। यहाँ 700 वर्षों तक लगातार शिक्षा एवं दीक्षा का कार्य हुआ तथा छात्र एवं 200 शिक्षक यहाँ वास करते थे। हर्षवर्द्धन तथा कुमारगुप्त ने इस नगरी को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाई। नालन्दा का पतन पाल एवं सेन वंश के पारस्परिक संघर्ष के कारण प्रारंभ हो गया। नालन्दा में 1951 में एक भव्य संग्रहालय का निर्माण भी किया है। नालन्दा स्थित नव नालन्दा महाविहार राज्य में पाली स्नातकोत्तर शोध का मुख्य संस्थान

बिहारशरीफ—नालन्दा के पास ही बिहारशरीफ में मखदूम साहेब की दरगाह पर उर्स का आयोजन राष्ट्रीय एकता का बेहतरीन उदाहरण है जिसमें सभी धर्मावलंबी भाग हैं। इस नगरी में मलिक इब्राहिम बया का मकबरा भी है।

राजगीर—प्राचीन काल में राजगीर को राजगृह कहते थे। यह हिन्दू, बौद्ध एवं जैन का पूज्य तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् सप्तपरनी गुफा में बुद्ध परिषद् की बैठक हुई था। यहीं पास में गृध्रकुट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा बिम्बिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। राजगीर में ही राजा जरासंध का अखाड़ा भी है। राजा जरासंध शक्तिशाली शासक था जिसका अन्ततः पांडवों ने नाश किया। राजगीर ने गर्म पानी का कुण्ड भी है जहाँ लोग दूर-दूर से स्नान एवं पूजा अर्चना करने आते हैं। राजगीर में जापानी सरकार के योगदान से रोपवे (Ropeway) का निर्माण हुआ तथा पहाड़ पर बना बौद्ध स्तूप पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजगीर के अन्य दर्शनीय स्थलों में विश्व शांति स्तूप, जीविका सोनभंडार गुफाएँ, मनियार मठ, वेणुवन, मखदुम साहब का हुजरा (प्रार्थना स्थल) और कुण्ड हैं। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक राजगीर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता

पावापुरी—राजगीर जाने के मार्ग पर पटना से 80 किमी. की दूरी पर पावापुरी जिसे भी कहा जाता है स्थित है, यहीं भगवान महावीर ने 5वीं शताब्दी में अन्तिम सांस ली। स्थल पर इनका अन्तिम संस्कार किया गया वहाँ आज कमलरूपी तालाब के बीच 'जल

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का निर्माण किया गया है।

सासाराम—पटना से 160 किमी. की दूरी पर स्थित सासाराम में प्रसिद्ध पठान सुल्तान शेरशाह सूरी का अन्तिम विश्राम स्थल है। सासाराम में शेरशाह तथा उसके पिता हसन खाँ सूर का मकबरा भारत में पठान निर्माण कला का उत्कृष्ठ नमूना है। सासाराम में ही शेरशाह ने प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था में अनेक प्रयोग किये जो बाद में चलकर शेरशाह के प्रशासनिक एवं राजस्व सुधार का आधार बनें। यहीं प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ियाँ भी हैं जो 1857-58 में अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष में बाबू अमर सिंह का ठिकाना बनी थीं।

भागलपुर—"तसर रेशम" के लिए मशहूर भागलपुर बिहार में मानव सभ्यता के विकास का केन्द्रबिन्दु रहा है। यहाँ से 42 किमी. की दूरी पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर है। पास में ही कहलगांव से प्रसिद्ध चीनी यात्री एवं इतिहासकार युआन च्वांग ने अपनी ताम्रलिप्ती की यात्रा प्रारंभ की थी। भागलपुर के निकट नाथनगर में अंग राज की राजधानी थी। बरारी से गंगा के नीचे भूगर्भ गुफा मार्ग बनाया गया था, तथा गंगा के तट पर प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर दर्शनीय स्थल है। भागलपुर से 42 किमी. पूर्व भंडार पहाड़ियों पर बना विष्णु मंदिर हिन्दू धर्मावलंबियों का पूज्य तीर्थस्थल है।

देवघर—देवघर स्थित वैद्यनाथधाम मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है तथा यह मन्दिर महादेव को समर्पित है। मुख्य मन्दिर का निर्माण 1596 ई. में गिद्धौर राज्य के संस्थापक पूरनमल ने किया। यहाँ वसंत पंचमी, शिवरात्री तथा भाद्र-पूर्णिमा के अवसरों पर श्रद्धालुओं का विशाल संग्रह होता है। बिहार में यह सनातन धर्म का महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है।

वैशाली—धार्मिक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल, दोनों ही के रूप में वैशाली महत्वपूर्ण है। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में अशोक स्तंभ, राजा विशाल का गढ़, राज्याभिषेक पुष्करणी, कमल तालाब आदि महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर की जन्मस्थली कुण्डग्राम इसीके नज़दीक है। यहाँ के संग्रहालय में प्राचीनकालीन अवशेष सुरक्षित है।

राँची—समुद्रतल से 2140 फीट की ऊँचाई पर बसा राँची शहर कभी बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। यहाँ HEC का कारखाना स्थित है जो राज्य के लोक उद्यमों में विशिष्ट स्थान रखता है। यह शहर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। शहर में स्थित राँची पहाड़ी और तालाब के अतिरिक्त लगभग 4 किमी. दूर स्थित मोरहाबादी (अब टैगोर) पहाड़ी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। राँची से लगभग 9 किमी दूर कांके मासिक आरोग्यशाला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। राँची-कांके रोड पर स्थित, शहर से लगभग 4 किमी दूर, कांके डैम तथा शहर से 12 किमी दूर स्थित हटिया डैम भी प्रमुख पिकनिक केन्द्र है। राँची का जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय छोटानागपुर क्षेत्र में बसी जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अध्ययन का प्रमुख केन्द्र है। राँची के निकट अनेक जलप्रपात है। इनमें हुन्डू, जोन्हा, दशमघाघ और हिरणी जल-प्रपात अपनी सुंदरता और मनोहारी दृश्यों के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नेतरहाट—'छोटानागपुर की रानी' के नाम से विख्यात यह शहर, समुद्रतल से 3700 फीट की उँचाई पर स्थित है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है और यहाँ का विशेष आकर्षण सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य हैं। दर्शनीय स्थलों में मैगनोलिया प्वाइंट, घाघरी एवं सदनी जलप्रपात प्रमुख हैं।

जमशेदपुर—यह नगर एक ओर आधुनिक उद्योगों और दूसरी ओर प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य का सुन्दर सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में TISCO, TELCO उल्लेखनीय है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जुबली पार्क और दालमा हिल प्रसिद्ध है। जमशेदपुर के निकट जादुगोड़ में यूरेनियम, घाटशिला में तांबा, किरिबुरू और गुआ में लौह-अयस्क की खानें देखी जा सकती हैं।

हज़ारीबाग़—समुद्रतल से लगभग 2019 फीस की ऊँचाई पर स्थित हजारीबाग प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके निकट सुंदर और विशाल झील एक पिकनिक केन्द्र है। शहर से लगभग 25 किमी. दूर सुप्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर के अतिरिक्त बाघ, चीते और तेंदुए भी देखे जा सकते हैं। शहर की सीमा पर स्थित कैपरी हिल शहर का नयनाभिराम दृश्य दिखलाती है। शहर से लगभग 55 किमी. पर स्थित तिलैया डैम स्थित है। बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित राज्य का पहला जल-विद्युत केन्द्र-सह-बांध है।

धनबाद—दक्षिण बिहार की एक और प्रसिद्ध उद्योग नगरी धनबाद है। यहाँ केन्द्रीय खनन शोध संस्थान, केन्द्रीय ईंधन शोध संस्थान, खनन् सुरक्षा निदेशालय, खनन् महाविद्यालय आदि स्थित हैं। यहाँ के नज़दीक मैथन एवं पंचेत डैम, तोपचाची तालाब, सिन्दरी का उर्वरक कारखाना और झरिया की कोयला खानें प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

जैविक उद्यान एवं अभयारण्य

बेतला—पलामू जिला में स्थित यह अभयारण्य 250 वर्ग किमी. पर फैला है। भारत सरकार द्वारा यहाँ शेर संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1932 में यहाँ विश्व की पहली शेर जनगणना करायी गयी थी। इस अभयारण्य में लंगूर, गौर, सांभर, तेंदुआ, बाघ, चीतल, भालू और अन्य वन प्राणी काफी संख्या में बसे हैं। इनके अलावा भांति-भांति के रंग-बिरंगे पक्षी भी यहाँ वास करते हैं। अभयारण्य के क्षेत्र में चेरी राजाओं के दुर्ग के अवशेष भी देखे जा सकते हैं।

हज़ारीबाग—इस राष्ट्रीय उद्यान (अभयारण्य) की स्थापना 1970 में हुई थी। यहाँ सांभर, चीतल, नीलगाय और जंगली सुअर बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। इस अभयारण्य का विशेष आकर्षण यह है कि रात्रि के समय यहाँ मोटर गाड़ियों से सैर करने और वन प्राणियों को निकट से देखने की सुविधा उपलब्ध है।

दलमा—जमशेदपुर से लगभग 41 किमी दूर स्थित इस अभयारण्य में अनेक वन्य प्राणी, विशेषकर हाथी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं।

भीमबांध—मुंगेर से लगभग 65 किमी दूर भीमबांध तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और हरी-भरी घाटी है जहाँ दो जलधाराएँ (एक शीतल और एक उष्ण) आकर मिलती हैं और घने जंगल में एक जलकुएँ का निर्माण करती हैं। अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ यह स्थान एक महत्वपूर्ण अभयारण्य भी है जहाँ बड़ी संख्या में हाथी बसे हैं।

उदयपुर—चम्पारण ज़िले में स्थित, लगभग 10 वर्गकिमी पर फैला यह अभयारण्य बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है।

बिहार में स्थित कुछ अन्य अभयारण्य इस प्रकार है—

(i) चम्पारण का वाल्मीकिनगर अभयारण्य
(ii) रोहतास का कैमूर अभयारण्य
(iii) पलामू का महुआडांड अभयारण्य
(iv) नालन्दा का राजगीर अभयारण्य
(v) धनबाद का तोपचांची अभयारण्य
(vi) बोधगया का गौतमबुद्ध अभयारण्य

खेल जगत

बिहार में खेल कूद को प्रोत्साहित करने तथा उसके लिए सुनियोजित प्रयास करने का श्रेय स्वर्गीय मोईनुल हक को जाता है। इनके ही अथक प्रयासों से राज्य में खेलकूद की संस्थाओं का गठन हुआ तथा उन्हें दिशा मिली। उनके साथ बिहार में खेलकूद को स्व० आर० आई० सिंह एवं स्व० रवि मेहता ने भी बढ़ावा दिया।

बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने तथा उनको प्रमाणिक स्तर प्रदान करने हेतु 1961 में बिहार राज्य स्पोर्टस काउन्सिल का गठन किया गया। 1966 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसके 19 सदस्य होते थे तथा शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। परिषद का मुख्य कार्य सरकार को खेलकूद संबंधी परामर्श देना तथा अन्य संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। यह जिला एवं अनुमण्डलीय स्तर के खेलकूद संगठनों का अनुबन्धन भी करती थी तथा अनेक क्षेत्रों में यह विशेष खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, टेनिस आदि के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था करती थी। 1975-76 में स्पोर्टस काउन्सिल भंग कर एक राज्य स्तरीय स्पोर्टस् अथार्टी का गठन किया गया। अब इसका नाम बिहार स्टेट स्पोर्टस् अथार्टी है। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसके महानिदेशक श्री डब्लु० एच० खाँ हैं।

स्पोर्टस् काउन्सिल के अतिरिक्त राज्य में ओलम्पिक राज्य में ओलम्पिक एसोसिएशन की भी एक इकाई है। बिहार ओलम्पिक एसोशिएशन का गठन बिहार में खेलकूद संस्थाओं की संबंधनकारी संस्था के रूप में किया गया था। अभी 29 जिला स्तरीय खेलकूद की संस्थाएँ इससे संबंधित हैं।

स्टेडियम—बिहार में खेलकूद के प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल समारोह आयोजित करने हेतु कई स्टेडियमों का निर्माण किया गया है। पटना में तीन बड़े स्टेडियम बनाए गये हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम मोईनुल हक स्टेडियम है। इसकी क्षमता 25000 दर्शकों की है तथा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यहाँ अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल तथा क्रिकेट के मैच आयोजित कि चुके हैं। इसके अतिरिक्त फुलवारी शरीफ में मिथिलेश स्टेडियम तथा खगौल में रेलवे स्टे का निर्माण किया गया है। पटना में गाँधी मैदान में भी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित रहती है। विश्व कप मैच के लिए पटना स्थित मोईनुल हक स्टेडियम में नया पैविलियन ब इसे राष्ट्रीय स्तर का कर दिया है। पटना के अतिरिक्त जमशेदपुर में केनन स्टेडियम पूर्वी का एक महत्त्वपूर्ण स्टेडियम है। यहाँ बराबर पूर्वी क्षेत्र रणजी या एक दिवसीय क्रिकेट आयोजित होते रहते हैं। जमशेदपुर में ही जे० आर० डी० टाटा स्पोर्टस् कम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। राँची के मेकॉन एवं बिरसा मुंडा स्टेडियम तथा छपरा का राजेन्द्र स्टे प्रसिद्ध हैं। धनबाद में भी खेलकूद का एक भव्य स्टेडियम है, इसका नाम टाटा कोयलरी स्टे (डिगबाडी) है। जिला स्तरीय खेलकूद के लिए प्रायः प्रत्येक जिले में स्टेडियम की स्थापना गई है।

हॉकी—बिहार में हॉकी की शुरुआत 1904 में पटना कॉलेज के मैदान से हुई। धीरे यह खेल दक्षिणी बिहार में अधिक लोकप्रिय हो गया तथा इस क्षेत्र से अनेक प्रसिद्ध खि उत्पन्न हुए जिनमें मुख्य हैं गोपल भेंगरा, जस्तीन करकेता, माईकल किन्डो तथा एस डुंग ये सभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। 1928 में सम्पन्न एम्स्टरडम ओलम्पिक में भा पहली बार हॉकी प्रतियोगिता में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। विजयी टीम के क बिहार के जयपाल सिंह थे। राँची के मोराबादी में हॉकी के लिए ऐस्ट्रो टर्फ का मैदान चुका है। दानापुर छावनी स्थित कलिंग स्टेडियम में प्रति वर्ष मध्य कमान हॉकी प्रति आयोजित होती है।

फुटबॉल—बिहार में फुटबॉल की शुरुआत 1897 में इंगलिश शील्ड से हुई। यह पटना ऐथलेटिक एसोशिएशन से संबंधित थी। इसके पश्चात् बिहार में फुटबॉल की लोक बरथाउड (Berthoud) शील्ड, पटना सिटी चैलेन्ज कप, लाहरी शील्ड एवं बर्नार्ड शील्ड स्थापना से और भी अधिक बढ़ी।

हाल के समय में मोईनुल हक कप, श्री कृष्ण गोल्ड कप तथा डी० बी० शास्त्री प्रधान फुटबॉल प्रतियोगिताएँ थी परन्तु ये प्रतियोगिताएँ अब आयोजित नहीं होती हैं। भारतीय स्तर की केवल एक ही प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसका नाम है 'बोकारो फुटबॉल टुर्नामेन्ट'। पटना ऐथलेटिक एसोशिएशन राज्य में फुटबॉल की ए तथा बी डि की प्रतियोगिताएँ आयोजित करती हैं। बिहार के सबसे प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी श्री सी० हुए जिन्होंने 1971 में भारत की फुटबॉल टीम की कप्तानी की और 1971 में ही उन्हें पुरस्कार मिला। बिहार के अन्य मुख्य फुटबॉल खिलाड़ी हैं पी० के० बनर्जी, मेवालाल, भौमिक, अनवर हुसैन एवं अरुण झा। वर्तमान खेलमन्त्री राज्य में पुनः श्रीकृष्ण गोल्ड तथा संजय गाँधी गोल्ड कप प्रतियोगिताएँ शीघ्र शुरु किया जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। फु के विकास के लिए टाटा फुटबॉल एकाडमी प्रशंसनीय कार्य कर रही है। 1997 में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्कूल स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटना में हुआ था।

टेनिस/टेबुल टेनिस—लॉन टेनिस की शुरुआत 1912 के पूर्व, पटना में ही बांकीपुर एवं पटना न्यू क्लब में हुई तथा राज्य में बिहार लॉन टेनिस काउन्सिल का भी गठन हुआ। बिहार विभाजन के बाद बिहार लॉन टेनिस चैम्पियनशिप नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा तथा 1930 में ब्रिटिश टीम तथा 1970 में पाकिस्तान की टीम के साथ यहाँ डेविस कप का मैच आयोजित हुआ। बिहार में लॉन टेनिस के मुख्य खिलाड़ी के० सेन, एन० सेन तथा हरी वर्मा हुए। पटना में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी गुलाम मोहम्मद कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

1995 में बिहार के जमशेदपुर में राष्ट्रीय टेबुल टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन से इस खेल की लोकप्रियता बढ़ी है।

क्रिकेट—क्रिकेट की शुरुआत बिहार में रणजी मैचों के साथ हुई। पटना, जमशेदपुर एवं राँची में क्रिकेट खेल की राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त है परन्तु भारी लोकप्रियता के बावजूद भी यहाँ केवल एक ही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पनप पाया। सबा करीम भारत की टीम में शामिल किये गये थे। राष्ट्रीय स्तर के अन्य खिलाड़ी हैं रमेश सक्सेना एवं रणधीर सिंह। 1996 में विश्व कप श्रृंखला में ज़िम्बाबवे-केनिया के बीच खेले जानेवाले मैच का आयोजन पटना स्थित मोईनुल हक स्टेडियम में हुआ था।

अन्य खेल—बिहार में श्रीमती सरोजनी गोगटे अखिल भारतीय महिला बैडमिन्टन चैम्पियन रही है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराक एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौधरी टाटा में कार्यरत है तथा श्री शिवनाथ सिंह, जो बिहार के मूल निवासी हैं ने सेना खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गीता जुत्शी का जन्म भी बिहार के पटना जिले में हुआ था। वी० काशी ने राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में अच्छा प्रदर्शन किया है। महिला तीरन्दाज पूर्णिमा महतो ने बिहार का नाम रौशन किया है। बेसबॉल और बास्केटबॉल की भी नींव बिहार में पड़ चुकी है। बिहार के श्रीशंकरन बास्केटबॉल के जाने-माने खिलाड़ी हैं।

बिहार में राष्ट्रीय स्तर के रेफरी एवं अम्पायर भी हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं फुटबॉल के रेफरी स्व० ताहिर हुसैन तथा मानिक सेन गुप्ता। वर्तमान समय में योगेन्द्र पंडित तथा विजय कुमार सिन्हा राष्ट्रीय स्तर के रेफरी हैं। क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के अम्पायर हैं श्री गोरा बोस। बिहार के श्री एजाज हुसैन 1993 में केन्या का दौरा करनेवाली भारतीय हॉकी टीम और 19 वर्ष से कम आयु की बहरैन का दौरा करनेवाली फुटबॉल टीम के मैनेजर थे। इसके अतिरिक्त सलील दास, एस० वी० रमणी, के० बी० राव राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट अम्पायर रह चुके हैं। डा० समीर सेन गुप्ता, एल० पी० वर्मा तथा जमशेदपुर के मो० अजीम और पटना के डा० प्रेम कुमार राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्टस् कमेन्टेटर हैं।

बिहार में खेलकूद की पुरानी परम्परा रही है। गाँव-गाँव में अखाड़ों की व्यवस्था थी तथा कुश्ती-दंगल क्रीड़ा एवं मनोरंजन का साधन था। जमींदारी व्यवस्था इन अखाड़ों की सहायता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

करती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जमीन्दार तो समाप्त हो गये परन्तु सरकार का खेलकूद के प्रति बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहा। राजकीय समर्थन के अभाव तथा व्यवसायी वर्ग की उदासीनता खेलकूद के निम्न स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में अच्छे शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति से ही राज्य में इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का विकास संभव है। खेलकूद को बढ़ावा देने में विकेन्द्रित आयोजनों की भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

बिहार के कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी

- अरविन्द पन्ना (धावक)
- ओमपाल सिंह (लम्बी कूद)
- अजमेर सिंह (डिस्कस थ्रो)
- बुधवा उरांव (शॉट पुट)
- बलविन्दर सिंह (शॉट पुट)
- बहादुर सिंह (शॉट पुट)
- मर्सी कुट्टन (लम्बी कूद)
- सुन्दर सिंह तानवर (पोलवॉल्ट)
- अमिताव राय (धावक)
- शिवनाथ सिंह (मैराथन)
- सुखदेव सिंह (भारोत्तोलन)
- रतन कु० बसाक (भारोत्तोलन)
- इन्द्रजीत सिंह (भारोत्तोलन)
- एहसान अहमद (बेसबॉल)
- अजय तिवारी (बेसबॉल)
- स्मिता पाल (बास्केटबॉल)
- प्राची शर्मा (साफ्ट बॉल)
- संजीव शंकर (टेबुल टेनिस)
- सुशील टोपनो (हॉकी)
- विश्वासी भेंगड़ा (हॉकी)
- एल. के मिंज (हॉकी)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-9

शिक्षा एवं साक्षरता

साक्षरता सामाजिक विकास के विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई है। जहाँ साक्षरता अधिक है वहाँ देखा गया है कि जन्म दर, मृत्यु दर, जन-स्वास्थ्य, स्कूलों में नामांकन, महिला का समाज एवं परिवार में स्थान तथा पिछड़ों के विकास में भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साक्षर व्यक्ति अंधविश्वासों से मुक्त होता है और अपनी सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। संक्षेप में साक्षरता समाज में रचनात्मक परिवर्तनों का सूत्रधार है। साक्षरता के बिना विकास एवं सामाजिक न्याय की कल्पना भी करना निरर्थक है।

बिहार में साक्षरता की वर्तमान दशा

भारत में विशेषकर बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। संविधान के निदेशक तत्वों में, अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान, प्रारम्भ होने के 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे-बच्चियों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देना था। यदि पढ़ाई 5 वर्षों के बाद शुरु हो तो 14 वर्ष तक की शिक्षा का अर्थ आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने से होगा। निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 10 वर्षों से यानि सन् 1960 तक यह काम हो जाना चाहिये था। मगर अनेक आर्थिक-सामाजिक कारणों से वैसा नहीं हो सका। बिहार में जहाँ देश का पहला विश्वविद्यालय (नालन्दा) स्थापित हुआ आज वहीं शिक्षा की स्थिति दयनीय है। वर्त्तमान में देश में सबसे अधिक निरक्षर बिहार में हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर निरक्षरों की संख्या देश में 32.40 करोड़ थी जिनमें 4.28 करोड़ बिहार में थे जो किसी भी भाषा में पढ़ना और साथ ही लिखना नहीं जानते हैं।

बिहार 1951 में कुछ राज्यों से आगे था। अब वे राज्य बिहार से आगे हैं। वर्ष 1951 में बिहार की साक्षरता 15.64 प्रतिशत थी और हिमाचल प्रदेश की 9.87 प्रतिशत। मध्य प्रदेश की साक्षरता 12.56 प्रतिशत राजस्थान की 11.41 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 13.65 प्रतिशत थी। अब 1991 में ये सभी राज्य बिहार से आगे हो गए। केवल राजस्थान स्त्रियों की साक्षरता में बिहार से थोड़ा पीछे है। भारत की औसतन साक्षरता 1951 में 21.28 प्रतिशत थी और अभी 52.11 प्रतिशत है। बिहार की साक्षरता का प्रतिशत अभी 38.54 है, जबकि हिमाचल में यह 63.45 प्रतिशत, राजस्थान में 38.81 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 41.75 है जो राज्य 1951 में आगे थे वे तो आगे हैं ही। केरल प्रारम्भ से ही सबसे आगे रहा है। आज देश की जो औसत साक्षरता है, करीब-करीब वह केरल में 1951 में ही थी। केरल में 1991 में 90.59 प्रतिशत साक्षरता थी। तमिलनाडु में साक्षरता 63.39 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 63.65 प्रतिशत,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महाराष्ट्र में 63.65 प्रतिशत, गुजरात में 60.95 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 58.72 प्रति है। सन् 1991 के बाद इन राज्यों में साक्षरता में तेजी से वृद्धि हो रही है।

बिहार में महिलाओं की साक्षरता 1951 में 4.87 प्रतिशत से बढ़कर अभी 23.10 प्रति पर है। पचास के दशक में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी मगर 1961-71 के बीच रूक सी गई। इन दस वर्षों में महिलाओं में साक्षरता 8.65 प्रतिशत से बढ़कर 10.88 प्रति पहुँची। समिलित साक्षरता में विकास की स्थिति भी वही थी। वह 22.99 प्रतिशत 196 24.68 प्रतिशत 1971 तक बढ़ी। 1971-81 के बीच स्त्रियों की साक्षरता कुछ अधिक कुल साक्षरता 24.88 से बढ़कर 32.03 प्रतिशत तक और स्त्रियों के बीच वह 10.88 प्रति से 16.51 तक पहुँची और 1991 तक कुल साक्षरता लकभग 38.54 प्रतिशत और स्त्रियों साक्षरता लगभग 23.10 प्रतिशत हो गई।

1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में 7 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षरों की सं में 51 लाख की वृद्धि हुई है। यह जन्म वृद्धि का फल है। स्त्रियों में 2.55 करोड़ और पु में 1.72 करोड़ निरक्षर हैं। पुरुषों और स्त्रियों—दोनों में निरक्षरता की वृद्धि हुई। पुरुषों लगभग 19 लाख और स्त्रियों में 32 लाख की बढ़ोत्तरी हुई। बिहार की औसत साक्षरता में1951 से लगातार पीछे रही है। पटना में सबसे अधिक साक्षरता 60.6 प्रतिशत है। कम साक्षरता 17.96 प्रतिशत किशनगंज की है। मधुबनी की साक्षरता 21.75 प्रतिशत भागलपुर की साक्षरता 20.60 प्रतिशत है। धनबाद में 42%, पटना का 45% राँची के 4 नालन्दा के 38%, सिंहभूम के 50% लोग साक्षर हैं।

साक्षरता अभियान का ऐतिहासिक क्रम—बिहार में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम 1 में बनी अंतरिम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० सैयद निरक्षरता उन्मूलन अभियान को सकारात्मक रूप देने के लिए सदैव सक्रिय रहे। आव पठन सामग्री एवं तकनीकी पक्षों पर अभियान करने के लिए पृथक समितियों की भी किया गया। स्वतंत्रता पश्चात् राज्य में सामाजिक शिक्षा (Social Education) प्रौढ़ शिक्षा का र्यक्रम प्रारंभ किया गया। अलग से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को साक्षर के लिए भी कार्यक्रम चलाए गये। परन्तु इस दिशा में ठोस प्रयास 1978 में शुरु हुआ। वयस्क शिक्षा के लिए परियोजना आधारित कार्यक्रम चलाये गये। 1988 में केन्द्रीय सह से साक्षरता मिशन (Literacy Mission) आरंभ हुआ। 1990-91 में यह कार्यक्रम मुजफ्फ जमशेदपुर तथा राँची में गहनता से क्रियान्वित किया गया। 1991-92 में साक्षरता अ के अन्तर्गत सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी को भी सम्मिलित कर लिया गया। 1992-93 1993-94 के दौरान सीवान, दुमका, भोजपुर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सुपौल, बेगूसराय धनबाद में भी साक्षरता मिशन का विस्तार किया गया।

साक्षरता मिशन का मूल्यांकन—1994-95 तक बिहार में कुल 16 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में सांक्षरता दर मात्र 38.48 प्रतिशत है जिसमें पुरुष 5 प्रतिशत तथा महिलाएँ मात्र 23 प्रतिशत ही साक्षर हैं। यह सर्व भारतीय साक्षरता दर से

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कम है। बिहार में 1.5 करोड़ निरक्षर 15-35 आयु वर्ग के पाए जाते हैं जिनमें 0.30 करोड़ 1993-94 तक आच्छादित किये जा सके थे। अभी भी लगभग 1.3 करोड़ निरक्षरों को साक्षरता अभियान के दायरे में लाया जाना बाकी है। भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार साक्षरता मिशन के अन्तर्गत चल रही 16 परियोजनाओं में केवल 4 परियोजनाओं ने ही अपने निर्धारित लक्ष्य से मात्र 11.93 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है। 12 अन्य जिलों में चल रही साक्षरता मिशन परियोजना की उपलब्धियाँ अभी तक विश्वसनीय रूप से आंकी नहीं जा सकी है।

1988 से लेकर 1994 तक 30 लाख 57 हजार 722 निरक्षरों को साक्षर किया गया है। जबकि इस अवधि में केरल में 15 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया। यदि इन आंकड़ों को उपलब्धि के निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार की उपलब्धि केरल की अपेक्षा अधिक रही है परन्तु यह आकलन संसाधनों के आनुपातिक उपयोग से मेल नहीं खाता है।

साक्षरता अभियान की उपलब्धियों की दृष्टि से दुमका, भोजपुर तथा धनबाद उल्लेखनीय है। यहाँ इस अभियान में सकारात्मक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, परन्तु सहरसा में लक्ष्य का मात्र 2.3 प्रतिशंत तथा मधेपुरा में 15 प्रतिशत, मधुबनी में 38 प्रतिशत उपलब्धि ही प्राप्त हो सकी।

साक्षरता एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक पारदर्शिकता रहती है क्योंकि कार्यक्रम आयोजन, प्रबन्धन एवं संचालन के विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारिता रहती है। केवल सरकार के प्रयासों में साक्षरता अभियान की आशा नहीं क्री जाती है। सर्वप्रथम इसके लिए परियोजना के चुने हुए क्षेत्र में उपयुक्त वातावरण तैयार करना अनिवार्य है। साक्षरता अभियान में महिलाओं की पूरी भागीदारी निश्चित करना अनिवार्य है। पूरे अभियान की सफलता के लिए साधन की पहचान एवं प्रयोग, प्रबन्धन तथा स्वतन्त्र मूल्यांकन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रबन्धन व्यवस्था एवं नीति की निरंतरता भी सफलता के अन्य प्रेरक तत्त्व हैं।

महत्वपूर्ण राज्यों में साक्षरता दर (1991)

राज्य	कुल %	ग्रामीण %	शहरी %
बिहार	38.5	33.8	67.9
केरल	89.8	88.9	92.3
मध्य प्रदेश	44.2	35.9	70.8
महाराष्ट्र	64.9	55.5	55.8
पंजाब	58.5	52.8	72.1
तमिलनाडु	54.6	36.0	61.0
उत्तरप्रदेश	41.6	50.5	75.3

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महत्वपूर्ण राज्यों में स्कूलों में नामांकन की स्थिति (1992-93)

राज्य	प्राथमिक स्कूल	मध्य स्कूल	उच्च विद्यालय	उच्च. शिक्षा	शि... स्था...
बिहार	8895	2236	1533	495	79.5
आंध्र प्रदेश	7847	2288	1434	266	73.3
गुजरात	5983	1995	1247	392	60.3
कर्नाटक	6109	1854	1397	311	64.7
केरल	3019	1907	1139	108	8.5
महाराष्ट्र	8146	3203	962	249	67.1
पंजाब	2067	953	694	108	47.5
तमिलनाडु	7936	3409	1800	291	45.5
उत्तर प्रदेश	15744	5440	3380	487	56.7
प० बंगाल	10117	4603	1899	331	77.0
सर्व भारत	105370	38709	22710	4387	64.0

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

बिहार में शिक्षा का विस्तार समुदाय आधारित प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हुआ। विद्यालयों में पाठ्यक्रम व्यवहारिक एवं स्थानीय आवश्यकताओं से सीधा संबंध रखते थे। प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत से शिक्षा का मूल और व्यवहारिक चरित्र पूरी तरह गया। एक आकलन के अनुसार 1830 में बंगाल-बिहार संयुक्त प्रदेश में लगभग परम्परागत वरनाकुलर विद्यालय चल रहे थे तथा इनके पाठ्यक्रम आम जीवन आर्थिकोपार्जन से सीधे संबंधित थे। 1911-12 में अंग्रेजी मध्य विद्यालयों की सख्या मात्र थी जो 1936-37 में बढ़कर 664 हो गई। इसके विपरीत वरनाकुलर मध्य विद्यालयों की घट कर इस अवधि में 112 रह गई। अंग्रेजी पद्धति पर आधारित स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ती रही क्योंकि इनसे प्राप्त शिक्षा राज चलाने एवं सरकारी दफ्तरों में रोजगार पाने के पूर्वशर्त मानी जाती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमने अंग्रेजी शिक्षा के ढांचे को ही अपना आधार हालाँकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य दस वर्षों के सभी 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा करायेगा। पर 45 वर्षों बाद भी इस निर्देश का पूरा पालन नहीं हो सका है।

बिहार में 1947 में 21802 विद्यालय थे जो अब बढ़कर 66117 हो गये हैं। शिक्षकों की संख्या भी 40512 से बढ़कर 227838 हो गई है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन 10.14

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ने बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक हो गया है। परन्तु आज भी 6-14 वर्ष की आयुवाले 75 लाख बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं हैं। राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:50 हैं जो कि सर्वभारतीय अनुपात 1:35 से बहुत अधिक है। इसका प्रभाव शिक्षा के स्तर एवं नामांकन की स्थिति पर पड़ना स्वाभाविक है।

शिक्षा का प्रबन्धन

1976 के पूर्व प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगरपालिका तथा अधिसूचित क्षेत्रों के अधीन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के अधीन थे। 1976 में **बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम** में सरकार ने इनका दायित्व स्वयं संभाला तथा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी सरकारी कोष से राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। वर्त्तमान में शिक्षा व्यवस्था का दायित्व प्राथमिक , माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग के सुपुर्द है जिनके प्रधान सचिव होते हैं। सचिव के अधीनस्थ **प्राथमिक शिक्षा निदेशालय** तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए **जनशिक्षा निदेशालय** की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान (SCERT) कार्यरत है। जिला स्तर पर व्यवस्था का दायित्व जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष का होता है। प्रमण्डल स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक होता है जो जिला एवं प्रखण्ड स्तरों के पदाधिकारियों एवं कार्यक्रमों की देखरेख करता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि का प्रयास करता है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित 33 हजार प्रारंभिक विद्यालयों तथा 13 हजार मध्य विद्यालयों में अनेक संसाधनीय एवं भौतिक समस्याएँ हैं। सर्वप्रथम 40 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों के शिक्षक अनुपस्थिति के कारण इनमें नामांकन ही अर्थहीन है। छात्र-शिक्षक का अनुपात असंतुलित (50:1) है। इसका असर शिक्षा के स्तर पर पड़ता है। पूर्व में जातिगत समाज की कुरीतियों के कारण पिछड़ी एवं कमजोर जातियों के बच्चों का नामांकन ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन कार्य था। प्रत्येक विद्यालय में एक बाल पंजी होती है जिसको शिक्षकों को घर-घर जाकर भरना पड़ता है। इससे शिक्षा आयु योग्य बच्चों की नामांकन स्थिति पता चलती है। परन्तु इसके शिक्षक निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं। वर्तमान में सरकार ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी गाँव/टोलों में जिनकी आबादी 300 से अधिक है एक कि.मी. के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करायेगी। अनुसूचित जाति के लिए इन्दिरा विकास योजना के तहत निर्माण किए गए टोलों में 200 घरों पर ही एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। सन् 1997 तक प्रत्येक तीन प्रारंभिक विद्यालय पर एक मध्य विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजना (1992) के तहत ऐसे अभिवंचित समुदाय, पठारी इलाकों, वनांचल आदिवासी पहाड़ों तथा दुर्गम इलाकों में प्रत्येक 150 घरों पर ही स्वैच्छिक विद्यालय खोलने की योजना है। इन विद्यालयों में रोजगार आधारित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। कामकाजी बच्चों को प्राथमिक क्षिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से बिहार में 150 **चरवाहा विद्यालय** खोले गये

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं। 1996 से इन विद्यालयों में तकनीकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। राज्य में प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल की व्यवस्था थी जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होता था। स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब राष्ट्रीयकृत स्कूल भी हैं जिनका प्रबंधन एवं नियंत्रण सरकार करती है। सरकारी एवं राष्ट्रीयकृत स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट तथा उनकी अनुपयुक्तता के कारण आज प्रदेश में "अंग्रेजी पब्लिक" स्कूल हर गली कूचे में देखे जा सकते हैं। कुछ एक निजी स्कूल CBSE या ICSE से संबंधन प्राप्त हैं। स्कूली शिक्षा में राज्य के अधिकतर विद्यालय, बिहार राज्य सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा परिषद् से संबंधित हैं। इन्टरमीडियट की शिक्षा परिषद् के गठन के पश्चात अब राज्य में इन्टर स्तरीय कॉलेज/ स्कूलों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है।

वर्तमान में सरकार द्वारा पच्चीस हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। केन्द्र ग्रामशिक्षा समिति की अनुशंसा पर प्रखण्ड जनशिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को चार विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (i) विद्यालय छोड़ने वाले (Dropouts) (ii) विद्यालय विहीन टोलों/ग्रामों के बच्चों के लिए (iii) कामकाजी बच्चों के लिए (iv) उन बच्चियों के लिए जो पूरा दिन विद्यालय नहीं जा सकतीं। अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार एवं संवर्धन के संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना (Bihar Education Project) एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

बिहार शिक्षा परियोजना—बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEP) की स्थापना 1991 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। इस परियोजना में यूनिसेफ, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में हिस्सेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन हेतु एवं इसके द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु सामाजिक विकास के कार्य करना है। इस परियोजना का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण है। इसके अन्तर्गत औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा 6-14 वर्ष आयुवाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी पहुँच दिलाना है। इसके अतिरिक्त 15-35 वर्ष आयुवाले निरक्षर वयस्कों को सामान्य साक्षरता तथा व्यवहारिक शिक्षा की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह परियोजना महिलाओं में समानता के लिए शिक्षा तथा समाज में कमजोर वर्ग के बच्चों एवं वयस्कों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयत्नशील है। इस परियोजना के लिए सर्वप्रथम **"सीतामढ़ी मॉडल जिला योजना"** 1991 में लागू की गई। इस वर्ष इस योजना का विस्तार 7 जिलों में किया गया जिनमें राँची, पश्चिमी चम्पारण, रोहतास, पूर्वी सिंहभूम, सीतामढ़ी, चतरा एवं मुजफ्फरपुर को दो चरणों में सम्मिलित किया गया। परियोजना जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन में 25-90% तक की वृद्धि हुई है। इसका सकारात्मक प्रभाव शैक्षणिक माहौल एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। परियोजना जिलों में 10395 विद्यालयों के लिए 6290 ग्राम शिक्षा समितियाँ गठित की गई हैं। अनेक गाँवों में **"विद्यालय विकास कोष"** की स्थापना हुई है। इस परियोजना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसने महिलाओं में विश्वास तथा आत्मबल को विकास किया है तथा इसके जगजगी केन्द्र ने महिलाओं की साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

महत्वपूर्ण राज्यों में शिक्षा की सुविधाएँ

राज्य	प्राथमिक विद्यालय	मध्य विद्यालय	उच्च विद्यालय	महा-विद्यालय	तकनीकी संस्थान	विश्व विद्यालय	शिक्षक प्रति संस्थान
	1	2	3	4	5	6	7
बिहार	53292	13495	4191	537	31	18	3.7
आंध्रप्रदेश	50201	6330	7331	403	86	17	3.8
असम	28876	5703	3467	217	15	3	4.1
गुजरात	14448	17781	5475	271	58	10	6.3
केरल	6776	2931	2602	115	22	6	15.6
पंजाब	12464	1436	2780	172	29	4	6.5
तमिलनाडु	30098	5608	5368	233	71	17	7.4
उ. प्रदेश	78804	15463	6142	436	24	28	4.6
प. बंगाल	50827	4179	6804	302	64	12	5.3

* Including "deemed university" institutions.

उच्च शिक्षा—बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत पटना कॉलेज की स्थापना से हुई जो पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तत्कालीन सभी राजकीय एवं संबद्ध विद्यालय पटना विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लाए गये। बिहार में दूसरा प्रमुख महाविद्यालय बिहार नेशनल कॉलेज है जिसकी स्थापना बिहारवासियों ने ही 1899 में की। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उच्च तकनीकी एवं अंग्रेजी शिक्षा आर्थिक क्रियाओं का आधार बन गई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1951 में मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हाल ही में इन दोनों विश्वविद्यालयों का नाम बदलकर क्रमशः बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया। 1961 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1960 में रांची विश्वविद्यालय तथा 1962 में मगध विश्वविद्यालय (बोधगया) की स्थापना हुई। 1972 में मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा) बनाया गया जिसका बाद में नाम बदलकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रखा गया। 1990 में जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय (छपरा) तथा 1992 में चार अन्य नये विश्वविद्यालय क्रमशः बी.ए. मण्डल विश्वविद्यालय (मधेपुरा), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (भोजपुर), विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग) ताा सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय (दुमका)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की स्थापना हुई। 1987 में ही नई केन्द्रीय नीति के अन्तर्गत नालन्दा खुला विश्वविद्यालय बना गया। इस प्रकार वर्तमान में बिहार में 13 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। सरकार ने मजहरुल अर फारसी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है परन्तु यह पिछले पाँच सालों से लम्बित है। बिहार के इन विश्वविद्यालयों में 1917-52 के बीच मात्र 28 अंगीभूत इकाईयां थी जो 19 तक 305 हो गई। इसके अतिरिक्त राज्य में दो राजकीय महिला महाविद्यालय भी हैं। इस अतिरिक्त राज्य में 467 महाविद्यालयों को डिग्री स्तर का संबंधन प्राप्त है।

विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तरीय तकनीकी संस्थाएँ इन्डियन स्कूल ऑ माइन्स (धनबाद), बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनालाजी (मेसरा) तथा जेवियर इन्स्टीच्यूट ऑ लेबर रिलेशन (XLRI) जमशेदपुर स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है। बिहार में दो के तकनीकी संस्थाएँ सिंदरी एवं जमशेदपुर में स्थापित हैं। बिहार में कुल सात उच्च स्तरीय तकनी शिक्षा महाविद्यालय, नौ चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय तथा 11 शोध संस्थान हैं। राज्य विश्वविद्यालय पद नियुक्ति छोड़कर अन्य मामलों में स्वायत्त है। इसके प्रबन्ध व्यवस्था में सि तथा सिन्डिकेट का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1961 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का ग किया गया जिसे अब बिहार कालेज सेवा आयोग कहा जाता है। यह संबद्ध कालेजों में शि की बहाली करता है। 1985 में विश्वविद्यालय एवं उनकी अंगीभूत इकाईयों महाविद्यालयों शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत) सेवा आयोग का ग किया गया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग (दिल्ली) के मॉडल पर शिक्षक नियु परीक्षा (BET) लिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए बि अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन किया गया है।

बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर में 1980-1990 के बीच भारी गिरावट आई। इसका मु कारण शिक्षा माफिया का प्रादुर्भाव, शिक्षा का व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्त समयबद्ध पदोन्नति, स्तर मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव, संबद्ध एवं निम्न कोटि के महावि का राजनीतिक एवं अर्थ लाभ के लिए अंगीभूत इकाईयों में परिवर्तन तथा परीक्षा में व्या कदाचार रहा है। 1995 में पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण शिक्षा एवं परी सुधार की आशा बंधी है। वर्तमान सरकार ने भी कदाचार मुक्त परीक्षा के प्रति कटिब दिखाई है। 1990-95 के बीच एक भी संबद्ध महाविद्यालय को अंगीभूत इकाई का दर्जा दिया गया तथा शिक्षकों को पदोन्नति में व्याप्त कदाचार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रयत्न गये हैं। परन्तु अभी भी उच्च शिक्षा को सुधारने और इसे राष्ट्रीय स्तर तक उठाने के बहुत प्रयास की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने 1994-95 में गैर-योजना व्यय में 1 करोड़ की राशि तथा योजना व्यय में 4.50 करोड़ की राशि उच्च शिक्षा के रखरखाव एवं वि पर व्यय करती है। यह राशि प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय के अनुपात में कहीं अधिक है।

क्षेत्रीय भाषा साहित्य विकास—उच्च शिक्षा के अतिरिक्त राज्य सरकार क्षेत्रीय भ एवंसाहित्य के विकास एवं प्रसार पर भी बल देती है। इसके लिए अनेक संस्थाओं एवं अका

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का गठन किया गया है। पटना में दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान एवं रांची में जनजातीय भाषा अकादमी का गठन हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्व से ही भोजपुरी, मगही, बंगला, मैथिली, उर्दू, संस्कृत अकादमियाँ कार्यरत हैं। कुल मिलाकर राज्य में नौ अकादमी का गठन हुआ है।

विश्वविद्यालय —पटना विश्वविद्यालय, पटना (1917), बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (1951) मुजफ्फरपुर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (1951) भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय (1960), राँची, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (1961) दरभंगा, मगध विश्वविद्यालय (1962) बोधगया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (1972) दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय (1990) छपरा, बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय (1992) मधेपुरा, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय (1992) दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय (1992) हजारीबाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (1992) आरा, नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय (1987) पटना में कैम्प कार्यालय। इसके अतिरिक्त बिरसा मुण्डा कृषि विश्वविद्यालय, राँची तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा भी उच्च शिक्षा एवं शोध का कार्य करते हैं। इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स (1962) धनबाद तथा जेवियर इन्स्टीच्यूट ऑफ लेबर रिलेशन, जमशेदपुर को विश्वविद्यालय स्तरीय पहचान प्राप्त है।

महत्वपूर्ण राज्यों द्वारा शिक्षा पर व्यय (1992-93)

राज्य	1975-76 (Rs. Crores)	1992-93 (Rs. Crores)	1992-93 (Per Capita Rs)
बिहार	90	1341	148
पंजाब	55	701	338
केरल	105	999	333
असम	44	740	315
महाराष्ट्र	164	2376	292
तमिलनाडु	116	1584	276
गुजरात	74	1155	271
कर्नाटक	83	1189	255
प० बंगाल	106	1540	219
उड़ीसा	47	718	219
आन्ध्र प्रदेश	95	1398	203
म० प्रदेश	93	1175	171
उ. प्रदेश	171	2343	219
सर्व भारत	1406	20000	2198

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (DPEP)

बिहार में जून, 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (DPEP) 17 पुराने जिलों में लागू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा लागू की जा रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सर्वव्यापीकरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का आकलन तथा समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाना है। इसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जिला योजना का सूत्रण करना, मूल्यांकन को अधिक श्रमसाध्य बनाना, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों, दलितों तथा महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि करना तथा अभिवंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालयों तक लाना तथा उनकी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में छीजन (Drop out) को 10% से अधिक न होने देना, उपलब्धी की दर (rate of achievement) को 25% से ऊपर ले जाना तथा राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम का आधार समता एवं विकेन्द्रीकरण है जिसमें योजना सूत्रण में सहभागिता एवं मितव्ययता पर बल दिया जाता है। इस योजना का वित्त पोषण अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (IDA) (जो कि विश्व बैंक की सहभागी संस्था है) के द्वारा पाँच वर्षों तक किया जाएगा। इसके बाद यह राज्य सरकार की वित्तीय दायित्व में शामिल हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, गैर परम्परागत शिक्षा (NFE), जगजगी केन्द्र संचालन, महिला संस्था, अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था, भवन निर्माण, आवश्यक सेवा की आपूर्ति, वातावरण निर्माण आदि शामिल है।

★

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय–10

भौगोलिक संरचना

स्थिति एवं विस्तार—पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य बिहार है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है जो प्राचीन काल से ही देश के राजनैतिक इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। बिहार का विस्तार 21°58'10" से 27°31'15" उत्तरी आक्षांश तथा 83°19'50" से 88°17'40" पूर्वी देशान्तर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,74,038 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नगरीय क्षेत्र लगभग 3198.5 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार जैसी है। उत्तर से दक्षिण यह 605 किलोमीटर लम्बा और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का नवाँ बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5·7 प्रतिशत है। विहार की भौगोलिक स्थिति ने इस राज्य को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान किया है। इसका मैदानी भाग विविध कृषि फसलों और पठारी भाग खनिज सम्पदा के लिए विख्यात है। इसी कारण देश के कृषि एवं औद्योगिक जीवन में बिहार में स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अपने इन समृद्ध प्राकृतिक साधनों के कारण यह क्षेत्र प्राचीनकाल से ही भारतीय राजनीति और इतिहास में अग्रणी रहा है।

सीमाएँ एवं प्रशासनिक विभाजन—बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। दक्षिण में उड़ीसा का राज्य, पूरब में पश्चिम बंगाल का राज्य और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्य अवस्थित हैं। राज्य तेरह प्रमंडलों में विभाजित है। यह है सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णियाँ, भोजपुर, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं दक्षिणी छोटानागपुर। राज्य में अभी 55 जिले हैं जो निम्नलिखित हैं—गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण (सारण प्रमण्डल), सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली (तिरहुत प्रमंडल), मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर (दरभंगा प्रमंडल), सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा (कोशी प्रमंडल), पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार (पूर्णियाँ प्रमंडल) बक्सर, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा (पटना प्रमंडल), औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद (मगध प्रमंडल), मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा (मुंगेर प्रमंडल), भागलपुर, बांका (भागलपुर प्रमंडल); दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ (संथाल परगना प्रमंडल); हजारीबाग, गिरीडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, कोडरमा (उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल); पलामू, गढ़वा (पलामू प्रमंडल); राँची, गुमला, लोहरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल) राज्य में अनुमंडलों की संख्या 130 अंचलों की संख्या लगभग 600 है। राज्य में 220 नगर और 17, 848 गाँव है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राकृतिक संरचना—बिहार का भूखण्ड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैलसमूहों का योगदान है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। इसके विपरीत उच्च बिहार के क्षेत्र का लगभग प्रदेश मूलतः अत्यंत प्राचीन आर्कियन शैल समूहों से निर्मित है। भूविज्ञान के दृष्टिकोण से 6 व्यापक संगठनात्मक इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से है; उत्तरी चम्पारण और दक्षिण-पूर्वी सिंहभूम तृतीय कल्प से; पलामू, हजारीबाग, कोड धनबाद एवं संथाल परगना गोंडवाना कला से; साहेबगंज, दुमका और गोड्डा राजमहल से; रोहतास, उत्तरी पलामू और औरंगाबाद विंध्यन काल से; तथा सिंहभूम राँची, हजारी धनबाद, गिरिडीह एवं संथाल परगना के कुछ क्षेत्र आर्कियन काल से संबंधित हैं।

विभाजन एवं उप विभाजन

शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र—बिहार के उत्तर-पश्चिम में स्थित यह छोटा क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसे उप-विभाजनों में बाँटा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं—

(i) **रामनगर दून**—यह छोटी-छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 214 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। इनकी अधिकतम ऊँचाई 240 मीटर है। यह दक्षिण श्रेणी के में भी देखी जाती है।

(ii) **सुमेश्वर श्रेणी**—इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग भिखनाठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका शीर्ष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है। इस में कई दरे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। इनमें सुमेश्वर, भिखना और मरवात प्रमुख हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच सम्पर्क बनता है।

(iii) **दून घाटी**—उपरोक्त दोनों उप-विभाजनों के बीच स्थित इस घाटी को हरहा की घाटी भी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर लम्बी है और गंगा के मैदान से कुछ उँची है।

गंगा का मैदानी क्षेत्र—उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर फैला हुआ। इसका क्षेत्रफल लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है जो बिहार के भूखं अधिकांश भाग है। इसकी रचना गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा इस प्रदेश में प्रव अपवाह प्रणाली द्वारा लाए गए अवसादों के निरन्तर जमाव से हुई है जो हिमालय के के प्रारंभ से अभी तक निरन्तर जारी है। इसका उत्तरवर्ती भाग सर्वत्र कांप के जमाव से है। पश्चिमी सीमावर्ती भाग में कहीं-कहीं चूने के कंकड़ का ऊपरी सतह के निकट जमाव जाता है। गंगा के दक्षिणवर्ती मैदान की संरचना अधिक जटिल है। यहाँ कांप एवं खादर में दलदली जमाव भी पाए जाते हैं। यहाँ बीच-बीच में प्राचीन शैल के उभरे हुए भाग भी दि पड़ते हैं।

इसका ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है जो 6 सें.मी. प्रति किलोमीटर है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

समुद्रतल से औसत ऊँचाई 60 मी० से 120 मी० के मध्य है। यद्यपि इसकी औसत गहराई 1,000 मी० से 1,500 मी० के मध्य है, तथापि कहीं-कहीं इससे अधिक भी गहराई पाई गई है। गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में बाँटती है।

(i) गंगा के उत्तर में स्थित **उत्तरी बिहार का मैदान,** घाघरा, गण्डक, बागमती, बूढ़ी गण्डक एवं कोशी नदियों के बहने का क्षेत्र है। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है। (i) घाघरा-गण्डक दोआब, (ii) गंडक-कोशी दोआब एवं (iii) कोशी महानंदा दोआब।

उत्तर बिहार का यह मैदान समतल एवं मूलतः एकरूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखता है। कोशी क्षेत्र, गंडक का प्रवाह क्षेत्र तथा गंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके में पर्याप्त भिन्नता दिखायी देती है। नदियों के मध्य बड़े-बड़े दियारा प्रदेश, जो बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति हैं अपनी अलग विशेषता रखते हैं। इसी प्रकार नदी धाराओं से निर्मित चौर एवं छारन भी अपनी-अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताएँ रखते हैं।

इस मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लम्बी मेंखला पायी जाती है जिसके मध्य स्थित नदी घाटियों एवं उच्च भूमियों से विघ्न उपस्थित होता है।

दलदल युक्त विस्तृत पेटी के नीचे विस्तृत निम्न भूमि का क्षेत्र है जहाँ दलदली झीलों का बाहुल्य है।

इस मैदान के दक्षिणी सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊँचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं-कहीं पर झील तथा नदियों के परित्यक्त पथ या 'छारन' के अलावा उच्च भूमि भी है। ये उच्च भूमियाँ पश्चिम में अधिक हैं।

गण्डक, बूढ़ी गण्डक, कोशी, महानंदा नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी और रेत से निर्मित जलोढ़ पंख का क्षेत्र है जहाँ पर ये नदियाँ अपना प्रवाह पथ बदलती रही हैं।

(ii) गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटानागपुर पठार तक फैला **दक्षिण बिहार का मैदान** भी मुख्यतः समतल है, पर कहीं-कहीं बाह्य-स्थितिक पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भगं करती है। इनमें गया (266 मी०), राजगीर (466मी०), खड़गपुर (510 मी०), गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। दक्षिणी मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस मैदान का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहनेवाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मट्टी से हुआ है। बलुई मट्टी होने के कारण इसमें पानी अधिक सूखता है। अतः सतह पर जल का अभाव होने पर भी भूमिगत जल अधिक मात्रा में मिलता है। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो 'टाल' (ताल अथवा तालाब का भ्रमित उच्चारण) कहलाते हैं। इनमें बाढ़ का जल भर जाता है। यह क्षेत्र बाढ़ से भागलपुर तक क्रमिक ढंग से फैले हैं। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, मगर पूरब में यह धीरे-धीरे कम होती जाती है। मुख्यतः यह क्षेत्र तीन भागों में बाँटा जा सकता है। गंगा-सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान।

दक्षिण का पठार—बिहार के दक्षिणी भाग में फैला यह पठारी क्षेत्र बिहार का सबसे पुराना भूखण्ड है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम भूखण्ड, गोंडवाना लैंड का एक भाग है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसके तीन उपभाग हैं, छोटानागपुर का पठार, संथाल परगना का पठारी भाग और सहसराम का कैमूर पठार। छोटानागपुर के पठार का सबसे ऊँचा भाग पात का पठार कहलाता है। यह छोटानागपुर के पश्चिमोत्तर भाग पर फैला है और इसकी उँचाई 760 मीटर से 1090 मीटर तक है। इसके पूर्व में स्थित राँची का पठार है जो लगभग 600 मीटर ऊँचाई वाला है। यह काफी विस्तृत है। इसका ऊपरी भाग 'टांड़' और निचला भाग 'दोन' कहलाता है। इसी पठार में बिहार के अधिकतर जलप्रपात हैं, जैसे हुंडरू, गौतम धारा (जोन्हा), हिरणी, दासोम आदि। इसका विस्तार उत्तर में दामोदर नदी तथा पूरब में स्वर्ण रेखा नदी तक है। दामोदर नदी के उत्तर में 600 मीटर की ऊँचाई वाला हजारीबाग का ऊपरी पठार है। यह राँची के पठार का ही उत्तरी विस्तार है क्योंकि इसकी अन्य सभी विशेषताएँ राँची के पठार से मिलती है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊँची पारसनाथ की पहाड़ी (1366 मीटर) है। हजारीबाग का निचला पठार छोटानागपुर पठार से लगभग 300 मीटर ऊँचा है। यह राँची के पठार को उत्तर और दक्षिण में घेरे हुए हैं। राँची और ऊपरी हजारीबाग पठार के बीच दामोदर की धँसान घाटी है। इसके अतिरिक्त मैंदानी भाग में उभरी हुई बाह्य स्थितिक पहाड़ियाँ भी हैं। राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर आदि की पहाड़ियाँ इसी श्रेणी में आती है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तर-पश्चिम में कैमूर के पठार भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

बिहार में कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones)—राज्य को कृषि-जलवायु की दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण-पश्चिम का मैदान तथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस विभाजन के अनुसार राज्य के जिलों का वितरण सारणी-II में किया गया है—

सारणी-I

कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic)	जिले
1. पश्चिमोत्तर का मैदान (North West Alluvial Plains)	पश्चिम चम्पारण, पूर्व चम्पारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा गोपालगंज
2. पूर्व का मैदानी भाग (East Alluvial Plains)	पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर अररिया एवं किशनगंज
3. दक्षिण-पश्चिम का मैदान	गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालन्दा तथा नवादा
4. पठारी क्षेत्र	हजारीबाग, गिरीडीह, धनबाद, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, राँची, गुमला तथा लोहरदग्गा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिट्टियाँ

मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्त्वों के अन्तर्गत मिट्टी को एक अति महत्त्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूलाधार मिट्टी ही है। सामान्य रूप से ऐसी मान्यता है कि चट्टानों के टूटने-फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं, मिट्टी कहलाते हैं। मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया में जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रमुख हाथ रहता है जिसमें जलवर्षा, आर्द्रता और तापमान मुख्य हैं।

निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार की मिट्टियों को दो प्रधान कोटियों में रखा जा सकता है—(i) अवशिष्ट मिट्टी एवं (ii) प्रवाही या अपोढ़ मिट्टी। अवशिष्ट कोटि की मिट्टियाँ वह हैं जिनका निर्माण इस स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ है। इस प्रकार अवशिष्ट मिट्टियों के निर्णायक तत्त्वों वाली चट्टानें उसके समीप ही विद्यमान होती हैं। छोटानागपुर के पठारी भाग की मिट्टी इसी प्रकार की है। अपोढ़ मिट्टियाँ, निर्मायिका, चट्टानों के स्थान से प्रवाहित होकर अलग स्थान पर निक्षेप के रूप में फैली रहती है। गंगा के वृहत् मैदान की मिट्टियों के संदर्भ में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यहाँ के मिट्टी-निर्नायक तत्त्वों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एगाइट, अभ्रक, लौह अयस्क, कैल्साइट तथा डोलोमाइट जैसे खनिज तत्त्वों का विशेष हाथ है।

भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के साथ भौगोलिक स्थिति देखते हुए मिट्टी को विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। इनके प्रकारों सहित क्षेत्रीय विवरण निम्नलिखित हैं—

बिहार के उत्तरी मैदान में मुख्यतः तीन प्रकार के मिट्टी-क्षेत्र हैं—

तराई क्षेत्र—इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किमी० चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी का रंग भूरा एवं हल्का पीला है। इसमें कहीं-कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें मध्यम श्रेणी की उर्वरता के साथ ही पर्याप्त आर्द्रता भी पाई जाती है।

भांगर या नवीन सजोढ़ मिट्टी—तराई मिट्टी के पट्टी के दक्षिण में भांगर मिट्टी का क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई भांगर की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफी उर्वरा शक्ति पाई जाती है जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेंहूँ की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है।

बलसुन्दरी मिट्टी—इसका विस्तार भांगर क्षेत्र के बाद है जो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरता हुआ पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी-पश्चिमी भाग में फैला है। भांगर की अपेक्षा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यह क्षारीय प्रकृति की है क्योंकि इसमें चूने की मात्रा 30 प्रतिशत

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से भी अधिक है। इसका रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा एवं सफेद होता है। यद्यपि ये निम्न ... की मिट्टी है तथापि सिंचाई से इसमें मोटे अनाजों की फसलें उगाई जा सकती हैं। यहाँ ... मुख्य फसलें हैं—मक्का, ईख, धान, गेंहूँ और तंबाकू। इस क्षेत्र में आम, लीची और ... बहुधा बगान पाये जाते हैं।

गंगा के दक्षिणी मैदान में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिट्टियों का क्षेत्र है—

ताल की मिट्टियाँ—ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 कि... चौड़ी पट्टी में इस प्रकार के मिट्टी क़ा विस्तार है। संरचना की दृष्टि से वह मिट्टी बारी... मोटे कणोंवाले धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। कुछ हिस्सों में इस मिट्टी में बलुई के... भी शामिल है। यह अत्यधिक उर्वर मिट्टी है परन्तु वर्षा के दिनों में जलमग्न रहने से ... खरीफ की फसल उपजाना संभव नहीं होता। फलतः यहाँ रब्बी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज... होती है।

·**पुरानी जलोढ़ या करैल-केवाल मिट्टियाँ** —इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी ... में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। इसके बड़े क्षेत्र में वि... होने के कारण इनमें स्थानीय भिन्नता भी पायी जाती है। विशेषकर मध्य भाग की कुछ न... के पास बलसुंदरी और दोरस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनका रंग गहरा, भूरा, ... एवं हल्का पीला होता है। करैल मिट्टियों में क्षारीय प्रकृति तो केवाल मिट्टियों में क्षारीय ... अम्लीय गुण काफी संतुलित रूप में पाये जाते हैं। इनमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति पायी ... है एवं साथ ही जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस क्षेत्र में धान, गेंहूँ, ... और अरहर प्रमुखता से उपजाया जाता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा प्राप्त है वहाँ ईख की खेती की जाती है।

बलथर मिट्टी—बिहार के मैदानी भाग के गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर ज... छोटानागपुर का पठारी हिस्सा आरंभ होता है बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार पाया जाता... पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल की उच्च्च भूमि तक 8 से 15 कि... की चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का क्षेत्र है। इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल एवं प्रकृति अ... होती है। इसमें रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है जिस कारण अधिक देर तक पानी ... ठहर पाता है। इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इसमें अरहर, कुर्थी, ज्वार-बाजरा ... मोटे अनाज उपजाये जाते हैं।

छोटानागपुर के पठारी भाग में निम्नलिखित पाँच प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं

लाल मिट्टी—गोण्डवाना की चट्टानों का क्षेत्र तथा राजमहल उच्च्च भूमि के अतिरिक्त ... छोटानागपुर में लाल मिट्टियाँ पायी जाती हैं। इसमें यथेष्ट मात्रा में लोहे का तत्व पाया ... है जिस कारण इसका रंग लाल होता है। सामान्यतः इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ... की कमी होती है। इसमें न्यून उर्वरा शक्ति पायी जाती है। स्थान एवं उँचाई के अनुसार ... मिट्टी की स्वरूप रचना बदलती रहती है, फिर भी सामान्यतः बालू के मोटे कण और ...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का पाया जाना इसकी एक सामान्य विशेषता है। इस मिट्टी क्षेत्र में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, सुरगुजा एवं कोदो आदि मोटे अनाजों की फसल उपजायी जाती है।

अभ्रकमूल की लाल मिट्टी—इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया, मंडू और बड़कागाँव इलाके के चारों ओर फैले छोटानागपुर क्षेत्र की अबरख की पट्टी में है। इसका रंग उच्च भूमियों पर हल्का गुलाबी एवं निम्न भूमियों पर पीला होता है। यह रेतीली मिट्टी है जिसमें अबरख के छोटे-छोटे कण चमकते रहते हैं। यद्यपि इस मिट्टी में उर्वरता है तथापि सिंचाई की कमी के कारण कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। कहीं-कहीं कोदो, कुरथी या सरगुजा की उपज होती है।

बिहार : मिट्टियाँ

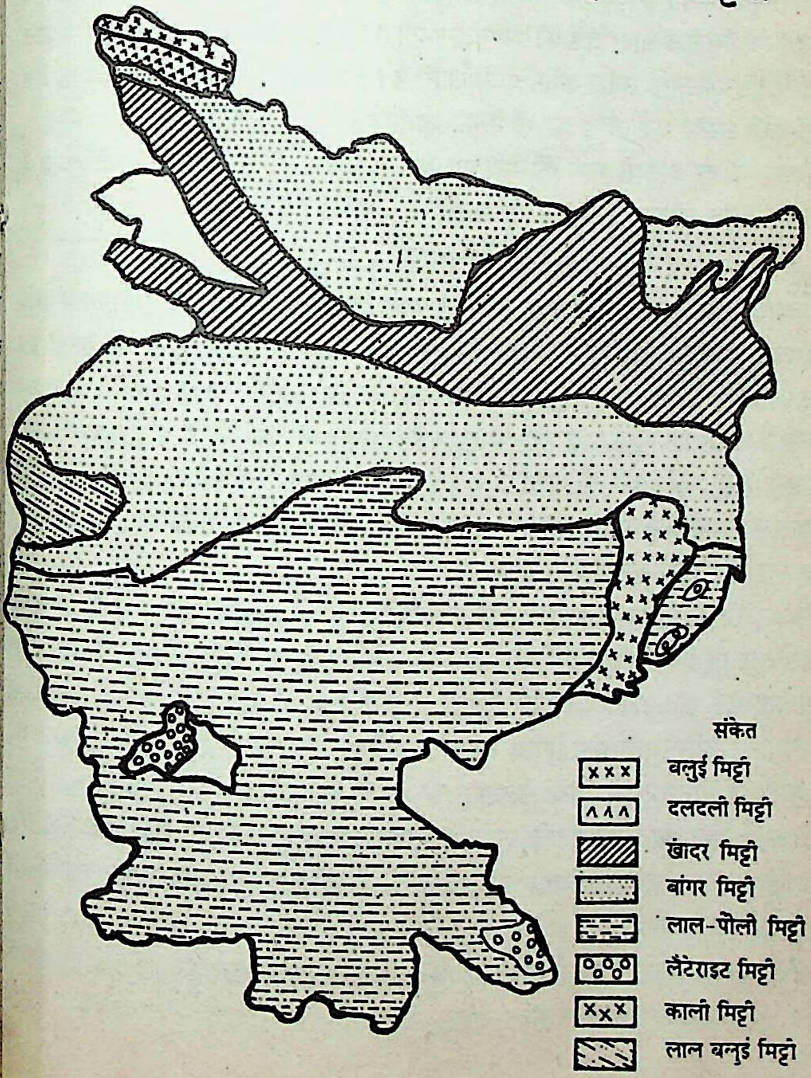

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

रेतीली मिट्टी—दामोदर बेसिन में इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। इसका रंग लालिमायुक्त धूसर तथा पीला है। यहाँ भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है।

काली मिट्टी—राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ कभी लावा प्रवाह हुआ था, इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। यह अत्यन्त उर्वर होती है एवं इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नेशियम और अल्युमिनियम आदि तत्त्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इस क्षेत्र में धान एवं चना आदि की अच्छी फसल होती है।

लैटेराइट मिट्टी—बिहार राज्य में लैटेराइट मिट्टी के तीन क्षेत्र हैं—1. पश्चिमी राँची एवं दक्षिणी पलामू का पाट क्षेत्र, 2. संथाल परगना का राजमहल का पूर्वी भाग एवं 3. ढालभूम का दक्षिणी-पूर्वी भाग। इनका रंग गहरा लाल होता है। इस मिट्टी में अल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड एवं मैंगनीज आक्साइड की प्रधानता रहती है। ये वहुत कंकड़ीली एवं अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें निम्न उर्वरा शक्ति पायी जाती है। इन मिट्टियों में कठिन परिश्रम के बल पर कहीं-कहीं अरहर एवं अरंड की खेती की जाती है।

बिहार के दूर दक्षिणी भाग की सिंहभूम क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टियाँ पायी जाती हैं जो मूलतः विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अवशेष से निर्मित हैं।

जलवायु

बिहार भारत के उत्तरी मैदान के जिस जलवायु क्षेत्र में स्थित है उसके पूर्वीभाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्द्ध शुष्क जलवायु है। मुख्यतः बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मॉनसून शाखा से प्रभावित होता है, मगर छोटानागपुर के कुछ भागों में कभी-कभी अरब सागर की मानसून शाखा का भी प्रभाव महसूस होता है। बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है फिर भी यहाँ की जलवायु गर्म है और अधिकतम तापमान 45° सें० से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा समान्य होती है और देश के अन्य भागों की भाँति यहाँ की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं।

बिहार की जलवायु पर वस्तुतः उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार की जलवायु निम्नलिखित कारकों से खास तौर पर प्रभावित होती है—1. हिमालय की स्थिति, 2. कर्क रेखा की स्थिति, 3. बंगाल की खाड़ी से निकटता, 4. दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय पठार 5. नार्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान 6. दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता।

बिहार की जलवायु की प्रकृति पूर्णरूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में वायु में पर्याप्त नमी रहती है। इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जा सकता है।

यहाँ साल में तीन प्रमुख मौसम पाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं—

(i) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ii) वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक)
(iii) शीत ऋतु (नवंबर से फरवरी तक)

ग्रीष्म ऋतु—इस मौसम में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है और वायुभार कम होता जाता है। अप्रील एवं मई माह में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है और तेज धूप के कारण दिन का तापमान काफी बढ़ जाता है। अग्रलिखित तालिका में कुछ प्रमुख स्थानों के तापमान दिखलाए गए हैं—

तालिका-I

स्थान	तापमान° (से०)	स्थान	तापमान° (से०)
पटना	43.8	हजारीबाग	33.1
गया	44.2	राँची	41.0
दरभंगा	38.2	डाल्टेनगंज	44.5
मुजफ्फरपुर	43.5	धनबाद	44.6
पूर्णियाँ	43.0	जमशेदपुर	45.0
भागलपुर	44.4		

चूँकि अप्रील और मई महीने में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और कर्क रेखा इस प्रदेश से होकर गुजरती है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न वायु दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च, अप्रील एवं मई की अवधि में तेज गति से (औसतन 10 कि०मी० प्रति घंटा) मधुबन हवाएँ चलने लगती हैं। स्थानीय कारणों से ये अधिक वेगवती हो जाती है। धूल-भरी आँधियाँ और झंझावात सामान्यतः प्रत्येक सप्ताह के पिछले पहर या सन्ध्या में आती है। यदा-कदा तेज झंझावातों एवं बून्दा बान्दी के साथ ओले भी पड़ते हैं जिससे भीषण गर्मी से काफी राहत प्राप्त होती है। नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है मई-जून महीनों में आते हैं। इनका ज्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है जहाँ इनसे प्रायः वर्षा हो जाया करती है। इनसे जान-माल की हानि होने की भी आशंका बनी रहती है। बिहार के मैदानी भागों में चलनेवाली गर्म हवा की लहर 'लू' यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ये हवायें 8-16 कि०मी० प्रति घंटा की गति से बहती है।

वर्षा ऋतु—बिहार में इस मौसम का आरंभ मानसून के आगमन के साथ होता है। जलबाष्प से लदी ये हवायें (दक्षिणी-पश्चिमी मानसून) भारत के अन्य भागों को अपनी बौछारों से भिगाती हुई मध्य जून तक बिहार पहुँच जाती है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून मूलतः हिन्द महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही मानसून बाद में बिहार में भी आ जाता है। इसी समय दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ प्रवेश करती है जो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

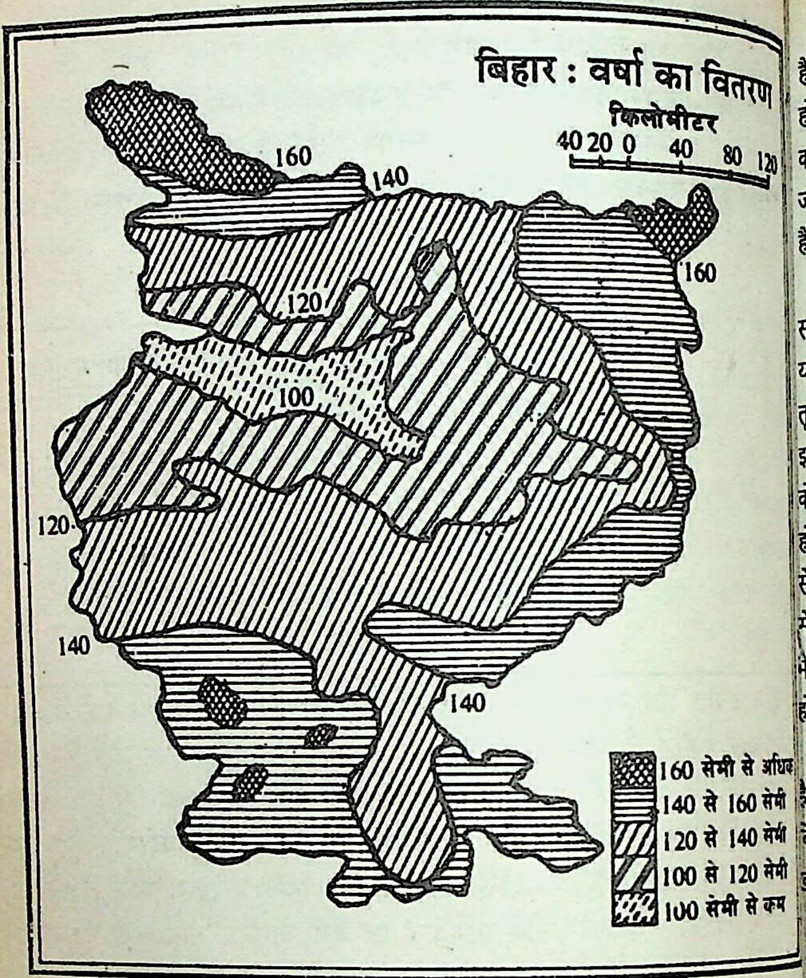

मात्रा में जलवाष्प लिए रहती है। फलस्वरूप इसके प्रवेश के साथ ही यहाँ मानसून प्र
होता है जिसे भयंकर गर्जन-तर्जन एवं आकाश में बिजली के कौंधते क्षणिक रेखाओं के
वर्षा की शुरुआत होती है। मानसून का यह प्रभाव 15 अक्टूबर तक रहता है।

बिहार के मैदानी भाग में जुलाई माह में औसत तापमान 34° से. एवं सितम्बर एवं अक्टू
माह में 30° से० के आस-पास रहता है। वर्षा ऋतु के दौरान उष्णता एवं नमी के संयुक्त प्र
से प्रायः सभी बेचैन हो जाया करते हैं। यह उमस भरी गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाया क
है। इसी काल में हैजा, मलेरिया, आंत्रशोथ, डेंगूज्वर जैसी अनेक बीमारियों का फैलाव होता

मानसून प्रत्यावर्तन (Retreating of Monsoon)—मानसून प्रत्यावर्तन काल को
मध्य अक्टूबर से नवम्बर तक होता है—शरद् ऋतु काल भी कहा जाता है। इस समय
मौसम शीतल, सुहावना एवं सरस होता है। सर्दी एवं गर्मी हल्की रहती है। अक्टूबर के
तक बिहार के साथ ही भारत के सम्पूर्ण उत्तरी मैदान में मानसून का जोर समाप्त हो चुका

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। वायुमण्डल में शेष बची आर्द्रता एवं ओस पड़ने से वातावरण से तापमान का घटना शुरु हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। इसी समय मैदानी भागों में ठंढी पछुआ और उत्तरी हवाओं का बहना शुरु हो जाता है जो तापमान में कमी लाने के साथ-साथ शुष्कता भी बढ़ाती जाती है। हम कह सकते हैं कि शरद् ऋतु, शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि है।

शीत ऋतु—नवम्बर से फरवरी तक यहाँ शीत ऋतु का समय होता है। स्वच्छ आकाश, सहनीय सूर्य की मृदुल किरणें, मन्द पछुआ हवा, शांत रात्रि एवं शबनम से परिपूरित सुबह यहाँ की शीत ऋतु को विशिष्ट बना देती है। प्रायः दिसम्बर और जनवरी के महीने में चक्रवातीय तूफानों द्वारा कुछ व्यवधान होता है। ये तूफान बादलों की विशाल राशि वाले होते हैं जो झंझावातीय वर्षा करते हैं। इनसे ठंड में अचानक काफी वृद्धि हो जाती है, यद्यपि ये रबी फसलों के लिए काफी गुणकारी सिद्ध होते हैं। सामान्य तौर पर यहाँ शीत ऋतु काल में कुछ वर्षा भी होती है जो 5 से 10 प्रतिशत तक हो जाती है। सम्पूर्ण बिहार में नवम्बर का तापमान 19.6° से० से 22.2° से० तक पाया जाता है जबकि जनवरी माह का औसत न्यूनतम तापमान 7.5 से० से 10.5 से० तक रहता है। उच्च भूमि की बहुलता के कारण बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में मैदानी भाग की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ जाड़े की शुरुआत भी अपेक्षाकृत पहले होती है।

जनवरी माह यहाँ सर्वाधिक ठंढ वाला माह है। बिहार का सबसे ठंढा स्थान नेतरहाट है। इन दिनों मैदानी भागों का औसत तापमान 17.5° से 18° से० रहता है। उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों के समीप पाला गिरने की भी संभावना रहती है जिससे फसलों खास कर आलू आदि को काफी क्षति पहुँचती है।

जनसंख्या

जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ देश की कुल आबादी का 10.2 प्रतिशत निवास करता है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 63 लाख थी जिसमें 4 करोड़ 52 लाख पुरुष और 4 करोड़ 11 लाख महिलाएँ थीं। राज्य की कुल आबादी का 14.51 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 7.66 प्रतिशत जनजाति का है। कुल आबादी का 20.57 प्रतिशत 0-6 वर्ष की अवस्था के बालक हैं। राज्य में जनसंख्या का घनत्व (Density) 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि भारत का औसत 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल आबादी का 87.5 प्रतिशत अथवा 7.5 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जबकि भारत की ग्रामीण आबादी का औसत 76.3 प्रतिशत ही है। राज्य में केवल 1.13 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या केवल 17 है। पटना सबसे बड़ा शहर है जहाँ 10.98 लाख व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी (94%) उत्तर बिहार में है जबकि दक्षिण बिहार में सापेक्षिक रूप से अधिक शहरीकरण हुआ है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

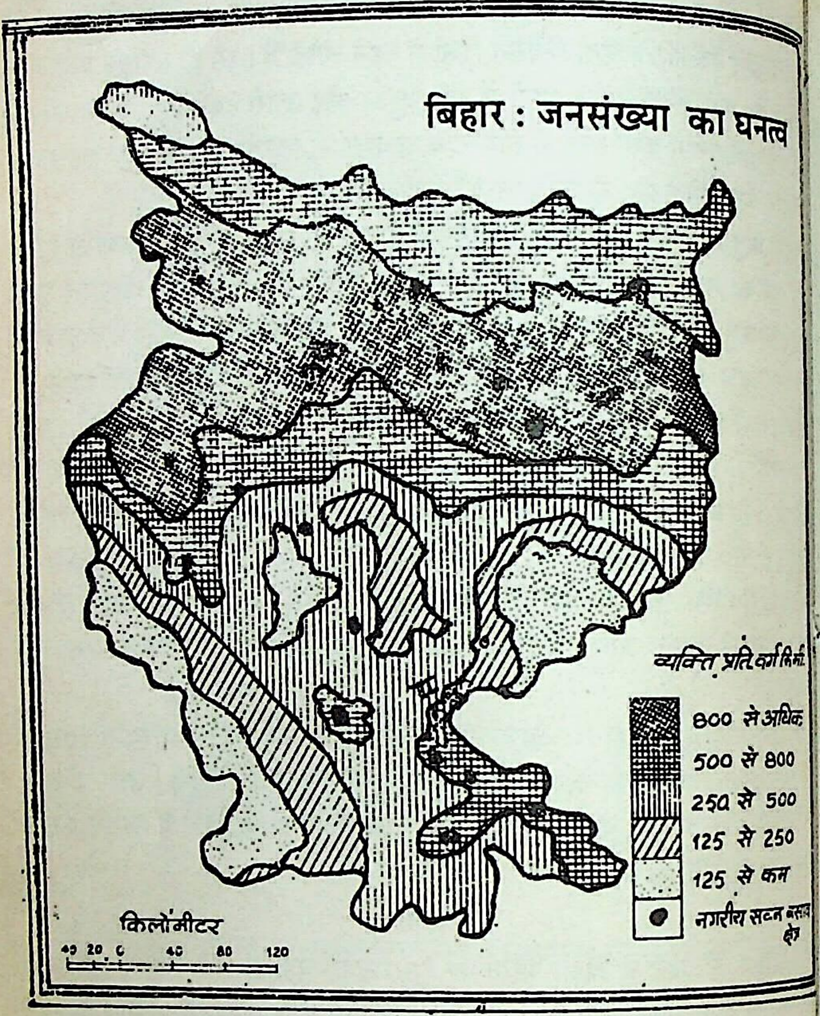

बिहार में 1941-51 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 10.27 प्रतिशत थी जो 1981-9 बीच बढ़कर 23.49 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर उच्च जन्म-दर के कार जो वर्त्तमान समय में राज्य में 32.2 प्रति हजार है। भारत का औसत मात्र 29.5 प्रति ह है। उच्च जन्म-दर वास्तव में उच्च शिशु मृत्यु-दर तथा महिलाओं के समाज में गौण स्थान कारण है। जनसंख्या की गुणवत्ता तथा साक्षरता में गहरा संबंध है। भारत में औसत सा 52.21 प्रतिशत है (पुरूष 64.13%, महिला 39.29%)। बिहार में औसत साक्षरता मात्र 38 प्रतिशत (पुरूष 52.49 और महिला 23.10 प्रतिशत) है। निरक्षरता तथा समाज में महि की निम्न प्रतिष्ठा भी उच्च जन्मदर का कारण माना जाता है। बिहार में कुल जनसंख्या में श्र की जनसंख्या 29.7 (भारत 33.7) है। अतः राज्य में आश्रितों की संख्या बहुत अधिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य सरकार की कोई जनसंख्या नीति नहीं है। बल्कि यह राष्ट्रीय नीति को व्यवहारिकता प्रदान करने का प्रयास करती है। 1990-91 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण परियोजना केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से लागू की गई जिसका मुख्य लक्ष्य (i) परिवार कल्याण सेवा में विस्तार (ii) वर्त्तमान परिवार कल्याण सेवा की प्रभावशीलता एवं संरचना में सुधार तथा (iii) ठोस परियोजना प्रबंध की व्यवस्था करना है। इन परिवार कल्याण योजनाओं पर होनेवाले व्यय का केवल 10% ही राज्य सरकार देती है तथा अन्य विश्व बैंक या केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। बिहार में 3431 व्यक्ति पर एक डाक्टर उपलब्ध है जबकि भारत में यह अनुपात 1:1000 है। इसी प्रकार अस्पताल में बेड (Bed) की उपलब्धि राज्य में 1:3541 है और भारत में 1: 1000 है। निम्न स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धि से परिवार नियोजन कार्यक्रम भी बाधित होता है।

बिहार का सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन इसकी विशाल जनसंख्या है परन्तु राज्य में निरक्षरता, चिकित्सा व्यवस्था का अभाव, संचार माध्यमों की अविकसित परिस्थितियों, महिलाओं का समाज में निम्नतर स्थान, सामाजिक एवं सांप्रदायिक जड़ताओं ने मानव संसाधन विकास को पूरी तरह अवरूद्ध कर दिया है। फलतः राज्य में अकुशल श्रमिकों की बहुलता प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव के रूप में देखी जा सकती हैं।

तालिका–II

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	वृद्धि की अवधि	10 वर्षीय-वृद्धि (दर प्रतिशत में)
1901	2.73	....	....
1911	2.83	1901-11	+ 3.67
1921	2.81	1911-21	(–) 0.66
1931	3.13	1921-31	+11.45
1941	3.52	1931-41	+ 12.20
1951	3.88	1941-51	+ 10.27
1961	4.65	1951-61	+ 19.78
1971	5.63	1961-71	+ 21.07
1981	6.99	1971-81	+24.11
1991	8.63	1981-91	+ 23.49

कार्यशील जनसंख्या की प्रवृति

1991 की जनगणना में कुल जनसंख्या को कार्यशील (workers) एवं गैर-कार्यशील (non-workers) में विभाजित किया गया था। कार्यशील जनसंख्या को पुनः दो वर्गों में (क) मुख्य कार्यकर्त्ता (main workers) तथा (ख) सीमान्त कार्यकर्त्ता (marginal workers) में विभाजित किया गया था। जनसंख्या के उस भाग को जो आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों से संबंधित था। कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया। गैर कार्यकर्त्ता जनसंख्या का वह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

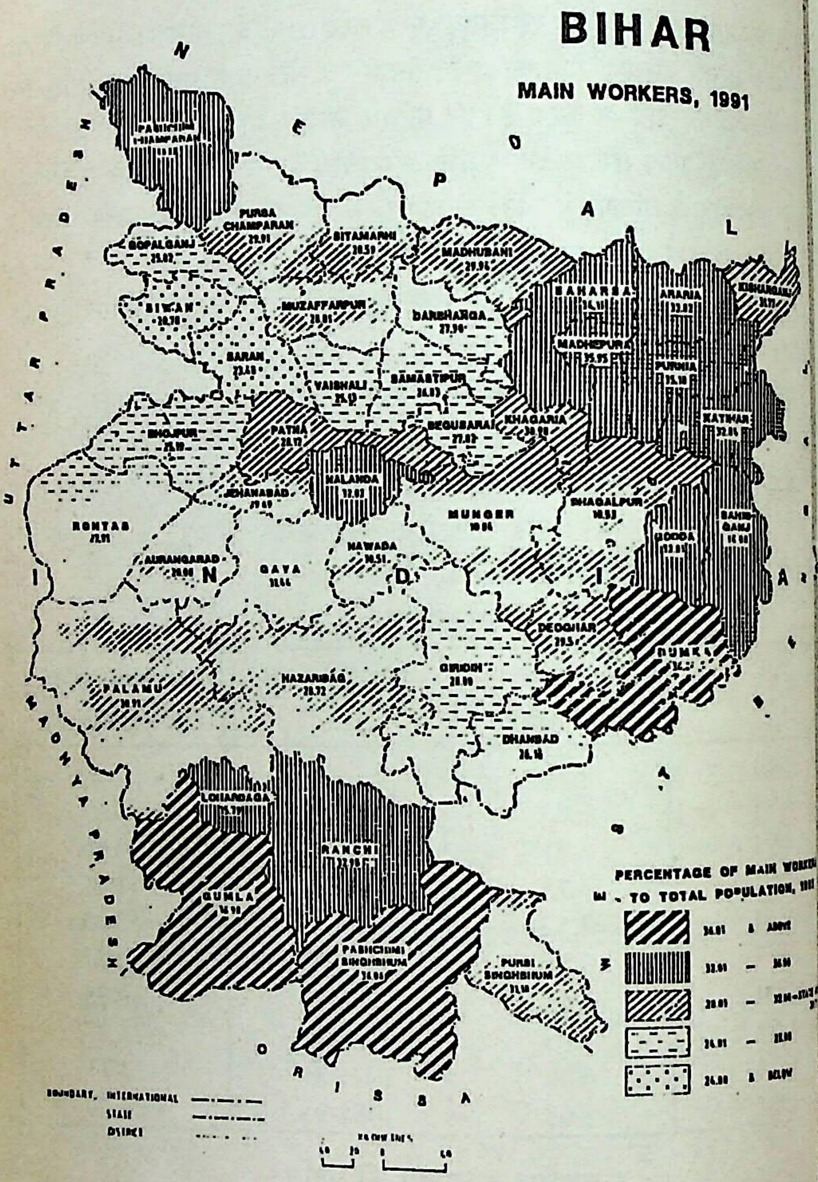

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भाग था जो जनगणना के समय तक किसी उत्पादक कार्य में सम्मिलित नहीं थे। मुख्य कार्यकर्त्ता वह माने गये जो वर्ष में कम से कम 183 दिन आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में लगे हुए थे। सीमान्त कार्यकर्त्ता की धारणा 1981 में अपनाई गई। इसमें वह व्यक्ति आते हैं जो साल में छः माह अथवा 183 दिनों से कम लाभपूर्ण रोजगार में लगे हुए थे।

राज्य में कुल जनसंख्या 86.33 करोड़ मे 28.11 करोड़ कार्यशील जनसंख्या की पहचान की गई जिनमें 25.65 करोड़ मुख्य कार्यकर्त्ता तथा 2.45 करोड़ सीमान्त कार्यकर्त्ता थे। इस प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32.56 प्रतिशत ही है जिसमें 29.71 प्रतिशत मुख्य कार्यकर्त्ता तथा 2.85 प्रतिशत सीमान्त कार्यकर्त्ता हैं।

मुख्य कार्यकारी जनसंख्या में पुरूष एवं महिलाओं का अनुपात 83 : 17 है। महिलाओं की कार्यकारी भागीदारी 1981 की तुलना में कुछ बढ़ी है (1981=85:15) सर्वाधिक महिला मुख्य कार्यकर्त्ता लोहरदग्गा जिला (33%) में है। गुमला (30%), पश्चिमी सिंहभूम (28%) दुमका, राँची (25%) तथा नालन्दा (24%) में उत्तरी बिहार के जिलों की अपेक्षा महिला कार्यभागीदारी बहुत अधिक है।

राज्य में यदि क्षेत्रीय वितरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएँगे कि कुल आबादी का 80.62 प्रतिशत कृषि पर अपनी आजीविका के लिए आधारित है। गैर-कृषि कार्यों में जनसंख्या का मात्र 19.33 प्रतिशत भाग लगा हुआ है। राज्य में सबसे अधिक कृषि पर आश्रित जनसंख्या मधेपुरा (92.21%) जिला में है। अन्य प्रमुख जिले जहाँ जनसंख्या का प्रतिशत 85% से अधिक है वे हैं, अररिया (90.99), सहरसा (90.56), किशनगंज (86.96), गुमला (89.86), पूर्वी चम्पारण (88.65) गोपालगंज (88.85), पश्चिमी चम्पारण (88.91), खगड़िया (87.69); गोड्डा (87.96), कटिहार (86.27), गया (85.03), गुमला (85.13) तथा लोहरदग्गा (85.69)। इसके अतिरिक्त केवल पटना, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, राँची, गिरीडीह तथा हजारीबाग को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में 80% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। गैर कृषि कार्य में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग धनबाद जिला (71.67%) है। पश्चिमी सिंहभूम में 51.89%, पटना में 38.85 तथा पूर्वी सिंहभूम में 32% लोग गैर कृषिकार्य में लगे हैं। सबसे कम गैर कृषि कार्यकारी जनसंख्या मधेपुरा में है। यहाँ केवल 7.79 प्रतिशत लोग कृषि के बाहर रोजगार पाते हैं।

शहरीकरण
(Urbanisation)

किसी भी क्षेत्र में शहरीकरण अवस्था उसके विकास एवं समृद्धि की सूचक है। आधुनिक सभ्यता में उत्पादन एवं वितरण में केन्द्रीयकरण के द्वारा अधिक सवंर्धन प्राप्त किया जाता है। इसीलिए शहरीकरण एवं शहरी सुविधाएँ विकास एवं आर्थिक क्रियाओं के मापदण्ड का काम करती है। भारत में जनगणना निदेशालय द्वारा शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नप्रकार से किया गया है (क) ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ नगर निगम, नगरपालिका, कैन्टोनमेन्ट बोर्ड अथवा नोटिफाईड

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

BIHAR

COMPARATIVE SIZE OF URBAN POPULATION, 1991

(DISTRICTS)

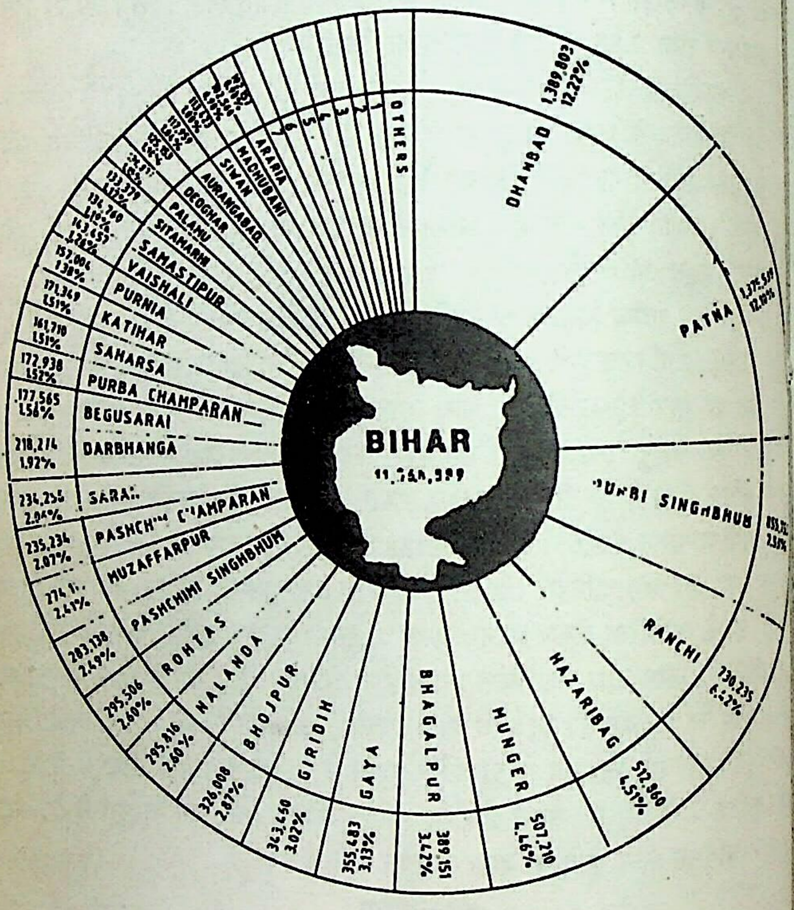

Sl. no.	District	Urban Population	Percentage
1	JEHANABAD	73,986	0.65%
2	MADHEPURA	76,811	0.68%
3	DUMKA	91,701	0.81%
4	NAWADA	94,451	0.83%
5	SAHIBGANJ	94,699	0.83%
6	GOPALGANJ	96,543	0.85%
7	KISHANGANJ	[illegible],821	0.87%

OTHERS

District	Urban Population	Percentage
KHAGARIA	59,230	0.52%
GUMLA	51,286	0.45%
LOHARDAGA	31,737	0.28%
GODDA	23,632	0.21%

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एरिया कमिटि (Notified Area Committee) काम कर रही हो और (ख) ऐसे सभी शहर जो निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करते हों—

(i) कम से कम 5000 की आबादी हो;

(ii) कम से कम 75 प्रतिशत पुरूष कार्यकारी जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगे हो; तथा

(iii) उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो।

उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर बिहार में 271 शहर (towns) थे जिनमें शहरी समूह (Urban Agglomeration) पहचान किए गये हैं। शहरी समूह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक बड़े शहर की सीमा बढ़ते-बढ़ते अन्य शहरी क्षेत्रों से जा मिलती है।

राज्य में शहरीकरण का प्रसार 1991 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का मात्र 13.17 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय औसत 25.74 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य की अधिकतर आबादी (86.83 प्रतिशत) गाँवों में निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या 86.33 करोड़ में केवल 2.47 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र में 38.73 प्रतिशत, गुजरात में 34.40 प्रतिशत गोआ में 41.02 प्रतिशत, कर्नाटक में 30.91 प्रतिशत, तमिलनाडु में 34.20 प्रतिशत, दिल्ली में 89.93 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 27.30 प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में 19.89 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

इसी प्रकार भारत की कुल शहरी आबादी का केवल 5.24 प्रतिशत बिहार में है जबकि महाराष्ट्र में 14.04 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 12.73 प्रतिशत तमिलनाडु एवं प० बंगाल में, 8 प्रतिशत है। हालाँकि बिहार देश में कुल आबादी के दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा राज्य है मगर शहरी आबादी के आधार पर इसका स्थान नौवाँ है।

राज्य में पूर्वी सिंहभूम शहरीकरण में सबसे आगे है। इस जिले की कुल आबादी का 52.92 प्रतिशत शहरों में रहता है। इसके बाद ही अन्य जिलों का स्थान है जिसमें धनबाद (51.30%), पटना (37.96%), राँची (33.12%), हजारीबाग (18.07%), मुंगेर (16.60), पश्चिमी सिंहभूम (15.82%), गिरीडीह (15.44), नालन्दा (14.77%) आदि आते हैं। यह बात गौर करने की है कि राज्य में शहरीकरण उन्हीं जिलों में अधिक सघन रहा है जहाँ औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधियाँ केन्द्रित हैं। इनमें से अधिकतर सघन शहरी क्षेत्र दक्षिणी बिहार के पठारी भाग में है। उत्तर बिहार के प्रमुख ज़िलों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर तथा मधुबनी में शहरी आबादी क्रमशः 9.30, 8.70, 6.82, 5.68, 4.96 तथा 3.63 प्रतिशत है। सबसे कम शहरी आबादी गोड्डा (2.75 प्रतिशत) जिला में है। 1981-91 के बीच राज्य में कुल आबादी में वृद्धि 23.49 प्रतिशत थी वहीं शहरी आबादी में वृद्धि 22.5 प्रतिशत रही। इसके विपरीत ग्रामीण आबादी 30.30 प्रतिशत से बढ़ी है।

जनगणना शहरों (Census Towns) को आबादी के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है—

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी-II
शहरी आबादी वृद्धि दर

जनसंख्या आधार	शहर का वर्गीकरण (Class & town)	संख्या	कुल शहरी आबादी प्रतिशत	1981-91 के बीच वृद्धि द
—	सभी वर्ग	211	100%	30.39
1 लाख से अधिक	वर्ग I	17	52.62	26.64
50000–99999	वर्ग II	28	17.58	59.63
20000–49999	वर्ग III	79	24.49	40.98
10000–19999	वर्ग IV	53	7.03	(–) 8.58
5000–9999	वर्ग V	29	1.79	15.83
5000 से कम	वर्ग VI	5	0.18	29.02

1981 में केवल 179 शहर वर्गीकृत श्रेणियों में आते थे उनकी संख्या 1991 में ब 211 हो गई। परन्तु शहरी वृद्धि की दर 54.76 प्रतिशत (1971-81) से घटकर 30.39 प्रति रह गई। वर्ग IV को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के शहरों में वृद्धि की स्थिति देखी जा स है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ग II में देखी जा सकती है। कुल शहरी आबादी का 52.62 प्रति वर्ग I तथा 24.49 प्रतिशत वर्ग III के शहरों में रहता है।

BIHAR
URBAN POPULATION BY SIZE CLASS OF TOWNS, 1991

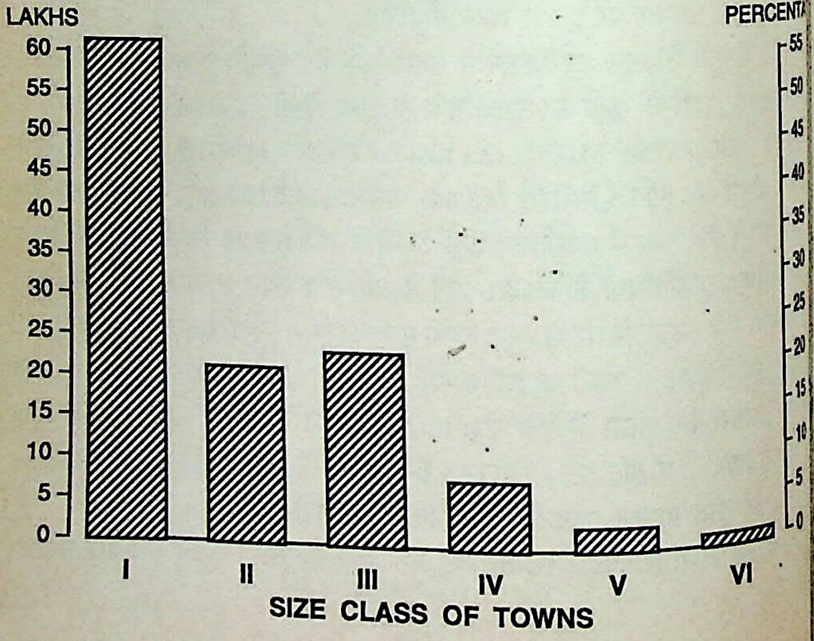

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत के अन्य विकसित एवं समृद्ध राज्यों की अपेक्षा न केवल राज्य में शहरी आबादी का प्रतिशत कम है बल्कि यहाँ शहरीकरण की वृद्धि दर भी महत्त्वपूर्ण राज्यों की अपेक्षाकृत बहुत कम है।

तालिका-III

बिहार की जनसंख्या कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

(1991 की जनगणना के आधार पर)

1. बिहार की जनसंख्या	कुल	86338853
	पुरुष	45147280
	महिलाएँ	41191573
2. दशक (1981-91) में जनसंख्या वृद्धि दर	वास्तविक	16424119
	प्रतिशत में	23.49%
3. लिंग अनुपात		912 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष
4. घनत्व		497 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
5. साक्षरता दर	कुल	38.54
	पुरूष	52.63
	महिलाएँ	23.10
6. कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत		13.17
7. कुल जनसंख्या का प्रतिशत	मुख्य कार्यकर्त्ता	29.71
	सीमान्त कार्यकर्त्ता	2.85
8. रोज़गार का वितरण	कृषक	43.41
	कृषि श्रमिक	37.21
	घरेलू उद्योग	2.69
	अन्य	16.69
9. शहरों की संख्या	271	
10. सामुदायिक विकास प्रखण्ड	591	

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नदियाँ और अपवाह तंत्र

बिहार के अपवाह-तंत्र में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ हैं जो धरातलीय बनावट के अनु[illegible] प्रवाहित होती है। इन्होंने बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में निर्णायक यो[illegible] किया है। इसके अतिरिक्त यह नदियाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जल-परि[illegible] का मार्ग प्रस्तुत करती हैं, मत्स्य-प्राप्ति और व्यवसाय में सहायक होती हैं, जल-विद्युत का [illegible] होती है और अन्य प्रकार से भी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाती हैं। बिहार [illegible] वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है (लगभग 100 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष) जिससे नदि[illegible] का यह अपवाह-तंत्र समृद्ध बना रहता है।

बिहार की नदियाँ तीन वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। यह निम्नलिखित हैं—

1. **उत्तरी बिहार की नदियाँ**—यह हिमालय से निकलकर दक्षिण और पूर्व की [illegible] बहती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। इनमें प्रमुख हैं सरयू (घाघरा), गंडक, बूढ़ी गंड[illegible] बागमती, कमला-बलान कोसी तथा महानंदा। यह सभी चिरस्थायी नदियाँ हैं।

2. **दक्षिणी बिहार की नदियाँ**—पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहनेवा[illegible] यह नदियाँ गंगा या उसकी सहायक नदियों में आकर मिलती है। इनमें प्रमुख हैं—सोन, [illegible] कोयल, पुनपुन, फल्गु, पंचाने तथा कर्मनासा। यह मुख्यतः बरसाती नदियाँ है।

3. **छोटानागपुर की नदियाँ**—पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व और द[illegible] की ओर बहनेवाली नदियाँ। इन सबमें दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा, [illegible] प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ हैं।

इन सबमें गंगा नदी सबसे विशाल है जो अपनी सहायक नदियों सहित लगभग 9[illegible] जल की निकासी समुद्र की ओर करती है। शेष 10% जल की निकासी छोटानागपुर की [illegible] ऐसी नदियों द्वारा होती है जो गंगा से संबंधित नहीं है।

गंगा—यह बिहार की प्रधान नदी है। उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले का 5611 मी[illegible] ऊँचा हिमनद, गंगोतरी इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास यह समतल भूमि पर ब[illegible] आरंभ करती है। चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार के मै[illegible] को दो भागों में बाँटते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। उत्तर की दिशा से इसमें मिलनेवा[illegible] प्रमुख नदियाँ हैं—घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानं[illegible] दक्षिण से आकर मिलनेवाली प्रमुख नदियाँ हैं—कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु, कि[illegible] आदि। गंगा की ढाल बहुत कम है। इसीलिए वर्षा के दिनों में अधिक जल-ग्रहण के का[illegible] इसका पानी तटबंधों को पार कर दोनों ओर फैल जाता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न क[illegible] है। इसका प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। वैसे बाढ़ के कारण नयी जलोढ़ मिट्टी [illegible] जमा होती है जो उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। व्यापार और यातायात के लिए भी [illegible] नदी एक उत्तम साधन प्रदान करती है क्योंकि बिहार के सभी भागों में यह नदी नौकागम्य [illegible]

सरयू—इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्रोत नाम्पा (नेपाल) में है। [illegible]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई यह नदी सारन जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। छपरा के निकट यह गंगा में समाहित होती है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का एक कारण है मगर बिहार में नहीं।

गंडक—उत्तर पश्चिम बिहार की यह प्रमुख नदी है। हिमालय से आरंभ होकर यह नेपाल के क्षेत्र से कई धाराओं में प्रवाहित होती हुई बाल्मीकीनगर में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के निकट आकर मिलती है। पहले यह बाढ़ का एक कारण थी, अब नहीं, क्योंकि वाल्मीकीनगर में बराज बन जाने के बाद बाढ़ की विभिषिका वस्तुतः समाप्त हो गयी है।

कोसी—स्वतंत्रता पूर्व "बिहार का शोक" कही जानेवाली यह नदी नेपाल में विभिन्न धाराओं के रूप में प्रवाहित होते हुए खगड़िया के समीप गंगा में मिल जाती है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लम्बाई (120 किलोमीटर) इसी की है। यह नदी अपना मार्ग निरंतर बदलने और बाढ़ लाने के लिए बहुचर्चित रही है परंतु हाल के वर्षों में तटबंध बन जाने के बाद इस समस्या पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा चुका है।

महानंदा—उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी है जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी में आकर मिल जाती है।

उत्तर बिहार की कुछ अन्य नदियों में बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान आदि हैं।

सोन—दक्षिण बिहार की यह प्रधान नदी है। इसका उदगम् स्रोत मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। बिहार में यह पलामू जिले में प्रवेश करती है। पटना से कुछ पश्चिम में यह गंगा में आकर मिलती है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लम्बाई (760 किलोमीटर) सबसे अधिक है। इस नदी से अनेक नहरें हाल में निकाली गयी हैं जिनसे सिंचाई का काम लिया जाता है।

पुनपुन—दक्षिण बिहार की यह दूसरी प्रधान नदी है जो पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। यह नदी कभी-कभी पटना के लिए बाढ़ का खतरा पैदा करती है।

फल्गु—यह नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजन भी कहलाती है जो बोधगया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से निकलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इस नदी का धार्मिक महत्त्व भी है।

किऊल—इस नदी का उद्‌गम केन्द्र हजारीबाग जिले के खगरडीहा के निकट है। इसमें कई धाराएँ समाहित होती हैं, जैसे फल्गु, हरोहर, पंचान, सकरी आदि।

कर्मनासा—यह नदी विन्ध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिलती है। धार्मिक आधार पर इसे अपवित्र माना जाता है।

दामोदर—छोटानागपुर क्षेत्र से निकलनेवाली यह प्रधान नदी है जो पश्चिम बंगाल में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रवेश कर हुगली नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कभी इसे "बं... का अभिशाप" कहा जाता था क्योंकि यह बाढ़ का कारण थी। मगर दामोदर घाटी निगम... स्थापना के बाद यह जल-विद्युत की प्राप्ति और सिंचाई की व्यवस्था में सहायक है।

स्वर्णरेखा—छोटानागपुर की यह दूसरी प्रधान नदी है जो राँची के निकट पिठ... निकलकर पश्चिम बंगाल की ओर बहती है। मूरी के निकट यह पश्चिम बंगाल और बि... के बीच सीमा रेखा का काम करती है।

इस क्षेत्र की अन्य नदियों में उत्तरी एवं दक्षिण कोयल नदियाँ और शंख नदी प्रमुख...

बिहार : धरातल एवं नदियाँ

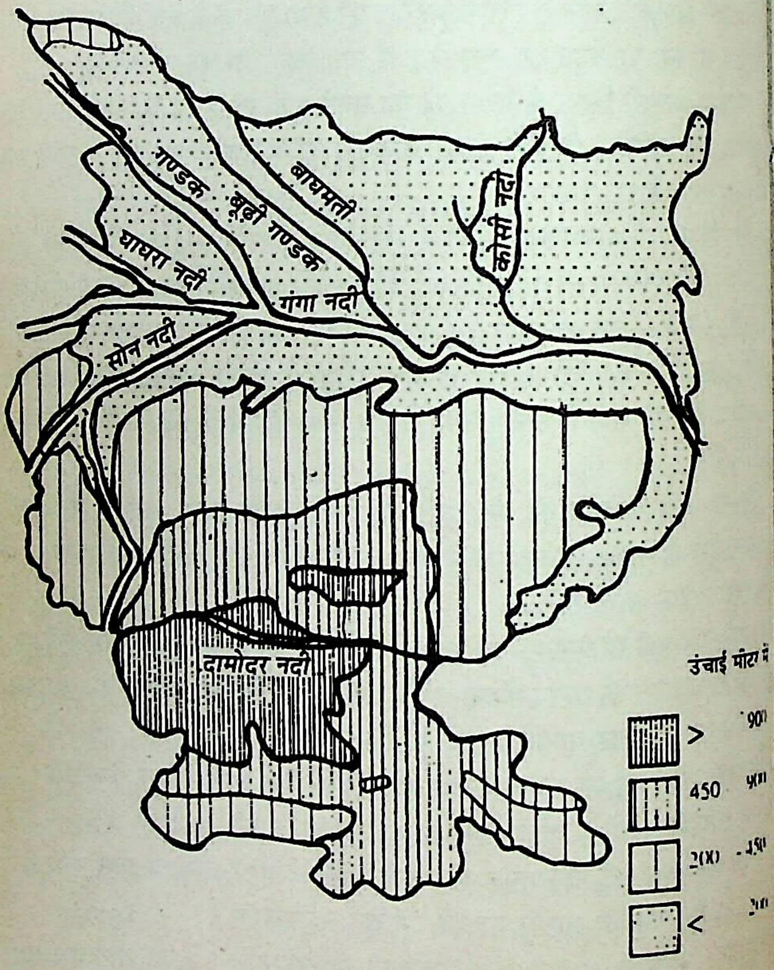

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जलप्रपात

बिहार के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं जो नदी के बहाव मार्ग में मृदु शैल के अपरदन अथवा कठोर शैल के अवरोध के कारण बने हैं। इनमें प्रमुख हैं—

हुंडरू का जलप्रपात—यह जल-प्रपात राँची जिले में स्वणरिखा नदी पर स्थिर है। राँची से 38 कि०मी० की दूरी पर यह प्रपात 74 मीटर (243 फीट) की ऊँचाई से गिरता है। यहाँ सिकीदरी में इससे जलविद्युत का उत्पादन होता है। यह बिहार का सबसे ऊँचा जलप्रपात है।

दसम जलप्रपात—यह जल-प्रपात राँची से 25 कि०मी० की दूरी पर दक्षिण पूर्व में काँची नदी पर स्थित है तथा लगभग 40 मीटर (130 फीट) की ऊँचाई से गिरता है। यहाँ दस धाराएँ हैं इसलिए इसका नाम दसम जलप्रपात है।

सदनी घाघ जलप्रपात—यह गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित जलप्रपात है। 'पात' से उतरते समय यह लगभग 61 मीटर (200 फीट) से गिरता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनोहारी है।

गौतमधारा जलप्रपात—यह पहले जोन्हा जलप्रपात के नाम से विख्यात था। यह रारू नदी पर राँची से 32 कि०मी० दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इसकी ऊँचाई 26 मीटर (85 फीट) है। इसका प्राकृतिक दृश्य भी बहुत मनोरम है। इसके निचले भाग में अनेक क्षिप्रिकाएं हैं।

हिरणी जलप्रपात—राँची-चाइबासा सड़क मार्ग पर राँची से 72 कि०मी० की दूरी पर पूर्वी सिंहभूम जिले में हिरणी जलप्रपात है। यह प्रपात जंगलों के बीच है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।

गौतम घाघ—पलामू जिले में महुआडांड़ से 10 कि०मी० दक्षिण पूर्व गौतमघाघ जलप्रपात है। यह एक छोटी नदी में स्थित है तथा इसकी ऊँचाई 36 मीटर (120 फीट) है।

घघरी जलप्रपात—नेतरहाट से 7 कि०मी० उत्तर घघरी नदी पर यह जलप्रपात है। यह 42 मीटर (140 फीट) की ऊँचाई से गिरता है तथा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।

राजरप्पा जलप्रपात—रामगढ़ (हजारीबाग जिला) से 25 कि०मी० पूरब में यह जलप्रपात लोगों के लिए हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहा है। यह दामोदर नदी तथा भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है।

मोतीझील जलप्रपात—यह संथालपरगना में गंगा की एक सहायक नदा पर स्थित है, राजमहल की पहाड़ी से उतरते समय यह 45 मीटर (150 फीट) ऊँचा जलप्रपात बनाता है।

काकोलत जलप्रपात—यह नवादा जिले में नवादा शहर से 16 कि०मी० दक्षिण में स्थित है। काकोलत कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। इस प्रपात की कुल ऊँचाई 47 मी० (160 फीट) है पर मुख्य प्रपात 24 मी० (80 फीट) ऊँचा है।

उपर्युक्त प्रपातों के अतिरिक्त बक्सर जिला में कर्मनाशा नदी पर एक प्रपात है। भोजपुर जिले में दुर्गावती जलप्रपात 90 मी० (300 फीट) ऊँचा है। यह प्रपात खादरकोह में गिरता है। इसी के निकट फुलवरिया नदी पर जिआरखुण्ड का एक छोटा जल प्रपात है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गर्म सोते—बिहार में अनेक स्थानों पर गर्म जल के सोते पाये जाते हैं। अनुमान के पर कहा जाता है कि इन तप्त जलधाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखियों या भू-गर्भ में रेडियो सक्रिय खनिजों से है। रासायनिक विश्लेषण से इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज गंधक आदि मिलते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है—

गर्म सोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। यहाँ के उल्लेख सोते हैं—**सप्तधारा (सतधरवा), ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदुमकुंड, नानककुंड, गोमुख** आदि। सभी कुंडों में पानी 70° सें० से अधिक गर्म रहता है। ब्रह्मकुंड का तापमान तो 87° सें०

मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित अनेक सोते हैं—**सीताकुंड, रामेश्वर, लक्ष्मणकुंड, ऋषिकुंड** आदि। इनका पानी 58° सें० से भी अधिक गर्म पाया जाता है। लक्ष्मणकुंड का पानी सर्वाधिक गर्म है (62° सें०)

हजारीबाग जिले का **सूरजकुंड** बिहार में सबसे अधिक गर्म जल वाला सोता जाता है।

इसके अतिरिक्त हजारीबाग, धनबाद, संथालपरगना और पलामू जिलों में भी अनेक सोते पाए जाते हैं।

इन गर्म सोतों की विशेषता यह है कि इनका तापमान सालभर एक समान रहता इनमें खनिज भी पाए जाते हैं।

बिहार में जल-प्रबंधन का विकास

बिहार राज्य में कृषि की प्रधानता तथा मासूनी वर्षा पर कृषि की निर्भरता को दे हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 670 सिंचाई योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं। मध्यम तथा सिंचाई योजनाओं का उद्देश्य सिंचाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को जल की उपलब्धि क है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 174 लाख हेक्टर है, जिसमें कृषि योग्य भूमि ल 115 लाख हेक्टर है। अनुमान लगाया गया है कि अधिकतम 124 लाख हेक्टर की सिंचाई सृजित की जा सकती है, जिसमें से 65 लाख हेक्टर वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजन से तथा 59 लाख हेक्टर की क्षमता लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से होगी। यो आयोग द्वारा दी गई परिमाण के अनुसार 2 लाख और उससे कम हेक्टर की सिंचाई वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, 2 से 10 लाख हेक्टर वाली परियो मध्यम तथा 10 लाख हेक्टर और उससे अधिक क्षमतावाली परियोजना वृहत सिंचाई परियो कहलाती है।

भौगोलिक दृष्टि से बिहार को तीन भागों में विभक्त किया गया है, (क) गंगा के का भाग, उत्तरी बिहार, (ख) गंगा के दक्षिण की समतल भूमि, मध्यबिहार तथा (ग) छोटाना का पठार, दक्षिण बिहार।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कुशल कृषि के लिए सुनिश्चि सिंचाई का सुलभ होना परम आवश्यक है। भारत तथा भारत के अन्य राज्यों की तुल

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जल-प्रबंधन की दिशा में बिहार को अभी बहुत कुछ करना है। छठी योजना में बिहार में विकास दर 4.05 प्रतिशत थी, जो सातवीं योजना में बढ़कर 4.66 प्रतिशत हुई, जबकि सकल भारत की औसत लगभग 5.3 थी। इस कमी के कारण क्षेत्रीय विषमता बढ़ती ही जा रही है।

सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी भारत एवं बिहार के तुलनात्मक आँकड़े कुछ इस प्रकार है—

		भारत	बिहार
1.	वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा अनुमानित कुल सिंचन क्षमता (हजार हेक्टर)	58475	6500
2.	सातवीं योजना के अंत तक सृजित क्षमता (हजार हेक्टर)	30764	2715
3.	सृजित क्षमता और कुल क्षमता का प्रतिशत	53.00	41.77

योजना आयोग के निर्देश पर बिहार में भी एक दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार 2015 ई० तक कुल सिंचाई क्षमता का प्रतिशत सृजित कर लेने का कार्यक्रम है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में पहले से चली आ रही सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र समापन को प्रथम प्राथमिकता दी गई है।

1951 से सिंचाई के सुनिश्चित विकास का योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तब बिहार में मात्र चार सिंचाई परियोजनाएँ कार्यान्वित थीं—उत्तर बिहार में ढाका, तिउर और त्रिवेणी नहर तथा दक्षिण बिहार में सोन नहर। छोटानागपुर में तो कोई परियोजना थी ही नहीं। योजना-पूर्व काल में इन परियोजनाओं से बिहार में मात्र 4.04 लाख हेक्टर में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। पहली योजना से लेकर अब तक सीमित साधन स्रोत के बावजूद कई छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी है। इनमें प्रमुख है—गंडक परियोजना, कोशी बराज एवं पूर्वी नहर, चंदन जलाशय, बदुआ जलाशय, कांची नहर, लोअर किउल घाटी नहर आदि।

आठवीं योजना की सिंचाई परियोजना में प्रमुख हैं, सुवर्ण रेखा परियोजना, पश्चिमी कोशी नहर, उत्तर कोयल जलाशय, दुर्गावती जलाशय, बरनर जलाशय, अपर किउल जलाशय, बटेश्वर स्थान पम्प नहर, अजय बराज, डकारा नाला पम्प नहर, ओरनी जलाशय, बटाने जलाशय, तोरई जलाशय, सोनुवा जलाशय, लतरातू जलाशय, कंश जलाशय, गुमानी बराज आदि।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई के विकास को दिन-ब-दिन विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आजादी के पूर्व इस क्षेत्र में सिंचाई की जहाँ कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहाँ सातवीं योजना के अन्त तक इस क्षेत्र में वृहत एवं मध्यम-परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर 804 करोड़ रुपये व्यय हुआ तथा 127 हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित की गई। प्रतिशत की दृष्टि से पाँचवी योजना तक पूरे बिहार में सिंचाई कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि का मात्र .3 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय किया गया था, जो छठी योजना में बढ़कर 21.25

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रतिशत और सातवीं योजना में और भी बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। छोटानागपुर क्षेत्र की सुवर्ण रेखा परियोजना के लिए विश्व बैंक का वित्तीय अनुदान भी प्राप्त हुआ है।

जनजाति क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए इधर और भी अधिक उदार कार्यक्रम अपनाए गए हैं। विस्थापित लोगों को आयोजित कॉलनियों में रहने की सुविधा दी जा रही है, जिसमें सड़क, अस्पताल, स्कूल, पेयजल आदि उपलब्ध हैं। स्वनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अनुग्रह अनुदान भी दो हजार रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है।

नई सिंचाई परियोजनाओं के प्रारंभ के साथ-साथ पुरानी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की भी योजनाएँ अपनायी गई हैं। सोन नहर प्रणाली लगभग 120 वर्ष पुरानी हो चली है, जिसका अंग-अंग अब जर्जर हो चुका है। इस प्रणाली के पुर्नस्थापन एवं आधुनिकीकरण की योजना भी वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के विचाराधीन में है। सोन बेसिन में सुनिश्चित जल प्रवाह के लिए वाण सागर समझौता किया गया है, जिसके तीन भागीदार हैं, बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश। सोन आधुनिकीकरण के एक चरण के रूप में कदुवन जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव है ताकि बिहार का सोन क्षेत्र सुखाड़ की चपेट में न आ जाए।

सातवीं योजना के अंत तक लगभग 188 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी थीं जिनमें से 150 से अधिक परियोजनाएँ तो काफी पुरानी पड़ चुकी हैं और उनकी क्षमता क्षीण हो गई हैं। इन परियोजनाओं का कार्योत्तर-मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि कम पूँजी लगाकर इन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। मूल्यांकन की अनुशंसाओं के आधार पर इनकी सिंचाई प्रणालियों को पुर्नस्थापित किया जा रहा है तथा कहीं-कहीं विशेष मरम्मत का भी प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप अब तक सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि दिखलाई देने लगी है। 5 से 8 हेक्टर तक के जलस्रोतों का भी निर्माण किया जा रहा है।

उत्तर बिहार में जल जमाव की भी एक विशेष समस्या है। गंडक, कोशी तथा पश्चिमी कोशी के कमान क्षेत्र का लगभग 8 लाख हेक्टर जल-जमाव की समस्या का शिकार है। उत्तर बिहार की जनसंख्या 470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि पूरे भारत की औसत आबादी 221 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। जल-जमाव की समस्याओं के निदान के लिए कई परियोजनाएँ प्रारम्भ की गई है जैसे गंडक परियोजना द्वितीय चरण, कोशी परियोजना द्वितीय चरण, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम समेकित जल-निस्सरण परियोजना, कोशी एवं गंडक कमान क्षेत्र के बाहर जल निस्सरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि।

सिंचाई परियोजनाएँ

बिहार के कुल राज्य उत्पादन का आधा भाग आज भी कृषि से प्राप्त होता है तथा इस पर लगभग जनसंख्या का 75% भाग आश्रित है। कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उत्तर विहार में अच्छी वर्षा होती है तथा नदियाँ भी स्थायी हैं जिन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सालों भर जल प्रवाह बना रहता है। इन नदियों में गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक आदि प्रमुख हैं। दक्षिण बिहार में गर्मी के 3–4 महीनों को छोड़कर दामोदर तथा स्वर्णरेखा जैसी पहाड़ी नदियाँ जल प्रवाह करती रहती है। प्रदेश में 100–150 cm. वर्षा होती है तथा भूमिगत जल का अक्षय भंडार है जिनका प्रयोग सिंचाई आदि के कार्यों में किया जा सकता है।

धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल नदियों, जलाशयों एवं झीलों में संचित होता है तथा नदी द्वारा प्रवाहित होता है तो इसे धरातलीय संसाधन कहते हैं और जब यही जल भूमि के नीचे चला जाता है तो उसे भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। धरातलीय जल का प्रधान साधन नदियाँ हैं। जो नदियाँ वर्षा पर जल के लिए निर्भर करती हैं वे अस्थायी होती हैं और ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं परन्तु हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में सालों भर जल प्रवाह होता है। ये स्थायी नदियाँ होती हैं। उत्तर बिहार में गंगा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। बिहार में धरातलीय जल संसाधनों की सिंचाई क्षमता 27.15 लाख हेक्टर मि०मी० है तथा भूमिगत जल की सिंचाई क्षमता 72 लाख हेक्टर भूमि बताई जाती है परन्तु वास्तविकता में इनकी कुल क्षमता का मात्र 23% ही प्रयोग में लाया जाता है। बिहार में भूमिगत एवं धरातलीय जल स्रोतवार आँकड़े निम्न प्रकार से हैं—

तालिका-IV

बिहार में सिंचित क्षेत्र

स्रोत	सकल सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टर में)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टर में)
धरातलीय जल		
1. नहर	15.39	11.25
2. तालाब	1.14	0.39
भूमिगत जल		
1. नलकूप	16.69	13.69
2. कुआँ	1.15	0.90
अन्य	8.42	8.01
कुल	**42.79**	**34.20**

Sam Standard—94

नहरें—बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं, जिनके द्वारा कुल सिंचित भूमि का 35% से भी अधिक भाग की सिंचाई होता है। प्रान्त में दो प्रकार की नहरें हैं।

(i) सदावाही नहरें जिनमें निरन्तर जल प्रवाहित रहता है। ये नहरें बांध या सततवाहिनी नदियों द्वारा निकाली गई हैं।

उत्तर बिहार की सभी नहरें इसी श्रेणी में आती हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ii) अनित्यवादी नहरें सीधे नदियों से निकली जाती हैं जो वर्षाकाल में अधिक जल प्रवाहित करती है। अधिकतर ऐसी नहरें दक्षिण बिहार के पठारी भागों में देखी जाती हैं।

बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कनाल है। पूर्वी सोन कनाल, वारुन नामक स्थान से सोन नदी से निकाली गई है और पटना के निकट यह गंगा से मिल जाती है। यह एक Link-canal हैं जिससे पटना, गया आदि जिलों की 2.5 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई होती है। पश्चिमी सोन कनाल हेटरी नामक स्थान से सोन नदी के दक्षिणी ओर से निकाली गई है जिसकी अनेक शाखाओं द्वारा भोजपुर, बक्सर, शाहाबाद जिलों की 3 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई होती है। दूसरी सबसे प्राचीन नहर त्रिवेणी कनाल है जिसका निर्माण 1904 में पूरा हुआ था और यह पश्चिमी चम्पारण जिले की एक लाख भूमि पर सिंचाई होती है। गंडक नदी से ही ढाका एवं तिउर नहरें भी निकाली गई हैं। कोसी परियोजना से दो नहरें पूर्वकोसी नहर एवं पश्चिमी कोसी नहर हनुमान नगर के निकट बने बांध से निकाली गई है जिनके द्वारा अररिया, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा आदि की 4 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त मयूराक्षी नहर, सकरी नहर, तिरहुत नहर, सारन नहर आदि अन्य मुख्य नहरें हैं।

नलकूप एवं कुआँ—बिहार के मैदानी भाग में कुआँ एवं नलकूप सिंचाई का दूसरा महत्त्वंपूर्ण साधन हैं। इन इलाकों में भूभाग की संरचना अत्यन्त मुलायम है जिस कारण कुओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में तो जल का स्तर भी बहुत ऊँचा है जिससे कुएँ की ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती। कुआँ के द्वारा बिहार में 1.15 लाख हेक्टर की सिंचाई होती है। भूमिगत जल के विशाल भंडार के प्रयोग का एक वैज्ञानिक तरीका नलकूप है। नलकूप सरलता से छोटी-छोटी भू-इकाईयों पर लगाए जाते हैं तथा यह डीजल या विद्युत पर आधारित होते हैं। बिहार राज्य में 1967 से विद्युत-चालित नलकूप के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है तथा 1990 तक चम्पारण, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णियाँ, बेगूसराय, नालन्दा, गया, पटना, भोजपुर, बक्सर एवं शाहाबाद जिलों में लगभग 2 लाख 50 हजार विद्युत-चालित नलकूप द्वारा 15 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की जा रही थी।

तालाब—धरातलीय सिंचाई का एक अन्य स्रोत तालाब है। तालाब भूमि पर बने गड्ढों में वर्षा का जल भरने से बनते हैं। प्रधानतः इनका सिंचाई कार्य के लिए सीवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पलामू, संथाल परगना एवं गया जिलों में प्रयोग होता है। इससे लगभग 1.15 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की जाती है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 2.7% ही है। तालाब के अतिरिक्त आहर, पाइन आदि भी कुछ जगहों पर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यह विशेषकर पटना, मुंगेर, शाहाबाद एवं दरभंगा में अधिक प्रचलित हैं।

बिहार में 80 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का प्रयोग धान एवं गेंहूँ की दो फसलों के लिए किया जाता है। अन्य सिंचित फसलों में मकई, आलू, गन्ना, तेलहन एवं तम्बाकू प्रधान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बाढ़ की समस्या

बिहार राज्य में बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जो निरंतर धन-जन की अपार क्षति का कारण बनी रही है। इससे राज्य में कृषि को नुकसान होता रहा है और प्रगति के अन्य कार्यों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ का कारण हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं जिनमें घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानन्दा आदि प्रमुख हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान में बरसाती नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण हैं। सोन, पुनपुन, हरीहर, किउल आदि इसमें मुख्यतः योगदायी है। छोटानागपुर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बाढ़ आती है। यहाँ स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोइल, उत्तर कोइल, शंख और दामोदर नदियाँ बाढ़ के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण, वैशाली, सहरसा और खगड़िया प्रमुख हैं जबकि दक्षिण बिहार में पटना और जहानाबाद अधिक बाढ़ प्रभावित रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करने के अनेक उपाय किये गये हैं। कोसी और दामोदर नदियों पर तटबंध बनाने के साथ जल-प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अनेक बांध भी बनाए गये हैं। 1975 में पटना में आई भयंकर बाढ़ के बाद गंगा तटबंध की भी निर्माण हुआ है। अनेक बाढ़-नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। बाढ की पूर्वसूचना देने के और बाढ़-प्रबंधन की व्यवस्था भी की गयी है। लेकिन इस प्राकृतिक विपदा पर प्रभावशाली नियंत्रण अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है।

बिहार में बाढ़ की समस्या भी आज एक भीषण समस्या है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य ही माना गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 174 लाख हेक्टर में से 64.61 लाख हेक्टर बाढ़ से प्रभावित रहता है। पहली योजना से अब तक कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा, करेह, भुतहीबलान, बागमती, कमलाबलान, महानंदा आदि कई बाढ़ नियंत्रण तटबंधों का निर्माण किया गया है। 1987 की अप्रत्याशित बाढ़ से हुई क्षति से हमें शिक्षा मिली है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए अल्पकालीन ही नहीं बल्कि मध्य तथा दीर्घकालीन परियोजनाओं का निर्माण अत्यावश्यक है। उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका से जान-माल की प्रायः प्रतिवर्ष बेशुमार क्षति होती है। सीमित साधन स्रोत के अन्तर्गत अब तक 3400 किलोमीटर की लंबाई में बाढ़-सुरक्षात्मक तटबंधों का निर्माण हुआ है तथा 29.28 लाख हेक्टर क्षेत्र को सीमित सुरक्षा प्रदान की जा सकी है। शेष 35.33 लाख हेक्टर असुरक्षित ही पड़ा है जिसके लिए अभी बहुत कुछ करना है।

बिहार में जल प्रबंधन के लिए जनसहयोग के साथ-साथ सेवारत अभियंताओं तथा कुछ चुने गए कृषकों के प्रशिक्षण की भी एक महती योजना चलाई जा रही है। आठवीं योजना में 'वाल्मी' (जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान) पटना के तत्त्वावधान में प्रशिक्षण का एक दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ किया गया है जिसमें कम्प्यूटर ट्रेनिंग वर्कशौप, सेमिनार, व्यापक प्रशिक्षण, शोधकार्य, विभिन्न समस्याओं के चुने हुए मामले का आकलन, सिंचाई प्रणाली विशेष के विशिष्ट अध्ययन आदि कार्यक्रम सन्निहित है। उदाहरण स्वरूप 1988में सोन नहर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रणाली की पालीगंज वितरण शाखा में कृषकों का सहयोग सराहनीय रहा है। जिसके अन्तर्गत नहरी पानी के संचालन एवं संधारण के लिए कृषकों की एक तदर्थ समिति गठित की गई थी। इसके साथ-साथ वहाँ अनेक ग्राम सिंचाई समितियाँ भी गठित की गई, जो नहर प्रणाली के सक्षम प्रबंधन पर निगरानी रखती थी। कार्यक्रम है कि पूरे राज्य में इस तरह की और भी जल समितियाँ गठित की जाएँ, ताकि हमारा जल प्रबंधन और अधिक सक्षम और सुदृढ़ हो।

कुशल जल प्रबंधन द्वारा ही बाढ़ तथा सूखे से त्रस्त हमारा बिहार सुनिश्चित सिंचाई का सफल सदुपयोग कर पायेगा और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य बन पायेगा क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक सम्पदा बिहार के पास भरपूर है।

विद्युत परियोजनाएँ

वर्तमान युग में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत विद्युत है। उद्योग, संचार एवं परिवहन जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ घरेलू कार्यों में भी विद्युत-ऊर्जा का विशेष महत्व है। बिहार में विद्युत-ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ताप-विद्युत और जल-विद्युत। कोयले की प्रचुर मात्रा के कारण बिहार में विद्युत उत्पादन में ताप-विद्युत की ही प्रधानता रही। ताप-विद्युत के मुख्य संयंत्र निम्नलिखित हैं—

पतरातू तापविद्युत संयंत्र—हजारीबाग जिल में स्थापित पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की दस इकाईयाँ हैं और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है परन्तु जर्जर एवं पुरानी मशीनों, कर्मचारियों की अकुशलता तथा निम्न तकनीकी स्तर के कारण इसकी 20% से भी कम क्षमता का प्रयोग हो पाता है। पतरातू संयंत्र बिहार राज्य विद्युत पर्षद के अधीनस्थ है। इसकी स्थापना में सोवियत रूस की सहायता भी ली गई थी।

बरौनी ताप संयंत्र—बिहार राज्य विद्युत पर्षद का दूसरा बड़ा संयंत्र बरौनी में स्थापित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 320 MW है। यह संयंत्र बरौनी तेल शोधक कारखाने के समीप स्थापित है। इस संयंत्र के द्वारा उत्तरी बिहार को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तकनीकी एवं कर्मचारियों की अकुशलता के कारण इस संयंत्र में उत्पादन क्षमता का प्रयोग 15 से 2[illegible] तक ही हो पाता है।

मुजफ्फरपुर ताप संयंत्र—मुजफ्फरपुर ताप संयंत्र कांटी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। यह बिहार राज्य विद्युत पर्षद की तीसरी बड़ी इकाई है जिसकी उत्पादन क्षमता 2[illegible] MW है परन्तु दुर्भाग्य से कभी भी इसकी 30% से अधिक क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाया है।

पटना ताप संयंत्र—पटना में करबिगहिया नाम स्थान पर स्थापित एक अत्यन्त छोटा एवं बहुत ही पुराना ताप संयंत्र है जो अब राज्य विद्युत पर्षद के अधीनस्थ है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 13.5 MW है। यह अत्यन्त जर्जर एवं पुराना संयंत्र है जिसकी उत्पादन लागत भी काफी अधिक है।

इसके अतिरिक्त तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई है, परन्तु भष्टाचार, गलत वित्तपोषण योजना, अत्यधिक ऊपरी पूंजी पर व्यय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के कारण यह परियोजना अभी तक मूर्त रूप में स्थापित नहीं हो सकी है।

कहलगाँव ताप परियोजना—NTPC (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) के अधीन भागलपुर के कहलगाँव नामक स्थान पर एक बड़ी विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। यह रूस की सहायता से बनाई गई है तथा इसमें 1992 से उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका है। NTPC की इस परियोजना में प्रारंभ से ही तकनीकी गड़बड़ी पैदा होने से विद्युत उत्पादन में कमी आई है। विद्युत उत्पादन, क्षमता के 30% से अधिक नहीं हो पाया है।

बोकारो ताप संयंत्र—हजारीबाग जिले में स्थापित बोकारो ताप संयंत्र दामोदर घाटी निगम (DVC) के अधीनस्थ है। इसकी दो पृथक इकाईयाँ हैं जिनकी सकल उत्पादन क्षमता 385 MW है। इस विद्युत परियोजना के द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

चन्द्रपुरा ताप संयंत्र—यह ताप विद्युत गृह हजारीबाग जिले में स्थापित है। चन्द्रपुरा ताप विद्युतगृह DVC के अधीनस्थ संयंत्र है जिसकी स्थापित उत्पादन क्षमता 780 MW है।

तेनुघाट ताप संयंत्र—तेनूघाट में एक नवीनतम ताप संयत्र स्थापित हुआ है जिसके द्वारा 360 MW विद्युत उत्पादन हो रहा है।

1991 तक कुछ एक आन्तरिक उत्पादन संयंत्रों को छोड़कर सभी ताप विद्युतगृह या तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित बिहार विद्युत पर्षद के अधीनस्थ है या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित दामोदर घाटी निगम (DVC) तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन (NTPC) के नियंत्रण में है। हाल ही में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में संशोधन के पश्चात् निजी क्षेत्र में ताप संयंत्रों की स्थापना की संभावना बढ़ी है। राज्य सरकार चांडिल एवं तेनुघाट ताप गृहों को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है। बिहार में राज्य विद्युत पर्षद के नियंत्रण में स्थापित विभिन्न संयंत्रों की क्षमता का उपयोग औसतन 20% ही है जिससे प्रान्त में विद्युत की भारी कमी देखने में आती है। विद्युत की निम्न उपलब्धता ही राज्य के अप औद्योगिकरण (deindustrialisation) का मुख्य कारण है इस निम्न उपलब्धता के मुख्य कारण हैं—(i) उच्च लाइन लॉस (Line Loss) (ii) निम्न सकल उपयोग (Plant Load Factor) (iii) अति प्राचीन एवं जर्जर संयंत्र (iv) तकनीकी अकुशल्ता एवं उच्च उत्पादन लागत (v) आवश्यकता से कई गुना अधिक कर्मचारियों की भर्ती (vi) उपयुक्त कोयले की आपूर्ति में कमी (vii) रख-रखाव में कमी, (viii) भ्रष्टाचार एवं राजस्व वसूली में ढिलाई आदि।

जल विद्युत परियोजनायें—बिहार में अपार जल विद्युत की संभावनाएँ होते हुए भी इनका समुचित विकास अबतक नहीं हुआ है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत दामोदर घाटी नियम की स्थापना के साथ हुआ। 1953 में तिलैया में राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र काम करने लगा था। पुनः तीसरी योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार के प्रचुर जल संसाधनों के विद्युत-उत्पादन में उपयोग हेतु कोसी परियोजना का कार्यान्वयन हुआ। कोसी नहर तथा मंडल बैराज के समीप जल विद्युत संयंत्र लगाये गये।

दामोदर घाटी परियोजना—यह परियोजना प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

केन्द्र सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम (DVC) के अधीनस्थ 1948 में प्रारंभ की गई। यह बहुद्देशीय योजना है, जिसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई भी है। इस परियोजना के ऊपरी क्षेत्र में पलामू, हजारीबाग, राँची, संथाल परगना आदि जिले आते हैं तथा निचले क्षेत्र में बंगाल के अनेक क्षेत्र आते हैं। यह परियोजना दामोदर नदी, जिसे बिहार-बंगाल का शोक कहा जाता था, पर स्थित है। जमुनिया, बोकारो, बराकर तथा कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं। DVC के अन्तर्गत 8 बाँध, एक अवरोधक बाँध, 2500 KM लम्बे नहर निर्माण तथा तीन विद्युत गृह का निर्माण हुआ है। इसकी सकल विद्युत उत्पादन क्षमता 104MW है। इस परियोजना के प्रमुख बांध तिलैया, कोनार, मैथन पंचैत, अय्यर, बर्मो, बाल पहाड़ी बाँध आदि हैं।

कोसी जल विद्युत परियोजना—कोसी परियोजना भी एक बहुद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण नेपाल तथा भारत के सहयोग से 1965 में किया गया। यह परियोजना राज्य सरकार के अधीनस्थ है। यह परियोजना सहरसा जिले में कोसी नदी पर स्थापित है। इस परियोजना में पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहरें, राजपुर नहर, हनुमान नगर अवरोधक बांध, पुश्तेबांध आदि निर्माण किये गये हैं। इससे 3.14 लाख हेक्टर पर सिंचाई होती है। हनुमान नगर के कटैय स्थान पर जल-विद्युत गृह बनाया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता 20MW है।

स्वर्णरेखा जलविद्युत परियोजना—राज्य सरकार के नियन्त्रण में हुंडरु नामक स्थान पर इस परियोजना का निर्माण हुआ है। हुंडरु झरने के नीचे एक बड़े जलाशय के निर्माण से इस परियोजना में विद्युत उत्पादन होता है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 130 MW है तथा इसके द्वारा राँची की औद्योगिक नगरी को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जलाशय में जल के निम्न स्तर के कारण शायद ही कभी उत्पादन क्षमता का 50% भाग भी प्रयोग में लाया जा सका है।

यह सभी योजनाएँ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों में भी सहायक रही हैं।

प्राकृतिक वनस्पति

प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन वनस्पति से है जो जलवायु के प्रभाव के अनुरूप प्रदेश विशेष में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें बांस तथा घास से लेकर साल, शीशम एवं बरगद जैसे वृक्ष तक शामिल हैं।

बिहार में वर्ष के तीन चार महीनों की अवधि में 80 प्रतिशत से अधिक वर्षा हो जाती है तथा शेष महीने अपेक्षाकृत वर्षारहित होते हैं। ऐसी जलवायु के प्रभाव से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वन पाये जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष ग्रीष्म काल के आरंभ होते ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं जिससे वे गर्मी की शुष्कता को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। पर्णपाती वनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—आर्द्र पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में 1200 कि०मी० की समवृष्टि रेखा प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन के मध्य सीमा निर्धारित करती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य में 29.23 लाख हेक्टर क्षेत्र में वनस्पति विस्तृत है। यह राज्य के समस्त क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत है। बिहार राज्य में वनस्पति का बड़ा ही असमान वितरण है। मैदानी भागों में 5 प्रतिशत से भी कम वन भूमि पाई जाती है। इसमें से अधिकतर फलों के बगीचे, तराई प्रदेश एवं भावर प्रदेश में खुले वन एवं घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ मानव द्वारा लगाए गए कुञ्जों में आम, जामुन, महुआ, नीम, शीशम, नीबू, लीची आदि की प्रधानता रहती है।

दक्षिण बिहार में फैले छोटानागपुर की उच्च भूमि ही प्रमुख वनस्पति क्षेत्र है। उच्च भूमि एवं सामान्य तौर पर अधिक वर्षा के कारण इस इलाके में आर्द्रता अधिक है जिस कारण यहाँ आर्द्रपर्णपाती वन पाये जाते हैं। बिहार के उत्तरी सीमांत चम्पारण और पूर्णिया जिले और तराई के क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाये जाते हैं।

बिहार के वनों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं—

ऊपरी हिमालयी एवं तराई वन—नेपाल की सीमा से लगे इस वन क्षेत्र में आद्रपर्णपाती वृक्ष पाये जाते हैं। इनका मुख्य इलाका चम्पारण जिले में सोमेश्वर और दून की श्रेणियाँ तथा सहरसा और पूर्णियाँ का तराई क्षेत्र है। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर जहाँ वर्षा का औसत 160 सें०मी० से अधिक रहता है, साल, शीशम, तून, खैर और सेमल आदि से भरे जंगल हैं। अधिक नमी वाली दलदली और निम्न भूमि भागों में ऊँची घासों की बहुलता है। यहाँ सवाई घास तथा नरकट और झाउ की घनी झाड़ियाँ फैली हैं। सहरसा तथा पूर्णियाँ के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में साल वनों की पट्टी पायी जाती है।

छोटानागपुर के अर्द्ध पर्णपाती वन—अत्यधिक वर्षा, ऊँचाई तथा तेज गर्मी सम्मिलित रूप से राँची, पलामू एवं हजारीबाग जिलों में आर्द्र वनों के सघन विकास के लिए उत्तम वातावरण उपलब्ध कराते हैं। इन वन क्षेत्रों की मुख्य विशेषता यहाँ के पर्णपाती वनों में चिरहरित वृक्षों की भी उपस्थिति है। इनमें आम, जामुन, पियाल और कटहल उल्लेखनीय हैं। यहाँ सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अधिक संख्या में ऊँचे वृक्ष के रूप में उपलब्ध होने के कारण साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा गया है।

यहाँ अनेकों वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं जैसे—महुआ, कुसुम, गुलड़, आसन, खैर, अमलतास, गम्हार, केन, आजन, करंज, बरगद, पीपल और सेमल। यहाँ पहाड़ी ढालों पर घने जंगलों में अनेक प्रकार की लताएँ (अमरबेल, गुरीच आदि) भी पायी जाती है। खजूर एवं बांस के झुरमुट भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पलास वृक्ष अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। छोटानागपुर की निम्न भूमि में जहाँ मंद जल-प्रवाह उपलब्ध है, सवाई घास विस्तृत है।

शुष्क पर्णपाती वन—यह वन 1200 मि०मी० की समवृष्टि रेखा के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र में उपलब्ध है। बिहार के मैदानी भागों में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ते जाने के कारण यहाँ के शुष्क पर्वतीय वनों को बड़े पैमाने पर काट कर कृषि की जाने लगी है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन कम ही मिलते हैं। वैसे इनका विस्तार पलामू जिले के शुष्क

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भागों में, गया, दक्षिणी मुंगेर और दक्षिणी भागलपुर में पाया जाता है। इनके वनों में अमलतास, शीशम, आबनूस, महुआ, खैर, पलास, आसन, आँवला और साल के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ बबूल एवं बाँस की झाड़ियाँ भी पायी जाती है। मैदानी भागों में कहीं-कहीं उपवन भूमि (Park Land) का पाया जाना यहाँ की प्रमुख विशेषता है।

बिहार : वन

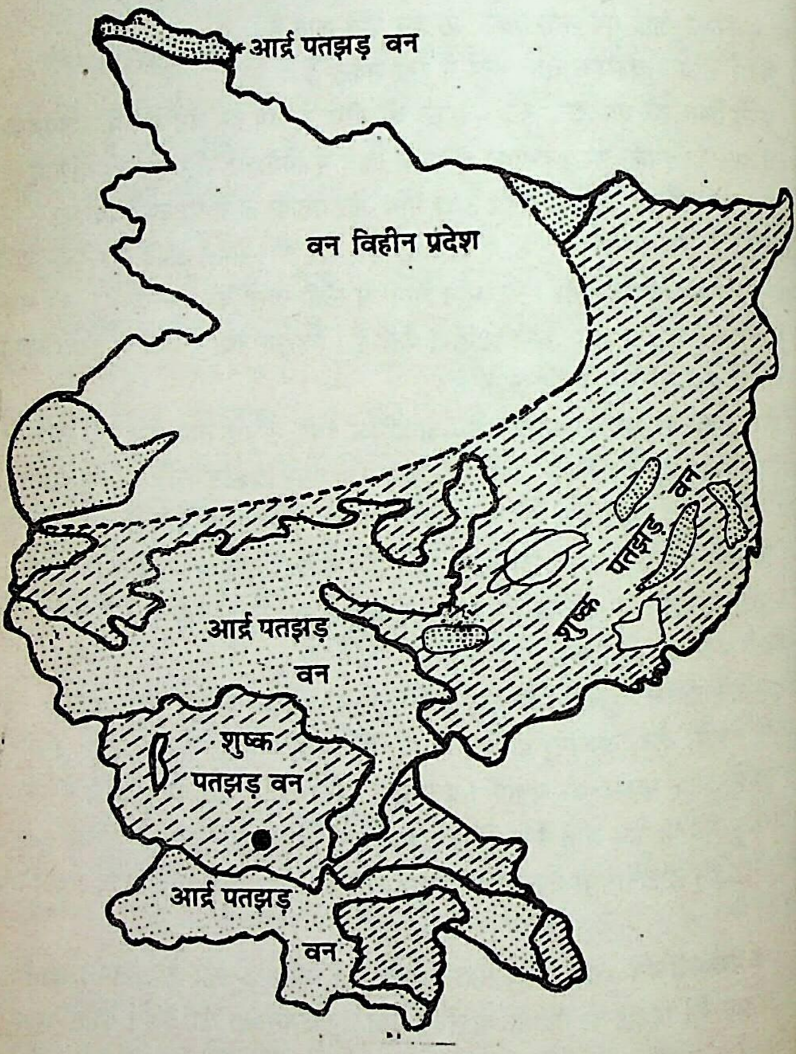

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वनों का विवरण—निम्नलिखित तालिका में बिहार के विभिन्न जिलों में वनों के अन्तर्गत क्षेत्र दर्शाए गए हैं—

तालिका-V

जिला	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (000 हे० में)		जिला	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (000 हे० में)	
नालंदा	4	(0.14)	संथाल परगना	160	(5.47)
गया	78	(2.67)	पूर्णिया	1	(0.03)
नवादा	53	(1.81)	हजारीबाग	522	(15.86)
औरंगाबाद	24	(0.82)	गिरीडीह	233	(7.97)
रोहतास	167	((5.71)	धनबाद	24	(0.82)
प० चम्पारण	120	(4.11)	राँची	409	(13.99)
मुंगेर	132	(4.52)	पलामू	610	(20.87)
भागलपुर	49	(1.68)	सिंहभूम	337	(11.53)
कुल				2923	(100.00)

नोट :—कोष्ट के अन्दर के अंक वनों का प्रतिशत बताते हैं।

किसी भी देश में पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति बनाये रखने में वनों का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त वनों के अनेक आर्थिक उपयोग हैं। जलावन से लेकर भवन निर्माण के कामों तक लकड़ी की आपूर्ति वनों के माध्यम से ही होती है। मिट्टी के कटाव को रोकने, बाढ़ से बचाव, तापमान-नियंत्रण, वर्षा को सामान्य रखने और वायु प्रदूषण पर काबू पाने में वनों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्हीं वनों में वन्यप्राणियों का निवास है जो पर्यावरण का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

बिहार में कुल भूखण्ड का लगभग 17% वन-क्षेत्र है जो पर्यावरण-विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मात्रा (कुल भूखण्ड का 1/3) से बहुत कम है। इसके अलावा वनों का वितरण भी समान ढंग से नहीं है। अधिकांश वन राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में या छोटानागपूर के पठारी भाग पर फैले हैं। राज्य के शेष भागों में छिटपुट रूप से प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं।

विगत दशकों के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वनों का विनाश बहुत तेजी से हुआ है। इस शताब्दी के आरंभ में वन-भूमि का प्रतिशत बिहार में 30% जो वर्तमान दशक में 16·87% रह गया है। औद्योगिक विकास, रेल एवं सड़क मार्गों का निर्माण, भवन-निर्माण, आदि के क्रम में वनों का निरंतर ह्रास हुआ है। इसके अनेक हानिकारक परिणाम सामने आये हैं। वर्षा में अनियमितता आई है और इसकी मात्रा भी घटी है। भूमि का कटाव, कृषि-योग्य भूमि का ह्रास और सूखे की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। प्रदूषण की समस्या बढ़ी है और वन्यप्राणियों की संख्या भी घटी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सामाजिक वानिकी—उपर्युक्त समस्याओं के निदान के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इसका उद्देश्य वनों का विस्तार करना है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसके अलावा जलावन के लिए लकड़ी की आपूर्ति करना है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम में तीन मुख्य उपाय शामिल हैं—(i) ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण, (ii) जिन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है वहाँ पुनः वन लगाना, (iii) आश्रय पट्टी का विकास। इसके साथ कृषि वानिकी के कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत निजी भूमि और खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण का काम हो रहा है।

कृषि तथा पशुपालन

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ विशाल भू-भाग पर कृषि की जाती है। 60% से भी अधिक कुल भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है तथा कुल जनसंख्या का 76% भाग कृषि एवं संबंधित व्यवसाय में संलग्न है। कृषि की प्रधानता का मुख्य कारण यह है कि यहाँ सम्पूर्ण भू-क्षेत्र के बड़े भाग पर गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का उर्वर मैदान विकसित है।

अनुकूल भूमि की दशा, जलवायु, सिंचाई की सुविधा, वर्षा की पर्याप्तता आदि कारणों से कृषि एवं पशुपालन यहाँ एक उपयुक्त व्यवसाय जान पड़ता है। कृषि कार्य के लिए उत्तरी बिहार तथा मध्य गंगा घाटी का अंग सबसे अनुकूल माना जाता है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक उत्तरी मैदानी भागों में देखी जाती है जहाँ 65 से 80% भू-भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। उत्तर बिहार के गण्डक एवं कोसी के मैदानी भागों में सघन कृषि के अन्तर्गत प्रतिवर्ष चार फसलें बोई जाती हैं। इस क्षेत्र में शरद काल में भदई, बसन्तकाल में रबी या जायद ग्रीष्म काल में गरमा फसलें पैदा होती है। उत्तर बिहार में कृषि का स्वरूप अधिक उन्नत एवं आधुनिक है जबकि दक्षिण के पठारी भू-भाग में कृषि मुख्यतः जीवनदायी है। यहाँ अधिकांश कृषि कार्य जनजातियों द्वारा अत्यन्त प्राचीन ढंग से होता है परन्तु दामोदर नदी घाटी से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण अब कृषि उत्पादन में सुधार आ रहा है। पठारी भागों में अधिकांश सीढ़ीनुमा कृषि होती है तथा भदई एवं रबी फसलें पैदा की जाती हैं। पठारी भाग की संपूर्ण भूमि के 35 से 42% भाग पर ही कृषि होती है जबकि 78% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर ही जीवन निर्वाह हेतु निर्भर है।

बिहार में मुख्य रूप से तीन फसलें पैदा की जाती हैं।

(i) **खरीफ**—उत्तर पश्चिम भारत में खरीफ फसलों को बिहार में भदई तथा अगहनी फसलों में बाँटा जाता है। इसके अन्तर्गत शीघ्र तैयार होनेवाली फसलें बोई जाती हैं जिनमें मक्का, ज्वार, धान, बाजरा एवं कुछ प्रकार के तेलहन आदि प्रमुख हैं। कुछ वार्षिक फसलें जैसे गन्ना एवं जूट भी इसी के अन्तर्गत बोई जाती हैं। ऐसी फसलों की बुआई जून-जुलाई में होती है और अक्टूबर-नवम्बर तक कटाई कर ली जाती है। खरीफ फसलों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। राज्य के अधिकांश भाग में यह फसल उपजाई जाती है।

(ii) **रबी**—यह बसन्त ऋतु की फसल है जिसकी बुवाई अक्टूबर-नवम्बर में होती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तथा यह फसल मार्च-अप्रील तक तैयार हो जाती है। इसके अन्तर्गत गेंहूँ सबसे प्रधान फसल है। गेंहूँ के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि की फसल भी बड़ी मात्रा में उपजायी जाती है। इस काम में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है इसलिए सिंचाई की सुविधा के विस्तार के साथ ही साथ रबी की फसल का भी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में 60% उत्तरी मैदानी भाग तथा 33% पठारी क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है। रबी के अन्तर्गत नगद फसलों में तम्बाकू, गन्ना, फल व सब्जी प्रमुख हैं।

(iii) **जायदा**—जायदा फसल मार्च से जून के बीच छोटे काल में बोई एवं काटी जाती है। यह प्रधानतः उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित हैं जहाँ नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत मकई, माही, महुआ, ज्वार, हरा चारा, सब्जियों आदि की खेती होती है। बिहार में जायदा या ग्रीष्मकालीन गरमा फसल मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा आदि जिले एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित थी। 1967 के पश्चात सिंचाई व्यवस्था के विकास के साथ ही साथ इसका प्रचलन बढ़ रहा है।

बिहार की मुख्य फसलें—विहार की कृषि प्रधानतः मानसून पर आधारित है परन्तु 1970 के पश्चात् सिंचाई सुविधा के विस्तार से गहन फसलों को प्रोत्साहन मिला है। यहाँ बड़े पैमाने पर धान या चावल की खेती होती है। इसके अतिरिक्त गेंहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, महुआ आदि भी प्रचुर मात्रा में उपजता है। नगद फसलों में प्रधानतः गन्ना, आलू, तम्बाकू, जूट, तेलहन तथा दलहन, लाल मिर्च, मसाले आदि की खेती होती है। प्रदेश की अधिकतर कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है तथा कृषि का स्वरुप मुख्यतः जीवनदायी है। हाल के वर्षों में सरकारी प्रयत्नों, सिंचाई एवं साख सुविधा के विस्तार तथा उन्नत बीजों की उपलब्धि से अनेक क्षेत्रों में व्यवसायिक स्तर पर भी कृषि की प्रगति हो रही है। बिहार की मुख्य फसलें निम्नलिखित हैं—

खाद्यान्न फसलें

चावल या धान—विहार की जलवायु उष्ण एवं आद्र है तथा यहाँ उपजाउ दोमट या गहरी दोमट मिट्टी की उपलब्धि के कारण बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है। चावल बिहार की प्रधान खाद्यान्न फसल है और कुल उपलब्ध भूमि के 45% भाग पर इसकी खेती होती है। गंगा के मध्यवर्ती भाग एवं उत्तरी मैदानी भाग में यह प्रमुख फसल है। 1992-93 में राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि के 50 मिलियन हेक्टेयर पर चावल की खेती हुई तथा यह देश में चावल उत्पादन की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के दक्षिणी पठारी जिलों में मुख्यतः चावल की खेती राँची, पलामू, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम में होती है और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि के एक तिहाई भाग पर चावल की खेती की जाती है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में चावल की दो तथा पूर्वी भाग में तीन-तीन फसल तैयार की जाती है। इसमें भदई एवं अगहनी फसलें प्रमुख हैं। चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पटना, मुंगेर, गया, शाहाबाद आदि है। चावल के छिलके से तेल निकाला जाता है तथा इनके तेल रहित भूसी से कागज बनाया जाता है।

गेहूँ—गेहूँ बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसका मुख्य रूप से उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है जहाँ कम वर्षा एवं शीतोष्ण जलवायु है। इसके उत्पादन में हल्की दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुवाई नवम्बर-दिसम्बर में होती है तथा मार्च-अप्रील में इसकी फसल काटी जाती है। यह प्रदेश की प्रधान रबी फसल है क्योंकि नवम्बर-मार्च के बीच वर्षा का अभाव रहता है। पश्चिमी कम वर्षा वाले गंगा के मैदानी भाग में सिंचाई सुविधा के विस्तार से गेंहूँ उत्पादन करनेवाले जिले दरभंगा, शाहाबाद, गया, रोहतास, सिवान, सारन, भोजपुर और औरंगाबाद है। मध्य गंगा के मैदानी भाग के अतिरिक्त बागमती नदी के कछारी भाग में भी गेंहूँ की अच्छी पैदावार होती है। गेंहूँ की फसल कुल सिंचित क्षेत्र के 50% भाग पर की जाती है।

मक्का—बिहार में मक्का मुख्य फसल है जो आर्द्र जलवायु में पैदा होती है। इसके लिए भारी दोमट मिट्टी अत्यन्त उपयुक्त है। तथा प्रायः यह उन सभी क्षेत्रों में पैदा की जाती है जहाँ चावल का उत्पादन होता है। चावल की फसल के पश्चात कम वर्षा या सिंचाई में पैदा होने के कारण-इसका विशेष महत्त्व है। यह फसल प्रदेश के 1200 हेक्टर भूमि में पैदा होती है। जून-जुलाई में इसकी बुवाई होती है और सितम्बर-अक्टूबर में यह काट ली जाती है। इसकी फसल मुख्यतः बिहार के उत्तरी जिलों जैसे सारण, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, सहरसा, उत्तरी मुंगेर, भागलपुर, पठारी क्षेत्रों जैसे पलामू, हजारीबाग, संथालपरगना तथा राँची में होती है। यह निम्न आय वर्ग का आहार तो है ही साथ ही साथ इसके अनेक व्यवसायिक प्रयोग भी हैं।

जौ—बिहार में जौ एक परम्परागत फसल है जिसकी खेती अत्यन्त प्राचीन काल से की जाती रही है। जौ की खेती कम वर्षा तथा उष्ण जलवायु में होती है परन्तु चूँकि इसकी प्रति हेक्टर पैदावार गेंहूँ से कम है तथा इसका व्यवसायिक मूल्य भी निम्न है अतः इसकी फसल में कोई प्रगति नहीं देखी जा रही है। जौ की बुआई अक्तूबर-नवम्बर में होती है तथा यह मार्च में काटी जाती है। वर्त्तमान में यह फसल 2.5 लाख हेक्टर भूमि पर उपजाई जाती है। प्रमुख जिले जहाँ जौ की खेती की जाती है वह है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पलामू, शाहाबाद, सारण, दरभंगा, पूर्णियाँ तथा गया। जौ एक अत्यन्त पौष्टिक खाद्यान्न है। इसका उपयोग मुख्यतः निम्न आय वर्ग द्वारा किया जाता है। अब इसका व्यवसायिक प्रयोग भी बड़े पैमाने पर शुरु हो गया है।

अन्य मोटी फसलें—अन्य मोटी खाद्यान्न फसलों में मरुआ या टांगी, ज्वार, बाजरा आदि उल्लेखनीय हैं। बिहार मरुआ पैदा करनेवाला प्रमुख राज्य है। यह फसल अप्रील-मई में बोई जाती है तथा जून-जुलाई में काटी जाती है। यह एक लघुकालिक फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा जिले एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। सहरसा, मुजफ्फरपुर, राँची, हजारीबाग एवं पलामू में भी इसका उत्पादन होता है। ज्वार भी एक मोटी फसल है जो शाहाबाद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मुंगेर तथा चम्पारण जिले में उगाई जाती है। बाजरा की फसल मई में बोई जाती है तथा यह भी एक लघुकालिक फसल है जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों जैसे पटना, मुंगेर, गया तथा शाहाबाद में अधिक पैदा होती है।

तेलहन—बिहार में तेलहन के मुख्य उत्पादक जिले हैं शाहाबाद, चम्पारण और धनबाद, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, पलामू तथा संथालपरगना। यहाँ सबसे अधिक राई एवं सरसों पैदा क़ी जाती है। इसके अतिरिक्त छोटे दानों वाली अलसी, तीसी, तिल, सरगुज्जा, अरंड आदि भी मुख्य तेलहन फसलें हैं। तीसी की फसल नमीयुक्त चिकनी मिट्टी वाले उत्तरी मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिणी पठारी जिलों में होती है। सबसे अधिक तीसी उत्पादन दरभंगा में होता है। सरसों की खेती राज्य के प्रायः सभी इलाकों में होती है परन्तु इसका अधिक महत्त्व गंगा के उत्तरी मैदानी जिलों में है। इसका उत्पादन अधिकतर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज, पूर्णियाँ तथा पलामू में होता है। तिल का उत्पादन मुख्य रूप से पलामू, चम्पारण, शाहाबाद एवं हजारीबाग में होता है। जबकि रेंड़ी का उत्पादन भागलपुर, पटना, मुंगेर, पूर्णियाँ, सारण तथा मुजफ्फरपुर में होता है।

दलहन—बिहार में दलहन की मुख्य फसल अरहर, चना, उरद, मसूर, मूँग तथा खेसारी है। राज्य में 67 हजार हेक्टर भूमि पर अरहर की खेती होती है तथा यह मुख्यतः उन जिलों में अधिक प्रचलित है जहाँ की मिट्टी उर्वर है तथा वर्षा कम होती है। अरहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पलामू आदि में अधिक उपजाई जाती है। चने की खेती मटियार दुमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह अधिकतर शाहाबाद, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में होती है। मसूर की खेती अधिकतर पटना, चम्पारण, गया तथा संथाल परगना में होती है तथा खेसारी की खेती सभी निम्न उर्वरकता वाले क्षेत्रों में की जाती है।

व्यवसायिक फसलें

गन्ना—इस शताब्दी के मध्य तक बिहार का गन्ना उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका प्रधान उपयोग चीनी बनाने में होता है। यह अधिक वर्षा या सिंचाई वाले क्षेत्र दुमट मिट्टी की चूना युक्त मिट्टी तथा 26° सेन्टीग्रेड तापमान वाले इलाकों में अधिक पैदा होता है। इसकी अधिकतर खेती चम्पारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पटना, मुंगेर, पूर्णियाँ, सहरसा, संथाल परगना तथा हजारीबाग में होती है। उत्तरी-पश्चिमी इलाके के 10-15 प्रतिशत भू-भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गण्डक-कोसी के दोआब क्षेत्र के 10% भाग पर इसकी खेती होती है। मैदानी भाग के 3-5 प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है। बिहार में पिछले दो दशकों में गन्ना उत्पादन में स्थिरता आने से इसका व्यवसायिक महत्व कम हुआ है।

जूट—जूट राज्य की दूसरी मुख्य व्यवसायिक फसल है जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के समान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धांदा मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में इसका उत्पादन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी-III

बिहार की मुख्य फसलें तथा उनके उत्पादक क्षेत्र

फसल का नाम	उत्पादक जिलों का नाम
1. खाद्यान्न	
चावल	चम्पारण, पूर्णियाँ, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुवनी, सहरसा तथा कटिहार।
गेहूँ	चम्पारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, गया, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास आदि।
मक्का	चम्पारण, मुजफ्फ़रपुर, दरभंगा, सहरसा के दक्षिणी भाग, सारण, भागलपुर का उत्तरी भाग, संथालपरगना, राँची, हजारीबागस पलामू आदि।
जौ एवं ज्वार	चम्पारण, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पलामू, शाहाबाद, गया, मुंगेर आदि।
बाजरा	हजारीबाग, राँची, सिंहभूम, संथालपरगना, गया, मुंगेर, शाहाबाद तथा पटना।
2. तिलहन	
सरसों	तिरहुत, पटना तथा पलामू।
तिल	पलामू, गया, हजारीबाग, संथालपरगना।
तीसी	पलामू, पटना, तिरहुत, भागलपुर।
3. दलहन	
अरहर	दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पलामू तथा गया।
चना	पटना, शाहाबाद, गया, मुंगेर
मसूर	पटना, गया, संथालपरगना, चम्पारण
4. व्यवसायिक फसलें	
गन्ना	चम्पारण, सारण, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद, पटना, मुंगेर, पलामू,
जूट	पूर्णिया, सहरसा, चम्पारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर
तम्बाकू	दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा पूर्णियाँ।
आलू	पटना, नालन्दा, हजारीबाग, सारण, दरभंगा, चम्पारण, राँची, पूर्णियाँ तथा मुजफ्फरपुर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सबसे अधिक होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है।

मिर्च—बिहार के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 20 हजार हेक्टर क्षेत्र में मिर्च की पैदावार होती है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं पटना, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण।

इसके अतिरिक्त बिहार में आम, लीची, चीकू, केला, पपीता, अमरूद आदि की व्यापक रूप से खेती होती है।

पशुधन

बिहार में पशु-संपदा का विशेष महत्त्व है राज्य की धरातलीय संरचना तथा जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण राज्य में वृहत स्तर पर पशुपालन किया जाता है। यहाँ पशुओं का प्रयोग पौस्टिक खाद्य-पदार्थ जैसे दूध, मांस आदि के उत्पादन तथा कृषि कार्य जैसे जुताई, मालढोलाई, सिंचाई आदि में होता है।

राज्य में प्रत्येक 3 व्यक्ति पर एक पशु उपलब्ध है तथा पशुओं की कुल संख्या 3 करोड़ से अधिक है जबकि भारत में प्रत्येक 2 व्यक्ति एक पशु उपलब्ध है।

तालिका-VI

बिहार में पशुधन

प्रमुख पशु	संख्या (लाख में)
गाय-बैल	175.00
भैंस-भैंसा	40.00
भेड़ एवं बकरी	88.50
सुअर	6.50
अन्य	9.50
कुल	319.50

आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ देश की 2% भेड़ें, 9% बकरियाँ, 10% सुअर तथा 10% गाय एवं भैंस उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 व्यक्ति पर एक गाय-बैल उपलब्ध है तथा एक तिहाई पशु 3 वर्ष से कम आयु के हैं। उत्तरी बिहार के दरभंगा, मुंगेर, मधुबनी, साल, दक्षिणी पठारी भाग में रोहतास, राँची, राजमहल में उन्नत व मिश्रित नस्ल के पशुओं का विकास हो रहा है। डेयरी कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं की नस्ल एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय स्तर की भाँति राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डेयरी उद्योग के मुख्य केन्द्र बरौनी, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बोकारो में स्थापित किये गये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

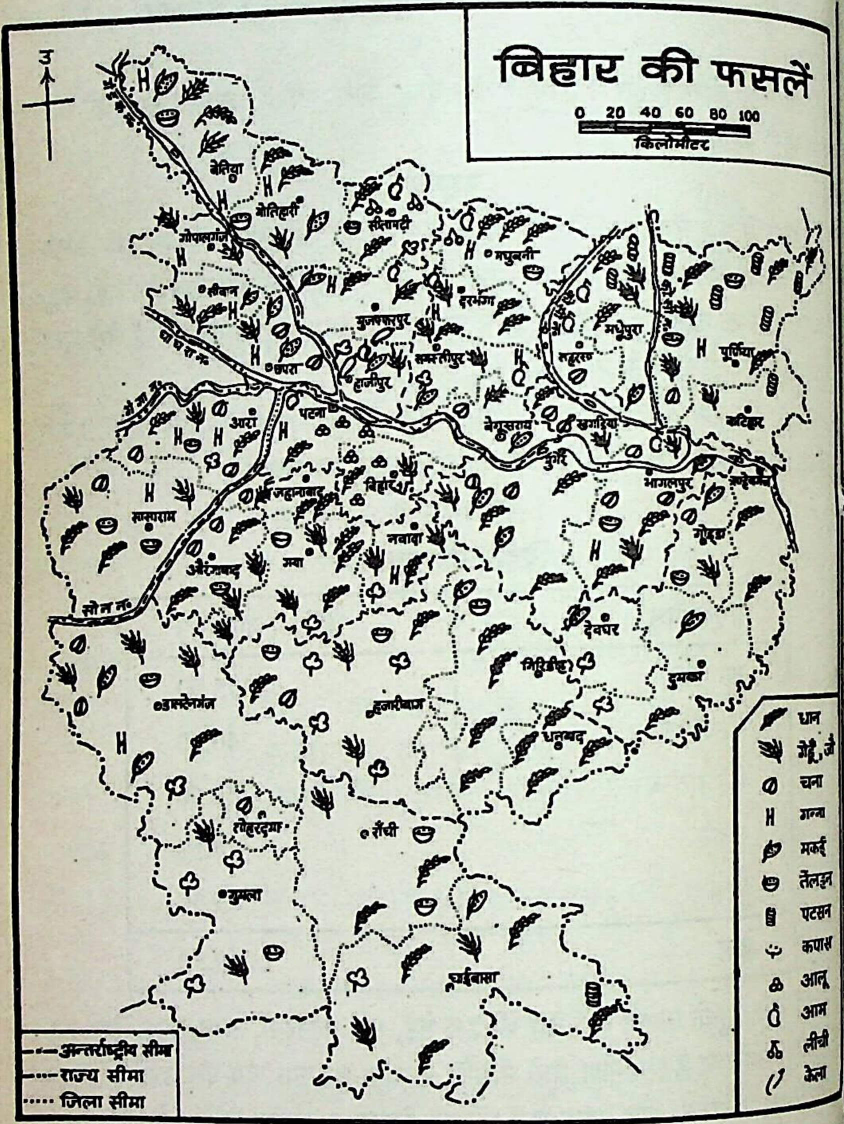

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

औद्योगिक संरचना

प्राचीन काल से ही बिहार वस्तु-उत्पादन का प्रमुख केन्द्र रहा है। मौर्य काल से ही छोटानागपुर के पठार पर अनेक प्रकार के धातुकर्मी उद्यम एवं शिल्प तथा गंगा के मैदानी भाग में कलात्मक शिल्प एवं कृषि पर आधारित उद्यम विकसित हुए है। शिल्प एवं धातुकर्मी उद्यम को मध्य युग में भी बढ़ावा मिला, पर 1857 के पश्चात् यूरोपीय निर्मित वस्तुओं की कड़ी प्रतियोगिता के कारण इनका महत्व घटने लगा। दूसरी ओर खनिज संपदा के विकसित स्वरूप तथा बन्दरगाह से निकटता के कारण इस सदी के प्रथम चरण से ही यहाँ आधुनिक औद्योगिक निर्माण प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम लौह अयस्क एवं कोयले की प्रचुरता के कारण धातु उद्योग का विकास हुआ जिसके कारण बिहार के दक्षिणी भाग में 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। चूना पत्थर की बहुलता से खिलाड़ी में सिमेन्ट उद्योग की स्थापना भी 1917 में हुई। 1904 में उत्तर बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना के पश्चात बिहार भारत में चीनी के साथ ही साथ उत्तरी क्षेत्र में जूट, लकड़ी तथा नील उद्योग का भी विकास हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत बिहार में अनेक बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित हुए। इनमें सिन्दरी का खाद कारखाना, राँची का भारी यन्त्र कारखाना, घाटशिला का ताँबा कारखाना, बोकारो का इस्पात संयंत्र, बरौनी में तेल शोधक कारखाना, मुजफ्फरपुर में दवा का कारखाना आदि प्रमुख हैं। अफसोस की बात यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय बिहार का औद्योगिक मानचित्र पर पाँचवा स्थान था तथा अधिकतर उद्योग निजी साहस से स्थापित हुए थे परन्तु 1947 के पश्चात केन्द्र सरकार की नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण राज्य में उद्योग धंधे बन्द होने लगे तथा 1985 तक अधिकतर बड़े कारखाने जैसे समस्तीपुर की अशोक पेपर मिल, कटिहार की जूट मिल, डालमियानगर का कागज एवं सिमेन्ट संयंत्र, मुजफ्फरपुर में रेलवे डब्बा बनाने का कारखाना आदि रूग्न उद्योग हो गये थे।

बिहार के प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं—

लोहा एवं इस्पात—लोहा एवं इस्पात बिहार का प्राचीनतम उद्योग है। इसका अधिकतर कच्चा माल जैसे लोहा अयस्क, कोयला, चूना, डोलोमाइट तथा मैगनीज छोटानागपुर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आधुनिक युग में इसका विकास 1907 में साकची स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना से प्रारंभ होता है। देश का यह सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उद्योग है। 1968 में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो जिले में एक विद्युत इस्पात उद्योग लोक क्षेत्र में स्थापना की गई। देश में उत्पादित कुल लोहा एवं इस्पात का एक तिहाई बिहार में ही उत्पादित होता है।

इंजीनियरिंग उद्योग—बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग की शुरूआत मुजफ्फरपुर में आर्थर बटलर कम्पनी की स्थापना से हुई। लोक क्षेत्र में पहला इंजीनियरिंग उद्योग H. E. C. था जिसकी स्थापना राँची में 1958 में हुई। इसकी तीन भारी इकाईयाँ हैं जिनमें मशीनी उपकरण, निर्माण यंत्र तथा फाउंड्री इकाई सम्मिलित है। अफसोस की बात है कि यह कारखाना पूर्णतः रूग्न इकाई हो गया है। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई जिसमें माल ढुलाई डब्बे तैयार किये जाते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सीमेन्ट उद्योग--सीमेन्ट उद्योग की स्थापना इस सदी के प्रथम चरण से ही शुरू हो गई थी। बिहार में उत्तम किस्म के चूने के पर्याप्त भंडार हैं तथा यहाँ कोयले की भी कमी नहीं। वर्त्तमान में बिहार में खिलाड़ी, जपला, कल्याणपुर, बनजारी, सिंदरी, डालमियानगर, कुम्हारडुबी, झींकपानी आदि स्थानों पर दस सीमेंट के उद्योग है. जिनमें अधिकतर कारखाने ACC समूह के हैं।

अल्यूमिनियम उद्योग—अल्यूमिनियम उद्योग की शुरूआत मूरी में हुई। अल्यूमिनियम बनाने हेतु दक्षिण बिहार में लोहरदग्गा एवं निकटवर्तीय स्थानों पर प्रचुर बाक्साईट भंडार है। मूरी में बाक्साईट से अलूमिना तैयार कर केरल भेजा जाता है जहाँ इससे अल्यूमिनियम के पिंड बनते हैं। अल्यूमिनियम शक्ति प्रधान उद्योग है तथा राज्य में शक्ति की कमी के कारण राज्य में इसका समुचित विकास नहीं हो पाया है।

ताँबा उद्योग—बिहार में सिंहभूम जिले में प्रचुर मात्रा में पाईराईट खनिज उपलब्ध है। इसी खनिज पर आधारित घाटशिला नामक स्थान पर एक विशाल ताँबा उद्योग का निर्माण किया गया। 1967 में स्थापित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र की उत्पादन क्षमता 4500 टन की प्रतिदिन अयस्क शुद्ध करने की है। अयस्क शोधन से अनेक उप उत्पादन भी प्राप्त होते हैं।

रासायनिक खाद उद्योग—बिहार में 1951 में सिन्दरी नामक स्थान पर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट तथा यूरिया बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया गया। यह कारखाना फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया की इकाई है। इसके बाद बरौनी में नेपथ्य, पाईराईट तथा जिप्सम जैसे कच्चे माल पर आधारित हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर्स का दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया। बरौनी संयंत्र में अमोनियम सल्फेट, डाईअमोनिया तथा सुपर फास्फेट किस्म की खाद बनाई जाती है।

चीनी उद्योग—चीनी उद्योग राज्य का सबसे पुराना उद्योग है। उत्तर एवं मध्य बिहार में गन्ना उपजाने योग्य उपयुक्त मिट्टी एवं जलवायु है। अधिकतर चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र में है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में चीनी उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान था परन्तु इसका सातवाँ स्थान है। राज्य में 28 चीनी मिलें हैं परन्तु कुछ ही कुशलता पूर्वक चल रही हैं। बिहार में प्रमुख चीनी मिल महरौरा, महाराजगंज, सासामूसा, हरिनगर, नारायणपुर, समस्तीपुर, हसनपुर, बिक्रमगंज, बक्सर, गुरारु, वारसलीगंज, बिहटा आदि स्थानों पर स्थापित हैं।

अन्य उद्योग—सिगरेट तथा बीड़ी के तम्बाकू पैदा करने में बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर मुंगेर के निकट राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना स्थित है। इसके अतिरिक्त छोटानागपुर में पठार के अधिकांश कस्बों में तेंदू एवं इसी परिवार के के पत्तों से देशी तम्बाकू से अलग-अलग प्रकार की बीड़ी बनाई जाती है। अधिकांश बीड़ी बनाने के क्षेत्र सिंहभूम, पूर्वी राँची, हजारीबाग, गुमला, गिरीडीह, धनबाद, भागलपुर, देवघर आदि जिले में दूर-दूर तक फैले हैं क्योंकि इसका विकास स्थानीय रूप से या कुटीर उद्योग के रूप में कहीं-कहीं ही हो सका है। बिहार के दक्षिणवर्ती एवं उत्तरी भागों में कागज बनाने हेतु अनेक प्रकार का कच्चा माल एकत्रित रूप से मिल जाता है। यहाँ पर बाँस, सलाई, सर्वाइ घास, गन्ने की छोई व चावल का छिलका एवं यूकेलिप्टस भी उपलब्ध है जिस पर यह उद्योग निर्भर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस राज्य में सूखा कागज बनाने की मिलें डालमियानगर, बरौनी, समस्तीपुर, पटना एवं संथाल परगना में है। जूता बनाने का बड़ा कारखाना, पटना एवं बाटा नगर में स्थापित है। वृहत पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त राज्य में अनेक महत्त्वपूर्ण लघु उद्योग भी हैं। इसमें हस्तकरघा (भागलपुर एवं दरभंगा) रेशमी वस्त्र का उद्योग (भागलपुर) कालीन एवं गलीचा (ओबरा) आदि मशहूर हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के संयंत्र लकड़ी, खादी, पावरलूम, कृषि औजार, जूता एवं चप्पल, चमड़े का सामान, धातु की कलात्मक वस्तुओं आदि का निर्माण होता है।

परिवहन एवं संचार संसाधन

परिवहन एवं संचार संसाधन किसी भी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। परिवहन के समुचित विकास पर ही औद्योगीकरण, कृषि समृद्धि तथा मानव जीवन की उत्कृष्टता निर्भर करती है। बिहार व्यापार की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण प्रांत रहा है तथा यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का प्रयोग होता है। उत्तरी मैदानी भागों में समतल भूमि है जबकि दक्षिणी पठारी क्षेत्र में भू-संरचना समान नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ अनेक परिवहन संसाधनों का विकास हुआ है।

वायुमार्ग—बिहार में वायुमार्ग का विकास सीमित मात्रा में ही हुआ है। 1980 के दशक से पटना और काठमान्डु के बीच अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आरंभ हो गयी थी, मगर अब यह स्थगित हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर पटना का कलकत्ता, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली और मुम्बई से वायुयान सेवाओं का संबंध बना रहा है। राज्य में अभी पटना और राँची के बीच नियमित वायुसेवा जारी है। इसके अलावा, गया, जमशेदपुर और मुजफ्फरपुर में भी विमान-पत्तन मौजूद हैं। कुछ वर्ष पहले इन नगरों को वायुदूत सेवा के माध्यम से वायुमार्ग पर लाने का प्रस्ताव था, मगर वह प्रयास असफल रहा।

रेलवे—बिहार में 1860-62 में हावड़ा को मुगलसराय से जोड़ने के क्रम में साहेबगंज, भागलपुर, पटना, आरा, बक्सर से होते हुए प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् पठारी क्षेत्रों को रेल लाईन द्वारा जोड़ा गया जिससे जमशेदपुर से हावड़ा तक रेल मार्ग का आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर बिहार में कटिहार-गुवाहाटी-गोरखपुर रेल मार्ग, गोमो-मूरी-राँची रेल मार्ग, राजेन्द्र रेल पुल द्वारा उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ा जाना तथा ग्रैंड कार्ड मार्ग का विस्तार एवं विद्युतीकरण उल्लेखनीय है। रेलवे परिवहन की दृष्टि से बिहार का पाँचवाँ मुख्य स्थान है तथा प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई 5600 कि.मी. है। यह देश के कुल रेलमार्ग का 8% है। बिहार में निम्नलिखित रेल क्षेत्र है—

- उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर रेलंवे (NER)
- दक्षिण बिहार में पूर्वी रेलवे (ER)
- बिहार के पठारी क्षेत्र में दक्षिण-पूर्वी रेलवे (SER)
- उत्तरी बिहार में उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे (NEFR)

बिहार के प्रमुख रेलमार्गों में (i) हावड़ा-आसनसोल-पटना-दिल्ली मुख्य मार्ग (ii) आसनसोल-धनबाद-सासाराम-मुगल सराय ग्रैंड कार्ड (iii) हावड़ा-खड़गपुर-टाटानगर-राउरकेला-बम्बई रेल मार्ग (iv) गुवाहाटी-बरौनी-सिवान-गोरखपुर रेल मार्ग (v) छपरा-सोनपुर-मुजफ्फरपुर-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कटिहार रेल मार्ग। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकांश मार्ग मीटरगेज है तथा अनेक छोटी लाईन उत्तरी बिहार के सीमावर्त्ती क्षेत्रों में चलाई जाती है।

बिहार में रेलवे विकास की मुख्य समस्या है (i) उत्तरी बिहार में मीटर गेज का बाहुल्य (ii) बहुत ही कम मार्गों पर विद्युतीकरण (iii) वाष्प चालित इंजनों की बाहुलता (iv) उत्तरी बिहार में नदियों का जाल तथा दक्षिणी क्षेत्र में पठारों का अवरोध, इत्यादि।

पथ परिवहन

प्राचीन काल से ही बिहार उत्तर के अनेक राज्यों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ था जिसका वर्णन चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने भी किया था। मध्य काल में मुगल शासकों तथा शेरशाह ने परिवहन योग्य सड़कों का निर्माण किया। अंग्रेजों ने इन सड़कों को अधिक विस्तृत किया। आधुनिक युग में सड़क स्वतंत्र परिवहन सेवा के अतिरिक्त रेलवे की पूरक सेवा के रूप में भी काम करती है। बिहार में रेलमार्ग की अपेक्षा सड़क परिवहन का अधिक विकास हुआ है। 1950 में प्रान्त में पक्की सड़कों की लम्बाई मात्र 2500 कि०मी० थी जो 1990 में बढ़कर 33 हजार किलोमीटर से भी अधिक हो गई। बिहार की सड़कों को अनेक भागों में बाँटा जा सकता है—

तालिका-VI

बिहार में सड़क मार्ग

क्रम	सड़क मार्ग	लम्बाई (कि०मी०)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	2118
2.	राजकीय मार्ग	4192
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	12002
4.	जिला परिषद् की सड़कें (नगर एवं ग्रामीण)	15520
	कुल	33832

राष्ट्रीय राज मार्ग (National Highway)—बिहार में उत्तरी भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा राज मार्ग की लम्बाई सबसे कम है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई 2118 कि०मी० है तथा 6 भिन्न राजमार्ग बिहार से होकर गुजरते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड (एन एच 2) बिहार में धनबाद के समीप प्रवेश करती है और सासाराम होती हुई उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को जाती है। यह कलकत्ता एवं दिल्ली को मिलानेवाली मुख्य सड़क है। इसकी लम्बाई बिहार में 392 कि०मी० है। **राष्ट्रीय राजमार्ग–6** यह बरहागोरा के समीप प्रवेश करता है और इसकी लम्बाई मात्र 22 कि०मी० है। **राष्ट्रीय राजमार्ग–23** चीस से राँची होता हुआ तलचर जाता है। यह 250 k.m. लम्बा है। **राष्ट्रीय राजमार्ग 28** बरौनी-मुजफ्फरपुर होता हुआ लखनऊ जाता है इसकी लम्बाई 259 k.m. है। **राष्ट्रीय राजमार्ग-30** बख्तियारपुर पटना होता हुआ मोहनिया से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी लम्बाई 230 k. m. है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

होता हुआ मोकामा जाता है तथा **राष्ट्रीय राजमार्ग 33** बरही से राँची जाता है। इसकी लम्वाई 352 k.m है।

राजकीय मार्ग (State Highway)—प्रान्तीय मार्ग के अन्तर्गत 4192 कि०मी० पक्की सड़कें आती है। इनमें जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की राजधानी को जोड़नेवाले अनेक मार्ग आते हैं। इनमें राँची-राउरकेला उच्च मार्ग, राँची-चाईबासा राजमार्ग, गया राँची राजमार्ग, पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राज मार्ग, पटना-हाजीपुर-गोपालगंज राजमार्ग, डाल्टेनगंज राजमार्ग, राँची-रायगढ़ राजमार्ग आदि प्रमुख है। राज्य की अधिकतम प्रमुख सड़कें या तो पश्चिम से पूरब या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। छोटानागपुर एवं पठारी प्रदेश में रेलमार्ग की कमी को राज्य मार्ग से पूरा करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश के अनेक भागों में राज्य मार्ग या राष्ट्रीय मार्ग रेलवे लाईन के समानान्तर चलते हैं जिससे यह रेलवे के पूरक यातायात के साधन बन गये हैं।

बिहार में प्रति व्यक्ति सड़क की उपलब्धि विकसित प्रान्तों की अपेक्षा अत्यन्त निम्न है जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है। रख-रखाव के अभाव एवं कर्मचारियों की अकुशलता के कारण अधिकतर सड़कों पर यातायात अत्यन्त मन्द गति से होता है जिससे तेल की खपत भी अधिक होती है तथा सामान ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। बिहार में कुल 4.5 लाख वाहन हैं तथा इनकी वृद्धि दर लगभग 8% प्रति वर्ष है। यदि सड़कों की व्यवस्था एवं लम्बाई में जल्दी सुधार नहीं किया गया तब अवश्य ही सड़कों पर भीड़-भाड़ अधिक बढ़ जाएगी जिससे यातायात बाधित होगा।

जल मार्ग (Water Ways)—बिहार में 19वीं शताब्दी के अन्त तक अन्तर-राज्य या आन्तरिक व्यापार का मुख्य साधन जलमार्ग ही था। उत्तर बिहार में तो नदियों का जाल बिछा है और साथ ही साथ सोन तथा गंगा की नहरों में भी नौका चालन होता था। उत्तर बिहार में गंडक, घाघरा, कोसी आदि नौका चालन योग्य है। पटना, मुंगेर, साहेबपुर कुमाल, सोनपुर, भागलपुर, बक्सर आदि शहर नदी मार्ग से जुड़े थे। यहाँ स्टीमर द्वारा मुख्य रूप से पहलेजा घाट, महेन्द्रू घाट, मनिहारी घाट, एनीकुट आदि स्थानों में यातायात होता था। उत्तर बिहार जाने के लिए उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा तीन स्थानों पर स्टीमर सेवा चलाई जाती थी। ये स्थान थे (i) पटना में महेन्द्रु घाट से सारण में पहलेजा घाट (ii) मुंगेर में मुंगेर तथा साहेबपुर कमाल, तथा (iii) भागलपुर में बरारी घाट और मनिहारी घाट के बीच; परन्तु पटना में गांधी सेतु, मोकामा में राजेन्द्र पुल एवं पूरब में फरक्का के निर्माण से अब ये सेवाएँ समाप्त कर दी गई है परन्तु अभी भी कुछ स्थानों में नौका चालन होता है। सड़क यातायात के अवरोधों एवं बढ़ती हुई लागत को देखते हुए राज्य में आन्तरिक जलमार्ग का पुनः महत्त्व बढ़ रहा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्तरिक जलमार्ग प्राधिकरण (IWA) की स्थापना से देश के अन्य भागों के साथ जल मार्ग से यातायात संभव हो पाएगा। जल मार्ग एक बहुत ही कम खर्चीला एवं समय की बचत करनेवाला साधन है। इसके समुचित प्रयोग से माल ढुलाई का व्यय कम किया जा सकता है।

खनिज एवं शक्ति संसाधन

बिहार का उत्तरी भाग अपनी उपजाऊ भूमि, सदावाहिनी नदियों एवं प्राचीन संस्कृति

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के लिए विख्यात रहा है, वहीं दक्षिणवर्ती बिहार जो कि छोटानागपुर का पठार एवं निकटवर्ती उच्चभूमि एवं अति प्राचीनकाल की जटिल संरचना वाला प्रदेश है, अपनी बहुमुखी खनिज सम्पदा के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है। इसे भारत का खनिज भण्डार भी कहा जाता है। यहाँ पर देश में पाये जाने वाले अनेक खनिज पदार्थों के 40 से 100% प्रतिशत तक जमाव पाये जाते हैं। यह प्रदेश देश की सिरमौर खनिज श्रृंखला बिहार-उड़ीसा-पश्चिमी बंगाल मेखला का प्रधान अंग है। इस राज्य का, खनिज तेल को छोड़कर देश की कुल उत्पादित खनिज मूल्य की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यहाँ पर वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज निकाले जाते हैं। कोकिंग कोयला, पायराइट एवं यूरेनियम के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। इस राज्य से देश का 40% अभ्रक, 38% ताँबा अयस्क, 34% ग्रेफाइट, 30% बाक्साइट एवं लौह अयस्क प्राप्त होता है। इन सबके राष्ट्रीय उत्पादन में अभ्रक में प्रथम तथा शेष खनिजों में द्वितीय स्थान इस राज्य को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उत्तम चूने का पत्थर व डोलामाइट के भण्डार, चीनी मिट्टी, तापसह मिट्टियाँ, इल्मैनाइट, फॉस्फेट, सोना, क्रोमाइट आदि के जमाव भी पाये जाते हैं।

बिहार देश का एकमात्र पाईराइट उत्पादक तथा सर्वप्रमुख कोयला (35%), बॉक्साइट (29%), क्वानाइट (64%), और अबरख (53%) उत्पादक राज्य है। चाँदी (31%), ग्रेफाइट (23%), अग्निसह मिट्टी (Fireclay 21%) और क्वार्टजाइट (17%) के उत्पादन में बिहार ... विविधता है जबकि बम्बई हाई में केवल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इन विविध खनिजों में सर्वप्रमुख कोयला है, जिससे राज्य में खनिजों से प्राप्त कुल आय का 98% आता है। इसके बाद लौह-अयस्क, ताँबा, चूना-पत्थर, बॉक्साइट तथा अबरख का स्थान आता है। 1986 में बिहार में कुल 465 खदानें थीं, जो देश की कुल खदानों का 11% ...

बिहार के खनिजों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—धात्विक खनिज (Metallic minerals), अधात्विक खनिज (Non-metallic minerals) और शक्ति के साधन (Sources of power)।

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

लौह अयस्क (Iron-ore)—लौह अयस्क के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में ... है। 1986 में इस राज्य में 7.3 मिलियन टन लौह-अयस्क का उत्पादन हुआ, जो देश के उत्पादन का 14.13% है। यहाँ देश का 30.1% भंडार सुरक्षित है। बिहार का सिंहभूम और उसके निकटवर्ती उड़ीसा राज्य के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिले इस उत्पादन में देश में सर्वप्रमुख हैं, जहाँ देश का उच्चकोटि का 55% लौह-अयस्क सुरक्षित है। सिंहभूम का लौह-अयस्क में बिहार में लगभग एकाधिकार है और यहाँ हेमाटाइट लोहा मिलता है, जिसमें शुद्ध लौह की मात्रा 60% तक पायी जाती है। सिंहभूम के कोलहन क्षेत्र में नीतुबुरू, ... बुरू, जामदा, नोआमुंडी, गुआ और सनसंगदा हेमाटाइट निक्षेप के लिए तथा सिंहभूम के दुवलबेरा और सिन्दुरपुर और पलामू जिला को डाल्टेनगंज मैग्नेटाइट निक्षेप के लिए जाना जाता है। बिहार में लौह-अयस्क धनबाद की गौंडवाना चट्टान में भी मिलता है। बिहार के लौह-अयस्क का प्रयोग जमशेदपुर, बर्नपुर, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो के लौह इस्पात उद्योगों में ...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। लौह अयस्क के नवीन भंडार पलामू जिला में कोयल नदी के पश्चिम सेमरा सलतुआ क्षेत्र में मिले हैं।

ताँबा (Copper)—बिहार में ताँवा का संचित भंडार 514.204 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का 47% है। 1986 ई० में इस राज्य में 1.28 मिलियन टन ताँबा का उत्पादन हुआ जो देश के कुल उत्पादन का 29% है। देश की 16 ताबाँ खानों में से 5 बिहार के सिंहभूम के मासाबानी, पथरगोरा, सुरदा, केन्दाडीह और राखा में है। इस प्रकार सिंहभूमि जिला सर्वप्रमुख ताबाँ उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ सरायकेला से खरसावाँ तक की 130 कि०मी० लम्बी पट्टी में यह खनिज मिलता है। इसके अतिरिक्त संथालपरगना और गिरिडीह में भी ताँबा मिलता है। लौह अयस्क के बाद ताँबा दूसरी सबसे अधिक उपयोगी धातु है, जिसका उपयोग बिजली की मशीन, तार, काँसा, बर्त्तन और सिक्का बनाने में होता है।

मैंगनीज (Manganese)—मैंगनीज सिंहभूम जिला के प्राचीन रवादार-धारवार चूनापत्थर चट्टानों से प्राप्त होता है। गुआ, नोआमुंडी, जामदा और चाइबासा यहाँ की मुख्य खदानें हैं, जिनसे 1986 ई० में 2725 टन मैंगनीज अयस्क निकाला गया, जो देश के कुल उत्पादन का केवल 2.1% है। बिहार का मैंगनीज निम्नकोटि का होता है।

बॉक्साइट (Bauxite)—बिहार देश का सर्वप्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है जहाँ से देश का कुल 29% (7.7 लाख टन) बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र राँची के उत्तर-पश्चिम "पत" (Pat) क्षेत्र है, जहाँ लोहरदग्गा के 10 से 30 कि०मी० चारों ओर बॉक्साइट मिलता है। लोहरदग्गा और गुमला मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। मुख्य खदान पलामू में जमीरापत, ओसापत और जोरापुमर, लोहरदगा में बगरु पहाड़, राँची में सेरादंग, पखरयत, जदिपहाड़, मैदानपत और मन्दुआपत तथा मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी है। मुरी और लोहरदग्गा में बॉक्साइट साफ करने के कारखाने हैं।

क्रोमाइट (Chromite)—क्रोमाइट से क्रोमियम धातु बनाया जाता है। सिंहभूम जिला के जोजोहातू तथा सरायकेला मुख्य क्रोमाइट क्षेत्र हैं। क्रोमाइट का उत्पादन मुख्यतः चार पहाड़ियों यथा रोरोबुरू, चित्ताबुरू तथा चितंगबुरू से होता है, जहाँ उच्च कोटि का 2.58 लाख टन भंडार सुरक्षित है।

टंगस्टन (Tungsten)—टंगस्टन का उत्पादन ग्रेनाइट चट्टान में टिन के साथ होता है। हजारीबाग और सिंहभूम के कालीमाटी क्षेत्र से इसकी प्राप्ति होती है।

वैनेडियम (Vanadium)—सिंहभूमि के दुलपारा और दूबलाबरा में 25 लाख टन वैनेडियम का भंडार सुरक्षित है।

सोना (Gold)—बिहार में सोना, गारानदी, दक्षिण कोयल, संजय, सोना नदी तथा स्वर्णरेखा नदियों के रेत में मिलता है। 1986 में 111 कि०ग्राम सोना मिला था। सोना का नया भंडार मुंगेर जिला के सोनो प्रखण्ड में करमटिया गाँव में मिला है।

चाँदी (Silver)—बिहार देश का दूसरा बड़ा चाँदी उत्पादक राज्य है जहाँ 1986 ई० में 11,037 कि० ग्राम (सम्पूर्ण देश का 31.3%) चाँदी का उत्पादन हुआ। यह खनिज सीसा, जस्ता, गंधक तथा ताँवा के साथ मिलता है। केवल धनवाद ही से देश की 28% चाँदी प्राप्त

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

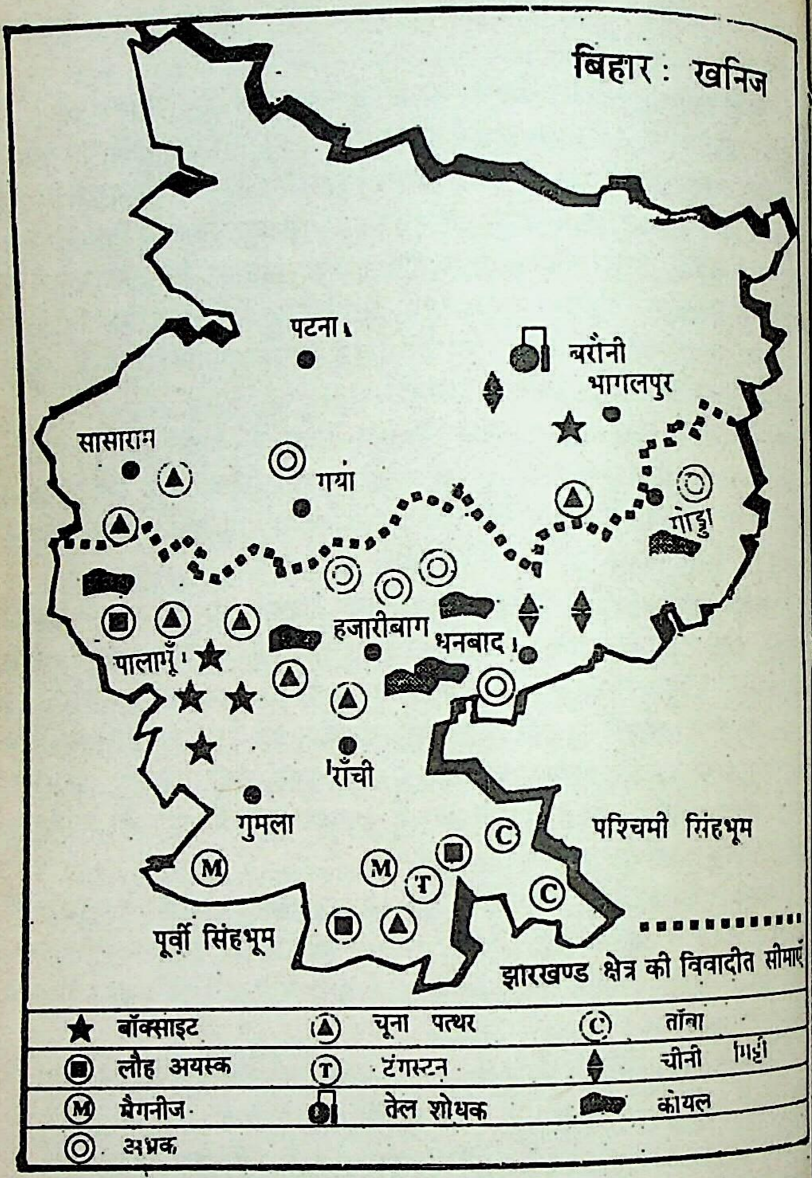

होती है जहाँ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की टुंडुभट्टी से 9907 कि० ग्राम चाँदी प्राप्त हुआ है।

सीसा और जस्ता अयस्क (Lead & Zinc ores)—इस खनिज का उत्पादन हजारीबाग जिला के हतासु, परसिया और संथालपरगना जिला के पंचपहाड़, भैरकुही और शंकर पहाड़ में होता है।

टिन (Tin)—संथालपरगना, हजारीबाग, गया, पलामू, राँची और सिंहभूम जिले में छिटपुट रूप से उपलब्ध है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अधात्विक खनिज (Non-metallic Minerals)—

अभ्रक (Mica)—4640 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में विस्तृत बिहार का अभ्रक क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक उच्च कोटि का रूबी अभ्रक पैदा करता है। यह क्षेत्र नवादा, हजारीबाग, गिरिडीह, मुंगेर और भागलपुर के 145 कि०मी० लम्बी तथा 26 कि० से 32 मी० चौड़ी पट्टी में विस्तृत है जहाँ कोडरमा सुरक्षित वन, चतकारी, दारेहाकोला, डोमचाँच, महेश्वरी, नवाडीह, चकई, सिंगार और रजौली मुख्य उत्पादक केन्द्र है। भारत का 53% अभ्रक बिहार से प्राप्त होता है और बिहार का 63% हजारीबाग जिला से 22% गिरीडीह जिला से और 15% नवादा जिला से प्राप्त होता है।

चूना-पत्थर (Limestone)—चूना-पत्थर सीमेंट का मुख्य कच्चा माल है, जिसका उत्पादन सिंहभूम, पलामू (प्रत्येक, 30%) हजारीबाग, रोहतास, मुंगेर और राँची जिले में होता है। सर्वाधिक चूना पत्थर सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर की पहाड़ी में मिलता है। मुख्य उत्खनन केन्द्र रोहतास जिला का रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, डेहरी-ओन-सोन, बंजारी, हजारीबाग जिला का बुंदु बसरिया, कुरकुत्तां, भुरकुंडा और होसिरत तथा सिंहभूम का जगन्नाथपुर और राजनलीला है।

डोलोमाइट (Dolomite)—पलामू राज्य का प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिला है। सिंहभूम में चाईबासा के निकट भी इसका उत्पादन होता है। 1986 ई० में बिहार में 1.06 लाख टन (देश का 8%) डोलोमाइट का उत्पादन हुआ।

क्यानाइट (Kyanite)—बिहार देश का सर्वप्रमुख क्यानाइट उत्पादक राज्य है जहाँ 1986 में देश का 64% उत्पादन हुआ।

पाइराइट्स (Pyrites)—इस खनिज का उत्पादन रोहतास जिला की अमझौर पहाड़ियों में मुख्य रूप से होता है। 1986 में 22 हजार टन पाइराइट्स का उत्पादन हुआ।

अग्निसह मिट्टी (Fireclay)—अग्निसह मिट्टी कोयला के निक्षेप के साथ झरिया, रानीगंज, कतरासगढ़, बोकारो, गिरीडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। 1986 ई० में राज्य में 1.46 लाख टन अग्निसह मिट्टी का उत्पादन हुआ जो देश के कुल उत्पादन के 21% है।

चीनी मिट्टी (China clay or Kaolin)—यह खनिज सिंहभूम, साहेबगंज, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली जिला आदि में मिलता है।

इन खनिजों के अतिरिक्त बिहार में क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड, बेरिल, स्टीटाइट, ऐस्बेस्टस, शोरा, (Saltpetre), खनिज जल (mineral water) आदि भी मिलते हैं।

ऊर्जा खनिज (Power Minerals)—इसके अन्तर्गत यूरेनियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट जैसे अणु ऊर्जा (Atomic Powers) और कोयला जैसे (fuel minerals) इंधन आते हैं।

यूरेनियम (Uranium)—यूरेनियम ताँबा और लौह अयस्क के साथ सिंहभूम के जादूगुडा से प्राप्त होता है।

ग्रेफाइट (Graphite)—ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है जिसे काला सीसा (black lead) भी कहा जाता है। पलामू जिला का पिपरा-माहुगाइन-तालपुरा इत्यादि क्षेत्र तथा मुंगेर जिला

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का सीमलताला प्रमुख उत्पादक है। बिहार देश का दूसरा ग्रेफाइट उत्पादक राज्य (23%) है।

इल्मेनाइट (Illmenite)—यह एक निर्यात होनेवाला खनिज है, जिसका उपयोग अन्तरिक्षयान तथा अणुशक्ति वाले अन्तः खनिज यान में काम आने वाले टिटेनियम धातु के बनाने में होता है। इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र राँची जिला है। सिंहभूम में भी इल्मेनाइट मिलता है।

कोयला (Coal)—बिहार देश का सर्वप्रथम कोयला उत्पादक राज्य है, जहाँ 1986 में इसके 183 खदानों से 57.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का 35% है। यहाँ देश का 95.5% कोकिंग कोयला उत्पन्न होता है। बिहार में 57,570.9 मिलियन टन कोयले का भंडार सुरक्षित है जो देश के कुल भंडार का 34% है। बिहार में कोयला, दामोदर और सोन नदी की घाटी के निम्न गौंडवाना शेल और बालूपत्थर में मिलता है। इस राज्य में पाँच सुस्पष्ट कोयला क्षेत्र हैं—

(अ) दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत झरिया, बोकारो, रामगढ़ और कर्णपुरा की खानें सम्मिलित हैं।

(ब) बराकर बेसिन कोयला क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत गिरीडीह क्षेत्र आता है।

(स) उत्तरी कोयला क्षेत्र जिसमें डाल्टेनगंज, हुतार और औरंगा की खानें हैं। कोयले के नवीन भंडार पलामू जिला के लातेहार क्षेत्र में जगालदंगा में मिले हैं।

(द) अजय बेसिन कोयला क्षेत्र, जिसमें जयन्ती, सहोरी और कुन्दी कोयला सम्मिलित हैं।

(य) राजमहल कोयला क्षेत्र, जिसमें ब्राह्मी, पचवारा, छपरभीटा, जिलवारी और हु सम्मिलित हैं।

इन सभी केन्द्रों में झरिया सर्वप्रमुख है, जहाँ से सम्पूर्ण देश का 10% कोयला प्राप्त किया जाता है।

बिहार में प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता के बावजूद राज्य में अनेक भौगोलिक समस्याएँ बनी हुई हैं। बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा, वन विकास, मृदाक्षरण, उत्तम नस्ल के पशु और उपयुक्त चारागाहों का अभाव, कृषि-भूमि पर आबादी का बढ़ता दबाव, धीमी और असंतुलित औद्योगिक प्रगति, शक्ति संसाधनों का अपर्याप्त विकास और जनसंख्या एवं संसाधन के बीच बढ़ता हुआ असंतुलन, इसके कुछ उदाहरण हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए पिछली अर्द्धशताब्दी के काल में अनेक उपाय हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अनियमित्ता और भ्रष्टाचार के कारण इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी हुई है। यदि इन समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से निदान कर लिया जाए तो राज्य के लिए प्रगति की असीम संभावनाएँ प्रस्तुत हो सकती हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-11

पर्यावरण

बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अत्यन्त ही heterogeneous प्रान्त है। यहाँ एक ओर उत्तर में राज्य की सीमा हिमालय की तराई से मिलती है तो दूसरी ओर मध्य में गंगा का समतल मैदान है। दक्षिण में खनिज संपदा से परिपूर्ण पठारी क्षेत्र है। यह प्रदेश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण विविधता का अनुठा उदाहरण है। यहाँ के लोगों का जीवन प्रधान रूप से प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। यह इस बात से ही स्पष्ट है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 82 प्रतिशत आय कृषि, वन एवं खनिज संपदाओं से प्राप्त होती है। कुल राजकीय आय का 10 प्रतिशत वन पदार्थों एवं लकड़ी तथा 9 प्रतिशत आय राज्य के अधीन खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार के अधीन आनेवाले खनिज से प्राप्त उपकर (cess) इसके अतिरिक्त है। राज्य में 80 प्रतिशत नागरिक प्राथमिक क्षेत्र से ही अपनी जीविका प्राप्त करते हैं।

राज्य में भौगोलिक विविधता से अनेक सुविधाएँ प्राप्त थीं और मानव जीवन अपने सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता था। 1893 में दक्षिण बिहार में खनिज संपदा का विदोहन प्रारंभ हुआ, जब झरिया (दक्षिण बिहार) में कोयला खनन आरंभ हुआ। इसके तुरंत बाद अबरक, मैंगनीज़, लौह-अयस्क, चूना-पत्थर आदि का उत्पादन समीपिय क्षेत्रों में होने लगा। खनिज उत्पादन में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का विकास भी आरंभ हुआ। 1907 में स्थापित टाटा लोहा एवं इस्पात संयंत्र इसका बड़ा उदाहरण है। खनन एवं औद्योगिक विस्तार ने भूमि के क्षय एवं पर्यावरण-प्रदूषण की अनेक समस्याओं को जन्म दिया। दूसरी ओर उत्तर बिहार में अंग्रेजों ने नील की खेती और उत्पादन का काम भी प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से भूमि-क्षय बढ़ा और फलतः इसके विरोध ने एक जनआंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया। भारत की स्वतंत्रता का बीज भी इस जन आंदोलन में देखा जा सकता है। उत्तर बिहार में धीरे-धीरे कृषि पदार्थों पर आधारित अनेक उद्योग भी जन्में, जिनमें चीनी, खाद्य तेल, जूट, तम्बाकू, कागज, शराब आदि प्रमुख हैं। इनसे निष्काषित पदार्थों एवं गन्दे पानी ने स्थानीय जलधाराओं की गुणवत्ता भी प्रभावित की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक विविधिकरण प्रारंभ हुआ जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक अनेक उद्योगों की स्थापना हुई जैसे बरौनी में तेलशोधक एवं उर्वरक। सिन्दरी में उर्वरक, जादूगुड्डा में यूरेनियम खनन, बोकारो में स्टील संयंत्र, बरौनी, पतरातू तथा कांटी में ताप विद्युत संयंत्र आदि। औद्योगीकरण के साथ-ही-साथ नगरीकरण में भी तेजी से विस्तार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हुआ, जिससे जल एवं मल की भीषण समस्या उत्पन्न हुई है। शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के अभाव में जल-जमाव, कुड़ा करकट तथा मल निकासी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है जिससे अनेकं शहरों में प्रदूषण एवं स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

प्रदूषण का स्वरूप—बिहार में पर्यावरण संकट का स्वरूप बहुआयामी एवं अत्यन्त गंभीर हो गया है। इसकी उपेक्षा करना विकास एवं नागरिक जीवन के हित में नहीं है। बढ़ती हुई आबादी और गरीबी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। पर्यावरण की उपेक्षा ने जहाँ एक ओर स्वास्थ्य की विकट समस्या को जन्म दिया है वहीं दूसरी ओर इससे उत्पादन एवं आर्थिक क्रियाएँ भी बाधित हुई हैं। राज्य में अभी तक अन्य विकसित प्रदेशों के अनुरूप स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जन आंदोलन एवं विरोध भी नाम मात्र का है। राज्य में पर्यावरण के प्रति उदासीनता का एक मुख्य कारण शिक्षा एवं जागरुकता का अभाव है। पर्यावरण की समस्याओं को भली-भाँति समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पर्यावरण तथा प्रदूषण के विभिन्न स्वरूपों एवं आयामों को भली-भाँति समझा जाए।

वन एवं प्राकृतिक संपदा—बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि एवं वन के बीच संतुलन उत्पादकता के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिहार में अधिकतर वन क्षेत्र हिमालय की तराई एवं दक्षिणी पठारी इलाकों में स्थित है। आबादी के निरंतर वृद्धि से खाद्यान्न उत्पादन हेतु उपलब्ध भूमि पर, लगातार दबाव बढ़ता रहा, जिससे वन की निरंतर कटाई होती रही है। इमारती लकड़ी, जलावन एवं औद्योगिक वनस्पति की बढ़ती हुई मांग के कारण भी वन क्षेत्र निरंतर सिमटते गये हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 29,226 वर्ग कि० मी० में फैला हुआ है जो कुल भू-क्षेत्र का 16.8 प्रतिशत है। राज्य में 5051 वर्ग कि० मी० वन आरक्षित घोषित किये गये हैं तथा 24,066 वर्ग कि० मी० संरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार राज्य में मात्र 0.4 प्रति वर्ग कि० मी० प्रति व्यक्ति आता है तथा मात्र 13,412 वर्ग कि० मी० को ही अच्छे वन की संज्ञा दी गई है। एक अनुमान के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 12 प्रतिशत ही वन क्षेत्र राज्य में बच रहा है। बचा हुआ वन क्षेत्र भी गंभीर रूप से कटाई ग्रसित है। इसके विपरीत एक स्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में 33% भू-भाग पर वन होना आवश्यक है।

वन की सिमटती स्थिति ने विशेषकर आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव डाला है। राज्य की अधिकतर आदिवासी आबादी अपने जीवन निर्वाह के लिए वन से प्राप्त जड़ी-बूटी, कन्दमूल, व्यवसायिक पदार्थों (Small Forest Produce) पर ही निर्भर करती है। वनों की कमी से जलावन की लकड़ी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। अशोक पेपर मिल तथा डालमिया कागज संयंत्र पर्याप्त पत्ते एवं वनस्पतियों की कमी के कारण बन्द हो चुके हैं।

वन संकट का प्रभाव जंगली जानवरों, पक्षियों, मत्सय एवं वानस्पतिक विविधता (Biodiversity) पर भी प्रतिकुल पड़ा है। इन सभी समस्याओं के पीछे वन-संसाधन का अकुशल प्रबंधन, व्यवसायिक विदोहन तथा जन-मानस एवं वन-संरक्षण में हिस्सेदारी का अभाव रहा है।

बाढ़ एवं जल प्रबंधन—जल-प्रदूषण के अनेक रूप हैं। बाढ़ क्षेत्रों में जल-जमाव प्रदूषण

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एवं निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। राज्य में दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मोकामा आदि जिलों में जल-जमाव की विकट समस्या है, जिससे अनेक क्षेत्रों में कुछ खास ही फसलों की उपज तथा कुछ खास समय में ही कृषि कार्य संभव है। अनियोजित रूप से जलमार्गों पर बांध एवं नहरों के निर्माण से भी जल जमाव को बढ़ावा मिला है।

राज्य में विशेषकर उत्तर बिहार में बाढ़ एक मौसमी विपदा है। अनेक उपायों के बावजूद भी उत्तर बिहार का बड़ा इलाका मौनसून में जलमग्न हो जाता है। कोसी नदी को उत्तर बिहार का प्रकोप कहा जाता है परन्तु इस पर नियन्त्रण हेतु सभी उपाय अभी तक अपर्याप्त रहे हैं। वास्तव में उत्तर बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी नेपाल के तराई क्षेत्रों में जल प्रबंधन की समस्या है। यदि नेपाल की नदियों का सही प्रबन्धन किया जाए तब उत्तर बिहार के क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सकता है। वर्तमान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विस्तार से जल-प्रबन्धन की समस्या का निदान भले ही न हुआ हो परन्तु पर्यावरण की समस्या जरूर उत्पन्न हो गई। वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे दामोदर घाटी परियोजना, कोशी परियोजना, म्यूराक्षी (बिहार और उत्तर प्रदेश), स्वर्ण रेखा परियोजना (बिहार, उड़ीसा एवं प० बंगाल), गंडक परियोजना, सोन बराज परियोजनाएँ आदि प्रमुख हैं। दामोदर घाटी परियोजना ने कुछ हद तक अपने क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप को कम कर दिया है। परन्तु कोसी क्षेत्र में आज भी 5 हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। गंडक और सोन नदियों से भी विशेषकर मानसून में बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से बाढ़ से उत्पन्न अतिरिक्त जल-जमाव की समस्या अधिक गंभीर है। केन्द्र की सहायता से टाल क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है।

जल प्रदूषण—प्राकृतिक विपदाओं एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अतिरिक्त प्रदूषित जल की समस्या भी अत्यन्त विकट हो गई है। राज्य में अनेक जगहों पर पेय-जल के संकट की समस्या भी जल प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न हो गई है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल धाराओं में गंदे जल की सीधी निकासी, शहरों में नालों का नदियों में गिरना, मरनोपरान्त जानवरों को तथा अधजली लाशों को नदियों में फेंकने आदि से भी जलस्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। राज्य में दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी के समीप स्थित कोयला-धुलायी संयंत्रों (Coal Washeries) से जल पीने लायक नहीं रह गया है। उत्तर बिहार में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। केवल बिहार में इस नदी में 115 मिलियन लिटर प्रतिदिन गंदे जल का प्रवाह होता है। पटना, बरौनी, भागलपुर शहरों के समीप तो इसके जल में सबसे अधिक प्रदूषण का प्रवाह देखा जा सकता है। उत्तर बिहार की अन्य नदियाँ जैसे सोन, पुनपुन, गंडक, कोशी इत्यादि भी प्रदूषण का शिकार हो गई है।

बिहार में नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(क) नदियों के किनारे स्थित बड़े शहरों के मैले जल (Sewage) का सीधे नदियों में प्रवाह।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ख) अनौपचारित अथवा अनुपयुक्त रूप से उपचारित औद्योगिक मैले अवशेष जल को नदियों में प्रवाहित करना जिनमें भारी धातु जैसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन इत्यादि सम्मिलित हों।

(ग) खेतों से बहकर आये कृषि पदार्थों जैसे प्रदूषण के गैर-बिन्दु स्रोत; तथा

(घ) नदी के तट पर मलोत्सर्ग करना, पशुओं को नहलाना, अधजले शवों को नदी में बहाना इत्यादि।

नदियों के प्रदूषण की समस्या के एकीकृत समाधान हेतु केन्द्रीय स्तर पर कार्य योजनाओं का गठन किया गया है। इनमें मुख्य रूप से गंगा कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी कार्य-योजना उल्लेखनीय है।

सारणी-I

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा बिहार की कुछ नदियों के जल का गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	नदियों का नाम	गुणवत्ता / उपयोगिता / वर्गीकरण
1.	स्वर्ण रेखा (हाथी डैस से बहागोरा)	D वर्ग
2.	दामोदर (धनबाद से हल्दिया तक)	D वर्ग
3.	गंगा (पटना)	D वर्ग

नोट— A = पेय योग्य (बिना परंपरागत ट्रीटमेन्ट)
B = स्नान योग्य
C = परंपरागत ट्रीटमेन्ट के बाद पेय योग्य
D = जानवरों एवं वन प्राणियों के योग्य
E = सिंचाई उद्योग आदि के लिए उपयुक्त।

गंगा कार्य योजना (GANGA ACTION PLAN-GAP)

गंगा नदी उत्तर एवं पूर्वी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। इस विशाल जनसंख्या वाले देश के लोगों की संस्कृति, परम्परा तथा संपदा से जुड़ी इस नदी का अज्ञानतावश दुरुपयोग किया जाता रहा है। जिसके कारण इस नदी की जल गुणवत्ता एवं उपयोग में भारी गिरावट आई है। यह नदी देश के तीन बड़े प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपने प्रवाह के अनेक चरणों में इसके जल की गुणवत्ता को प्रदूषण के कारण अलग-अलग श्रेणीयों में बाँटा गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गंगा का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया और उसी आधार पर 14 जून, 1986 को गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण निवारण कार्य, दिशा परिवर्तन, अवरोधन, घरेलू मैले जल (Sewage) के उपचार, आदि से नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित इकाईयों से विषाक्त औद्योगिक एवं रसायनिक अपशिष्ट जल को नदी में प्रवेश करने से रोकना है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में गंगा उत्तर प्रदेश से होती हुई आती है तथा अधिकतर प्रदूषण कानपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद में ही होता है।

सारणी-II

महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में जल गुणवत्ता पर गंगा कार्य योजना का प्रभाव

केन्द्र	धुलित आक्सीजन (D. O.) (5 मि०ग्रा/प्रति लीटर से अधिक)		जैव रसायन आक्सीजन मांग (B. O. D.) (1 मि०ग्रा/प्रति लीटर से कम)	
	1986	1993	1986	1993
ऋषिकेश-हरिद्वार	8.1	9.6	1.8	1.32
कानपूर	6.7	5.15	8.57	24.46
इलाहाबाद	6.6	7.16	15.5	1.88
वाराणसी	5.9	7.58	10.6	0.95
पटना	8.1	8.0	2.2	1.50
कलकत्ता (उलुबेरिया)	5.8	लागू नहीं	1.50	लागू नहीं

SAM-98 स्रोत–गंगा कार्य योजना

बिहार में प्रवेश के पूर्व ही गंगा के जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। राज्य में प्रवेश के पश्चात इसके प्रदूषण में वृद्धि ही होती हैं। राज्य में इस जीवनदायी नदी के प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोतों की पहचान की गई है—

(क) मनुष्यों द्वारा मलोत्सर्ग, पशुओं को नहलाने, बिना जले एवं अधजले शवों का गंगा में प्रवाह।

(ख) नदी के किनारे बसे शहरों के मैले जल की गंगा में सीधे निकासी।

(ग) औद्योगिक नगरियों से अनुपचारित अवशेष जल का नदी में प्रवाहित करना, आदि।

बिहार में गंगा कार्य योजना (GAP) के तहत चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित परियोजनाएँ सम्मिलित हैं---

1.	सीवेज अवरोधन एवं दिशा परिर्वतन (मिलियन लिटर/प्रतिदिन-MLD)	155
2.	सीवेज उपचार संयत्र (संख्या)	07
3.	अल्प लागत स्वच्छता स्कीम (सीट संख्या)	8253
4.	विद्युत शवदाह गृह (संख्या)	08
5.	नदी तटाग्र विकास (घाट विकास–संख्या)	10
6.	अन्य	03

गंगा कार्य योजना के तहत जैव विविधता एवं संपदा की पुनः प्राप्ति के लिए समानान्तर प्रयास किये जा रहे हैं। नदी में 1828 जीवीय प्रजातियों को शामिल करते हुए जैव विविधता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का मानचित्रण किया गया है जिसे आधार मानकर नदीय संसाधनों के उचित विदोहन हेतु प्रभावी एवं उपयोगी कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। संरक्षण उपायों में वैधानिक उपबंधों जैसे अभयारण्यों में विशेष प्रजाति की मछली को पकड़ने वाले जाल लगाने पर प्रतिबंध एवं मात्स्यिकी अधिनियम में संशोधन शमिल है।

फरवरी 1991 में गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण (GAP II) प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। इसके अर्न्तगत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली के अनेक नगरों एवं यमुना तथा गोमती के लिए पृथक कार्य योजनाएँ बनाई गईं। गंगा कार्य योजना के आधार पर देश में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना (NRAP) का भी गठन किया गया, जिसके अर्न्तगत दक्षिण बिहार की सुर्वणरेखा एवं दामोदर नदियों के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं।

अन्य पर्यावरण संबंधित परियोजनाएँ

वन प्राणी एवं विकास—बिहार में पर्यावरण से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ पहले से ही चलाई जा रही थीं। इन परियोजनाओं का संबंध वन प्राणीयों से है। राज्य में प्राकृतिक वन कुल 29,232 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 16.8 प्रतिशत है। औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धी तथा कृषि एवं शहरी फैलाव के कारण वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अधिकतर वन प्रधान रूप से राज्य के दक्षिणी भाग में गंभीर संकट की स्थिति में हैं। वनों के बड़े भाग के अवकृष्ट हो जाने से वन पशुओं पर भी प्रभाव पड़ा है। वन जीवन एवं जन्तुओं की सुरक्षा हेतू हजारीबाग पलामू एवं राँची जिलों में संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं—

राँची जिला में **ओरमांझी** नामक स्थान पर एक जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। इस जैविक उद्यान में मुख्य रूप से पशु-पक्षियों को सीमित क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में जल स्रोतों का विकास, जन्तुओं का अस्पताल, जन्तुघरों आदि का निर्माण कार्य हुआ है।

पलामू में **बेल्टा** स्थान पर राष्ट्रीय वन प्राणी संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ विश्व में पहली शेर गणना 1932 में की गई थी। यह स्थान चेरो राजाओं की राजधानी था। वर्तमान में 260 वर्ग कि० मीटर में यहाँ भारत सरकार बाघ योजना (Project Tiger) चला रही है। चम्पारण जिले में भी **वाल्मीकी व्याध्र** योजना क्रियान्वित की गई है।

सिंहभूम जिले के वनों में एक हाथी योजना प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत जिला के पोडाहाट, कोल्हान तथा सारण्डा वनों में हाथियों के आवास स्थल का विकास किया गया है। अभी हाथियों के लिए राज्य में दामला आश्रयणी सृजित हुई है।

समुद्र से 1300 फीट की ऊँचाई पर बसा हजारीबाग अपने वन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 182 वर्ग कि०मी० वन क्षेत्र को आरक्षित (Reserve) घोषित किया गया है जिसमें वन प्राणीयों का शिकार करना वर्जित है। आरक्षित अवस्था में वन प्राणीयों की संख्या एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। यहाँ प्रमुख रूप से चीता, सांभर, हिरण, नीलगाय आदि जानवर वन में देखे जा सकते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी-III
बिहार में प्रमुख्य वन प्राणियों की संख्या

क्रम	प्राणी	संख्या	क्रम	प्राणी	संख्या
1.	बाघ	59	7.	वायकिंग डियर	1867
2.	तेंदुआ	60	8.	जंगली भैंसा	727
3.	हाथी	115	9.	रेसस मंकी	31911
4.	सांभर	2580	10.	लंगूर	25931
5.	चीतल	15688	11.	जंगली कुत्ते	495
6.	जंगली भालू	8270			

राज्य में प्रदूषण निवारण का संस्थागत उपागम

बिहार राज्य प्रदूषण निवारण पर्षद का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नवम्बर 1974 में हुआ था। इस पर्षद् की स्थापना का उद्देश्य जल अधिनियम 1997, वायु (प्रदूषण एवं निवारण) अधिनियम 1982 आदि के अन्तर्गत कृत्यों का कार्यान्वयन करना या जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण का नियंत्रण तथा पर्यावरण की स्वच्छता बनाये रखना, आदि सम्मिलित है।

जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नगर निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को दूषित वहिर्स्त्राव के लिए या व्यवसायिक वहिस्त्रार्व अथवा नया निस्सरण प्रारंभ करने के लिए वाहित मल को किसी सरिता, कुआँ, नाला या भूमि पर प्रवाहित करने के लिए पर्षद् से सहमति प्राप्त करना अपरिहार्य है।

जल उपकर संग्रहण (Water Cess) 1977 के अन्तर्गत पषर्द् द्वारा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जल उपकर निर्धारित करने का अधिकार है। संग्रहित जल उपकर की राशि भारत सरकार की संचित निधि में जमा की जाती है। भारत सरकार पर्षद् द्वारा संग्रहित राशि को पुनः शेयर के रूप में बिहार सरकार को जल अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने हेतू विमुक्त कर देता है।

जल उपकर अधिनियम (1977) के अन्तर्गत पर्षद् के द्वारा अपीलीय प्राधिकार / कमिटी का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान जल उपकर निर्धारण के आदेश में पीड़ित होने पर इस प्राधिकर में अपील कर सकता है।

जल की गुणवत्ता एवं प्रदूषण निवारण हेतु पर्षद् अनेक परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इनके अर्न्तगत मासिक जल नमूना संग्रहण, केन्द्रिय प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जाँच, प्रदूषण निगरानी एवं सर्वेक्षण, सहमति प्रबन्धन, प्रदूषण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आदि सम्मिलित है। राज्य में अति प्रदूषित उद्योगों की संख्या 62 है। इनमें से तीन को पर्षद् पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बन्द करने में सफल रही है। अन्य 36 इकाईयों प्रदूषण निवारण संयत्र लगाया गया है। केवल छोटानागपूर क्षेत्र में 140 उद्योगों की प्रदूषण फैलाने के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लिए पहचान की गयी है। अधिकतर प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी कम्पनियों में प्रदूषण निवारण संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं परन्तु मझोले एवं लघू इकाईयों में पर्षद् का प्रयास विफल रहा है। दक्षिण बिहार में सुर्वणरेखा एवं दामोदर नदियों में औद्योगिक जल प्रवाह एवं कोल वाशरीज के कारण अब पानी मानवीय प्रयोग के लिए उपयुक्त नही रह गया है।

निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण के लिए पर्षद् एक स्वायत्त संस्थान है—

1. **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974** के अन्तर्गत इस पर्षद् का गठन हुआ है। अधिनियम के अन्तर्गत नदियों में प्रदूषित जल निर्धारित सीमा से अधिक होने पर पर्षद् कार्यवाही करती है। उद्योगों को मैला जल प्रवाहित करने के पूर्व पर्षद् की अनुमति लेना आवश्यक है।
2. **जल उपकर** (Cess) अधिनियम 1977 के अन्तर्गत पर्षद् को Schedule I एवं II में उल्लेखित उद्योगों से ज़ल उपकर संग्रह का अधिकार है।
3. **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981** के अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक इकाई बिना पर्षद् की सहमति के अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता है। पर्षद् वायु प्रदूषण की निगरानी एवं मूल्यांकन भी करती है।
4. **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986** के अन्तर्गत मान्य सीमा से अधिक प्रदूषण प्रवाह के पूर्व पर्षद् को सूचित करना अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्था (उद्योग सहित) द्वारा खतरनाक वस्तुओं के प्रवाह (Discharge or emission) पर पाबन्दी लगा दी गई है।
5. **हजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) नियम** 1989 के अन्तर्गत किसी भी खतरनाक (Hazardous) वस्तु के प्रयोग, संग्रहण, यातायात, भण्डारण आदि के पूर्व पर्षद् से अनुमति लेना आवश्यक है। खतरनाक पदार्थों से उत्पन्न किसी भी दुर्घटना की तुरंत सूचना पर्षद् को दी जानी है तथा बिना पर्षद् की अनुमति के पदार्थों का आयात नही किया जा सकता है।
6. **खतरनाक रसायन निर्माण, भण्डारण तथा आयात नियम 1989** के अन्तर्गत किसी भी गतिविधी से पूर्व व्यक्ति या संस्थान को पर्षद् की अनुमति आवश्यक है।
7. **जनदायित्व बीमा अधिनियम 1991** (Public Liability Insurance Act 1991) खतरनाक वस्तुओं के स्वामीयों को जनदायित्व का बीमा कराना आवश्यक है।

पर्षद् ने जल अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करने के आरोप में पर्षद् ने अनेक उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है जिनमें रोहतास इन्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर, मोकामा घाट, एच० ए० पेपर मिल्स, सासामूसा गोपालगंज उल्लेखनीय है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-12

राज-व्यवस्था

बिहार में प्रजातन्त्र की नींव बहुत गहरी है। वैशाली का जनतंत्र हो या आज का गणतंत्र, दोनों में जन प्रतिनिधियों के शासन की व्यवस्था निर्णायक रही है। बिहार की वर्तमान राज-व्यवस्था क्रमिक ढंग से विकसित हुई है और यह देश व्यापी राज-व्यवस्था का एक अंग है। पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1911 में हुआ। तत्पश्चात 1919 एवं 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के प्रांतीय शासन से संबंधित प्रावधानों का बिहार के प्रशासन में भी क्रियान्वयन हुआ। 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान की रचना आरंभ हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान ने भारत के लिए संघीय राजव्यवस्था निर्धारित की और विभिन्न राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान प्रस्तुत किये। बिहार की वर्तमान राजव्यवस्था इन्हीं सांवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने देश में dyarchy (1919 के विधान से स्थापित) व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इस नए विधान ने राज्यों को न केवल वित्तिय, प्रशासनिक तथा विधान-संबंधी स्वायत्ता प्रदान की बल्कि 11 में 6 राज्यों में विधान सभा के गठन का भी प्रावधान किया। बिहार में विधान सभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गयी। इस विधान के अन्तर्गत बिहार में प्रथम विधान सभा हेतु चुनाव 1937 में हुआ। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए 15 अनुसूचित जातियों 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 ऐन्लो इन्डियन समुदाय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, बगान, भू-स्वामियों, विश्वविद्यालय शिक्षक तथा भारतीय मूल के इसाईयों के लिए सुरक्षित थे। 1937 के चुनाव में श्री डब्लू० जी० लेसी (W. G. Lacey) थे। इस चुनाव में 98 स्थानों पर विजय रही। मुस्लिम लीग 20 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गये। कांग्रेस हाई कमान्ड के आदेश पर श्री सिंह ने मुख्य मन्त्री का पद ग्रहण करने के पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्ता के आश्वासन मांगा। तत्कालीन गर्वनर के नकारात्मक रवैये से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने मन्त्रीमण्डल बनाने से इनकार कर दिया।

इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इन्डीपेन्डेन्ट पार्टी के श्री मोहम्मद युनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी (ad-interim) सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार श्री

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

युनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने (उस समय प्रांतीय मुख्य मंत्री के लिए प्रधान मंत्री का पदनाम प्रयुक्त था)। मगर उनका मन्त्री मंडल विधान सभा की न तो बैठक बुला सका और न ही सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथी निश्चित कर सका।

कांग्रेस हाई कमांड तथा गर्वनर जेनरल के विचारों में सहमति हो जाने के पश्चात् 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई। डा० सच्चिदानन्द सिन्हा राज्य विधान सभा के Protem Speaker नियुक्त हुए। 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालू सिंहा को अध्यक्ष (Speaker) तथा प्रो० अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुना गया। 31 अक्तूबर, 1939 को भारत को विश्व युद्ध में बिना सहमति के शामिल किये जाने के मुद्दे को लेकर सभी प्रदेशीय कांग्रेसी सरकारों ने अपना विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया, तथा राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई।

1939 से लेकर 1945 तक फिर विधान सभा का गठन भी नहीं हुआ। 1935 विधान के अन्तर्गत पुनः 1946 में चुनाव हुआ और पुनः अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। इस विधान सभा से संविधान सभा के लिए 39 सदस्य निर्वाचित हुए जिनमें डा० सरोजिनी नायडु, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम तथा श्री तजझुल हुसैन के नाम उल्लेखनीय हैं।

स्वतंत्र भारत के संविधान के अन्तर्गत पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें विधान सभा के सदस्यों की संख्या 330 निर्धारित की गई थी तथा एक मनोनीत सदस्या का प्रावधान था। श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के मुख्य मंत्री का पद संभाला और अपनी मृत्यु, जनवरी 31, 1961 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। राज्य में अभी तक 21 निर्वाचित मुख्यमंत्री कार्यरत रह चुके हैं।

राज-व्यवस्था के प्रमुख अंग

बिहार की शासन प्रणाली का रूप वही है जो भारतीय संघ के अन्य राज्यों का है। इसका प्रावधान संविधान की विभिन्न धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार की तीन प्रमुख इकाईयाँ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार का सांवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। उसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। इनका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 में किया गया है।

राज्यपाल

राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है तथा राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है, किन्तु उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। 1956 से व्यवस्था की गई है कि एक से अधिक राज्यों में जब एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य कर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है, तो वह जिस राज्य में कार्य करेगा, तब वह उसी राज्य की मंत्रीपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा।

योग्यता—राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए भारतीय संविधान में कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं—

(i) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो,

(ii) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

(iii) वह लाभ के लिए किसी पद पर आसीन नहीं हो।

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु प्रारंभ से ही पुराने राजनीतिक नेता, नागरिक प्रशासन के अवकाश प्राप्त अधिकारी, तीनों सेनाओं के अवकाश प्राप्त सर्वोच्च सेनापति, विख्यात शिक्षाविद् आदि विशिष्ट एवं विख्यात व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्त किये जाते हैं।

राज्यपाल का वेतन या भत्ते—राज्यपाल को ग्यारह हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है तथा निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएँ, भत्ते, विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद-158 में लिखा है कि राज्यपाल को प्राप्त वेतन, भत्ते तथा अन्य उपलब्धियाँ उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएँगे।

राज्यपाल की पदावधि—राज्यपाल सामान्यतः पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर होता है। प्रसन्नता से तात्पर्य है कि उसे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है न कि किसी महाभियोग या अन्य विधि द्वारा उसे हटाया जा सकता है।

राज्यपाल की भूमिका—राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसे वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को मिले हुए हैं।

कार्यपालिका संबंधी अधिकार—(i) राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रीपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है।

(ii) राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है।

(iii) राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

(iv) राज्यपाल राज्य विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(v) राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अनुभव होता है, विधान परिषद् में कुल सदस्यों की 1/6 संख्या तक मनोनयन कर सकता है।

विधायी शक्तियाँ—(i) राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है।

(ii) राज्य विधानमंडल का अंग होने के नाते विधानमंडल में अभिभाषण करने तथा संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है।

(iii) राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है।

(iv) राज्यपाल को धन विधेयक तथा अनुदान माँगों की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है।

(v) राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं, तो वह इंकार कर विधेयक को कानून बनने से रूकवा सकता है।

न्यायिक शक्तियाँ—राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दण्ड को क्षमादान, लघुकरण, निलम्बन आदि में परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करनेवाले को भी कुछ हद तक छूट दे सकता है।

राज्यपाल के आपातकालीन अधिकार—राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। तत्पश्चात् वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है।

स्वविवेक वाले कार्य—(i) राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जानेवाले सन्देश में स्वविवेक का प्रयोग करता है।

(ii) कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें राज्यपाल मंत्रीपरिषद् की सलाह लेने के पश्चात् भी अपनी इच्छा से करता है।

(iii) राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किए गए कार्य किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जा सकते।

(iv) कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनमें मंत्रिपरिषद् की सलाह की आवश्यकता नहीं होती तथा यह मंत्रीपरिषद् के विरूद्ध भी हो सकते हैं, जैसे—अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, कुछ विषयों से संबंधित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करना आदि।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के राज्यपाल

राज्यपाल	अवधि		
1. जयराम दास दौलतराम	15.8.1947	से	11.1.1948
2. माधव श्री हरिअणे	12.1.1948	से	14.6.1952
3. आर० आर० दिवाकर	15.6.1952	से	5.7.1957
4. डॉ० जाकिर हुसैन	6.7.1957	से	11.5.1962
5. एम० ए० एस० आयंगर	12.5.1962	से	6.12.1967
6. नित्यानन्द कानूनगो	7.12.1967	से	20.1.1971
7. देवकान्त बरुआ	1.2.1971	से	4.2.1975
8. आर० डी० भंडारे	4.2.1975	से	15.6.1976
9. जगन्नाथ कौशल	16.6.1976	से	27.5.1978
10. डॉ० ए० आर० किदवई	20.9.1979	से	14.3.1985
11. पी० वेंकटसुबैया	15.3.1985	से	25.2.1988
12. गोविन्द नारायण सिंह	26.2.1988	से	23.1.1989
13. जगन्नाथ पहाड़िया	29.1.1989	से	2.2.1989
14. मुहम्मद यूनुस सलीम	6.7.1990	से	5.6.1991
15. मोहम्मद शफी क़ुरैशी	5.6.1991	से	13.8.1993
16. डा० ए० आर० क़िदवई	14.8.1993	से	25.4.1998
17. सुन्दर सिंह भंडारी	27.4.1998	से	अब तक

मुख्यमंत्री

अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में मदद तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। जिस राजनीतिक दल का प्रदेश विधानसभा में बहुमत होता है, राज्यपाल उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन, विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की दशा में राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की राज्य शासन में वही स्थिति है जो केन्द्र में प्रधानमन्त्री की होती है। राज्यपाल चाहे तो गैर विधानसभाई सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है बशर्ते, वह सदस्य छह माह के भीतर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बन जाए।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कार्यकाल—मुख्यमंत्री के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। सांवैधानिक दृष्टि से वह राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री रहता है किन्तु व्यावहारिक जीवन में वह तब तक मुख्यमंत्री रहता है जबतक उसके दल को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः बढ़ जाता है यदि राज्य व्यवस्थापिका का कार्यकाल बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसका कार्यकाल उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा नेतृत्व से वंचित होने के कारण भी प्रभावित होता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ—राज्य के प्रशासनिक जीवन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण और निर्णायक होती है। उसकी शक्तियों की व्याख्या निम्नलिखित दृष्टि से की जा सकती हैं—

(1) **मंत्रीपरिषद् के संबंध में**—मुख्यमंत्री की मंत्रीपरिषद् में केन्द्रीय स्थिति होती है तथा वह इसके निर्माण एवं जीवन का निर्णायक बिन्दु होता है। मंत्रीपरिषद् का निर्माण मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रीपरिषद् के दूसरे सदस्य उसके परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। मंत्रियों के मध्य विभागों का विभाजन, परिवर्तन और असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वस्तुतः मुख्यमंत्री का निर्णय ही सामान्यतः मंत्रीपरिषद् का निर्णय हो जाता है।

(2) **व्यवस्थापिका के संबंध में**—राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यन्त ही घनिष्ट संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण वह उसकी कार्यप्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा के प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार-विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका अदा करता है। वह सदन में सभी नीति संबंधी घोषणाएँ करता है और शासन की नीतियों के औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। उसका यह अधिकार है कि वह बहस के क्रम में हस्तक्षेप कर सकता है और मंत्रीपरिषद् के सदस्यों की नीतियों के पक्ष में तर्क दे सकता है। वस्तुतः सम्पूर्ण सदन महत्त्वपूर्ण नीतियों की घोषणाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। वह राज्यपाल को विधानमण्डल के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही भंग करने की सलाह भी दे सकता है।

(3) **राज्यपाल के संबंध में**—मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के मध्य समन्वय सूत्र का कार्य करता है। वह प्रशासन के संबंध में लिये गये सभी निर्णयों तथा व्यवस्थापिका संबंधी प्रस्तावों से राज्यपाल को परिचित कराता है। यह उसका कर्त्तव्य है कि वह व्यवस्थापिका तथा राज्य के प्रशासन के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। संविधान द्वारा मुख्य नियुक्तियों के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में निहित हैं, व्यवहारिक दृष्टि से उनका प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है।

मुख्यमंत्री की स्थिति—यदि मुख्यमंत्री का दल राज्य की विधान सभा में पूर्ण बहुमत में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री	अवधि		
1. श्रीकृष्ण सिंह	2.1.1946	से	31.1.1961
2. दीप नारायण सिंह	1.2.1961	से	18.2.1961
3. बिनोदानन्द झा	18.2.1961	से	2.10.1963
4. कृष्ण बल्लभ सहाय	2.10.1963	से	5.3.1967
5. महामाया प्र० सिन्हा	5.3.1967	से	28.2.1968
6. सतीश प्र० सिन्हा	28.2.1968	से	1.2.1968
7. बिन्देश्वरी प्र० मंडल	1.2.1968	से	22.3.1968
8. भोला पासवान शास्त्री	22.3.1968	से	26.6.1968*
9. सरदार हरिहर सिंह	26.2.1969	से	22.6.1969
10. भोला पासवान शास्त्री	22.6.1969	से	4.7.1969*
11. दारोगा प्रसाद राय	16.2.1970	से	22.12.1970
12. कर्पूरी ठाकुर	22.12.1970	से	2.6.1971
13. भोला पासवान शास्त्री	2.6.1971	से	9.1.1972*
14. केदार पाण्डेय	19.3.1972	से	9.1.1973*
15. अब्दुल गफूर	2.7.1973	से	11.4.1975
16. जगन्नाथ मिश्र	11.4.1975	से	30.4.1977*
17. कर्पूरी ठाकुर	22.6.1977	से	21.4.1979
18. राम सुन्दर दास	21.1.1979	से	17.2.1980*
19. जगन्नाथ मिश्र	8.6.1980	से	14.8.1983
20. चन्द्रशेखर सिंह	14.8.1983	से	12.3.1985
21. बिन्देश्वरी दुबे	12.3.1985	से	13.2.1988
22. भागवत झा आजाद	13.2.1988	से	10.3.1989
23. सतेन्द्र नारायण सिंह	10.3.1989	से	6.12.1989
24. जगन्नाथ मिश्र	6.12.1989	से	10.3.1990
25. लालू प्रसाद	10.3.1990	से	28.3.1995*
26. लालू प्रसाद	4.4.1995	से	25.7.1997
27. (श्रीमती) राबड़ी देवी	25.7.1997	से	अब तक

[नोट : तारांकित * तिथियों के पश्चात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है।]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है और उसका सभी सदस्यों पर नियंत्रण है तो वह प्रशासन पर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकता है। परन्तु उसकी स्थिति इस तथ्य पर भी आश्रित है कि केन्द्र में भी उसका दल शासन में है या नहीं। यह स्पष्ट है कि उस दल का मुख्यमंत्री, जिसकी सत्ता केन्द्र में नहीं है, अस्थिर होता है क्योंकि राज्यंपाल के साथ उसके संबंध मधुर नहीं हो सकते हैं। यदि उसका दल केन्द्र में भी सत्ता में है तो उसे राज्यपाल से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। संविद सरकार के मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यन्त ही अस्थिर और कमजोर होती है क्योंकि उसे न केवल विभिन्न घटकों को संतुष्ट करना पड़ता है बल्कि शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न परस्पर विरोधी निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि वह राज्य के प्रशासनिक जीवन का सर्वोच्च और प्रभावपूर्ण केन्द्र है फिर भी उसकी स्थिति अनेक तत्वों पर निर्भर करती है।

मंत्रीपरिषद्

राज्य की कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुख्यमंत्री एक मंत्रिपरिषद् का गठन करता है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वह व्यक्ति छः महीने के अंदर दोनों में से किसी का भी सदस्य हो जाए। इस मंत्रीपरिषद् में कभी तीन और कभी चार तरह के मंत्री होते हैं—

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री—ये प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं तथा कार्य-कलाप के मामले में ये ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। अपने संबद्ध विभाग के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होते हैं तथा नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में इनके विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय मंत्रीमंडल के सदस्यों की राय लेता है।

राज्य स्तर के मंत्री—(स्वतंत्र प्रभार) मंत्रीपरिषद् में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। वास्तव में ये मंत्रीमंडल स्तर के मंत्री के सहायक होते हैं, परंतु अगर कोई उपविभाग ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसका प्रभार स्वतंत्र रूप से किसी राज्यमंत्री को दे दिया जाता है।

राज्य मंत्री—राज्यमंत्री मुख्य रूप से मंत्रीमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका अदा करते हैं।

उपमंत्री—उपमंत्री मंत्रीपरिषद् में चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। अगर विभाग का कार्य काफी जटिल होता है तो सहूलियत के लिए उपमंत्रियों को भी मंत्रीपरिषद् में शामिल किया जाता है।

इसमें संसदीय कार्य के देखभाल हेतु भी मंत्री की नियुक्ति की जाती है।

विधायिका

राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद् को मिलाकर बनता है। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों में पृथक विधान मंडल की व्यंवस्था की गई है। संविधान के अनुसार राज्य विधान मण्डल में एक सदन हो सकता है अथवा दो सदन भी हो सकते हैं। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तथा जम्मू कश्मीर में ही द्विसदनीय व्यवस्था हैं। जिन राज्यों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में विधान परिषद नहीं है, वहाँ राज्यपाल तथा विधान सभा से मिलकर विधानमंडल निर्मित होता है तथा विधान सभाओं को विधि निर्माण के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं।

विधानसभा—अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के संदस्य उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी राज्य की विधान सभा में पाँच सौ से अधिक तथा साठ से कम सदस्य नहीं हो सकते। सिक्किम विधानसभा अनुच्छेद 170 की अपवाद है, यहाँ विधानसभा में मात्र बत्तीस सदस्य हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात समायोजन किया जाता है। राज्यपाल को यदि लगे कि विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह ऐसे एक सदस्य को विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।

विधानसभा सदस्यता हेतु योग्यता—भारतीय नागरिक, जिसकी आयु कम से कम पच्चीस वर्ष हो, वह भारत सरकार अथवा राज्य के किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो, संसद द्वारा उसे अयोग्य न ठहराया गया हो और वह दिवालिया या पागल न हो, वही व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता से तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा जनता ने उसे विजयी बनाया हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विधान सभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है—

अ—वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे।

ब—वह विधान परिषद् का सदस्य मनोनीति हो जाए।

स—यदि सदस्य अन्य किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य निर्वाचित हो जाए और निर्धारित अवधि के भीतर वह किसी एक राज्य के विधान मण्डल से इस्तिफा न दे।

द—यदि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार साठ दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे।

इ—यदि वह संसद द्वारा स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत दल-बदल का दोषी सिद्ध हो जाए।

विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता एवं अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है।

विधान सभा की अवधि—सामान्यतः विधान सभा प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ की तिथि से पाँच वर्ष तक बनी रहती है। वैसे राज्यपाल चाहे तो इसे पाँच वर्ष के पूर्व ही भंग कर सकता है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधान सभा की अवधि छह माह तक बढ़ायी जा सकती है। इसे पुनः छह माह और बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

विधानसभा पदाधिकारी—अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की तरह ही विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष कार्य करते हैं। यहाँ अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, भाषण, देने प्रश्न पूछने और विधेयक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आदि की अनुमति देता है। वह ही प्रस्तावों पर मतदान कराता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। पक्ष-विपक्ष में मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह भी अध्यक्ष प्रमाणित करता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य उपाध्यक्ष करता है। चौदह दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत तथा अपने सब तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है।

विधान परिषद्—यह विधान मंडल का द्वितीय सदन है; इसकी सदस्य संख्या कम से कम चालीस और अधिक से अधिक विधान सभा सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होती है। संविधान में यह उपबन्ध है कि विधान परिषद् के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सकल संक्रमणीय मतप्रणाली से होता है। विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में विधान परिषद् के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम तीन वर्ष तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते होते हैं। विधान परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में तीन वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मण्डल, 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा स्थानीय निकाय, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित तथा शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि विविध क्षेत्रों के विद्वानों में से राज्य विधान परिषद् में मनोनीत करता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

सदस्यता हेतु योग्यता निम्नांकित हैं—

अ—वह भारत का नागरिक हो।

ब—उसकी आयु कम से कम तीस वर्ष हो।

स—वह व्यक्ति भारत सरकार या राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण न किए हो।

द—पागल अथवा दिवालिया न हो।

इ—न्यायालय द्वारा उसे किस मुद्दे पर दोषी न ठहराया गया हो।

विधान परिषद् का कार्यकाल—यह एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वैसे विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होता है।

पदाधिकारी—विधान परिषद् अपने सदस्यों से एक सभापति तथा एक उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 184 के तहत सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति तथा उपसभाति की अनुपस्थिति में विधान परिषद् के नियमानुसार कोई अन्य व्यक्ति सभापति पदभार संभालता है।

वेतन / भत्ते—अनुच्छेद 186 के अनुसार अध्यक्ष (सभापति) तथा उपाध्यक्ष (उपसभापति)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के वेतन एवं भत्ते आदि राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा निर्धारित होते हैं।

विधान परिषद् की स्थिति—यद्यपि विधान परिषद् को राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कहते हैं, लेकिन विधान परिषद् का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यह केवल विलम्बकारी सदन हैं, इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद् में प्रारंभ होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं, अपितु समाप्त भी कर सकती है। फिर भी विधान परिषद् में कुछ योग्य व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने के कारण आ जाते हैं, जिससे अनेक विषयों पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो जाते हैं।

विधान परिषद् की तुलना में विधानसभा सर्वशक्तिमान है। विधान परिषद् धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है तथा साधारण विधेयक को केवल 3 माह तक रोक सकती है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल एक माह तक रोक सकती है। किसी विधेयक पर विधानसभा व विधान परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसी दशा में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम होगा। विधान परिषद् का कोई प्रस्ताव विधानसभा अमान्य कर दे, तो वह रद्द हो जाता है।

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य नागरिकों के न्यायिक अधिकारों की रक्षा करना है। बिहार ने 1912 में जब एक पृथक प्रांत का रूप लिया तो पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी, 1916 को हुई। उस समय इसके कार्यक्षेत्र में बिहार तथा उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। 1936 में उड़ीसा के पृथक प्रान्त बनने के बाद इसका कार्यक्षेत्र केवल बिहार में रहा।

उच्च न्यायालय—उच्च न्यायालय में इस समय मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल 30 न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच राँची में है। इसकी स्थापना 1972 में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य छोटानागपुर के निर्धन और पिछड़े लोग जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, की सहायता करना था। 1976 के बाद इसे स्थायी बेंच बनाया गया।

उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर मामलों पर या सेशन न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवायी होती है। नागरिक एवं अपराधी याचिकाओं, निर्वाचन मामले, कम्पनी अधिनियम के मामले, वसीयत संबंधित और वैवाहिक संदर्भ के मामले ही उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर किये जाते हैं।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

1. आरम्भिक,
2. अपील सम्बन्धी तथा
3. प्रशासकीय क्षेत्राधिकार

आरम्भिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी मामले आते हैं। यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी अधिकारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

या सरकारी संस्था द्वारा नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो यह उसके विरूद्ध (रिट) जारी कर सकता है, ताकि अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसके आरम्भिक क्षेत्राधिकार में कुछ सामान्य मामले भी आते हैं। उदाहरणतया, कम्पनी कानून से सम्बन्धित मामले उच्च न्यायालय में आरम्भ किए जा सकते हैं।

अपील क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरूद्ध विभिन्न दीवानी और फौजदारी मामलों में अपीलें सुन सकता है। उनदाहरण के लिए किसी अपराधी को तब तक फाँसी नहीं लगाई जा सकती जब तक जिले के सेशन्स न्यायालय द्वारा सुनाई गई फाँसी की सजा को अपील सुनने के पश्चात्, उच्च न्यायालय भी उसे उचित घोषित नहीं कर दे अर्थात् इसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने पर ही मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण शामिल है और उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की पदोन्नति इत्यादि का नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है।

राज्य का महाधिवक्ता

1. राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा,

2. यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। महाधिवक्ता ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करे,

3. महाधिवक्ता का कार्य राज्य की सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देना तथा ऐसे कार्य करना जो राज्यपाल द्वारा अथवा संविधान द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

नियुक्ति—उच न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीशें की नियुक्ति करते समय वह इन दो अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी मरामर्श करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु होने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित भी किया जा सकता है।

योग्यताएँ—उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएँ निश्चित हैं। उनके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक वह कम से कम दस वर्ष तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर चुका हो अथवा कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर चुका हो।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश	अवधि		
1. सर एडवर्ड मायनर्ड डेस चैम्पस चमियार	1916	से	1917
2. सर थामस फ्रेडरिक डल्सन मिलर	1917	से	1928
3. सर कर्टनी टेरेल	1928	से	1938
4. सर आर्थर ट्रेवर हैरीज	1938	से	1943
5. सर सैय्यद फजल अली	1943	से	1946
6. सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल	1948	से	1950
7. सर हर्बट रिब्टन मेरेडिथ	1950		—
8. पंडित लक्ष्मीकांत झा	1950	से	1952
9. डेविड एजरा रियूबेन	1952	से	1953
10. सईद जाफर इमाम	1953	से	1955
11. सुधांशु कुमार दास	1955	से	1956
12. वैद्याजथियर रामास्वामी	1965	से	1968
13. सतीश चंद्र मिश्रा	1968	से	1970
14. उज्जवल नारायण सिन्हा	1970	से	1972
15. नंदलाल उंटवालिया	1972	से	1974
16. श्याम नंदन प्रसाद सिंह	1974	से	1976
17. कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह	1976	से	1982
18. सुरजीत सिंह सिंधवालिया	1983	से	1987
19. भगवती प्रसाद झा	1988		—
20. दीपक कुमार सेन	1988	से	1989
21. सुशील कुमार झा	1989	से	1991
22. बिमल चंद्र बसाक	1991	से	1993
23. कृष्णस्वामी सुणदर परिपूर्णन	1993	से	1994
24. के० वेंकटस्वामी	1994	से	1995
25. डी० पी० वाध्वा	1995	से	1997
26. बी० एम० लाल	1997	से	अब तक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी आसानी से पदच्युत नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुसार उन्हें पदच्युत करने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी होती है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 9000 रुपये प्रतिमास तथा अन्य न्यायाधीशों को 8000 रुपये प्रतिमास मिलता है। किसी भी न्यायाधीश के वेतन या उसको मिलने वाली अन्य सुविधाओं को उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश के अस्थाई रूप से अनुपस्थित होने की दशा में राष्ट्रपति न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकता है। यदि किसी समय, किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो तो राष्ट्रपति दो वर्ष के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो कि स्थाई न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिये जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के तीन रजिस्ट्रार, चार संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। चूँकि उच्च न्यायालय के सारे मुकदमों की सूची पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है इसलिए कम्प्यूटर विभाग की देख-रेख के लिये एक रजिस्ट्रार और एक संयुक्त रजिस्ट्रार को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। बिहार प्रांत में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 37 जिला न्यायालय हैं जो कि 55 राजस्व जिलों का कार्य देखते हैं।

सब आर्डिनेट न्यायिक सेवा—जिलों में सब आर्डिनेट न्यायिक सेवा इस प्रकार है—मुंसिफ, न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सब आर्डिनेट जज साथ में सहायक सेशंन जज, अतिरिक्त जिला और सेशन जज। जिला एवं सेशन जज प्रशासनिक प्रधान होता है। उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जजों में से एक की करता है। प्रशासनिक मामलों में जिला एवं सेशन जज के सहायक रूप में रजिस्टार का पद सब जज के बराबर होता है।

इनके अतिरिक्त भी कुछ मजिस्ट्रेट और जज हैं जिनका कार्य विशेष मामले जैसे प्रांतीय गुप्तचर विभाग या सी बी आई द्वारा तहकीक हुए मामलों की भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अंतर्गत सुनवायी और आर्थिक अपराध जैसे मामलों की सुनवायी करना है। हाल ही में पटना में वैवाहिक मामलों को लेकर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गयी है। इसका कार्यभार जिला एवं सेशन जज संभाल रहे हैं।

बिहार में 55 राजस्व जिले हैं। लेकिन न्यायिक जजशिप केवल 37 हैं। 14 राजस्व जिलों में अलग से जिला न्यायाधीश नहीं है। इसी प्रकार 9 सब डिवीजन में सब डिवीजन न्यायालय नहीं है। 11 जिलों में स्थायी तौर पर अतिरिक्त जिला एवं सेशन और 14 सब डिवीजन में सब आर्डिनेट जज नहीं है।

प्रशासन व्यवस्था

बिहार के 1912 में बंगाल से अलग होने के बाद, राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित हुई। इस प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप 1936 में सुनिश्चित हुआ जब उड़ीसा बिहार से अलग कर एक पृथक प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1956 में राज्यों की सीमा पुनर्गठन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के पश्चात् वर्तमान बिहार की अन्तिम प्रशासनिक रूप-रेखा सामने आई। बिहार में प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का गठन अंग्रेजी साम्राज्य की देन है। यह प्रशासनिक व्यवस्था कई स्तरों पर भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासन के स्वरूप, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता में निहित की गई है जिसका विस्तारपूर्वक उल्लेख हम इस अध्याय के प्रथम खण्ड में देख चुके हैं। राज्य की सभी प्रशासनिक इकाईयों, विभागों एवं उपविभागों के संचालन, समन्वय एवं प्रशासन पर केंद्रीय स्तर पर ताल-मेल बैठाने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है।

सचिवालय—सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय है। राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन यहीं से होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीमंडल के नीचे आता है जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। बिहार में सचिवालय ने 1912 में राज्य की स्थापना के पश्चात् कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय सचिवालय में केवल आठ विभाग (नियुक्ति, राजनीतिक न्याय, शिक्षा, राजस्व, वित्त, लोक निर्माण तथा नगरपालिका) थे। राज्य में दो सदस्यीय राजस्व पर्षद का भी गठन किया गया था। 1924 से विभागों में लगातार वृद्धि हुई। 1955 में सचिवालय में 19 विभाग स्थापित थे जिनकी संख्या 1995 में बढ़कर 34 हो गई। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव कहलाता है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक लम्बी श्रृंखला होती है। इनका मुख्य कार्य (i) नीति निर्धारण (ii) विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन (iii) क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण, (iv) बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था (v) क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन (vi) समन्वय (vii) तथा दायित्वों के निर्वाह में विभागीय मन्त्रियों, राज्यमन्त्रियों एवं उपमन्त्रियों की सहायता करना है। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है।

प्रमण्डल (Division)—राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमण्डल है। प्रमण्डल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त (कमीश्नर) कहलाता है। प्रमण्डल के अन्तर्गत अनेक जिला पदाधिकारी होते हैं। आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरीय पदाधिकारी होता है। प्रमण्डल के अन्तर्गत अनेक जिले होते हैं। बिहार में 1936 में चार प्रमण्डल (तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटानागपुर) थे जिनकी संख्या 1995 में बढ़कर 14 हो गई। आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के जिला प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करता है परन्तु यह जिला अधिकारियों या उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के दिन प्रतिदिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

जिला (Districts)—राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख इकाई जिला है। जिला का प्रमुख जिलाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) कहा जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग में कई जिलों में इसे उप-आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) भी कहते हैं। जिला अधिकारी को इसके ऐतिहासिक कार्यों के अनुरूप कलक्टर भी कहा जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र में जिला स्तर विकास, प्रशासन एवं कल्याण से सम्बन्धित अनेक विभागीय पदाधिकारी होते हैं। यह जिला के सभी कामों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कलक्टर के रूप में इसका प्रधान ऐतिहासिक कार्य जिला में राजस्व एकत्र करना, भूमि रिकार्ड तैयार करना सर्वेक्षण करना तथा भू-सुधार का क्रियान्वयन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

करना था। जिला अधिकारी के रूप में यह जिला की कानून व्यवस्था तथा प्रशासन को निर्देश देने का भी काम करता है। हाल के वर्षों में इसे विकास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य सौंपे गये हैं। मध्य 1970 के दशक में जिला अधिकारी से विकास कार्यों को पृथक कर जिला विकास पदाधिकारी (DDC) का पद गठित किया गया जो जिला ग्राम विकास संस्थान का प्रधान होता है। जिला प्रशासन में विधि-व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रम में पृथककरण 2 अक्टूबर, 1981 से लागू किया गया, जब राज्य में पंचायती राज कार्यक्रम सुसंगठित रूप से चलाए जाने लगे। वर्त्तमान में जिलाधिकारी विधि व्यवस्था के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुर्नवास कार्य के दायित्व का भी निर्वाहन करता है। जिला अधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। यह जनता एवं प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी है तथा यह जिला चुनाव अधिकारी भी है।

प्रमण्डल एवं जिला की वर्त्तमान स्थिति—अंग्रेजी प्रशासन के प्रादुर्भाव के पश्चात प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जिलों में बाँटा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमण्डल थे और इन प्रमण्डलों को 16 जिलों में विभाजित किया गया था। 1947 से लेकर 1962 तक मात्र सहरसा सबडिविजन को जिला का दर्जा प्रदान किया गया परन्तु अगले 18 वर्ष में 15 नए जिलों का गठन हुआ तथा 1980 में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। 1990-95 के बीच 13 और नये जिले गठित किये गये।

बिहार भौगोलिक क्षेत्रफल में देश में 9वें स्थान पर है पर जिलों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 1995 के अन्त तक राज्य में कुल 55 जिले बन गये थे। वर्त्तमान में प्रमण्डलों एवं जिलों की स्थिति निम्न प्रकार है—

प्रमण्डल	जिला
1. पटना	पटना, नालन्दा, बक्सर, भोज़पुर, रोहतास, कैमूर
2. मगध	औरंगाबाद, गया, नवादा तथा जहानाबाद
3. सारण	गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिमी चम्पारण
4. तिरहुत	सीतामढ़ी, शिवहर, मुज़फ़्फ़रपुर तथा वैशाली
5. दरभंगा	मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर
6. कोसी	सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल तथा मधेपुरा
7. पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार
8. मुंगेर	मुंगेर, जमुई, लखीसराय तथा शेखपुरा
9. भागलपुर	भागलपुर तथा बांका
10. संथाल परगना	दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज तथा पाकुड़
11. उत्तरी छोटानागपुर	हजारीबाग, गिरीडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो तथा कोडरमा
12. दक्षिणी छोटानागपुर	राँची, गुमला, लोहरदग्गा, पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम
13. पलामू	पलामू तथा गढ़वा

नोट—पुस्तक की प्रतिलिपि तैयार होने तक सबडिविजनों, बाढ़ एवं लातेहार को जिला बनाने का निर्णय लिया जा चुका था।

● SAM SANDARD

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

CHART—I

बिहार में जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था

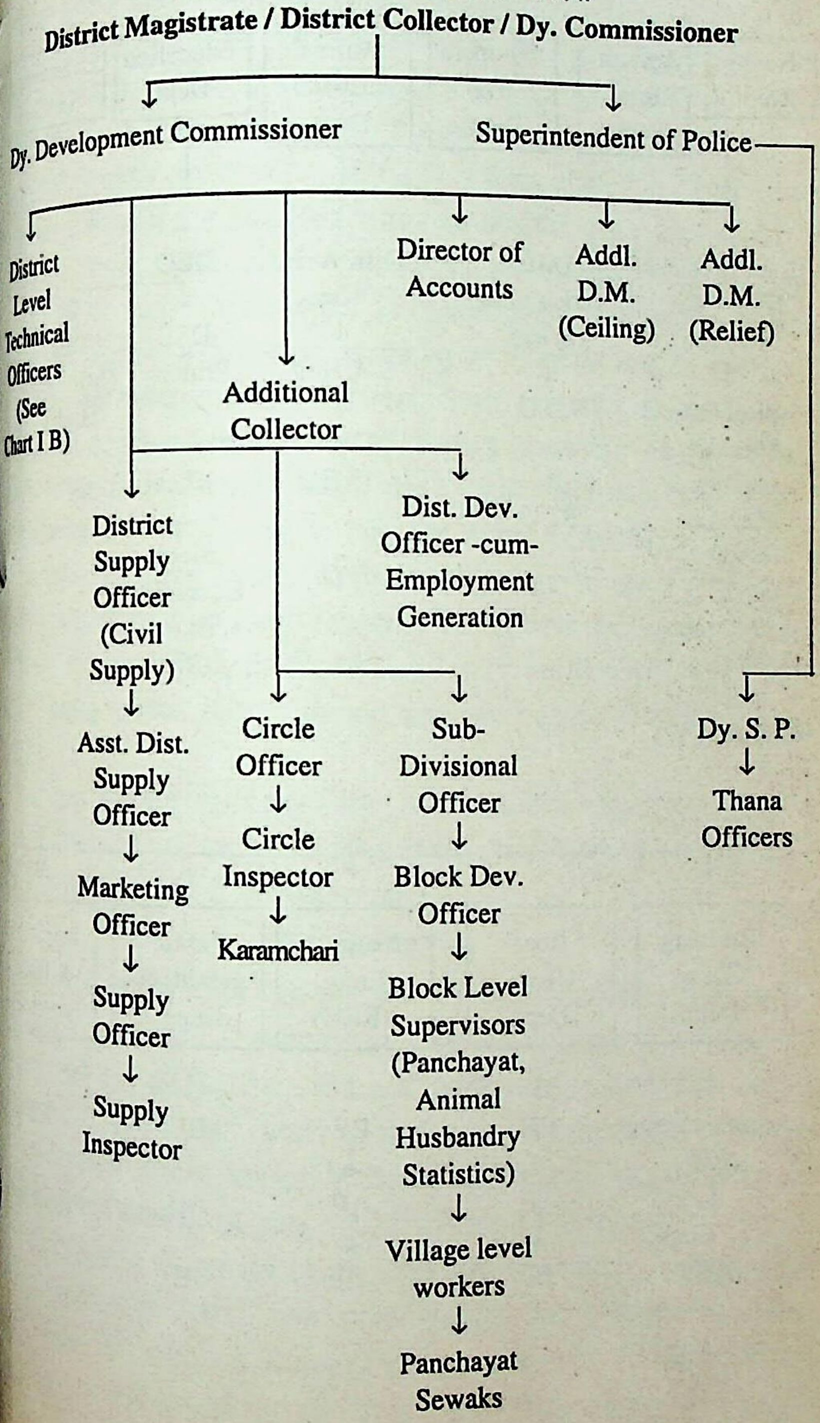

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

CHART—II

बिहार में जिला स्तर पर तकनीकी सेवा की संरचना

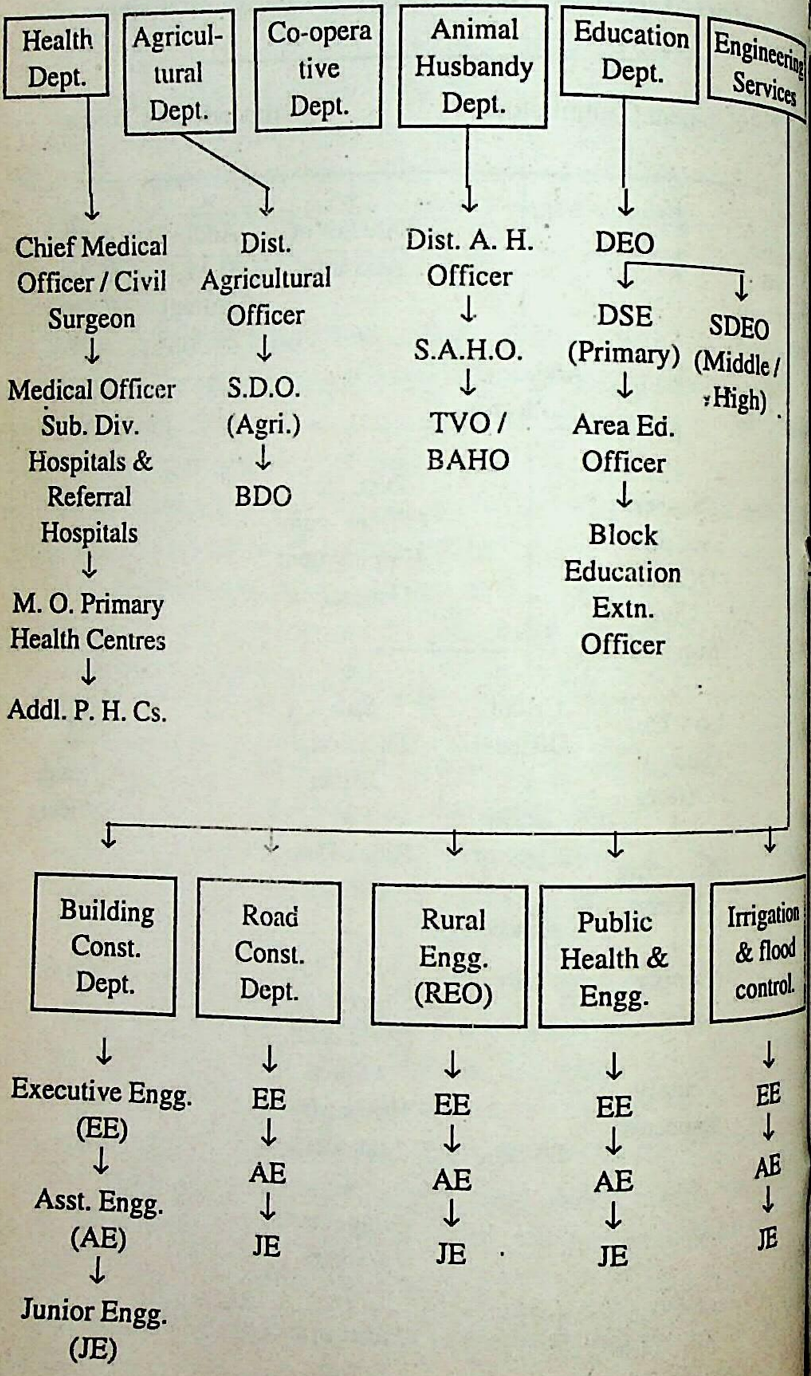

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अनुमंडल (Sub-Division)—कई प्रखण्डों को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है। अनुमंडल स्तर पर प्रशासन की बागडोर अनुमंडलीय पदाधिकारी (S. D. O.) के हाथ में होती है। अनुमंडलीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। सामान्यतः वह राज्य प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। इसकी शक्तियाँ तीन वर्गों में बाँटी जा सकती है (क) विधि प्रशासन (ख) राजस्व प्रशासन (ग) विकास प्रशासन। अनुमंडलीय अधिकारी पर प्रखण्डों के सर्किल अफसर पर नियन्त्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। यह पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेता है तथा प्रशासन एवं समिति के बीच कड़ी का काम करता है। इसके अधिनस्थ अनुमंडल स्तर पर नागरिक आपूर्ति एवं जनवितरण प्रणाली का भी भार होता है। उस पर स्थानीय निकायों के निर्वाचन, ग्राम पंचायतों के गठन तथा ग्रामीण गरीबी तथा रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं संचालन का भी दायित्व होता है।

सर्किल तथा प्रखण्ड (Block)—अन्य प्रदेशों की तरह ही बिहार में भी अनुमंडल को दो या अधिक राजस्व सर्किल में विभाजित करने की व्यवस्था है। कुछ सर्किल और प्रखण्ड एकरूपी होते हैं। सर्किल का प्रधान सर्किल अधिकारी होता है जिसके मातहत सर्किल इन्सपेक्टर होता है। सर्किल अधिकारी पर भू-राजस्व, भू-रिकार्ड तथा सरकारी या अधिग्रहित भूमि की देख-रेख का दायित्व है। प्रखण्ड कई गाँवों को मिलाकर बनता है। प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (B. D. O.) नियुक्त किया जाता है जो प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों की देखभाल करता है। इसके अधीनस्थ प्रारंभिक शिक्षा, कृषि विकास, पशुधन विकास, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, राहत तथा पुर्नवास जैसे कार्यों का दायित्व होता है।

प्रखण्ड के नीचे गाँव आते हैं जिनमें अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती बल्कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सर्किल अधिकारी ग्राम स्तर कर्मचारियों के द्वारा विकास एवं व्यवस्था से सम्बन्धित दायित्वों का निबटारा करता है।

स्थानीय प्रशासन

प्रजातन्त्र में स्थानीय प्रशासन का बहुत महत्व है। भारत में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था नगरपालिकाओं की स्थापना से प्रारंभ हुई जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्राम स्तर तक ले जाने का प्रयत्न किया गया। यह सत्ता के विकेन्द्रियकरण का ही नहीं बल्कि नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था को संचारित करने का कार्य करती है। इनके द्वारा विकेंद्रित प्रजातंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसके मुख्य अंग निम्न से हैं।

पंचायती राज व्यवस्था—24 अप्रैल, 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के पूर्व स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायत राज को संविधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। इस सूक्ष्म स्तरीय विकेंद्रित प्रशासनिक इकाई के प्रति आम जन एवं राजनीतिज्ञ दोनों ही उदासीन थे। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत व्यवस्था को शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन इस बात पर बल देता है कि सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में एकरूपता लाई जाए। इसीलिए

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसमें कुछ अनिवार्य (Mandatory) तथा कुछ ऐच्छिक (Discretionary) प्रावधान रखे गये हैं। संविधान की इसी पृष्ठिभूमि में **बिहार पंचायती राज अधिनियम** (1993) पारित किया गया।

संविधान व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में भी त्रि-स्तरीय है। सबसे निचले स्तर पर **ग्राम पंचायतों** का गठन किया जाएगा जो गाँव के स्तर पर होगी। प्रखण्ड स्तर पर **पंचायत समितियाँ** गठित की जाएँगी जो विकेन्द्रित प्रजातन्त्र के मध्य स्तर पर होगी। शिखर या तृतीय स्तर पर **जिला परिषद** का गठन होगा। **ग्राम सभा** अनिवार्य रूप से सभी प्रदेशों में गठित की जाएगी।

ग्राम सभा—ग्राम सभा का गठन संविधान के 73वें संशोधन में सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह विकेन्द्रित प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होगा। बिहार में ग्राम सभा की साल में चार बार बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है। बिहार में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक निगरानी समिति का गठन भी किया जाएगा जो स्थानीय प्रशासनिक कार्य के आंकलन एवं निगरानी का काम करेगी। ग्राम स्तर पर सभी पंजीकृत मतदाता इसमें सम्मिलित होंगे। इसका गठन प्रत्येक गाँव में किया जाएगा।

ग्राम पंचायत—बिहार में ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। इन चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान है ताकि महिला सशक्तिकरण (empowerment) को बल मिले और व्यवस्था एवं प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा और उसकी सहायता के लिए एक उपमुखिया का पद भी सृजित किया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्य दो-तिहाई बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकते हैं।

पंचायत समिति—इसका गठन बिहार में प्रखण्ड (Block) स्तर पर होगा। प्रत्येक पाँच हजार की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। इन सदस्यों के अतिरिक्त उस प्रखण्ड के ग्राम-पंचायतों के मुखिया तथा लोक सभा के सदस्य पंचायत समिति के (ex-officio) सदस्य होंगे। इस समिति में आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत समिति के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर तीन स्थाई समितियों (Standing Committees) के गठन की व्यवस्था है।

जिला परिषद्—बिहार पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन का प्रावधान है। इस परिषद् के सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चयन किया जाएगा तथा प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा। चयनित सदस्यों के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई है। बिहार में अध्यक्ष पद के लिए भी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। परिषद् की बैठक प्रत्येक तीन माह पर अनिवार्य रूप से होगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में जिला परिषद् की अनिवार्य रूप से वर्ष भर में 4 बैठकें की जाएँगी।

बिहार पंचायत राज अधिनियम (1993) प्रशासन के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए मील का एक पत्थर (Mile Stone) है। इस अधिनियम ने बिहार के 1947 और 1961 के पंचायती राज विधेयकों को निरस्त कर एक ठोस एवं सुदृढ़ व्यवस्था की आधारशिला रखी है। इस त्रि-स्तरीय पंचायती व्यवस्था के द्वारा प्रशासन को अधिक संवेदनशील, कुशल तथा उत्तरदायी बनाया जाएगा। इससे स्थानीय प्रशासन की निर्णय-प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी होगी और इसमें लोगों की भागेदारी भी बढ़ेगी।

बिहार में पंचायती राज के चुनावों के प्रति सरकार कटिबद्ध है परन्तु विलम्ब होने से विवाद एवं संदेह को बल मिलता है। वर्तमान (1995) में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जनवरी, 1996 तक पंचायती चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देश निर्गत किया है। बिहार में ग्राम पंचायत का पिछला चुनाव 1978 में, पंचायत परिषद का 1979 में तथा जिला परिषद् का 1980 में हुआ था। अब इनका नया चुनाव कराना अति अनिवार्य है। 1992 के संशोधन में यह व्यवस्था है कि यथाशीघ्र नई विधि पर आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत इनका चुनाव एक वर्ष के भीतर ही करा लिया जाए। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्य अवधि पाँच वर्ष की होगी और यह स्थानीय स्तर पर विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। इन संस्थाओं को अनेक वित्तीय अधिकार भी प्राप्त होंगे। पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।

राज्य वित्त आयोग—संविधान के 73वें संशोधन में राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य को इस आयोग का गठन करना होगा जो उन सिद्धान्तों के संबंध में अनुशंसा करेगा जिसके आधार पर विभिन्न स्तर पर सामानों का वितरण, कर, शुल्क आदि लगाने का अधिकार तथा सहायता अनुदान की राशि निश्चित की जाएगी। यह आयोग राज्य सरकार को त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने का सुझाव भी देगा। राज्य वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों के लिए दिशानिर्देश बनाने का काम राष्ट्रीय लोक वित तथा नीति संस्थान (NIPEP) को सौंपा गया है। राज्य वित्त आयोग के गठन हेतु राज्य सरकारों को विधिवत गठित करेगा तथा अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन को आगे की कार्यवाही के लिए विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाएगा।

झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद्
(Jharkhand Area Autonomous Council)

बिहार के दक्षिणी पठारी भागों में लगभग 50 वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद स्वायत्त प्रशासन की ओर पहले कदम के रूप में झारखण्ड क्षेत्र अधिवासी परिषद् के गठन के लिए एक समझौता हुआ है।

27 सितम्बर, 1994 को केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पर केन्द्र सरकार, बिहार सरकार तथा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (सोरेन ग्रुप) के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। भले ही इसके आलोचक इसे झारखंडियों के हाथ में 'झुनझुना' कहें परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस परिषद् के गठन से स्थानीय आदिवासी आबादी को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिलेगी।

परिषद का क्षेत्र—झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् के अंतर्गत बिहार के 18 जिलों को सम्मिलित किया गया। (1) पलामू (2) चतरा (3) गढ़वा (4) लोहरदग्गा (5) गुमला (6) राँची (7) पश्चिमी सिंहभूम (8) पूर्वी सिंहभूम (9) धनबाद (10) बोकारो (11) दुमका (12) पाकुर (13) साहेबगंज (14) गोड्डा (15) देवघर (16) गिरिडीह (17) हजारीबाग और (18) कोडरमा।

मूलतः पृथक राज्य की माँग में चार प्रांतों बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 28 जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, परन्तु फिलहाल केवल बिहार के ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों को इस स्वायत्त परिषद् में सम्मिलित किया गया है।

समझौते का स्वरूप—समझौते के अन्तर्गत इस परिषद् के 90% सदस्यों के निर्वाचन और 10% के मनोनयन से स्वायत्त परिषद् का गठन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस परिषद् में एक 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् होगी जिसका अध्यक्ष अनुसूचित जन-जाति का पार्षद होगा। इसके सचिवालय का प्रमुख एक सचिव स्तरीय पदाधिकारी होगा। इस परिषद् को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसूचित जन-जाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया है। इस परिषद् के गठन में इस बात की गारंटी दी गई है कि किसी भी स्थिति में राज्य सरकार इस परिषद् को भंग नहीं कर सकती। किसी विवाद के निबटारे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं कार्यकारी पार्षद के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालेंगे।

परिषद् को वित्तीय स्वायत्ता भी प्रदान की गई है। स्वायत्त परिषद् का अपना कोष होगा। इसमें राज्य योजना व्यय की कुल राशि का 25% योगदान किया जायेगा। परिषद् विधान के अन्तर्गत नियम एवं कानूनों का निर्माण करेगी तथा अपने अधिकार क्षेत्र में पंचायतों, ग्राम सभाओं, नगरपालिकाओं की देख-रेख एवं निगरानी इत्यादि का कार्य करेगी। परिषद् स्थानीय प्रशासन के नियमन एवं निगरानी पर प्रभावी निगरानी रखेगी।

इस परिषद् के गठन को व्यावहारिक रूप देने के लिए सरकार ने इसे राज्य विधान सभा के विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया। इसके पूर्व सरकार ने **झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद्** का पारित बिल वापस ले लिया जो राष्ट्रपति के पास लम्बित पड़ा हुआ है। इस विकास परिषद् में अधिकतर सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान था। स्वायत्त परिषद् के गठन से राज्य सरकार की परिषद् के कार्यों में हस्तक्षेप कम हो जाएगा।

झारखण्ड स्वायत्त परिषद् का विधिवत चुनाव होने तक राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह एक **प्रोविजनल परिषद्** का गठन करे जिसमें इस क्षेत्र के सांसद एवं विधानसभा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सदस्यों तथा झारखण्ड आन्दोलन के नेताओं को सम्मिलित किया गया है।

झारखण्ड के सभी नेता इस समझौते से खुश नहीं हैं। अखिल झारखण्ड छात्र संघ तथा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (सोरेन ग्रुप) ने इसके विरोध में कई बार दक्षिण बिहार बन्द का आह्वान किया है। उनका मानना है कि जब तक 4 राज्यों में बँटे झारखण्ड क्षेत्र को एकत्र कर एक पृथक झारखण्ड राज्य नहीं बनाया जाता तब तक उनका संघर्ष समाप्त नहीं होगा।

शहरों में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था

नगरपालिका (Municipality)—स्थानीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी नगरपालिका है। भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगरपालिका विधेयक बना। 1870 तक लगभग 200 नगरों में नगरपालिका का गठन किया जा चुका था। बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में जिनकी आबादी 10000 से अधिक थी। नगरपालिका का गठन हो चुका था। 1919 में ही Montagu-Chelmsford रिपोर्ट की अनुशंसा पर इसे जिला प्रशासन से मुक्त कर नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया। नगरपालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिक सुविधा का निर्माण एवं उसका रख-रखाव है। इसको अपने कार्य संपादन हेतु कर लगाने (गृह कर, जल-मल निकासी, शिक्षा तथा चिकित्सा शुल्क, आमद शुल्क आदि) का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इसे राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। नगरपालिका का संचालन निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है तथा इसका मुखिया निर्वाचित अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष की सहायता हेतु एक उपाध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। इसकी सेवाओं का संचालन इसके अपने नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। नगरपालिकाएँ अति राजनीतिकरण एवं राज्य सरकार से सही तालमेल के अभाव में अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी हैं। अमितव्ययता, अत्यधिक नियुक्तियाँ, राजनीतिक एवं प्रशासकीय हस्तक्षेप, अनुशासनहीनता, आदि अन्य कुप्रथाएँ इसकी कुशलता को बाधित करती है।

नगर निगम (Municipal Corporation)—बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था एवं सुविधा की देख-भाल के लिए नगर निगमों का गठन किया गया है। इसका अधिकारक्षेत्र नगरपालिकाओं से अधिक विस्तृत होता है तथा इसे साधन जुटाने के लिए कर एवं अनुदान के अधिक स्रोत प्राप्त हैं। नगर निगम सामान्यतः उन्हीं नगरों में स्थापित किए गए हैं जहाँ की आबादी 3 लाख से ऊपर हो चुकी है। निगमों के द्वारा जन सुविधा, गन्दी बस्ती उद्धार, जलमल निकासी, प्रारंभिक शिक्षा एवं चिकित्सा, सड़कों पर रौशनी एवं शहरी सड़क की देख-भाल का काम समर्पित है। नगर निगम की संरचना निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें मनोनित सदस्य भी होते हैं तथा एक उच्च राज्य कर्मचारी इसका प्रशासक नियुक्त किया जाता है। 1992 में संविधान के 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय प्रशासन के रूप में जिला परिषदों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगम के समय पर चुनाव, चयन में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण तथा प्रशासकीय कार्यों के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

उन्नान्यास तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण—भारत में शहरी विकास के साथ-साथ यह महसूस किया जाने लगा कि शहरों के सुनियोजित विकास तथा नागरिक सेवा के रख-रखाव के लिए विशेष सत्ता का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बम्बई महानगर में 1898 में उन्नान्यास गठित किया गया। तदुपरान्त देश के अन्य नगरों में उन्नान्यास (Improvement Trust) की व्यवस्था की गई। बिहार में पटना, राँची तथा गया में 1965 तक उन्नान्यास गठित हो चुके थे जो वर्तमान नागरिक सुविधा के रख-रखाव एवं भावी विकास के प्रति उत्तरदायी थे। 1975 में उन्नान्यास की जगह राँची एवं मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन हुआ। पटना (1967) गया (1984) तथा दरभंगा (1984) में भी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इनका गठन राज्य सरकार ने पृथक-पृथक अधिनियमों द्वारा किया है। यह स्वायत्त संस्थाएँ हैं जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन प्राधिकरणों (Regional Development Authorities) का उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र के नगरों के लिए मास्टर प्लान बनाना तथा नागरिक सुविधा को बनाए रखना है। इन प्राधिकारों को स्थानीय नगर विकास की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए जो नगर निगमों के साथ-साथ नगर विकास में जुटी हुई हैं।

समसामयिक राजनीतिक समस्याएँ

1. झारखण्ड आन्दोलन

भौगोलिक रूप से बिहार छोटानागपुर के पठारों में बिखरे भूखण्ड को झारखण्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। झारखण्ड का अर्थ ''जंगल झाड़वाला क्षेत्र'' है परन्तु इसका अपना गौरवशाली इतिहास है। झारखंड क्षेत्र वास्तव में दक्षिण बिहार, बंगाल तथा मध्य प्रदेश के 21 आदिवासी बहुल जिलों में फैला हुआ है पर वर्त्तमान में पृथक राज्य की माँग केवल बिहार के आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—इतिहासकारों के अनुसार झारखंड का पृथक अस्तित्व मगध साम्राज्य के पूर्व से ही चला आ रहा है। मुगल काल में इसे कुकरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार 1765 के बाद बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। धीरे-धीरे इस झारखंड के नाम से जाने जाना लगा। इसी काल में गैर जनजातीय आबादी इस क्षेत्र में बसने लगी जिससे स्थानीय आबादी प्रभावित हुई। नव आगंतुकों को आदिवासियों ने दीकू का नाम दिया तथा उनके विरुद्ध उनका विरोध ब्रिटिश शासन के प्रति केन्द्रित हुआ और 1831-32 में कोल विद्रोह, 1832 में भूमिज विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह हुए। 1895 में बिरसा के नेतृत्व में प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह हुआ।

1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में आदिवासियों की जनसंख्या 58 लाख है जो बिहार की कुल आबादी का 7·6 प्रतिशत तथा देश की कुल आदिवासी आबादी का 10·5 प्रतिशत है। इनकी भाषागत, आर्थिक उपार्जन एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण अलग पहचान बनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस क्षेत्र के औद्योगिक एवं खनन् विकास क्रम में बड़ी तेजी से गैर आदिवासियों की आबादी बढ़ने लगी। भूमि बेदखली, साहुकारी व्यवस्था के प्रसार तथा जंगलों की बेरोक-टोक कटाई से आदिवासी जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा तथा एक बार फिर इन्होंने बाहरी लोगों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया।

झारखंड आंदोलन का स्वरूप—आदिवासियों द्वारा संगठित आंदोलन चलाने के लिए पहली बार 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज के नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ परन्तु आपसी मतभेद एवं नेतृत्व के अभाव में यह संगठन प्रभावशाली नहीं बन सका। 1938 में इंगलैंड में शिक्षित जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ जिसने 1940 के पहले आम चुनाव में भाग लिया। 1950 में इस संगठन के झारखंड पार्टी का नाम दिया गया जिसने धीरे-धीरे पूरे दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस पार्टी ने अलग राज्य के मुद्दे को अपनी चुनावी मुहिम का मुख्य आधार बनाया तथा 1952 एवं 1957 के चुनावों में दक्षिणी बिहार का महत्वपूर्ण विपक्षी दल बन कर उभरा। कांग्रेस ने 'लड़ाओ और राज करो' की नीति का अनुसरण कर 1963 में जयपाल सिंह को राज्यमंत्री मण्डल का सदस्य बना कर पुरस्कृत किया जिसका झारखंड के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने विरोध किया और धीरे-धीरे यह दल आपसी कलह एवं विभाजन का शिकार हो गया।

झारखंड आन्दोलन का दूसरा दौर 1978 में शुरू हुआ जब शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। विभिन्न घटकों में समन्वय के अभाव में मोर्चे का प्रभाव सीमित रहा। 1980 के प्रारंभ में वी० पी० चौधरी की पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य की मांग को लेकर युवा पीढ़ी का आह्वान किया इसके तुरंत बाद झारखण्ड स्टुडेन्ट्स युनियन नामी युवकों एवं छात्रों के संगठन ने झारखंड आंदोलन की बागडोर संभाल ली। असम में आसू (AASU) तथा गोरखालैण्ड की सफलता से प्रेरणा लेकर इस छात्र संगठन ने व्यापक पृथकवादी आन्दोलन छेड़ दिया जिसने कई जगहों पर हिंसक रूप धारण किया तथा कोयला एवं अन्य खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन का वितरण बाधित हुआ। आन्दोलनकारियों में फूट पड़ने से इसका प्रभाव तो कम हुआ, परन्तु अंततः राज्य एवं केन्द्र सरकार को समस्या के अस्थाई समाधान के रूप में झारखंड प्रशासी परिषद् की योजना को स्वीकृति देनी ही पड़ी।

वर्तमान झारखंड आंदोलन के कारण—आदिवासी जनजीवन जंगल एवं भूमि से जुड़ा हुआ है। आगंतुकों के आकर बसने, औद्योगिकीकरण तथा सिंचाई परियोजनाओं एवं बाँध के निर्माण से इस क्षेत्र में भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हुआ। 1951 से 1972 के बीच बिना मुआवजा दिये 9.2 लाख हेक्टर भूमि का सार्वजनिक परियोजनाओं, शहरीकरण एवं औद्योगिक नगरों के लिए अधिग्रहण हुआ जिससे आदिवासी किसान की श्रेणी से गिरकर भूमिहीन मजदूर बनते चले गये। साहुकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण तथा खनन् क्षेत्र में उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बुलाए गए भाड़े के लठैतों ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किये हैं जिससे इनका जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। आज 32 प्रतिशत से अधिक आदिवासी भूमिहीन श्रमिक बन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गए हैं जबकि 1960 में 72 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्तिगत कृषक थे।

मैदानी इलाकों से आकर इस क्षेत्र में लोगों के बसने के कारण आदिवासियों का कुल आबादी में स्थान शहरों में घट कर 35 प्रतिशत रह गया है। उत्तरी बिहार के अतिरिक्त बड़ी संख्या में यहाँ पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती एवं तमिल समुदाय आकर बसा हुआ है जिसके कारण स्थानीय लोगों को उद्योगों एवं परियोजनाओं में रोजगार नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक उपार्जन का अधिकांश भाग इस क्षेत्र से बाहर चला जाता है जिससे इस क्षेत्र के आय-वितरण में घोर असमानता उत्पन्न हुई है। दक्षिण के पठारी इलाकों में निर्माण के अतिरिक्त भारत की कुल प्राकृतिक संपदा का 16 प्रतिशत भाग छिपा है तथा प्रतिवर्ष इस क्षेत्र से रु० 2000 करोड़ से अधिक की खनिज संपदा का विदोहन होता है पर आदिवासी के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था ठीक से लागू नहीं होने पर इन्हें इसका पूरा लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आदिवासी कल्याण एवं विकास की अधिकतर परियोजनाएँ नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है।

ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन तथा हिन्दू साम्प्रदायिकता से प्रेरित राजनीतिक दल द्वारा पृथक वनांचल की माँग ने भी झारखंड आन्दोलन को गति प्रदान की है। वनांचल की माँग में आदिवासी समुदाय के बजाये बाहरी लोगों का बोलबाला है जिसने आदिवासी संगठन द्वारा राज्य की माँग को तेज कर दिया। इस प्रकार आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण की व्यवस्था ने झारखण्ड आंदोलन को उग्र रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों एवं राजनीतिक दाँव-पेंच से यह आन्दोलन कुछ फीका हुआ और ये लोग इस समस्या का राज्य के अन्दर ही रह कर समाधान ढूँढने के लिए राजी हुए। वार्ताओं के अनेक दौर तथा आपसी समन्वय एवं लेन-देन के माहौल में यह वार्ता सितम्बर, 1994 में निर्णायक दौर में पहुँची।

2. नक्सलवाद

मध्य और दक्षिण बिहार में उग्र-वामपंथी संगठनों का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। नक्सली संगठनों के प्रभाव के पीछे मूलतः भूमि, रोजगार और विकास में सामाजिक न्याय के मुद्दा हैं। इन वाम संगठनों में इन्डियन पीपुल्स फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) तथा इनके उप संगठन या सहयोगी जैसे पार्टी युनिटी, माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर, कृषक मजदूर संग्राम परिषद् आदि प्रमुख है। बिहार में जहाँ लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है वहीं साधनों के वितरण में असमानता के कारण आय एवं धन के वितरण में घोर विषमता है जिसके कारण समय-समय पर वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इसी विषमता एवं शोषण को अपने कार्य क्षेत्र का आधार बनाकर वाम संगठन विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हो गये हैं।

ग्रामीण समस्या का स्वरूप—बिहार राज्य में कुल आबादी का 86·86 प्रतिशत गांवों में वास करता है जबकि सर्वभारतीय औसत 74·29 प्रतिशत है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के मात्र 44 प्रतिशत पर खेती होती है परन्तु कार्यकारी कृषि मात्र 31 प्रतिशत भूमि पर ही होती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में औसत जोत की इकाई 0·93 हेक्टर है जबकि सर्वभारतीय औसत जोत 2·3 प्रतिशत है। इन सबके अतिरिक्त यहाँ औसतन 32 से 35 प्रतिशत लोग भूमिहीन मजदूर हैं तथा कुछ एक क्षेत्रों में तो यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है। फलतः उत्पादन के साधन के स्वामित्व में घोर विषमता अन्याय एवं शोषण को जन्म देती है। बिहार का बड़ा भू-भाग आज भी सामन्ती व्यवस्था की चपेट में है। भूमि सुधार के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा भूमिहीनों एवं सीमान्त किसानों के शोषण ने वामपंथी नक्सली संगठनों को फूलने-फलने का पूरा अवसर दिया है।

नक्सली प्रभाव क्षेत्र—नक्सली दल अधिकतर उन क्षेत्रों में अधिक संगठित हैं जहाँ बाहरी उग्रवादियों का मुक्त प्रवेश है। उन्हीं की देखरेख में ऐसे स्थानीय संगठन वृहत रूप धारण करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण बिहार में कन्हाई चटर्जी की देखरेख में क्रांतिकारी किसान समिति (लालखण्डी) मध्य बिहार में डा० विनायन द्वारा इन्डियन पीपुल्स फ्रंट तथा विनोद मिश्रा द्वारा साम्यवादी (मा० ले०)·दल का गठन। ये संगठन राज्य के 55 जिलों में कमोबेश 30 जिलों को अपनी चपेट में लिए हुए है। इन्होंने मध्य बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, भोजपुर तथा रोहतास में समानान्तर सरकारों का गठन किया है और जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया में तो एम० सी० सी० का इतना बोलबाला है कि आम जनता न्याय प्राप्त करने के लिए इसकी ही अदालत में फरियाद करती है।

नक्सली संगठनों में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (एम० सी० सी०), कम्युनिस्ट पार्टी (मा० ले०), लिबरेशन गुट, पार्टी युनिटी, मजदूर किसान संग्राम समिति (एम० के० एस०) आदि प्रमुख हैं। इन संगठनों में जनाधार बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व स्थापित करने की ललक भी बढ़ी है जो हिंसक वारदातों के रूप में सामने आयी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नक्सली संगठन का खुफिया तंत्र अधिक सक्षम है। इन संगठनों की धमकी एवं आर्थिक नाकेबन्दी के कारण खेती-बाड़ी के कामों में बाधा ही नहीं उत्पन्न होती बल्कि अनेक क्षेत्रों से बड़े किसानों का शहरों की ओर पलायन भी शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी के समीप दुल्हिनपुर, परसा, मसौढ़ी, अकबरपुर, मखदुमपुर, सावनविगहा, मीन, बरसीमा, पालीगंज, आदि गांव एवं प्रखण्ड वाम-उग्रवादी गतिविधियों का गढ़ बने हुए हैं। जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया के अनेक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनानेवाली एम० सी० सी० ने मदनपुर पहाड़ियों में अपना मुख्यालय बना लिया है जहाँ से वह अपनी समानान्तर सरकार चलाती है।

समस्या का समाधान—समस्या केवल विधि-व्यवस्था की पुर्नस्थापना की नहीं है। इस आन्दोलन का बीज भूमि वितरण में विषमता तथा भूमिहीन मजदूरों के अमानवीय शोषण में छुपा है और वहीं इसका निराकरण भी ढूँढ़ना होगा। सर्वप्रथम बिहार में यदि यथाशीघ्र बटाईदारी प्रथा समाप्त कर काश्तकारों को भूमि की मिल्कियत का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता तो कम से कम बटाईदारों के अधिकार की कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। भूमिहीन श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने का प्रयास मजदूरी से ही संबंधित है। यह भी आवश्यकता है कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उग्रवाद से प्रभावित गांवों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (IRDP) के अन्तर्गत अधिक साधन वितरण द्वारा गरीबों को आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 100 दिवसीय रोजगार की व्यवस्था तेज की जाए ताकि इन्हें गैर कृषि कार्यों में अधिक रोजगार का अवसर मिल सके।

3. लालखण्ड आंदोलन

बिहार के जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घोर आर्थिक विषमता एवं असुरक्षा ने अनेक उग्रवादी आन्दोलनों को जन्म दिया है। इन आन्दोलनों की एक बहुचर्चित कड़ी लालखण्डी आंदोलन भी है। यह एक वामपंथी आंदोलन है। इसका संचालन क्रांतिकारी किसान समिति द्वारा दक्षिण बिहार के प्राकृतिक संपदा से प्रचुर जिला धनबाद एवं उसके निकटवर्ती इलाके में किया जा रहा है। आंदोलन का उपनाम लालखण्डी इसके वामपंथी नेतृत्व के कारण पड़ा है।

समस्या का स्वरूप—लालखण्डी आन्दोलन प्रधानतः भूमि के विषमतापूर्ण वितरण तथा उसकी मिल्कियत में त्रुटिपूर्ण हस्तान्तरण से संबंधित है। दक्षिण बिहार के इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में जमींदार साहूकार एवं बाहर से आये लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं बड़ी संख्या में आदिवासियों के उनके परम्परागत खेती के अधिकार से वंचित किये जाने के कारण इस क्षेत्र में उग्रवादी संघर्ष की भावना भड़कने लगी। गरीब एवं पिछड़े आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने के नाम पर ही इस आन्दोलन की नींव पड़ी।

आन्दोलन का संचालन—इस क्षेत्र में वामपंथी गतिविधियों की शुरूआत 1971 में हुई जब माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के प्रधान श्री कन्हाई चटर्जी नामक क्रान्तिकारी नेता टुण्डी में आए। इन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ पहले नक्सलवादी दर्शन से संबंधित पर्चों एवं पुस्तकों के वितरण से वामपंथी विचारधारा के प्रति जागरूकता फैलाई। श्री चटर्जी तथा टुण्डी के मुखिया ने मिलकर आसपास के ग्रामीण आदिवासियों को शोषण विहीन समाज की संरचना की बात समझाई तथा उनका समर्थन एवं विश्वास प्राप्त किया। इस संगठन ने 'काम दो, रोटी दो' का नारा बुलन्द कर आम जनमत बनाने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। एक तरफ से आदिवासी अपने पूर्वजों की जमीन पर खेती के अधिकार से वंचित होते जा रहे थे तो दूसरी ओर खदानों एवं शहरी रोजगार की सुविधाओं में बाहरी लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के कारण अन्य रोजगार प्राप्त करने में भी असफल थे। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भूख एवं दरिद्रता की थी। ऐसे नारों ने खास कर नवयुवकों को बहुत प्रभावित किया और लालखण्डी आन्दोलन को व्यापक समर्थन का आधार मिला।

लालखण्डी आन्दोलन के नेताओं ने अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से श्री कन्हाई चटर्जी ने मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन सेन्टर तथा कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) से संपर्क स्थापित किया। इसी काल में उसने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से भी तालमेल बैठाकर उनका समर्थन प्राप्त किया। 1977 तक क्रांतिकारी किसान समिति द्वारा संचालित इस उग्रवादी वामपंथी आन्दोलन ने दक्षिण बिहार के इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अपनी गहरी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पहचान बना ली। वामपंथी संगठन की सफलता से प्रेरित होकर यह नारा दिया जाने लगा कि "झारखण्ड को लालखण्ड में बदल दो"। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा तथा अन्य आदिवासी संगठनों ने भी इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन किया तथा शिक्षित नवयुवक वर्ग में भी इस आन्दोलन के प्रति व्यापक सहानुभूति देखी गई।

शोषण विहीन समाज की संरचना करने का नारा देनेवाले इस संगठन ने 1984 से हथियारबन्द आन्दोलन का आह्वान किया। इसकी संरचना बहुत हद तक बंगाल, केरल एवं आन्ध्रप्रदेश के उग्रवादी वामपंथी अथवा नक्सली संगठनों की तरह ही है। इसने एक अत्यन्त ही जटिल भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना वाले क्षेत्र में वर्ग संघर्ष की धारणा पर आधारित हिंसक कार्यवाहियों से प्रशासन को परेशान कर रखा है।

इस संगठन द्वारा हिंसक कार्यवाही के दो उद्देश्य है। यह पहचान किये गये "वर्ग शत्रु" पर हमला कर पीड़ित एवं दलित वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह अपने राजनीतिक कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सके। दूसरा उद्देश्य ऐसी हिंसात्मक कार्यवाहियों से अधिकतम प्रचार तथा प्रशासन पर प्रभाव प्राप्त करना है। धनबाद एवं गिरिडीह जिला की सरहद पर स्थित पारस नाथ पहाड़ी के समीपवर्त्ती जंगल इस संगठन के कार्यकर्त्ताओं को एक अच्छा ठिकाना एवं कार्य संचालन का अवसर देते हैं। पुलिस एवं सैन्य दस्तों का इन जंगली पहाड़ी इलाकों में जुझारू उग्रवादियों से मुकाबल करना कठिन होता जा रहा है।

सनलाईट सेना का गठन—उग्रवादी लालखण्डियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जमींदारों, सामन्तों, साहुकारों तथा बड़े किसानों ने सनलाईट सेना का गठन किया है जिसमें अधिकतर बाहरी पेशेवर मुजरिमों की सहायता से उग्रवादियों के विरूद्ध जवाबी कार्यवाही की जाती है। इसका गठन मुख्य रूप से प्रशासन एवं पुलिस की लालखण्डियों को रोक पाने में असमर्थता के कारण हुआ है। सनलाईट सेना ने बदले की भावना से कई बार निर्दोष लोगों को अपने रोष का निशाना बना दिया जिससे इस क्षेत्र में विधि एवं व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार के संगठन प्रभाव बढ़ने से अब धीरे-धीरे सामन्तवादी निजी सेनाओं के गठन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कलह की संभावना प्रबल हो रही है।

उग्रवादी वामपंथी संगठन तथा प्रतिक्रियावादी सामन्ती सेनाओं का गठन अब दक्षिण बिहार में ही तक सीमित नहीं है बल्कि अब यह केन्द्रीय, पश्चिमोत्तर एवं उत्तरी बिहार में भी आम बात हो गई है। इनके उदय एवं आपसी टकराव का मुख्य कारण प्रशासन एवं पुलिस की अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता है। इस संबंध में यदि शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही न की गई तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी।

4. बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद

विवाद का स्वरूप—बिहार के बंगाल प्रांत से पृथक होने के साथ ही साथ बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद पश्चिमोत्तर सीमा पर भू-स्वामित्व एवं राजस्व वसूली से संबंधित था। स्वतंत्रतापूर्व, तत्कालीन भारतीय सचिव ने इस विवाद को सुलझाने के उपाय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के रूप में यह मत दिया था कि इस विवादित भू-खण्ड को डुमरांव के जमीन्दारों से आसान किस्तों में खरीदकर उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित नरही के किसानों को बेच दिया जाए। उस समय से ही नरही एवं उसके आसपास के इलाके के किसानों ने बिहार के इस क्षेत्र में भू-खण्ड पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास तीव्र कर दिया था। हालांकि उनके पास इस भूमि के स्वामित्व का कोई ठोस सबूत नहीं था। भू-स्वामित्व का यह विवाद नैनीजोट दियारा पश्चिम नैनीजेर नरौठ तथा नैनीज़ोर के सीमावर्ती 7062 एकड़ भूमि का है जो गंगा नदी के धारा परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश की सीमा में चली गई है। इसके अतिरिक्त अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर बिहार के 145 गांवों की 42 हजार एकड़ भूमि को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव एवं विवाद बना हुआ है।

त्रिवेदी आयोग—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस विवाद को निबटाने के लिए केन्द्र सरकार ने पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर श्री सी० एम० त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र आयोग का 1962 में गठन किया। आयोग ने गहन जाँच एवं विवादित भूमि की कानूनी स्थिति की पूर्ण जाँच के पश्चात् 28 अगस्त 1964 को अपना अन्तिम प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को सुपुर्द कर दिया। इस रिपोर्ट में विवाद को सुलझाने के लिए दोहरी व्यवस्था पर बल दिया गया—

★ जो गाँव 1881 से 1963 के बीच जिस अवस्था में थे उसी के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाएँ निर्धारित की जाए।

★ इसी सीमा निर्धारण के अतिरिक्त आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि घाघरा एवं गंगा नदी की धारा परिवर्त्तन के कारण एक राज्य की भूमि दूसरे राज्य में चली जाती है तब उस भूमि पर पहले वाले भूस्वामी का ही दखल कब्जा रहेगा।

त्रिवेदी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के क्रम में 1968 में बिहार उत्तर प्रदेश सीमा अधिनियम पारित हुआ। इसके अन्तर्गत बिहार के भोजपुर से 985 गाँव, सीवान से [illegible] गाँव तथा सारण से 5 गाँव, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद को सौंपे गये तथा बदले में भोजपुर को 22 गाँव, सीवान को 12 गाँव तथा सारण को 5 गाँव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। इस अदलाबदली में बिहार को ही भौतिक क्षति हुई क्योंकि इसे 114 गाँवों के बदले मात्र 39 गाँव प्राप्त हुए। बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा अधिनियम 1970 से प्रभावी हुआ और भारत सरकार के महासर्वेक्षक ने त्रिवेदी आयोग के आधार पर दोनों राज्यों के बीच सभी निर्धारण कार्य पूराकर क्षेत्र का नक्शा निर्माण किया।

वर्त्तमान स्थिति—सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र हासनगर (बलिया जिला) तथा बिहार के नौनीजोर इलाका है। नई सीमा निर्धारण को लेकर संबंधित राज्यों के अधिकारियों एवं किसानों के बीच पुनः विवाद खड़ा हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भू-रिकार्ड अधिकारियों ने नैनीजोर की छः हजार एकड़ भूमि बिहार को सौंपने से इन्कार कर दिया तथा भोजपुर प्रशासन द्वारा यहाँ के किसानों को दी गई रैयत बहाली को बलिया प्रशासन ने नहीं माना। इस विवाद के कारण उत्तर प्रदेश के किसान बिहार के किसानों की खड़ी को फसलों को रक्षावाहिनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सहायता से काट ले जाने लगे। 1981 में बिहार के किसानों ने पटना उच्च न्यायालय में इस तथ्य का मुकदमा दायर किया। उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1983 को आदेश जारी किया कि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे तथा बिहार एवं उत्तर बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर रैयती अभिलेखों के आधार पर इन किसानों का वाजिब अधिकार बहाल करे। फरवरी, 1988 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले का अनुमोदन किया।

न्यायालयों के आदेशों एवं सीमा अधिनियम व्यवस्था के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के भू-रिकार्ड अधिकारी एवं किसान मनमानी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमावर्ती इलाकों में यह विवाद हिंसा एवं भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। इस विवाद का हल अन्तर राज्यीय प्रक्षेत्रीय परिषद् में समस्या को ले जाने से भी शायद ही मुमकिन हो।

5. बिहार-नेपाल सीमा विवाद

विवाद का स्वरूप—राष्ट्रीय सीमा विवाद के साथ ही साथ बिहार की उत्तरी सीमा पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विवाद जन्म ले चुका है। बिहार नेपाल सीमा का निर्धारण 1882-83 में कैप्टन टेनर द्वारा किया गया था परन्तु नेपाल की शाही सरकार ने इसे पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया। 1935 में श्री मैन्सफील्ड के नियंत्रण में इस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कराया गया और उस आधार पर एक नई सीमा का निर्धारण हुआ परन्तु बाद में चलकर नेपाली सरकार ने उसे भी मान्यता देने से इन्कार कर दिया। जनवरी, 1989 से सीमा विवाद एवं अतिक्रमण ने और भी जोर पकड़ लिया है जिससे बिहार के कई गाँवों के कृषकों को अपनी भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

बिहार नेपाल सीमा पर लगभग 5379 एकड़ भूमि पर नेपालवासियों ने अतिक्रमण कर लिया है। वर्तमान विवाद के गहराने का मुख्य कारण बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पम्पुरवा गांव की 306 एकड़ जंगल की भूमि तथा पशुनी एवं बल्गंग्वा गांवों की 5073 एकड़ जमीन पर नेपाली नागिरिकों द्वारा बलात् अतिक्रमण हुआ है। इसी प्रकार सीमावर्ती गाँव सुखता में भी एक बड़े भूखण्ड पर नेपाली नागरिकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। यह नवीन विवाद गंडक नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के कारण जन्मा है। बिहार सरकार ने भी विधिवत् यह स्वीकार किया है कि राज्य की 5040 एकड़ भूमि पर नेपाली नागरिकों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है।

विवाद निपटारे का प्रयास—बिहार-नेपाल सीमावर्ती भूखण्डों के अतिक्रमण एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने के लिए 1989 से सरकारी प्रयासों में तेजी आयी है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्रालय ने केन्द्र को इस संबंध में सभी तथ्यों की जानकारी करायी। इस विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान करने के उद्देश्य से 1989 में ही लखनऊ में मध्य कमांड की एक संयुक्त बैठक हुई और उसका प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेज दिया गया। केन्द्र सरकार की पहल पर जून, 1992 को काठमांडू में बिहार सरकार, भारत एवं नेमाल सरकारों के प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई परन्तु इस बैठक में किसी ठोस निर्णय तक नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पहुँचा जा सका और यह मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। बैठक में कुछ मुद्दों पर जो आप सहमति हुई भी थी उसे नेपाल सरकार ने क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया।

नेपाल सरकार के इस विवाद के संबंध में उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण बिहार-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना रहता है तथा अब यह तनाव काचोराना, झोरखर एवं अन्य निकट गाँवों में भी फैल रहा है। विवाद को सुलझाने का गंभीरता से यदि प्रयास नहीं किया गया तो यह आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर सकता है जिससे भारत की छवि पर आंच आएगी।

बिहार-नेपाल सीमा के संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की संयुक्त एवं प्रभावशाली कार्यवाही इस विवाद को हल करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियों एवं ऐतिहासिक भू-दखल पद्धतियों के कारण इसका स्थाई हल निकालना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है।

6. बिहार के विधान-सभा चुनाव, 1995

बिहार चुनाव (1995) को स्वतन्त्र भारत में किसी राज्य की चुनाव प्रक्रिया में सबसे लंबे चुनावी दौर के नाम से याद रखा जाएगा। 16 जनवरी, 1995 को इसकी विधिवत घोषणा के पश्चात यह लगभग चार माह तक खण्ड-खण्ड में चलता रहा। सर्वप्रथम राज्य चुनाव तीन चरणों में 5, 7 तथा 9 मार्च को होना था। परन्तु पहचान पत्र जारी करने के प्रश्न पर राज्य सरकार एवं निर्वाचन आयोग में विवाद हो जाने के कारण चुनाव की प्रक्रिया आगे चलती नहीं जा पड़ती थी। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद बिना पहचान-पत्र के ही चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग सहमत हुआ और 11, 15, 19 मार्च नई तिथियाँ निर्धारित हुईं। चुनाव में हिंसा तथा पुलिस बल की तैनाती को लेकर केवल 11 मार्च को ही पूर्व निर्धारित तारीख पर चुनाव हुआ। अगले तीन चरणों का चुनाव 21, 25 और 28 मार्च को संपन्न हुआ। पूरी चुनाव प्रक्रिया सर्वाधिक राजनीतिक पूर्वाग्रह से युक्त परन्तु संवैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल थी।

संवैधानिक संकट—दसवीं विधान सभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो जाने के बावजूद श्री लालू प्रसाद यादव कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहे। यह आशा की जा रही थी कि 29 मार्च तक नयी विधान सभा गठित हो जाएगी परन्तु चुनावी दौर के पुनः विलम्ब तथा मतों की गणना की अत्यन्त सुस्त गति से यह स्पष्ट हो गया कि 2-3 अप्रैल के पहले दलगत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी तथा मंत्रीमंडल का गठन 31 मार्च के पूर्व संभव नहीं है।

संविधान के अनुरूप राज्य में 1 अप्रैल से व्यय की माँग पूरी करने के लिए 31 मार्च तक बजट पारित होना संभव नहीं था। अतः बिहार का बजट पारित करने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो गया तथा 29 मार्च से श्री लालू प्रसाद यादव को बर्खास्त कर राज्य में छठी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके साथ ही संसद ने बिहार का बजट पारित कर राज्य को वित्तीय संकट से बचाया। राष्ट्रपति शासन मात्र छः दिनों के लिए लागू किया गया जो राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अति अल्पकालिक होने का एक रिकार्ड है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विवादग्रस्त चुनाव—राज्य का चुनाव मुख्य रूप से केन्द्रीय सैन्यबल की तैनाती के मामले को लेकर विवादग्रस्त रहा। राज्य में लगभग 75 हजार केन्द्रीय सैन्य बलों को काम पर लगाया गया तथा 30000 वाहनों को इस कार्य में लगाया गया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गई तथा सैन्य बल पर भारी व्यय के अतिरिक्त पूरे राज्य में लगभग 60 दिनों तक पथ परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर भी पड़ा।

सभी पर्यवेक्षकों का मानना है कि 1995 का चुनाव न केवल सबसे लम्बा था बल्कि यह सर्वाधिक मुक्त एवं उचित भी था। बड़ी संख्या में पिछड़े, हरिजनों तथा महिलाओं ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जिसका लाभ स्पष्ट रूप से जनता दल को मिला। लम्बी चुनावी प्रक्रिया तथा मुक्त मतदान की व्यवस्था के कारण प्रतिपक्ष पूरी तरह विखण्डित हो गया।

7. लोकसभा चुनाव 1998

1997 में कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के पश्चात् संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इस्तीफा दे दिया तथा कोई विकल्प के न रहने से मोर्चे ने संसद भंग कर मध्यवर्ती चुनाव कराने की सिफारिश की जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी। विगत् लोक सभा चुनाव में बिहार के 54 सीटों पर मुख्यतः भाजपा-समटा पार्टी गठबंधन तथा जनता दल को वर्चस्व प्राप्त था कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि आपसी कलह एवं जनता से नकारे जाने के कारण सीमान्त राजनीतिक दल बन गये हैं। 1997 के उत्तरार्द्ध में जनता दल की अध्यक्षता से उत्पन्न विवाद के कारण श्री लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रय जनता दल का गठन किया। विभाजन के पश्चात् राष्ट्रीय जनता दल एक अल्पसंख्यक दल हो गया। परन्तु अभी यह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाए हुए है। अगस्त 1997 में श्री लालू प्रसाद की चारा घोटाला काण्ड में गिरफ्तारी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री की कमान श्रीमती राबड़ी देवी को सौंप दी गई। श्री लालू प्रसाद की रिहाई के पश्चात् राज्य में राजनीतिक गतिविधियाँ तीव्र हो गई।

1998 के मध्यवर्ती लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनमोर्चा का गठन हुआ जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी (बाघेला ग्रुप), बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्रशेखर ग्रुप), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि सम्मिलित है। मुख्य रूप से यह संप्रदायिक विरोधी मध्यवर्ती जातियाँ एवं अल्पसंख्यकों का समूह है। समता पार्टी के विद्रोही नेता आनन्द मोहन भी इस मोर्चे में शामिल हो गये हैं। जनमोर्चा कांग्रेस पार्टी से भी राज्य में चुनावी गठबंधन कर रहा है।

दूसरी ओर धर्म आधारित राजनीतिक दल भाजपा एवं समता पार्टी का चुनावी गठबंधन पहले की तरह ही है। समता दल ने प्रारंभ में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की कड़ी आलोचना की थी पर सीटों की सौदेबाजी के पश्चात् इसका विरोध मात्र औपचारिक ही जान पड़ता है। भाजपा-समता गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।

तीसरी ओर संयुक्त मोर्चा है जिसमें आपसी कलह एवं अविश्वास के कारण कोई समझौता नजर नहीं आता है। जनता दल श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व से विमुक्त होकर एक सीमान्त दल बन गया है। वाम दल भी इस चुनाव में अनिश्चित स्थिति में ही दिखाई पड़ते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकसभा चुनाव 1998 अनेक मामलों में अनुठा रहा। इस चुनाव में हिंसा की घटनाएँ पूर्व की अपेक्षा बहुत कम रहीं परन्तु फिर भी मृतकों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। पुराने समीकरण तथा ध्रुवीकरण की शक्ति पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। भाजपा के नेतृत्व में गठित दक्षिण पंथी धर्म प्रधान गठबंधन को राज्य में अन्य सभी दलों अथवा गठबंधनों से अधिक सीटें प्राप्त हुई। जनता दल के विभाजन के पश्चात् श्री लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय जनता दल 17 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। इसके विपरीत हाजीपुर में श्री रामविलास पासवान को छोड़कर जनता दल के सभी प्रत्याशी चुनाव हार गये। भाजपा का सहयोगी दल समता पार्टी अपनी स्थिति और मजबूत करने में सफल रहा। राज्य में कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय जनता दल से सीटों के तालमेल से पाँच सीटों का लाभ प्राप्त किया। अन्य सभी राष्ट्रीय दल विशेषकर वामपंथी दलों का राज्य में पूरी तरह सफाया हो गया। नवीनतम स्थिति निम्न सारणी में दी गई है।

बिहार लोकसभा चुनाव, 1998
कौन हारा : कौन जीता

चुनाव क्षेत्र	विजयी	दल	पराजित	दल	वोट अन्तर
हजारीबाग	यशवन्त सिन्हा	भाजपा	टेकलाल महतो	झामुमो	1,63,50[illegible]
राँची	आर. टी. चौधरी	भाजपा	केशव महतो	कांग्रेस	1,43,5[illegible]
खूँटी	करीया मुंडा	भाजपा	एस. करकेट्टा	कांग्रेस	39,9[illegible]
धनबाद	रीता वर्मा	भाजपा	ए. के. राय	एमसीसी	1,78,6[illegible]
पलामू	बी. एम. राम	भाजपा	यू. एन. चौधरी	आरजेडी	80,8[illegible]
जमशेदपुर	आभा महतो	भाजपा	रूसी मोदी	निर्दलीय	97,4[illegible]
कोडरमा	रीतलाल वर्मा	भाजपा	आबिद हुसैन	आरजेडी	33,3[illegible]
बक्सर	लाल मुनि चौबे	भाजपा	यू. पी. सिंह	आरजेडी	84,3[illegible]
सासाराम	मुन्नी लाल	भाजपा	रामकेशव भारती	आरजेडी	88,7[illegible]
भागलपुर	पी. सी. तिवारी	भाजपा	चुनचुन यादव	आरजेडी	91,5[illegible]
दुमका	बाबूलाल मरांडी	भाजपा	शिबू सोरेन	झामुमो-एस	12,5[illegible]
अररिया	रामजी ऋषिदेव	भाजपा	शुकदेव पासवान	जनता दल	33,9[illegible]
चतरा	धीरेन्द्र अग्रवाल	भाजपा	नागमणी	आरजेडी	33,3[illegible]
गोड्डा	जे. पी. यादव	भाजपा	सूरज मंडल	झामुमो-एस	75,6[illegible]
गिरीडीह	आर. के. पाण्डेय	भाजपा	राजेन्द्र सिंह	कांग्रेस	68,7[illegible]
पूर्णियाँ	जे. के. मंडल	भाजपा	पप्पू यादव	सपा	35,8[illegible]
गया	के. के. चौधरी	भाजपा	भगवती देवी	आरजेडी	37,4[illegible]
बेतिया	एम.पी. जयसवाल	भाजपा	एम. रहमान	आरजेडी	40,0[illegible]
नालन्दा	जार्ज फर्नांडिस	समता	आर. एस. प्रसाद	आरजेडी	1,15,5[illegible]
बाढ़	नितीश कुमार	समता	विजय कृष्ण	आरजेडी	15,1[illegible]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चुनाव क्षेत्र	विजयी	दल	पराजित	दल	वोट अन्तराल
बगहा	महेन्द्र बैठा	समता	पूर्णमासी राम	जेडी	45,743
गोपालगंज	अब्दुल गफूर	समता	लालबाबू राय	आरजेडी	68.605
महाराजगंज	प्रभुनाथ सिंह	समता	एम. पी. सिंह	कांग्रेस	2,05,343
आरा	हरिद्वार सिंह	समता	सी. पी. वर्मा	आरजेडी	22,074
औरंगाबाद	एस. के. सिंह	समता	वीरेन्द्र सिंह	आरजेडी	86,294
खगड़िया	शकुनी चौधरी	समता	अनिल यादव	आरजेडी	87,187
बांका	दिगविजय सिंह	समता	गिरिधारी यादव	आरजेडी	11,000
मधेपूरा	लालू यादव	आरजेडी	शरद यादव	जेडी	51,000
सहरसा	अनूप लाल यादव	आरजेडी	दिनेश यादव	जेडी	54,109
छपरा	हीरा लाल राय	आरजेडी	आर. पी. रूढ़ी	भाजपा	9,000
वैशाली	रघुवंश प्र० सिंह	आरजेडी	वृषिण पटेल	समता	41,000
झंझारपुर	सुरेन्द्र यादव	आरजेडी	जगदीश चौधरी	समता	32,270
दरभंगा	अली ए० फातमी	आरजेडी	तारा कांत झा	भाजपा	19,000
बलिया	राजवंशी महतो	आरजेडी	रामलखन सिंह	भाजपा	45,330
रोसड़ा	पीताम्बर पासवान	आरजेडी	राम एस. हजारी	समता	43,281
समस्तीपुर	अजीत कु० मेहता	आरजेडी	अशोक सिंह	समता	37,654
मुजफ्फरपुर	जय नारायण निषाद	आरजेडी	हरेन्द्र कुमार	समता	21,952
मोतीहारी	रमा देवी	आरजेडी	राधा मोहन सिंह	भाजपा	53,000
सिवान	मो. शहाबुद्दीन	आरजेडी	विजय शंकर दुबे	भाजपा	1,32,046
मुंगेर	विजय कु० विजय	आरजेडी	बी. मंडल	समता	13,000
किशनगंज	मो० तसलीमुद्दीन	आरजेडी	मोउल्लान हक	सपा	6,488
नवादा	मालती देवी	आरजेडी	कामेश्वर पासवान	भाजपा	14,009
जहानाबाद	सुरेन्द्र प्र० यादव	आरजेडी	अरुण कुमार	समता	39,479
सीतामढ़ी	सीताराम यादव	आरजेडी	नवल किशोर राय	जेडी	4,163
बेगूसराय	राजो सिंह	कांग्रेस	कृष्णा शाही	समता	52,000
मधुबनी	शकील अहमद	कांग्रेस	हुकुमदेव ना० यादव	भाजपा	16,478
सिंहभूम	विजय सिंह सोय	कांग्रेस	चित्रसेन सिंकू	भाजपा	8,589
लोहरदगा	इन्द्रनाथ भगत	कांग्रेस	ललित उराँव	भाजपा	19,397
कटिहार	तारिक अनवर	कांग्रेस	निखील चौधरी	भाजपा	20,516
हाजीपुर	रामविलास पासवान	जेडी	रामसुन्दर दास	समपा	1,77,532
शिवहर	आनन्द मोहन	आरजेपी	अनवारुल हक	जेडी	37,552
राजमहल	सोम मरांडी	भाजपा	थॉमस हांसदा	कांग्रेस	9
पटना	सी. पी. ठाकुर	भाजपा	रामकृपाल यादव	आरजेडी	52,606

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस चुनाव में सबसे अधिक मतों से जितने वाले समता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रभुनाथ सिंह थे जिन्होंने महाराजगंज से कांग्रेस के श्री एम. पी. सिंह को 2,05,343 मतों से हराया। इसके विपरीत सबसे कम मत से जितने वाले उम्मीदवार थे भाजपा के श्री सोम मरांडी जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार श्री थामस हांसदा को मात्र नौ मतों से हराकर राजमहल (आरक्षित) सीट जीत ली।

इस चुनाव में जो बड़े नेता हारे वे हैं—भाजपा के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताराकांत झा (दरभंगा), जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव (मधेपुरा), भाकपा के केन्द्रिय मंत्री श्री चतुरनान मिश्र (मधुबनी), टिस्को के पूर्व अध्यक्ष श्री रूसी मोदी (जमशेदपुर), झामुमो के श्री शीबू सोरेन (दुमका) तथा झामुमो के ही उपाध्यक्ष श्री सूरज मण्डल (गोड्डा)।

8. राज्य के मुख्य राजनीतिक दल

अखिल भारतीय कांग्रेस (इ)—पूरे भारतीय स्तर पर गठन के पश्चात कांग्रेस पार्टी राज्य में क्रियाशील रही है तथा 1967 तक यह सत्तारूढ़ दल बनी रही। 1978 में कांग्रेस विभाजन के बाद इसका नाम कांग्रेस (इन्दिरा) पड़ा। 1989 के आम चुनावों के पश्चात इसने अपना जनाधार खो दिया परन्तु 1990 के विधान सभा चुनावों में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अन्दरूनी कलह तथा फूट के कारण 1995 के चुनावों में विपक्ष के सबसे बड़े दल का स्थान भी त्याग करना पड़ा। अब यह राज्य में सीमान्त दल की भूमिका निभा रही है। इसके वर्त्तमान राज्य अध्यक्ष श्री सरफराज अहमद हैं।

जनता दल—जनता दल का गठन 1989 में हुआ। यह राष्ट्रीय मोर्चे का सबसे बड़ा दल है। 1990 से यह राज्य में सत्तारूढ़ दल बना रहा। 1990 में इसके 121 सदस्य विधान सभा में चुने गये और श्री लालू प्रसाद यादव राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्री बने, जिन्होंने न केवल अपना पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया बल्कि देश में राज्य चुनावों में चल रहे सत्ताधारी विरोधी के लहर को बिहार में गलत सिद्ध कर दिया तथा 1990 से 1995 तक एक अल्पमत सरकार के मुख्यमंत्री रहे। 1995 के चुनावों में इस दल को पूर्ण बहुमत मिल गया है। जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे का वरिष्ठ घटक है। 1997 में श्री शरद यादव को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रश्न को लेकर लालू प्रसाद ने एक पृथक दल का गठन कर लिया जो राष्ट्रीय जनता दल कहलाया। वर्तमान विहार सरकार इसी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गठित की गई है।

भारतीय जनता पार्टी—भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी के विभाजन के पश्चात दक्षिण पंथियों तथा पूर्व जनसंघ के सदस्यों द्वारा गठित की गई है। 1990 के चुनाव में इसे 39 सीटें प्राप्त हुई थी तथा 1995 में इसे विधान सभा में 40 सीटें मिली हैं। यह राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी का मुख्य जनाधार दक्षिण बिहार तथा पूर्वोत्तर बिहार माना जाता है। 199[illegible] में पार्टी के राज्यस्तरीय विभाजन के पश्चात् इसके अनेक सदस्य जनता दल में सम्मिलित हो गये थे। भा० ज० पा० के श्री यशवन्त सिन्हा जो विपक्ष के नेता चुने गये थे उन्हें 'हवा[illegible]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कांड' में संलग्न होने के नाते विपक्ष नेता पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। वर्तमान में श्री यशवन्त सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं जबकि विधान सभा दल के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं।

समता पार्टी—1994 में जनता दल के विभाजन के पश्चात् सांसद श्री जार्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन हुआ। इसके प्रमुख राष्ट्रीय नेता श्री नितीश कुमार हैं। 1995 के चुनाव में इसके राज्य के सत्तारूढ़ दल के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परन्तु यह चुनावों में बुरी तरह विफल रही और इसके मात्र 5 सदस्य विधान सभा में चुने गये। 1996 के लोक सभा चुनाव में इसने भाजपा से समझौता करके अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—संपूर्ण भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के पश्चात् यह दल बिहार में मजदूरों किसानों एवं बुद्धिजीवियों के बीच सक्रिय रहा है। यह दल कई बार मिली-जुली सरकार में शामिल रहा है। इस दल ने 1995 के चुनाव में जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तथा इसके 24 उम्मीदवार चुनावों में विजयी रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव श्री सूरज प्रसाद हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1963 में विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ। यह दल मुख्य रूप से औद्योगिक श्रम संगठनों तथा खेतिहर मजदूरों के बीच सक्रिय रहा है। पड़ोसी राज्य बंगाल में इस पार्टी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों से वामपंथी मोर्चा की सरकार कार्य कर रही है परन्तु बिहार में यह एक सीमान्त राजनीतिक दल है। इसके राज्य सचिव श्री गणेश शंकर विद्यार्थी हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)—कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) एक उग्रवादी संगठन है जिसके मुखिया श्री विनोद मिश्र हैं। पहले यह दल प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास नहीं रखता था तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के बीच क्रांतिकारी चेतना जगाने में बहुत सक्रिय रहा है। 1990 के चुनावों में इसने इंडियन पीपुल्स फ्रंट के झंडे के तले चुनाव लड़ा परन्तु, इसके तीन सदस्य पार्टी से अलग होकर जनता दल में शामिल हो गये। 1995 में इसने कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के झंडे के नीचे चुनाव में भाग लिया और इसके छः सदस्य विधान सभा में चुने गये।

मार्क्सवादी समन्वय समिति (एम० सी० सी०)—कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से अलग हुआ यह एक वामपंथी दल है जो उग्र राजनीति में विश्वास करता है। श्री ए० के० चटर्जी इस दल के नेता हैं। इस दल का प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के खनन क्षेत्रों तक सीमित है। यह सीमान्त वामपन्थी दल है जिसका जनता दल से चुनावी तालमेल है।

जन कांग्रेस—चारा घोटाला के एक मुख्य अभियुक्त भू० पू० मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने 1997 में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से अलग होकर जन कांग्रेस का गठन किया। 1998 के लोकसभा चुनाव यह दल स्वतंत्र रूप से लड़ रहा है।

झारखण्ड पार्टी (सोरेन)—झारखण्ड पार्टी के स्वायत्त प्रशासी गठन के मामले को लेकर विभाजन के पश्चात् झारखण्ड पार्टी (सोरेन) का गठन हुआ इसके प्रमुख नेता एवं पार्टी अध्यक्ष

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्री शिबू सोरेन दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिये जाने के लि संघर्ष करते रहे हैं। वर्तमान विधान सभा में इस दल के 16 सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

झारखण्ड पार्टी (मारंडी)—झारखण्ड पार्टी के मारंडी गुट ने जनता दल से चुनावी ता मेल किया है। यह गुट उतना उग्र नहीं है जितना सोरेन गुट। झारखंड पार्टी (मारंडी) स्वशा परिषद से ही संतुष्ट है। यह राज्य के विभाजन पर बल नहीं दे रही है।

बिहार पीपुल्स पार्टी—जनता दल का विरोध करने तथा सवर्ण मतदाताओं को संगठि करने के उद्देश्य से आनन्द मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। इनकी पत्नी लव मोहन उत्तर बिहार से चुनी गई बि० पी० पा० की एकमात्र सांसद थी। 1995 से चुनाव आनन्द मोहन तथा उनके दल को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। 1996 में इसका सम पार्टी में विलय हो गया था। परन्तु 1997 में व्यक्तिगत मतभेदों के कारण यह गुट राष्ट्रीय ज पार्टी (बघेला) में मिल गया है।

राष्ट्रीय जनता दल—जनता दल में नेतृत्व को लेकर उठे विवाद के परिणामस्वरूप अग 1997 में जनता दल का विभाजन हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद कि अध्य में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया। दल में विभाजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ज दल की सरकार अल्पमत में आ गई। वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल ने झारखण्ड मुक्ती मो के साथ मिलकर बिहार में सरकार का गठन किया हुआ है। इसे अनेक स्वतंत्र विधायकों भी समर्थन प्राप्त है। 1998 के लोक सभा मध्यवर्ती चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अ छोटे दलों के साथ मिलकर जनमोर्चा का गठन किया है।

इन प्रमुख दलों के अतिरिक्त अन्य कई छोटी पार्टियाँ राज्य में राजनीतिक रूप से सक्रि हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी (सुब्रमण्यम स्वामी गुट) झारख पीपुल्स पार्टी, फारवर्ड ब्लॉक इत्यादि। राज्य के राजनीतिक मानचित्र पर इनका सीमान्त अस्ति है तथा मुख्य राजनीतिक धारा से अलग हुए छोटे-छोटे गुट हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-13

उग्रवाद की समस्या

विगत् 20 वर्षों से बिहार में उग्रवाद एवं हिंसात्मक संघर्ष की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। राज्य में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से सामूहिक नरसंहार की घटनाएँ अब एक आम बात होकर रह गई हैं। आज बिहार नक्सली गतिविधियों एवं सामंती दमन का सबसे बड़ा केन्द्र बना हुआ है। राज्य के 55 में 41 जिले उग्रवाद की चपेट में हैं तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों ने यहाँ अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है।

बिहार में सामूहिक नरसंहार (सामप्रदायिक दंगों को छोड़कर) की पहली घटना पूर्णियाँ जिले के रूपसपूर गाँव में घटी थी जहाँ भू-पतियों एवं सामंतों ने 14 आदिवासियों को जिन्दा जला दिया था। इसके बाद प्रदेश में न रुकने वाला नरसंहार का दौर चल पड़ा। 1979 में पटना के बेलछी में 11 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गयी जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसके बाद 1980 में पारस बिगहा में 11 तथा पिपरा में 14 लोग मारे गये। 1985 में नरसंहार की तीन घटनाएँ हुई जिसमें कैथीबिगहा में 11, बांझी में 15 तथा लक्ष्मीपुर में 12 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 1986 में अरवल में 22, कंसारा में 11, गैनी में 12 तथा दरमिया में 11 लोग मारे गये। 1987 में औरंगाबाद जिले के दलेलचक बधेरा में उग्रवादियों में एक जातिविशेष के 54 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। 1988 में जहानाबाद में मोनही नगवां में 21 तथा टमूहा खगडी में 11 लोग मारे गये 1989 में दनवार बिहटा में 21 तथा रोहतास जिला के केसारी में 10 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 1991 की सामूहिक नरसंहार की घटनाओं में मलवरीया में 14, तीसखोखा में 14 एवं दवसहियारा में 15 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 1992 में गया जिला के बारा में 34 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई। 1996 में नरकटिया में 19 तथा भोजपुर के बथानी टोला में 22 लोगों को मौत के घाट उतारा गया।

1997 में राज्य के अनेक जिले वाम उग्रवादी एवं प्रतिगामी सामंतों द्वारा रचित नरसंहार की चपेट में आ गये। हैवसपूर में 10, दानापुर में 10, कोडरमा में 13, पलामू में 22, जहानाबाद के अंमकोदर में 10 तथा पटना के जलपुरा में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई। सामूहिक नरसंहार की सबसे भयानक घटना जहानाबाद लक्ष्मणपूर बाथे में 1 दिसंबर को 62 दलितों को भू-पतियों द्वारा गठित रणवीर सेना ने गोलियों से भून डाला। मरने वालों में अधिकतर महिलाएँ एवं बच्चे थे। 10 जनवरी, 1998 को वाम उग्रवादियों ने बाथे हत्याकांड का बदला रामपूर चौरम में 9 रणवीर सेना समर्थकों की हत्या करके लिया है। सामूहिक नरसंहार का दौर जो 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ वह नौकरशाही की शिथिलता तथा राजनेताओं की उदासीनता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के कारण अत्यन्त गंभीर रूप धारण करता जा रहा है।

उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र

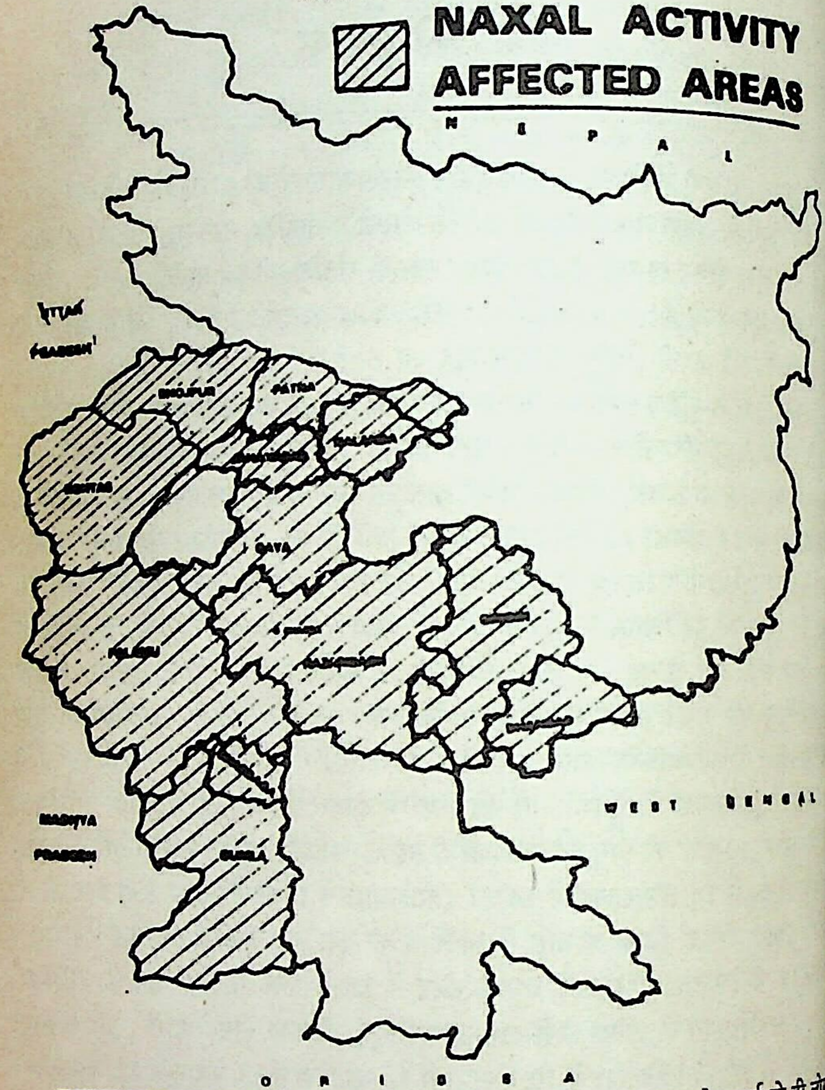

उग्रवाद का कारण—नरसंहार का अधिकतर शिकार दलित एवं कमजोर वर्ग के ही लोग हुए हैं। बढ़ते हुए उग्रवाद की जड़ वास्तव में भूमि के विषमतापूर्ण वितरण तथा आर्थिक उपार्जन की संरचना में निहित है। केन्द्रिय बिहार जहाँ उग्रवाद भीषण रूप धारण कर चुका है वहाँ पर भूमि का स्वामित्व समाज के वर्ग विशेष में ही निहित है। राज्य में 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और भूमि ही जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है। अतः आय प्राप्ति के संसाधन के रूप में भूमि का महत्त्व सर्वोपरि है। राज्य में लगभग 30-35 प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक हैं तथा इनकी संख्या मध्य भाग में जनसंख्या के घनत्व से अधिक होने के कारण काफी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ज्यादा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 12-15 प्रतिशत लोगों के पास घर बनाने हेतु भूमि (Homestead land) भूमि नहीं है। साधन विहीनता की इस स्थिति ने वर्ग संघर्ष की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण हिंसा एवं उग्रवाद के बिहार की धरती पर पनपने के अनेक कारण हैं—

भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव—बिहार में जनसंख्या की निरन्तर बढ़ती प्रवृति ने इसे बिमार राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अन्य व्यवसाय एवं जीविकोपार्जन के अभाव में कृषि को ही जनसंख्या का बोझ वहन करना पड़ता है। बिहार में औसत प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धि 0.06 एकड़ है तथा यहाँ लघु एवं सीमान्त किसानों की संख्या कुल कृषकों में 65-75 प्रतिशत है। सीमान्त किसानों की औसत जोत एक एकड़ से भी बहुत कम है। ऐसी दशा में सीमान्त किसान ऋणग्रस्तता तथा अन्य कारणों से अपनी जोत का स्वामित्व खोते जा रहे हैं और अब अधिकतर सीमान्त कृषक भूमिहीन मजदूर की श्रेणी में आ गये हैं। अतः साधन के इस विषमतापूर्ण वितरण से वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा मिला है।

भूमिहीन श्रमिक एवं मजदूरी विवाद—राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। अधिकतर भूमिहीन श्रमिक अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा के बावजूद भी अधिकतर क्षेत्रों में भू-स्वामी कृषि कार्य हेतु मजदूरों को बहुत ही कम पारिश्रमिक देते हैं। मजदूरी की देय दर से उत्पन्न विवाद, अति वाम दलों को अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अनेक नक्सलवादी संगठनों का जन्म ही मजदूरी विवाद के परिणामस्वरूप हुआ है। ऐसे संगठन मजदूरी का मुद्दा लेकर भूमिहीन श्रमिकों को संगठित करने में सफल हुए हैं। राज्य की नौकरशाही न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन में पूरी तरह विफल रही हैं।

भूमि सुधार का अभाव—बिहार में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि सुधार का कोई भी कार्यक्रम प्रभावी रूप से नहीं चलाया गया। उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार के कारण अन्ततः **चकबन्दी** व्यवस्था स्थगित कर देनी पड़ी। **भूमि सीमा बन्दी** के अन्तर्गत प्राप्त भूमि न केवल विवादों से घिरी है बल्कि सरकार की उदासीनता के कारण अधिग्रहित भूमि का आर्दश बंटवारा भी नहीं किया जा सका है। **भू-दान आन्दोलन** में प्राप्त भूमि का अधिकतर भाग या तो बंजर है अथवा बड़े भू-स्वामियों द्वारा पुनः भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। सबसे बुरी अवस्था **भूमि रिकार्ड** की है। ऐसी स्थिति में काश्तकारी प्रबन्धन, लगान वसूली, हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है। भूमि सुधार की कमजोरियों के कारण साधनों के स्वामित्व का केन्द्रियकरण बढ़ गया है। इससे समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिला है। बंगाल तथा केरल जहाँ 60 तथा 70 के दशक में उग्रवाद अपनी चरमसीमा पर था वहाँ भूमि सुधार पर जोर देकर ही उग्रवाद को समाप्त किया गया है।

सामन्ती प्रथा एवं जाति प्रथा—जमीन्दारी समाप्त हो जाने के पश्चात् भी बड़े किसानों की सामन्ती प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। जाति प्रथा तथा सवर्णों के साधनों पर वर्चस्व ने आय एवं धन के वितरण में घोर विषमताओं को जन्म दिया है। सवर्ण अग्रसरता के प्रभाव से ही

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति पर आधारित रणवीर सेना, सनलाईट सेना आदि निजी सेनाओं (Private Armies) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा दलितों का उत्पीड़न किया जाता है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना के विरुद्ध वाम संगठनों को अपना पैर जमाने का अवसर मिला है। दलितों एवं समाज के कमजोर वर्गों के साथ सवर्णों के दुर्व्यवहार ने वर्ग-संघर्ष एवं नरसंहार की घटनाओं को बढ़ावा दिया है।

नौकरशाही की शिथिलता—राज्य में उच्च नौकरशाही की प्रवृत्ति भी सामन्ती ही है। पूर्ण सेवा सुरक्षा तथा व्याप्त भ्रष्टाचार ने नौकरशाही को पूर्णतः शिथिल एवं अकुशल बना दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो केवल जहानाबाद जिले में बाथे एवं चौरम जैसी घटनाएँ एक ही माह में नहीं घटती। नरसंहार के पश्चात् न तो जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है और न ही उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन (Motivation) प्रशिक्षण तथा हथियार उपलब्ध कराया जाता है। अधिकतर नरसंहार के दोषी राजकीय उदासीनता के कारण ही स्वतंत्र घूम रहे हैं।

ग्रामीण अधिसंरचना का अभाव—बिहार वास्तव में गाँवों का राज्य हैं। परन्तु अधिकतर गाँव आजादी के 50 वर्षों के बाद भी अंधकारमय प्राचीन युग में ही स्थित है जहाँ न तो गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं और न ही संचार एवं बिजली के साधन। उपयुक्त संरचना के अभाव में उग्रवादी गतिविधियों एवं प्रतिशोध की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है। कहने को तो 60% गाँवों का विद्युतिकरण हो चुका है और 80 प्रतिशत गाँव कच्ची-पक्की सड़कों से जुड़े हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि मौनसून एवं शीत काल में अधिकतर गाँवों में पहुंचना ही संभव नहीं है। संचार की सुविधा भी गाँवों में नाम मात्र की ही है। यहाँ तक कि पुलिस रेडियो की बैटरीयाँ भी वित्तीय अव्यवस्था के कारण नहीं बदली जाती है जिससे पुलिस संचार भी ठप पड़ जाता है।

बेरोजगारी—उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी भी एक उत्तरदायी तत्त्व है। रोजगार के अभाव में युवकों की शक्ति नकारात्मक कार्यों में लग जाती है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के ग्रामीण लोगों में प्रवेश से उग्रवाद अधिक संगठित हुआ है।

उग्रवाद से संबंधित संगठन

राज्य में उग्रवाद की इस गंभीर अवस्था के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संरचना जितनी दोषी है उतने ही उग्रपंथी दल एवं प्रतिशोध की कार्यवाही में जुड़े दल एवं सेनाएँ भी हैं। उग्रवाद से संबंधित प्रमुख दल एवं संगठन निम्न रूप से हैं।

माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (M.C.C.)—एम० सी० सी० एक अति उग्रवादी वामपंथी संगठन है जिसका संबंध आंध्रा के पीपुल्स वार ग्रुप (PWS) समेत अनेक उग्रवादी संगठनों से है। गत कुछ वर्षों से यह संगठन मध्य एवं दक्षिण बिहार के जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, गढ़वा, लोहरदग्गा, धनबाद आदि के ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से समानान्तर सरकार ही चला रही है। सभी उग्रवादी वाम संगठनों में एम० सी० सी० का प्रभाव

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

क्षेत्र सबसे अधिक फैला हुआ है। इस संगठन की उत्पत्ति साठ के दशक में ही नक्सलवादी प्रभाव के अन्दर हुई तथा परन्तु वास्तविक विस्तार 1980 के दशक में हुआ जब भू-पतियों द्वारा दलितों एवं कमजोर वर्ग का शोषण शिखर पर पहुँच गया। एम० सी० सी० ने अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने के लिए अन्य उग्र-वाम पंथी संगठनों के सदस्यों की भी निर्मम हत्याएँ की हैं जिनमें चतरा के आम कुदर गांव में हुई सी० पी० आई० (एम० एल०) के 10 सदस्यों की हत्या शामिल है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिब्रेशन —CPI (ML) Liberation का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भोजपुर जिला है। जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद तथा सिवान जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इसने अपना प्रभाव बना रखा है। इस संगठन ने संसदीय राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाया है तथा मध्य एवं दक्षिण बिहार के अनेक संसदीय एवं विधान सभा के अपने उम्मीदवार खड़े किए और कुछ सफलता भी पाई है। इस संगठन की कार्यशैली साधारणतः एक सामान्य राजनीतिक दल की तरह ही है। परन्तु यह अपनी हथियारबन्द वाहनियों के द्वारा उग्र राजनीति में भी भागीदारी निभाता है। लिब्रेशन ग्रुप ने ग्रामीण महिलाओं को भी संगठित एवं जागृत करने का महत्वपूर्ण काम किया है। 1997 के विधान सभा चुनाव में इसके 5 सदस्य विधानसभा में चुने गये।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम० एल०) पार्टी यूनिटी CPI (ML) Party Unity—पार्टी यूनिटी के नाम से जानी जाने वाली यह पार्टी गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पलामू, रोहतास एवं लोहरदग्गा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रही है। औरंगाबाद एवं गया जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अन्य उग्रपंथी दलों की अपेक्षा अधिक है।

बिहार में प्रमुख निजि / उग्रवादी सेनाएँ

नाम	गठन का वर्ष	राजनीतिक / जातिय संबंधन
लालसेना	1971	एम० सी० सी०
लाल स्क्वायड	1971	पार्टी युनिटी
कुवंर सेना	1978	राजपुत समृद्ध कृषक
भूमि सेना	1979	मध्यम एवं समृद्ध कृषक
ब्रमह्षी सेना	1981	भूमिहार जाात द्वारा समर्थित
लोरिक सेना	1985	यादव भू-स्वामी
सनलाइट सेना	1989	मुस्लिम एवं राजपूत भू-स्वामी द्वारा समर्थित
रणवीर सेना	1994	भूमिहारों द्वारा समर्थित

HISAM 98

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भूस्वामी / विशेष समर्थित निजि सेनाएँ—ग्रामीण उग्रवाद का मुकाबला करने तथा सवर्ण एवं मध्य जातियों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय-समय पर निजि सेनाओं अथवा हथियार बन्द दस्तों का गठन किया जाता रहा है। ये भू-स्वामियों का बचाव करने में भले ही असफल रही हो परन्तु अपनी हिंसात्मक गतिविधियों से इन्होंने ग्रामीण हिंसा को अत्यन्त उग्र रूप दे दिया है। 1978 में कांग्रेस जनों के समर्थन से भूमि सेना का गठन हुआ। जहानाबाद में तत्कालीन सांसद रामाश्रय प्रसाद ने लोरिक सेना के गठन को प्रोत्साहित किया। इसका मुख्य उद्देश्य आई० पी० एफ० (IPF) (अब सी० पी० आई० (माले)) के वर्चस्व को समाप्त करना था। जाति विशेष पर आधारित कुंवर सेना तथा ब्रमहर्षी सेनाओं का कार्यक्षेत्र मुख्यतः रोहतास, भोजपूर, जहानाबाद एवं गया था। वर्तमान में सबसे अधिक रक्त रंजित कांडों के लिए उत्तरदायी रणवीर सेना है जिसे भिन्न-भिन्न श्रेणी के भूमिहारों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन प्राप्त है। दिसंबर 1997 में जहानाबाद के लक्षमणपुर बाथे गांव में इस सेना ने 62 दलितों की निर्मम हत्या कर दी थी जिससे पूरे देश को एक बार फिर झकझोर दिया। स्वयं राष्ट्रपति ने बिहार सरकार पर इसके विरुद्ध यथाशीघ्र कार्यवाही का आह्वान किया पर जिला प्रशासन एवं राजनेता पहले की तरह ही निष्क्रीय बने रहे। अंततः माले ने इसका बदला 10 जनवरी 1998 को रापूर चौराम में 9 (नौ) रणवीर सेना समर्थकों की हत्या करके लिया। अधिकतर भूपतियों द्वारा गठित निजी सेनाएँ मृत प्रायः हो चुकी हैं तथा यदाकदा ही इनमें गतिविधि देखी गई है।

इसके विपरीत वाम-उग्रवादी संगठन लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों, भूमिहीनों एवं बेरोजगार नवयुवक को संगठित करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि वाम-संगठनों का प्रभाव क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है।

ग्रामीण हिंसा एवं संघर्ष की घटनाएँ न केवल राज्य की छवि बिगाड़ रही है बल्कि साथ-ही-साथ सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को धीरे-धीरे खोखला करती जा रही है। वर्ग संघर्ष एवं द्वेष ने आर्थिक उत्पादकता एवं उपार्जन में भी गिरावट लाई है।

उग्रवाद से निबटने हेतु सरकारी प्रयास—उग्रवादी हिंसा धीरे-धीरे राज्य में विकराल रूप धारण करती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में 50 से अधिक पुलिसकर्मी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गये तथा पुलिस चौकियों अथवा गश्ती दलों से उग्रवादियों ने 475 से अधिक आधुनिक हथियार छीनने में सफलता प्राप्त की है। 1994 से 1997 तक उग्रवाद की वारदातों में 696 व्यक्ति हिंसा में मारे गये। सरकारी विश्लेषण के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण हिंसा की घटनाओं में 42 प्रतिशत में एम० सी० सी०, 33 प्रतिशत में माले (लिब्रेशन) तथा मात्र तीन प्रतिशत में अन्य संबंधित संगठनों का योगदान है। फरवरी 1998 में हुए चुनावों में केन्द्र सैन्य बल के दो तथा बिहार सैन्यबल (BMP) का एक जवान उग्रवादियों द्वारा मारा गया। उग्रवादी संगठन मध्य बिहार के अनेक प्रखण्डों के चुनाव वहिष्कार की मुहिम चला रहे थे। इसके विरोध में 1 मार्च 1998 में गया जिले में पुलिसकर्मीयों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया। यह पुलिस विद्रोह ही उच्च पुलिसकर्मीयों की शिथिलता एवं उदासीनता के विरुद्ध था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उग्रवादियों द्वारा हिंसा एवं पुलिस हथियार की लूट

वर्ष	नरसंहार में मृत	मृत पुलिसकर्मी	मृत उग्रवादी	छीने गये हथियार
1994	65	01	71	17
1995	204	13	70	40
1996	250	28	261	20
1997	177*	11	38	44
*(जुलाई तक)				
	696	53	440	98

उग्रवाद की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य में विशेष रूप से पुलिस दस्तों का गठन किया गया है। राज्य में अर्द्धसैनिक बलों की एक दर्जन कम्पनियों तथा केन्द्रीय बल की दस कम्पनीयाँ उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध चौकसी रखे हुए हैं। पुलिस व्यवस्था को चुस्ती से कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक आतंकवाद प्रभावित जिले में एक कोर ग्रूप का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व एक आरक्षी उपाधीक्षक करता है। इस ग्रुप में केन्द्रीय बल, राज्य के अर्द्ध सैनिक बल, केन्द्रीय खुफिया अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक जिले में एक हथियारबन्द दस्ते का गठन क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के नाम से हुआ है जो उग्रवाद एवं प्रतिशोध की कार्यवाही के विरुद्ध तुरंत कार्य करने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष राज्य में पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 6·37 करोड़ रुपया व्यय करने की अनुमती प्रदान की है।

बिहार में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस व्यवस्था की कुशलता तो है ही साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता आदि की समस्याओं को प्रभावी ढंग से निबटना अधिक आवश्यक है। बिना सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था के केवल अल्प कालिक उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-14

आर्थिक उपार्जन एवं पिछड़ापन

परिचय—आधुनिक बिहार की स्थापना 1912 में बंगाल प्रांत के विभाजन के पश्चात् हुई परन्तु मध्यकाल में ही बिहार का भारत के आर्थिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पूर्व बिहार चावल, चीनी, नील, शोरा, कपास आदि के मुख्य निर्यातक के रूप में प्रसिद्ध था और इसी कारण ब्रिटिश तथा डच (Dutch) व्यापारी इस प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। उत्तरी एवं केन्द्रीय बिहार देश के अन्य प्रान्तों से जलमार्ग से जुड़ा था जो रेलवे के विकास के पूर्व मुख्य परिवहन का मार्ग था। प्रदेश के अनेक भागों में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित सामान देश-विदेशों को निर्यात होता था। परन्तु प्रदेश के बंगाल प्रांत में विलय के कारण इसका प्रशासनिक ढाँचा बिखर गया तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी से ह्रास होने लगा। बिहार के आर्थिक पतन के लिए दो मुख्य उत्तरदायी तथ्य हैं। सर्वप्रथम बिहार में कम्पनी शासन स्थापना के बाद कार्नवालिस ने यहाँ लगान वसूली की संरचना में मौलिक परिवर्त्तन किया। स्थाई प्रबन्ध (Permanent Settlement) की व्यवस्था के अन्तर्गत न ही सरकार को और न ही जमीन्दारों को भू-विकास में विशेष दिलचस्पी रही जिससे उत्पादक सिंचाई एवं कृषि विपणन व्यवस्था कुंठित हो गई। सस्ती विदेशी वस्तुओं की उपलब्धि से परम्परागत कुटिर उद्योगों का भी पतन हो गया। इस प्रकार एक ओर कृषि उत्पादन पिछड़ने लगा तो दूसरी ओर निर्माण क्षेत्र की गतिविधियाँ लुप्त हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात् भी बिहार के विकास हेतु कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। **योजनाबद्ध विकास** वास्तव में बिहार के हितों के विरुद्ध सिद्ध हुआ। बिहार में प्रचुर कोयला की उपलब्धि के बावजूद भी ताप बिजली के बड़े संयंत्र अन्य प्रदेशों में लगाये गये तथा **भाड़ा समानीकरण** नीति (Freight Equalisation Policy) बिहार के **औद्योगिक उपनिवेश** (Disinvestment) का कारण बनी। बिहार का औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों में 1950-51 में 5वाँ स्थान था जो अब 12वाँ स्थान है। प्रति व्यक्ति आय में उसी काल में बिहार का 7वाँ स्थान था परन्तु अब इसका 17वाँ स्थान है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नियोजन की प्रक्रिया एवं केन्द्रीय नीति बिहार के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ साबित हुई। 1991 के पश्चात् भारत में चल रहे संरचनात्मक सुधार के परिणामस्वरूप अनेक नीतिगत एवं संस्थात्मक परिवर्तन किये गये हैं। राज्य सरकार भी आर्थिक संभावनाओं के प्रति अब विशेष रूप से सजग हुई है। क्या इन परिवर्तनों का उचित लाभ बिहार को मिल सकेगा? क्या प्रदेश भाड़ा समानीकरण नीति के आंशिक अंत तथा लाईसेन्स व्यवस्था की समाप्ति के बाद पुनः अपने प्राकृतिक स्थानीकरण के लाभ का पूरा प्रयोग कर सकेगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ने तथा आर्थिक विकास के उतार-चढ़ाव की माप करने के उद्देश्य से इस अध्याय के तथ्यों एवं आंकड़ों को संजोया गया है।

आय एवं आर्थिक उपार्जन—अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर अन्ततः **शुद्ध राज्य घरेलु** उत्पाद (Net State Domestic Product–SDP) में प्रतिबिंबित होता है। 1994–95 में बिहार का SDP मात्र रु० 35653 करोड़ था जबकि महाराष्ट्र का 111028 करोड़ उत्तर प्रदेश का 73024 करोड़ तथा प० बंगाल का रु० 49780 करोड़ था। प्रदेश में SDP में सकल वार्षिक वृद्धि 3.3 प्रतिशत थी जबकि भारत का औसत 3.8 प्रतिशत था। इसी प्रकार बिहार में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि इसी अवधि में 1.3 प्रतिशत थी जबकि भारत का औसत 1.6 प्रतिशत से भी अधिक था। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन 1994–95 में बिहार में मात्र 3816 रु० प्रति व्यक्ति है जबकि पंजाब में 14188 रु०, हरियाणा में 12158 रु०, महाराष्ट्र में 13112 रु० तथा उत्तर प्रदेश में 5331 रु० है (Quick Estimate/ नई श्रृंखला)। भारत एवं बिहार के बीच औसतन प्रति व्यक्ति आय का अन्तर 1950-51 में 37.55 प्रतिशत था जो 1990–91 में बढ़कर 95.76 प्रतिशत हो गया। औसत आय के बीच बढ़ती हुई खाई बिहार के निम्न विकास का प्रधान सूचक है। 1982 के मूल्य पर सन् 1994 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय रु० 1091 आंकी गई है जबकि सर्वभारतीय औसत रु० 2216 है।

बिहार की आर्थिक दशा 1950 में आज से बहुत बेहतर थी। राज्य में SDP वृद्धि दर 1.95 जबकि स्वभारतीय वृद्धि दर उस समय 3.3 थी। 1960 के दशक में राज्य SDP विकास दर कम होकर 0.86 हो गई जबकि भारतीय SDP वृद्धि दर 3.17 थी। 1988 से 1993 के बीच राज्य की विकास दर नकारात्मक हो गई और तथा प्रतिव्यक्ति आय में भी 8.76 की गिरावट आई।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी–1

कुछ महत्त्वपूर्ण राज्यों में शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद (SDP)

(चालू मूल्य पर)

(करोड़ रु० में)

		1980–81	1990–91	1992–93	1994-95*
1.	आंध्र प्रदेश	7324	31165	39131	50679
2.	असम	2298	9498	11543	14538
3.	बिहार	6349	22828	27315	35653
4.	हरियाणा	3032	12238	15416	21639
5.	गुजरात	6547	24285	34208	48588
6.	कर्नाटक	5587	20583	29205	38421
7.	मध्यप्रदेश	7053	26546	31166	41571
8.	महाराष्ट्र	15163	57577	79752	111028
9.	उड़ीसा	3443	9664	13416	17439
10.	पंजाब	4449	16785	23441	30792
11.	राजस्थान	4126	18281	23166	NA
12.	तमिलनाडु	7218	28160	38651	51747
13.	केरल	3823	12173	17175	21353
14.	उत्तरप्रदेश	14012	49496	62203	79024
15.	प० बंगाल	9594	27790	39410	49780
16.	दिल्ली	2455	10230	13939	18231

श्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1996–97 (नई सीरीज) * Quick Estimate/Hisam 110

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी–2
कुछ महत्त्वपूर्ण राज्यों में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलु उत्पाद (SDP)

(चालू मूल्य पर/रु०)

	1980–81	1990–91	1992–93	1994–95*
1. आंध्र प्रदेश	1380	4728	5718	7155
2. असम	1284	4281	4973	5999
3. बिहार	917	2665	3053	3816
4. गुजरात	1940	5917	8045	10578
5. हरियाणा	2370	7508	9037	12158
6. कर्नाटक	1520	4605	6331	8082
7. मध्यप्रदेश	1365	4053	4558	5845
8. महाराष्ट्र	2435	7367	9795	13112
9. उड़ीसा	1314	3077	4114	5157
10. पंजाब	2674	8341	11217	14188
11. राजस्थान	1222	4191	5086	NA
12. तमिलनाडु	1498	5071	6809	8941
13. केरल	1580	4200	5768	6983
14. उत्तरप्रदेश	1278	3590	4345	5331
15. प० बंगाल	1773	4710	5633	6877
16. दिल्ली	4030	11043	13997	17068

श्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1996–97 (नई सीरीज) * Quick Estimate/Hisam 110

प्राकृतिक संपदा से संपन्न एवं मानव संसाधन से परिपूर्ण बिहार आज शुद्ध घरेलु उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अब पीछे की पंक्ति में खड़ा है। राज्य की यह बदहाली वास्तव में इसकी आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक रणनीति में छुपी है। कृषि की प्रधानता एवं औद्योगिक क्षेत्र का ह्रास निम्न आय एवं व्यापक गरीबी का मुख्य कारण है। कृषि का भी मूलस्वरूप जीवनदायी है। व्यवसाय में फैलाव अन्य राज्यों से कम रहा है। उदारीकरण की प्रक्रिया से भी राज्य में आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य की गरीबी एवं पिछड़ेपन की गंभीरता से जाँच की जाये और इससे उबरने के लिए समाधानों की खोज की जाए।

बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण—आर्थिक दृष्टि से बिहार एक संपन्न राज्य है जहाँ प्रचुर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है तथा भौगोलिक परिस्थिति भी विकास के लिए अनुकूलतम है फिर भी बिहार के नागरिक देश में सबसे गरीब माने जाते हैं। संपन्नता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में गरीबी की विरोधाभासी परिस्थिति के कारकों को हम राज्य की आर्थिक संरचना एवं राज्य-केन्द्र संबंध के अन्तर्गत देख सकते हैं। स्वतन्त्रता के समय बिहार औद्योगिक दृष्टि से देश का 5वाँ प्रमुख प्रान्त था तथा इसे देश में चीनी का कटोरा (Sugar Bowl) के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु 1950-51 में योजनाबद्ध विकास तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य एवं वितरण संबंधी नीतियों ने राज्य औद्योगिक उपनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। राज्य में चीनी, सीमेन्ट, इस्पात, कागज एवं जूट उद्योगों का पतन मुख्य रूप से इन उद्योगों में मूल्य नियन्त्रण, भाड़ा समीकरण नीति तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के उदासीन रवैये के कारण हुआ है। भूमि सुधार एवं हदबन्दी राजनैतिक अनिच्छा की शिकार हुई तथा कृषि आधुनिकीकरण साख के अभाव के कारण अन्य प्रान्तों से पिछड़ा रहा। अधिसंरचना भी अन्य क्षेत्रों की तरह अविकसित ही रही। बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य आर्थिक कारण निम्न प्रकार से हैं—

आर्थिक असंतुलन—बिहार में न केवल आर्थिक गतिविधियाँ निम्नस्तरीय हैं बल्कि विकास दर में अन्तरक्षेत्रीय विषमता भी देखने में आती है। जहाँ 1985-90 के बीच उत्पादक उद्योगों में 4.94% की वृद्धि हुई वहीं कृषि में मात्र 0.18% तथा खनन एवं निर्माण में 1.85%। अधिसंरचना का क्षेत्र भी विकास के प्रति उदासीन रहा। इससे प्रदेश के पूंजीगत भंडार (Capital stock) में ठहराव आ गया है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग राज्य में 11.2 kwh है जबकि भारत का औसत 281 kwh है। इसी प्रकार बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 124 k.m. रोड उपलब्ध है जबकि भारत का औसत 211 k.m. है। कृषि राज्य उत्पादन में 47.6% योगदान देता है जबकि भारत में कृषि का योगदान मात्र 29% है।

असंतुलित औद्योगिक विकास—औद्योगिक विकास में घोर क्षेत्रीय विषमता रही है। दक्षिण बिहार में जहाँ एक ओर भारी उद्योगों की स्थापना की गई है वहीं उत्तर बिहार के मैदानी इलाके में चीनी एवं कागज मिलें लगातार रूग्ण होती रहीं तथा नया औद्योगिक निवेश ठहर सा गया है। उत्पादक उद्योग में भारत में कुल जन संसाधन का 4.24% कार्यरत है परन्तु बिहार में यह मात्र केवल 2.07% की है। खनन उत्पादन जो 1950 में देश के कुल खनिज उत्पादन का 41% था अब घटकर केवल 16% रह गया है।

सामाजिक उपभोग की निम्न अवस्था—निम्न आय एवं व्यापक गरीबी के कारण बिहारवासियों के सामाजिक उपभोग की अवस्था भी अत्यंत निम्न है। बिहार में केवल 38 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है। इसके कारण श्रमिकों की कुशलता एवं गतिशीलता भी निम्न रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डाक्टर जनसंख्या अनुपात 1 : 34 है तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर 39 अस्पताल बेड (Bed) की सुविधा मिलती है। यह सुविधाएं अन्य प्रान्तों के अपेक्षा अत्यन्त कम है।

निम्न प्रति व्यक्ति आवंटन एवं केन्द्रीय सहायता—योजनान्तर्गत न्याय को पूरा करने में केन्द्रीय सहायता एवं अनुदान राशि का बड़ा महत्त्व है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार को न्यून केन्द्रीय सहायता, ऋण की सुविधा तथा अनुदान की प्राप्ति होती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में जहाँ सभी राज्यों को देय प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 375 रु० थी वहीं बिहार को मात्र 340 रु० प्रति व्यक्ति सहायता की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय अन्य राज्यों की अपेक्षा निम्न है (बिहार 798 सभी राज्य का औसत 1076)

बिहार को केन्द्रीय उपक्रमों में निवेशित पूँजी का मात्र 5.29 प्रतिशत तथा कुल बाजार उधार का 5 प्रतिशत से भी कम प्राप्त होता है। व्यवसायिक बैंकों के साख : जमा (Credit-Deposit) का अनुपात मात्र 30% था जबकि सभी राज्यों का अनुपात 60% है।

सारणी : 3

प्रति व्यक्ति केन्द्रिय सहायता एवं योजना व्यय

योजना काल	प्रति व्यक्ति योजना व्यय		प्रति व्यक्ति केन्द्रिय सहायता	
	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य
पहली	25	390	14	23
दूसरी	40	52	19	25
तीसरी	69	93	44	55
चतुर्थ	85	142	57	65
पाँचवीं	190	327	105	130
छठी	404	688	201	196
सातवीं	798	1076	340	375

Hisam 110

घोर क्षेत्रीय असमानता—बिहार में न केवल अन्तर-राज्य विषमता है बल्कि राज्य के ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में घोर असमानता देखी जा सकती है। अधिकतर उत्पादक उद्योग एवं खनन प्रतिष्ठान दक्षिण बिहार में स्थापित हैं जिससे वहाँ शहरीकरण एवं आय का व्यापक वितरण हुआ है। उत्तर बिहार प्रधान रूप से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का रूप है जहाँ 84% से भी अधिक लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। यहाँ स्वतंत्रता पूर्व जो कृषि आधारित औद्योगिक विकास हुआ भी था वह अब रूग्ण अवस्था में पहुँच गया है। इस प्रकार आय एवं रोजगार के अवसर में क्षेत्रीय विषमता के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विघ्न पड़ा है।

जीवनदायी कृषि—बिहार में कृषि जीवनदायी (Subsistance) गतिविधि के रूप में की जाती है। इसका मुख्य कारण निम्न मानव-भूमि अनुपात है। राज्य में 76.6 प्रतिशत जोत एक हेक्टर से भी कम है तथा 96.2 प्रतिशत जोत लघु एवं सिमान्त जोत की श्रेणी में आती है। केवल 3.8 प्रतिशत जोत की इकाइयाँ ही 4 हेक्टर से बड़ी है। राज्य में केवल 0.4 प्रतिशत परिवार 20 एकड़ या उससे अधिक जोत के मालिक हैं तथा 2 प्रतिशत लोगों के पास 21 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है। इस प्रकार राज्य में अधिकतर किसान छोटे या सिमान्त कृषकों की श्रेणी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में आते हैं जिन्हें खेती कार्य से अत्यन्त निम्न आय प्राप्त होती है। यही कारण है कि राज्य में अधिकतर कृषक आधुनिक खेती के लिए साधन ही नहीं जुटा पाते। बिहार में 1994 के अन्त तक कुल 1.98 लाख हेक्टर भूमि हदबन्दी अतिरिक्त (ceiling surplus) घोषित की गई थी जबकि असम में यह 2.48 लाख हेक्टर, बंगाल में 515 लाख हेक्टर थी। इस अवधि के अंत तक मात्र 1.09 लाख हेक्टर भूमि का पुनर्वितरण किया गया था जो कुल जोत योग्य भूमि का मात्र 1.4 प्रतिशत है। बंगाल में 69, असम में 6.5 तथा जम्मु एवं कश्मीर में 25 प्रतिशत भूमि वितरित की जा चुकी है। राज्य में भूमि सुधार के कार्यक्रमों को उचित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से दिसम्बर 1995 में **"बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा भूमि अधिग्रहण) अधिनियम"** बनाया गया है।

आर्थिक पुर्नस्थापना के कुछ उपाय—बिहार की आर्थिक बदहाली के कारणों की जाँच करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य के आर्थिक पुर्ननिर्माण हेतु कुछ ठोस उपाय नितान्त आवश्यक हैं।

सर्वप्रथम सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय को नियन्त्रित करना होगा। वर्तमान काल में कुल व्यय का 15.26% इस मद पर व्यय होता है। यदि प्रशासनिक व्यय नियन्त्रित कर लिया जाता है तब विभिन्न स्रोतों से ऋण की आवश्यकता भी घटेगी और इससे ब्याज की अदायगी में भी राहत मिलेगी।

केन्द्र सरकार को बिहार के प्रति अपने सौतेलेपन के व्यवहार में परिवर्त्तन लाना होगा। देश को आर्थिक प्रगति 10% से अधिक जनसंख्या के हितों की अवहेलना करके नहीं की जा सकती है। सरकारिया समिति ने केन्द्र-राज्य वित्त संबंध के लिए जो उपाय सुझाए हैं उन्हें अधिक सार्थक तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तथा राज्य को करारोपण संबंधी अधिक स्वायत्तता दी जाए। अभी अधिकांश विस्तारक एवं कल्याणकारी कार्य तो राज्य सरकार को करना पड़ता है परन्तु उसके राजस्व का स्रोत अत्यन्त सीमित है। राज्य को अपनी कर-संरचना में सुधार, कर जाल को फैलाने तथा निम्न कर दर पर अधिक कर-आय प्राप्त करने की ब्युह रचना तैयार करनी होगी। ऐसी नवीन कर संरचना में कर प्रशासन की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अतः कर वसूली एवं प्रबन्धन तन्त्र में सुधार करना पड़ेगा। प्रबन्ध व्यवस्था में भ्रष्टाचार के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इसके कम्प्यूटरीकरण, सरलीकरण, विवेकीकरण की आवश्यकता है।

राजस्व वृद्धि एवं कुशलता वृद्धि के लिए अनेकों घाटे में चल रहे लोक उद्योगों में निजीकरण (Privatisation) की नीति अपनाई जानी चाहिए। इससे राजकोष में राजस्व की तो वृद्धि होगी ही साथ-ही-साथ राज्य में निर्माण गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और रोजगार की वृद्धि होगी। औद्योगिक नीति में अधिक उदारीकरण से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अप्रवासी बिहारियों को निवेश की विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

भूमि सुधार तथा कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करना राज्य सरकार का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। इन दोनों के बिना ग्रामीण बदहाली दूर नहीं हो सकती। भूमि रिकार्ड, चकबन्दी, भूमि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हदबन्दी (Ceiling) आदि उपाय पूरी निष्ठा एवं कारगर रूप से लागू किए जायँ तो सामाजिक तनाव एवं उग्रवाद भी कम होगा और शहरों की ओर पलायन भी रूकेगा। खनिज क्षेत्र में राज्य के अधीनस्थ खनिजों के विदोहन में भी निजी क्षेत्र की सहायता लेनी आवश्यक है। वित्तीय क्षेत्र में यह आवश्यक है कि सरकार स्वयं वित्तीय अनुशासन का पालन करे। गैर योजनान्तर्गत तथा प्रशासनिक व्यय में भारी कटौती नितान्त आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार की भी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य में आधे से अधिक सहकारी समितियाँ रूग्ण पड़ी हैं। इसलिए नाबार्ड (Nabard) द्वारा वित्तीय सहायता लगातार कम होती जा रही है। सहकारी क्षेत्र के पुर्नउत्थान के लिए आवश्यक है कि ऋण वसूली एवं कार्यकारी व्यय का प्रबन्धन ठीक किया जाए। सहकारी वित्त प्रवाह 1: 20 की मात्रा में होता है। इतने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी करना कुशल वित्तीय प्रबन्धन के लिए घातक साबित होगा। जहाँ तक बैंकों के गिरते हुए जमा-साख के अनुपात का मामला है तो यह राज्य के साधन उपयोग से संबंध रखता है न कि केन्द्रिय नीति से। सरकार को BSFC और BICICO जैसी औद्योगिक वित्त संस्थाओं की कार्यविधि एवं प्रबन्धन व्यवस्था में भी मूलभूत परिवर्त्तन करना चाहिए। इनके अंशों के अप-निवेश से कुशलता लाई जा सकती है।

परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार को केन्द्र पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा। चाहे योजना आयोग से साधन का प्रवाह हो या बाजार उधार का मामला हो राज्य के साथ निःसंदेह ही नाइन्साफी होती है। खनिज की रॉयल्टी भी भार के बजाय मूल्य से संबंधित हो और इसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष होना चाहिए न कि तीन सालों पर। व्यग्र आर्थिक स्तरों में स्थिरता के साथ-साथ उच्चस्तरीय संरचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

बिहार की गंभीर आर्थिक समस्याओं को देखते हुए यहाँ अविकास की अवस्था के विरूद्ध बहु-क्षेत्रीय प्रयास की आवश्यकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वभारत में नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई ताकि विकास के क्रम में समता के आधार पर विकास योजनाओं का संचालन किया जाए। नियोजन की भावना वास्तव में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। भले ही प्रारंभ में यह राज्य के हित में न रही हो परन्तु अब यह स्थिति है कि बिना राज्य के हस्तक्षेप के प्रगति एवं विकास की संकल्पना भी नहीं की जा सकती है।

बिहार में नियोजन

योजना तंत्र—बिहार में योजना प्रक्रिया 1950-51 में ही प्रारंभ हो गई थी। राज्य योजना के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु बिहार योजना परिषद का गठन किया जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होता है। इसकी संरचना एवं कार्य राष्ट्रीय योजना आयोग से मिलता जुलता है। यह प्रदेश के प्रत्येक विभाग की माँग एवं साधन का स्वरूप तैयार करता है और उसी आधार पर राज्य योजना का दस्तावेज तैयार कर योजना आयोग को देता है। यह संगठन क्रियान्वयन से संबंधित नहीं है पर योजना की समाप्ति पर इसका मूल्यांकन भी करता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

छठी पंचवर्षीय योजना काल में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर साधन जुटाने, परियोजनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु जिला योजना (District Planning) की व्यवस्था की गई है। राज्य में जिला DPDC का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होता है। DPDC ही जिला की भावी योजना का निर्माण करती है। कृषि लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण आदि की परियोजनाओं को DPDC को ही हस्तान्तरित कर दिया गया है। कुल मिलाकर 275 स्कीमों को जिनमें अनेक केन्द्रीय वित्त प्रदत्त हैं उस परिषद् को सौंपा गया है। मुंगेर जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD) द्वारा बनाए गये संगठन को DPDC का आदर्श संगठन माना गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना—बिहार राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मुख्य लक्ष्य हैं—(i) सामाजिक न्याय के साथ 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की प्राप्ति (ii) कृषि क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन द्वारा उत्पादकता में वृद्धि तथा (iii) अधिसंरचना का विस्तार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कुशलता एवं प्रभावशीलता लाना। आठवीं योजना की ब्यूह रचना के नियोजन के विकेन्द्रीकरण एवं पंचायत, नगरपालिका एवं सहकारिता संस्थाओं की व्यापक भूमिका पर बल दिया गया है ताकि जनता की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। योजना कार्य में व्यापक रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि अन्तर्राज्य की अन्तर राज्य एवं राज्य के अन्तर्गत (Inter State & Intra State) विष''ताओं में कमी लाई जा सके। योजना व्यय 13000 करोड़ रु० है जबकि सातवीं योजना में 5100 करोड़ रु० की ही थी। आठवीं योजना के मुख्य भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं—

कृषि एवं सिंचाई—(i) राज्य की सिंचाई क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग। वर्तमान में कुल सिंचाई क्षमता का मात्र 42% ही प्रयोग में लाया जा सका है। 58 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के प्रभावपूर्ण प्रयोग हेतु प्रयास के अन्तर्गत 3521 करोड़ के व्यय से आठवीं योजनाकाल में 5.13 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था होगी। इससे शताब्दी के अन्त तक 50 प्रतिशत जोत की भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बिहार में 64 लाख हेक्टर भूमि बाढ़ की चपेट में आती है। बाढ़ से बचाव हेतु 98 किलोमीटर बाँध निर्माण द्वारा लगभग 36 लाख हेक्टर भूमि को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अभी तक 3464 किलोमीटर बाँध का निर्माण हो चुका है। (ii) प्रत्यक्ष कृषि विकास एवं सहायता के अन्तर्गत 838 करोड़ के व्यय के संरक्षण, कृषि वाणिकी, कृषि विविधीकरण की परियोजनाएँ चलाई जाएगी।

लघु एवं ग्रामीण उद्योग—इस क्षेत्र के विकास के लिए 491 करोड़ के व्यय से औद्योगिक रुग्णता का उपाय किया जाएगा तथा इनका आधुनीकरण हेतु आवश्यक वित्त पोषण होगा। औद्योगिक उत्पादन में प्रशिक्षण एवं विपणन पर भी बल दिया जाएगा। इस प्रकार कुल व्यय का 3.78% व्यय होगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ग्रामीण विकास—ग्रामीण विकास पर विशेष परियोजना व्यय संकेत 1494 करोड़ के व्यय का प्रावधान है। यह कुल योजना व्यय का 11.4 प्रतिशत है।

अधिसंरचना विकास—ऊर्जा एवं संचार व्यवस्था के विकास हेतु महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ बनाई गई है। ऊर्जा विकास पर 16131 करोड़ तथा परिवहन (सड़क) पर 1527 करोड़ रु० व्यय होगा जिससे इस क्षेत्र के असंतुलन को कम किया जा सकेगा। विद्युत संचार एवं वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा तथा 1600 गाँवों का विद्युतीकरण होगा।

सामाजिक क्षेत्र—आठवीं योजना काल में सामाजिक सेवा एवं रोजगार योजना पर 2798 करोड़ रु० व्यय निर्धारित किया गया है। 50 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था है तथा 46 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न किया जाएगा।

योजना का वित्त पोषण 627 करोड़ रुपये तक राज्य के अपने साधन द्वारा किया जाएगा तथा बची हुई राशि केन्द्र, बाजार, उधार आदि से पूरा किया जाएगा। केन्द्र पर वित्त साधनों में वृद्धि हेतु दबाव देना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि 7वीं योजना में केन्द्रीय सहायता की मात्र बिहार में केवल 340 रु० प्रति व्यक्ति थी जबकि सभी अन्य प्रान्तों का औसत 375 रुपये था।

सारणी-4

7वीं एवं 8वीं योजना व्यय/प्रस्ताव

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	सातवीं योजना	आठवीं योजना
1. कृषि एवं संबंधित कार्य	278 (5.45)	858 (6.61)
2. ग्रामीण विकास	458 (8.98)	1414 (10.80)
3. विशेष क्षेत्र योजना	36 (0.06)	80 (0.62)
4. उर्जा	1083 (21.24)	1631 (12.5)
5. यातायात	396 (7.77)	1527 (11.75)
6. विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण	4 (0.09)	21 (0.16)
7. उद्योग एवं खनन	216 (4.24)	491 (3.78)
8. सामान्य आर्थिक सेवा	22 (0.45)	444 (3.42)
9. सामाजिक सेवा	863 (16.92)	2798 (21.52)
10. सामान्य सेवा	54 (1.06)	209 (1.61)
	5100 (100%)	**13000 (100%)**

नोट—ब्रैकेट में प्रतिशत दिखाया गया है। HISAM 110

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 13000 करोड़ रु० का था पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय साधनों के उगाही में विफलता के कारण योजना निवेश घटकर मात्र 5400 करोड़ रु० रह गया। इसका व्यापक प्रतिगामी प्रभाव विकास कार्यक्रमों पर पड़ा।

नवीं योजना (1997–2002)—1997 के उत्तरार्द्ध में नवीं योजना के संकेत-पत्र आने के पश्चात् राज्य में 9वीं योजना की रणनीति तथा आवंटन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 9वीं योजना (1997–2002) राष्ट्रीय नियोजन की नवीनतम स्थितियों के अनुकूल बनाई जाएगी। उदारीकरण के पश्चात् न केवल सार्वजनिक व्यय में लगातार गिरावट आई है बल्कि नियोजन की प्रक्रिया में शिथिलता सी आ गई है मानो नियोजन व्यवस्था कोई विशेष महत्त्व ही नहीं रखता हो। इसी परिप्रेक्ष में राज्य की वार्षिक योजना (1997–98) तैयार की गई है जिसमें 2200 करोड़ रु० के निवेश का प्रावधान है तथा इसके आकार को बढ़ाकर 2500 करोड़ रु० करने का प्रावधान है। इस प्रस्तावित निवेश में से 808 करोड़ रु० ग्रामीण विकास, 406 करोड़ रु० जल संसाधन 105 करोड़ रु० ऊर्जा, 104 करोड़ रु० प्राथमिक एवं जन शिक्षा, 79 करोड़ रु० लघु सिंचाई, 65 करोड़ रु० स्वास्थ्य इत्यादि मदों पर व्यय किया जाएगा। इन योजनाओं में श्रम दिवस सृजन, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं का विस्तार तथा सामाजिक क्षेत्र की अन्य योजनाओं पर अधिक बल दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूँजी आकर्षित करने तथा घरेलू कम्पनियों को नए निवेश हेतु अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएँगें। बिहार की योजना समेत सम्पूर्ण राष्ट्र की नवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज अन्ततः 28 फरवरी, 1998 को योजना आयोग ने पास कर दिया है। संपूर्ण योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के विकास की दर नवीं पंचवर्षीय योजना काल में 4.5 प्रतिशत रखी गई है। यदि इस योजना का नवीन राजनीतिक परिवेश में क्रियान्वयन होता है तो बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य कों बहुत अधिक लाभ मिलने की आशा है।

●

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय–15

गरीबी एवं सार्वजनिक नीति

सामाजिक क्षेत्र का विकास आर्थिक प्रगति की कुंजी माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में यूरोप एवं सुदूर पूर्व एशिया के जिन देशों में तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ है, वहाँ विकास का मुख्य कारक मानव संसाधन में निवेश माना जाता है। भारत में भी अधिकतर वही प्रदेश खुशहाल है जहाँ सामाजिक क्षेत्र का संतुलित विकास हुआ है। सामाजिक क्षेत्र का अर्थ लोगों के आर्थिक उपार्जन की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा एवं सुविधाएँ बाल-कल्याण, महिला उत्थान, साक्षरता एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था से है। इस अध्याय में हम मुख्यतः बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित समस्याओं एवं उपायों का मूल्यांकन करेंगे।

गरीबी का स्वरूप एवं गरीबी रेखा—बढ़ती हुई जनसंख्या, निम्न आर्थिक क्रियाओं का स्तर, रोजगार के अवसर एवं प्रकृतिक आय एवं साधनों के वितरण में घोर असमानताओं ने राज्य में गरीबी की सीमा को बढ़ाया है। योजना आयोग के अनुसार राज्य में 53 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। गरीबी रेखा की अवधारणा छठी योजना काल में योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य कार्यक्रम बनाने हेतु अपनाई गई है। इसके अन्तर्गत ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी अथवा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करते हों उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। 1993 में योजना आयोग ने प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी० टी० लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य गरीबी आंकलन की पद्धति को ठोस आधार प्रदान करना था। 1996 में सरकार ने इस विशेष समिति की सिफारिशों को मान्यता प्रदान की।

बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहनेवालों की संख्या 1987-88 में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 42·7 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा योजना आयोग द्वारा आंकलित मौद्रिक आय के आधार पर था। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 131·8 रु० प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र में 152·1 रु० प्रतिमाह प्रति व्यक्ति से निम्न मौद्रिक आय के नीचे आनेवाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने जाएँगे। 1993 की लकड़ावाला विशेषज्ञ समिति ने उपभोग आंकड़ों को अधिक वैज्ञानिक पद्धति से निर्धारित करके गरीबी रेखा का पुर्नमूल्यांकन किया है जो सारणी II में दिया गया है।

सारणी I तथा II के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रमुख प्रदेशों में उड़ीसा को छोड़कर बिहार देश का सबसे अधिंक गरीब राज्य है जहाँ आबादी का आधा से भी अधिक भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। 1988 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ लोग तथा शहरी क्षेत्र में 36 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आंके गये थे। 1993

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी—I

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की स्थिति*

(प्रतिशत में)

राज्य	ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित
अखिल भारत	33·4	20·1	29·9
आंध्र प्रदेश	24·5	9·4	22·8
बिहार	42·7	30·0	40·8
गुजरात	21·7	12·9	18·4
हरियाणा	11·7	11·7	11·6
कर्नाटक	35·9	24·2	32·1
केरल	16·4	19·3	17·0
मध्य प्रदेश	41·5	21·3	36·7
उड़ीसा	48·3	24·1	44·7
पंजाब	7·2	7·2	7·2
राजस्थान	26·0	19·4	24·4
तमिलनाडु	39·5	20·5	32·8
उत्तर प्रदेश	37·2	27·2	35·1
प० बंगाल	30·3	20·7	27·6

* 1987-88 में अधिकृत रूप से जारी किया गया आंकड़ा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी—II

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या*

(प्रतिशत में)

राज्य	ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित
अखिल भारत	39·06	40·12	39·34
आंध्र प्रदेश	20·92	44·63	27·20
दिल्ली	1·29	16·91	16·04
असम	39·85	17·34	37·84
बिहार	52·63	57·71	53·37
गुजरात	28·67	39·63	32·33
हरियाणा	16·22	17·79	16·63
कर्नाटक	32·82	49·06	38·14
केरल	29·10	43·3[illegible]	32·08
मध्य प्रदेश	41·92	48·17	43·40
महाराष्ट्र	39·35	17·34	32·93
उड़ीसा	57·64	44·11	55·61
पंजाब	12·60	12·91	12·70
राजस्थान	33·21	38·99	34·60
तमिलनाडु	45·80	43·88	45·13
उत्तर प्रदेश	41·10	45·22	41·99
प० बंगाल	48·30	32·84	43·99

*योजना आयोग विशेषज्ञ दल प्रतिवेदन 1995 पर आधारित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के विशेषज्ञ दल ने इनकी कुल संख्या 4·39 करोड़ आंकी है जिसमें 3·70 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 69·48 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि राज्य में गरीबी का फैलाव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है। यह स्वभाविक है क्योंकि यहां 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है बल्कि अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से कृषि एवं संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है।

राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकार को प्रभावित करनेवाले निम्नलिखित प्रधान तत्त्व हैं—

(क) धन एवं आय वितरण में घोर विषमता
(ख) व्यापक अर्द्ध-बेरोजगारी एवं रोजगार के नए अवसरों का अभाव
(ग) कृषि उत्पादन का परम्परागत स्वरूप एवं मन्द विकास दर
(घ) गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों की विफलताएँ
(ङ) मूल्य तल में निरन्तर संर्वधन

राज्य में 77 प्रतिशत जोत की इकाई एक हेक्टर से भी कम है तथा ऐसी सीमान्त जोत के अन्तर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का 30 प्रतिशत ही आता है। 11·3 प्रतिशत जोत की इकाई 2 हेक्टर से भी कम है। राज्य में मात्र 3·8 जोत की इकाइयाँ 4 हेक्टर या उससे अधिक हैं। इन मध्यवर्ती (3·4%) तथा वृहत (0·4%) किसानों के पास 30 प्रतिशत से भी अधिक कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हैं। जहाँ सीमान्त किसानों के औसत जोत की इकाई 0·37 हेक्टर है वही वृहत किसानों की औसत जोत की इकाई 16 हेक्टर से भी अधिक आँकी गई है। जीविकोपार्जन के साधनों का असमान वितरण, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की कमी तथा अधिसंरचना का अभाव ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी को जन्म देता है। यही कारण है कि आज राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंतुलन का शिकार हो गई है और उग्रवादी आन्दोलन अपना सर उठा रहे हैं।

देश के कुल बेरोजगारों में 6·6 प्रतिशत बिहार से ही आते हैं। राज्य में अर्द्ध बेरोजगारी का अत्यन्त भयंकर स्वरूप है। 52·12 लाख श्रमिक अतिरिक्त कार्य के लिए सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। देश के कुल अर्द्ध-बेरोजगारों (468·24 लाख) का 11·13 प्रतिशत बिहार में ही है। राज्य में 12 प्रतिशत आबादी भूमिहीन है तथा 11 प्रतिशत लोगों के पास रहने को घर नहीं है। कृषि में रोजगार का जो स्वरूप है वह अत्यन्त निराशाजनक प्रतीत होता है। ग्रामीण आबादी का 43·41% किसान हैं। 37·21% कृषि श्रमिक, 9·58% सीमान्त श्रमिक तथा 2·6% उत्पादक इकाईयों में काम करते हैं। राज्य में गरीबी एवं निरक्षरता के कारण अकुशल श्रमिकों की भरमार है। स्वभाविक है कि मांग से कई गुणा अधिक अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के कारण मजदूरी की दर भी बहुत कम है। जहां बिहार में 1993-94 के दौरान कृषि श्रमिकों की वार्षिक मज़दूरी दर में (—) 05·88 प्रतिशत का ह्रास हुआ वही अखिल भारत में (+) 05·... प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तथा बंगाल ...

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अनेक राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में प्रगति की स्थिति देखी गई है। यही कारण है कि राज्य से बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों की ओर मजदूरों का पलायन हो रहा है जिससे राज्य के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

रोजगार का निम्न स्तर एवं मजदूरी की निम्नदर का मुख्य कारण राज्य में कृषि की परंपरागत है। कृषि, कुल घरेलू उत्पाद (SDP) का 45 प्रतिशत भाग योगदान करता है। जबकि इस विधी पर 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या आश्रित है। कृषि विकास दर पिछले दो दशकों में 1·8% से 2·3% के बीच रही है जबकि जनसंख्या वृद्धि उससे कहीं अधिक थी। राज्य के केवल 36 प्रतिशत जोत योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा है तथा 8% भूमि बाढ़ एवं 11% भूमि सूखे के निरन्तर चपेट में रहती है। सिंचाई, परिवहन, भण्डारण तथा विपणन व्यवस्था की संरचनात्मक त्रुटियों के कारण राज्य के अधिकतर भू-भाग में एक या दो फसल ही हो पाती है तथा ये फसलें मुख्यतः खाद्यान्न की होती है। मूल्य संवर्धन की संभावनाओं से वंचित कृषि उत्पादन स्व-उपभोग के लिए अधिक और बाजार के लिए कम होता है। कृषि उत्पादन के मान्य मूल्य तथा कृषि पदार्थों में भारी दलाली एवं मुनाफाखोरी के कारण मुनाफा तथा मजदूरी दोनों ही निम्न है। प्रशोधन (Processing) तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के न होने से मूल्यतल में विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि तथा उनकी उपलबधि में कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी गरीब वर्ग द्वारा उसके उपभोग में ह्रास हुआ है। खाद्यान्न उपभोग में गिरावट से कैलोरी उपभोग में गिरावट आई है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनवितरण प्रणाली भी नीची दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल नहीं रही है। बिहार में गरीबी का स्वरूप अन्य विकसित प्रदेशों की अपेक्षाकृत भिन्न है। यहाँ अधिकतर गरीब व्यक्ति अकुशल मजदूर हैं जो कृषि कार्य पर रोजगार के लिए आश्रित हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे रोजगार-उन्मुखी योजनाएँ भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही की उदासीनता के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं की जा सकी हैं। इससे साधनों की बर्बादी हुई है और सरकार के बजट पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है। कालाधन की निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा का मुख्य श्रोत भी यही परियोजनाएँ हैं जिनका अधिकतर पैसा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के बजाए भ्रष्ट नौकरशाही की जेब में चला जाता है।

इन सब बातों के अतिरिक्त व्यापक ग्रामीण ऋणग्रस्तता, सीमांत कृषकों की बदहाली, सामंतवादी शक्तियों का एकजुट होना, सरकार द्वारा भूमि-सुधार उपायों को कारगर ढंग से लागू नहीं करना तथा राज्य को साधनों का निरन्तर विदोहन; यहाँ पर व्यापक गरीबी के कुछ अन्य कारण हैं।

गरीबी उन्मूलन एवं ग्राम्य विकास कार्यक्रम

बिहार में ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रमों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। (i) ऐसी परियोजनाएँ जो पूर्णतः राज्य योजना द्वारा वित्त पोषित है जैसे सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य, विशेष क्षेत्रीय योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (minimum needs

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

programme) आदि (ii) ऐसी परियोजनाएँ जो 50 : 50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है जैसे समेकित ग्रामीण विकास योजना (IRDP) तथा सूखा पीड़ित क्षेत्र परियोजना (DPAP) तथा (iii) ऐसी परियोजनाएँ जिनका अधिकतर वित्त पोषण केन्द्र द्वारा होता है जैसे जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ऊर्जा योजना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना। JRY में वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य के बीच 80 : 20 के अनुपात में होता है। इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी गरीबी का आकार पूर्ववत् बना हुआ है। प्रान्त को गरीबी दुष्चक्र से निकालने के लिए मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। राज्य में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें हम संरचना के आधार पर तीन भागों में बाँट सकते हैं—

(क) **आय-समर्थन एवं कल्याण योजनाएँ** —इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जनमानस को आय संवर्धन का अवसर प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों–जैसे, समेकित ग्राम विकास योजना (IRDP), ग्रामीण नवयुवक स्वरोजगार योजना (TRYSEM) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (DWCRA) इत्यादि के द्वारा पहचान किये गये गरीब परिवारों को आय-संवर्धन के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं अथवा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें साधनों के वितरण तथा वित्त पोषण में सबसिडी की व्यवस्था की जाती है।

(ख) **मजदूरी रोजगार कार्यक्रम**—मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि कार्यों में पहचान किये हुए दरिद्रता रेखा के नीचे आनेवाले परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। सामान्यतः यह योजना 100 दिवसीय रोजगार प्रदान करती है तथा इसमें अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में जवाहर रोजगार योजना JRY) तथा सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS) उल्लेखनीय हैं।

(ग) **क्षेत्रीय विकास उपागम**—इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष के विकास एवं आर्थिक संवर्धन का होता है। इन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त सामूहिक ऊर्जा पूँजी एवं संरचना विकास पर अधिक बल दिया जाता है जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (SAP) सूखा पीड़ित विकास कार्यक्रम (DPAP) जो विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। राज्य में इन तीनों श्रेणियों के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं—

समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम—IRDP राज्य में 6 ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य पहचान किये गये दरिद्रता रेखा के नीचे परिवारों को ऐसे साधन उपलब्ध कराना है जिससे उनकी आय में संवर्धन हो और वह परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आ सके। यह कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता (50 : 50) से चलाया जाता है। प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार IRDP कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करती है। IRDP मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त इसके कई अंगीभूत कार्यक्रम हैं जिनमें DWCRA तथा TRYSEM मुख्य हैं। सातवीं पंचर्षीय योजनाकाल में इसके कई कार्यक्रमों में 90% वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी जिसमें प्रति व्यक्ति साख Rs. 3594 तथा सबसिडी की प्रति व्यक्ति

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Rs. 2013 थी। इसके अन्तर्गत 47·9 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को प्राप्त हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में IRDP के अन्तर्गत 468 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है जिसमें 2·50 करोड़ DWCRA तथा 48·50 करोड़ TRYSEM पर किया जाएगा। अभी तक IRDP के अन्तर्गत राज्य में 2·94 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है तथा TRYSEM के अन्तर्गत 15684 युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। IRDP राज्य के सभी प्रखण्डों में चलाया जा रहा है।

सारणी—III

राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर किए गए व्यय (1994-95)

राज्य	कुल व्यय (लाख)	प्रति ग्रामीण व्यय (रु०)	प्रति गरीब व्यक्ति व्यय (रु०)
आंध्रप्रदेश	4419·6	86·8	545·6
आसाम	1140·7	53·6	89·1
बिहार	8100·7	101·3	175·7
गुजरात	1521·7	53·9	245·4
हरियाणा	447·6	34·3	86·1
कर्नाटक	2396·2	73·5	260·5
केरल	993·3	44·5	177·4
मध्य प्रदेश	5272·1	98·2	239·6
महाराष्ट्र	3477·4	68·8	177·4
उड़ीसा	2731·6	129·2	191·0
पंजाब	339·3	23·0	178·6
राजस्थान	2101·6	57·5	212·3
तमिलनाडु	3491·2	91·6	281·5
उत्तर प्रदेश	9235·6	77·9	183·2
प० बंगाल	3149·5	60·8	149·3
भारत	50097·2	75·5	204·7

IDR-97 (OUP)

जवाहर रोजगार योजना (JRY)—1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को मिलाकर JRY योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनमानस को कम से कम 100 दिवसीय मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन का प्रधान कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत प्रशासन : साधन निर्माण : तथा मजदूरी पर क्रमशः

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

15 : 35 : 50 अनुपात में व्यय किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना (IAY) तथा एक लाख कुँआ (MWS) कार्यक्रम इसके प्रधान अंग है। JRY के कुल व्यय का 6 प्रतिशत IAY तथा 20 प्रतिशत MWS पर व्यय करना निश्चित है। इसका वित्त पोषण 80 : 20 की मात्रा में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। IAY तथा MWS से बची हुई राशि का 80 प्रतिशत भाग पंचायतों तथा 20 प्रतिशत जिला ग्राम विकास प्राधिकार (DRDA) को मजदूरी प्रधान योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी, ग्रामीण पथ, छोटी सिंचाई योजनाएँ कार्यस्थल, सामुदायिक भवन, जल जमाव सुधार आदि पर व्यय करने के लिए दिया जाता है ताकि मजदूरी प्रधान कार्यक्रमों के द्वारा सामुदायिक साधनों का निर्माण किया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान रु० 650 करोड़ के व्यय के द्वारा कुल 6500 लाख मानवदिवस रोजगार सृजन का प्रस्ताव है। 1994-95 में रु० 759 करोड़ के व्यय के द्वारा 1138 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ तथा ग्रामीण विद्यालय भवन, पंचायत भवन, इन्दिरा आवास, नलकूप (पेयजल) एवं सिंचाई नलकूप, सामुदायिक भवन तथा सड़कों जैसे स्थायी सामुदायिक साधनों के निर्माण से ग्रामीण संरचना मजबूत हुई है।

सारणी—IV

राज्यों में जवाहर रोजगार योजना का (1994-95)

राज्य	भौतिक रोजगार		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि (लक्ष्य का %)	लक्ष्य	उपलब्धि (लक्ष्य का %)
आंध्र प्रदेश	38·3	40·4	1597	60·4
बिहार	47·1	45·5	2425	54·1
गुजरात	9·1	51·3	448	47·6
कर्नाटक	18·0	43·4	877	45·7
केरल	4·9	50·7	369	60·3
मध्य प्रदेश	24·3	33·7	1145	39·6
महाराष्ट्र	33·5	27·2	1156	40·6
उड़ीसा	19·9	38·1	834	36·9
राजस्थान	16·9	44·0	604	40·8
तमिलनाडु	46·5	63·9	1550	76·6
उत्तर प्रदेश	52·4	44·9	2699	43·1
प० बंगाल	23·4	46·9	1174	47·7
अखिल भारत	358·7	42·8	15937	48·0

IDR-97 (OUP)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS)—1993 से EAS योजना उन सभी जिलों में प्रारंभ की गई जहाँ केन्द्रीय सरकार की नीति के अन्तर्गत पुर्नगठित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। इस योजना का वित्त पोषण जवाहर रोजगार योजना से होता है परन्तु इसमें सभी कार्य विभागीय स्तर से ही कराये जाते हैं। राज्य के 14 जिलों के 158 चयनित प्रखण्डों में यह योजना चलाई जा रही है जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी एवं सूखा पीड़ित क्षेत्र सम्मिलित हैं। 1994-95 से EAS के लिए रु० 169 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जिसके द्वारा 1291 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ। 1995 के दौरान इस योजना को 265 प्रखण्डों में चलाया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (IREP)—यह एक क्षेत्र आधारित विकास उपागम है जिसका उद्देश्य है कि कार्यक्रम क्षेत्र (प्रखण्ड) के अन्तर्गत समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रखण्ड के नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकंता की पूर्ति हेतु परम्परागत, गैर परम्परागत तथा गैर व्यवसायिक स्रोतों के आदर्श मिश्रण के विकास हेतु वित्त तथा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा से कुलश प्रयोग हेतु अनिवार्य एवं उच्च तकनीकी उपकरण की भी व्यवस्था कराई जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रु० 4·10 करोड़ के व्यय से 30 प्रखण्डों को IREP कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। अभी 9 प्रखण्डों में यह योजना चल रही है।

सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme—DPAP)—यह कार्यक्रम पलामू, गोड्डा, नालंदा, मुंगेर तथा रोहतास के 54 चुने हुए प्रखण्डों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखा पीड़ित प्रखण्डों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास के द्वारा सिंचाई एवं जल आपूर्ति के स्तर में वृद्धि करना है। इसके अन्तर्गत मट्टी विकास, जल संचय, वानिकी तथा मत्स्य पालन आदि के बीच समन्वय भी स्थापित किया जाता है तथा शुष्कभूमि (dryland) कृषि को विकसित करने के उपाय किये जाते हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार की (50 : 50) सहभागिता से चलाया जाता है। 1992-93 में इस कार्यक्रम पर कुल 4·89 व्यय किया गया। इस राशि का 20% लघु सिंचाई, 30% मट्टी बचाव, 25% वानिकी, 15% कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विकास पर और 10% प्रशासनिक व्यय पर किया गया। DPAP एक विशेष रोजगार कार्यक्रम के रूप में 1973 में शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क जिलों में प्रारंभ किया गया था।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme)—यह एक व्यग्र कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पथ, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, गृहस्थल आवंटन, पर्यावरण एवं गन्दी बस्ती उद्धार, पोषक भोजन, प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, वानिकी तथा जन वितरण व्यवस्था बनाने एवं उनके रखरखाव पर व्यय किया जाता है। इसके साथ ही साथ कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, भूमि संरक्षण कार्यों का भी संपादन किया जाता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में इस पर राज्य में रु० 426·41 करोड़ व्यय किया गया था जबकि निर्धारित लक्ष्य 734 करोड़ था। आठवीं योजनाकाल में रु० 2361 करोड़ व्यय का लक्ष्य है। परन्तु पिछले लक्ष्य की प्राप्ति को देखकर इसकी सफलता पर संदेह होता है।

सार्वभौमिक विकास एवं रोजगार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त पहचान किये गये अत्यन्त पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इनमें से निम्न दो उल्लेखनीय हैं—

जनजाति उपयोजना (Tribal Sub plan—TSP)—राज्य की कुल आबादी का 7·66 जनजातीय आबादी है। छोटानागपुर तथा संथाल परगना जनजातीय बहुल क्षेत्र है। राज्य की इस मूल आबादी के दरिद्रता उन्मूलन तथा समुचित विकास के उपागम के रूप में TSP का गठन किया गया है। यह उपयोजना राज्य के 112 प्रखण्डों में जहाँ जनजातीय आबादी का बहुल है चलायी जा रही है। कुल योजना का 25% भाग TSP पर व्यय किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशासन व्यवस्था, IRDP, TRYSEM, DPAP, JRY आदि पर व्यय के द्वारा रोजगार एवं स्थानीय संसाधनों का विकास किया जाता है। सिंहभूम जिला के चाईबासा तथा चक्रधरपुर अनुमंडलों में कोल्हन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि इस अत्यन्त पिछड़े एवं जनजातीय बहुल क्षेत्र का तीव्र विकास हो सके।

विशेष अंगीभूत योजना (Special Component Plan—SCP)—राज्य में कुल आबादी का 14·51% अनुसूचित जाति की आबादी है जिनमें से अधिकांश भूमिहीन मजदूर हैं। इस वर्ग विशेष की साक्षरता दर भी अत्यन्त निम्न है जिसके कारण यह सार्वभौमिक कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए SCP के अन्तर्गत राज्य नियोजन राशि से आवंटन कर इस वर्ग के हितों की सुरक्षा का उपाय किया जाता है। इसके अन्तर्गत IRDP, DPAP, JRY विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आदि पर आवंटन द्वारा इन्हें आय समर्थन तथा मजदूरी प्रधान रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में पहले से चली आ रही SEEUY योजना को प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म रोजगार या उद्योग के लिए 100000 रु० का ऋण चुने हुए व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है जिस पर केन्द्र सरकार 15% सबसिडी देती है। 1994-95 में 22150 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य था परन्तु केवल 2000 लोगों को ही ऋण दिया जा सका।

बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

समाज के कमजोर एवं असहाय तबकों के लिए अनेक वर्षों से राज्य सरकार कई कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ चला रही है। ये योजनाएँ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अतिरिक्त हैं। इन राज्य स्तरीय योजनाओं का वित्त भार राज्य स्वयं अपने कोष से पूरा करता है। बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में विशेष कल्याणकारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एवं सुरक्षा योजनाओं की महत्ता इस बात से भी बैठ जाती है कि राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लगभग आधी आबादी वास करती है। राज्य में गरीबों की साधन विहीनता का यह आलम है कि यहाँ 30-33 प्रतिशत आबादी भूमिहीन मजदूरों की है तथा इनमें से 12 प्रतिशत लोगों के पास आवासीय भू-खण्ड तक नहीं है। ऐसे साधन विहीन नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। राज्य में चलाई जा रही प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) **असंगठित मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना**—इस योजना के तहत 16 से 65 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर जिनकी वार्षिक आय छः हजार रु० से कम है की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग भंग होने पर उनके आश्रितों को अधिकतम दस हजार रु० तक का राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से भुगतान किया जाता है। दुर्घटना के फलस्वरूप दो अंगों या दोनों आँखों के क्षतिग्रस्त होने पर तीन हजार तथा एक अंग या एक आँख के भंग होने पर दो हजार रु० के भुगतान की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि मजदूर, व्यवसाय एवं उत्पादक प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक मजदूर, भेंडर्स, बीड़ी मजदूर, ठेला चालक आदि को व्यवसायिक एवं प्राकृतिक विपदा के कारण मृत्यु एवं अंग-भंग के समय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना से 1988-89 में 567 परिवारों को लाभ मिला था परन्तु 1992-93 में इस मद में वित्त विभाग द्वारा 25 प्रतिशत कटौती किये जाने से मात्र 192 परिवारों को वित्तीय राहत दी जा सकी है।

भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1995 से पूरे देश में असंगठित मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का व्यय भार स्वयं उठाने का निश्चय किया है। राष्ट्रीय लाभान्वित योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दस हजार रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पाँच हजार रुपये जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जाएगा। अब इस योजना पर राज्य सरकार का व्यय भार स्वतः कम हो जाएगा।

(ii) **अनियोजन संकेतक भत्ता योजना**—बेरोजगारी राहत योजना के रूप में लागू की गई इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को एक सौ रुपये प्रतिमाह सांकेतिक भत्ता के रूप में दिया जाता है। 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत तीन लाख पहचान किये गये शिक्षित बेरोजगारों को राहत पहुँचाना था, परन्तु 1994-95 में मात्र 1·18 लाख की पहचान की जा सकी। इन पहचान किये हुए बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वित्त विभाग ने भी 36 करोड़ रुपये की माँग के बदले मात्र 6 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। केन्द्र सरकार भी इस योजना में सहयोग नहीं देती है, जिससे यह योजना राज्य में लगभग निष्क्रिय हो चुकी है।

(iii) **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**—यह पूर्णतः राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में गठित की गई थी जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब वृद्ध एवं वृद्धा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

को 100 रुपये मासिक पेन्शन भुगतान करने का प्रावधान है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से लागू की जाती है। वर्ष 1981-82 में 23·22 लाख रुपया गरीब वृद्धों एवं वृद्धाओं को बांटा गया। परन्तु 1994-95 में यह राशि घट कर मात्र 11·55 लाख रुपया ही रह गई। राज्य में 1994-95 तक 12·07 लाख पहचान किये गये लाभार्थियों को यदि उचित रूप से भुगतान किया जाए तो इस पर कुल व्यय 140 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आता है। राज्य सरकार वित्तीय साधनों के अभाव में इस योजना को कुशलता पूर्वक चलाने में असमर्थ साबित हुई है।

केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीब वृद्ध एवं वृद्धा को 75 रु० प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था है। यह केन्द्रीय योजना सभी राज्यों में जिला प्रशासन के माध्यम से लागू की जा रही है। इस योजना के द्वारा, पूर्व से चली आ रही राज्य स्तरीय पेंशन योजना में अनुदान या भागीदारी निश्चित करने की व्यवस्था न होने से राज्य को विशेष लाभ होता नहीं दिखता है।

(iv) **वस्त्र वितरण योजना**—राज्य सरकार ने 1981-82 से अत्यंत गरीब, भिक्षुकों एवं उपेक्षित लोगों के बीच कम्बल, साड़ी, धोती आदि के वितरण करने हेतु 'वस्त्र वितरण योजना' का गठन किया। 1981-82 में इसके लिए 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई जिससे 50 हजार व्यक्ति को लाभ पहुँचाया गया। इस योजना पर 1985-86 के पश्चात् सरकार ने उदासीनता दिखायी है तथा इसका क्रियान्वयन मुख्यतः राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही किया जाता है। 1991-92 से वित्तीय कठिनाइयों के नाम पर यह योजना स्थगित कर दी गई थी परन्तु 1995-96 में इसे पुनः लागू किया गया है। यह पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार कोई सहयोग नहीं देती है।

(v) **हस्तकरघा मजदूर सामुहिक बीमा योजना**—यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत सहभागिता से चलाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष उम्र वाले हस्तकरघा मजदूरों का जीवन बीमा निगम में बीमा कराया जाता है जिसकी 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। 1990 तक 53 हजार से भी अधिक हस्तकरघा मजदूरों को इस योजना के तहत लाया गया परन्तु 1992 से राज्य सरकार द्वारा समय पर बीमा राशि के भुगतान न करने से मृत बुनकरों की आश्रितों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(vi) **बन्धुआ मजदूर पहचान एवं पुर्नवास कार्यक्रम**—बंधुआ मजदूर मुक्ति एवं पुनर्वास को बढ़ोत्रा देने के उद्देश्य से इस योजना का गठन किया गया था। यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत सहभागिता में चलाई जाती है। राज्य सरकार प्रत्येक बंधुआ मजदूर की विमुक्ति पर उनके पुनर्वास हेतु 3125 रुपये व्यय करती है और इतनी ही रकम केन्द्र सरकार भी प्रदान करती है। राज्य में यह योजना जिला प्रशासन के माध्यम से चलाई जा रही है। इ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

योजना के क्रियान्वयन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्रशासन की बंधुआ मजदूर की पहचान एवं विमुक्ति के प्रति उदासीनता है।

राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र एवं राज्य एवं केन्द्र के सहयोग से चलाई जानेवाली इन अनेक योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से भूमिहीन कृषि मजदूर बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभान्वित योजना, झोपड़ी बीमा योजना, आई. आर. डी. पी. ऋण धारक समूह बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ उल्लेखनीय हैं।

इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इनके संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा इन पर किया जानेवाला प्रशासनिक व्यय कम किया जाए। राज्य सरकार समय-समय पर वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन योजनाओं के मदों में कटौती करती रही है जो अवांछनीय है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की योजनाओं में भी समुचित सहयोग देना चाहिएं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

राज्य में आवश्यक खाद्यान्नों के मूल्य तल में स्थिरता लाने तथा कमजोर वर्ग को समर्थन देने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र एवं राज्य सरकार का एक सामुहिक प्रयास है जिंसके अन्तर्गत केन्द्रिय अभिकरण की सहायता से आवश्यक खाद्यान्नों का राज्यों को आवंटन किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) खाद्यान्न खरीदकर इसे राज्य सरकारों को देता है जो कि पुनः उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कार्डधारियों को सस्ते मूल्य पर बेचा जाता है। खाद्यान्नों के क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य के अन्तर को ही खाद्यान्न अनुदान Food Subsidy कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य ध्येय कमजोर वर्ग को खाद्य संरक्षण प्रदान करना तथा मूल्य तल में स्थिरता बनाए रखना है। खाद्यान्न के अतिरिक्त इससे अनेक अन्य वस्तुओं का भी आवंटन होता है।

राज्य में वर्तमान में इस व्यवस्था की प्रकृति सर्वव्यापी (Universal) है। 1992 से अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र एवं सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पुर्नगठित जन वितरण प्रणाली लागू की गई। यह नई व्यवस्था पहचान किये गये ऐसे प्रखण्डों में लागू की गई है जहाँ पहले से ही समेकित आदिवासी विकास परियोजना, सूखा पीड़ित विकास योजना तथा पठारी क्षेत्र विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसके अन्तर्गत सस्ते दर पर घर-घर वितरण (Door Step Delivery) व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। जून 1997 से लक्ष्य-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Target PDS) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य में कुल 51828 उचित मूल्य की दुकानें (Fair Price Shops) काम कर रही हैं। पुर्नगठित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अलग से उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का क्रय लगातार घटता जा रहा है तथा चीनी एवं किरासन तेल की ही अधिक मांग होती है। यह व्यवस्था अत्यन्त गरीब वर्ग को संरक्षण प्रदान करने में पूरी तरह सफल साबित नहीं हुई है। बिहार को 1992-93 में जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत 926 हजार टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ जबकि गरीबों की संख्या को देखते हुए इसे कम से कम 2756 हजार टन की आवश्यकता थी। इससे यह साबित हो जाता है कि सर्वव्यापी प्रणाली का लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नहीं हैं। इस व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा होती है क्योंकि इन दूर-दराज के इलाकों में खाद्यान्न मूल्य यातायात लागत के जुट जाने से शहरों की अपेक्षा अधिक मँहगा हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण एक तिहाई खाद्यान्न, आधा से अधिक किरासन तेल तथा 40% चीनी कालाबाजार में बिक जाती है, जिससे खाद्य अनुदान का फायदा व्यापारियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों को अधिक और गरीबों को कम होता है।

●

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-16

कृषि : समस्याएँ एवं विकास

परिचय—बिहार की कुल जनसंख्या का 86 प्रतिशत गाँवों में वास करता है और 80·6 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि के द्वारा 1951 में राज्य घरेलू उत्पाद (State Domestic Product–SDP) में 64·3 प्रतिशत का योगदान दिया गया था जो अब 1993-94 में घटकर 37·87 प्रतिशत रह गया है। भारत में इसी अवधि में कृषि का सकल घरेलु उत्पाद में योगदान 60·3 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत से भी कम रह गया है। राज्य घरेलु उत्पाद में कृषि में वृहत योगदान जनसंख्या के प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता का सूचक है जो राज्य के पिछड़ेपन एवं गरीबी को दर्शाता है।

भूमि का वितरण—राज्य के अन्य आर्थिक क्षेत्र के विकास के अभाव में कृषि में जनसंख्या की सघनता बढ़ी है। राज्य में 76·6 प्रतिशत कृषक सीमान्त किसान की श्रेणी में आते हैं जबकि 1951 में इनकी संख्या 64·3 प्रतिशत थी। इनके पास एक हेक्टर या कम भूमि है जो एक गैर आर्थिक जोत की इकाई है। ऐसे किसान कृषि के अतिरिक्त श्रम अथवा अन्य कामों से अपने आय में वृद्धि करते हैं। इनमें से अधिकांश किसान गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ऐसे किसानों को कुल खेती योग्य भूमि का 30% से कम स्वामित्व प्राप्त है। 19·4% किसानों के पास 1 से 4 हेक्टर भूमि है जिन्हें लघु किसान कहा जाता है। राज्य में केवल 3·8 प्रतिशत कृषक परिवार के पास 4 हेक्टर से अधिक भूमि है जो कि आर्थिक रूप से लाभकारी है। ऐसे कृषकों के पास कुल जोत योग्य भूमि का 30 प्रतिशत है। राज्य में सीमान्त किसानों के पास औसतन 0·37 हेक्टर भूमि है जबकि बड़े किसानों के पास औसतन 16 हेक्टर भूमि है। राज्य में 27 प्रतिशत भूमिहीन हैं और 12 प्रतिशत लोगों के पास मकान की भूमि तक नहीं है। भूमि जैसे जीविकोपार्जन के महत्त्वपूर्ण साधन में घोर विषमता ने भूमि-विवाद एवं उग्रवाद को जन्म दिया है।

भूमि वितरण से यह स्पष्ट है कि 75 प्रतिशत लोग अपने दो समय का भोजन भी जुटा पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके द्वारा कृषि कार्य में कोई अतिरेक उत्पन्न नहीं होता। राज्य में भू-स्वामित्व की औसत इकाई 1951 के पश्चात लगातार घटती रही है। इस संबंध में विभिन्न वर्षों की कृषि जनगणना से प्राप्त आँकड़े निम्नलिखित है—

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी–I
औसत जोत की इकाई का आकार

(हेक्टर में)

	1970-71	1980-81	1985-86
उत्तर बिहार	1·2	0·73	0·62
दक्षिण बिहार	1·4	0·94	0·83
छोटानागपुर का पठार	2·3	1·83	1·58

उत्तर बिहार में जनसंख्या के दबाव से छोटे आकार के जोत की इकाईयों की बहुलता है। तीन चौथाई से भी अधिक जोत की इकाईयाँ 0·5 हेक्टर से भी कम हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादकता एवं आय का आकार स्वाभाविक रूप से संकुचित हो जाएगा। छोटी जोत की इकाईयों के कारण भूमिहीन श्रमिकों की आय अत्यन्त कम होती है जिससे इनकी अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती है।

उत्पादकता एवं कृषि विकास दर—भारत में हरित् क्रांति की लहर से बिहार अछूता ही रहा है। आज भी कृषि प्रधानतः परम्परागत एवं खाद्य फसलों तक ही सीमित है।

सारणी–II
कृषि उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादकता में सकल (Compound) विकास दर

विवरण	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादकता
1. 1969–70 से 1990–91 (सर्व भारत)	2.8	0.2	2.6
2. 1969-70 से 1990-91 (बिहार)	1.7	(–)0.2	1.9
3. खाद्यान्न फसल	3.04	0.23	2.60
4. गैर खाद्य फसल	2.80	1.39	1.16
5. सभी फसल	3.04	0.46	2.33

Source : CMIE 1992 HISAM 110

सारणी–2 से यह स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता दर दोनों ही बिहार में सर्वभारत औसत वृद्धि दर से कहीं कम है। जहाँ राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है वहीं यहाँ पर कृषि विकास दर पिछले दो दशकों में मात्र 1·7 प्रतिशत रही है। इस अवधि में ही सर्वभारत औसत 2·8 प्रतिशत थी। राज्य में जीवनदायी एवं परम्परागत कृषि के स्वरूपों के कारण उत्पादकता मात्र 1·9 प्रतिशत थी जबकि सर्वभारत उत्पादकता 2·6 प्रतिशत थी। 1980–81 के पश्चात् राज्य में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कुछ सुधार की प्रवृति देखी गई है तथा विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम एवं विशेष खाद्यान्न उत्पादन जैसे केन्द्रीय कार्यक्रमों के प्रभाव में वृद्धि दर में गहनता आई है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 44·42 लाख टन था जो 1993–94 में 109·14 लाख टन हो गया। सरकार के प्रतिवेदन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के अनुसार 1994–95 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 168·35 लाख टन हो गया है।

फसल पद्धति—विगत दो दशकों में राज्य में फसल उत्पादन पद्धति (cropping pattern) में मूलभूत परिवर्तन हुआ। राज्य के समर्थन के अभाव तथा कृषि विश्वविद्यालयों की सुस्त रफ्तार के बावजूद अब किसान स्वयं ही फसल संबंधी निर्णय ले रहे हैं और, सीमित परिधि में ही सही, अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। कृषि पदार्थों के मूल्य एवं आय की दृष्टि से गेंहूँ, चावल से अधिक लाभकारी है। अतः राज्य में भी पिछले एक दशक में चावल की अपेक्षा गेंहूँ का अधिक उत्पादन किया जाने लगा है। दलहन की खेती में भी वृद्धि हुई है। यह दलहन पदार्थों में लगातार मूल्यवृद्धि का परिणाम है। 1985-86 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान 52·31 प्रतिशत था जबकि गेंहूँ का अंश 26·80 प्रतिशत था। 1994–95 में चावल का अंश घटकर 38·61 प्रतिशत हो गया और गेंहूँ का योगदान बढ़कर 39·20 प्रतिशत हो गया। खाद्यान्न फसल उत्पादन में विभिन्न फसलों का क्षेत्र निम्न प्रकार से है—

सारणी–III

बोई गई फसल का क्षेत्र (कुछ क्षेत्र का प्रतिशत)

फसल	1970–71	1980–81	1990–91
चावल	54·6	54·9	56·2
गेंहूँ	12·0	17·8	21·9
मक्का	9·8	8·8	7·6
दलहन	16·5	13·6	11·9

स्रोत—Bihar at a Glance (DSE) बिहार सरकार, 1994

पिछले बीस सालों में गेंहूँ की फसल का क्षेत्र लगभग दुगना हो गया है जबकि धान की खेती वाले क्षेत्र में केवल सीमान्त वृद्धि (1·6%) हुई है। यह परिवर्तन मुख्यतः मोटी फसलों (ज्वार, बाजरा आदि) के क्षेत्र में गिरावट का परिणाम है। कुल खाद्यान्न उत्पादन का 78·1 प्रतिशत क्षेत्र पर धान एवं गेंहूँ की फसलें बोई जाती है। 1980–81 के पश्चात् इन दोनों खाद्य फसलों के उत्पादन में लगातार प्रगति हुई है। यदि 1980-81 से 1990-91 के आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तब हम पाते हैं कि राज्य में कृषि उत्पादकता और राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता दोनों ही 3·4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। 1969-70 से 1990–91 के बीच कृषि बिहार की उत्पादकता 1·9 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय 2·6 प्रतिशत थी। हरित् क्रांति के पूर्व भी बिहार में उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक थी और पुनः इसमें 1970 के पश्चात् ह्रास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है।

भूमि उपलब्धि—राज्य में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धि 1950-51 में 0·29 हेक्टर थी जबकि सर्वभारत औसत 0·32 हेक्टर था। 1991 में राज्य में प्रतिव्यक्ति भूमि उपलब्धि घटकर 0·18 हेक्टर हो गई जबकि सर्वभारत औसत 0·23 है। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वभारत की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अपेक्षा बिहार में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। भूमि का सीमित होना तथा नई तकनीक का कृषि कार्यों में मध्यम प्रयोग भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

राज्य में सकल फसल क्षेत्र (Gross Crop Area) 1989-92 (औसत) 0·14 हेक्टर था जबकि सर्वभारत में यही 0·29 हेक्टर था। राज्य में सकल फसल क्षेत्र 105·1 लाख हेक्टर है जो कि सर्वभारत का मात्र 5·83 प्रतिशत है। 1950-51 में बिहार का सकल फसल क्षेत्र सर्वभारत का 7·91 थां। 1950-51 में बिहार का शुद्ध बोआई क्षेत्र कुल कृषि योग्य भू-भाग का 43·2 प्रतिशत था। विगत चालीस वर्षों में शुद्ध बोआई क्षेत्र का आकार बिहार में 85·6 लाख हेक्टर से घटकर 76 लाख हेक्टर हो गया जबकि इसके विपरीत भारत में शुद्ध बोआई क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह है कि बिहार का शुद्ध बोआई क्षेत्र सर्वभारत का 7·2 प्रतिशत से घटकर 5·3 प्रतिशत रह गया है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार बिहार में जोत का औसत आकार 1·38 हेक्टर तथा 0·68 हेक्टर के बीच बताया गया है।

उर्वरक एवं उन्नत बीज का प्रयोग—कृषि उत्पादन एवं उत्पांदकता जोत की इकाई के अतिरिक्त आधुनिक कृषि विधियों से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। इनमें उर्वरक का एवं उन्नत बीज का प्रयोग उल्लेखनीय है। बिहार में उर्वरक का प्रयोग अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम है।

सारणी–IV

उर्वरक का प्रयोग एवं खाद्यान्न उत्पादन

राज्य/क्षेत्र	कि०ग्रा/हेक्टर	खाद्यान्न उत्पादन (1993-94)
1. बिहार	55	109·14
उत्तर बिहार (मैदानी भाग)	48	
दक्षिण बिहार (मैदानी भाग)	76	
छोटानागपुर (पठारी क्षेत्र)	16	
2. बंगाल	77	127·02
3. पंजाब	145	199·08

उर्वरक का उच्च प्रयोग बिहार के मध्य मैदानी भाग में ही अधिक है और यही क्षेत्र राज्य में गेंहूँ की फसल के लिए भी प्रमुख है। उत्तर बिहार में चावल की अधिक बोआई होती है तथा बाढ़ एवं हरी खाद (गैर रासायनिक) के प्रयोग की बहुलता है। उक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल, जहाँ बिहार की अपेक्षा सिंचाई की सुविधाएँ बहुत कम हैं, खाद्यान्न उत्पादन में उच्च उर्वरक प्रयोग के कारण बिहार से बहुत आगे है। बंगाल में शुद्ध बोआई क्षेत्र (Net

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Area Sown) मात्र 53 लाख हेक्टर है जबकि बिहार में यह लगभग 77 लाख हेक्टर है। उच्च उर्वरक के प्रयोग से अगहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में उर्वरक एवं उन्नत बीजों (HYV) के निम्न प्रयोग के कारण बिहार में धान उत्पादन 1250 Kg/ha था छोटानागपुर क्षेत्र में मात्र 977 Kg/ha) जबकि पंजाब में यह 3000 Kg/ha था।

जल प्रबंधन—हरित क्रांति का मुख्य आधार उन्नत बीज, उर्वरक एवं पानी है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के अभाव में कृषि उत्पादन में विशेष सफलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिहार में शुद्ध बोआई वाले क्षेत्र पंजाब के समकक्ष हैं तथा बंगाल से कहीं अधिक, परन्तु कुल उत्पादन की दृष्टि से बिहार इन दोनों राज्यों से बहुत पीछे है। जलापूर्ति से संबंधित दो समस्याएँ राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में पीछे ढकेलती जा रही है।

(क) **बाढ़ की समस्या**—उत्तर एवं मध्य बिहार में उन्नत भूमि एवं पर्याप्त वर्षा के बावजूद उत्पादकता अत्यन्त निम्न है। खरीफ की पैदावार कुल उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष 300 से 350 करोड़ रुपये मूल्य की फसलों का नुकसान होता है। उत्तर बिहार में हिमालय से प्रवाहित नदियाँ जल प्रबंधन के अभाव में पूरे क्षेत्र को जल की चादर से ढँक देती है। गंगा बिहार में पश्चिम से पूरब तक 445 कि.मी. तक प्रवाहित होती है और मौनसून में इसका अतिरिक्त जल निचले इलाकों में भर जाता है। उत्तर में कोशी तथा गंडक भी बाढ़ का मुख्य कारण है। दक्षिणी मैदान (मध्य बिहार) गंगा तथा सोन के पानी से बाढ़ की चपेट में आ जाता है। 1991 से केन्द्र द्वारा बाढ़ पर तकनीकी मिशन (Technology Mission) बनाने की बात बार-बार उठती है परन्तु उसका कोई व्यवहारिक समाधान अभी तक नहीं किया गया।

(ख) **सिंचाई व्यवस्था**—सिंचाई कृषि अधिसंरचना (Infrastructure) का महत्त्वपूर्ण अंग है। 1950-51 से 1987-88 के बीच बिहार में सिंचाई 20·2 लाख हेक्टर से बैठकर 40·1 लाख हेक्टर हो गई। उपलब्ध सिंचाई सुविधा सर्वभारत का 5·5 प्रतिशत है। इसी अवधि में सकल सिंचाई क्षेत्र 10·94 लाख हेक्टर से बढ़कर 30·94 हेक्टर हो गया तथा शुद्ध सिंचाई क्षेत्र 1987-88 में 30·07 लाख हेक्टर हो गया था। धान की खेती में 36·2 प्रतिशत भूमि तथा गेंहूँ की खेती में 83·8 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है। कुल खाद्य फसलों में 41·9 प्रतिशत में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य में सिंचाई व्यवस्था (कनाल नेटवर्क) पंजाब से कम नहीं है परन्तु जहाँ पंजाब में विभिन्न मौसम की आवश्यकता के अनुसार जलाशय (reservoirs) की बहुलता है वहीं बिहार में रिजर्वायार की जगह बैराज (anicuts or barrages) व्यवस्था अपनाई गई है जिससे केवल जल उपलब्धि के समय ही वितरण प्रबंधन किया जा सकता है। इससे बिहार में रबी की उचित सिंचाई नहीं हो पाती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी–V

वृहत एवं सूक्ष्म (Major and Minor) सिंचाई परियोजनाएँ

राज्य	सिंचाई की पूर्ण (000 हेक्टर में)	क्षमता की वास्तविक उपलब्धि, 1992	उपलब्धि का %
1. बिहार	6500	2776	42·7
2. पंजाब	3000	2413	80·43
3. प० बंगाल	2300	1296	55·17

भूगर्भ जल के विदोहन के लिए नलकूप का व्यापक प्रयोग होता है। इसका विस्तार एवं प्रयोग बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करता है। जहाँ भारत में 83% गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है वहीं बिहार में केवल 68·60% गाँवों का 1994 तक विद्युतीकरण हो पाया था। प्रति विद्युतिकृत गाँवों में मात्र 5·55 बिजली का कनेक्शन है जबकि सर्वभारत में यह 18·52 है। विद्युतीकरण की निम्न अवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में भारी कमी के कारण स्थापित सिंचाई क्षमता का पूरा प्रयोग संभव नहीं है।

(नोट—सिंचाई एवं बाढ़ की समस्या का विस्तृत विवरण अध्याय भौगोलिक संरचना में भी दिया गया है।)

कृषि साख—राज्य में कृषि विकास की भारी संभावनाएँ हैं। अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि चाहते हुए भी वित्त सुविधा के अभाव में कृषि में नई तकनीक एवं उर्वरक का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राज्य में 1995-96 में व्यवसायिक बैंकों के पास 1402 करोड़ रुपये जमा थे परन्तु उनके द्वारा 1500 करोड़ से भी कम कृषि सहित अन्य प्राथमिक कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 1400 करोड़ जमा था परन्तु केवल 30 करोड़ रुपया की ग्रामीण साख उपलब्ध करायी गयी। सबसे दयनीय स्थिति सहकारी संस्थाओं की है जिनके द्वारा मात्र 150 करोड़ ही ऋण उपलब्ध कराया जा सका। जबतक ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था मजबूत नहीं होती यहाँ कृषि विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है।

(नोट—ग्रामीण वित्त और अधिक विस्तृत हेतु विवरण के लिए अध्याय वित्त व्यवस्था देखें।)

राज्य में छोटी जोत की इकाइयों की बहुलता के बावजूद भी कृषि विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। यहाँ की भूमि उर्वर है तथा किसान परिश्रमी। बिहार के भूमिहीन श्रमिकों ने अन्य प्रदेशों में हरित् क्रान्ति की मशाल जलाई है। ऐसे में यदि उचित संरचना (जल प्रबंध एवं साख) की उपलब्धि करा दी जाए तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत बना दिया जाए तो यह प्रदेश नवीन कृषि क्रांति का अग्रिम राज्य बन जाएगा। कृषि विकास के लिए कुछ प्रस्ताव अग्रलिखित हैं—

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साख व्यवस्था—राज्य में साख व्यवस्था प्रधानतः सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को पुर्नस्थापित करना होगा ताकि नाबार्ड से साधन प्रवाद में जो गतिरोध आ गया है उसे दूर किया जा सके। विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं विशेष कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकिंग व्यवस्था से अधिक वित्त पोषण की आशा की जानी चाहिए। यह बिना सरकारी हस्तक्षेप एवं नौकरशाही के रवैये में बदलाव के संभव नहीं है।

जल प्रबंधन—जल प्रबंधन कृषि विकास का सूत्रधार है। यह अधिक सक्षम ढंग से उसी समय लागू किया जा सकता है जब किसानों की भागीदारी का स्तर उच्च सीमा पर हो। जल उपभोक्ता संघों (Water Users Association) की व्यवस्था के अभाव में जल आपूर्ति में माँग-पत्र की बराबर अवहेलना होती रही है। आपूर्ति आधारित कार्यक्रम नौकरशाही की उदासीनता एवं भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई दिशा देने की आवश्यकता है। ताकि भूगर्भ जल का आदर्श प्रयोग किया जा सके। इस कार्य के लिए सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विपणन व्यवस्था—कृषि अब न केवल उद्योग का दर्जा ले रही है बल्कि गैट समझौते के पश्चात् इसमें निर्यात की भारी संभावनाएँ भी उत्पन्न हुई हैं। आन्तरिक बाजार भी विस्तृत हो रहा है तथा कृषि का स्वरूप जीवनदायी से धीरे-धीरे व्यवसायिक होता जा रहा है। आज से 25 वर्ष पूर्व जुलाई 1972 में बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत विश्वबैंक की सहायता से बिहार कृषि विपणन परिषद् (Bihar Agricultural Marketing Board) का गठन किया गया। इसका उद्येश्य राज्य में कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बिचौलिए मुक्त व्यापार तथा कृषि विपणन का नेटवर्क तैयार करना है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। विपणन पर्षद के द्वारा 67 बाजार प्रांगण, 778 ग्रामीण घटलिंग रोड, भंडारन एवं शीतगृह क्षमता का निर्माण किया गया है।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (RIDF)— ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कोष की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं तथा राज्य ट्यूबवेल कार्यक्रमों का वित्तपोषण एवं संचालन होता है। इस कोष का क्षेत्र एवं साधन इतना सीमित है कि इस कार्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है। 1996-97 में इस पर मात्र 50 करोड़ व्यय का प्रावधान था।

Watershed भूमि प्रबंधन एवं शुष्क भूमि विकास—राज्य में 3147 पहचान किये गये Watershed है जो 300 प्रखण्डों में फैले हुए है। इसमें 91 प्रखण्ड उत्तर बिहार तथा 209 प्रखण्ड दक्षिण बिहार में है। 590 ऐसे Watershed का Dryland कृषि के लिए चुनाव किया गया है और 7 लाख हेक्टर के विकास का कार्यक्रम चल रहा है।

दियारा विकास योजना—राज्य में 863 लाख हेक्टर दियारा क्षेत्र में नाबार्ड की सहायता से पुर्नस्थापना एवं विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सिंचाई एवं जल प्रबंधन, वानिकी, पशुपालन एवं भू-समतलीकरण की योजनाएँ चल रही हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बंजर भूमि (Wasteland) विकास—राज्य में बंजर भूमि विकास के लिए भी राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की सहायता से विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बंजर भूमि विशेषकर भूदान में बाँटी गई भूमि के लिए यह प्रयास अति आवश्यक है ताकि उन गरीब ग्रामीणवासियों को जिन्हें यह बाँटी गई है सही रूप से इसका लाभ दिलाया जा सके।

भूमि सुधार—भूमि स्वामित्व एवं वितरण में घोर विषमता भी कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य में जमीन्दारी उन्मूलन एवं काश्तकारी के शर्त्तों के निर्धारण से कृषि की व्यवस्था पर बहुत हद तक अच्छा प्रभाव पड़ा। तदोपरान्त केन्द्रीय नीति के अन्तर्गत भू-चकबन्दी (Land consolidation) का कार्यक्रम चलाया गया जिससे अपखण्डित एवं विभाजित इकाइयों के एकीकरण का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम बड़े भू-स्वामियों के दबाव के कारण विवाद एवं शोषण का कारण बन गया जिसके परिणामस्वरूप बिहार में 1994-95 में इसे स्थगित कर दिया गया।

भू-सुधार का सबसे प्रभावपूर्ण कार्यक्रम भूमि हदबन्दी (Land ceiling) है। राज्य में बड़ी जोतों के वर्चस्व एवं बड़े फार्मों की निम्न उत्पादकता को देखते हुए राज्य में भी भूमि-हदबन्दी विधान तैयार किया गया। इस अनुमान पर कि यदि सीमान्त जोत की इकाई और बड़ी कर दी जाए तो उसकी उत्पादकता और अधिक बढ़ जाएगी। राज्य में दिसम्बर, 1994 तक 489,000 एकड़ भूमि सीमाबन्दी (Surplus) के योग्य घोषित की गई तथा 295,500 एकड़ भूमि 359,000 वर्गीकृत ग्रामीणों में वितरित की गई। इसमें से 1700 एकड़ भूमि सार्वजनिक प्रयोग के लिए सुरक्षित रखी गई। अभी भी सीमाबन्दी योग्य घोषित की गई। भूमि का पूरा वितरण नहीं किया जा सका है। भूमि सीमाबन्दी में वैधानिक विवाद के परिणामस्वरुप इसका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। 161,000 दावे भूमि हदबन्दी से संबंधित हैं जो विभिन्न अदालतों में लम्बित पड़े हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर हम यह पाते हैं कि संरचना, समर्थन तथा स्पष्ट नीति एवं क्रियान्वयन के अभाव में कृषि की विकास दर अत्यन्त निम्न है। यदि इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का विकास करना है तो ठोस नीतियाँ एवं इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-17

उद्योग एवं निर्माण

परिचय—स्वतंत्रता के पूर्व बिहार एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। 1947 तक बिहार में अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योग जैसे इस्पात, सीमेंट, चीनी, जूट, कागज, कृषि प्रोसेसिंग एवं अन्य औद्योगिक इकाइयाँ राज्य में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। स्वतंत्रता पश्चात् अनेक वृहत उद्योगों की स्थापना हुई जिनमें लोक क्षेत्र में स्थापित इस्पात (बोकारो) खाद (सिंदरी) तेल शोधन (बरौनी/कामा) भारी यंत्र (राँची) दवा (मुजफ्फरपुर) आदि उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक्स, भारी वाहन, कृषि प्रोसेसिंग, खनन् संबंधित उद्योग तथा चीनी मिट्टी भी राज्य में अवस्थित है। बिहार में 1991 तक कुल वृहत एवं मध्यम पंजीकृत उद्योगों की संख्या 941 थी जिनमें 19 लाख 17 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। वृहत उद्योगों के अतिरिक्त बिहार में कुशल एवं उन्नत कुटीर उद्योगों की कमी नहीं है। प्राचीन काल से ही प्रान्त विकेन्द्रित रूप पर सीकी, लाह, सूत, तसर, मलबरी, कालीन आदि वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। कुटीर उद्योगों के अलावा इस शताब्दी के प्रथम चरण से ही आधुनिक उत्पादन विधि पर आधारित लघु उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना हुई।

औद्योगिक विकास की अवस्था—औद्योगिक विकास की इस दशा के बावजूद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार औद्योगीकरण में अन्य राज्यों से पिछड़ता चला गया। बिहार का औद्योगिक विकास असंतुलन का शिकार रहा है। अधिकतर वृहत उद्योग बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में स्थित है जहाँ खनिज धन की प्रचुरता है। उत्तर बिहार के कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी, जूट, वस्त्र तथा कागज आदि धीरे-धीरे रूग्णता का शिकार हो गये हैं। राज्य में अनेक वृहत लोक उद्यमों की स्थापना के बावजूद भी औद्योगिक फैलाव या गहनता प्रभाव का अभाव रहा है। असमान औद्योगिक संरचना के कारण औद्योगिक विकास कुंठित हो गया है। औद्योगीकरण स्वरूप सामान्यतः आद्योगिक रोजगार में परिलक्षित होता है। औद्योगिक श्रमिकों में बिहार का हिस्सा मात्र 5.2 प्रतिशत है और यहाँ भी दो तिहाई से अधिक श्रमिक घरेलू उद्योगों में कार्यरत हैं। कारखानों में नियोजन की दृष्टि से जहाँ देश में 4.24 प्रतिशत श्रम शक्ति उत्पादक क्रियाओं में कार्यरत है वहीं बिहार में यह केवल 2.97 प्रतिशत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निवेश, रोजगार, मूल्यसंवर्द्धन आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र गिरावट आई है।

(क) **पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या**—1951 में राज्य में कुल पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या 455 थी जबकि सर्वभारत में यह 6982 थी; यानि के सर्वभारत की 6.5 प्रतिशत फैक्टरियाँ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में ही स्थापित थी। यदि सभी प्रकार की फैक्टरियों (गैर पंजीकृत सहित) के आँकड़े देखे जाएँ तो 1951 में बिहार में कुल 2605 फैक्टरियाँ कार्य कर रही थी जो कि सर्व भारत का 4·2 प्रतिशत था। 1989-90 में बिहार में पंजीकृत फैक्टरियों कुल भारत का मात्र 4·93 प्रतिशत रह गया और बिहार का स्थान 1951 में चौथे से घटकर 1990 में आठवाँ हो गया।

(ख) **उत्पादक पूँजी निवेश**—उत्पादक पूँजी निवेश में 1951 में बिहार का हिस्सा सर्वभारत का 10·29 प्रतिशत अथवा 713 करोड़ रु० में 73·40 करोड़ रु० था। बम्बई (अब महाराष्ट्र) का स्थान प्रथम तथा पश्चिम बंगाल का स्थान द्वितीय था। 1990 में भारत में कुल औद्योगिक पूँजी निवेश 113934 करोड़ रु० में बिहार का हिस्सा घटकर मात्र 7·6 प्रतिशत रह गया। औद्योगिक निवेश की दृष्टि से राज्य का स्थान अब छठा है और वह भी तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश के कारण। नीति निवेश में भारी कमी आई है और, अधिकतर वृहत इकाईयाँ (कुछ एक को छोड़कर) या तो रूग्न पड़ी है अथवा अन्य प्रदेशों में स्थानान्तरित हो गई है। उत्पादक निवेश के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के बाद आता है।

(ग) **औद्योगिक रोजगार**—औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 1951 में 180204 व्यक्ति कार्यरत थे जो सर्वभारत का 7·37 प्रतिशत था। 1980 के पश्चात औद्योगिक रोजगार में बराबर कमी आई है। 1989-90 में बिहार का अंश सर्वभारत औद्योगिक रोजगार में 4·6 प्रतिशत ही रह गया। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के संकुचन से राज्य में अर्द्ध एवं पूर्ण बेरोजगारी बढ़ी है।

(घ) **उत्पादन का सकल मूल्य एवं संवर्धन**—राज्य में 1951 में फैक्टरी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य सर्वभारत का 6·43 प्रतिशत था, 1956 में यह बढ़कर 6·65 प्रतिशत हो गया परन्तु 60 एवं 70 के दशक से उत्पादन सकल मूल्य (Gross value of output) में लगातार गिरावट की प्रवृति रही। 1989–90 मे यह घटकर 4·57 प्रतिशत हो गया। अभी इसमें गिरावट की प्रवृति पूर्ववत बनी हुई है।

इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के मूल्य संवर्धन (value-added) में बिहार का अंश 8·58% अथवा 29·56 करोड़ रु० था। 1985-86 में घटकर यह 5·8 प्रतिशत हो गया। इस दशक के प्रारंभ में इसमें कुछ सुधार हुआ जब यह 6·7 प्रतिशत हो गया।

औद्योगिक अवविकास एवं अवनिवेश की स्थिति ने 1990 के दशक में गंभीर रूप ले लिया। औद्योगिक लाईसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति तथा उदारवाद एवं निजीकरण के दौर में बिहार देश के मानचित्र पर और भी पिछड़ता जा रहा है। देश की कुल फैक्टरियों का मात्र 3·2% बिहार में है तथा 1990 में चालू मूल्यों पर औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में मूल्य संवर्धन (Value added) मात्र 305 रु० था जबकि उड़ीसा में यह 360 रु०, बंगाल में 340 रु० तथा महाराष्ट्र में 1266 रु० था। राज्य में स्थापित अधिकतर भारी एवं धातु आधारित उद्योगों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राप्त कच्चे माल के प्रयोग से अन्तिम उत्पादन अन्य राज्यों में होता है। इसीलिए यहाँ औद्योगिक विकास का अर्न्तलीकरण (Endogenisation) नहीं हो पाया है। जहाँ तक विदेशी निवेश का प्रश्न है 1993-94 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 11459 करोड़ रुपये था जो 1296 परियोजनाओं पर लगाया गया। बिहार में मात्र 5 प्रस्तावों पर 52 करोड़ व्यय किया गया जबकि महाराष्ट्र में 202 प्रस्तावों पर 1, 900 करोड़, गुजरात के 65 प्रस्तावों पर 1123 करोड़ निवेश हुआ।

पिछड़ेपन का कारण—बिहार के औद्योगिक रूप से पिछड़े रहने का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र की कमजोरियाँ हैं, जिससे बाजार की माँग की दशा निम्न रहती है तथा औद्योगिक वस्तुओं के बाजार का विस्तार नहीं हो पाता है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया केन्द्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण भी बाधित हुई। प्रशासनिक मूल्य नीति तथा भाड़ा समानीकरण (Freight equalisation) की नीति ने खनिज पर आधारित उद्योगों के विकास को न केवल बाधित किया बल्कि यहाँ से अप-औद्योगीकरण (deindustrialisation) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। केन्द्रीय वित्त संगठन जैसे IDBI, IFCI तथा ICICI का भी रवैया बिहार में विनियोग के प्रति उदासीन रहा है और न ही इनके पास कोई संयुक्त योजना ही है। असमान विकास की प्रक्रिया ने बिहार को अविकास के दुष्चक्र में फँसा दिया है।

वित्त पोषण की प्रतिगामी रचना के कारण न केवल अधिकतर लघु उद्योग रूग्ण हुए हैं बल्कि 60 बड़े एवं मध्यम उद्योग भी रून्न हो गये हैं। मुख्य रूप से डालमिया उद्योग (सीमेंट एवं कागज) अशोक पेपर मिल (समस्तीपुर) चीनी के कारखाने (गोरारू, बिहटा) हेवी इन्जीनियरिंग कारखाना (राँची) उषा ब्लैक (नानकुम) बिहार स्कूटर (फतुहा) आदि ऐसे बड़े रूग्ण उद्योग हैं जिनका प्रभाव राज्य के घरेलू उत्पादन एवं रोजगार पर पड़ता है। BIFR ने 35 ऐसे उद्योगों की पुनर्स्थापना के पैकेज (Package) की मंजूरी दे दी है।

बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग

चीनी उद्योग—स्वतंत्रतापूर्व भारत के चीनी उत्पादक प्रान्तों में बिहार का स्थान अग्रणी था। बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना सन् 1903 में मरहौरा में हुई। उपयुक्त वातावरण एवं उपजाऊ भूमि के कारण गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई। इस प्रकार बिना किसी संरक्षण के ही बिहार में चीनी मिलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 56 चीनी मिलों में से 33 मिलें बिंहार में ही स्थापित थीं जिससे इस प्रान्त को "Sugar Bowl" की संज्ञा दी जाने लगी। 1948 में सर्वभारत की 22·7 प्रतिशत चीनी मिलें बिहार में स्थापित थीं तथा चीनी उत्पादन में इसका स्थान दूसरा था। चीनी उद्योग में लगी कुल पूँजी का 20 प्रतिशत बिहार में निवेशित था। सर्वभारत चीनी मिल रोजगार का 29·50 प्रतिशत बिहार में ही था। आज यहाँ सर्वभारत का मात्र 3·4 प्रतिशत अथवा 4·62 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है और राज्य का स्थान चीनी उत्पादन में आठवाँ हो गया है। 1950 के दशक तक बिहार की चीनी मिलों की उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर पर 32 टन के बराबर थी परन्तु इसमें अनेक तकनीकी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एवं नीतिगत कारण से ठहराव-सा आ गया जबकि अन्त प्रान्तों में स्थापित मिलों की उत्पादकता लगातार बढ़ती रही। 1991 में जहाँ राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 65 टन थी वहीं बिहार की मात्रा 30.4 टन थी। 1970 से ही बिहार की चीनी मिलों में रूग्णता (Sickness) व्याप्त हो गयी। 1991 तक गन्ने की पेराई भी घटती चली गई। 1970 में 32 लाख टन गन्ने की पेराई हुई जबकि 1991 में यह 21 लाख टन ही थी।

रूग्ण इकाइयों की व्यवस्था हेतु 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम को एक सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया। रूग्ण चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में बनमनखी, गौरौल, रैचाम, वारसलीगंज, समस्तीपुर तथा गुरारु, सात चीनी मिलों का 1976 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1977 में पुनः लोहट तथा सकरी चीनी मिल का अधिग्रहण हुआ। 1979 तथा 1980 में न्यू सिवान तथा मोतीपुर मिलों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इस प्रकार चीनी निगम कुल ग्यारह चीनी मिलों के प्रबन्ध एवं पुर्नस्थापना के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीयकरण एवं भारी व्यय के बावजूद इन मिलों में अभी भी रूग्णता है। चीनी मिलों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

सर्वप्रथम अधिकतर रूग्ण इकाईयाँ 80-90 वर्ष पुरानी है तथा इनकी मशीनों की शक्ति लुप्त हो चुकी है जिससे उनमें उत्पादन बाधित होता रहता है। द्वितीय, प्रदेश में उत्पन्न गन्ने की किस्म निम्न है जिससे पेराई के समय कम रस प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में औसत प्राप्ति (Recovery) 11% है जबकि बिहार में यह मात्र 8% है। तृतीय, गन्ने का मुआवजा कम एवं अनियमिंत है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चतुर्थ, गन्ने के उत्पादन के लागत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। बिहार में सिंचाई की कमी के कारण भी गन्ने की फसल कम होती है।

सेन कमीशन (1965) तथा टैरिफ कमीशन (1969) ने बिहार को चीनी उत्पादन हेतु अत्यधिक उपयुक्त बताया था। परन्तु बिहार में 1949 से चीनी नियंत्रण नीति के कारण चीनी मिल के विकास को बड़ा धक्का लगा। 1974-75 में चीनी नियंत्रण कानून में आंशिक छूट दी गई तथा 1986-87 में चीनी नियंत्रण कानून को अधिक उदार बनाया गया फिर भी इससे राज्य में चीनी मिल विकास को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। चीनी उद्योग आज भी लाइसेन्स व्यवस्था के अन्तर्गत है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग—भारत में पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र झरिया कोयला क्षेत्र के कुल्टा जंगल में बराकर (Baraker) आइरन वर्क्स के नाम से 1881 में स्थापित किया गया परन्तु सही माने में लोहा इस्पात का विकास 1907 में साकची (जमशेदपुर) में स्थापित टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) की स्थापना से प्रारंभ हुआ। टिस्को में पहला लोहा उत्पादन 1911 में प्रारंभ हुआ। भारतीय तटकर बोर्ड की अनुशंसा पर 1921 में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया जिससे इसे विदेशी प्रतियोगिता से राहत मिली और इस संयंत्र में लगातार विस्तार हुआ। 1924 में जहाँ इसका कुल उत्पादन 50 हजार टन लोहा था वह 1950

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

51 में बढ़कर 10 लाख टन हो गया। 1948 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग के भावी विकास को राज्य का दायित्व बना दिया गया तथा राजकीय संयंत्रों के प्रबन्धन हेतु 1953 में हिन्दुस्तान स्टील की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्यालय राँची बनाया गया। हिन्दुस्तान स्टील का कोई भी संयंत्र 1966 तक बिहार में स्थापित नहीं था। 1966 में सोवियत रूस की सहायता से बोकारो स्टील लि० का निर्माण प्रारंभ हुआ जिसका प्रथम क्षमता प्रयोग 1979 में ही प्रारंभ हो सका। हिन्दुस्तान स्टील के पुनर्गठन के बाद स्टील ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया (SAIL) के अन्तर्गत इसका प्रबन्ध हस्तान्तरित कर दिया गया।

1979-80 में बोकारो की उत्पादन क्षमता मात्र 1.7 मिलियन टन थी जो क्षमता विस्तार के साथ ही बढ़कर 4.4 मिलियन टन हो गई जबकि टिस्को द्वारा कुल उत्पादन 2.04 मिलियन टन का हुआ। इस प्रकार भारत में कुल इस्पात उत्पादन का दो तिहाई बिहार में स्थापित टिस्को तथा बोकारो संयंत्रों द्वारा ही होता है।

1948 में लोहा एवं इस्पात उत्पादन में राज्य का स्थान छठा था परन्तु निवेश की दृष्टि से राज्य में 59·5 प्रतिशत पूँजी (सर्वभारत के कुल लोहा इस्पात उद्योग में निवेश) लगी थी तथा इसका स्थान प्रथम था। सर्वभारत लोहा इस्पात उद्योग में रोजगार का 50·5 प्रतिशत बिहार ही में था। आज भी बिहार का स्थान लोहा एवं इस्पात उत्पादन की दृष्टि से प्रथम बना हुआ है परन्तु विश्व स्तर पर लोहे के अति उत्पादन एवं मूल्यों में भारी गिरावट से यह उद्योग प्रभावित हुआ है। अब यह सूर्योदय (Sunrise) उद्योग न होकर सूर्यास्त (Sunset) उद्योग होता जा रहा है।

बिहार में प्रचुर कोयला एवं लौह खनिज की उपलब्धि के बावजूद भी अन्य इस्पात संयंत्रों की स्थापना अन्य प्रदेशों में की गई। कोयला के वितरण में समान परिवहन मूल्य (Freight Equalisation) की नीति से भी इस उद्योग को क्षति हुई। 1991 की औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा परिवहन मूल्य एकीकरण नीति के समाप्ति से इस उद्योग को विकास का अवसर मिलेगा। SAIL के सभी संयंत्रों में बोकारो ही एक संयंत्र सबसे कुशल माना जाता है जिसमें क्षमता का 85% प्रयोग होता है। टिस्को के संयंत्र में 110% स्थापित क्षमता का प्रयोग होता है।

सीमेंट उद्योग—बिहार में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद तक खेलाड़ी, डालमियानगर, सिंदरी एवं चाईबासा में चार अन्य इकाइयों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1955 में सिन्दरी में छठा संयंत्र स्थापित किया गया। 1970 तक बिहार में सीमेंट की कुल स्थापित 2.4 मिलियन टन तक पहुँच गई जो कि देश की कुल स्थापित क्षमता का 12.4 प्रतिशत था।

दुःख की बात यह है कि 1970 से 1993 के वीच बिहार में सीमेंट उत्पादन की स्थापित क्षमता में मात्र 0.1 मिलियन टन की ही वृद्धि हुई तथा कोई भी नया संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। इसके विपरीत गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि प्रान्तों में अनेक संयंत्र लगने से देश की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी। इसके कारण बिहार का योगदान 12.4 प्रतिशत से

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

घटकर 1993 में भारत की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का मात्र 4.53 प्रतिशत ही रह गया।

सीमेंट का वास्तविक उत्पादन अनेक संयंत्रों के रूग्ण हो जाने से स्थापित क्षमता से भी निम्न है। 1970 में जहाँ 1752 हजार टन का उत्पादन होता था वहीं 1993 में यह मात्रा घटकर 1178 हजार टन हो गयी। इस प्रकार देश के वास्तविक उत्पादन का मात्र 2.4 प्रतिशत ही बिहार में होता है। 1970 में जहाँ 70 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया गया वहीं 1993 में यह घटकर 45% रह गया।

सीमेंट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त ऊर्जा की कमी है। संयंत्रों को उनकी न्यूनतम आवश्यकता की लगभग 50-60 प्रतिशत ही आपूर्ति हो पाती है। द्वितीय समस्या कोयले की सामयिक आपूर्ति की है। कोयले का प्रयोग संयंत्र की भट्ठी की ऊर्जा के रूप में किया जाता है। रेलवे वैगन की कमी तथा श्रम असंतोष के कारण कोयले की आपूर्ति बाधित हो जाती है। पुराने होने के कारण सीमेन्ट संयंत्र की उत्पादन लागत भी आधुनिक संयंत्रों से अधिक है जिससे उद्योग की लाभदायिकता प्रभावित होती है। आवश्यकता है कि इन संयंत्रों के वित्तीय स्वास्थ्य को पुनः बहाल किया जाए जिसके लिए आधुनिकीकरण, विद्युत एवं कोयला आपूर्ति में सुधार तथा अनावश्यक वितरण नियंत्रण से मुक्ति अनिवार्य शर्तें हैं।

जूट उद्योग—राज्य में जूट उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज अररिया आदि जिले प्रसिद्ध रहे हैं परन्तु जूट उद्योग का केन्द्र कलकत्ता बना रहा। जूट उद्योग की शुरूआत यहाँ कलकत्ता की चटकल मिलों की प्रतियोगिता के बावजूद भी स्वतंत्रता-पूर्व हो चुकी थी। 1948 में बिहार में सर्वभारत की तीन प्रतिशत जूट फैक्टरियाँ स्थापित थीं तथा इसका स्थान दूसरा था। कुल चटकल मिलों की पूँजी का 3.2 प्रतिशत एवं कुल रोजगार का 3.4 प्रतिशत बिहार में ही था; परन्तु जूट उत्पाद की माँग में गिरावट तथा फैक्टरियों की जर्जर अवस्था के कारण यहाँ जूट का उत्पादन लगातार गिरता रहा है। वर्त्तमान में राज्य का स्थान जूट उत्पादन में चौथा हो गया है (1.7%) और अधिकतर बड़ी चटकल मिलें बन्द हो चुकी हैं।

इन महत्वपूर्ण उद्योगों के अतिरिक्त राज्य में इन्जीनियरिंग उद्योग, अस्क उद्योग, रसायन उद्योग, दवा उद्योग उर्वरक एवं तेल शोधन संयंत्र भी लगे हैं जो अधिकतर केन्द्रीय उपक्रम है या निजी क्षेत्र में है। टेल्को को छोड़कर अन्य सभी उद्योग रूग्णता की कगार पर खड़े हैं।

बिहार के लोक उद्योग—बिहार में राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई 49 लोक उद्योग हैं जिनमें से 29 उपक्रम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित किये गये हैं। शेष 20 उपक्रम केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निगम (Corporation) के रूप में स्थापित है। इन उद्योगों में 1991 तक कुल 1942 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश था। कुल निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार राज्य विद्युत पर्षद का है जो 1413 करोड़ है। दूसरा स्थान परिवहन निगम का है जिसमें 70 करोड़ रुपया निवेश किया गया है। राज्य के अधीनस्थ उद्योगों में केवल 9 उपक्रमों ने कुल 6 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि अन्य निगम घाटे में चल रहे हैं। विद्युत पर्षद ने 1992-93 में 126 करोड़

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिवहन निगम ने 77 करोड़, चीनी निगम ने 56 करोड़ का घाटा अर्जित किया है। हानि की शुद्ध मात्रा 363 करोड़ थी।

अधिकांश निगमों की मुख्य समस्या निम्नांकित है—

(i) क्षमता का निम्न प्रयोग (ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं में लम्बा समय लगना (iii) अत्यधिक स्थापना व्यय (iv) प्रबन्ध मण्डल में राजनीतिज्ञों की भरमार तथा जल्द-जल्द निदेशक मण्डल के गठन में परिवर्त्तन (v) पूँजी संरचना का अव्यावसायिक स्वरूप तथा (vi) श्रम प्रबन्धन टकराव। बिहार के राजकीय उपक्रमों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) **जन उपयोगी सेवा**—बिहार राज्य विद्युत पर्षद (स्थापना 1958), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (1959), बिहार राज्य हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (1982), बिहार राज्य जल विकास निगम (1973)

(ख) **उत्पादक इकाइयाँ**—बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (1960), बिहार राज्य चर्म उद्योग निगम (1974), बिहार राज्य चीनी निगम (1974), बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (1966) इत्यादि।

(ग) **सेवा क्षेत्र**—बिहार राज्य निर्यात निगम (1974), बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (1956), बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम (1974), बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (1980), बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्ति निगम (1973) इत्यादि।

(घ) **क्षेत्रीय विकास उपक्रम**—क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (पटना, दरभंगा, राँची, मुजफ्फरपुर, गया) क्षेत्रीय औद्योगिक प्राधिकार (पटना, बोकारो, राँची, आदित्यपुर, दरभंगा, उत्तर बिहार)

(ङ) **वित्त सेवा**—बिहार राज्य वित्त निगम (1954), बिहार राज्य अल्प संख्यक वित्तीय निगम (1983), बिहार राज्य पंचायती राज वित्त निगम (1974), बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम (1975), बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम (1983)

खनिज संसाधन एवं औद्योगिक विकास—खनिज संसाधनों के मामले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। बिहार में पूरे राष्ट्र का 40% कोयला, 30% बाक्साईट, 57% अबरख, 38% खनिज तांबा, 34% ग्रेफाइट तथा 48% कायनायत मिलता है। इसके अतिरिक्त कोकिंग कोल, पायराइट एवं यूरेनियम का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। भारत में खनिज उत्पादन का 16 प्रतिशत बिहार से आता है। यदि खनिज तेल के मूल्य को कुल उत्पादन में हटा दें तो बिहार का योगदान 30% से भी बढ़ जाएगा। 1950-51 में बिहार का कुल राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में 41% योगदान था। केन्द्रीय सरकार की नीतियों ने बिहार में भारी प्राकृतिक संपदा का लाभ राज्य को नहीं मिलने दिया। 1956 में पारित खनिज विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम में सभी महत्त्वपूर्ण खनिज संपदा पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार स्थापित कर दिया तथा राज्य को अब केवल भार अनुसार कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों पर Royalty

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिलती है जो न केवल नाकाफी है बल्कि इसका राज्य वित्त व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

खनिज की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद भी बिहार औद्योगिक उत्पादन एवं संरचना विकास में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। सर्वप्रथम, अनेक महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे कोयला, कोकिंग कोल, यूरेनियम आदि का विदोहन भारत सरकार के उपक्रम करते हैं और कुल उत्पादन की मात्रा पर राज्य को एक मुश्त रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी की राशि न केवल निम्न है बल्कि यह केन्द्र एवं राज्य के बीच विवाद का भी विषय रही है। द्वितीय भाड़ा समानीकरण (Freight Equalisation) की पुरानी नीति ने खनिज विदोहन को तो प्रोत्साहित किया पर इससे राज्य में अप-औद्योगीकरण (De-industrialisation) चालू हो गया। एक ही मूल्य पर यह सभी प्रान्तों में ईंधन उपलब्ध हो तो बिहार में कौन उद्यमी उद्योग स्थापित करेगा। भाड़ा समानीकरण नीति लोहा एवं इस्पात तथा कोयला पर अंशतः समाप्त कर दी गई है। 1993 के पश्चात् बिहार की सीमा से 500 कि० मी० की दूरी तक ही निम्न स्तर पर यह नीति अभी लागू है। संभवतः इस नीति शिथिलीकरण से राज्य को औद्योगिक स्थानीयकरण का पुराना लाभ पुनः मिलेगा।

प्रदेश में खनिज विदोहन की प्रगति भी अत्यन्त मन्द रही है। अबरख खानों में माँग की भारी कमी के कारण गिरावट आई है तथा कोयला क्षेत्र झारखण्ड आन्दोलन एवं कोयला माफिया के दुष्कर्मों का शिकार हुआ। इस क्षेत्र का विकास दर मात्र 1.85 प्रतिशत का था। राज्य अधीनस्थ खनिज संपदा (जैसे रिफ्रैक्टरी सेरामिक खनिज, कीमती पत्थर, उर्वरक खनिज, निर्माण योग्य पत्थर एवं गारनाईट, खनिज जल, अबरख) के विकास हेतु राज्य भू-गर्भ विभाग खोज एवं विकास की योजनाएँ चलाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र पर 28.23 लाख की राज्य योजना व्यवस्था थी। खनिज क्षेत्र के समुचित विकास हेतु बिहार राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है।

बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग—बिहार के अनेक क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न वस्तुओं के कुटीर उद्योग स्तर पर बनाने में प्रसिद्ध रहे हैं। चम्पारण का सिक्की का सामान, भागलपुर का तसर रेशम, छोटानागपुर का लाह का सामान, मेहसी का बटन, वेन्द्रा (हजारीबाग) का कृषि सामान आदि बिहार ही नहीं वरन् अन्य प्रान्तों में भी लोकप्रिय था। आधुनिक स्तर पर लघु उद्योगों की स्थापना इस सदी के प्रथम दशक से प्रारंभ हुई। ब्रिटिश प्रशासकों ने घरेलू एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु पटना के गुलजारबाग में कुटीर उद्योग संस्थान की स्थापना की जहाँ अनेकों व्यवसाय मे प्रशिक्षण दिया जाता था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय आयात में गिरावट एवं माँग की दशा में वृद्धि के कारण लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला। 1951 में बिहार में 2231 पंजीकृत लघु एवं कुटीर इकाइयाँ थी जिनमें कोई 15 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। 1990 में यह संख्या बढ़कर 53 हजार इकाइयों तक पहुँच गई। परन्तु दुःख की बात यह है कि बिहार में भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे अधिक रुग्ण उद्योग है। 1991 में कुल पंजीकृत इकाई में से 20% इकाईयाँ रुग्ण थी जबकि पंजाब में यह मात्र 1.4%, बंगाल में 4% तथा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उत्तर प्रदेश में 8.5% थी।

लघु उद्योगों की रुग्णता के मुख्य कारण (i) वित्तीय प्रवाह में अवरोध (ii) प्रबंध एवं तकनीकी अकुशलता (iii) कच्चे माल की कमी (iv) बाजार का अभाव (v) यातायात एवं विद्युत की कमी आदि हैं।

बिहार की औद्योगिक नीति—बिहार में, केन्द्रीय औद्योगिक नीतियों के साथ-साथ राज्य की औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती रही है। औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम 1951, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम 1969 तथा औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति 1970 के क्रियाशील हो जाने पर राज्य का वृहत उद्योगों की स्थापना तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर विशेष अधिकार समाप्त हो गया था तथा इस संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक नीतियों का ही अधिक प्रभाव रहा था। 1986 से उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर राज्य ने भी एक प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को समाप्त करना था। 1993 में पुनः राज्य सरकार ने एक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की परन्तु इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास 1995 की औद्योगिक नीति है। अब जबकि लाइसेन्सिंग व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है तथा MRTP विधान औद्योगिक स्थापना में कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकता। किसी भी राज्य का औद्योगिक विकास उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं संस्थागत उपायों पर निर्भर करेगा।

औद्योगिक नीति 1995—नवीन औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण, संसाधनों एवं मानव पूँजी के समुचित विकास एवं विदोहन के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास के प्रयासों को दिशा देना है। इस नीति में किए गए प्रावधानों से राज्य की औद्योगिक व्यवस्था अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाई जा सकेगी तथा देश एवं विदेशों से निवेश की पूँजी बढ़ाई जाएगी। इस नीति की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

(क) **निवेशकों को सुविधाएँ**:—इस नीति में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा यह आवंटन 90 वर्ष के पट्टे पर होगा। निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाओं को राज्य में विकास केन्द्र (Growth Centre), औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात उत्पादन क्षेत्र, निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र (EPZ) आदि के रख-रखाव एवं निर्माण हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार काश्तकार बन्दोबस्ती (Tenancy) नियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है।

(ख) **वित्त संबंधी छूट तथा सुविधा**:—नये उद्योगों को राज्य के अन्दर से क्रय किये जाने वाले कच्चे माल पर बिक्री कर मुक्त कर दिया गया है तथा अन्तिम उत्पादन पर 10 वर्ष तक बिक्री कर छूट एवं स्थगन की सुविधा दी गई है। शत-प्रतिशत निर्यात इकाईयों पर बिक्री कर, बाजार लेवी तथा अन्य स्थानीय कर नहीं लगाये जाएंगे। ये सुविधा अप्रवासी भारतीयों (NRI) द्वारा लगाए गए उद्योगों पर भी होगी। बिहार की प्रमुख वित्त संस्थाओं, बिहार राज्य वित्त निगम

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(BSFC) तथा बिहार औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (BICICO) को पुनर्गठित कर औद्योगिक पूँजी प्रवाह को मजबूती प्रदान की जाएगी तथा बैंकों को समय पर कार्यकारी पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) **अधिसंरचना विकास**—औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केन्द्रों को पुर्नव्यवस्थित कर औद्योगिक इकाईयों को आकर्षित किया जाएगा। राज्य में 28 औद्योगिक क्षेत्र, 33 औद्योगिक नगरियाँ (Estates) हैं जिनके प्रबन्धन के लिए छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बनाए गये हैं। गिद्धा, पूर्णियाँ, औरंगाबाद तथा खगड़िया में विकास केन्द्रों (Growth Centres) की स्थापना की जा रही है तथा छः महाविकास केन्द्र (Mega Growth Centre) हजारीबाग, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा एवं मुजफ्फरपुर में स्थापित किये जाएँगे।

इस नीति के अन्तर्गत 25 MW स्व-उर्जा उत्पादन करनेवाले उद्योगों को अब बिहार विद्युत परिषद् (BSEB) से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। उद्योगों को 500KVA तक विद्युत भार सीमा पर न्यूनतम गारंटी से मुक्ति प्रदान कर दी गई है तथा 99 HP तक उर्जा आपूर्ति LT लाइनों से की जाएगी। राज्य पटना एवं राँची में एअर कारगो (Air Cargo) सुविधा बनाने पर राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर दबाव बढ़ाएगा तथा जमशेदपुर, पटना, बोकारो एवं भागलपुर से जल्दी ही कन्टेनर (Container) सेवा प्रारंभ की जाएगी। सड़क निर्माण में build, operate and transfer व्यवस्था के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागेदारी बढ़ाई जाएगी।

(घ) **संस्थागत परिवर्तन**—सरकार ने BIFR के ढांचे पर एक अर्ध न्यायिक प्राधिकार बनाने का निश्चय किया है ताकि लघु क्षेत्र के रुग्न उद्योगों का पुनर्वास कार्य किया जा सके। राज्य में रुग्न एवं बन्द पड़ी इकाईयों के पुनः संचालन को प्राथमिकता दी जायगी। वृहत औद्योगिक प्रस्तावों के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त के अन्तर्गत एकल खिड़की प्रणाली अथवा Single Window System बनाया जाएगा तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक Empowerment कमिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायगा। Open House व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्यमंत्री प्रत्येक माह उद्योगपतियों से प्रत्यक्ष भेंट करेंगे ताकि उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र निदान हो सके।

(ङ) **मूलक्षेत्र की (Thrust Area) पहचान**—राज्य में कच्चे माल, बाजार, श्रमशक्ति तथा आन्तरिक संबंधों को देखते हुए 20 Thrust उद्योगों की पहचान की गई है जिनमें राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है। ये उद्योग हैं—खनिज आधारित एवं धातु उद्योग, इन्जीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, गैर परम्परागत उर्जा संचार, कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक्स, दवा, चमड़ा, मत्स्य एवं पशु आधारित उद्योग, प्लास्टिक, खाद्य, कृषि वस्तु प्रोसेसिंग, पर्यटन इत्यादि।

औद्योगिक निवेश की संभावना—1995 में पुनः निर्वाचित होने पर मौजूदा सरकार औद्योगिक विकास के प्रति सजग हुई है। पूर्व काल (1990-95) में तो यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के खिलाफ थी परन्तु अब यह अधिसंरचना एवं वृहत उत्पादक उद्योगों में विदेशी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

निवेश आकर्षित करने के उपायों में जुटी हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसी क्रम मे दक्षिण पूर्व एशिया तथा अमेरिका का दौरा किया तथा बिहार में NRI कांफ्रेंस का आयोजन भी किया। राज्य सरकार को विदेशियों एवं अप्रवासीय भारतीयों से 81 प्रस्ताव (कुल निवेश 618 करोड़ रु०) प्राप्त हुए हैं। सरकार ने विदेशी निवेशकों के साथ 7 MOU (Memorandum of Understanding) पर भी हस्ताक्षर किये हैं परन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि वर्त्तमान परिस्थितियों में कितने MOU या प्रस्ताव वास्तविकता में बदले जा सकेंगे। विदेशी निवेश आंतरिक संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल का विकल्प नहीं हो सकता है। सुव्यवस्थित, आर्थिक प्रबंधन, पारदर्शी नियंत्रण व्यवस्था तथा कुशल सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संसाधन निजी निवेश को बढ़ाने की पूर्व शर्तें हैं। राज्य को 1991 के पश्चात् उदारवादी अर्थव्यवस्था में नये अवसर मिले हैं जिनके समुचित प्रयोग के लिए सरकार को विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। 1991-95 के दौरान देश में कुल विदेशी निवेश का 2.3% तथा कुल निजी निवेश का 3.8% ही बिहार को प्राप्त हुआ है। लोक उद्योगों के प्रति भी राज्य को नए सिरे से सोचना होगा। जहाँ तक संभव हो रुग्न एवं घाटे में चल रहे उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए।

औद्योगिक विकास की नवीनतम स्थिति यही है कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में ठहराव-सा आ गया है। परम्परागत उद्योग जैसे चीनी, जूट, कागज, कपड़ा आदि जर्जर होकर बन्द हो रहे हैं। धातु-आधारित उद्योग जैसे लोहा एवं इस्पात में विकास की दर पहले की अपेक्षा कम हो गई है। अपनी भौतिक एवं वित्तीय संरचनाओं की कमजोरी के कारण विदेशी पूँजी आकर्षित करने में राज्य असफल रहा है। 1995 में 7000 करोड़ रु० का MOU समझौता हुआ तथा भारतीय निवेशकों ने 15000 करोड़ रु० के निवेश की इच्छा दिखाई परन्तु नौकरशाही की अक्षमता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इन्हें मूर्त्त रूप नहीं दिया जा सका। यदि यह स्थिति बनी रही तब राज्य देश के औद्योगिक मानचित्र से लुप्तप्राय हो जाएगा।

●

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-18

भौतिक अधिसंरचना

भौतिक अधिसंरचना का आशय ऐसी मूल-भूत सुविधाओं से है जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसी सुविधाओं के अभाव में आधुनिक वृहत्स्तरीय औद्योगिक, कृषि, उत्पादन एवं व्यवसायिक क्रियाएँ बाधित होती हैं तथा इसका सीधा असर नागरिकों के जीवन निर्वाह के स्तर तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं के क्षेत्र पर पड़ता है। भौतिक अधिसंरचना में प्रधान रूप से विद्युत उत्पादन एवं वितरण, सड़क, वायु एवं जल यातायात, संचार माध्यम उल्लेखनीय हैं। बिना इन सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धि के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

विद्युत—बिहार अधिसंरचना विकास क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अधिसंरचना के प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा अत्यन्त कम है। 1996 के एक सर्वेक्षण के अनुसार विद्युत अभाव 3115 million KWh है तथा भविष्य में इस स्थिति में और अधिक गिरावट की आशंका है। भावी विद्युत अभाव कुल मांग का (–) 11·7 प्रतिशत आंका गया है जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त विद्युत-उत्पादन हो रहा है। राज्य में विद्युत वोर्ड के संयंत्रों में कुल क्षमता का उपयोग मात्र 20 प्रतिशत है। यही कारण है कि औद्योगिक इकाईयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं घरेलू उपयोग के लिए निजी विद्युत आपूर्ति (जेनरेटर, कैप्टीव संयंत्र आदि) की व्यवस्था की गई है। राज्य में कुल विद्युत् उपयोग का लगभग 59·9 प्रतिशत इन्हीं श्रोतों से प्राप्त होता है।

पिछले एक दशक में राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तब स्वतंत्रता के पूर्व बिहार एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य था तथा यहाँ विद्युत आपूर्ति, जो मुख्यतः निजी तापगृहों से होती थी, पूर्णतः संतोषप्रद थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 में विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम पारित हुआ जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर विद्युत के समेकित विकास हेतु बिहार राज्य विद्युत पर्षद् (Bihar State Electricity Board) का गठन 1 अप्रैल, 1958 में हुआ। अन्य राज्यों ने इस अधिनियम का लाभ उठाकर 1949 से ही अपने यहाँ विद्युत पर्षद् का गठन कर लिए परन्तु बिहार का नेतृत्व मानों सोता ही रहा। अपने संयंत्र स्थापना में पिछड़ जाने से परियोजना लागत में भी भारी वृद्धि हुई और प्रारंभ से ही उत्पादन, वितरण एवं विद्युत मांग का अन्तराल बना रहा। 1995-97 तक बिहार में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1765 MW थी जबकि उपभोग मांग 2342 MW था। 35 प्रतिशत घाटे का अन्तराल आन्तरिक निजी उत्पादन तथा पूर्वी ग्रीड से अतिरिक्त विद्युत क्रय करके किया जाता है। 1997 में विद्युत बोर्ड द्वारा अपनी स्थापित क्षमता का मात्र 20 प्रतिशत ही उत्पादन किया गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य में कुल विद्युत उपभोग मांग (Connected Load) 2342 MW है। जिसमें 82 MW ट्रेक्शन, 620 MW ग्रामीण तथा कृषि, 1090 MW औद्योगिक तथा 540 MW व्यवसायिक एवं घरेलू उपयोगों के लिए है। 1962 तक बिहार में विद्युत का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग राष्ट्रीय औसत के बराबर था परन्तु धीरे-धीरे यह राज्य विद्युत उपभोग में पिछड़ने लगा। इसी अवधि के आस-पास राज्य में औद्योगिक विकास में भी गिरावट आना शुरू हो गई है। बिहार में जहाँ एक ओर प्रतिव्यक्ति स्थापित क्षमता 16·6 Watt. है वहीं महाराष्ट्र में 72 Watt, पंजाब में 146 Watt, आंध्रा में 58 Watt. तथा यहाँ तक कि उड़ीसा में यह 30 Watt. है यही कारण है कि राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है।

तालिका-I

बिहार : शक्ति सांख्यिकी

	1989-90	1994-95
1. स्थापित क्षमता (MW)	1550	1765
पनबिजली	150	162
ताप-गृह	1400	1604
2. वास्तविक उत्पादन / क्षमता (Plant Load Factor)	31.9	20.0
3. वितरण (T & D Losses) क्षति	21.5	22.0
4. विद्युत मांग (Million KWh)	6270	9410
5. विद्युत आपूर्ति अन्तराल (Power Shortage)	(–) 13.02	(–) 33.1
6. प्रति व्यक्ति उपभोग (KWh)	84	116
7. विद्युतकृत गांवों की संख्या	46150 (68%)	47715 (71%)
8. पम्पसेट शक्तिकरण (000')	250	263
9. निजी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता (MW)	828.4	929
10. बिहार राज्य विद्युत पर्षद् (BSEB) लाभ / घाटा (करोड़ रु० में)	(–) 247.7	(–) 912.0

CMIE, India's Energy Sector

राज्य में विद्युत क्षेत्र में भारत के कुल विद्युत निवेश का प्रथम योजना (1950-56) में 7·9 प्रतिशत निवेश किया गया था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर मात्र 2·93 प्रतिशत रह गया। आज बिहार का अखिल भारत विद्युत उत्पादन में मात्र 2·2 प्रतिशत का हिस्सा है जबकि 1950-51 में इसका हिस्सा 8·7 प्रतिशत था।

बिहार में विद्युत संकट मुख्य रूप से सरकारी एकाधिकार एवं राज्य विद्युत पर्षद् की अकुशलता एवं अनियमितताओं का परिणाम है। विद्युत अधिनियम (1948) के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन एवं वितरण में (Captive विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) निजी भागीदारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई। 1993 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में पुनः परिवर्तन कर इस क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित किया गया है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में ब्याज़ गारंटी योजना तथा बाद में चलकर विद्युत क्रय समझौता के द्वारा विद्युत उत्पादन एवं वितरण में विदेशी कम्पनियों एवं घरेलू कम्पनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया है। 1995-96 तक भारत में 243 परियोजना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हेतु (3.3 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 90 हजार MW क्षमता का निर्माण) मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (MOU) संपन्न हुआ। परन्तु बिहार में केवल दो परियोजनाओं का ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ। एक टाटा की जोगोबेरा तथा गोयनका की चांडिल परियोजना जिनकी सम्मिलित क्षमता 704 MW से कम ही है। राज्य सरकार द्वारा निवेश के अवसर का कोई लाभ न तो राष्ट्रीयकरण के दौर में उठाया गया और न ही निजीकरण के दौर में। विद्युतकरण के प्रति सरकार की उदासीनता आर्थिक विकास को निःसंदेह बाधित करेगी।

राज्य के कुल विद्युत उत्पादन का 90 प्रतिशत कोयला आधारित ताप ऊर्जा से प्राप्त होता है। विद्युत पर्षद के प्रमुख संयंत्र पतरातू (1888 MKW) बरौनी (542 MKW) मुजफ्फरपुर (कांटी) (397 MKW) तेनुघाट (370 MKW) तथा करविगहिया (पटना) (3.90 MKW) में स्थापित है। जल विद्युत मुख्यतः सुवर्ण रेखा (120 MKW) तथा कोशी (14 MKW) से प्राप्त होती है। पर्षद् के संयंत्रों के अतिरिक्त राज्य में NTPC (कहलगांव सुपर थर्मल स्टेशन), डी० वी० सी० तथा अनेक कैप्टीव निजी संयंत्र भी विद्युत ऊर्जा उत्पादन में लगे हैं। राज्य में यूरेनियम की उपलब्धि के बावजूद भी यहाँ कोई अणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

पथ-परिवहन —पथ परिवहन आर्थिक क्रियाओं के समेकित विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण शर्त है। बिना अच्छी पथ व्यवस्था के घरेलू व्यापार तथा निर्यात दोनों ही बाधित होते हैं। राज्य में पथ परिवहन की दशा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुँच गई है। राज्य में वाहनों की संख्या जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 60 हजार से भी कम थी 1993 में 11 लाख तथा 1997 में लगभग 21 लाख तक हो गई है। राज्य एवं अन्तर्राज्यकीय व्यापार एवं आवागमन का यह एक मुख्य माध्यम भी है। उद्योग एवं कृषि विपणन के लिए भी पथ-विकास एक महत्त्वपूर्ण शर्त है। राज्य में कुल पथ उपलब्धि निम्न प्रकार से है—

तालिका-II

पथ लम्बाई (1993-94) (कि० मी० में)

	उपलब्ध	न्यूनतम आवश्यकता
एक्सप्रेस उच्च मार्ग	शून्य	1600
राष्ट्रीय उच्च मार्ग	2318	3478
राजकीय उच्च मार्ग	4192	13459
मुख्य जिला मार्ग	8448	13912
ग्रामीण मार्ग	64072	181183

श्रोत Bihar 2015, (195-96) Patna P-13

पथ निर्माण का एकाधिकार राज्य के पथ निर्माण विभाग (PWD) का है। इस विभाग का गठन ब्रिटिश काल में राज्य की पथ व्यवस्था एवं सरकारी भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए किया गया था। अब पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (REO) पृथक-पृथक शहरी एवं उच्च मार्ग तथा ग्रामीण मार्गों का क्रमशः निर्माण एवं रख-रखाव करते हैं। राज्य में पथ उपलब्धि अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यन्त निम्न है। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की उपलब्धता केवल 124 कि० मी० है जबकि राष्ट्रीय औसत 221 कि० मी० है। सड़क विस्तार में विशेषकर एक्सप्रेस वे (Express way) तथा राष्ट्रीय उच्च निर्माण में अब केन्द्रीय सरकार Build Operate and Transfer को बढ़ावा दे रही है। इसके अन्तर्गत निजी निवेशक सड़कों का निर्माण, वित्त पोषण तथा संचालन करते हैं तथा लाईसेन्स की मियाद समाप्त हो जाने पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सड़क स्वामित्व सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इसे Design Build Finance Operate And Transfer भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सड़क टॉल (Toll) के द्वारा निजी निर्माता व्यवसायिक रूप में पथ संचालन एवं निर्माण करते हैं। कई राज्यों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में BOT व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य तेजी से चल रहा है परन्तु बिहार में अयोग्य नौकरशाही इस विषय में आमंत्रण के प्रारूप को भी अन्तिम रूप नहीं दे पाई है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पथ निर्माण एवं संचालन के निजीकरण से उसकी आमदनी एवं शक्ति में कमी हो जाएगी।

बिहार में 1958 में राजकीय पथों का राष्ट्रीयकरण कर उनपर केवल राज्य परिवहन निगम की बसों को ही चलने की छूट थी। परिवहन निगम राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जिसमें रेलवे की भी भागीदारी थी। इसका उद्देश्य राज्य में परिवहन का संयोजित विकास करना था। भारी निवेश के बावजूद भी परिवहन निगम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी तरह विफल रहा और धीरे-धीरे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों को परमिट की व्यवस्था की गई।

राज्य में लगभग 21 लाख वाहनों में आधी संख्या दूपहिया वाहन की है। शहरीकरण, व्यापार एवं विपणन व्यवस्था में विस्तार, कृषि पदार्थों के व्यापार से प्रतिबन्धों की समाप्ति इत्यादि के कारण भी परिवहन नियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य परिवहन अभिकरण एवं क्षेत्रीय परिवहन अभिकरणों का गठन किया गया है। 1990-91 में 19030 वाहनों को राष्ट्रीय परमिट प्राप्त था जो अब चार गुणा हो गया है। सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, वाहनों के निम्नस्तरीय रख-रखाव तथा वाहन चालकों के प्रशिक्षण के अभाव के कारण 1991-92 में 8459 सड़क दुर्घटनाएँ हुई जिनमें 2009 व्यक्ति हताहत हुए। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। इससे संबंधित समस्याओं का यदि शीघ्र निदान नहीं हुआ तो इसका नागरिक एवं आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा गतिशीलता बाधित होगी।

संचार माध्यम—राज्य में संचार माध्यमों का विकास भी निम्नस्तरीय है जिससे व्यवसाय एवं औद्योगिक क्रियाओं में विघ्न पड़ता है। इस दशक में देश में संचार माध्यमों का बड़ी तीव्रता से विकास हुआ।

1994-95 में देश में कुल टेलीफोन एक्सचेंज 20000 थे जिनमें 92% इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित किये जा चुके हैं। बिहार में कुल टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या 743 है जबकि महाराष्ट्र में 2073, मध्य प्रदेश में 2337 तथा आंध्र में 2029·1। इसके अतिरिक्त राज्य में 463 ग्रामीण एक्सचेंज है जिनमें कुल टेलीफोन लाइनें मात्र 43 हजार ही हैं। राज्य में 10 हजार 867 जन उपयोग टेलीफोन केन्द्र है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में 2022 ग्रामीण एक्सचेंज तथा 19000 ग्रामीण टेलीफोन बूथ की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में प्रति 100 व्यक्ति मात्र 0·27 टेलीफोन उपलब्ध है। यह बात भी ध्यान देने की है कि 1993-94 में बिहार में प्रति लाइन रु० 4978 राजस्व का संग्रह हुआ जबकि मध्य प्रदेश, जहाँ टेलीफोन की संख्या बहुत अधिक है, पर राजस्व संग्रह मात्र रु० 7489 था। देश में स्थापित कुल टेलीफोन में बिहार का हिस्सा मात्र 2·5% है जबकि गुजरात का 8·0, महाराष्ट्र का 7·8, तथा पंजाब का 4·4 प्रतिशत है। राज्य में टेलीफोन सेवा का भारी विस्तार हुआ है। परन्तु अभी भी टेलीफोन के उम्मीदवारों की लम्बी कतार है। बिहार में 10 टेलेक्स केन्द्र हैं, जिनकी कुल क्षमता 930 है तथा 531 लाइनें ही संचालित हैं। टेलीफोन सेवा DOT एवं Techno Teleservice से संचालित हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य में पिछले चार वर्षों में संचार की कुछ मूल्य सँवर्द्धित सेवाएँ भी प्रारंभ की गई हैं जिनमें वायस मेल तथा रेडियो पेजिन्ग प्रमुख है। रेडियो पेजिन्ग सेवा, राज्य में बेलट्रान तथा इजीकाल कम्पनियों ने प्रारंभ किया है। आकाशवाणी (AIR) भी जल्दी ही यह सेवा प्रदान करने की सोच रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में सेल्युलर फोन (Cellular Phone) सेवा 1996 से प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में उषा फोन तथा रिलायन्स फोन राज्य के चार प्रमुख शहरों पटना, गया, जमशेदपुर तथा राँची में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण माध्यम पत्राचार है। देश में कुल 152786 डाकघर हैं जिनमें 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बिहार में कुल 11770 डाकघर हैं जिनमें से 723 शहरों में तथा 10694 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस प्रकार बिहार में प्रति 7658 आबादी पर एक डाकघर है जबकि हिमाचल में 1954, पंजाब में 5406 तथा गुजरात में 4777 आबादी पर ही एक डाकघर की व्यवस्था है। बिहार के अनेक शहरों से स्पीड पोस्ट सेवा भी प्रारंभ की गई है। 1990-91 से निजी कुरियर सेवा समानान्तर डाक सेवा के रूप में गिने चुने शहरों से चलाई जा रही है। निजी कुरियरों की स्थापना से व्यवसायिक वर्ग को विश्वसनीय एवं अविलम्ब पत्राचार सेवा प्राप्त हुई है।

बिहार में पहला रेडियो स्टेशन पटना में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह देश का पहला रेडियो स्टेशन था जिसका उद्घाटन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस स्टेशन के श्री बाल सीताराम मरघेकर पहले निदेशक थे। वर्तमान में आकाशवाणी (All India Radio) का व्यापक विस्तार हुआ है और अब राँची, भागलपुर, हजारीबाग, दरभंगा, डाल्टेनगंज, पूर्णियाँ तथा सासाराम में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। दूरदर्शन (टेलीविजन) का पहला केन्द्र मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित हुआ। तत्पश्चात् 1982 से पटना में रंगीन टेलीकास्ट की सुविधा प्रारंभ हुई। अभी राँची, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और अनेक शहरों में केबेल (Cable) टी० वी० सेवा का निरन्तर विस्तार हो रहा है तथा अब यह सूचना एवं मनोरंजन के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है।

राज्य को यदि भौतिक अधिसंरचना के संपूर्ण पहलूओं से देखा जाए तो स्थिति अत्यन्त निराशाजनक प्रतीत होती है। एक Land-Locked प्रदेश होने के कारण यहाँ बड़े पत्तनों जैसे कलकत्ता, पारादीप आदि से सहज संबंध होना आवश्यक है ताकि निर्यात-आयात एवं सुदूर घरेलू व्यापार को कम खर्च पर चलाया जाए। अच्छी सड़कों के अभाव में तथा निम्न कुशलता वाली रेल परिवहन सेवा के कारण राज्य का उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुँच पाता है। राज्य में कुल रेलवे मार्ग 5316 कि० मी० है जो उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि प्रदेशों की अपेक्षा आबादी के अनुपात में अत्यन्त कम है। उत्तर बिहार में तो अभी तक आधुनिक माल एवं पैसेन्जर सेवा उपलब्ध नहीं है। राज्य में मात्र तीन घरेलू विमान पत्तन (Air Ports) हैं जिनका रख-रखाव रांष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण करता है। यहाँ से मात्र नेपाल के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय सेवा है। अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा की उपलब्धि से राज्य के शीघ्र विनाश होनेवाले कृषि उत्पाद का निर्यात संभव था। कुशल एवं उपयुक्त यातायात एवं संचार माध्यमों के बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

●

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-19

वित्त व्यवस्था

सार्वजनिक वित्त व्यवस्था

परिचय—किसी भी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह तथा प्रबंधन विकास की सीमा के निर्धारण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। बिहार में पिछड़ेपन की अवस्था के लिए अकुशल वित्तीय प्रबन्धन बहुत हद तक जिम्मेवार है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा किया गया। इस विधान के अधिकतर वित्त संबंधी प्रावधान स्वतंत्रता पूर्व संविधान में अपना लिए गये। भारतीय संविधान में संघवाद को मजबूत करने तथा केन्द्र का वित्तीय मामलों में वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अपनाया गया।

संवैधानिक :

1. केन्द्र से राज्यों को वित्तीय प्रवाह "केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान तथा ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

धारा 282 : सार्वजनिक कार्य हेतु अनुदान (Grants)

धारा 283 : ऋण की सुविधा, विविध कार्य हेतु

अनुदान की राशि 30% तथा ऋण 70% की उपलब्धि योजना आयोग की अनुशंसा पर निर्भर करती है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है परन्तु इसका गठन राज्यों को अनुदान तथा ऋण का बँटवारा करने के लिए किया गया है।

2. संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था है जिसकी अनुशंसा पर केन्द्र द्वारा एकत्र किए गये करों में राज्यों का अंश, सहायता अनुदान (Grant in aid) ऋण सहायता (debt relief) आदि का प्रवाह केन्द्र से राज्यों को कराया जाता है—

धारा 269 : केन्द्र द्वारा लेवी (Levy) परन्तु पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राज्यों को वितरित

धारा 270 : राज्यों के साथ आयकर का अनिवार्य बँटवारा

धारा 275 : सहायता अनुदान (Grant in aid) का राज्यों का वैधानिक प्रवाह

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यों को विस्तृत कार्य प्रदान किए गए हैं जिनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विधि प्रशासन, सहायता एवं पुनर्वास आदि सम्मिलित है परन्तु राज्यों को केन्द्रीय प्रवाह के अतिरिक्त अत्यन्त बेलोचदार एवं संकुचित वित्तीय साधन प्राप्त हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुल राष्ट्रीय व्यय का लगभग 60 प्रतिशत राज्यों द्वारा संपादित होता है और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसकी भरपाई के लिए मात्र 35% साधन उनके पास उपलब्ध होते हैं। इससे साधन व्यय अनुपात ऋणात्मक हो जाता है और वित्तीय संकट उत्पन्न होता है। यह मुद्दा बराबर केन्द्र-राज्य सम्बन्ध में तनाव का कारण रहा है। सरकारिया आयोग ने भी राज्यों को अधिक वित्तीय प्रवाह की सिफारिश की थी जो आजतक केन्द्र के विचाराधीन ही है।

राज्यों के वित्तीय साधनों में मुख्यतः कर साधन जैसे भू-राजस्व, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि बहुत अधिक लचीले नहीं है तथा उच्च दर पर इनकी वसूली भी कम होने लगती है। कर चोरी, निम्न वसूली तथा अतर्कपूर्ण कर व्यवस्था राज्यों के वित्तीय साधनों की उपलब्धि में बाधा डालता है।

वित्तीय प्रवन्धन—संविधान की धारा 202 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने विधान मण्डल (Legislatures) के सामने प्रति वर्ष अपनी आय एवं व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस संविधान ने वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) की संज्ञा दी है जिसे बजट कहा जाता है।

बिहार की सकल वित्तीय स्थिति की रूप-रेखा नीचे दी गई है—

सारणी–1

बिहार सरकार की बजट स्थिति (करोड़ रु०)

वर्ष	राजस्व बजट		पूँजी बजट		अतिरेक सकल		
	प्राप्ति	व्यय	अतिरेक घाटा	प्राप्ति	व्यय	घाटा	अतिरेक घाटा
1985-86	2395	2098	(+) 835	908	1045	(–)106	(+) 629
1986-87	2588	2393	(+) 195	802	1182	(–)106	(+) 89
1987-88	2808	2223	(+) 395	806	1295	(–)488	(–) 93
1988–89	3488	3210	(+) 247	917	1346	(–)429	(–)182
1989-90	3911	3945	(–) 34	1134	1274	(–) 144	(–) 178
1990-91	4322	4889	(–) 566	1590	1528	(+) 6	(–)560
1991-92	4433	4988	(–) 557	1773	(+) 507	(–) 50	
1992-93	5449	6006	(–) 256	1972	1776	(+) 145	(–)111
1993-94	6629	7318	(–) 689	1900	1564	(+) 341	(–) 358
1994-95	6697	7731	(–) 933	1832	1073	(+) 759	(–)184
1995-96	7894	8410	(–) 544	2218	1530	(+)1128	(+) 584

स्रोत : बिहार सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न वर्षों का ब्योरा— HISAM 110

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य के बजट को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (क) राजस्व बजट एवं (ख) पूँजी बजट। राजस्व बजट खाते में सभी कर विभागीय आय तथा अन्य वसूलीयाँ राजस्व का होता है जबकि इसके द्वारा ऋण अदायगी, प्रशासनिक रख-रखाव एवं छूट तथा अनुदान (Subsidy) पर व्यय होता है। पूँजी बजट योजनान्तर्गत व्यय है जिसकी आय का मुख्य स्रोत ऋण तथा अनुदान है। इसके द्वारा पूँजी संसाधनों का निर्माण होता है। इस मद पर प्राप्त ऋण का भुगतान राजस्व खाते से होता है। इस कारण राज्य पर ऋण का भार बढ़ जाता है।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि राजस्व बजट का आकार एवं इसमें वृद्धि की दर बहुत ही तीव्र है। 1985-86 में राजस्व बजट रु० 2395 करोड़ का था जो 1995-96 में बढ़कर रु० 7896 करोड़ हो गया। राजस्व बजट में सबसे अधिक वृद्धि 1989-90 के दौरान हुई।

पूँजी या योजनान्तर्गत व्यय में पिछले दस सालों में दो स्पष्ट प्रवृतियाँ नजर आती हैं। (क) 1985-86 से 1989-90 तक वास्तविक पूँजी खाते का व्यय योजनान्तर्गत प्रस्ताव से अधिक होता था जबकि 1990-91 से 1995-96 तक योजनान्तर्गत अथवा पूँजी व्यय में प्रस्ताव से कम व्यय हुआ है। उदाहरण के लिए 1990-91 में 1805 करोड़ रु० के पूँजीगत व्यय का प्रस्ताव था जबकि वास्तविक व्यय 1528 करोड़ रु० ही हुआ। इसी प्रकार 1994-95 में वास्तविक व्यय 1073 करोड़ रु० था जबकि प्रस्ताव 2400 करोड़ रु० का था। पूँजीगत खाते से प्राप्त अतिरेक (Surplus) का इस्तेमाल राजस्व बजट के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया। 1990-91 से पूँजी बजट में अतिरेक की प्रवृत्ति संसाधन निर्माण की घटती हुई दर को बताती है। इसके विपरीत इसी अवधि में लगातार तेज़ी से राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण ऋण भुगतान है। 1985-86 में कुल राजस्व का 9·31 प्रतिशत ऋण भुगतान में जाता था पर यह 1995-96 में बढ़कर 23·52 प्रतिशत हो गया।

सारणी-2

ऋण भुगतान दायित्व (करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल राजस्व	व्याज भुगतान	कुल राजस्व का प्रतिशत
1985-86	2395	222	9·31
1990-91	4430	1004	18·43
1991-92	5449	1240	22·76
1992-93	6629	1350	20·37
1994-95	6797	1561	22·97
1995-96	7866	1850	23·52

HISAM 110

बिहार एवं सर्वभारत का यदि 1950-51 से 1990-91 के दरमियान तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तब हम पाते हैं कि राज्य में 1950-51 में प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्ति 7·26 रु० थी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जबकि भारत में यह 25·25 रु० थी। व्यय के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बजटीय व्यय राज्य में जहाँ 7·26 रु० था वहीं भारत में यह 24·92 रु० था। 1990-91 में राज्य में प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्ति 699·45 रु० हो गई जबकि यह भारत में 1330·24 रु० थी। व्यय के क्षेत्र में इसी वर्ष राज्य में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 720·39 रु० था जबकि भारत में यह 2126·10 रु० था।

बजट 1996-97—भारत सरकार की तरह ही बिहार सरकार की एक पृथक समेकित निधि (Consolidated Fund) है जिसमें सभी राजस्व प्राप्तियाँ जमा की जाती हैं। इसमें आकस्मिक (Contingent) निधि भी है जिससे अप्रत्याशित व्ययों के लिए विधान मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रिम स्वीकृत किये जाते हैं। समेकित निधि से धन निकालने के पूर्व विधान मण्डल की स्वीकृति अनिवार्य है।

समेकित निधि में राज्य सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले सारे राजस्व तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले सभी ऋण एवं अनुदान जमा किये जाते हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की अदायगी के संबंध में प्राप्त होनेवाले धन भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के व्यय जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा केन्द्र सरकार को ऋणों की वापसी पर होनेवाले व्यय भी सम्मिलित हैं, को समेकित निधि से पूरा किया जाता है। बजट के सभी शीर्षक एवं उप-शीर्षक भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित शीर्षों के अनुसार तैयार किया जाता है।

तालिका-I

बिहार बजट सारांश

(हजार रु० में)

	1994-95	1995-96	1996-97
1. राजस्व प्राप्तियाँ	62627773	77729652	86169079
2. राजस्व व्यय	69304451	81738594	91497385
3. राजस्व लेखा में घाटा / बचत	(–)6676678	(–) 4008942	(–)5328306
4. पूँजीगत प्राप्तियाँ (कर्जा एवं उधार सहित)	16949910	21203593	25796977
5. पूँजीगत व्यय	10586634	12709639	15664854
6. पूँजीगत लेखा में घाटा/बचत	(+) 6363271	(+) 8493959	(+) 10132123
योग समेकित निधि (शुद्ध)	(+) 313407	(–)4485017	(+) 4803817
लोक लेखा (शुद्ध)	988551	(–) 7050000	(–) 5284000

(1) वास्तविक (2) पुनरीक्षित (3) अनुमानित

HISAM–110

बिहार सरकार 1997

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत

केन्द्र से प्राप्त वित्तीय स्रोत—राज्य को वार्षिक योजना एवं रखरखाव के लिए सांवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल केन्द्र सरकार से करों में हिस्सा, ऋण तथा अनुदान की प्राप्ति होती है। केन्द्र द्वारा वसूली गई आयकर, सम्पत्ति कर एवं उत्पाद कर में वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य का अंश निर्धारित होता है। आयकर में बिहार को 1990-95 के दौरान 2598·47 करोड़ की प्राप्ति हुई जो सर्वभारत का 12·41 प्रतिशत है। राज्य को 11·02 प्रतिशत उत्पाद कर में अंश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत सहायता अनुदान (Grants in aid) से 1374·27 करोड़ रुपये इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राज्य को केन्द्र से बड़ी मात्रा में ऋण की भी प्राप्ति होती है।

राज्य के बजट के कुल व्यय में आन्तरिक योगदान घटता जा रहा है। 1990-95 में राज्य का आन्तरिक स्रोत 72·6 प्रतिशत था जो कि धीरे-धीरे घटकर एक तिहाई ही रह गया है। केंद्रीय स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता से विकास कार्यक्रमों के संचालन में अनिश्चतता-सी उत्पन्न हो गई है।

आन्तरिक आय-स्रोत

(क) **कर राजस्व**—राज्य के कर आय स्रोत को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है (क) प्रत्यक्ष कर जो आय एवं सपत्ति पर लगते हैं तथा (ख) अप्रत्यक्ष कर जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाये जाते हैं। पहली श्रेणी में मुख्य रूप से भूराजस्व आता है। भूराजस्व प्राचीनकाल से ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत रहा है। 1950-51 में यह राज्य की कर आय का प्रधान स्रोत था पर अब इसके महत्त्व में बहुत ह्रास हुआ है। 1994-95 में भू-राजस्व से 12.73 करोड़ रु० की प्राप्ति हुई। 1995-96 में यह 32·85 करोड़ रु० थी। 1996-97 में इससे 31·80 करोड़ रु० वसूली की आशा थी जो अनेक कारणों से पूरी नहीं हो सकी। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राज्य को 1994-95 में 152·63 करोड़ रु० की प्राप्ति हुई जो 1995-96 में बढ़कर 211·20 करोड़ रु० हो गयी। 1996-97 में 347·85 करोड़ रु० की वसूली का अनुमान था।

वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्ती राज्य की अप्रत्यक्ष कर आयका महत्वपूर्ण साधन है। राज्य उत्पाद कर से 1994-95 में 14·52 करोड़ आय प्राप्त हुई। 1995-96 में यह 193·99 करोड़ थी। राज्य उत्पादकर शराब, नशीली वस्तुओं तथा प्रसाधन सामग्रियों पर लगाया जाता है। इसका कुल संग्रह राज्य स्वयं व्यय करता है। वाहनों पर कर से 1995-96 में 190 करोड़, माल और यात्रियों पर कर से 15 करोड़, बिजली पर कर एवं शुल्क से 53 करोड़ तथा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर से 20 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

राज्य में अप्रत्यक्ष कर आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर है। बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्यों को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ तथा द्वित्तीय विश्व युद्ध के दौरान राजस्व के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग शुरू हुआ। 1950-51 में बिक्री कर से मात्र 5·66 करोड़ रु० प्राप्त हुए थे। राज्य में यही एक कर कुछ हद तक लोचदार कर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। अतः इसकी दर एवं वसूली में निरन्तर वृद्धि होती रही है। 1980-81 में इससे 212·75 करोड़ रु०, 1990-91 में 759·29 करोड़ रु० तथा 1994-95 में 1116·27 करोड़ रु० इससे प्राप्त हुए। 1995-96 में 1305·50 करोड़ बिक्री कर से प्राप्त हुए। आज राज्य की कुल कर आय में बिक्री कर का योगदान 70% से अधिक है।

कर आय के अतिरिक्त राज्य को ब्याज की वसूली, लाभांश तथा (i) सामान्य सेवाओं जैसे लोक निर्माण प्रशासनिक सेवाएँ, जेल (ii) सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य शहरी विकास, जल आपूर्त्ति आदि तथा (iii) आर्थिक सेवाओं जैसे कृषि, उद्योग सहकारिता, वानिकी आदि से भी आय की प्राप्ति होती है।

राज्य के बजट की प्रवृत्तियाँ—सार्वजनिक वित्त-व्यवस्था के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में विकास के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न वित्तीय अव्यवस्था है। जहाँ एक ओर राजस्व घाटे में निरन्तर वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर पूँजीगत व्यय में लगातार कटौती की गई है। राजस्व व्यय में वृद्धि का प्रधान कारक ऋणों पर ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं में भत्ते एवं वेतन का भुगतान आदि है। राज्य का लगभग 43 प्रतिशत राजस्व वेतन, भत्ते एवं रख-रखाव पर व्यय हो जाता है। नौकरशाही का विराट स्वरूप, व्यय पर निरंकुशता, दायित्व बोध का अभाव, वित्तीय अनियमितता तथा बेलोचदार एवं प्रतिगामी कर व्यवस्था ने राज्य को संकट की स्थिति में ला खड़ा किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य के वित्तीय, संकट का कारण अवांछनीय (bad investment) व्यय या निवेश तथा अतार्किक ऋण (bad lending) व्यवस्था है। वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार को प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। उदाहरण के लिए नौकरशाही के आकार में भारी कमी, लोक उपक्रमों एवं गैर आवश्यक सेवाओं का निजीकरण, उधार की जगह निवेश को तरजीह, करों की दर में कमी तथा उनका विवेकीकरण एवं सरलीकरण, कर के जाल को फैलाना नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश व्यवसायिक कर प्रबंधन में कड़ाई इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं।

बिहार बजट (1998-99)

बिहार सरकार के वित्त मन्त्री श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने 23 मार्च 1998 को वित्त वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया। पिछले छः वर्षों में यह पहला मौका है जब कि राज्य वित्त मन्त्रालय के स्वतन्त्र काबिना स्तरीय मन्त्री ने विधान मण्डल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है। इसके पूर्व वित्त मन्त्रालय मुख्य मन्त्री के पास हुआ करता था। यह बजट न केवल श्रीमती राबड़ी देवी सरकार का पहला बजट है बल्कि इसका महत्त्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह प्रस्तावित नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का भी पहला बजट है जिससे कि वार्षिक योजनाओं की रूप रेखा की प्रवृति स्पष्ट हो जाएगी।

बजट की प्रवृति—राज्य में 1997-98 के दौरान 35·38 करोड़ रुपये अतिरेक (Surplus) का बजट प्रस्तुत किया गया था परन्तु वास्तव में इस वर्ष के बजट का समापन 688·95 करोड़ रु० के अतिरेक से हुआ। आर्थिक बदहाली के इस दौर में बजट अतिरेक न केवल हास्यास्पद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जान पड़ता है बल्कि यह सरकार की वित्तीय मामलों में सूझ-बूझ पर प्रश्न चिह्न भी लगा देता है। पिछले वित्तीय सत्रों में बढ़ता हुआ बजट अतिरेक इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार संवितरण की राशी को व्यय करने में विफल रही है। उदाहरण के लिए 1997-98 की वार्षिक योजना का आकार पहले 2450 करोड़ रु० निर्धारित हुआ था जो कि बाद में राज्य सरकार द्वारा साधन न जुटा सकने के कारण घटा कर 1750 करोड़ रु० कर दिया गया। स्वाभाविक ही है कि राज्य सरकार द्वारा पूरी राशि व्यय करने में असमर्थता के कारण बजट अतिरेक की मात्रा बढ़ रही है और आर्थिक ह्रास की स्थिति पैदा हो रही है।

घाटे का प्रस्ताव—1998-99 के बजट प्रस्ताव में पूर्व दो वित्तीय वर्षों के विपरीत बजट घाटे का संकेत स्पष्ट है। इस वर्ष का बजट कुल 16533·78 करोड़ रुपये का है। व्यय के इस प्रस्ताव के विरुद्ध सरकार की कुल राजस्व प्राप्ती मात्र 14661·20 करोड़ रु० की है। इस प्रकार 1998-99 के बजट में 538·64 करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया है। बजट घाटे की इस मात्रा (538·64 करोड़ रु०) को पाटने के लिए सरकार केन्द्रिय करो में राज्य का हिस्सा, राज्य कर की वसूली में वृद्धि, गैर-कर आय स्रोतों में वृद्धि तथा केन्द्र से ऋण एवं सहायता अनुदान पर भरोसा कर रही है। राज्य को इस वर्ष स्वेच्छा से आय घोषणा (Voluntary Disclosure of Income Scheme—VDIS) से 300 करोड़ रु० राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त होने की आशा है। राज्य में VDIS के अन्तर्गत 1500 करोड़ रु० जमा किए गए थे। राज्य को इस वर्ष 500 करोड़ रु० कोयला की रॉयल्टी के रूप में तथा 900 करोड़ रु० राज्य के केन्द्र उत्पाद शुल्क में बढ़े हुए हिस्से के रूप में भी मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त इस महत्त्वाकांक्षी बजट के वित्त पोषण में 688 करोड़ रु० पिछले वित्त वर्ष में व्यय न किये जानेवाली राशी तथा 645 करोड़ रु० की सार्वजनिक बचत (Public Accounts Savings) का भी प्रयोग किया जाएगा।

इस नए बजट प्रस्ताव में साधन एकत्रीकरण (Mobilisation) को त्वरित करने की कोई ठोस योजना नहीं है। साधन एकत्रीकरण के लिए सरकार मुख्यतः आन्तरिक कर एवं गैर कर आय वसूली तथा केन्द्रिय सहायता अनुदान पर भरोसा किए बैठी है। राज्य में कर संरचना में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है। यह तो शायद राजनीतिक भावना से प्रभावित है। परन्तु राज्य के अधिनस्थ कर व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुधार न किया जाना निराशाजनक है। वर्तमान कर संरचना अत्यन्त बेलचीली तथा प्रतिगामी हो गई है। यह आवश्यक है कि राज्य की कर संरचना में सुधार किया जाए। उदारीकरण के इस दौर में इसे अधिक लोचदार युक्तियुक्त (Rational) तथा सरल बनाने की आवश्यकता है साथ-ही-साथ सरकार को कर के जाल को फैलाना भी आवश्यक है ताकि अधिक साधनों को एकत्र किया जा सके। राज्य में वर्तमान में केवल बिक्री कर (Sales Tax) पर ही साधन एकत्रीकरण का सर्वाधिक भार है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

व्यय की प्रवृति एवं संरचना—बजट व्यय का सर्वाधिक 23·05 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होगा। 14·96 प्रतिशत ब्याज भुगतान के खाते में जाएगा। विधानपालिका, सामान्य राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों पर 20·34 प्रतिशत व्यय होगा। 8·2 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं, स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य अभिकरण पर, 7·33 प्रतिशत सामाजिक सेवा, कल्याण एवं रोजगार परियोजनाओं पर 4·37 प्रतिशत, सार्वजनिक कार्यों एवं सड़क पर 4·04 प्रतिशत, कृषि, सहकारिता एवं अन्य सेवाओं पर 4·02 प्रतिशत, 4·26 ग्रामीण विकास पर 8·54 प्रतिशत, सार्वजनिक ऋण भुगतान पर 4·06 प्रतिशत, तथा उद्योग पर मात्र 0·54 प्रतिशत व्यय की योजना है।

राजस्व एवं पूँजी गत व्यय की संरचना से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक व्यय शिक्षा एवं संस्कृति पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा, ब्याज भुगतान आदि अन्य गैर योजना व्यय बजट का.एक तिहाई हिस्सा ले लेते हैं। यही कारण है कि राज्य के विकास कार्यों हेतु अत्यन्त कम धन उपलब्ध हो पाया है। यदि राज्य में व्यय की यही प्रवृत्ति बनी रही तो राज्य में विकास की क्रिया तो ठप हो ही जाएगी साथ ही साथ राज्य ऋण-दुष्चक्र (Debt. trap) में फंस कर रह जाएगी।

बजट व्यय का मुख्य शीर्ष (करोड़ रु०)

(क)	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	3810·29
(ख)	विधान मण्डल, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	3363·11
(ग)	ब्याज भुगतान	2479·00
(घ)	ग्रामीण विकास	1411·19
(ङ)	सिंचाई एवं विद्युत	1355·88
(च)	स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग एवं शहरी विकास	1211·81
(छ)	लोक निर्माण एवं यातायात	667·74
(ज)	कृषि सहकारिता एवं वन सेवा	664·12
(झ)	उद्योग एवं खनन	89·80
(ञ)	अन्य (श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जन ऋण भुगतान सहित अन्य व्यय)	1480·75

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार सरकार के मुख्य कर आय श्रोत (करोड़ रु०)

कर राजस्व	1996-97	1997-98	1998-99
(क) आय एवं व्यय पर कर	1740·17	1926·21	2320·70
(i) निगम कर से विभिन्न आय पर कर	1740·16	1926·20	2320·67
(ii) कृषि आय पर कर	0·01	—	0·02
(iii) आय एवं व्यय पर अन्य कर	0·02	0·01	0·01
(ख) सम्पति एवं पूँजी लेन-देन पर कर	252·27	449·55	359·50
(i) भू-राजस्व	24·85	31·98	34·50
(ii) स्टाम्प एवं पूँजीकरण शुल्क	227·14	417·57	325·00
(ग) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	1998·55	2654·22	2709·66
(i) राज्य उत्पाद शुल्क	218·71	264·50	315·66
(ii) बिक्री कर	1496·39	2000·200	2042·00
(iii) वाहनों पर कर	160·83	193·90	220·00
(iv) माल एवं यात्रियों पर कर	28·94	70·24	53·00
(v) बिजली पर कर और शुल्क	70·56	94·61	48·00
(vi) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	23·09	30·77	31·00
कुल कर राजस्व	3990·99	5029·99	5389·86

नोट— 1. 1996-97 वास्तविक (Actual)
2. 1997-98 बजट पुनरीक्षित अनुमान (Revised Estimate)
3. 1998-99 बजट अनुमान (Budget Estimate)

श्रोत— बिहार बजट दस्तावेज 1998-99 बिहार सरकार, 1998, पटना (HISAM 110)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार बजट (1998-99)

राजस्व प्राप्तियाँ

(करोड़ रु०)

		1996-97	1997-98	1998-99
1.	कर राजस्व	3990·99	5029·99	5389·86
2.	कर भिन्न राजस्व	1061·33	1177·52	1595·93
	(i) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	112·95	64·67	284·42
	(ii) सामान्य सेवाएँ (लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, मुद्रण, लोक निर्माण, प्रशासनिक सेवा, पेन्शन वसूली आदि)	20·74	30·98	83·87
	(iii) सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा, खेल-कूद, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलआपूर्त्ति, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आदि)	24·04	36·16	50·17
	(iv) आर्थिक सेवाएँ (कृषि, पशुपालन, वानिकी, सहकारिता, भू-सुधार, लघु एवं मध्य सिंचाई, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, उद्योग, परिवहन, खनन आदि)	903·38	1045·22	1177·46
3.	सहायता अनुंदान / अंशदान	2985·57	4106·28	4186·73
	(i) केन्द्रिय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	647·53	1544·81	1239·97
	(ii) संघ उत्पाद शुल्क में राज्य का हिस्सा	2338·04	2561·47	2946·76
कुल राजस्व लेखा (1 + 2 + 3)		**9037·90**	**10313·33**	**11672·53**

नोट—

1. 1996-97 वास्तविक (Actual)
2. 1997-98 पुनरीक्षित अनुमान (Revised Estimate)
3. 1998-99 बजट अनुमान (Budget Extimate)

श्रोत—बिहार सरकार, वित्त विभाग, 1998, पटना

(HISAM 110)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ख) बैंकिंग एवं पूँजी बाजार

बिहार में व्यवसायिक बैंकिंग व्यवस्था का आरंभ 1912 के पूर्व ही हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनी के आने के पूर्व राज्य के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में घरेलू बैंकिंग व्यवस्था (indigenous banking) चल रही थी तथा इन बैंकरों द्वारा साख प्रदत्त एवं हुंडी कटौती की जाती थी। बैंक ऑफ बंगाल के शाखा प्रसार के बाद राज्य में अनेक बैंकों ने अपना काम प्रारंभ किया जिनमें इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक, इम्पीरियल बैंक, सेन्ट्रल बैंक तथा बैंक ऑफ बिहार प्रमुख थे। 1935 के पश्चात् संपूर्ण देश की तरह ही राज्य में भी बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक का गठन हुआ। रिजर्व बैंक की एक शाखा पटना में स्थित है। राष्ट्रीयकरण के बाद इम्पीरियल बैंक का नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया पड़ा। राज्य में यह सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसमें 70 के दशक में रुग्न बैंक ऑफ बिहार का स्टेट बैंक में ही विलय हो गया।

सारणी-3

प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंक व्यवस्था की स्थिति (1969-1996)

राज्य	बैंक शाखा संख्या		जमा (रू० करोड़)		साख (रु० करोड़)		प्राथमिक क्षेत्र को साख % में	
	1969	1996	1969	1996	1969	1996	1969	1996
आंध्रप्रदेश	567	3479	121·11	19055	122·09	15657	24·4	40·1
बिहार	273	3051	168·67	16658	52·50	5031	9·1	58·8
गुजरात	752	3037	401·31	24902	194·89	12205	15·9	36·6
हरियाणा	172	1061	48·78	8732	23·15	3651	28·2	67·2
कर्नाटक	756	2916	187·79	19238	143·04	13187	24·8	41·1
महाराष्ट्र	1118	4743	902·67	61150	911·79	46781	12·4	19·5
पंजाब	346	2076	185·41	20077	50·29	8231	27·9	49·8
तमिलनाडु	1060	3393	233·48	23678	311·32	22286	25·5	35°8
उत्तरप्रदेश	747	5421	337·15	37353	153·74	12107	16·9	59·1
प० बंगाल	504	3398	456·56	26643	525·80	13509	4·4	27·9
सर्वभारत	8262	44145	3896	356637	3035	211058	14·9	32·0

HISAM 110 स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97, भारत सरकार, नई दिल्ली।

व्यवसायिक बैंकों के कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार 1969 मे 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आया सारणी में 3 में 1969 तथा 1996 की स्थितियों का प्रमुख राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सारणी से यह स्पष्ट है कि जहाँ 1969 में राज्य में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शाखा मात्र 273 थी वह 1996 में 3051 हो गयी। इसी प्रकार कुल जमा की मात्रा 1969 में 168 करोड़ रु० की थी जो 1996 में 16658 करोड़ रु० हो गई। जहाँ तक साख सृजन का संबंध है यह राज्य में चिन्ता का प्रश्न रहा है 1969 में कुल साख 52.50 करोड़ रु० था जो 1996 में 5031 करोड़ रु० पहुँच गया। परन्तु जब हम राज्य में बैंकों के कार्य की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं तब यह प्रतीत होता है कि बैंकींग विस्तार तथा साख सृजन का स्तर अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा बहुत ही निम्न है। उदाहरण के लिए इस अवधि में राज्य में साख जमा अनुपात 40 से घटकर 30 हो गया वही महाराष्ट्र में यह 72, हरियाणा में 60, कर्नाटक में 79 तथा उत्तर प्रदेश में 46 है। सर्वभारत साख जमा (Credit-Deposit ratio) 60 है। साख-जमा में गिरावट और भी सोचनीय है क्योंकि राज्य में बैंक जमा 15 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में राज्य की बैंक जमा राशि का प्रयोग अन्य राज्यों में साख सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह राज्य के साधन विदोहन (Resource Drain) का एक नमूना है।

रिजर्व बैंक द्वारा गठित सेन समिति ने 1984 में अपने प्रतिवेदन में साख-जमा अनुपात को बिहार में 1987 तक 60 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था जिसकी अनुशंसा स्वयं रिजर्व बैंक ने भी बिहार स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की थी परन्तु आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है।

राज्य में कुल साख सृजन का 58.8 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों को जाता है जिसमें समेकित ग्राम विकास योजना (IRDP), सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, फसल ऋण प्रधानमंत्री रोजगार योजना सहित अन्य उत्पादक एवं सामाजिक समर्थन योजनाओं को जाता है। बैंकों द्वारा कुल प्राथमिक क्षेत्र (Priority Sector) को साख का 86 प्रतिशत दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुल साख सृजन का 4.50 प्रतिशत लघु उद्योगों को दिया गया है।

गैर प्राथमिकतावाले क्षेत्रों जैसे उद्योग तथा व्यवसाय में चालू पूंजी के वित्त पोषण हेतु 346 करोड़ रु० की आवश्यकता है तथा व्यवसाय को 247 करोड़ रु० की। राज्य में बैंकों की उदासीनता के कारण अधिकतर स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ चालू पूँजी के प्रवाह की कमी के कारण या तो बन्द हो रही हैं अथवा उनका अन्य प्रदेशों में स्थानान्तरण हो रहा है। 1997 में राज्य में साख योजना की बैठक में यह मुद्दा चिन्ता का विषय रहा।

ग्रामीण बैंक—ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुविधाजनक बैंक व्यवस्था के रूप में 1980 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। राज्य में 1996 तक 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे जिनकी 1887 शाखाओं द्वारा 1400 करोड़ रु० की जमा प्राप्ति थी। इतनी बड़ी जमा के विरूद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा मात्र 30 करोड़ रु० का ही व्यवसाय किया गया। इन बैंकों की अनेकों शाखाओं द्वारा विगत तीन वर्षों में एक रुपये की भी साख का सृजन नहीं हुआ है।

बिहार में लगभग सभी ग्रामीण बैंक रून्ग हो चुके हैं तथा इनमें 17 बैंकों की रिजर्व बैंक ने पुर्नस्थापित करने हेतु पहचान की है परन्तु कोई कार्य योजना अभी तक लागू नहीं की गई है। व्यवसायिक बैंकों सहित ग्रामीण बैंकों की पहुँच अभी तक 60000 में केवल 47000 गाँवों तक हुई है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सहकारी क्षेत्र—राज्य के सहकारिता आन्दोलन 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। राज्य में त्रि-स्तरीय सहकारी साख व्यवस्था है।

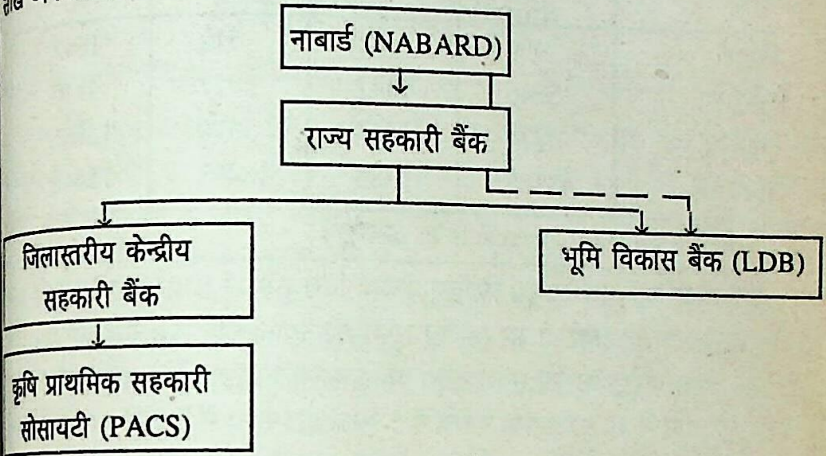

सहकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख विस्तार एवं नियमन की प्रधान एजेन्सी राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक (Nabard) है। यह कृषि एवं ग्रामीण साख का शीर्ष (Apex) संस्थान है। राज्य में कुल 55 लाख परिवार कृषि पर आश्रित हैं तथा केवल 6 लाख ही सहकारी समितियों के सदस्य हैं। राज्य में सहकारी बैंक कुल बैंक जमा का 3·97 प्रतिशत ही आकर्षित कर पाते हैं तथा कुल प्राथमिक क्षेत्र साख का मात्र 14 प्रतिशत ही सहकारी क्षेत्र से दिया जाता है। सहकारी क्षेत्र द्वारा सृजित कुल साख का 79 प्रतिशत केवल फसल उत्पादन हेतु प्रदान किया जाता है। सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार सहकारी क्षेत्र से साख सृजन केवल 11 प्रतिशत कृषक परिवारों को होता है जिनके पास 15 प्रतिशत फसल योग्य भूमि है। सहकारी बैंकों की सबसे बड़ी कमजोरी निम्नस्तरीय वसूली है तथा यह साख सृजन के लिए मुख्य रूप से नाबार्ड से प्राप्त साधनों पर आश्रित हैं। नाबार्ड में मानदण्डों के अनुसार 1 हेक्टर भूमि पर पाँच हजार रु० साख दिया जा सकता है। राज्य में 104 लाख हेक्टर भूमि पर खेती होती है। अतः इस आधार पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 5200 करोड़ रु० प्राप्त होने चाहिए परन्तु 1993-94 में नाबार्ड से कुल प्रवाहित साख मात्र 104 करोड़ रु० था। इस निम्न प्रवाह का मुख्य कारण निम्न ऋण अदायगी या वसूली है। 1994-95 में कुल साख सृजन का मात्र 20% ही वसूला गया। फलतः नाबार्ड ने साख प्रवाह का स्तर कम कर दिया। राज्य में अधिकतर प्राथमिक सहकारी समितियाँ रूग्न पड़ी हैं तथा सरकार अभी तक मॉडल सहकारी अधिनियम की रूपरेखा भी तय नहीं कर पायी है।

पूँजी बाजार एवं संस्थागत वित्त—वृहत उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय वित्त संस्थाएँ सक्रिय है। राज्य में अनेक वृहत औद्योगिक परियोजनाओं को औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) तथा औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI) द्वारा वित्त पोषण किया गया है। इसका एक चित्र निम्न सारणी में प्रस्तुत है—

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सारणी–4

अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा निवेश (1993-94)

राज्य	IDBI	IFCI	ICICI	कुल
बिहार	990	141	512	1642
गुजरात	5646	1147	2927	9770
महाराष्ट्र	6836	1654	5370	13861
सर्वभारत	43565	10383	18498	72446

(वास्तविक देय (Disbursement) का आँकड़ा)

वृहत औद्योगिक वित्त आपूर्ति के लिए केन्द्रीय वित्त संस्थाएँ IDBI तथा FCI भी राज्य की आवश्यकताओं की अनदेखी कर रही है। 1991-92 तथा केन्द्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा पूँजी प्रवाह रु० 1548 करोड़ था जो सर्वभारतीय प्रवाह का मात्र 2.3% था। उत्तर प्रदेश में यह 9.30%, महाराष्ट्र में 19.92% तथा बंगाल में 5.39% था। राज्य में वित्त के अभाव से 70% लघु इकाईयाँ रुग्ण हो चुकी हैं। BSFC जो लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण देती है, उस पर 600 करोड़ की देनदारी है। BICICO, जो मध्य एवं वृहत उद्योगों को ऋण प्रदान करती है, भी बन्द होने के कगार पर पहुँच गई है। 1994-95 में लघु क्षेत्र को मात्र 71.6 करोड़ का वित्त पोषणं हुआ।

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उसके उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए मगध स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों (शेयर एवं डिबेन्चर) का क्रय-बिक्रय के लिए बाजार बनाना है। इसमें व्यापार दल्लालों (Brokers) द्वारा किया जाता है जो इस स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। मगध स्टॉक एक्सचेंज प्रारंभ से ही सदस्यों द्वारा भुगतान न देने (Default) तथा वित्तीय अनियमितता के कारण राज्य के अन्य स्टॉक एक्सचेंज के समकक्ष अपना स्थान न बना सका। 1996 में सेबी एवं रिजर्व बैंक के आदेश पर इसका अधिग्रहण (Supersession) कर लिया गया तथा अब इसमें व्यापार बन्द हो चुका है।

वित्तीय सुविधाओं के अभाव में कोई भी प्रान्त उच्चस्तरीय औद्योगीकरण एवं व्यवसाय प्रोत्साहन की कल्पना नहीं कर सकता है। वित्त ही आर्थिक क्रियाओं का रक्त प्रवाह है और यदि इसके प्रवाह की संरचना में अपूर्णता हो तो सारी अर्थव्यवस्था रुग्ण हो ही जायगी। पूंजी बाजार राज्य में शिथिल हो चुका है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय–20

रोजगार एवं श्रमकल्याण

बिहार की कुल आबादी में 1991 जनगणना के अनुसार 2·56 करोड़ लोग मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। 21 लाख लोग सीमान्त श्रमिक हैं तथा 5·85 करोड़ गैर श्रमिक अथवा आश्रित लोगों की श्रेणी में है। इस प्रकार कुल आबादी का एक बड़ा भाग (एक तिहाई) श्रम संख्या पर निर्भर करता है। मुख्य श्रमिकों में 2·15 करोड़ पुरुष तथा 41 लाख महिलाएँ हैं। इनमें से 2·28 करोड़ ग्रामीण श्रम की श्रेणी में आते हैं तथा 27 लाख लोग शहरों में श्रमिक के रूप में योगदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कुल आबादी का 29·66 प्रतिशत ही श्रमिकों का है। 12·5 प्रतिशत आबादी सीमान्त श्रमिक है तथा 67·84 प्रतिशत आबादी गैर-श्रमिक की श्रेणी में आती है।

रोजगार संरचना—(क) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)—कुल श्रम शक्ति में से 1·11 करोड़ लोग काश्तकारी पर आश्रित हैं। काश्तकारों अथवा कृषकों में अधिकतर सीमान्त एवं लघु किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ या उससे भी कम भूमि है। इनकी आर्थिक स्थिति भूमिहीन श्रमिकों से कोई बहुत अच्छी नहीं है। राज्य में 95 लाख लोग भूमिहीन श्रमिक हैं। समाज का यह सबसे कमजोर वर्ग है जिसमें अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इनमें साधनविहीनता की जटिल समस्या है। कृषि कार्य में प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से विघ्न उत्पन्न होने से इनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। अधिकतर योजनाएँ इसी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 लाख व्यक्ति पूर्णतः पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि कार्यों में लगे हैं। ऐसे कृषि संबंधित कार्यों से पूर्ण या आंशिक रूप से लगभग सभी ग्रामवासी संबंधित हैं। ऐसे कार्यों से आय का सम्पूरण (Supplement) भी होता है। अतः ठीक-ठीक गौण-व्यवसायों में लगे लोगों की पहचान करना कठिन है।

इसके अतिरिक्त 3·23 लाख श्रमिक खनन् एवं खदानों में कार्यरत हैं। खनन् में अधिकतर बिहार दक्षिण के पठारी भाग में कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, यूरेनियम अयस्क, मैंगनीज, अबरख आदि खानों में उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा संगठित खनन क्षेत्र कोयला है जिसमें केन्द्र सरकार के उपक्रमों का एकाधिकार है। अबरख की खानें जर्जर अवस्था में पहुँच गई हैं। और इसकी माँग में कमी के कारण रोजगार की दशा चिन्ताजनक है। असंगठित खदानों में पत्थर एवं चूना मिट्टी महत्वपूर्ण खनन कार्य है जिसमें लगे श्रमिकों की दशा भी दयनीय है।

इस प्रकार कुल प्राथमिक क्षेत्र में 2·10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। यह संख्या 1981 में 1·60 करोड़ थी। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य की 80 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार पाती है। परन्तु इस क्षेत्र का राज्य घरेलू उत्पादन में योगदान मात्र 40 प्रतिशत

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का ही है। इससे इस क्षेत्र में लगे लोगों के आय संवर्द्धन की संभावना नहीं दिखती है।

(ख) 1991 में द्वितीयक (Secondary) अथवा निर्माण एवं उत्पादक क्षेत्र में 11·88 लाख श्रमिक कार्यरत हैं जबकि 1981 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 14·89 लाख थी। इस गिरावट का बड़ा कारण बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता तथा अवनिवेश है। अनेक बड़े औद्योगिक एवं प्रतिशोधन संयंत्र (विशेषकर कृषि आधारित उद्योग जैसे—कागज, जूट, चीनी, सूतीवस्त्र, तम्बाकू आदि) या तो बन्द पड़े हैं अथवा अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। डालमियानगर में कागज एवं सिमेन्ट उद्योग, समस्तीपुर में कागज, उत्तर एवं मध्य बिहार में 26 से अधिक चीनी मिलें बन्द हो चुकी है। केन्द्र सरकार के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे, HEC (राँची), IDPL (मुजफ्फरपुर), तेलशोधक (बरौनी), उर्वरक (सिन्द्री) आदि रुग्ण हो चुके हैं। TISCO, TELCO आदि बड़े निजी प्रतिष्ठानों ने अपना निवेश अन्य राज्यों में कर रहे हैं। लघु उद्योगों की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं। वित्तीय संसाधन, कुशल तकनीक एवं प्रबन्धन के अभाव में 33 औद्योगिक नगरीयों (Industrial Estates) में दो तिहाई से अधिक इकाईयाँ बन्द पड़ी हैं। हस्तकरघा एवं पावर लूम उत्पादन में भी पिछले 15 सालों में तीव्र ह्रास हुआ है। राज्य में 10·26 लाख लोग संगठित उद्योगों एवं प्रशोधन तथा 1·62 लाख लोग घरेलू उद्योग एवं निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं।

(ग) सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से 10·25 लाख लोग व्यापार एवं व्यवसाय, 3·29 लाख यातायात, संचार एवं भंडारण तथा 19·78 लाख अन्य सेवाओं में लगे हैं। इस प्रकार तृतीयक (Tertiary) क्षेत्र में कुल 33·32 लाख लोग कार्यरत हैं। राज्य में रोजगार कि प्रवृत्ति बहुत हद तक अखिल भारतीय पद्धति से मिलती-जुलती है। अधिकांश रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में उपलब्ध है परन्तु सेवा क्षेत्र में उद्योग एवं निर्माण के अधिक अवसर मिल रहे हैं।

बेरोजगारी की दशा—1951 में बिहार का अखिल भारत रोजगार में 7·37 प्रतिशत का हिस्सा था। 1956 तक नियोजन अथवा रोजगार में बिहार की स्थिति भारत में प्रथम स्थान पर थी। परन्तु 1960 के पश्चात् कुल रोजगार उपलब्धी एवं नियोजन घटने लगा। 1980 में बिहार का स्थान सातवाँ हो गया तथा कुल भारतीय रोजगार का मात्र 5 प्रतिशत रोजगार राज्य में उपलब्ध था। 1987 में राज्य का स्थान तो सातवाँ ही रहा पर रोजगार का प्रतिशत घटकर 5 प्रतिशत हो गया। 1994-95 में बिहार का देश के कुल रोजगार में मात्र 5 प्रतिशत का ही हिस्सा रहा।

1951 में बिहार की कुल कार्यकारी आबादी का 81 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, 8 प्रतिशत उद्योग एवं निर्माण में तथा 11 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में लगा था। 1991 में राज्य में 80·6 प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में, तथा अन्य क्षेत्रों में मात्र 19·4 प्रतिशत लोग कार्यरत थे। अतः कार्यकारी जनसंख्या की रोजगार पद्धति में इस अवधी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत अखिल भारत में 64·9 प्रतिशत ही लोग प्राथमिक क्षेत्र पर तथा 35·1 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। नियोजन की पद्धति तथा सकल राजकीय घरेलू प्रवाह से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में गरीबी का मुख्य कारण यहाँ रोजगार की प्रतिगामी अवस्था है। कृषि एवं संबंधित कार्य में रोजगार हेतु अत्यधिक निर्भरता के कारण राज्य में व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी एवं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अर्द्ध-बेरोजगारी की अवस्था देखी जा सकती है। 1951-52 में राज्य में नियोजन कार्यलयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या अखिल भारतीय बेरोजगार का 6·2 प्रतिशत थी। 1991 में यह संख्या 9·8 प्रतिशत तक पहुँच गई। 1951 में राज्य में कुल 3·2 लाख लोग बेरोजगार की श्रेणी में आते थे जो 1990 में 21 लाख हो गई। 1951 से 1990 के बीच राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 27·4 गुनी वृद्धि हुई जबकि गैर पंजीकृत बेरोजगारी में 6·5 गुणा वृद्धि हुई। राज्य में बेरोजगारी और विशेषकर अर्ध-बेरोजगारी ने संकट का रूप धारण कर लिया है। यह दशा राज्य से श्रमिकों के पलायन एवं गरीबी रेखा के नीचे आनेवाली जनसंख्या की बढ़ती हुई दर से भलि-भांति परिलक्षित होती है।

राज्य के नियोजन सेवा—देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधानतंत्र के रूप में नियोजन सेवा की परिकल्पना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को नियोजन संबंधी सेवा प्रदान करना है। इसी नीति के अन्तर्गत राज्य में बहुस्तरीय नियोजन निदेशालयों का गठन किया गया। इन निदेशालयों का मुख्य कार्य बेरोजगार व्यक्तियों का निबंधन, सम्प्रेषण एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा उससे संबंधित कार्यों को संपादित करना है। इसके अतिरिक्त नियोजनालयों तथा निर्देशालय नियोजन के द्वारा नियोजन पाण्य सूचना कार्य भी किया जाता है तथा इनसे संबंधित आंकड़ों का संकलन कर भारत सरकार को भेजा जाता है। नियोजनालय विभिन्न सरकारी अभिकरणों, उपक्रमों, निजी संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर नियोजन संबंधी सूचना भी प्राप्त करते हैं तथा उन्हें उपयुक्त मानव शक्ति की सूचना उपलब्ध कराते हैं।

राज्य में नियोजन निदेशालय बहुस्तरीय है। इसका मुख्यालय पटना में है। 27 पुराने जिलों में जिला नियोजनालय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 14 अवर नियोजनालय, 7 ग्रामीण नियोजनालय, 6 विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, एक-एक व्यवसायिक एवं बालिका नियोजनालय, अनुसूचित जाति एवं विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय तथा नियोजन सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। निदेशालय में निदेशक व्यवस्था का मुखिया होता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी दस प्रमण्डलों में उपनिर्देशक तथा विशेष नियोजनालयों में सहायक निदेशक नियोजन संबंधी कार्य अन्य पदाधिकारियों की सहायता से करते हैं।

नियोजनालयों द्वारा संपादित कार्य का ब्योरा (1994-95)

	पुरुष	महिला	कुल योग
जीवित पंजी	34·73 लाख	2·55 लाख	37·29 लाख
निबंधन	4·20 लाख	0·54 हजार	4·74 लाख
अधिसूचित रिक्तियाँ	18·74 हजार	0·36 हजार	19·10 हजार
सम्प्रेषण	2·54 लाख	0·18 लाख	2·73 लाख
नियुक्तियाँ	15·00 हजार	0·05 हजार	15·06 हजार

उक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियोजनालय व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति तथा बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह विफल रही है। राज्य में बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों की लम्बी कतार है। 1995 तक निदेशालयों की जीवित पंजी पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

37 लाख व्यक्ति थे तथा उस वर्ष 4 लाख लोगों ने निबंधन कराया था। अधिकतर निबंधित व्यक्ति शिक्षित ही हैं। शिक्षित बेरोजगारों को राहत दिलाने के लिये 1981 से बेरोजगार संकेतिक भत्ता योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत 1·79 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को 1995-96 में कुल 13·51 करोड़ रुपये की राहत देने की व्यवस्था थी। नियोजन व्यवस्था में जन भागीदारी निश्चित करने के लिए 1990 में बिहार नियोजन कलश फंड की स्थापना की गई। जिसके अन्तर्गत सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों तथा नागरिकों से स्वेच्छा से राशि प्राप्त करने की व्यवस्था है जिसका प्रयोग, नियोजन व्यवस्था को प्रभावी बनाने में किया जाएगा। 1994 में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने एवं समाधान सुझाने हेतु नियोजन निदेशालय में राज्य नियोजन समिति गठित की गई।

इन सभी प्रयासों के बावजूद राज्य में बेरोजगारी समस्या की गंभीरता पूर्ववत् बनी हुई है। इस संबंध में सरकार के स्तर से किये गये सभी प्रयास विफल रहे हैं। नियोजनालय व्यवस्था में मूलभूत सुधार एवं निजी भागीदारी स्थापित किए बिना इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है।

श्रम आन्दोलन एवं औद्योगिक संबंध

बिहार में श्रम आंदोलन का प्रार्दुभाव इस शताब्दी के द्वितीय दशक से प्रारंभ हुआ। 1919 में जमालपुर से मजदूरों ने अपने हित की रक्षा के लिए हड़ताल की। श्रम आन्दोलन को उस समय बल मिला जब **एस० एन० हलदर** एवं **बी० चक्रवर्ती** के नेतृत्व में 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। 1907 से ही जमशेदपुर औद्योगिक मानचित्र पर आ गया जब टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) की स्थापना हुई। इसके पश्चात् धीरे-धीरे श्रम आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तथा सामूहिक सौदेबाजी के अन्तर्गत 1920 से 1928 के बीच अनेक स्थानों पर मजदूरों ने हड़ताल का आयोजन किया। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में हुआ जिसमें पं० जवाहर लाल नेहरु AITUC के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बिहार के श्रम आन्दोलन से **अब्दुल बारी, राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण** तथा **सुभाष चन्द्र बोस** आदि बड़े नेता जुड़े हुए थे। श्रम संघ प्रारंभ में मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के औद्योगिक इकाईयों तथा कोयला खदानों तक सीमित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना से श्रम संघ आंदोलन को फैलने का बड़ा अवसर मिला। 1980 के दशक में श्रम आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। जब राज्य में अनेक प्रतिष्ठानों में हड़तालों का सिलसिला जारी रहा तथा मानव दिवस हानी इस दशक में सर्वाधिक रही, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रवाह पड़ा और निवेश का पलायन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक एवं संगठित श्रम आन्दोलन धीरे-धीरे प्रभावहीन होने लगे और सार्वजनिक उपक्रम सहित अधिकतर निजी प्रतिष्ठान रुग्ण हो गये। 1993 में केवल 7 हड़तालें हुई जिसमें 4633 मजदूर सम्मिलित हुए और 2·69 लाख मानव दिवस का नुकसान हुआ। राज्य की विभिन्न औद्योगिक एवं खनन इकाईयों में CITU, AITUC, INTUC, HMS, BMS आदि श्रम संगठन सक्रिय हैं और अधिकतर इकाईयाँ इनसे संबंधित हैं। श्रम संघों के प्रभाव खोने का मुख्य कारण औद्योगिक, व्यवसायिक या खनन इकाईयों में बहु-संघ-व्यवस्था तथा उनका आपसी प्रतिद्वन्दता, श्रम-आन्दोलन एवं संघों का अति राजनीतिकरण, उपक्रमों की कमजोर आर्थिक व्यवस्था तथा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मजदूरों में जागरुकता एवं भागीदारी का अभाव है। 1995-96 में कुल 9 हड़तालें हुईं जिनमें 3162 श्रमिक प्रभावित हुए तथा 2·28 लाख मानव दिवस की क्षति हुई। इसी वर्ष ताले बन्दी के फलस्वरूप 610 श्रमिक प्रभावित हुए तथा 4·4 लाख मानव दिवस की क्षति हुई।

श्रम न्यायालय—श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं औद्योगिक संबंध में शांति बनाए रखने के लिए औद्योगिक न्यायालयों एवं श्रम न्यायालयों की व्यवस्था की गई हैं। राज्य में पटना, राँची एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित है। इसके अतिरिक्त 14 श्रम न्यायालय पटना, मुजफ्फरपूर, भागलपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, पूर्णियाँ, राँची, देवघर, डालमियानगर तथा हजारीबाग में स्थापित है।

विभिन्न श्रम न्यायालयों में दिसम्बर 1994 तक 6154 मामले लंबित थे। 1995 में प्राप्त 1503 मामले इसके अतिरिक्त था। 1995 तक 1172 मामलों को निष्पादित किया गया। 5500 से ऊपर मामले इन न्यायलयों में लंबित पड़े हैं।

कारखाना निरीक्षणालय—राज्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कारखाना निरीक्षणालय का गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम (1948) वेतन भुगतान अधिनियम (1936), बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) (1986), न्युनतम मजदूरी अधिनियम (1948), बगान श्रम अधिनियम (1951) तथा मातृत्त्व कल्याण अधिनियम (1961) के प्रावधानों का सही कार्यान्वयन कराना है। कारखाना निरीक्षणालय राज्य श्रम आयुक्त के अधीन काम करता है। राज्य में कुल 37 अंचल स्थापित हैं तथा प्रत्येक में अंचल कार्यालयों में कारखाना निरीक्षकों के पदस्थापन की व्यवस्था है। इन पदाधिकारियों का मुख्य कार्य उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना है कि श्रम संबंधी इन प्रावधानों का प्रबंधकों द्वारा उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अपने उद्देश्यों एवं संरचना के लक्ष्यों के विपरीत कारखाना निरीक्षणालय व्यवस्था श्रम हित की सुरक्षा में सफल नहीं रही है। प्रबंधकों से मिलकर वास्तव में यह श्रम उत्पीड़न का माध्यम बन गई है। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं उदासीनता के कारण निरीक्षण एवं दण्ड की व्यवस्था अत्यन्त कमजोर है।

राज्य में संगठित श्रम से संबंधित महत्त्वपूर्ण अधिनियम एवं व्यवस्थाएँ—(1) श्रम संघ अधिनियम (1926)—श्रम संघ अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूर संगठनों को श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु संगठन बनाने एवं सामूहिक ऐक्शन को वैधानिकता प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत श्रम संघों का निबंधन, विवाद निपटारा निर्वाचन आदि की व्यवस्था एवं नियमन किया जाता है।

(2) **कर्मकार प्रतिकर अधिनियम** (1923)—इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत मजदूर के काम करते समय दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को नियोजकों के द्वारा प्रतिकर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

(3) **कारखाना अधिनियम (1948)**—कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का नियमन एवं प्रबंधन करना है। राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन तथा निरीक्षण श्रम आयुक्त के अधीन गठित कारखाना निरीक्षणालय करता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(4) **मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)**—यह अधिनियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित महिला कामगारों को विशेष सुविधाओं जैसे प्रसूति-अवस्था सुविधाएँ, आदि प्रदान करता है।

(5) **औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947)**—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंधक एवं श्रमिकों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत समझौतों के प्रारूप, पंचाट की व्यवस्था, आदि का प्रावधान है। पंचाट के कार्यान्वयन न होने पर संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध इस अधिनियम में सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का भी प्रावधान है।

(6) **बोनस भुगतान अधिनियम (1965)**—बोनस भुगतान अधिनियम कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान कराने की व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले नियोजकों को कम से कम 8·33% और अधिक से अधिक 20% बोनस देने का प्रावधान है। इसका क्रियान्वयन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कराया जाता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करनेवालों को दण्डित करने का प्रावधान है।

(7) **समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)**—यह अधिनियम अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी प्रतिष्ठानों में स्त्री और पुरुष एक समान मजदूरी दिलाने की व्यवस्था करता है। इसके प्रावधान संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में लागू होते हैं।

(8) **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)**—इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्मिलित किये गये हैं जहाँ 20 या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं और जहाँ बिजली का प्रयोग होता है। इसके प्रावधानों में बीमाकृत कर्मचारी को (i) बीमारी हित लाभ (ii) प्रसूति हित लाभ (iii) असंगत हित लाभ, (iv) आश्रित हित लाभ (v) अंत्येष्ठि हित लाभ तथा (vi) चिकित्सा हित लाभ की व्यवस्था है। इसके प्रावधान के अन्तर्गत ही राज्य कर्मचारी बीमा निगम की व्यवस्था है। बिहार में यह निगम दिसम्बर 1957 में स्थापित हुआ।

असंगठित श्रमिकों के लिए वैधानिक उपाय एवं व्यवस्थाएँ—

(1) **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)**—इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी भुगतान को सुनिश्चित करना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में आनेवाले विभिन्न नियोजनों के लिए सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने का प्रावधान है तथा समय-समय पर इन दरों को पुनरीक्षित किया जाता है।

(2) **बीड़ी-सिगार कर्मचारी (नियोजन शर्त) अधिनियम (1966)**—बीड़ी-सिगार कर्मचारी (नियोजन शर्त) अधिनियम के अन्तर्गत बीड़ी निर्माण परिसरों को लाइसेन्स देने तथा इन परिसरों में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा निर्धारित करने तथा कार्य दशा के नियम का प्रावधान है। राज्य में जमुई, मुंगेर, पाकुड़, मधुपुर, चक्रधरपुर, झाझा, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा बिहार शरीफ में बड़ी संख्या में बीड़ी निर्माण का कार्य होता है।

(3) **ठेका मज़दूर (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम (1970)**—इस अधिनियम में ठेका मज़दूरों के नियोजन एवं सेवा शर्तों की व्यवस्था की गई है। हर ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ 10 या उससे अधिक मज़दूर ठेका व्यवस्था में कार्य करते हों वहाँ इस अधिनियम के प्रावधान लागू

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

होते हैं।

(4) **मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम (1961)**—इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन उपक्रमों में नियोजित कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन होता है। इसके नियमन का दायित्व राज्य के मुख्य निरीक्षण पदाधिकारी पर है। राज्य में इस अधिनियम के प्रावधान 1405 निबंधित प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

(5) **बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (1953)**—राज्य के विभिन्न बाजारों, नगरपालिकाओं, नगर निगम तथा अधिसूचित क्षेत्रों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के निबंधन तथा कर्मचारियों की कार्य दशा के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। कर्मचारियों के काम के घंटे, वेतन-भुगतान, अन्य आवश्यक सुविधाओं को दिलाना तथा बाल श्रम का उन्मूलन है। इसके अन्तर्गत लगभग 1 लाख दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निबन्धन हुआ है।

बाल श्रम की समस्या

भारत में और विशेषकर बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में बाल श्रम की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय रही है। यह समस्या उस समय और अधिक विवाद के घेरे में आई जब प्रसिद्ध समाजसेवी **श्री कैलाश सत्यार्थी** ने अपनी संस्था साउथ एशियन कोलेक्शन फार चाइल्ड सर्विच्यूड (SACCS) के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बाल श्रम विरोधी जन आन्दोलन छेड़ दिया। बिहार के बालक (14 वर्ष की आयु से कम) न केवल राज्य के विभिन्न श्रम प्रधान एवं खतरनाक (hazardous) उद्योगों में कार्यरत हैं बल्कि इन्हें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब एवं दिल्ली के लघु एवं निर्माण उद्योग में लगाया गया है।

राष्ट्रीय श्रमसंघ के प्रतिवेदन के अनुसार देश में बाल श्रमिकों (4 से 14 वर्ष) की संख्या के मामले में बिहार पांचवें स्थान पर है। बिहार में बाल श्रमिकों की संख्या 10·70 लाख हैं जिनमें 3·40 लाख संख्या बालिकाओं की है। इस मामले में आंध्रप्रदेश (19·5 लाख), मध्य प्रदेश (17 लाख), महाराष्ट्र (15·6 लाख) और कर्नाटक (13 लाख) बिहार से आगे हैं। यह आंकड़े मुख्य रूप से प्राथमिक श्रम (Primary labour) के हैं यदि इनमें गौण बाल श्रम (मुख्यतः कृषि एवं संबंधित कार्य) में लगे बाल श्रम को सम्मिलित कर लिया तो बिहार का स्थान सबसे ऊंचा होगा। परन्तु गौण श्रमिकों की पहचान एवं लेखांकन करना वर्तमान शोध पद्धति में संभव नहीं है।

राज्य के श्रम विभाग द्वारा कराए गये जिलावार सर्वेक्षण (1996) में 1·73 लाख बाल श्रमिकों की पहचान की गई है जिनमें सबसे अधिक राँची (24313), पूर्णियाँ (15272) एवं अररिया (12495) में हैं। कुल पहचान किये गये बाल श्रमिकों में से 24879 श्रमिक खतरनाक (hazardous) उद्योगों में कार्यरत हैं। राज्य के सभी 55 जिलों में सर्वाधिक बाल श्रमिक जमुई (13884) में खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नालन्दा में 8709, तथा ...पुर में 2857 बाल श्रमिक पहचाने गये हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रम की स्थिति भोजपुर, बक्सर, नवादा, गिरिडीह, राँची, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, बोकारो, वैशाली आदि जिलों में बहुत ही गंभीर है। बाल श्रमिक अधिकतर बिड़ी उद्योग (9647) बुनाई (7000) पावर करघा, चूड़ी उद्योग, पत्थर तोड़ने तथा हस्तकरघा उद्योग में लगाए गए हैं।

RajGuru Maṭh, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य में बाल श्रमिकों की बहुलता का मुख्य कारण गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दशा है। राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए बच्चे अतिरिक्त आय का श्रोत हो जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा लगभग 67 रुपये प्रतिमाह का योगदान दिया जाता है।

बाल श्रम प्रथा का दूसरा कारण अनेक क्रियाओं का व्यस्क श्रमिकों के लिए गैर लाभकर होना तथा अनेक उत्पादों की लागत संरचना को निम्न रखने हेतु सस्ती मजदूरी पर बाल श्रमिकों का प्रयोग किया जाना है। ऐसे अनेक उद्योग हैं जैसे बीड़ी, अतिशबाजी, बुनाई, हस्तकरघा, ईंट-भट्टे, पत्थर तोड़ना, चूड़ी निर्माण आदि जहाँ केवल व्यस्क श्रमिकों के प्रयोग से लागत मूल्य में तीव्र वृद्धि होगी और ऐसे उद्योग मशीनी प्रतियोगिता से मुकाबला नहीं कर पाएँगे। इसके अतिरिक्त बाल श्रमिकों में संगठन का अभाव है और वह बिना अतिरिक्त सहूलियत के मांग के चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे। इन बाल श्रमिकों की पहचान और अंकीकरण भी अत्यन्त कठिन होता है। अतः इन सभी कारणों से बाल श्रम प्रथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है।

1980 में बाल श्रम के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ध्यान आर्कषित किया गया और निर्यात प्रतिबन्ध की धमकियों के दबाव में केन्द्र सरकार ने इसके नियमन एवं उन्मूलन के लिए प्रयास तीव्र किया। 1986 में राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ। सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु नए अधिनियम में पहली बार खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यापक योजना बनाई जिसमें इसे युनिसेफ तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का सहयोग प्राप्त है।

दिसम्बर 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित इकाईयों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी कार्य अथवा अधिकारी द्वारा बाल श्रम का प्रयोग नहीं होगा एवं खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए तुरन्त कार्ययोजना लागू की जाए। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत पुनर्वास हेतु **विशेष स्कूलों** की व्यवस्था की गई है। बिहार में 194 विशेष स्कूलों में स्थापना की मंजूरी दी गई जिसमें 187 स्कूल वर्तमान में काम कर रहे हैं। इन स्कूलों में अभी तक 11494 मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का नामांकन किया गया है। इन स्कूलों में बच्चों का 100 रु० मासिक वजीफा दिया जाता है तथा उनके लिए रोज़गारोन्मुखी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि व्यस्कावस्था तक उन्हें लाभपूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त बाल श्रम उन्मूलन की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना (IPEC) के अन्तर्गत 18 परियोजनाओं का प्रस्ताव था जिनमें 9 परियोजनाओं को नालन्दा, वैशाली, छपरा, बक्सर, हाजीपुर, पटना एवं दरभंगा (एक-एक) को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ठ (i)

बिहार : कुछ स्मरणीय तथ्य

- 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नये प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गयी। नया प्रांत 1 अप्रैल, 1912 से विधिवत स्थापित हुआ।
- 1916 में पटना उच्च न्यायालय एवं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई।
- 1935 के कानून के अन्तर्गत सम्पन्न चुनाव में कुल 152 में 98 स्थानों पर कांग्रेस सफल रही थी। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल एम० जी० हैलट से अपेक्षित आश्वासन नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात् राज्यपाल के आमंत्रण पर 1 अप्रैल, 1937 को इंडिपेन्डेन्ट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री (प्रधानमंत्री) बने।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का नवाँ सबसे बड़ा राज्य है। 1.74 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले इस राज्य का क्षेत्रफल कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल का 5.3 प्रतिशत है।
- बिहार का मैदान मन्द ढाल वाला है। इसकी औसत ढाल 8 सेन्टीमीटर प्रति किलोमीटर है। सागरतल से इस भूभाग की ऊँचाई अल्प (60-120 मीटर) है।
- बिहार का दक्षिणी भाग, दक्षिणी प्रायद्वीप के पठारी भाग का एक अंग है, जिस कारण यह कठोर चट्टानों एवं जटिल स्थल रूपों से युक्त है।
- राँची का पठार बिहार का सबसे ऊँचा पठार है। इस पठार की सबसे ऊँची चोटी माउंट पारसनाथ (1,365 मी०) है, जो राँची पठार एवं हजारीबाग के मध्य विस्तीर्ण है।
- स्वर्ण रेखा हजारीबाग तथा राँची पठार को पृथक करती है।
- राजमहल की पहाड़ियों का उद्भव ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया द्वारा हुआ है।
- छोटानागपुर पठार की चट्टानें प्राचीन एवं गोण्डवाना प्रकार की है।
- वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार का जन्मदर 3.59 प्रतिशत, मृत्युदर 3.44 प्रतिशत तथा शिशु मृत्युदर 91 प्रति हजार है, जबकि इनका राष्ट्रीय औसत क्रमशः 3.2 प्रतिशत, 3.05 प्रतिशत एवं 91 प्रति हज़ार है।
- वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर (1981–82) बिहार की 2.11 है जबकि राष्ट्रीय औसत 2.14 है।
- 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का देश में तीसरा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्थान आता है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का मान बिहार में 497 है जबकि राष्ट्रीय औसत 267 है।

- बिहार की करीब 85.5 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है जबकि राष्ट्रीय औसत 76.3 प्रतिशत का है। बिहार के उत्तर मैदानी भागों में तो यह अनुपात 94 प्रतिशत तक है।
- 1991 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 38.48 प्रतिशत (निम्नतम) है जबकि राष्ट्रीय औसत 52.21 है। स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत बिहार में मात्र 22.89 है जबकि इसका राष्ट्रीय स्तर 39.29 है।
- राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 19.49 एवं 26.41 है।
- प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वर्ष 1990-91 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2539 रु० के बराबर थी जबकि राष्ट्रीय औसत 4934 रु० था।
- बिहार में कुल भू-क्षेत्र का 43.92 प्रतिशत ही कृषि योग्य है। सिंचाई सुविधा की दयनीय स्थिति के कारण मात्र 37 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र में ही एक से अधिक फसल पैदा की जाती है।
- कुल फसल आच्छादित क्षेत्र के 36 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।
- 1991 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 5 करोड़ कृषि मजदूर थे।
- बिहार का खाद्यान्न उत्पादन इस वर्ष 174 लाख मेट्रिक टन रहा। वर्ष 1994-95 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 191 लाख मे० टन रखा गया।
- उत्तरी क्षेत्र में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होनेवाली नदियों में गंगा, घाघरा, बूढ़ी गण्डक, बागमती, कोसी, महानन्दा आदि प्रमुख हैं।
- पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रवाहित होनेवाली नदियों में सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी आदि प्रमुख हैं।
- दामोदर में मिलनेवाली प्रमुख नदियाँ हैं—उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा, बराकर आदि।
- बिहार से 47 प्रतिशत कोयला, 30 प्रतिशत बाक्साइट, 34 प्रतिशत ग्रेफाइट, 33 प्रतिशत तांबा, 57 प्रतिशत अभ्रक तथा 43 प्रतिशत कायनाइट का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक, कोयला, पायराइट एवं यूरेनियम के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है।
- बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है।
- सम्पूर्ण देश का 10 प्रतिशत कोयला केवल झरिया से प्राप्त होता है।
- पलामू के बेतला में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान (National Park) की स्थापना की गई है। यह बिहार का पहला निर्मित राष्ट्रीय उद्यान है।
- मध्यम किस्म के कोयले को धातु शोधन योग्य कोकिंग कोयले में बदलने के लिए 24 धोवनशालाओं की स्थापना पूरे देश में की गयी है जिनमें 7 बिहार में स्थित हैं। इनमें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सबसे बड़ी धोवनशाला (बिहार में) करगाठी धोवनशाला है।

- बोकारो स्थित इस्पात कारखाना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना 1968 में की गयी थी। 1900 करोड़ रु० की लागतवाले इस कारखाने में काम 1972 से शुरु हुआ। इसके लिए क्योंझर की खान से लौह अयस्क मंगाया जाता है।
- राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 114.55 यूनिट है जबकि राष्ट्रीय औसत 268 यूनिट है।
- कुछ दिन पहले जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51 बड़े और मध्यम दर्जे की तथा 8000 लघु औद्योगिक इकाईयां या तो बंद हो चुकी हैं या रुग्णता की स्थिति में पहुँच चुकी है।
- बिहार में 13 प्रमंडल, 55 जिले, 130 अनुमंडल, 727 प्रखंड, 11,969 पंचायतें, 1097 पुलिस थाने हैं।
- बिहार से लोक सभा के 54 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
- बिहार विधान सभा की सदस्य संख्या 324 है।
- बिहार में 3, 768 शहर और 67,546 गाँव हैं।
- बिहार में शहरी क्षेत्र 3,198·5 वर्ग कि०मी० है और ग्रामीण क्षेत्र 1,70,678·5 वर्ग कि०मी० है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 173,877 वर्ग कि०मी० है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ठ (ii)

बिहार मंत्रीमंडल

राज्यपाल

महामहिम सुन्दर सिंह भण्डारी

कैबिनेट मंत्रिगण

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री	—	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, गृह (कारा रहित), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सिविल विमानन और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं।
श्री जगदानन्द सिंह	—	जल संसाधन (लघु सिंचाई रहित), पर्यटन एवं ऊर्जा।
डॉ० महावीर प्रसाद	—	स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण।
श्री मो० इलियास हुसैन	—	पथ निर्माण।
श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल	—	वित्त (वाणिज्य-कर एवं राष्ट्रीय बचत रहित)।
श्री तुलसी सिंह	—	योजना एवं विकास, कल्याण (आदिवासी कल्याण रहित)।
श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा	—	वित्त (वाणिज्य-कर एवं राष्ट्रीय बचत)।
श्री गोवर्धन नायक	—	कल्याण (आदिवासी कल्याण)।
श्री तुलसीदास मेहता	—	वन एवं पर्यावरण।
श्री अवध बिहारी चौधरी	—	ग्रामीण विकास।
श्री जयप्रकाश नारायण यादव	—	सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।
श्रीमती शान्ति देवी	—	परिवहन।
श्री सीताराम दास	—	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य।
श्री रामनरेश प्रसाद	—	निबंधन।
श्री श्रीनारायण यादव	—	नगर विकास।
श्री मुंशीलाल राय	—	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण।
श्री रविन्द्रचरण यादव	—	राजस्व एवं भूमि सुधार।
श्री सूर्यदेव राय	—	सहकारिता।
श्री रामविचार राय	—	साहाय्य एवं पुनर्वास।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्री रामचन्द्र पूर्वे — उच्च्व शिक्षा।
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह — उत्पाद एवं मद्य निषेध।
श्री देवनाथ प्रसाद — विज्ञान एवं प्रावैधिकी।
श्री अकलूराम महतो — सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।
श्री सीताराम सिंह — खान एवं भूतत्व।
श्री विजयकृष्ण — जल संसाधन (लघु सिंचाई)।
श्री वसंत सिंह — भवन निर्माण एवं आवास।
श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह — ईख।
श्री वैद्यनाथ पाण्डेय — उद्योग।
प्रो० लुतफुर रहमान — अल्पसंख्यक कल्याण।
श्री अब्दुल मालिक — सूचना एवं जन-सम्पर्क।
श्री राजकुमार महासेठ — पशु एवं मत्स्य पालन।
श्री सवा अहमद — गृह (कारा)।
श्री कमल पासवान — श्रम एवं नियोजन।
श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी — कला, संस्कृति, युवा मामले एवं कृषि।

राज्य मंत्री

श्री रमेश प्रसाद यादव — खान एवं भूतत्व।
श्री महेन्द्र नारायण यादव — पथ निर्माण।
श्री सहदेव प्रसाद यादव — उत्पाद एवं मद्य निषेध।
श्री हरिनारायण सिंह — वित्त (वाणिज्य-कर एवं राष्ट्रीय बचत रहित)।
श्री लालबाबू प्रसाद — भवन निर्माण एवं आवास।
श्री रामदास राय — श्रम एवं नियोजन।
श्री शिवशंकर यादव — कृषि।
श्री उदित राय — नगर विकास।
श्री के० बी० प्रसाद — उच्च्व शिक्षा।
श्रीमती आवो देवी — ग्रामीण विकास।
श्री राजेन्द्र राय — विज्ञान एवं प्रावैधिकी।
श्री रामाश्रय सहनी — पशु एवं मत्स्यपालन।
श्री राम औतार चौधरी — निबंधन।
श्री गिरिनाथ सिंह — लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण।
श्री विक्रम कुंवर — योजना एवं विकास।
श्री दिलीप कुमार सिंह — साहाय्य एवं पुनर्वास।
श्री महेश मंडल — परिवहन।
श्री वसावन प्रसाद भगत — विधि।
श्री इन्द्रदेव प्रसाद — जल संसाधन।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रो० सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	—	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
श्रीमती सीता सिन्हा	—	कल्याण।
श्री रामलखन महतो	—	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य।
श्री श्याम रजक	—	ऊर्जा।
श्री सुरेन्द्र राम	—	जल संसाधन (लघु सिंचाई)।
श्री मुनेश्वर चौधरी	—	ईंख।
श्री अवधेश कुमार सिंह	—	सहकारिता।
श्री सुरेश पासवान	—	पर्यटन।
श्री जावेद इकबाल अन्सारी	—	अल्पसंख्यक कल्याण।
श्री रामप्रसाद यादव	—	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन।
श्री अर्जुन मण्डल	—	वन एवं पर्यावरण।
श्री आनन्द मोहन सिंह	—	संसदीय कार्य।
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	—	वित्त (वाणिज्य-कर)।
श्री रामचन्द्र राय	—	गृह (कारा)।
श्री सरफराज	—	राजस्व एवं भूमि सुधार।
श्री रूप नारायण झा	—	राजभाषा।
श्री जीतन राम मांझी	—	सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।
श्री मंसूर आलम	—	सूचना एवं जन-सम्पर्क।

बिहार विधान सभा

श्री देव नारायण यादव	—	अध्यक्ष
श्री जगबन्धु अधिकारी	—	उपाध्यक्ष

बिहार विधान परिषद्

डॉ० जाबिर हुसैन	—	सभापति

मुख्य सचिव

श्री एस० एन० विश्वास

राज्य के गणमान्य व्यक्ति

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	—	श्री देवनारायण यादव
उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा	—	श्री जगबन्धु अधिकारी
विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता	—	श्री सुशील कुमार मोदी
सभापति, बिहार विधान परिषद	—	प्रो० जाबिर हुसैन
मुख्य न्यायाधीश	—	न्यायमूर्ति श्री बी० एम० लाल
अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग	—	प्रो० लक्ष्मीकांत राय
मुख्य सचिव, राज्य सरकार	—	श्री एस० एन० विश्वास
महानिदेशक, राज्य आरक्षी बल	—	श्री के० ए० जेकब

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट (iii)

बिहार : प्रशासनिक विभाजन

सारणी- I

बिहार के प्रमंडल, जिले और अनुमंडल

1. पटना प्रमंडल : मुख्यालय : पटना

जिला (मंडल)	मुख्यालय	क्षेत्र (वर्ग किमी)	जनसंख्या (1991)	सबडिविजन (अनुमंडल)
पटना	पटना	3,202	36,18,211	पटना सदर, दानापुर, बाढ़, पटना सिटी, मसौढ़ी।
नालंदा	बिहारशरीफ	2,367	19,97,995	बिहारशरीफ, हिलसा, राजगीर।
भोजपुर	आरा	2,474	17,92,771	आरा, जगदीशपुर, पीरो
बक्सर	बक्सर	1,624	10,87,676	बक्सर, डुमराँव।
रोहतास	सासाराम	3,851	18,17,416	सासाराम, बिक्रमगंज, डेहरी।
कैमूर	भभुआ	3,362	9,83,269	भभुआ, मोहनियाँ।

2. मगध प्रमंडल : मुख्यालय : गया

गया	गया	4,976	26,64,303	गया सदर, शेरघाटी, टेकारी।
औरंगाबाद	औरंगाबाद	3,305	15,39,988	औरंगाबाद, दाउदनगर।
नवादा	नवादा	2,494	13,59,694	नवादा, रजौली।
जहानाबाद	जहानाबाद	1,569	11,74,900	ज़हानाबाद, अरवल।

3. तिरहुत प्रमंडल : मुख्यालय : मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर	मुजफ्परपुर	3,172	29,53,902	पूर्वी मुजफ्फरपुर, प० मुजफ्फरपुर।
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	2,643 (सीतामढ़ी व शिवहर)	23,91,495 (सीतामढ़ी व शिवहर)	सीतामढ़ी सदर
शिवहर	शिवहर			शिवहर, बेलसंड, पुपरी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

क्रम सं०	जिला (मंडल)	मुख्यालय	क्षेत्र (वर्ग किमी)	जनसंख्या (1991)	सबडिविजन (अनुमंडल)
14.	वैशाली	हाजीपुर	2,036	21,46,065	हाजीपुर, महुआ।
15.	पूर्वी चम्पारण	मोतीहारी	3,968	30,43,061	मोतीहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल, अरेराज, चकिया, पकड़ीदयाल।
16.	प० चम्पारण	बेतिया	5,228	23,33,666	बेतिया, बगहा, नरकटियागंज।

4. सारण प्रमंडल : मुख्यालय : छपरा

17.	सारण	छपरा	2,641	25,72,980	छपरा, मढ़ौरा, सोनपुर
18.	सीवान	सीवान	2,219	21,70,791	सीवान, महाराजगंज
19.	गोपालगंज	गोपालगंज	2,033	17,04,310	गोपालगंज, हथुआ।

5. दरभंगा प्रमंडल : मुख्यालय : दरभंगा

20.	दरभंगा	दरभंगा	2,279	25,10,959	दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल।
21.	मधुबनी	मधुबनी	3,501	28,32,024	मधुबनी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर, फूलपरास।
22.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	2,904	27,16,929	समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय, पटोरी।

6. कोसी प्रमंडल : मुख्यालय : सहरसा

23.	सहरसा	सहरसा	1,692	11,32,413	सहरसा सदर, सिमरी-बख्तियारपुर।
24.	सुपौल	सुपौल	2,420	13,42,841	सुपौल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज।
25.	मधेपुरा	मधेपुरा	1,788	11,77,706	मधेपुरा, उदाकिशनगंज।

7. भागलपुर प्रमंडल : मुख्यालय : भागलपुर

26.	भागलपुर	भागलपुर	2,570	19,09,967	भागलपुर सदर, कहलगाँव, नौगछिया।
27.	बाँका	बाँका	3,019	19,92,504	बाँका

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

8. मुंगेर प्रमंडल : मुख्यालय : मुंगेर

क्रम सं०	जिला (मंडल)	मुख्यालय	क्षेत्र (वर्ग किमी)	जनसंख्या (1991)	सबडिविजन (अनुमंडल)
28.	मुंगेर	मुंगेर	3,224		मुंगेर सदर, खड़गपुर
29.	शेखपुरा	शेखपुरा		20,08,500	शेखपुरा
30.	लखीसराय	लखीसराय	1,300		लखीसराय
31.	जमुई	जमुई	3,098	10,51,527	जमुई
32.	खगड़िया	खगड़िया	1,486	8,87,227	खगड़िया, गोगरी।
33.	बेगूसराय	बेगूसराय	1,918	18,14,773	बेगूसराय, तेघड़ा बलिया, मंझौल, बखरी।

9. पूर्णिया प्रमंडल : मुख्यालय : पूर्णिया

34.	पूर्णिया	पूर्णिया	3,229	18,78,885	पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी, बैसी।
35.	अररिया	अररिया	2,830	16,11,638	अररिया, फारबिसगंज।
36.	किशनगंज	किशनगंज	1,884	9,84,107	किशनगंज
37.	कटिहार	कटिहार	3,057	18,25,380	कटिहार, बारसोई, मनिहारी।

10. संथाल परगना प्रमंडल : मुख्यालय : दुमका

38.	दुमका	दुमका	7,212	14,95,709	दुमका सदर, जामताड़ा
39.	गोड्डा	गोड्डा	2,110	8,61,182	गोड्डा
40.	साहेबगंज	साहेबगंज	1,600	73,683	साहेबगंज, राजमहल
41.	पाकुड़	पाकुड़	1,805	5,64,253	पाकुड़
42.	देवघर	देवघर	2,479	9,33,113	देवघर, मधुपुर।

11. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल : मुख्यालय : हजारीबाग

43.	हजारीबाग	हजारीबाग	5,049	16,01,567	हजारीबाग सदर, रामगढ़, बरही।
44.	कोडरमा	कोडरमा	2,410	6,29,264	कोडरमा
45.	चतरा	चतरा	3,706	6,12,713	चतरा
46.	गिरिडीह	गिरिडीह	4,941	14,96,189	गिरिडीह
47.	धनबाद	धनबाद	2,086	19,49,526	धनबाद सदर
48.	बोकारो	चास	2,861	14,54,416	चास, बेरमो (तेनुघाट)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

12. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल : मुख्यालय : राँची

क्रम संo जिला (मंडल)	मुख्यालय	क्षेत्र (वर्ग किमी)	जनसंख्या (1991)	सबडिविजन (अनुमंडल)
49. राँची	राँची	7,698	22,14,048	राँची सदर, खूँटी।
50. गुमला	गुमला	9,077	11,53,976	गुमला, सिमडेगा।
51. प० सिंहभूम	चाईबासा	9,907	17,87,955	सिंहभूम सदर, सरायकेला, चक्रधरपुर (पौराहाट)।
52. पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	3,533	16,13,088	ढालभूम (जमशेदपुर), घाटशिला।
53. लोहरदग्गा	लोहरदग्गा	1,491	2,88,886	लोहरदग्गा

13. पलामू प्रमंडल : मुख्यालय : डाल्टनगंज

54. पलामू	डाल्टेनगंज	8,705	16,49,840	डाल्टेनगंज सदर, हुसैनाबाद, लातेहार, छतरपुर।
55. गढ़वा	गढ़वा	4,044	9,01,350	गढ़वा, नगर उटारी।

नोट : इस तरह वर्त्तमान् में बिहार राज्य में 13 प्रमंडल, 55 जिले एवं 130 (सबडिविजन) है।

इसके अतिरिक्त, पुस्तक की प्रतिलिपि तैय्यार करने के समय यह प्रस्ताव था कि पटना प्रमंडल से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों की पृथक कर भोजपुर प्रमंडल का गठन किया जाए। यह भी प्रस्ताव था कि बाढ़ और लातेहार अनुमंडलों को जिला का दर्जा दिया जाए।

सरकार के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विशेष सचिवगण

श्री अभिमन्यु सिंह — प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, प्रशासक, बिस्कोमान (अतिरिक्त प्रभार)।

श्री बी० बी० लाल — सदस्य, राजस्व पर्षद, अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, उच्चस्तरीय समिति, कर्मचारी कल्याण निदेशालय।

श्री सी० एम० झा — प्रशासक, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक।

श्री सी० के० बसु — प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता हाउसिंग फेडरेशन, आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

श्री मुकुन्द प्रसाद — मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।

श्री भी० एस० दूबे — अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, अतिरिक्त प्रभार आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्री एस० एन० विश्वास	—	आयुक्त एवं सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त प्रभार निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग।
श्री डी० पी० माहेश्वरी	—	कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग।
श्री जी० कृष्णन	—	आयुक्त एवं सचिव (विकास), योजना एवं विकास विभाग।
श्री डी० एस० मुखोपाध्याय	—	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची एवं सी० ई० ओ० एवं सचिव, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, राँची (अतिरिक्त प्रभार)।
एन० के० सिंह	—	आयुक्त एवं सचिव, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग।
के० ए० एच० सुब्रह्मनियम	—	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
आर० सी० ए० जैन	—	आवासीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।
एस० एन० पी० एन० सिन्हा	—	आयुक्त एवं सचिव, भवन निर्माण विभाग।
एन० के० अग्रवाल	—	आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग।
आर० एस० तिवारी	—	सदस्य (मानव संसाधन एवं समाज सेवा), योजना पर्षद्।
बी० के० सिंह	—	अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्।
जी० एस० कंग	—	आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग।
जे० के० दत्ता	—	आयुक्त एवं सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग/अतिरिक्त प्रभार आयुक्त एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
० के० मिश्रा	—	आयुक्त एवं सचिव, वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग।
० पी० शर्मा	—	सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।
स० एन० दूबे	—	प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम।
के० डी० सिन्हा	—	आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, अतिरिक्त प्रभार आयुक्त एवं सचिव, कला, संस्कृति एवं वयस्क कार्यक्रम विभाग।
स० एम० सिंह	—	सचिव, लघु सिंचाई एवं कृषि (विशेष कार्य) विभाग।
कर प्रसाद	—	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
स० विजय राघवन	—	अपर वित्त आयुक्त (व्यय)।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्री ए० के० रथ	—	प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ अतिरिक्त प्रभार प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
श्री पी० एन० नारायणन्	—	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री जी० एस० दत्ता	—	निदेशक, बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, राँची।
श्री महेश्वर पात्रा	—	प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम।
श्री ए० के० विश्वास	—	अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्।
श्री एस० पी० केशव	—	सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
श्री दीपक गुप्ता	—	सचिव, जल संसाधन विभाग।
श्री ए० एन० पी० सिन्हा	—	सचिव, कल्याण विभाग।
श्री एस० के० सिन्हा	—	सदस्य (कृषि एवं ग्रामीण विकास), बिहार राज्य योजना पर्षद्।
श्री पंचम लाल	—	अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्।
श्री चिंटू नायक	—	उत्पाद आयुक्त-सह-सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
श्रीमती एस० जलजा	—	सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग।
श्री मिथिलेश कुमार	—	सचिव, गन्ना विकास विभाग।
श्री आर० के० सिंह	—	सचिव, गृह विभाग।
श्री ए० के० उपाध्याय	—	सचिव , ऊर्जा विभाग।
श्री नवीन कुमार	—	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
श्री एस० पी० सेठ	—	सदस्य (वित्त), बिहार राज्य विद्युत् पर्षद्।
श्री नरेन्द्र भगत	—	सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।
श्री ए० के० सिन्हा	—	अध्यक्ष, सोन कमाण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार।
श्री यू० के० सिन्हा	—	प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल।
श्री भी० के० वर्मा	—	सचिव, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग।
श्री ए० के० बसु	—	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निर्वाचन) विभाग।
श्री ए० बी० प्रसाद	—	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद (विश्वास बोर्ड)।
श्री अनिल कुमार	—	सचिव, सहकारिता विभाग।
श्री पी० के० बसु	—	आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग।
श्री ए० सी० विश्वास	—	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वित्तीय विकास निगम, अतिरिक्त प्रभार सचिव, श्री सैयद अली अहमद आयोग।

अशोक कुमार सिंह — प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना।

एस० के० चौधरी — सचिव, पर्यटन विभाग।

एम० एम० झा — अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), वित्त विभाग।

के० के० पाण्डेय — प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका।

ए० सी० रंजन — सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

फूल सिंह — आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल।

आनन्दवर्द्धन सिन्हा — विभागीय जाँच आयुक्त।

यू० के० नन्दा — सचिव, निबंधन विभाग, अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक, निबन्धन।

देवाशीष गुप्ता — सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

एस० के० मजुमदार — सचिव, परिवहन विभाग।

यू० के० संगमा — सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

एस० सी० सिरोही — श्रमायुक्त, श्रम विभाग।

च० अशोक वर्द्धन — अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्।

सुधीर प्रसाद — अपर क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची।

जयंत दास गुप्ता — अपर औद्योगिक विकास, आयुक्त-सह-विशेष सचिव, उद्योग विभाग।

अरुण झा — सचिव, नन-बैंकिंग वित्तीय जाँच आयोग, सांस्थिक वित्त विभाग।

अंजनी कुमार सिंह — प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम, पटना एवं विशेष सचिव-सह-निदेशक कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग।

स० एस० वर्मा — प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/अतिरिक्त प्रभार पलामू प्रमंडल, पलामू।

विजय प्रकाश — प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा, अतिरिक्त प्रभार प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ।

० के० पाण्डेय — प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण।

स० के० नेगी — सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक एव वयस्क शिक्षा विभाग।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ठ (iv)

राज्य के प्रमुख संग्रहालय

पटना संग्रहालय—1917 में स्थापित यह संग्रहालय राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें ऐतिहासिक अवशेष जैसे मूर्तियाँ, सिक्के, मृदभांड, अभिलेख, चित्र, सामान्य उपयोग की वस्तुओं आदि के साथ-साथ भूगर्भीय सामग्री और प्राकृतिक सम्पदा के नमूने सुरक्षित है। इसका मुख्य आकर्षण मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति है जो दीदारगंज, पटना सिटी से प्राप्त हुई थी और जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पटना, वैशाली, राजगीर बक्सर, नालंदा, चौसा, मानभूम और अन्य स्थानों से प्राप्त अनेक अवशेष यहाँ सुरक्षित है।

चन्द्रधारी संग्रहालय, दरभंगा—1957 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में रत्नी (मधुबनी) के जमींदार, चन्द्रधारी सिंह के निजी संग्रह की वस्तुएँ रखी गयी थीं। बाद में इनमें अन्य वस्तुओं की वृद्धि हुई है और अभी यहाँ सुरक्षित अवशेष 12,000 से अधिक संख्या में हैं। इनमें धातु, लकड़ी, मट्टी और हाथी दाँत की बनी हुई, वस्तुओं के साथ चित्र, ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपियाँ भी सुरक्षित हैं।

गया संग्रहालय, गया—1952 में गया के प्रमुख अधिवक्ता बलदेव प्रसाद द्वारा स्थापित इस संग्रहालय को 1970 में बिहार सरकार के नियंत्रण में लिया गया। इसका मुख्य आकर्षण सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच के काल की काले पत्थर की बनी मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएँ हैं। प्राचीन और मध्यकालीन सिक्के एवं अनेक पाण्डुलिपियाँ भी यहाँ सुरक्षित हैं।

नवादा संग्रहालय, नवादा—इसकी स्थापना1974 में हुई। यहाँ का मुख्य आकर्षण नवादा जिला से प्राप्त पालकालीन मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ के सिक्कों का संग्रह भी आकर्षक है।

राँची संग्रहालय, राँची—1972 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में पालकालीन स्थानीय अवशेष सुरक्षित हैं। इनके अतिरिक्त जनजातीय जीवन की भी अनेक वस्तुएँ यहाँ सुरक्षित रखी गयी हैं।

महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा—1979 में स्थापित इस संग्रहालय में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा भेंट की गई लगभग 17000 सामग्री सुरक्षित है जिसमें मुख्य महत्व सिक्कों का है। दरभंगा राज से संबद्ध कलात्मक वस्तुएँ भी यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं।

इनके अतिरिक्त जगदीशपुर में बाबूकुँवर सिंह स्मारक संग्रहालय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर बेगूसराय, बक्सर, जमुई, बिहार शरीफ, दुमका आदि नगरों में भी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित या प्रबंधित संग्रहालय बने हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कई महत्वपूर्ण संग्रहालय केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन भी काम कर रहे हैं। इनमें कुछ हैं—

पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा—1917 में स्थापित इस संग्रहालय में नालंदा के स्थान पर खनन् में प्राप्त सामग्री के अनेक महत्वपूर्ण नमूने संकलित हैं। अधिकतर सामग्री उत्तरकालीन गुप्त शासकों और पाल शासकों से संबद्ध हैं।

पुरातात्विक संग्रहालय, बोधगया—1956 में स्थापित यह संग्रहालय बोधगया से प्राप्त मूर्तियों, ऐतिहासिक अवशेषों और अन्य पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है।

पुरातात्विक संग्रहालय, वैशाली—1945 में वैशाली संघ द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में गुप्तकालीन से पालकालीन अवशेष सुरक्षित है।

श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र—बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय 1981 में स्थापित हुआ। इसमें भिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और यंत्रों को न केवल सुरक्षित रखा गया है बल्कि इनकी कार्यवधि का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया है।

कुछ निजी संग्रहालय भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे—

जालान संग्रहालय, पटना सिटी—दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान द्वारा संगठित निजी संग्रहालय में लगभग 10,000 कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेष सुरक्षित हैं। इसे 1954 में औपचारिक ढंग से संगठित किया गया।

गाँधी संग्रहालय, पटना—1967 में इसकी स्थापना गाँधी स्मारक निधि द्वारा की गयी। गाँधीजी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्र यहाँ का विशेष आकर्षण है।

राजेन्द्र स्मारक संग्रहालय—भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जीवन से सम्बद्ध महत्वपूर्ण वस्तुओं का यह संग्रहालय उनकी मृत्योपरान्त, 1963 में पटना में स्थापित हुआ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट (v)

बिहार की प्रमुख संस्थाएँ

प्राकृत और जैनशास्त्र शोध संस्थान, वैशाली—राज्य सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 1955 को स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य प्राकृत भाषाओं एवं साहित्य, जैनधर्म और उसकी समस्त शाखाओं, जैन-दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि के सर्वांगपूर्ण अध्ययन एवं शोध कार्य को प्रोत्साहन देना है।

मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा—1951 ई० में स्थापित यह संस्था संस्कृत भाषा एवं साहित्य की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य लेकर चली है। बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस संस्था में प्राच्य विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण एवं प्रकाशन के कार्य हो रहे हैं।

अरेबिक एण्ड पर्शियन रिसर्च इंस्टिट्यूट, पटना—अरबी और फारसी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा 1955–56 से चलाया जा रहा यह संस्थान छात्रों को अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा तथा शिक्षोपरान्त फाजिल की उपाधियाँ प्रदान करता है।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना—राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकासार्थ 1950 में स्थापित इस परिषद के शोध कार्य एवं प्रकाशन से सम्बद्ध विभाग हैं—प्रकाशन विभाग, लोकभाषा अनुसंधान विभाग, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास विभाग, विद्यापति विभाग, अनुसंधान पुस्तकालय एवं शब्दकोश विभाग। भारतीय शब्दकोश तथा परिषद-पत्रिका यहाँ के प्रमुख प्रकाशन हैं।

बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना—प्रसिद्ध इतिहासकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल के प्रयासों से 1915 में स्थापित इस शोध संस्था का उद्देश्य है—इतिहास, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, मानव विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में अनुसंधान। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाई गई अनेक दुर्लभ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रहण पुस्तकालय का गौरव है।

काशीप्रसाद जायसवाल इंस्टिट्यूट, पटना—डा० काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति में सरकार द्वारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृत सम्बन्धी अनुसंधान हेतु 1950 ई० में स्थापित उक्त संस्था तीन प्रकार के कार्य कर रही है—महापंडित सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाए गए संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती लिपि से नागरी लिपि में रूपान्तरण, पुरातत्व सम्बन्धी कार्य एवं भारतीय इतिहास पर शोध। तीन खण्डों—प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक में बिहार का वृहत् इतिहास भी यहाँ से प्रकाशित हुआ है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना—1919 में संस्थापित इस संस्थान के विशाल भवन में पुस्तकालय, वाचनालय तथा अनुशीलन विभाग हैं। सम्मेलन के तत्वावधान में बालिकाओं को संगीत, नृत्यादि की शिक्षा देने वाला एक कला केन्द्र भी चल रहा है। अभिनय कला के उन्नयनार्थ एक नाट्य परिषद्, भी स्थापित की गई है। 'साहित्य' नामक त्रैमासिक शोध पत्रिंका यहाँ का उल्लेखनीय प्रकाशन है। यहाँ मई, 1956 में स्थापित 'बदरीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय' ...ज, जर्मन, रूसी, तेलुगु तथा अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी की शिक्षा प्रदान करता है।

बिहार उर्दू अकादमी—इसकी पत्रिका "जबानो अदब" शीर्षक से प्रकाशित होती है। 1975 में स्थापित, बिहार राज्य में उर्दू भाषा की प्रगति हेतु यह संस्था कार्यरत रही है। इसके द्वारा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन होता रहा है।

बिहार राज्य पुस्तकालय संघ—1936 में स्थापित इस संघ से लगभग तीन हजार ग्रामीण पुस्तकालय संबद्ध हैं। प्रखंड-मण्डलों और अनुमण्डलों में इसकी शाखाएँ खुली हैं। संघ के तत्वावधान में प्रत्येक जिले में पुस्तकालय अध्यक्ष-प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है।

मैथिली साहित्य परिषद—उपर्युक्त परिषद ने, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, अनेक प्राचीन तथा नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन किया है।

अंगभाषा परिषद—प्राचीन अंग जनपद अर्थात् वर्त्तमान भागलपुर कमिश्नरी की भाषा अंगिका पर शोधार्थ पटना में इस परिषद् की स्थापना हुई। इस भाषा में हाल ही में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

वैशाली संघ—1945 ई० में संस्थापित वैशाली संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं—(i) वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना (ii) वैशाली निवासियों में नवीन सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना को जागृत करना। इस दिशा में यहाँ खुदाई, संग्रहालय स्थापना, ऐतिहासिक अनुसंधान एवं ग्रामोत्थान इत्यादि कार्य हो रहे हैं।

रामकृष्ण मिशन—स्वामी विवेकानन्द द्वारा 1897 ई० में स्थापित रामकृष्ण मिशन के बिहार में लगभग 17 स्थानों में केन्द्र हैं जहाँ धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा स्कूल, दातव्य औषधालय तथा पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं। मिशन द्वारा राँची के समीप डुंगरी में यक्ष्मा रोगियों के लाभार्थ एक चिकित्सालय भी खोला गया है।

कला भवन, पूर्णिया—1955 में संस्थापित कला भवन एक सांस्कृतिक संस्था है जिसके उद्देश्य हैं—(क) ललित तथा उपयोगी कलाओं का विकास प्रचार एवं प्रसार (ख) ललित तथा उपयोगी कलाओं की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध, (ग) कला के प्रति प्रदर्शन और अन्य साधनों द्वारा जनता में अभिरूचि उत्पन्न करने का प्रयास, (घ) कलाकारों को समय-समय पर सम्मान एवं पुरस्कार तथा (ट) कलापूर्ण और ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का संग्रह।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट *(vi)*

बिहार के विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय	मुख्यालय	स्थापना वर्ष
1. पटना विश्वविद्यालय	पटना	1917
2. बिहार विश्वविद्यालय (अब, भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय)	मुज़फ्फरपुर	1952
3. भागलपुर विश्वविद्यालय (अब, तिलका मांझी विश्वविद्यालय)	भागलपुर	1960
4. राँची विश्वविद्यालय	राँची	1960
5. कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा	1961
6. मगध विश्वविद्यालय	बोधगया	1962
7. मिथिला विश्वविद्यालय (अब, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय)	दरभंगा	1972
8. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	पूसा	1970
9. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	1980
10. नालंदा खुला विश्वविद्यालय (शिविर कार्यालय : पटना)	नालंदा	1988
11. जयप्रकाश विश्वविद्यालय	छपरा	1990
12. भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय	मधेपुरा	1991
13. सिद्धु-कान्हु विश्वविद्यालय	दुमका	1991
14. विनोबा भावे विश्वविद्यालय	हज़ारीबाग	1991
15. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय	आरा	1992
16. मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय	(शिविर कार्यालय) पटना	1998*

★ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की उद्घोषणा 1983 में हुई थी मगर इसका विधिवत उद्घाटन 1998 में ही संभव हुआ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ठ (vii)

बिहार की विभूतियाँ

प्राचीन काल

महावीर (540-468 ई.पू.)—छठी शताब्दी ई०पू० के महान धर्म एवं समाज सुधारक जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुण्डग्राम (वैशाली) के समीप इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग किया। इनके पाँच मुख्य उपदेश थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।

महात्मा बुद्ध (563-483 ई.पू.)—महावीर के समकालीन, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। उन्होंने चार आर्यसत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। मगध के प्रसिद्ध शासक बिम्बिसार ने उनसे दीक्षा ली थी।

बिम्बिसार (शासनकाल : 544-492 ई० पू०)—मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिम्बिसार के साथ आरंभ हुआ। अंग राज्य की विजय उसने की।

अजातशत्रु (शासनकाल : 492-460 ई० पू०)—वज्जी गणराज्य का विजेता और पाटलिपुत्र का निर्माता, मगध के महान साम्राज्यवादी शासकों में अत्यंत श्रेष्ठ शासक।

महापद्म नंद—मगध साम्राज्य के विस्तार को चरमोत्कर्ष तक पहुँचानेवाला, प्रथम उत्तर भारतीय साम्राज्य का निर्माता।

चंद्रगुप्त मौर्य (शासनकाल : 320-298 ई० पू०)—नंद वंश का संहारक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारत के सीमांत क्षेत्र से यूनानियों के प्रभाव का विनाश करनेवाला यह शासक 'भारत का मुक्तिदाता' भी कहलाता है जिसने विशाल साम्राज्य के साथ एक उत्तम प्रशासनतंत्र का भी निर्माण किया।

अशोक (शासनकाल : 272-232 ई० पू०)—प्राचीन भारत का महानतम शासक जिसने शांति, सद्भाव, जनकल्याण, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अपने योगदान के कारण अद्वितीय ख्याति अर्जित की। उसके अभिलेख उसकी इन महान उपलब्धियों की गाथा आज भी दुहराते हैं।

चाणक्य—विष्णुशर्मा और कौटिल्य के नाम से भी विख्यात यह महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक था। उसकी सुविख्यात रचना अर्थशास्त्र अभी भी राजनीतिक और शासन-व्यवस्था संबंधी एक मानक रचना समझी जाती है।

पाणिनी—मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और "अष्टाध्यायी" के रचीयता जो मनेर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के निवासी माने जाते हैं यद्यपि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान बिहार को नहीं मानते।

चन्द्रगुप्त प्रथम—(शासनकाल : 320-335 ई०)—गुप्तवंश का वास्तविक संस्थापक जिसने पाटलीपुत्र को राजधानी बनाकर इस नगर के गौरव का जीर्णोद्धार किया।

समुद्रगुप्त (शासनकाल : 320-380 ई०)—महान विजेता जिसने भारतव्यापी साम्राज्य की पुर्नस्थापना की। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है।

आर्यभट्ट (पाचवीं शताब्दी ई०)—पटना (प्राचीन कुसुमपुर) निवासी, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीजगणित की प्रारम्भिक आधारशिला रखी। ये महान गणितज्ञ होने के साथ-साथ महान खगोलविद् भी थे। इन्होंने आर्यभट्टीय या आर्य सिद्धांत तथा तंत्र नामक दो ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया।

पूर्व मध्यकाल

शांतरक्षित—पाल शासकों के काल में, 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार का आचार्य और बौद्ध विद्वान जिसने तिब्बत जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

अतिश दीपांकर श्रीज्ञान—विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य जिन्हें ग्यारहवीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहाँ भेजा गया। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप के प्रचार-प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा।

धीमन एवं विठपाल—पालकालीन सुप्रसिद्ध मूर्त्तिकार जो नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण और चित्रकला के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा।

मंडन मिश्र—मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक जिसने मीमांस तथा वेदान्त दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। शंकराचार्य के साथ उसके शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है।

मध्यकाल

मखदूम शर्फुद्दीन यहया मनेरी—चौदहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफ़ी संत जिन्हें बिहार में सूफ़ी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। इनका संबंध फिरदौसी सम्प्रदाय से था। सूफी मत की व्याख्या में इनके पत्रों का संकलन "मकतूबाते सदी" अग्रणी स्थान रखता है।

मोहम्मद शाह नूहानी—लोदी शासकों के काल में बिहार का महत्वपूर्ण अफगान सामंत जिसने पानीपत की लड़ाई (1526) के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का निर्माण किया। उसी के संरक्षण में शेरशाह का उत्कर्ष बिहार में हुआ।

शेरशाह (1486–1545)—भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसका राजनैतिक उत्कर्ष बिहार में सहसराम के क्षेत्र से आरंभ हुआ। इसी क्षेत्र में उसने अपने प्रशासनिक सुधारों, विशेषकर लगान-संबंधी सुंधारों, का प्रयोग किया। कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन सहसराम स्थित मकबरा है। उसने जनकल्याण के वृहत उपाय किये, संचार और यातायात का व्यापक विकास किया। उससे सम्बद्ध जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खाँ सर्वानी की रचना तारीखे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शेरशाही है।

मोहसिन फानी—जहाँगीर का समकालीन इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध रचना "दबिस्ताने मजाहिब" लिखी। इसमें विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक वर्णन है। इसी में पहली बार अकबर के दीने इलाही को एक नये धर्म की संज्ञा दी गयी।

दाऊद खाँ करारानी—बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासन जिसे 1578 में पराजित कर अकबर ने बिहार को अंततः मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

विद्यापति—श्रृंगार रस के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि जिनका जन्म दरभंगा जिले के विसफी ग्राम में संवत 202 में हुआ। मैथिली भाषा में उनकी पदावलि विख्यात है। उनकी संस्कृत रचनाओं में पुराण-संग्रह, विभासागर और गंगा काव्यावली प्रमुख है।

गुलाम हुसैन तबातबाई—पटना निवासी अठारहवीं शताब्दी का विख्यात इतिहासकार जिसकी रचना "सीयरुल मुताखेरीन" ब्रिटिश सत्ता के बिहार और बंगाल में प्रसार और उससे उत्पन्न हानिकारक प्रभावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

गुरू गोविन्द सिंह जी (1666–1708)—पटना सिटी में जन्म लेने वाले सिक्खों के दसवें एवं अंतिम गुरु जिन्होंने सिक्ख सम्प्रदाय को मुगल शासकों से संघर्ष के लिए संगठित किया और उनके धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण सुधार लाए।

आधुनिक काल

विलायत अली (1791–1852)—बिहार के वहाबी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता जिन्होंने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमान्त में वहाबी आंदोलन को संगठित किया और 1836 के बाद सिताना के वहाबी राज्य के प्रधान रहे।

इनायत अली (1793–1858)—विलायत अली के अनुज जिन्होंने 1852 से 1858 के बीच पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी राज्य के प्रधान का पद ग्रहण किया और ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध वृहत विरोध को संगठित किया।

पीर अली—पटना सिटी के पुस्तक-विक्रेता जिन्होंने पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व ग्रहण किया और अंग्रेजों से संघर्ष किया। यह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फाँसी दी गयी।

कुँवर सिंह (1780–1858)—1857 के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ। एक साल से अधिक समय तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाये रखने और कई युद्धों में कम्पनी की सेना को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हुई।

अमर सिंह—कुँवर सिंह के अनुज जिन्होंने लगभग एक वर्ष तक कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरूद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़ा और कुँवर सिंह के निधन के पश्चात भी आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। नवंबर 1858 में उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाया। कारावास में ही बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई।

बिरसा मुंडा (1874-1900)—1895 में आरंभ होने वाले जनजातिय विद्रोह के महान नेता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और समाज सुधारक जिन्होंने आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिरसा ने आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी-देवताओं को छोड़कर केवल भगवान 'सिंगबोंगा' की पूजा करो, जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं, शिकार मत करो, माँस मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो आदि। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया।

शेख भिखारी—1857 के विप्लव के शहीदों में एक, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फाँसी दी गयी थी। इनकी याद में एक स्मारक की ऊद्घाटन हाल में ही मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है।

मौलाना मज़हरूल हक (1866–1930)—बिहार के मुसलमान राष्ट्रवादी नेताओं में अग्रणी। खिलाफत और सहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। सदाकत आश्रम की पटना में इन्होंने संस्थापना की (1920)। बिहार विद्यापीठ के यह संस्थापक-कुलाधिपति रहे। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्र, Motherland, राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक रहा। गाँधीजी इन्हें देशभूषण कहते थे।

डा० राजेन्द्र प्रसाद (1884–1962)—स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे। 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 में रॉलेट ऐक्ट के विरूद्ध सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आन्दोलन तक उनकी भूमिका राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण रही। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात् देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए।

सर सुल्तान अहमद (1880–1963)—सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री जिन्हें पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होने का श्रेय प्राप्त रहा। 1937 में वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे। 1941 में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। राष्ट्रसंघ में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भी वे सक्रिय रहे।

डा० सच्चिदानन्द सिन्हा—विख्यात बुद्धिजीवी जिनकी पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही। 1947 में भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह पद ग्रहण किया।

हसन इमाम (1871–1933)—वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता 1912 में आप कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त हुए। 1921 में बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद् के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष हुए। उसी वर्ष राष्ट्रसंघ की सभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य बने। होमरूल आन्दोलन से सविनय अवज्ञा आन्दोलन तक आपकी सक्रिय भूमिका रही। बिहार के पृथक्करण में इनकी देन महत्वपूर्ण थी। शिक्षा और पत्रकारिता के बिहार में विकास में भी इनकी देन उल्लेखनीय रही।

अली इमाम—हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता और राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य।

अब्दुलबारी—खिलाफत आंदोलन के समय से राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता। इनकी मुख्य देन बिहार में श्रमिकों के आंदोलन को संगठित करने में रही। 1931 में बिहार समाजवादी दल के संस्थापकों में एक यह भी थे। 1936 में इन्होंने टाटा वर्कर्स युनियन का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गठन किया। साम्प्रदायिक सद्भाव के यह प्रबल समर्थक थे और मुसलमानों को काँग्रेस के नेतृत्व में गोलबंद करने में यह सक्रिय रहे। 1946 में बिहार के दंगा-पीड़ितों के बीच इन्होंने गाँधीजी के साथ मिलकर काम किया। 1947 में इनकी हत्या 28 मार्च को कर दी गयी।

राजकुमार शुक्ल—चम्पारण के प्रसिद्ध किसान नेता जिन्होंने गाँधीजी को 1917 में चम्पारण लाया और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरूद्ध ध्यान केन्द्रित कराया।

सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा—बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित बिहार की सरकार के गवर्नर के रूप 29 दिसंबर, 1920 को इन्होंने पद ग्रहण किया।

मोहम्मद यूनुस—बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री (प्रधान मंत्री) जो 1937 के चुनाव के पश्चात मुख्य मंत्री बने क्योंकि काँग्रेस ने मंत्रीमंडल बनाने से इंकार कर दिया था।

डा० श्री कृष्ण सिंह—स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्य मंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी। बिहार में नमक सत्याग्रह में इनकी अग्रणी भूमिका रही। 1937 में बिहार में काँग्रेस मंत्रीमंडल के यह अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे।

दीपनारायण सिंह—स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रीय स्वतंत्रता सेनानी।

ब्रजकिशोर प्रसाद—बिहार में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रमुख नेता जिन्होंने 1916 में कॉग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम चम्पारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रस्ताव द्वारा ध्यान केन्द्रित कराया।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—असहयोग आंदोलन के बिहार में प्रमुख नेताओं में एक जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक मंत्री और प्रशासक के रूप में भी विख्यात हुए।

चुनचुन पाण्डेय—बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख नेता जिन्होंने 1905 से 1917 तक अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जगजीवन राम—सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता। 1937 में बिहार में प्रथम काँग्रेस मंत्रीमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गाँधी तक के अधीन मंत्रीमंडलों में विभिन्न विभागों के प्रधान के रूप में सम्बद्ध रहे। 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रीमंडल में उप-प्रधानमंत्री रहे।

डा० सैय्यद महमूद (1889–1971)—होमरूल लीग और खिलाफत आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक सक्रिय स्वतंत्रता-सेनानी और स्वतंत्र भारत की मंत्रीपरिषद् के सदस्य, जिन्होंने शिक्षा के विकास में भी उल्लेखनीय देन थी।

अब्दुल कय्यूम अंसारी—खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय से सक्रिय, बिहार में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेता।

जयप्रकाश नारायण (1902–1979)—लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनैतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनैतिक जीवन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे और सत्ता की राजनीति से अलग-थलग रहे। 1975 में देश में आपातस्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरूद्ध जन-आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और "सम्पूर्ण क्रान्ति" का आह्वान किया।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती—बिहटा (पटना) के प्रसिद्ध किसान नेता, जिन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1929 में उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की।

ऐल्बर्ट एक्का—भारतीय थल सेना का परम वीर चक्र (मृत्योपरांत) से सम्मानित वीर सैनिक जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के विरूद्ध संघर्ष में प्राण निछावर किये।

राहुल सांकृत्यायन (1893–1963)—विख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले बुद्धिजीवी जिन्होंने अनेक रचनाएँ लिखी और बहुमूल्य ऐतिहासिक स्रोतों की खोज एवं संकलन का काम किया।

खान बहादुर खुदाबख्श खाँ (1842–1908)—पाण्डुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्त्ता जिनके द्वारा स्थापित खुदाबख्श लाईब्रेरी 1891 में बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा अपनी देख-रेख में ले ली गयी। 1969 में भारत की संसद ने राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया।

राधाकृष्ण जालान—कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेषों के प्रसिद्ध संग्रहकर्त्ता जिनके व्यक्तिगत संग्रह पर आधारित जालान संग्रहालय पटना सिटी में स्थापित है।

सैय्यद हसन अस्करी (1901–1990)—मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विशेषकर सूफ़ीमत के विख्यात विद्वान, शोधकर्त्ता एवं अध्यापक जिन्होंने बिहार में इतिहासकारों की नई पीढ़ियों को प्रभावित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सहित अन्य सम्मान प्रदान किये गये।

कालिकिंर दत्त—प्रसिद्ध इतिहासज्ञ और शिक्षाशास्त्री, "बिहार में स्वतंत्रता संग्राम" के रचयिता, जो पटना एवं मगध विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे।

डा० अजीमुद्दीन अहमद (1882–1949)—सुप्रसिद्ध पूर्वशास्त्री, प्रथम बिहारी जिन्होंने लाईजिंग विश्वविद्यालय (जर्मनी) से डाक्ट्रेट प्राप्त की। इनकी शोध-रचना "शम्सुल उलूम" लंदन की गिब्स मेमोरियल सीरिज में प्रकाशित हुई। इस सम्मान को पाने वाले यह प्रथम भारतीय थे। इन्हें उर्दू कविता में सीनेट शैली के प्रथम प्रयोग का भी श्रेय प्राप्त रहा।

कलीमुद्दीन अहमद (1908–1985)—उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं अंग्रेजी के अध्यापक जिन्होंने उर्दू में आलोचना की नयी शैली का विकास किया। बिहार सरकार में दो दशकों तक Director of Public Instruction रहे। पद्म श्री सहित अनेक सम्मानों से पुरस्कृत हुए।

क़ाज़ी अब्दुल वदूद—उर्दू भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने उर्दू साहित्य में वैज्ञानिक शोध प्रबंध को प्रचलित किया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शाद अज़ीमाबादी (1848–1927)—उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि जिन्होंने उर्दू ग़ज़ल को लोकप्रिय बनाने में निर्णायक योगदान दिया। उर्दू भाषा में बिहार पर पहली ऐतिहासिक रचना, ''नक्शे पायदार'' इन्होंने लिखी।

कलीम आजिज़—वर्त्तमान काल में बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू कवि जो पद्मश्री से सम्मानित भी हैं।

रामधारी सिंह दिनकर (1908–1974)—दिनकर जी को गद्य-पद्य में एक समान दक्षता प्राप्त रही है। उनकी नवीन चेतना और ओज से भरी अधिकांश कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना तथा कुछ कविताओं में विश्व प्रेम की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती है।

आचार्य नलिन विलोचन शर्मा (1916–1961)—नलिन जी हिन्दी के मौलिक सर्जनात्मक साहित्यकार, नई दृष्टि के समीक्षक, प्रयोगधर्मी कवि, मनोवैज्ञानिक कहानीकार, अध्यापक, निबन्धकार, अनुवादक, सम्पादक तथा चित्रकार थे।

केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'—भोजपुरी भाषा के महाकवि, पं० केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के समन्वयवादी हैं। इनकी रचना में दोनों प्रकार के (छायावादी और राष्ट्रवादी) स्वर मुखरित होते हैं।

नागार्जुन—श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन का जन्म सन् 1919 में दरभंगा जिले के तरलखा ग्राम में हुआ था। आरम्भ से ही उनका जीवन संघर्षमय रहा। इसी कारण उनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव व संघर्षों की कहानी प्रतिबिम्बित होती है। इनकी गिनती अग्रगण्य आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है।

फणिश्वरनाथ 'रेणु'—हिन्दी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आन्दोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास 'मैला आंचल'' को ही जाता है। इसमें उनके आंचलिक चित्रण की क्षमता चरम सीमा पर है।

पं० सियाराम तिवारी—इनकी गणना ध्रुपद-धुमार, ख्याल, ठुमरी, भजन, कजरी, चैती आदि विधाओं के महान गायकों में होती है। उन्होंने प्रमुख नगरों में शास्त्रीय संगीत कला की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन कर भारतीय संगीत का मान बढ़ाया है।

भिखारी ठाकुर—रायबहादुर भिखारी ठाकुर, भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। 'बिदेसिया' इनकी सबसे प्रसिद्ध कीर्ति थी। इस पर निर्मित फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था।

महाराजा भूपेन्द्र नारायण सिंह—इन्हें बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरूआत करने का श्रेय दिया जाता है। 1931 में इन्होंने हिन्दी में पुनर्मिलन नामक फिल्म का निर्माण किया था, जिसे बिहार की पहली फिल्म का ऐतिहासिक श्रेय मिलता है।

विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी—1960–62 के दौरान ''गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो'' की रचना करके इन्होंने बिहार में व्यवसायिक फिल्म निर्माण की शुरूआत कर दी। इन्हीं से जुड़े लोगों ने बाद में ''लागी नाही छूटे रामा'' का निर्माण किया था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चित्रगुप्त—बम्बई की फिल्म दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संगीतकार, "गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो" फिल्म में इन्होंने ही संगीत दिया था। हिन्दी फिल्मों से जुड़े रहने के बावजूद इन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपना रिश्ता कायम रखा था।

रामेश्वर सिंह कश्यप—बिहार और आस-पास के क्षेत्रों में लोहा सिंह के नाम से मशहूर श्री कश्यप रेडियो से प्रसारित लोहा सिंह शीर्षक के नाटक से काफी प्रसिद्ध हुए। बाद में इसी शीर्षक से इन्होंने एक फिल्म भी बनायी थी।

श्याम सागर—कल हमारा है, बलमा नादान, बसुरिया बाजे गंगा तीरे जैसी फिल्मों के लोकप्रिय संगीत को देकर दूसरे चित्रगुप्त कहलाये। इसी बीच अचानक कैंसर से इनका निधन हो गया।

लक्ष्मण शाहाबादी—ये भोजपुरी फिल्मों के एक अन्य स्तम्भ थे। पेशे से इंजीनियर एवं शौक से संगीतकार, श्री शाहाबादी ने "दुल्हा गंगा पार के" फिल्म में लोकप्रिय संगीत दिया था। इन्हें फिल्म लेखन में भी महारत हासिल थी।

प्रकाश झा—1984 में "हिप-हिप हुर्रे" बनाकर प्रकाश झा काफी मशहूर हुए थे। 1985 में इन्होंने "दामुल" नामक फिल्म बनायी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई वृत्त चित्र भी बनाए।

गिरीश रंजन—फिल्मी दुनिया में निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध गिरीश रंजन ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ सहायक निर्देशक की हैसियत से जीवन शुरू किया। 1981 में सफल फिल्म "कल हमारा है" बनायी। श्री रंजन ने कई अन्य फिल्मों का भी निर्देशन किया।

तिवारी—हिन्दी चलचित्रों के प्रसिद्ध चरित्र-अभिनेता जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों के निर्माण में अग्रणी योगदान दिया।

शत्रुघ्न सिन्हा—हिन्दी चलचित्रों के प्रसिद्ध अभिनेता जो अब राजनीति में भी सक्रिय हैं। इसी वर्ष यह बिहार से राज्य सभा के सदस्य चुने गये हैं।

आचार्य नंदलाल बसु (1882–1966)—सुविख्यात चित्रकार एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति सति है। अपनी मौलिक और विशिष्ट शैली के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

दामोदर प्रसाद अम्बष्ठ—बिहार के गिने-चुने शिल्पाकारों में थे जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। श्री अम्बष्ठ पटना के प्रसिद्ध शहीद स्मारक एवं बिहार कला महाविद्यालय के निर्माण से जुड़े थे। इन्हें मूर्ति कला एवं चित्र कला दोनों में ही दक्षता प्राप्त थी। श्री विश्वेश्वरैया की मूर्ति तरासने में इन्हें विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई। इन्होंने केन्द्रीय सरकार के इन्सीच्यूट ऑफ डिजाइन डेवलपमेन्ट के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था।

मोईनुल हक (1890–1973)—प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं खेल-प्रेमी जो 1928–56 तक भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन के सचिव रहे। प्रथम एशियाई खेलों के आयोजकों में यह भी एक थे। 1937-50 तक अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1948 के ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल के प्रधान रहे। इन्हीं के नाम पर पटना में मोईनुल हक स्टेडियम का निर्माण हुआ। एक लम्बी अवधि तक वे बिहार नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बिहार में आदिमानव के जीवन के साक्ष्य कई स्थानों से मिले हैं। निम्नलिखित में कौन इसका अपवाद है?

(क) राँची (ख) चिरांद
(ग) पटनां (घ) पलामू

बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है?

(क) अथर्व वेद (ख) साम वेद
(ग) वायु पुराण (घ) शतपथ ब्राह्मण

महावीर का जन्म स्थान कहाँ था?

(क) कपिलवस्तु (ख) लुम्बिनी
(ग) कुण्डग्राम (घ) पावापुरी

जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी?

(क) पशुबलि का विरोध (ख) जातिप्रथा की मान्यता
(ग) आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास
(घ) वेदों को दैवी रचना के रूप में स्वीकार करना

तृतीय बौद्ध-संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ?

(क) कनिष्क (ख) अशोक
(ग) हर्ष (घ) खारवेल

प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ?

(क) पाटलिपुत्र (ख) राजगीर
(ग) वैशाली (घ) बोधगया

द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया?

(क) अजातशत्रु (ख) कालाशोक
(ग) अशोक मौर्य (घ) कनिष्क

मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ?

(क) जरासंध (ख) बिम्बिसार
(ग) अजातशत्रु (घ) चन्द्रगुप्त मौर्य

मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ?

(क) 315 ई. पू. (ख) 305 ई. पू.
(ग) 311 ई. पू. (घ) 320 ई. पू.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

10. चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आनेवाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था?
(क) सिकन्दर (ख) खुसरो
(ग) डेमेट्रियस (घ) सेल्यूकस

11. अर्थशास्त्र का लेखक कौन था?
(क) कालिदास (ख) कौटिल्य
(ग) भवभूति (घ) मिलिन्द

12. अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है?
(क) शहबाजगढ़ी अभिलेख (ख) ब्रह्मगिरि अभिलेख
(ग) शिलालेख XIII (घ) सोपारा अभिलेख

13. मौर्यकालीन पाटलीपुत्र नगर-प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है?
(क) मुद्राराक्षस (ख) इण्डिका
(ग) अर्थशास्त्र (घ) अशोक के अभिलेख

14. धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की संस्थापना की?
(क) नालन्दा (ख) विक्रमशिला
(ग) जगदल (घ) उपर्युक्त सभी

15. बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी?
(क) फ़रमूली (ख) नूहानी
(ग) सूर (घ) करारानी

16. बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है?
(क) मकतूबाते मखदूम (ख) मकतुबाते सदी
(ग) मकतूबाते मनेरी (घ) मकतूबाते यहया

17. निम्नांकित में कौन सूफी सम्प्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा?
(क) चिशती (ख) कलंदरी
(ग) फिरदौसी (घ) सुहारावर्दी

18. बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों से सबसे आरंभिक नाम किसका है?
(क) इमाम ताज फकीह (ख) सालार मसूद गाजी
(ग) पीर शहाबुद्दीन जगजोत (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

19. गहड़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ हुई?
(क) कन्नौज (ख) मनेर
(ग) मुंगेर (घ) बनारस

20. बिहार में तुर्क-सत्ता की स्थापना कब हुई?
(क) 1192 में (ख) 1194 में
(ग) 1198 में (घ) 1204 में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

21. मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी ?
(क) दरभंगा (ख) सिमराँवगढ़
(ग) तिरहुत (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

22. कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था ?
(क) कीर्ति सिंह (ख) हरि सिंह
(ग) शिव सिंह (घ) महेश सिंह

23. शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुर्नस्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई ?
(क) सूरजगढ़ा का युद्ध (ख) चौसा का युद्ध
(ग) कन्नौज का युद्ध (घ) दौरा का युद्ध

24. गुरू गोविन्द सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ ?
(क) 1660 (ख) 1666
(ग) 1670 (घ) 1675

25. सिक्ख गुरूओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रंमण किसने किया ?
(क) गुरू नानक देव (ख) गुरू अर्जुन देव
(ग) गुरू तेग बहादुर (घ) गुरू गोविन्द सिंह

26. बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुआ ?
(क) नवाब मीर कासिम (ख) नवाब शुजाउद्दौला
(ग) मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय
(घ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी

27. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया ?
(क) मीर जाफर (ख) मीर कासिम
(ग) अलीवरदी खा (घ) शाह आलम द्वितीय

28. वहाबी आन्दोलन का भारत में संस्थापक कौन था ?
(क) मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब (ख) सर सैय्यद अहमद खाँ
(ग) सैय्यद अहमद शहीद (घ) विलायत अली एवं इनायत अली

29. सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की ?
(क) राजेन्द्र प्रसाद (ख) ब्रजकिशोर प्रसाद
(ग) मज़हरूल हक (घ) गाँधीजी

30. पृथक बिहार राज्य के गठन की माँग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसका था
(क) महेश नारायण (ख) डा. सच्चिदानन्द सिन्हा
(ग) डा. राजेन्द्र प्रसाद (घ) हसन इमाम

31. मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी ?
(क) राजगीर (ख) पाटलीग्राम
(ग) पाटलीपुत्र (घ) चम्पा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

32. मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया ?
(क) चन्द्रगुप्त मौर्य (ख) बिम्बिसार
(ग) अशोक (घ) महापद्मनंद

33. पाटलीपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतान्त में मिलता है ?
(क) स्ट्रैबो (ख) फाहियान
(ग) मेगास्थनीज (घ) युआन च्वांग

34. आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था ?
(क) चम्पा (ख) नालन्दा
(ग) राजगीर (घ) पाटलीपुत्र

35. महावीर की मृत्यु कहाँ हुई ?
(क) लुम्बिनी (ख) राजगीर
(ग) पांटलीपुत्र (घ) पावापुरी

36. बिहार में तुर्क.शासन की संस्थापना किसने की ?
(क) मोहम्मद गोरी (ख) कुतुबुद्दीन ऐबक
(ग) इब्ने बखत्यार खलजी (घ) इल्तुतमिश

37. बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण रहा ?
(क) व्यापार के लिए (ख) सूफी संतों की गतिविधियों के लिए
(ग) प्रान्तीय प्रशासन के केन्द्र के रूप में
(घ) शैक्षिक केन्द्र के रूप में

38. बिहार में नूहानी राज्य का संस्थापक कौन था ?
(क) मोहम्मद नूहानी (ख) दरिया खाँ नूहानी
(ग) जलाल खाँ नूहानी (घ) सिकन्दर लोदी

39. शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं ?
(क) सहसराम (ख) दिल्ली
(ग) चुनार (घ) बंगाल

40. बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था ?
(क) सुलैमान करारानी (ख) दाऊद खाँ करारानी
(ग) इब्राहिम लोदी (घ) इब्राहीम शाह सूर

41. निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था ?
(क) आली गौहर (ख) राजा राममोहन राय
(ग) राजा शिताब राय (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

42. बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया ?
(क) अलीवर्दी खाँ (ख) सिराजुद्दौला
(ग) मीर जाफर (घ) मीर कासिम

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

43. गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जेनरल के समय में हुआ?
(क) वारेन हेस्टिंग्स (ख) सर जॉन शोर
(ग) लार्ड कार्नवालिस (घ) लार्ड हार्डिंग

44. गाँधीजी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ?
(क) 1909 (ख) 1913
(ग) 1914 (घ) 1917

45. स्वामी सहजानंद कौन थे?
(क) किसान आंदोलन के नेता (ख) धर्म सुधार आन्दोलन के नेता
(ग) स्वतंत्रता सेनानी (घ) वेदों के महान टिप्पणीकार

46. बिहार एक अलग प्रान्त कब बना?
(क) 1911 (ख) 1912
(ग) 1914 (घ) 1917

47. बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ?
(क) 1932 (ख) 1936
(ग) 1938 (घ) 1937

48. बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
(क) मुहम्मद यूनूस (ख) श्रीकृष्ण सिंह
(ग) यूनुस सलीम (घ) राजेन्द्र प्रसाद

49. बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी?
(क) 1919 (ख) 1934
(ग) 1937 (घ) 1947

50. जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आन्दोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण में बना रहा?
(क) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (ख) समाजवादी आन्दोलन
(ग) वामपंथी आन्दोलन (घ) सर्वोदय आन्दोलन

51. निम्नांकित का सुमेल करें
(i) कोल विद्रोह (क) 1832–33
(ii) भूमिज विद्रोह (ख) 1855–56
(iii) संथाल विद्रोह (ग) 1831–32
(iv) बिरसा आंदोलन (घ) 1895–1901
(क) i–क ii–ख iii–ग iv–घ (ख) i–ग ii–ख iii–क iv–घ
(ग) i–क ii–घ iii–ग iv–ख (घ) i–ग ii–क iii–ख iv–घ

52. बिरसा की मृत्यु कब हुई?
(क) 1895 (ख) 1898
(ग) 1990 (घ) 1901

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

53. 23 अप्रील को कुँवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है?
(क) यह कुँवर सिंह की जन्मतिथि है
(ख) इस दिन कुँवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आरंभ किया
(ग) इस दिन कुँवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई
(घ) यह कुँवर सिंह की मृत्यु की तिथि है

54. पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था?
(क) इनायत अली (ख) विलायत अली
(ग) पीर अली (घ) पीर बख्श

55. बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में निम्नांकित में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी?
(क) इनायत अली (ख) विलायत अली
(ग) अहमदुल्लाह (घ) उपर्युक्त सभी

56. 1908 के मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया?
(क) प्रिंगल केनेडी (ख) जज किंगसफोर्ड
(ग) उपर्युक्त दोनों (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57. मुज़फ्फरपुर बमकांड (1908) के अभियुक्तों में किसे फाँसी दी गई?
(क) खुदीराम बोस (ख) प्रफुल्ल चाकी
(ग) उपर्युक्त दोनों (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

58. बिहार में होमरूल आन्दोलन के संस्थापक कौन थे?
(क) ऐनी बेसेंट (ख) राजेन्द्र प्रसाद
(ग) हसन इमाम (घ) मजहरूल हक

59. बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया?
(क) राजेन्द्र प्रसाद (ख) ब्रजकिशोर प्रसाद
(ग) महेश नारायण (घ) हसन इमाम

60. निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कॉंग्रेस द्वारा इंगलैंड भेजे गये शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया?
(क) हसन इमाम (ख) मजहरूल हक
(ग) राजेन्द्र प्रसाद (घ) सच्चिदानन्द सिंहा

61. बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ?
(क) 1918 (ख) 1919
(ग) 1920 (घ) 1921

62. बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ?
(क) 1918 (ख) 1919
(ग) 1920 (घ) 1921

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

63. बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ?
(क) 1919 (ख) 1920
(ग) 1921 (घ) 1922

64. बिहार में स्वराज्य दल का गठन कब हुआ?
(क) 1919 (ख) 1920
(ग) 1921 (घ) 1922

65. भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ?
(क) 9 अगस्त (ख) 11 अगस्त
(ग) 12 अगस्त (घ) 13 अगस्त

66. 'आजाद दस्ता' का गठन किस उद्देश्य से हुआ?
(क) भारत को आजाद कराने के लिए
(ख) अंग्रेजों की हत्या करने के लिए
(ग) सरकार-विरोधी तोड़-फोड़ के लिए
(घ) सरकार को युद्ध-कार्यों में बाधा पहुँचाने के लिए

67. बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ?
(क) 1920 (ख) 1922
(ग) 1926 (घ) 1929

68. बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे?
(क) स्वामी सहजानंद (ख) स्वामी श्रद्धानंद
(ग) राज कुमार शुक्ल (घ) स्वामी विद्यानंद

69. बिहार के प्रथम गवर्नर भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कौन हुए?
(क) आर. आर. दिवाकर (ख) जयरामदास दौलतराम
(ग) श्रीकृष्ण सिंह (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

70. बिहार में सांवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ?
(क) 1937 (ख) 1947
(ग) 1949 (घ) 1950

71. बिहार की कुल जनसंख्या क्या है?
(क) 8·64 करोड़ (ख) 84.6 करोड़
(ग) 9 करोड़ (घ) 5 करोड़

72. बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है?
(क) 2.1% (ख) 2.3%
(ग) 2.4% (घ) 2.5%

73. बिहार में साक्षरता की दर क्या है?
(क) 32% (ख) 42%
(ग) 52% (घ) 62%

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

74. बिहार में ग्रामीण-शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है?
(क) 40–60 (ख) 20–80
(ग) 50–50 (घ) 80–20

75. बिहार के राजकीय उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है?
(क) भारी उद्योग (ख) कोयला एवं अन्य खनिज
(ग) कृषि (घ) सेवा क्षेत्र

76. बिहार में देश की कुल खनिज का कितना भाग प्राप्त होता है?
(क) 36% (ख) 60%
(ग) 16% (घ) 40%

77. बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राजकीय उत्पादन (SDP) क्या है?
(क) 2904 रु० (ख) 4012 रु०
(ग) 8690 रु० (घ) 9643 रु०

78. बिहार में गरीबी रेखा के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?
(क) 20 से 40% (ख) 40% से 50%
(ग) 50% से 60% (घ) 60% से 70%

79. बिहार में गरीबी उन्मुलन हेतु चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना का वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य किस अनुपात में करते हैं?
(क) 50:50 (ख) 60:40
(ग) 80:20 (घ) 100:00

80. बिहार में इन्दिरा आवास योजना किस योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही है?
(क) JRY (ख) IRDP
(ग) PMRY (घ) ICDS

81. बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है?
(क) जीवनदायी (ख) व्यवसायिक
(ग) निर्यात प्रधान (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं।

82. बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है?
(क) 50 प्रतिशत से अधिक (ख) 40 प्रतिशत से अधिक
(ग) 30 प्रतिशत से अधिक (घ) 30 प्रतिशत से कम

83. केन्द्र द्वारा प्रचलित विशेष खाद्यान्न उत्पादन प्रोग्राम राज्य में किस खाद्यान्न के उत्पादन पर बल देता है?
(क) गन्ना (ख) दलहन
(ग) तेलहन (घ) चावल

84. राज्य की कौन-कौन सी मुख्य व्यवसायिक फसलें हैं?
(क) चावल-गेंहूँ-मक्का (ख) गन्ना-जूट-कपास
(ग) संरसों-जूट-गन्ना (घ) कोई भी नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

85. राज्य में कृषि साख का मुख्य साधन क्या है?
(क) को-ऑपरेटिव बैंक (ख) ग्रामीण बैंक
(ग) साहुकार व महाजन (घ) नाबार्ड

86. बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है?
(क) भूमि सुधार का अभाव (ख) साख की अप्राप्ता
(ग) सिंचाई की निम्न व्यवस्था (घ) उपर्युक्त सभी

87. राज्य में भूमि सुधार के अन्तर्गत मुख्य उपाय क्या है?
(क) जमीन्दारी उन्मुलन (ख) चकबन्दी
(ग) भूम्रि की सीमाबन्दी (घ) उपर्युक्त सभी

88. बिहार में उत्तर बिहार के प्रमुख बगानों में कौन-सा संयोग प्रसिद्ध है?
(क) आम, अमरूद, केला (ख) आम, लीची, अनार
(ग) आम, लीची, केला (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं।

89. बिहार में मालडब्बा बनाने का कारखाना कहाँ लगा है?
(क) जमशेदपुर (ख) मुजफ्फरपुर
(ग) दानापुर (घ) दरभंगा

90. उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में कौन-कौन से हैं?
(क) चीनी, जूट, कागज, रसायन (ख) चीनी, जूट, कागज, दवा
(ग) चीनी, इन्जीनीयरिंग एवं रबर (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं।

91. औद्योगिक श्रमिकों में बिहार का हिस्सा कितना है?
(क) 5.2 (ख) 6.3
(ग) 7.3 (घ) 8.2

92. भाड़ा समानीकरण नीति के अन्तर्गत क्या व्यवस्था थीं?
(क) कोयले का मूल्य भाड़ा लागत रहित था
(ख) कोयले का बिक्री मूल्य सभी जगहों पर समान था
(ग) दोनों ही
(घ) दोनों में कोई भी नहीं।

93. बिहार में राज्य योजना का प्रारुप कौन तैयार करता है?
(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् (ख) राज्य नियोजन परिषद्
(ग) राष्ट्रीय योजना आयोग (घ) राज्यपाल।

94. बिहार में पहला सिमेन्ट संयंत्र कब स्थापित हुआ?
(क) 1917 (ख) 1920
(ग) 1921 (घ) 1931

95. राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई?
(क) 1905, मरहौरा (ख) 1911, बिहटा
(ग) 1918, गारारू (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

96. 1991 में कुल कितने गन्ने की पेराई की गई?
(क) 33 लाख टन (ख) 32 लाख टन
(ग) 21 लाख टन (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

97. बिहार में कितने लोक उपक्रम सरकार के अधीनस्थ हैं।
(क) 49 (ख) 59
(ग) 20 (घ) 19

98. बिहार में औद्योगिक पूँजी बाजार की मुख्य इकाई कौन-सी है?
(क) बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज
(ख) मगध स्टॉक एक्सचेंज
(ग) बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं।

99. किस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्यवाही की जाती है?
(क) जिला उद्योग केन्द्र (खं) इन्डस्ट्रीयल इस्टेट
(ग) सिंगल विंडो सिस्टम (घ) मेगा औद्योगिक नगरी

100. 1993 की प्रस्तावित औद्योगिक नीति में किस नई व्यवस्था पर बल दिया गया है?
(क) मेगा इन्डस्ट्रीयल इस्टेट (ख) सिंगल विंडो सिस्टम
(ग) आंकड़ा कोषांग (घ) उपर्युक्त सभी

101. राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन-कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ हैं?
(क) विश्व बैंक (ख) बिस्कोमान
(ग) बिहार राज्य वित्त निगम (घ) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

102. बिहार में किस जिले में प्रथम जिला-नियोजन का गठन हुआ?
(क) पटना (ख) भोजपुर
(ग) मुंगेर (घ) भागलपुर

103. जिला नियोजन एवं विकास परिषद् का अध्यक्ष कौन होता है?
(क) राज्य का वित्त मंत्री (ख) जिल विकास पदाधिकारी
(ग) जिला नियोजन पदाधिकारी (घ) मुख्यमंत्री

104. राज्य की आठवीं योजना का कुल व्यय कितना रखा गया है?
(क) 500 करोड़ (ख) 1000 करोड़
(ग) 1300 करोड़ (घ) उपर्युक्त में कोई नँहीं

105. राज्य की आठवीं योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय होगा?
(क) सामाजिक सेवा (ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण
(ग) ऊर्जा (घ) उद्योग एवं खनन

106. बिहार का 1994–95 का बजट प्रस्ताव कब सदन के समक्ष रखा गया?
(क) 17 मार्च (ख) 28 मार्च
(ग) 1 अप्रैल (घ) कोई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

107. राज्य के 1994–95 बजट में शुद्ध घाटा कितना है?
(क) 760 करोड़ (ख) 735 करोड़
(ग) 150 करोड़ (घ) 134 करोड़

08. बिहार के कर-आय का मुख्य स्रोत क्या है?
(क) भू-राजस्व (ख) राज्य उत्पाद कर
(ग) स्टाम्प ड्यूटी (घ) बिक्रीकर

9. राज्य सरकार को बिक्रीकर से कुल कितनी आय प्राप्त होती है?
(क) 2732 करोड़ (ख) 1791 करोड़
(ग) 1707 करोड़ (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

10. बिहार में नागरिक-डाक्टर उपलब्धि का अनुपात क्या है?
(क) 1:1000 (ख) 1:3541
(ग) 1:3431 (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

11. बिहार में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि-दर क्या है?
(क) 3.3% (ख) 1.3%
(ग) 5.6% (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

2. बिहार में पूर्णतः बेरोजगारों की संख्या क्या है?
(क) 2.3% (ख) 2.8%
(ग) 2.0% (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

3. भारत और बिहार के बीच औसतन प्रति व्यक्ति आय अन्तर क्या है?
(क) 37% (ख) 38%
(ग) 40% (घ) 46%

4. राज्य में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है?
(क) 45% (ख) 49.1%
(ग) 40.1% (घ) 50.5%

5. बिहार में DPAP योजना कितने प्रखण्डों में चलाई जा रही है?
(क) 100 (ख) 50
(ग) 75 (घ) 159

6. बिहार में भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है?
(क) 7.66% (ख) 9.31%
(ग) 10.5% (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

7. बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है?
(क) 8.31% (ख) 9.31%
(ग) 10.5% (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

8. बिहार में अधिकतर आदिवासी जनसंख्या कहाँ निवास करती है?
(क)–छोटानागपुर (ख) संथालपरगना
(ग) सिंहभूम (घ) तीनों जगह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

119. बिहार की जन-जातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है?
(क) मुंडा (ख) उराँव
(ग) संथाल (घ) पहाड़िया

120. उराँव की भाषा को क्या कहा जाता है?
(क) होरकों (ख) कोरख
(ग) असुरी (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

121. राँची जिले में किस जनजाति की प्रधानता है?
(क) मुंडा (ख) हो
(ग) बिरहौर (घ) कोरा

122. राज्य में रहने वाली प्रमुख आदिवासी जाति का क्या नाम है?
(क) मुंडा (ख) हो
(ग) असुर (घ) गोंड

123. 1831 में अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह में कौन-कौन सी जन जातियाँ सम्मिलित थी?
(क) हो तथा मुंडा (ख) लौहड़ा तथा बैगा
(ग) उराँव तथा असुर (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

124. मुंडा जाति के लोग अपने आपको क्या कहकर बुलाते हैं?
(क) होरको (ख) कोरख
(ग) नागरा (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

125. सासस वो जगह है जहाँ मुंडा—
(क) अपना भोजन रखते हैं (ख) अपने पशु रखते हैं
(ग) अपने पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

126. अडन्दी गीत किस समय गाया जाता है?
(क) वसंत के समय (ख) धान की बुआई के समय
(ग) शादी-व्याह के समय (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

127. मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो-बोगा किस रूप में गढ़ी गई है?
(क) गीत के रूप में (ख) काव्य के रूप में
(ग) बैलेड के रूप में (घ) गद्य के रूप में

128. संथालों की लोक प्रथाओं में अधिकतर पात्र कौन से होते हैं?
(क) जंगली पशु (ख) पालतू जानवर
(ग) ओझा (घ) कोई भी नहीं

129. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है?
(क) आदिवासी उपयोजना (ख) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना
(ग) मेसो परियोजना (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

130. आदिवासी उपयोजना कितने प्रखंडों में चलाई जा रही है?
(क) 150 (ख) 102
(ग) 112 (घ) 200

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

31. बिहार में सिंचाई का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत क्या है?
(क) नलकूप (ख) कूप
(ग) नहर (घ) तालाब

32. बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन-सी है?
(क) सोन नहर (ख) कोसी नहर
(ग) दानापुर नहर (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

33. बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है?
(क) संथाल परगना (ख) दरभंगा
(ग) रोहतास (घ) हजारीबाग

34. पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है?
(क) हनुमान नगर (ख) पटना
(ग) टिहरी (घ) तिलैया

35. सदावाही नहरों मे सिंचाई कहाँ अधिक प्रचलित है/
(क) उत्तर बिहार (ख) दक्षिण पठारी भाग
(ग) दोनों ही (घ) दोनों में कोई नहीं

36. वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है?
(क) गंडक परियोजना नहर (ख) पूर्वी कोसी नहर
(ग) तेऊ नहर (न) मयुराधि नहर

37. दामोदर घाटी योजना कब और किसने शुरू की?
(क) 1948 में भारत सरकार ने (ख) 1959 में बिहार सरकार ने
(ग) 1948 में बंगाल सरकार ने (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

38. कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई
(क) 1948 (ख) 1959
(ग) 1960 (घ) 1965

39. बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है?
(क) पूर्वी चम्पारण (ख) सहरसा
(ग) समस्तीपुर (घ) रोहतास

40. बिहार में नलकूप द्वारा सिंचाई कितने क्षेत्रों में होती हैं?
(क) 10 (ख) 20
(ग) 30 (घ) 40

41. बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
(क) जल-विद्युत (ख) आणविक-ऊर्जा
(ग) तापविद्युत (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

42. बिहार राज्य विद्युत पर्षद के अन्तर्गत कौन-कौन संयंत्र आते हैं?
(क) बरौनी ताप गृह, पतरातू ताप गृह, कहलगाँव तापगृह
(ख) कांटी-ताप गृह, पतरातू ताप गृह, करबिगहिया तापगृह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ग) बोकारो ताप गृह, करबिगहिया तापगृह, कांटी तापगृह
(घ) इनमें कोई भी नहीं

143. निम्न में कौन-सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है?
(क) मेदक परियोजना (ख) बाल पहाड़ी बांध
(ग) चन्द्रपुरा विद्युत गृह (घ) कटैया जल विद्युत गृह

144. कहलगाँव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है?
(क) बिहार राज्य विद्युत पर्षद (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
(ग) दामोदर घाटी निगम (DVC) (घ) इनमें कोई भी नहीं

145. चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन-सा स्थान है?
(क) पहला (ख) दूसरा
(ग) तीसरा (घ) चौथा

146. बिहार में गेंहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है?
(क) शाहाबाद (ख) हजारीबाग
(ग) पूर्णियाँ (घ) कटिहार

147. बिहार की कुल उपलब्ध कृषि भूमि के कितने भाग पर खेती होती है?
(क) 50% (ख) 65%
(ग) 70% (घ) 80%

148. कौन-सी खरीफ फसल नहीं है?
(क) आलू (ख) गन्ना
(ग) सरसों (घ) धान

149. रबी की प्रधान फसल कौन-सी है?
(क) आम (ख) गेंहूँ
(ग) आलू (घ) बाजरा

150. आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
(क) नालंदा पटना (ख) रांची-सिंहभूम
(ग) पूर्णियाँ-कटिहार (घ) मुजफ्फरपुर-सारन

151. पलामू में किस तेलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
(क) सरसों (ख) तीसी
(ग) तिल (घ) रेंडी

152. गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यवसायिक फसल कौन-सी है?
(क) जूट (ख) मिर्च
(ग) गन्ना (घ) इनमें कोई नहीं

153. बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
(क) पटना (ख) गया
(ग) सिंहभूम (घ) हजारीबाग

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

154. तम्बाकू के उत्पादन में बिहार का देश में कौन-सा स्थान है?
(क) पहला (ख) चौथा
(ग) छठा (घ) कोई नहीं

155. बिहार में प्रति तीन व्यक्तियों पर कितना पशु धन है?
(क) पाँच (ख) दो
(ग) एक (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

156. बिहार में पशुधन की कुल संख्या क्या है?
(क) एक करोड़ (ख) दो करोड़
(ग) तीन करोड़ दस लाख (घ) इनमें कोई नहीं

157. लोहा एवं इस्पात का पहला संयंत्र बिहार में कहाँ और कब स्थापित हुआ?
(क) 1904 में जमशेदपुर (ख) 1907 में सांकची
(ग) 1968 में बोकारो (घ) इसमें कोई भी नहीं

158. बिहार किन-किन जगहों पर उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं?
(क) सिन्दरी एवं राँची (ख) पटना एवं कटिहार
(ग) सिन्दरी एवं बरौनी (घ) बरौनी एवं हजारीबाग

159. बोकारो स्टील की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई?
(क) USA (ख) UK
(ग) USSR (घ) UAE

160. बिहार में तेलशोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
(क) टाटा नगर (ख) मुरी
(ग) पतरातु (घ) बरौनी

161. किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है/
(क) पटना (ख) मुजफ्फरपुर
(ग) मुंगेर (घ) राँची

162. घाटशिला में कौन-सा प्रमुख संयंत्र स्थापित नहीं है?
(क) ताँबा (ख) अलमुनियम
(ग) रासायनिक खाद (घ) कोई नहीं

163. अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं?
(क) गंगा के उत्तरी मैदान (ख) गण्डक एवं कोसी के मध्य भाग
(ग) दक्षिणी पठारी भाग (घ) इनमें कोई भी नहीं

164. चीनी मिल का मुख्य उप-उत्पाद है?
(क) गुड़ (ख) मिठाई
(ग) खांड (घ) इनमें कोई नहीं

165. बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है?
(क) निम्न उत्पादन क्षमता (ख) विनियोग का अभाव
(ग) चीनी मूल्य नियंत्रण (घ) उपर्युक्त सभी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

166. बिहार के मुख्य रूग्न उद्योग हैं?
(क) चीनी (ख) जूट
(ग) कागज (घ) उपर्युक्त सभी

167. निम्नांकित में कौन उद्योग केन्द्र सरकार के अधीनस्थ हैं?
(क) TISCO (ख) HEC
(ग) अशोक पेपर मिल्स (घ) इनमें कोई नहीं

168. कौन-सा उद्योग बिहार का प्रधान उद्योग नहीं है?
(क) इस्पात (ख) सिमेन्ट
(ग) चीनी (घ) मोटर कार

169. बिहार में रेलवे का शुभारंभ कब हुआ?
(क) 1860–62 (ख) 1853–55
(ग) 1890–91 (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

170. बिहार में कौन-सी रेल नहीं चलती है?
(क) पूर्वोत्तर रेलवे (ख) उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे
(ग) उत्तर रेलवे (घ) दक्षिणी पूर्वी रेलवे

171. बिहार में रेलवे की कुल लम्बाई कितनी है?
(क) 5060 k.m. (ख) 10800 k.m.
(ग) 5006 k.m. (घ) 5600 k.m.

172. बिहार में सड़कों की कुल लम्बाई क्या है?
(क) 30880 k.m. (ख) 33832 k.m.
(ग) 15520 k.m. (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

173. बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग कौन-कौन से नहीं हैं?
(क) 28,30,31,33 (ख) 21,28,30,33
(ग)–8, 18,28,38 (घ) 2,6,30,37

174. बिहार में सबसे अधिक सड़क किस संस्था के नियन्त्रण में है?
(क) जिला परिषद (ख) सार्वजनिक निर्माण विभाग
(ग) राष्ट्रीय मार्ग (घ) राजकीय उच्च मार्ग

175. आन्तरिक जल मार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना किसने की है?
(क) बिहार सरकार (ख) केन्द्र सरकार
(ग) दोनों ने मिलकर (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

176. मध्यकाल में पटना के नवनिर्माता कौन थे?
(क) शेरशाह (ख) हर्षवर्द्धन
(ग) अज़ीम-उश-शान (घ) औरंगजेब

177. भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया?
(क)–राजगीर (ख) वैशाली
(ग) नालन्दा (घ) बोधगया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

178. प्रसिद्ध विष्णुपद मन्दिर किस नगर में स्थापित है?
(क) बोध गया (ख) पटना
(ग) राजगीर (घ) गया

179. बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
(क) हजारीबाग (ख) पटना
(ग) राँची (घ) धनबाद

180. किस राष्ट्रीय उद्यान में **Project Tiger** चलाया जा रहा है?
(क) हजारीबाग (ख) पलामू
(ग) नेतरहाट (घ) इनमें कोई नहीं

181. बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं?
(क) देवघर (ख) गया
(ग) राजगीर (घ) पारसनाथ

182. बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं?
(क) बोधगया (ख) वैशाली
(ग) पलामू (घ) राँची

183. किस शहर को छोटानागपुर की रानी को संज्ञा दी गयी है?
(क) राँची (ख) हजारीबाग
(ग) नेतरहाट (ग) धनबाद

184. सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है?
(क) शेरशाह सूरी (ख) हसन खाँ सूर
(ग) इस्लाम शाह (घ) इनमें कोई नहीं

185. पटना से 80 कि० मी० पर स्थित पावापुरी मन्दिर क्यों प्रसिद्ध है?
(क) यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था।
(ख) यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था।
(ग) यहाँ भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा दी।
(घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं।

186. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है?
(क) भागलपुर (ख) नालन्दा
(ग) बोधगया (घ) पटना

187. बिहार में पर्यटन विकास के लिए कौन-सी संस्था बनाई गई है?
(क) I.T.C. (ख) B.S.R.T.C.
(ग) B.S.T.C. (घ) B.S.T.D.C.

188. राजगीर स्थित रोपवे (रज्जुमार्ग) सेवा का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया?
(क) जापान (ख) अमेरिका
(ग) कोरिया (घ) चीन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

189. जैन धर्मावलम्बियों का मुख्य तीर्थस्थल है?
(क) पावापुरी (ख) वैशाली
(ग) पारसनाथ (घ) उपर्युक्त सभी

190. संत शरफ़ुद्दीन यहया मनेरी का मकबरा किस जिला में है?
(क) पटना (ख) नालन्दा
(ग) मुंगेर (घ) भोजपुर

191. बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।?
(क) 10 (ख) 6
(ग) 5 (घ) 3

193. बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ?
(क) 1995 में छः दिनों के लिए (ख) 1994 में एक माह के लिए
(ग) 1969 में पंद्रह दिनों के लिए (घ) 1995 में चार दिनों के लिए

194. बिहार में विधान सभा की अति लम्बी प्रक्रिया के कारण कौन-सा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया?
(क) 15 मार्च को दसवीं विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यकारी मुख्यमंत्री की व्यवस्था संवैधानिक नहीं थी
(ख) 31 अप्रैल के पहले बजट पास करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ताकि लोक सभा बिहार बजट पास कर दे
(ग) मुख्य चुनाव आयुक्त शेषन ने बिहार सरकार को तुरन्त बर्खास्तगी की माँग की थी
(घ) इनमें कोई नहीं

195. ग्यारहवीं विधान सभा का अध्यक्ष कौन है?
(क) गुलाम सरवर (ख) जाकिर हुसैन
(ग) देवनारायण यादव (घ) शिवराज पाटिल

196. ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास की सबसे लम्बी प्रक्रिया थी। यह कितने दिनों तक चली?
(क) दो माह (ख) तीन माह
(ग) चार माह (घ) छः माह

197. भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा जाँच समिति की रिपोर्ट सरकार को पेश की जा चुकी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(क) जस्टिस आर० एन० सिन्हा (ख) जस्टिस शमसुल हसन
(ग) जाबिर हुसैन (घ) लाल मुनि चौबे

198. बिहार में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की अन्तिम अवधि 1995 में कब तक निश्चित की गई थी?
(क) मार्च, 1995 (ख) मई, 1995
(ग) जुलाई, 1995 (घ) सितम्बर, 1995

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

199. बिहार में बैंकों का जमा-साख अनुपात क्या है?
(क) 60:40 (ख) 30:70
(ग) 50:50 (घ) 80:20

200. बिहार में सुपर ताप विद्युत संयत्र किस जगह और किस संस्थान ने स्थापित किया है?
(क) बोकारो में BSEB द्वारा (ख) कहलगाँव में NTPC द्वारा
(ग) कांटी में BSEB द्वारा (घ) तेनूघाट में गोयनका उद्योग द्वारा

201. बिहार सरकार का कौन-सा प्रतिष्ठान सर्वाधिक मुनाफे में चल रहा है?
(क) राज्य भण्डारण निगम (ख) राज्य पथ परिवहन निगम
(ग) राज्य विद्युत परिषद् (घ) राज्य चीनी मिल निगम

202. राज्य सरकार के वार्षिक व्यय का सबसे बड़ा मद कौन-सा है?
(क) शिक्षा (ख) कला
(ग) विद्युत वितरण (घ) आवास निर्माण

203. राज्य राजस्व में सर्वाधिक योगदान बिक्री कर से प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का कर है?
(क) प्रत्यक्ष कर (ख) अप्रत्यक्ष कर
(ग) दोनों में कोई भी नहीं (घ) (क) और (ख) दोनों ही

204. 1.74 लाख वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में फैले बिहार राज्य का क्षेत्रफल कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
(क) 5.3 (ख) 10.50
(ग) 8.5 (घ) 3.5

205. प्रति कि० मी० जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में क्या है?
(क) 497 (ख) 267
(ग) 505 (घ) 786

206. बिहार में कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है।
(क) 37 (ख) 38
(ग) 46 (घ) 49

207. जापान की सहायता से कौन-सी परियोजना पथ-निर्माण में चलाई जा रही है।
(क) नेशनल हाईवे (ख) ग्रामीण सड़क निर्माण
(ग) बुद्धिस्ट सर्किट (घ) बिहार-नेपाल राज मार्ग।

208. बिहार में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है।
(क) जमशेदपुर (ख) सिन्दरी
(ग)–बोकारो (घ) धनबाद

209. पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है।
(क) यह प्राथमिक शेयर बाजार है
(ख) यह द्वितीयक (secondary) पूँजी बाजार है जहाँ धारित शेयर एवं अन्य प्रपत्रों की क्रय बिक्री होती है

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ग) यह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की शाखा है
(घ) यह बिहार सरकार द्वारा स्थापित निवेश संस्थान है।

210. 26 जनवरी 1995 से कौन से समाचार-पत्र ने राज्य में पुनः प्रकाश प्रारंभ किया
(क) आर्यावर्त्त एवं इन्डियन नेशन (ख) प्रदीप एवं सर्च लाईट
(ग) पाटलिपुत्र टाइम्स (घ) कोई भी नहीं

211. बंधुआ मजदूर पहचान एवं पुर्नवास योजना पर राज्य एवं केन्द्र के सहयोग का आधार क्या है?
(क) 100 : 0 (ख) 0:100
(ग) 50-50 (घ) इनमें कोई नहीं।

212. नाबार्ड का कृषि साख का आधार क्या है?
(क) एक हेक्टेयर पर 5000 रु० (ख) एक हेक्टेयर पर 1000 रु०
(ग) एक हेक्टेयर पर 10000 रु० (घ) इनमें कोई नहीं

213. बिहार में कितने ग्रामीण बैंक हैं?
(क) 22 (ख) 12
(ग) 74 (घ) 100

214. बिहार में कितने व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है?
(क) 14 हजार (ख) 41 हजार
(ग) 11 हजार (घ) 10 हजार

215. बिहार में केन्द्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त औद्योगिक वित्त की मात्रा क्या है?
(क) 2.3% (ख) 3.2%
(ग) 4.1% (घ) कोई नहीं

216. 1994–95 में PMRY के अन्तर्गत राज्य में 22150 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके विरूद्ध कितने लोगों को वास्तव में ऋण प्राप्त हुआ
(क) 1200 (ख) 2000
(ग) 20000 (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

217. Special Component Plan के अन्तर्गत किसके उत्थान के कार्य होते हैं?
(क) अल्पसंख्यक (ख) अनुसूचित्त जातियाँ
(ग) आदिवासी (घ) पिछड़ी जात्तियाँ

218. BOT व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में किस क्षेत्र के विकास के लिए निवेश आमंत्रित किया जाता है—
(क) सड़क (ख) विद्युत
(ग) संचार (घ) रेल परिवहन

219. देश में कुल विदेशी निवेश (1993–94) का कितना प्रतिशत बिहार में हुआ है—
(क) 10% (ख) 20%
(ग) 5% (घ) 0.5%

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

220. नवीन औद्योगिक नीति 1995 में कौन-सी व्यवस्था नहीं है?
(क) लघु उद्योगों के लिए BIFR की तरह एक संस्था का गठन
(ख) 10–8 वर्षों के लिए बिक्री कर में छूट/अस्थगन
(ग) टेलिफोन व्यवस्था का निजीकरण
(घ) विद्युत उत्पादन में निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन

221. 1995 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक इकाइयों को जमीन की बन्दोबस्ती (पट्टा) कितने वर्ष के लिए होगा?
(क) 30 (ख) 90
(ग) 99 (घ) 33

222. राज्य में छः Mega Growth Centre का प्रस्ताव है यह कौन-से शहर में नहीं स्थापित किया जाएगा?
(क) पटना (ख) हजारीबाग
(ग) बेगूसराय (घ)–दरभंगा

223. भाड़ा समानीकरण नीति समाप्त कर दी गई है?
(क) अंशतः (ख) पूर्णतः
(ग) दोनों ही (घ) दोनों ही नहीं

224. 1994–95 में देश में मेस्ता के उत्पादन में कौन जिला तृतीय स्थान पर था।
(क) पूर्णिया (ख) सहरसा
(ग) गुमला (घ) कटिहार

225. बिहार में जिलों की कुल संख्या दिसम्बर, 1995 तक कितनी थी?
(क) 55 (ख) 52
(ग) 50 (घ) 16

226. बिहार में कुल कितने प्रमण्डल हैं—
(क) 41 (ख) 14
(ग) 42 (घ) 24

227. बिहार पंचायत राज अधिनियम (1993) में पंचायत राज की संरचना किस प्रकार की होगी?
(क) एक स्तरीय ग्राम पंचायत
(ख) द्विस्तरीय ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति
(ग) त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्
(घ) इनमें कोई नहीं

228. पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है?
(क) ग्राम (ख) प्रखण्ड
(ग) अनुमण्डल (घ) जिला

229. ग्राम-पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा?

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(क) 5000 (ख) 3000
(ग) 1000 (घ) 500

230. कैन्टोनमेन्ट बोर्ड की व्यवस्था किस जगह की जाती है?
(क) पुलिस स्टेशन (ख) मिलिटरी स्टेशन
(ग) दोनों ही (घ) दोनों में कोई नहीं

231. शहरी स्थानीय प्रशासन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी?
(क) मद्रास (1687) (ख) कलकत्ता (1870)
(ग) बम्बई (1842) (घ) कोई नहीं

232. किस प्रतिवेदन की सिफारिश पर म्युनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया?
(क) Montagu-Chelmsford Report (1918)
(ख) Simon Commission (1930)
(ग) दोनों ही (घ) कोई नहीं

233. विद्यालयों में बाल-पंजीकरण की व्यवस्था क्यों की गई है?
(क) यह पता लगाने के लिए कि कितने बाल श्रमिक है।
(ख) इसके अन्तर्गत प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को घर-घर जाकर बच्चों के विद्यालय में नामांकन के बारे में सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है।
(ग) चरवाहा विद्यालय का नामांकन रजिस्टर है।
(घ) कोई भी नहीं।

234. बिहार गैर-सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम कब पारित हुआ था?
(क) 1976 (ख) 1966
(ग) 1956 (घ) 1946

235. जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
(क) जिला पदाधिकारी (ख) जिला विकास पदाधिकारी
(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी (घ) कोई भी नहीं

236. बिहार में वर्त्तमान में कितने चरवाहा विद्यालय कार्यरत है?
(क) 150 (ख) 250
(ग) 350 (घ) 450

237. बिहार शिक्षा परियोजना किस-किस की भागीदारी से शुरू की गई है?
(क) युनिसेफ (ख) केन्द्रीय सरकार
(ग) बिहार सरकार (घ) तीनों की भागेदारी से

238. बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ?
(क) 1937 (ख) 1947
(ग) 1957 (घ) 1967

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

239. बिहार में साक्षरता मिशन अभियान कितने जिलों में चलाया जा रहा है?
(क) 16 (ख) 55
(ग) 10 (घ) 7

240. "सीतामढ़ी योजना" क्या है?
(क) यह प्रारंभिक शिक्षा विस्तार जिला मण्डल योजना है
(ख) यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम है
(ग) दोनों ही नहीं (घ) दोनों ही सही है।

241. छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारिंत हुआ?
(क) 1908 (ख) 1902
(ग) 1900 (घ) 1875

242. बिरसा मुण्डा ने किस वर्ष अपने आपको ईश्वर का दूत घोषित किया?
(क) 1975 (ख) 1895
(ग) 1795 (घ) उपर्युक्त में कोई भी नहीं

243. दक्षिण बिहार में अनेक जगह खेत सीढ़ीनुमा होते हैं ताकि
(क) वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग हो सके।
(ख) एक खेत से दूसरे खेत में जाने में आसानी हो।
(ग) खेतों को सीमाबन्दी कानून से बचाया जाए।
(घ) यह धार्मिक प्रथा है।

244. जनजातियों के त्योहारों में कौन-सा समूह है—
(क) सरहुल, करमा, फागु एवं मोघ
(ख) करमा, खट्टी, लोहरी, वाहा
(ग) सोहराई, चतुर्थी, काली पूजा, सरहुल
(घ) माघे, फागु, होली, सरहुल

245. जनजातीय मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है?
(क) फेनी (ख) तुर्री
(ग) रानू (घ) इनमें कोई भी नहीं

246. जनजातीय गाँवों में हकार का काम—
(क) पशु चराना है (ख) बंधुआ मजदूरी है
(ग) सूचनाओं को फैलाना है (घ) इनमें कोई नहीं है

247. जनजातीय क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से—
(क) नहर सिंचित है (ख) शुष्क भूमि कृषि है
(ग) बाढ़ द्वारा सिंचित है (घ) इनमें कोई भी नहीं

248. बिहार के छोटानागपुर इलाके में लोकगीत का राग परिचय निम्नप्रकार से है—
(क) डोमकच, झूमर, डइंड़धरा (ख) झूमर, विवाह अंगनई
(ग) दोनों ही (घ) कोई भी नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

249. राज्य में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ वास करती है?
(क) 30 (ख) 75
(ग) 90 (घ) 100

250. जनजातिय आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामों में वास करता है?
(क) 93 (ख) 100
(ग) 80 (घ) 7

251. बिहार राज्य अनुसूचित क्षेत्र महाजनी नियन्त्रण अधिनियम कब पारित हुआ?
(क) 1908 (ख) 1902
(ग) 1985 (घ) कोई भी नहीं

252. आदिवासी क्षेत्र में कौन-सी परियोजना नहीं चलाई जाती है?
(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ख) जवाहर रोजगार योजना
(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (घ) सभी चलाई जाती है।

253. झारखण्ड स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ?
(क) 9 अगस्त, 1995 (ख) 1 जनवरी, 1995
(ग) 1 मार्च, 1995 (घ) 1 अप्रैल, 1995

254. झूम खेति का प्रचलन किस जनजाति में अधिक प्रचलित है?
(क) सौरिया पहारिया (ख) खैरा
(ग) बिरजिया (घ) सभी

255. राँची जिला ताना भगत पुर्नवास अधिनियम कब पारित हुआ?
(क) 1948 (ख) 1950
(ग) 1968 (घ) 1978

256. जमशेदपुर के अतिरिक्त बिहार में लोहा एवं इस्पात कारखाने कहाँ-कहाँ हैं?
(क) दुर्गापुर (ख) भिलाई
(ग) विजाग (घ) बोकारो

257. बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है?
(क) जमशेदपुर (ख) दुर्गापुर
(ग) बोकारो (घ) बरौनी

258. बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना में किस देश से सहयोग प्राप्त किया गया है?
(क) इंगलैंड (ख) जर्मनी
(ग) जापान (घ) रुस

259. बिहार में अल्युमिनियम का कारखाना कहाँ लगाया गया है?
(क) मूरी (ख) धनबाद
(ग) जमशेदपुर (घ) हजारीबाग

260. बिहार में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई?
(क) जूट (ख) रसायन
(ग) तेल शोधन (घ) लोहा एवं इस्पात

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

261. भारत का सर्वप्रथम लोहा एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ ?
(क) साकची (ख) राँची
(ग) लातेहार (घ) बेतला

262. बिहार में स्थापित (TISCO) की स्थापना किसने की ?
(क) जे० आर० डी० टाटा (ख) रुसी मोदी
(ग) जमशेद इरानी (घ) जे० एन० टाटा

263. निम्न में कौन-सी सामाजिक सुरक्षा योजना पर पूरा व्यय बिहार सरकार करती है ?
(क) वस्त्र वितरण योजना (ख) हस्तकरघा मजदूर समूह बीमा योजना
(ग) बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना (घ) उपर्युक्त सभी

264. निम्न में कौन-सी कल्याण योजना केन्द्र एवं राज्य की 50–50 प्रतिशत सहभागिता से चलाई जा रही है ?
(क) अनियोजन संकेतक भत्ता (ख) हस्तकरघा मजदूर समूह बीमा योजना
(ग) दोनों ही (घ) दोनों में कोई नहीं

265. असंगठित मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में
(क) केन्द्र एवं राज्य सरकार 50–50 प्रतिशत का योगदान देती है।
(ख) 15 अगस्त, 1995 से इसका पूरा भार केन्द्र सरकार वहन करेगी।
(ग) यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है।
(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं।

266. केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 से कौन-सी योजना प्रारंभ की गई जो राज्य में पूर्व से चल रही थी।
(क) बंधुआ मजदूर पुर्नवास योजना (ख) झोपड़ी बीमा योजना
(ग) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (घ) कोई भी नहीं

267. दरियापंथी सम्प्रदाय क्या था ?
(क) मुसलमानों में एक सुधारवादी आन्दोलन
(ख) हिन्दुओं में एक सुधारवादी आन्दोलन
(ग) एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

268. उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था ?
(क) धर्मपाल (ख) देवपाल
(ग) महिपाल (घ) नारायणपाल

269. पाल शासकों द्वारा बौद्ध-धर्म के किस सम्प्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया ?
(क) महायान (ख) हीनयान
(ग) वज्रयान (घ) उपर्युक्त सभी

270. देवपाल ने किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया ?
(क) असम (ख) उड़ीसा
(ग) नेपाल (घ) उपर्युक्त सभी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

271. नालन्दा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे?
(क) हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल (ख) धर्मपाल एवं देवपाल
(ग) हर्ष एवं धर्मपाल (घ) हर्ष एवं देवपाल

272. बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है?
(क) पटना स्थित संगी मस्जिद
(ख) पटना स्थित सैफ खाँ का मदरसा
(ग) मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा
(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

273. मध्यकालीन बिहार में ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था?
(क) मोहम्मद सादिक (ख) अब्दुल लतीफ
(ग) बहबहानी (घ) मुल्ला तकीया

274. बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी?
(क) शाद अज़ीमाबादी (ख) शम्स मनेरी
(ग) बद्रुल हसन (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

275. बिहार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई?
(क) 1919 (ख) 1945
(ग) 1947 (घ) 1950

276. बिहार रिसर्च सोसाईटी की स्थापना कब हुई?
(क) 1915 (ख) 1919
(ग) 1930 (घ) 1932

277. पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई?
(क) 1915 (ख) 1917
(ग) 1919 (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

278. मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
(क) कृष्णगुप्त (ख) श्रीगुप्त
(ग) चन्द्रगुप्त (घ) देवगुप्त

279. बिहार में पहला अंग्रेज यात्री कौन था?
(क) पीटर मुंडी (ख) राल्फ फिच
(ग) जॉन मार्शल (घ) बिशप हीबर

280. मुगलकाल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था?
(क) यूरोप (ख) एशिया
(ग) अफ्रीका (घ) उपर्युक्त सभी

281. बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ?
(क) फर्रूखसीयर (ख) शाह आलम II
(ग) उपर्युक्त दोनों (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

282. किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ ?
(क) औरंगजेब (ख) शाहजहाँ
(ग) अकबर (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

283. बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी की सहायता से चलाया जा रहा है—
(क) अर्न्तराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) (ख) एशियन विकास बैंक
(ग) आसियान (ASEAN) (घ) अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (IDA)

284. राज्य में DPEP का क्रियान्वयन किस एजेन्सी के माध्यम से हो रहा है
(क) प्राथमिक शिक्षक संघ (ख) जिला प्रशासन
(ग) बिहार शिक्षा परियोजना (घ) यूनीसेफ (UNICEF)

285. राज्य द्वारा चलाए जा रहे DPEP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है—
(क) प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण
(ख) प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार
(ग) प्राथमिक शिक्षा में ठहराव लाना एवं छीजन (Drop-outs) को रोकना
(घ) ऊपर दिये गये सभी।

286. प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक योजना चलाई है जिससे प्राथमिक कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों को दिया जाता है—
(क) काम के लिए अनाज (ख) मध्य दिवस भोजन
(ग) मध्य दिवस भोजन के बदले गेंहूँ का भुगतान
(घ) कोई भी नहीं।

287. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्थान प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई है—
(क) बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम
(ख) बिहार शिक्षा परियोजना
(ग) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण पर्षद (SCERT)
(घ) ये सभी।

288. प्राथमिक शिक्षा प्रबंधन में निम्नलिखित पदाधिकारी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है—
(क) जिला शिक्षा सुपरिन्टेन्डेन्ट (DSE)
(ख) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO)
(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)
(घ) उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

289. राज्य में DPEP के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उचित मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना ने गठन किया है—
(क) राज्य संसाधन समूह (SRG) (ख) राज्य टास्क फोर्स
(ग) निगरानी विभाग (घ) रिसर्च काउंसिल।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

290. राज्य में वर्ष 1998–99 का बजट कब प्रस्तुत हुआ—
(क) 23 मार्च, 1997 (ख) 23 मार्च, 1998
(ग) 23 मार्च, 1999 (घ) कोई भी नहीं।

291. राज्य का बजट (1998-99) घाटे का बजट है
(क) सही (ख) गलत

292. राज्य में वर्ष 1998–99 के बजट में
(क) 538.64 करोड़ रु० का बजट घाटा है
(ख) 688.95 करोड़ रु० अतिरेक (Surplus) का है
(ग) 35.58 करोड़ रु० का घाटा है (घ) कोई भी नहीं।

293. 1998-99 के बजट में स्वाधिक कर आय
(क) भू-राजस्व से प्राप्त होती है (ख) बिक्रीकर से
(ग) दोनों ही सही है (घ) दोनों ही गलत है।

294. 1998–99 का बजट विधान सभा में
(क) श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
(ख) श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
(ग) श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया।
(घ) कोई भी नहीं।

295. बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बन्दूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था—
(क) जगदीशपुर (ख) रोहतास
(ग) सासाराम (घ) कोई नहीं

296. 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि "मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था"—
(क) गया (ख) पटना
(ग) तिरहुत (घ) कोई नहीं

297. 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरूद्ध छापामार युद्ध किया—
(क) कुंवर सिंह (ख) अमर सिंह
(ग) स्थमंजन सिंह (घ) कोई नहीं

298. अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी—
(क) कैमूर में (ख) गया में
(ग) सिंहभूम में (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

299. 1857 के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी—
(क) मुजफ्फरपुर (ख) पटना
(ग) गया (घ) कोई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

300. 1857 के दौरान कहाँ "एक्सप्रेस डाक" की नई लाइनें खोली गई थीं—
(क) पूर्णिया से मुजफ्फरपुर (ख) गया से पूर्णिया
(ग) भागलपुर से राजमहल (घ) मुजफ्फरपुर से पटना

301. कहाँ के राजा ने कुवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी—
(क) मिर्जापुर (ख) रीवा
(ग) जौनपुर (घ) अवध के शाह

302. अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया—
(क) मिर्जापुर (ख) इलाहाबाद
(ग) जौनपुर (घ) आजमगढ़

303. कुंवर ने कहाँ के युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था—
(क) कानपुर (ख) रीवा
(ग) लखनऊ (घ) कोई नहीं

304. कुंवर ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था—
(क) लाग्रैड (ख) लुगार्ड
(ग) डौगलास (घ) कोई नहीं

305. 1857 के दौरान कुछ जिलों से सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है—
(क) शाहाबाद, पटना, बिहार (ख) शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, बिहार
(ग) पटना, बिहार, मुजफ्फरपुर (घ) कोई नहीं

306. 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानान्तर सरकार की स्थापना की गई थी—
(क) अमर सिंह (ख) कुंवर सिंह
(ग) निशान सिंह (घ) हर किशन सिंह

307. सैनिक जैमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ था—
(क) डोरंडा (ख) राँची
(ग) मया (घ) हजारींबाग

308. 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबिलोई ने अंग्रेजों के विरूद्ध सशक्त विद्रोह किया था—
(क) भोक्ता (ख) चेरो
(ग) खोंद (घ) कोई नहीं

309. 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कम्पनी को सहायता दी थी—
(क) बेतिया (ख) हथुआ
(ग) मुजफ्फरपुर (घ) पंडौल

310. 1830 के दशक में पटना केन्द्र था—
(क) सन्यासी विद्रोह (ख) गोदरवारी विद्रोह
(ग) मुंडा विद्रोह (घ) बहावी विद्रोह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

311. उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था—
(क) संथाल (ख) कच्छ नागा
(ग) कोल (घ) बिरसा मुण्डा

312. उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855–56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी—
(क) मुंगेर-भागलपुर (ख) भागलपुर-राजमहल
(ग) गया-मुंगेर (घ) शाहाबाद-गया

313. 1881–1895 के दौरान किन जिलों में आदिवासियों व संथाल समुदायों ने जबरदस्त विद्रोह किया था—
(क) राँची-सिंहभूम (ख) राँची-गया
(ग) सिंहभूम-राजमहल (घ) कोई नहीं

314. बिरसा आंदोलन का मुख्यालय था—
(क) खूँटी (ख) राँची
(ग) चक्रधरपुर (घ) कोई नहीं

315. खुदीराम बोस को फाँसी दी गई थी—
(क) 11 अगस्त, 1908 (ख) 11 अगस्त, 1909
(ग) 11 अगस्त, 1910 (घ) कोई नहीं

316. बिहार का कौन-सा जिला देवघर क्रांतिकारी दल की कार्रवाइयों का केन्द्र था—
(क) संथाल परगना (ख) राँची
(ग) गया (घ) कोई नहीं

317. देशेर कथा एवं हितवादी पुस्तक का सम्पादन किया था—
(क) सखाराम गणेश देवस्कर (ख) वारीन्द्र
(ग) लक्ष्मण बाबू (घ) कोई नहीं

318. "भवानी मंदिर" क्रांतिकारी संस्था की स्थापना बिहार में किसने की थी—
(क) शचीन्द्र नाथ सान्याल (ख) बाबू पुनीत लाल
(ग) भूपेन्द्र नाथ दत्त (घ) कोई नहीं

319. शचीन्द्र नाथ सान्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी—
(क) राँची (ख) पटना
(ग) गया (घ) हजारीबाग

320. बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था—
(क) बंकिमचन्द्र मिश्र (ख) शचीन्द्र नाथ सान्याल
(ग) तरूण वारीन्द्र (घ) कोई नहीं

321. सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित की थी—
(क) पुरूषोत्तम नारायण नन्दा (ख) बाबू महेश्वरी प्रसाद
(ग) नरेन्द्र चन्द्र घोष (घ) कोई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

322. "बिहारी" अखबार के सम्पादक थे—
(क) बाबू महेश्वरी (ख) रामप्रसाद लाल
(ग) कृष्ण बल्लभ सहाय (घ) कोई नहीं

323. "स्वराज्य कथा" नामक पत्रिका का सम्पादन किया था—
(क) कृष्ण बल्लभ सहाय (ख) बालमुकुन्द बाजपेयी
(ग) डॉ० दास (घ) बजरंग सहाय

324. बिहारी स्टुडेन्ट्स कॉन्फरेंस की स्थापना हुई थी—
(क) 1900 (ख) 1906
(ग) 1910 (घ) कोई नहीं

325. बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1808 में कहाँ हुआ था?
(क) राँची (ख) मुजफ्फरपुर
(ग) भागलपुर (घ) पटना

326. मुजफ्फरपुर में होमरूल लीग की स्थापना की थी—
(क) जानकीधारी प्रसाद (ख) मथूरा प्रसाद
(ग) भूपेन्द्र नाथ वर्मा (घ) कोई नहीं

327. तीनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी—
(क) चम्पारन (ख) दरभंगा
(ग) मुजफ्फरपुर (घ) छपरा

328. बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रान्तीय लीग की स्थापना हुई—
(क) 1918 (ख) 1921
(ग) 1922 (घ) कोई नहीं

329. कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली—
(क) इलाहाबाद (ख) नागपुर
(ग) कानपुर (घ) कोई नहीं

330. बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे—
(क) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (ख) चितरंजन दास
(ग) आचार्य कृपलानी (घ) कोई नहीं

331. बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में कहाँ स्थापना हुई थी—
(क) पटना (ख) भागलपुर
(ग) राँची (घ) गया

332. 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई थी—
(क) शाहाबाद में (ख) गया में
(ग) राँची में (घ) पटना में

333. कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था—
(क) बम्बई (ख) कलकत्ता
(ग) नागपुर (घ) लखनऊ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

334. मदरलैण्ड नामक समाचार-पत्र का निर्देशन किया था—
(क) कृष्ण सिंह (ख) मजहरूल हक
(ग) सरला देवी (घ) कोई नहीं

335. कौमी सेवक दल का मुख्यालय था—
(क) मुजफ्फरपुर (ख) सारन
(ग) छपरा (घ) पटना

336. इनकलाबी सिपाही दल बनाया था—
(क) रामानंद तिवारी ने (ख) सहदेव प्रसाद ने
(ग) नागेश्वर प्रसाद राव ने (घ) कोई नहीं ने

337. श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी—
(क) गया में (ख) भागलपुर में
(ग) जमशेदपुर में (घ) उपरोक्त सभी

338. बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे—
(क) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (ख) अली इमाम
(ग) देवकी नन्दन (घ) कोई नहीं

339. बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरु हुआ था—
(क) छपरा (ख) सिवान
(ग) बेतिया (घ) सारन

340. चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता हैं—
(क) गंगा प्रसाद (ख) जगन्नाथ प्रसाद
(ग) अनुराग सिंह (घ) कोई नहीं

341. बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी—
(क) मुजफ्फरपुर (ख) हाजीपुर
(ग) छपरा (घ) सिवान

342. 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की—
(क) जय प्रकाश नारायण (ख) फूलन प्रसाद वर्मा
(ग) उपरोक्त दोनों (घ) कोई नहीं

343. बिहार में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना की गई थी—
(क) 1905 ई० (ख) 1906 ई०
(ग) 1907 ई० (घ) 1908 ई०

344. तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था—
(क) बिहार (ख) बम्बई
(ग) उड़ीसा (घ) मिदनापुर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

345. लक्ष्मणपुर-बाथे गाँव का नाम किस घटना से जुड़ा है—
(क) यहाँ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी
(ख) यहाँ 1997 में बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ
(ग) यहाँ पर पुनपुन नदी पर पुल बनाया जा रहा है
(घ) उपरोक्त में कोई नहीं

346. बिहार में उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर वृद्धि का मुख्य कारण है—
(क) भूमि सुधार का अभाव (ख) मजदूरी की निम्नदर
(ग) सामन्तों द्वारा शोषण (घ) उपरोक्त सभी

347. निम्न में कौन-सा उग्रवादी संगठन नहीं है—
(क) पार्टी युनिटी (ख) एम० सी० सी०
(ग) लाल सेना (घ) सोशलिस्ट युनिटी सेन्टर

348. सामन्ति निजी सेना जिसकी पिछले पाँच वर्षों में दलित नरसंहार में बड़ी भूमिका रही है—
(क) कुँवर सेना (ख) भूमि सेना
(ग) रणवीर सेना (घ) लोरिक सेना

349. उग्रवाद का मुख्य केन्द्र कौन-सा ज़िला है?
(क) जहानाबाद (ख) गया
(ग) भोजपुर (घ) तीनों ही

350. उग्रवाद से प्रभावित जिलों में भूमि वितरण की घोर असमानता पाई जाती है
(क) सही (ख) गलत

351. उग्रवाद से निबटने का उचित रास्ता है।
(क) भूमि सुधार
(ख) विकास में जन भागीदारी
(ग) आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ (Stake) सृजन
(घ) सभी

352. राज्य में विद्युत उत्पादन का मुख्य श्रोत है—
(क) कोयला आधारित तापगृह
(ख) डीजल आधारित विकेन्द्रित आपूर्ति
(ग) पनबिजली
(घ) अणुउर्जा

353. बिहार राज्य विद्युत पर्षद राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। राज्य विद्युत पर्षद का गठन कब हुआ था?
(क) 1 अप्रैल, 1948 (ख) 1 अप्रैल, 1958
(ग) 1 अप्रैल, 1938 (घ) 1 अप्रैल, 1928

354. राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था?

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(क) बंगाल सरकार (ख) बिहार-उड़ीसा की सरकार
(ग) इस्ट इन्डिया कम्पनी (घ) निजि संयंत्र

355. बिहार में विद्युत आपूर्ति अन्तराल कितना प्रतिशत है?
(क) 13.02% (ख) 33.1%
(ग) 20% (घ) 100%

356. 1991 के पश्चात् विद्युत उत्यादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र की सहभागिता का स्वागत किया जा रहा है—
(क) गलत (ख) सही

357. राज्य में पथ निर्माण एवं रख-रखाव का एकाधिकार अभी तक पथ निर्माण विभाग (PWD) का था परन्तु अब BOT व्यवस्था के अन्तर्गत निजी निवेशक भी पथ निर्माण एवं प्रबंधन कर सकते हैं—
(क) सही (ख) गलत

358. बिहार में राष्ट्रीय उच्चमार्ग की लम्बांई कितना कि०मी० है?
(क) 4192 (ख) 2318
(ग) 1600 (घ) 64072

359. बिहार में सर्वभारत का 4% से भी कम टेलीफोन एक्सचेंज है। यह प्रति व्यक्ति टेलीफोन की उपलब्धि क्या है?
(क) 0.27 (ख) 2.70
(ग) 270 (घ) कोई भी नहीं

360. गरीबी रेखा के नीचे उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है जो—
(क) शहरों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम पोषण तत्व ग्रहण करते हैं
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम पोषण तत्व ग्रहण करते हैं
(ग) उपरोक्त दोनों ही (घ) इनमें से कोई भी नहीं

361. 1993 में लकड़ावाला समिति (योजना आयोग) के अनुसार बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं—
(क) 4.39 करोड़ (ख) 3.36 करोड़
(ग) 3.70 करोड़ (घ) कोई भी नहीं

362. राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है—
(क) 45% (ख) 53% (ग) 100% (घ) कोई भी नहीं

363. राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है—
(क) अर्द्ध बेरोज़गारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप
(ख) भूमि सुधार का अभाव
(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार
(घ) ये सभी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

364. जून 1997 से एक लक्ष (Target) जन वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य
(क) गरीबी रेखा के नीचे लोगों को और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है
(ख) गरीबी रेखा के नीचे लोगों को आधे दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है
(ग) जन वितरण प्रणाली का सर्वव्यापीकरण करना है
(घ) इनमें से कोई भी नहीं

365. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम एक सबसीडी (Subsidy) आधारित योजना है जिसमें किनकी भागीदारी होती है?
(क) नाबार्ड एवं केन्द्र सरकार
(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंक
(ग) योजना आयोग, रिजर्व बैंक एवं विश्व बैंक
(घ) इनमें से कोई भी नहीं

366. राज्य के कुल घरेलु उत्पाद (SDP) में कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्रांप्त होता है?
(क) 80% (ख) 55% (ग) 45% (घ) 30%

367. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारत में (1994–95) औसतन 240.7 रु० व्यय किया गया जबकि बिहार में यह व्यय राष्ट्रीय औसत से
(क) कम था (ख) बराबर थी
(ग) अधिक था (घ) उपरोक्त में कोई नहीं

368. इन्दिरा आवास योजना तथा एक लाख कुँआ योजना एक वृहत राष्ट्रीय गरीबी योजना की अंगीभूत इकाइयाँ हैं। यह योजना है—
(क) ग्रामीण समेकित विकास कार्यक्रम (IRDP)
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (NREP)
(ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(घ) जवाहर रोज़गार योजना

369. राज्य में अनेक जिलों में सूखा पीड़ित कार्यक्रम (DPAP) चलाया जा रहा है। इनमें से प्रमुख्य जिले हैं।
(क) पलामू, पटना, गोड्डा, मुंगेर, भोजपुर
(ख) पलामू, गोड्डा, नालन्दा, रोहतास, मुंगेर
(ग) प० चम्पारण, सारण, पलामू, भागलपुर
(घ) गया, जहानाबाद, राँची, जमशेदपुर

370. राज्य में मजदूरी प्रधान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है—
(क) ट्राईसेम (TRYSEM) (ख) समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
(ग) जवाहर रोजगार योजना
(घ) जनजाति उपयोजना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

371. सुनिश्चित रोज़गार योजना उन्हीं प्रखण्डों में चलाई जा रही है जहाँ पूर्व से ही --------- कार्यरत है
(क) सर्वव्यापी जन वितरण प्रणाली (PDS)
(ख) पुर्नगठित जनवितरण प्रणाली (RPDS)
(ग) दोनों ही
(घ) दोनों में से कोई भी नहीं

372. कौन-सी सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना भ्रष्टाचार की शिकायत के पश्चात् 1997 में स्थगित कर दी गई।
(क) सामूहिक सुरक्षा पेन्शन योजना (ख) वस्त्र वितरण योजना
(ग) संकेतक भत्ता योजना (घ) कोई भी नहीं

373. राज्य में बंधुआ मजदूर पहचान एवं पुनर्वास कार्यक्रम की भागीदारी से चलता है
(क) केन्द्र एवं राज्य सरकार (50:50)
(ख) केन्द्र एवं राज्य सरकार (80:20)
(ग) केन्द्र एवं राज्य सरकार (20:80)
(घ) कोई भी नहीं

374. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य
(क) खाद्य सुरक्षा (ख) मूल्य नियन्त्रण
(ग) कमजोर वर्ग को समर्थन (घ) इनमें सभी

375. 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुख्य श्रमिकों की संख्या कितनी है?
(क) 2.56 करोड़ (ख) 8.6 करोड़
(ग) 4.5 करोड़ (घ) 1.1 करोड़

376. राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत मुख्य श्रमिक है?
(क) 29.66% (ख) 25.10%
(ग) 80.60% (घ) 100%

377. सर्वभारत की कुल बेरोजगार आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में है?
(क) 9.8% (ख) 6.2% (ग) 100% (घ) 50%

378. स्वतंत्रतापूर्व राज्य में श्रम आन्दोलन की शुरूआत कहाँ से हुई?
(क) जमालपुर (ख) पटना
(ग) बरौनी (घ) राँची

379. बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
(क) एस० एन० हलधर (ख) बी० चक्रवर्ती
(ग) अब्दुल बारी (घ) ये सभी

380. राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या कितना है?
(क) 10.70 लाख (ख) 19.5 लाख
(ग) 13 लाख (घ) कोई भी नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

381. बाल श्रम उन्मूलन एवं पुर्नवास अधिनियम के तहत मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था है। 1996–97 तक बिहार राज्य में ऐसे कितने स्कूल थे।
(क) 294 (ख) 187 (ग) 300 (घ) 110

382. राज्य में बाल श्रमिकों का घातक रोजगार में अधिक प्रयोग किन-किन जिलों में होता है?
(क) भोजपुर, बक्सर, नवादा, शिवहर, मधेपुरा तथा भागलपुर
(ख) गिरीडीह, सुपौल, मुज़फ्फरपुर, बोकारो, जमुई तथा गया
(ग) दोनों ही (घ) दोनों में से कोई भी नहीं

383. राज्य में बाल श्रमिकों के पुर्नवास हेतु अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाएँ भी सहयोग दे रही हैं
(क) अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ (ख) विश्व बैंक
(ग) मुद्राकोष (घ) कोई भी नहीं

384. राज्य में प्रमुख श्रम संघ कार्यरत हैं जिनमें ------ उल्लेखनीय है
(क) CITU (ख) AITUC (ग) INTUC (घ) सभी

385. बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रतापूर्व से स्वतंत्रताबाद तक रहा?
(क) आर० आर० दिवाकर (ख) जाकिर हुसैन
(ग) जयराम दास दौलतराम (घ) देवकान्त बरूआ

386. राज्य में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना किस नगर तथा किस वर्ष हुई?
(क) पटना 1947 (ख) मुजफ्फरपुर 1866
(ग) आरा 1865 (घ) कोई भी नहीं

387. बिहार में कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(क) नवाब सरफराज़खां 1908 (ख) अनुग्रह नारायण सिंह 1906
(ग) जयप्रकाश नारायण 1905 (घ) कोई भी नहीं

388. 1998 लोक सभा चुनाव की विशेषता क्या थी?
(क) बिहार में अनेक राष्ट्रीय दलों का सफाया हो गया
(ख) दक्षिणपंथी धर्मप्रधान गठबंधन को अधिकतर सीटें प्राप्त हुई
(ग) दोनों ही सही
(घ) दोनों नहीं

389. आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राज्य सूची के सभी विषयों पर उस अवधि के दौरान कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
(क) संसद को (ख) राष्ट्रपति को (ग) राज्यपाल को (घ) कोई नहीं

390. किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया?
(क) महाराष्ट्र (ख) उत्तरप्रदेश (ग) बिहार (घ) कोई भी नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

391. कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार है।
(क) राज्यपाल को
(ख) राज्य विधान सभा अध्यक्ष को
(ग) राज्य विधान परिषद् अध्यक्ष को
(घ) मुख्यमंत्री को

392. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्वि सदनात्मक विधान मण्डल की व्यवस्था की गई है?
(क) 167 (ख) 168 (ग) 169 (घ) 170

393. 1998 के लोक सभा चुनावों में बिहार में श्री मराण्डी ने अपने प्रतिद्वन्दी श्री थामस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अन्तराल का एक रिकार्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था?
(क) राँची (ख) बेतिया (ग) राजमहल (घ) गोड्डा

394. राज्य में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र (Constituencies) है?
(क) 85 (ख) 325 (ग) 524 (घ) 54

उत्तर

1.	(ग)	**2.**	(घ)	**3.**	(ग)	**4.**	(क)	**5.**	(क)
6.	(ख)	**7.**	(ख)	**8.**	(ख)	**9.**	(क)	**10.**	(घ)
11.	(ख)	**12.**	(ग)	**13.**	(ख)	**14.**	(ख)	**15.**	(ख)
16.	(ख)	**17.**	(ग)	**18.**	(क)	**19.**	(ख)	**20.**	(ग)
21.	(ख)	**22.**	(ख)	**23.**	(ग)	**24.**	(क)	**25.**	(क)
26.	(घ)	**27.**	(घ)	**28.**	(ग)	**29.**	(ग)	**30.**	(ख)
31.	(क)	**32.**	(घ)	**33.**	(ग)	**34.**	(घ)	**35.**	(घ)
36.	(ग)	**37.**	(ग)	**38.**	(क)	**39.**	(क)	**40.**	(ख)
41.	(घ)	**42.**	(घ)	**43.**	(ग)	**44.**	(घ)	**45.**	(क)
46.	(ख)	**47.**	(ख)	**48.**	(क)	**49.**	(ग)	**50.**	(घ)
51.	(घ)	**52.**	(ग)	**53.**	(ग)	**54.**	(ग)	**55.**	(ग)
56.	(ख)	**57.**	(क)	**58.**	(घ)	**59.**	(क)	**60.**	(ख)
61.	(ख)	**62.**	(ग)	**63.**	(ग)	**64.**	(घ)	**65.**	(ख)
66.	(घ)	**67.**	(घ)	**68.**	(क)	**69.**	(ख)	**70.**	(घ)
71.	(क)	**72.**	(क)	**73.**	(क)	**74.**	(घ)	**75.**	(ग)
76.	(घ)	**77.**	(क)	**78.**	(ख)	**79.**	(ग)	**80.**	(क)
81.	(क)	**82.**	(घ)	**83.**	(घ)	**84.**	(ग)	**85.**	(ग)
86.	(घ)	**87.**	(घ)	**88.**	(ग)	**89.**	(ख)	**90.**	(ख)
91.	(क)	**92.**	(ग)	**93.**	(ख)	**94.**	(ग)	**95.**	(क)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

96.	(ग)	97.	(क)	98.	(ख)	99.	(ग)	100.	(घ)
101.	(ग)	102.	(ग)	103.	(ख)	104.	(ग)	105.	(ख)
106.	(क)	107.	(घ)	108.	(घ)	109.	(ख)	110.	(ग)
111.	(ख)	112.	(क)	113.	(घ)	114.	(ग)	115.	(घ)
116.	(ग)	117.	(क)	118.	(घ)	119.	(ग)	120.	(ख)
121.	(क)	122.	(ख)	123.	(क)	124.	(क)	125.	(ग)
126.	(ग)	127.	(ग)	128.	(क)	129.	(ग)	130.	(ग)
131.	(ग)	132.	(क)	133.	(ग)	134.	(क)	135.	(क)
136.	(क)	137.	(क)	138.	(घ)	139.	(घ)	140.	(ग)
141.	(ग)	142.	(ख)	143.	(घ)	144.	(ख)	145.	(घ)
146.	(क)	147.	(क)	148.	(क)	149.	(ख)	150.	(क)
151.	(ग)	152.	(ग)	153.	(घ)	154.	(ग)	155.	(ग)
156.	(ग)	157.	(क)	158.	(ग)	159.	(ग)	160.	(घ)
161.	(ग)	162.	(ग)	163.	(क)	164.	(ग)	165.	(घ)
166.	(घ)	167.	(ख)	168.	(घ)	169.	(क)	170.	(ग)
171.	(घ)	172.	(ख)	173.	(ग)	174.	(क)	175.	(क)
176.	(क)	177.	(घ)	178.	(घ)	179.	(क)	180.	(ख)
181.	(ख)	182.	(क)	183.	(ग)	184.	(क)	185.	(ख)
186.	(क)	187.	(ख)	188.	(क)	189.	(घ)	190.	(क)
191.	(ख)	192.	(क)	193.	(ख)	194.	(ग)	195.	(ग)
196.	(क)	197.	(घ)	198.	(ख)	199.	(ख)	200.	(क)
201.	(क)	202.	(ख)	203.	(क)	204.	(क)	205.	(क)
206.	(ग)	207.	(ग)	208.	(ख)	209.	(क)	210.	(क)
211.	(ग)	212.	(क)	213.	(क)	214.	(क)	215.	(क)
216.	(ख)	217.	(ख)	218.	(क)	219.	(घ)	220.	(ग)
221.	(ख)	222.	(क)	223.	(क)	224.	(क)	225.	(क)
226.	(ख)	227.	(ग)	228.	(ख)	229.	(क)	230.	(ख)
231.	(क)	232.	(क)	233.	(ख)	234.	(क)	235.	(ग)
236.	(क)	237.	(घ)	238.	(क)	239.	(क)	240.	(घ)
241.	(क)	242.	(ख)	243.	(क)	244.	(क)	245.	(ग)
246.	(ग)	247.	(ख)	248.	(ग)	249.	(क)	250.	(क)
251.	(ग)	252.	(घ)	253.	(क)	254.	(घ)	255.	(क)
256.	(घ)	257.	(ग)	258.	(घ)	259.	(क)	260.	(घ)
261.	(क)	262.	(घ)	263.	(क)	264.	(ख)	265.	(ख)
266.	(ग)	267.	(ग)	268.	(क)	269.	(क)	270.	(घ)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

271. (क)	272. (ग)	273. (ग)	274. (क)	275. (क)
276. (क)	277. (ग)	278. (क)	279. (ख)	280. (घ)
281. (ख)	282. (घ)	283. (घ)	284. (ग)	285. (घ)
286. (घ)	287. (घ)	288. (ग)	289. (क)	290. (ख)
291. (क)	292. (क)	293. (क)	294. (ग)	295. (क)
296. (ग)	297. (ख)	298. (क)	299. (क)	300. (क)
301. (ख)	302. (घ)	303. (ख)	304. (क)	305. (क)
306. (घ)	307. (क)	308. (क)	309. (ख)	310. (घ)
311. (घ)	312. (ख)	313. (क)	314. (क)	315. (क)
316. (क)	317. (क)	318. (ग)	319. (ख)	320. (क)
321. (क)	322. (क)	323. (ख)	324. (ख)	325. (घ)
326. (क)	327. (क)	328. (ख)	329. (ख)	330. (क)
331. (क)	332. (ख)	333. (क)	334. (ग)	335. (क)
336. (ख)	337. (क)	338. (ग)	339. (ग)	340. (ग)
341. (ख)	342. (क)	343. (ग)	344. (क)	345. (ख)
346. (घ)	347. (घ)	348. (ग)	349. (घ)	350. (क)
351. (घ)	352. (क)	353. (ख)	354. (घ)	355. (ख)
356. (ख)	357. (क)	358. (ख)	359. (क)	360. (ग)
361. (क)	362. (ख)	363. (घ)	364. (ख)	365. (ख)
366. (ग)	367. (क)	368. (घ)	369. (ख)	370. (ग)
371. (ख)	372. (ख)	373. (क)	374. (घ)	375. (क)
376. (क)	377. (क)	378. (क)	379. (घ)	380. (क)
381. (ख)	382. (ग)	383. (क)	384. (ग)	385. (ग)
386. (ग)	387. (क)	388. (ग)	399. (क)	390. (ग)
391. (ख)	392. (क)	393. (ग)	394. (घ)	

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon